(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 4] सप्तम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 20वां दिवस [संख्या 17

बुधवार,

17 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 484

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री मालूराम लेघा

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपको लिखकर नहीं दिया है।

श्री देवीसिंह भाटी : मुझे कहा कि लिखकर दे दूंगा, वह मिले नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : डा. उजला अरोड़ा।

जयपुर स्थित देवस्थान विभाग के भवन

485. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में देवस्थान विभाग के कितने भवन हैं और इन भवनों में से कितने किराये पर दिये हुए हैं और शेष भवनों का उपयोग किस रूप में हो रहा है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग के भवनों में रहने वाले किरायेदारों में काफी बड़ी राशि किराये की बकाया है?

राज्य मन्त्री, देवस्थान (श्री घासीराम यादव) : (1) जयपुर शहर में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियन्त्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं राजकीय आत्म निर्भर मन्दिरों की संख्या 49 है। इन मन्दिरों के साथ में लगी हुई सम्पदा जैसे मकानात, दुकानें इत्यादि का 357 किरायेदार

(श्री घासीराम यादव)

उपयोग कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त 9 मन्दिरों के भवन वर्तमान मे खाली पड़े हुए हैं। प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोई सूची मेरे पास नहीं है।

श्री घासीराम यादव : जो भवन वर्तमान में रिक्त हैं उनको स्कूलों चिकित्सालयों, प्रसूति गृहों इत्यादि के लिये किराये पर देने के प्रस्तावों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल, जयपुर) : किराये की रकम नहीं बताई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने गलत कहा है, मेरे पास कोई सूची नहीं है, मुझे सूची नहीं मिली।

श्री घासीराम यादव : सदन के पटल पर रख दी गई है।

श्री अध्यक्ष : सदन के पटल पर भी नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : स्थगित कर दीजिये।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर रख दी गई है। पढ़कर सुना दूं ?

श्री अध्यक्ष : इतनी लम्बी सूची है, आप पढ़कर सुना सकते हैं ?

श्री घासीराम यादव : छोटी सी है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सूची मंगवाई है, पढ़कर सुना सकते हैं, आपको उपलब्ध करा देंगे।

(व्यवधान)

वर्तमान में सूची पढ़वा देते हैं। मैं यह देखूंगा कि........

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। अगला प्रश्न।

श्री चुन्नीलाल।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर का भवन निर्माण

486. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर द्वारा स्वयं के कार्यालय के भवन निर्माण हेतु जमीन खरीदी गयी थी ? यदि हां, तो

(श्री चुन्नीलाल)

कितने रुपयों की, कब खरीदी गयी और कितने क्षेत्रफल की ?

(2) इस भूमि पर भवन कब तक बनाये जाने का विचार है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रभारी मन्त्रीजी ने मुझे अधिकृत किया है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूं ।

(1) जी हां, यह भूमि नगर विकास न्यास जयपुर से दिनांक 24-6-76 को 1,81,861.20 रुपये में क्रय की गई है। जिसका क्षेत्रफल 3031.02 वर्ग गज है।

(2) इस भूमि पर भवन बनाये जाने का मामला राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के संचालक मण्डल के विचाराधीन है।

श्री चुन्नीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी करना चाहता हूं कि आपने जो भूखण्ड लिया उस पर भवन अब तक नहीं बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया नक्शे बनाने, स्वीकृति आदि लेने की कार्यवाही में और धन प्राप्त करने में देरी हुई है। अब शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जमीन आपने 1976 में ले ली, 6 साल हो गये. क्या अड़चन आ रही है ? इसका उत्तर आपने नहीं दिया। केवल यह कहा विचाराधीन है। क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अभी धन प्राप्त हुआ है 82,500/–रुपये ऋण का और 82,500/–रुपये अनुदान का, सहकारी विकास निगम दिल्ली से प्राप्त हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कब प्राप्त हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री देवीसिंह भाटी।

राजस्थान नहर परियोजना पर कार्यरत अधिकारी

487. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिन अधिकारियों की बज्जू, बीकमपुर, फलोदी आदि स्थानों पर नियुक्ति है तथा जिन्हें प्रोजेक्ट अलाउन्स तथा डेजर्ट अलाउन्स मिलता है फिर भी ये अधिकारी बीकानेर में रह रहे हैं ?

(2) क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कर राजकीय धन के दुरुपयोग को रोकने, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा उनके द्वारा उठायी गयी राशि को वापस वसूल करने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री, राजस्थान नहर परियोजना (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : (1) जी नहीं।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने फर्माया प्रश्न के एक भाग में "जी नहीं"। मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या बीकमपुर और फलौदी में बेस कालोनी नहीं है ? क्या यह सही है कि बेस कालोनी फलौदी में होते हुए भी उदहरण स्वरूप मैं निवेदन करूं गोपी स्वरूप गोयल एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर जिनको आर. सी. पी. कालोनी में बंगला अलाटेड है और इसी प्रकार से आर. एस. वर्मा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर 15 डिवीजन बीकमपुर में है, आर. सी. पी. कालोनी बीकानेर में बंगला अलाटेड है, उनको डेजर्ट अलाउन्स क्यों दिया जा रहा है ? इसका उत्तर दें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में पूछा है कि प्रोजेक्ट अलाउन्स और डेजर्ट अलाउन्स की जो राशि मिलती है वह उन्हीं अधिकारियों को मिलती है जो वहां पोस्टेड हैं। इसमें मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिर्फ बज्जू के लिये डेजर्ट अलाउन्स और प्रोजेक्ट अलाउन्स का रूल्स में प्रावधान है। बीकमपुर और फलौदी में प्रावधान नहीं है, सो राशि उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। बज्जू में एक कालोनी राजस्थान नहर की है जो इन्जीनियर वहां पर पोस्टेड हैं चूंकि फार्वर्ड एरिया है और डिफिकल्ट एरिया है, उसके लिये प्रावधान है सिंगल क्वार्टर अलाट करने का और एजूकेशन के हिसाब से बीकानेर में अलाट हो सकता है, बाकी बीकमपुर में पोस्टेड हैं उनको बीकानेर में अलाटेड नहीं है। अगर आपके ध्यान में हो तो बतावें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो उदाहरण दिये हैं वैसे तो सैकड़ों उदाहरण हैं। इसके उपरान्त भी मन्त्री महोदय ने फर्माया बज्जू में प्रोजेक्ट अलाउन्स और डेजर्ट अलाउन्स दिया जाता है। क्या मन्त्री महोदय ने यह प्रयास किया कि वे वहां पर रहते हैं और निर्माण कार्य की देख-रेख करते हैं ? अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वे साइट पर नहीं रहते। वे बता दें कि साइट पर आते हैं तो शासन की ओर से जो सजा हो वह भुगतने के लिये तैयार हूं सभी अधिकारी एक्स. ईएन., जे. ईएन., सब गायब रहते हैं। निर्माण कार्य बढ़िया नहीं होता है लाइनिंग सही ढंग से नहीं होती है, जब उनको डेजर्ट अलाउन्स और प्रोजेक्ट अलाउन्स दिया जाता है तो मौके पर क्यों नहीं रहते, जो शिकायत हैं उनकी जांच क्यों नहीं की जाती ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय देवीसिंहजी के पास कोई स्पेशल इन्वेस्टीगेशन सैल होगा, हमारे रजिस्टर वगैरह के अनुसार आफिसर्स वहां रहते हैं और वहीं पोस्टेड हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रोजेक्ट नाचना से आगे पहुंच गया, वह वहां रहते हैं तभी काम होता है, आपके हिसाब से तो काम नहीं होना चाहिये।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरी इसी बात पर

(श्री देवीसिंह भाटी)

मन्त्री महोदय कोई एक कमेटी, जिसमें विधायक हों, गठित कर दें वह जांच करे। जो रजिस्टर भरे जाते हैं हाजिरी के वह आपको भी पता है कि....

श्री अध्यक्ष : रजिस्टर कायदे से भरे जाते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : वहां के लोगों से पूछ लीजिये गांव वालों से पूछ लीजिये, साइट पर जो ठेकेदार काम करते हैं....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या मंत्री महोदय ऐसी कमेटी गठित करने का विचार रखते हैं जिससे सत्यता सामने आ जाय? किस कारण से राजस्थान नहर परियोजना के काम में ढिले हो रहा है। जैसा हम चाहते है यह नहर समय पर पूरी हो जाय, यह नहीं हो पायेगी। क्या मंत्री महोदय कमेटी गठित करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा कि यदि उनकी सूचना गलत है या उनको विभाग ने तथ्य गलत दिये हैं तो इस पर वे विचार करेंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : वास्तव में माननीय सदस्य ने जो एतराज पेश किया है वह सत्य है। हमारी एस्टीमेट कमेटी गयी थी उसने वहां काम करने वाले अधिकारियों से पूछा था तो उन्होंने कहा कि हमें शहर में रहना पड़ता है क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लाखों करोड़ों रुपये का कार्य चल रहा है वह छोड़कर जाते हैं। ठेकेदार अपने हिसाब से काम करते हैं वह उनको काम सौंपे जाते हैं। आप उनको बाध्य करें निर्देश दें कि वह वहां रहें, और निर्देश दें कि जो व्यक्ति, अधिकारी वहां नहीं मिला उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने फर्माया कि एस्टीमेट कमेटी ने वहां पर डिस्कशन किया था। आज तक एस्टीमेट कमेटी से लिखित में....

श्री अध्यक्ष : आप जानकारी कर लीजिये सदन के समक्ष मामला आया है, जानकारी करके सन्तोष हो जाये....

श्री देवीसिंह भाटी : जब एस्टीमेट कमेटी के मैम्बर ने गवाही दे दी है तो फिर घोषणा कर देनी चाहिये मंत्री महोदय को कि हम कमेटी गठित करेंगे और जांच करवायेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं देवीसिंहजी के साथ जाऊंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, वह नेशनल प्रोजेक्ट है। वहां इस प्रकार की नियुक्तियां की जाती है मूल कारण यही है कि इतनी हानि हो रही है। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : मैं पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा। अगला प्रश्न।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

जो प्रश्न था उसका उत्तर आ गया, पूरक प्रश्न की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 488। श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

डग (झालावाड़) अस्पताल में लेडी डाक्टर का पदस्थापन

488. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या झालावाड़ जिले के डग कस्बे के अस्पताल में वर्तमान में कोई लेडी डाक्टर है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) इस अस्पताल में कितना स्टाफ स्वीकृत है और वर्तमान में कितना स्टाफ कार्यरत है?

(3) अब वहां पर लेडी डाक्टर का पदस्थापन कब तक कर दिया जावेगा?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री छोगालाल कवरिया) : (1) जी नहीं।

महिला डाक्टरों के अभाव में।

(2) सूची संलग्न है।

(3) पर्याप्त महिला डाक्टर उपलब्ध होने पर।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसका कोई समय है कि कब तक उपलब्ध हो जायेगी?

श्री अध्यक्ष : विभाग कोई प्रयत्न कर रहा है कि लेडी डाक्टर ज्यादा से ज्यादा आपके विभाग में आये?

श्री छोगालाल कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, लेडी डाक्टर की नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र आमन्त्रित किये हैं और नियुक्ति हो गयी है। डग में लेडी डाक्टर नहीं पहुंचती है क्योंकि वह इंटीरियर में है। लेकिन वहां लेडी डाक्टर की पोस्टिंग तक मेल डाक्टर की पोस्टिंग की जा रही है, यह मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे रहा हूं....

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : क्या वहां पर पिछले आठ-दस सालों के अन्दर लेडी डाक्टर की नियुक्ति की गई? यदि की गयी, तो उसने जोइन किया?

श्री अध्यक्ष : इन सालों में कई सरकारें बदल गई हैं।

श्री अनंगकुमार जैन : दो-तीन सालों में यदि नियुक्ति की गई है और उसने जोइन नहीं किया तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री छोगालाल कंवरिया : कोई लेडी डाक्टर ज्यों ही उपलब्ध होगी उस क्षेत्र में जाने के लिये उसकी पोस्टिंग वहां की जायेगी तब तक के लिये मेल डाक्टर को पदस्थापित किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : मैंने, अध्यक्ष

(श्री अनंगकुमार जैन)

महोदय, जो प्रश्न पूछा कि क्या किसी लेडी डाक्टर की नियुक्ति की गई, इसका जवाब नहीं....

श्री अध्यक्ष : आप चाहें तो लेडी डाक्टर लाकर के मंत्री महोदय को दें....

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : लेडी डाक्टर को लेकर जाते हैं तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यदि आपके पास ऐसा कोई मामला आये, तो मुझे बतायें।

(व्यवधान)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : जो लेडी डाक्टर के पद खाली हैं उनको भरने के लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री छोगालाल कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, लेडी डाक्टर के जितने पद रिक्त हैं उतने आवेदन-पत्र ही प्राप्त नहीं होते। जितने आवेदन-पत्र लेडी डाक्टर के आते हैं, मेरिट के आधार पर उनकी नियुक्ति के आदेश दे दिये जाते हैं लेकिन बहुत सी लेडी डाक्टर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंचती हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। कृपया बैठ जायें।

मंत्रीजी ने यह स्वीकार किया कि यदि कोई लेडी डाक्टर डग में जाना चाहती है तो उसकी नियुक्ति कर देंगे। यदि शादीशुदा महिला और पुरुष दोनों डाक्टर हों तो उनका स्थानांतरण भी किया जाता है। इसलिये लेडी डाक्टर वहां नहीं जाती हैं, इस समस्या को आप सामने रखें.......

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसका मौलिक कारण क्या है कि लेडी डाक्टर जाने को तैयार नहीं होती ? क्या वहां सिक्योरिटी नहीं है ? उन पर्सन की और प्रापर्टी की कोई सुरक्षा नहीं है क्या ? क्या उनकी सुविधा के लिये राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था की है ? सिक्योरिटी इंश्योर की जाय इसके लिये कुछ विचाराधीन है, कोई योजना है कि उनको जाने के लिये प्रोत्साहन दिया जा सके ?

श्री छोगालाल कंवरिया : माननीय सदस्य ने लेडी डाक्टर की पोस्टिंग के बारे में कहा। मैंने पहले ही निवेदन किया है कि लेडी डाक्टर बहुत कम हैं, नियुक्ति दी जाती है लेकिन दूरस्थ गांवों में वह जाने के लिये तैयार नहीं होतीं इसलिये जोइन नहीं करती हैं। अगर माननीय सदस्य, डग क्षेत्र से आने वाले ऐसे कोई पेयर के बारे में जो दोनों डाक्टर हों और जाने के लिये तैयार हों मुझे बतायें तो मैं उनकी नियुक्ति कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाय.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मंत्री महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य के पूरक प्रश्न.......

(व्यवधान)

इन्होंने दो प्रश्न किये हैं उनका उत्तर दें।

श्री राजबहादुर : मैंने दो प्रश्न पूछे थे कि क्या उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध है? उनकी आवश्यकता, मिनिमम नीड्स को कैसे मीट किया जाय, किसलिये वह जाने को तैयार नहीं होतीं, इसके लिये कोई व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है?

श्री छोगालाल कंवरिया : जहां तक इस जगह का सवाल है यह प्राथमिक स्वास्थ्य सेन्टर है। यहां पर डाक्टर्स, नर्सेज व कम्पाउंडर्स के क्वार्टर्स भी बने हुये हैं और सिक्योरिटी की दृष्टि से वहाँ पर सब कुछ पुलिस वगैरह का सब अरेंजमेंट है। इसके बावजूद भी महिला डाक्टर्स दूर क्षेत्रों में जाने के लिये तैयार नहीं हैं.......

श्री अध्यक्ष : आप जो बता रहे हैं वह कारण नहीं है।

श्री छोगालाल कंवरिया : सुरक्षा की दृष्टि से हर जगह प्रबंध है और ठहरने के लिये क्वार्टर्स का प्रबंध है लेकिन फिर भी महिला डाक्टर्स वहां जाने के लिये तैयार नहीं है, जैसा मैंने कहा ऐसा कोई पेयर, हसबेंड और वाइफ दोनों डाक्टर हों और वहां जाने के लिये तैयार हों, बतायें मैं उनकी पोस्टिंग करने के लिये तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं और प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा। यदि कोई लेडी डाक्टर उपलब्ध हो और कोई स्थान रिक्त है तो वहां पर लेडी डाक्टर को भेज दिया जायगा। यदि वह एक पेयर है, हसबेंड वाइफ, तो दोनों की पोस्टिंग कर देंगे। मैं समझता हूं.......

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर यह संभव नहीं हो तो क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : हसबेंड वाइफ डाक्टरों की सरकार के पास सूची है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें। सीधा साधा प्रश्न था मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया। कृपया स्थान ग्रहण करें। अब मैं पूरक प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसे डाक्टर डाक्टरनियां यदि उपलब्ध नहीं हैं तो.......

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : एक भी डाक्टर की वहां पोस्टिंग नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज। श्री यदुनाथ सिंह।

शाही रेलगाड़ी की आय में राज्य का हिस्सा

489. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पैलेस आन व्हीलस नामक रेलगाड़ी पर राज्य सरकार का कितना व्यय हुआ है ?

(2) इस रेलगाड़ी की आय में रेल विभाग एवं राज्य सरकार की क्या हिस्सेदारी है ?

(3) राज्य सरकार ने इस रेलगाड़ी से आने वाले पर्यटकों को क्या-क्या सुविधायें प्रदान करने की योजना बनाई है ? क्या सरकार घोषणानुसार पांच स्टार होटल की सुविधायें उपलब्ध करा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) इस रेलगाड़ी पर राज्य सरकार का कितना स्टाफ कार्यरत है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : (1) पैलेस आन व्हीलस रेलगाड़ी पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जो कि एक राजकीय उपक्रम है, का, रु० 9,63,[illegible]04.62 कुल व्यय हुआ है।

(2) इस रेलगाड़ी में 3 विभिन्न अवधि के यात्रा कार्यक्रम है। पर्यटन विकास निगम को 7 दिन 7 रात की यात्रा के लिये 46.04 पर्सेंट, 4 दिन 4 रात की यात्रा के लिये 40.85 पर्सेन्ट व 2 दिन 3 रात की यात्रा के लिए 38.40 प्रतिशत हिस्सा मिलता है।

(3) राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले पर्यटकों को भोजन हेतु 5 स्टार होटल वाली सुविधाओं अथवा उनके बराबर सुविधाओं की व्यवस्था की है। अन्य सुविधाओं में पर्यटन स्थलों के दर्शनार्थ एयर कन्डीशन्ड सुपर डीलक्स बस, रेल के भीतर एयर-कन्डीशन्ड भोजन एवं बार कक्ष, हैंडीक्राफ्ट्स काउन्टर एवं बच्चों के मनोरंजन हेतु एक "किडीज कार्नर" उपलब्ध है। रेलगाड़ी को सम्पूर्ण रूप से एयर-कन्डीशन्ड करने व इसमें बैंक काउन्टर जोड़ने की योजना विचाराधीन है।

(4) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के कुल 33 कर्मचारी रेलगाड़ी पर कार्यरत हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया, विभिन्न अवधि के यात्रा कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं। उसमें जो राज्य सरकार का हिस्सा बताया है उसमे अब तक सरकार को क्या आय हुई ? दूसरे, कितना टाइम राजस्थान के भ्रमण में लगता है ? क्या आपका सुनिश्चित मत है कि यह रेलगाड़ी का जो आपने प्रावधान रखा है, जबकि बहुत सी बसेज

(श्री यदुनाथसिंह)

चला सकते थे बसेज का प्रावधान किया जा सकता था उससे ज्यादा पर्यटक लिये जा सकते थे? आप क्या इससे पूरी तरह संतुष्ट हैं कि यह रेलगाड़ी का कार्यक्रम जो आपने रखा है, बिलकुल सफल होगा? यदि हां, तो कैसे होगा?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय सदस्य ने पूछा है कि मैं इससे कन्विन्स्ड हूं कि यह सकसेसफुल रहेगा या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड में सिर्फ दो उदाहरण आज तक है, एक तो ओरियंट एक्सप्रेस

श्री अध्यक्ष : यह कहां है?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ओरियंट एक्सप्रेस एक जमाने में, जब आप शायद कालेज में थे, लंदन से इस्तानबुल चलती थी बिटवीन दी फर्स्ट वर्ल्ड वार एण्ड सैकन्ड वर्ल्ड वार। अब इसकी ओनरशिप एक प्राइवेट फर्म के पास है, वीन सिम्पल ओरियंट एक्सप्रेस कंपनी जो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में है। इन्होंने पिछले दो साल में ओरियंट एक्सप्रेस को रिवाइव किया है। दूसरा उदाहरण आपके इन सैलून्स का है जो कि टूरिज्म प्रमोशन टूरिज्म पब्लिसिटी और इंडियन टूरिज्म पब्लिसिटी वर्ल्ड में करने के लिये एक यूनिक एग्जाम्पल है। मैंने, जब मेरी डिमांड थी, उस समय भी अर्ज किया था इसके लिये हमें पेटा अवार्ड (P.A.T.A. Award) भी मिला है। तो जो टूरिज्म को समझते हैं, उन्होंने ओरियंट एक्सप्रेस वालों को भी पेटा अवार्ड नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : इस तरह की रेलगाड़ी की सुविधा आपने उपलब्ध की है, अच्छा होता पहले सदन के माननीय सदस्यों को इसकी फर्स्ट हैंड जानकारी दिलाते तो सही ढंग से वे एप्रीशियेट कर सकते थे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अनफारचूनेटली 26 जनवरी को, जब हमने इनआगरल किया, और उसके बाद तीन ट्रिप्स और कीं तो मेरा पूरा विचार था माननीय सदस्यों को इन्वाइट करूं। 124 की हमारी कैपेसिटी है, आप फर्मायें तो अप्रेल की 10 तारीख को एक स्पेशल ट्रिप करवा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। प्रश्नकर्ता।

श्री यदुनाथ सिंह : प्रश्न के भाग दो में मैंने पूछा है कि अब तक क्या आय हुई है? चूंकि हमारे राज्य की पूंजी लगी हुई है इसका आधार यह है कि टूरिज्म से ज्यादा आमदनी हो, तो अब तक इससे क्या आय हुई है? दूसरा, जब रेल के डिब्बे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं तो आप किस प्रकार से फाइव स्टार की सुविधायें दे सकते हैं? एक आदमी दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ गया 4 घंटे बाद जब रेल अगले स्टेशन पर रुकेगी तब वह अपने डिब्बे में जा सकता है, इसी तरह से डाइनिंग रूम में बैठ गया तो वह अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकेगी तब 4 घंटे के बाद अपने डिब्बे में जा सकता है। आप

(श्री यदुनाथ सिंह)

कैसे कहते हैं कि फाइव स्टार की सुविधायें दे रहे हैं ? एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने की जब सुविधा नहीं है। यह इस दृष्टिकोण को रखकर किया गया है कि यदि डिब्बों को कनेक्ट करते हैं तो ब्यूटी मारी जाती है। प्रेस में भी कमेंट आये थे कि इसमें 4-5 घंटे तक एक पैसेंजर एक ही जगह बैठा रह जाता है तो कैसे कहते हैं कि फाइव स्टार की इसमें सुविधा है ?

अगर ऐसी स्थिति है तो आप कैसे कहते हैं कि हमने उसमें फाइव स्टार होटल जैसी फेसिलिटीज दे रखी हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर टूरिज्म को एक्सपोज नहीं करना चाहता हूं, इस सदन के सामने, मैं समझता हूं कि शायद माननीय सदस्यों को मालूम नहीं है कि फाइव स्टार होटल में जो फेसिलिटी मिलती है वह इससे ज्यादा अच्छी नहीं है। इसमें, अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही फिगर्स बता दिये हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, यह तीसरा ट्रिप है। पहला जो ट्रिप था वह ट्रिप एक इनआगरल ट्रिप था 26 जनवरी को और अब तीसरा ट्रिप हुआ है। हमारे इस गाड़ी में सेपरेट सैलून्स हैं, इसमें हर सैलून में तीन कूपेज हैं और उन कूपेज में 6 से लेकर 8 पैसेन्जर्स के बैठने की सुविधा है। इसके अलावा हर सैलून में दो अटेन्डेन्ट्स हैं और दो किचनेट हैं। इनमें अटेन्डेन्ट्स चाय और कोल्ड ड्रिंक्स सप्लाई करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो यह सैलून्स हैं, वह वेल इक्विप्ड हैं। इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, हमने इसका रीरूटिंग इस प्रकार किया है कि पैसेन्जर्स रात को ट्रेवल करते हैं और दिन में सुबह पहुंचते हैं डेस्टीनेशन पर। जैसे दिल्ली से रात को रवाना हुए और जयपुर सुबह साढ़े सात बजे पहुंचते हैं, यहां पर जयपुर में दिन भर साइट सीईंग करते हैं, फिर लन्च और डिनर फाइव स्टार होटल में या जहां पर फाइव स्टार होटल्स जैसी फेसिलिटीज है, जैसे सिसोदिया रानी का गार्डन है, जहां पैलेशियल शो है वहां पर ठहरते हैं। इसके कुल तीन ट्रिप्स हुए हैं। इसमें तीसरे ट्रिप में 11 तो इण्डियन पैसेन्जर्स थे और 11 फारेनर्स थे। इसमें 8 कोचेज लगे हुए थे, इसमें कुछ इन्वाइटीज थे जिन्हें टूरिज्म को प्रमोशन देने के लिए इन्वाइट किया गया था, कुछ ट्रेवल एजेन्ट्स और ट्रेवल राइटर्स थे, कुल 25 थे इस प्रकार के इन्वाइटीज। इन आल सभी 47 जने थे। अध्यक्ष महोदय, तीसरी ट्रिप में 41 हजार रुपये के टिकट बिके और खर्चा जो आया वह 181 रुपये पर पैसेन्जर आया..........

श्री अध्यक्ष : यह प्रतिदिन का खर्चा आया या पूरे सफर का खर्चा आया ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह तो 181 रुपये प्रतिदिन का एक्चुअल खर्चा अर्ज कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय 181 के हिसाब से हर एक का खर्चा 13 हजार रुपये आया। कुल पैसेन्जर्स पर जो खर्चा आया वह 34 हजार रुपये का था जिसमें मैंने अर्ज किया, अध्यक्ष महोदय, 25 तो इन्वाइटीज थे जिन्हें टूरिज्म को प्रमोशन देने के लिए इन्वाइट किया था। पहले दो महीने तक प्रमोशनल बेसिस

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

पर ज्यादा चल रहा है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि अगले साल अगस्त से फिर यह शुरू हो रही हैं, इसमें कुल 40 ट्रिप्स हैं और इन 40 ट्रिप्स में से 12 ट्रिप्स के तो टिकट सोल्ड आउट हो गये।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर जी, यह आपका अन्तिम पूरक प्रश्न होगा इस प्रश्न के बारे में।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, नुकसान में जा रही है यह तो सीधा दिख रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो अभी शुरू हुई है, इसके नतीजे आने दीजिए, तब पता चलेगा।

श्री यदुनाथसिंह : यह हमें नहीं चलानी है। हम इसको चलने नहीं देंगे।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में कभी संकोच नहीं है कि यह एक्सपेरीमेन्ट बहुत ही उपयुक्त एक्सपेरीमेन्ट है। मैं यह कामना करता हूं कि यह एक्स-पेरीमेन्ट सफल हो। यह बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो मैं बात जानना चाहता हूं वह यह है कि एक तो जो सैलून्स आपने लिए हैं वह रेलवे डिपार्टमेंट के हैं या पुराने प्रिन्सेज के हैं। पुराने प्रिन्सेज के सैलून्स हैं तो इसके लिए राज्य सरकार ने क्या कम्पेनसेशन दिया है।

इसके अलावा आपने जो गेस्ट इन्वा-इटीज 25 बनाये हैं उन सभी को लेकर आपने 34028 रुपये का खर्चा किया है, तो क्या यह सभी पर खर्चा हुआ है या केवल गेस्ट इन्वाइटीज पर ही खर्चा हुआ है? आइन्दा इन गेस्ट इन्वाइटीज पर आप कोई नियन्त्रण रखेंगे या नहीं, यह बता दें?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हमको इससे बड़ा कोई काम्प्लीमेंट नहीं मिल सकता है कि हमें पेटा अवार्ड मिला है। माननीय सदस्य, श्री राजबहादुर जी तो स्वयं यूनियन मिनिस्टर टूरिज्म और एवि-येशन रह चुके हैं, आपको तो सभी बातों का अनुभव है।

एक माननीय सदस्य : तो क्या यह आपके ही टूरिज्म डिपार्टमेन्ट ने बनाया है?

श्री राजबहादुर : जी हां, यह मेरा ही बनाया हुआ है टूरिज्म का।

(व्यवधान)

लेकिन मन्त्री महोदय ने यह नहीं बताया कि कम्पेन्सेशन क्या दिया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। नैक्स्ट, श्री कैलाश मेघवाल।

जोधपुर स्थित सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट

490. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के जोधपुर शहर में इण्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च के संस्थान के रूप मे सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट कब से स्थित है ?

(2) क्या इस संस्थान से राजस्थान सरकार का जीवन्त एवं सार्थक सामंजस्य एवं सहकार है ? यदि हां, तो किस रूप में ?

(3) इस संस्थान के जोधपुर में स्थापना के बाद से पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के फैलाव को रोकने, उसके रेगिस्तानी स्वरूप को परिवर्तन करने आदि के बारे में क्या क्या उपाय एवं सुझाव राज्य सरकार को प्राप्त हुए और क्या उनको रेगिस्तान क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप में अपनाया गया है।

(4) क्या राज्य सरकार ने इस संस्थान की राजस्थान में उपयोगिता एव सार्थकता के बारे में केन्द्र सरकार अथवा आई० सी० ए० आर० से कोई सम्पर्क किया है ?

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान के रूप में सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट की जोधपुर में 1959 में स्थापना हुई थी।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने इस संस्थान की गतिविधियों से सामंजस्य स्थापित करने एवं संस्थान द्वारा सम्पन्न अनुसन्धान के आधार पर की गई अभिशंसाओं की व्यावहारिकता का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसकी दिनांक 23-5-80 एवं 16-12-81 को बैठकें आयोजित हो चुकी हैं।

(3) यह संस्थान मुख्यतः मरु विकास से सम्बन्धित अन्वेषण तथा सर्वेक्षण कार्य ही करता है। मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस संस्थान ने मरु क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने का सुझाव दिया है। संस्थान की सलाह एवं सुझावों के आधार पर ईंधन एव चारे का वृक्षारोपण, रेत के टीलों का स्थिरीकरण, मिश्रित वृक्षारोपण एवं जिल्वी पैस्टोरल वृक्षारोपण, सड़क के किनारे वृक्षारोपण आदि कार्य किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बेर के पौधों को कलम कर एक विकसित किस्म का पौधा भी तैयार किया गया है। ग्राफ्टेड बेर के इन पौधों को विभिन्न मरुस्थलीय जिलों में लगाने हेतु वन कर्मचारियों को उस संस्थान में इस वर्ष प्रशिक्षण दिलया गया है। संस्थान के सुझाव के अनुसार ही पश्चिमी जिलों में दूर तक शुष्क कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम के अन्तर्गत 415 शुष्क कृषि प्रदर्शन लगाये गये हैं। सूखा सम्भावित क्षेत्र के अन्तर्गत भी 4891 शुष्क कृषि प्रदर्शन आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लूनी बेसिन का एकीकृत मूलभूत संस्थान सर्वेक्षण करने का

(श्रीमती कमला)

कार्य भी इस संस्थान को वर्ष 1978–79 में सौंपा गया था। वह कार्य वर्ष 1981-82 तक पूर्ण किया जाना था किन्तु अब वह कार्य वर्ष 1981–82 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है। तदर्थ संस्थान को वर्ष 1981–82 तक मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 19.65 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।

(4) राज्य सरकार द्वारा गठित समिति इस संस्थान के कार्यों की समीक्षा करेगी। समिति की प्रतिक्रिया ज्ञात होने पर सरकार केन्द्र सरकार अथवा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद से सम्पर्क स्थापित कर सकेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, इसकी 23-5-80 से पहले बैठक कब हुई? उसमें जो सलाह दी गई अनुसंधान के बारे में उसके बारे में कोई जानकारी राज्य सरकार ने हासिल की या नहीं? क्या यह भी सही है कि यूनेस्को के इन्टरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत लूनी बेसिन के एकीकृत मूलभूत संस्थान द्वारा सर्वेक्षण पर 1.6 करोड़ खर्च करने की योजना रिपोर्ट राज्य सरकार के पास प्राप्त हो चुकी है? क्या यह भी सही है कि सारे कार्यक्रम, बातें हो चुकी हैं और कार्यक्रम चल रहे हैं उस बेसिस पर?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समिति 23-5-80 को गठित की गई है। जो कार्यों का उद्धरण है वह अनुसंधान एरिड जोन द्वारा किया गया है। वैसे समय समय पर कृषि विभाग द्वारा उपाय किये हैं, कृषि विभाग द्वारा अनुसंधान कार्य को विस्तार रूप से किया गया है। इसके पूर्व में बैठक आयोजित नहीं की गई है। दूसरी, लूनी बेसन का काम, जैसा कि मैंने बताया, वर्ष 1980–81 तक पूर्ण किया जाना था वह पूरा नहीं हो सका। वह कार्य अब आगे पूरा होने की सम्भावना है।

श्री कैलाश मेघवाल : राजस्थान में रेगिस्तान 50 किलोमीटर प्रतिवर्ष की गति से बढ़ रहा है और देश के कुल भू-भाग का 12 पर्सेन्ट रेगिस्तान है। उसमें भी 3/5 भाग राजस्थान में है और वह भी बढ़ रहा है, क्या यह सही है?

श्रीमती कमला : यह बात सही है कि राजस्थान का 3/5 हिस्सा रेगिस्तान अथवा सेमीडेजर्ट एरिया है लेकिन आपका यह बयान गलत है कि 50 किलोमीटर प्रतिवर्ष की रफ्तार से रेगिस्तान बढ़ रहा है। हमारे पास में जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 8 किलोमीटर प्रतिवर्ष की रफ्तार से बढ़ना बताया है, लेकिन वह भी सही नहीं है। जैसा कि व्यावहारिक तौर से इसके सर्वेक्षण से जानकारी मिली है, कितने किलोमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रहा है यह अभी तक निश्चित नहीं हुआ, लेकिन यह मैं निश्चित तौर से कह सकती हूं कि 50 किलोमीटर प्रतिवर्ष की रफ्तार से रेगिस्तान बढ़ता होता तो आपको सिवाय रेगिस्तान के यहां कुछ नजर नहीं आता।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके खण्ड (2) में पूछा था कि क्या इस संस्थान से राजस्थान सरकार का जीवन्त एवं सार्थक सामंजस्य एवं सहकार है ? यदि हां, तो किस रूप में ? जो कमेटी बनी वह तो बता दिया। फिर एक वेग स्टेटमेंट दे दिया कि 1956 या 1960 से यह स्थापित हो चुका था। तो तब से कब कब रिपोर्ट राजस्थान सरकार ने प्राप्त की ? यह मैं निश्चित रूप से पूछना चाहता हूं कि 1959 के बाद कब कब किस विषय पर रिपोर्ट आई और उसके मुताबिक कृषि विभाग ने कब कब किस किस रूप में कार्य किया।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने वेग स्टेटमेन्ट इसलिए दिया कि जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही क्वेरी मैंने इस प्रश्न के सम्बन्ध में अपने विभाग से की थी, लेकिन उस इन्स्टीट्यूट का और डिपार्टमेण्ट का इस बाबत में मुझे इसका विश्लेषण प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन मैं अपनी व्यावहारिक जानकारी के आधार पर यह कह सकती हूं कि काफी प्रयोग किये हैं, जैसे बोर का प्रयोग इन्होंने किया है, 77,000 बोर के ग्राफ्टेड पेड़ पिछले वर्ष में ही लगाये हैं, जो कि डेजर्ट एरिया में लगाये हैं। इसी प्रकार से जो उन्नत किस्म की फसलें हैं या ड्राई फार्मिंग है, या जैसा मैंने आपसे कहा कि इतने इतने काम किये गये डेजर्ट एरिया में, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि मैं इस सारी व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं हूं। इसलिए मैंने विभाग में एक विशिष्ट सैल इस बात के लिए बनाया है। हमारा एक वरिष्ठ अधिकारी और उसके साथ में दूसरा स्टाफ एक मात्र इस काम के लिए नियुक्त होना चाहिए ताकि इस रिसर्च का एप्लायन्स बराबर गति से होता रहे। समय समय पर जितनी रिसर्च होती है, चाहे यूनिवर्सिटी की है, उसको न सिर्फ अपने विभाग में यदाकदा अडाप्ट करें बल्कि जब भी अडाप्ट करें तो पंचायत समितियों तक इसके व्यावहारिक पहलू को अपनाये जाने के लिए हम बराबर लिट्रेचर भेजें, अपने अधिकारियों को भेजें और उसका पूरा प्रयोग काश्तकार स्वयं के लेवल पर कर सके। विभाग अपनी तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिये से जानकारी दे सके इसके लिए विधिवत व्यवस्था जो होनी चाहिये थी वह नहीं थी। अब हमने इसके लिए स्टार्ट की है और एक research to be applied in extension की विशेष तौर से व्यवस्था की है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : क्या यह सही है कि..........

श्री अध्यक्ष : दो पूरक प्रश्न की इजाजत देता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तानी इलाके में ऐसी पौध, जैसी कि धोक है की लकड़ी नहीं काटी जाये जिससे रेगिस्तान का विस्तार न हो। इसके लिए कोई सुझाव दिये थे ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसमें सिफारिश की थी........

श्रीमती कमला : अगर इन्स्टीट्यूट की सिफारिश नहीं भी हो तो भी यह है कि धोक को अगर काटा गया और जड़ से निकाल कर जलाया जाता रहा तो रेगिस्तान तेजी से बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि नहीं काटा जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। अधिक विवाद नहीं होगा! आर्डर, आर्डर........

श्री देवीसिंह भाटी : इसमें पता तो लग जाये कि सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है........

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, रेगिस्तान को रोकने के कार्यक्रम के अन्तर्गत जो बोरड़ियों के जंगलात लगाने का पश्चिमी राजस्थान में सुझाव है वह एक व्यावहारिक सुझाव है। वह अपने इस क्षेत्र में सक्सेसफुल हो सकता है। क्या आपने बोरड़ियों को लगते हुए देखा है? क्या आपने उन बोरड़ियों के बोर खाये हैं?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रोग्राम के बारे में बिलकुल आश्वस्त हूं कि यह काफी सफल होने वाला है। इसकी इतनी मांग आ रही है कि हम इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। मैंने अपने बंगले में भी चार बोरड़ियों के पेड़ लगाये हैं लेकिन उनमें अभी तक बोर नहीं आये हैं।

श्री अध्यक्ष : कितने वर्षों में आम तौर पर बोर आ जाते हैं इसके, यह तो मालूम करो।

अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, भाषण नहीं होगा। प्रश्नकाल है।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

पंचायत समिति जमवारामगढ़ के अन्तर्गत प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी

491. श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जमवा रामगढ़ पंचायत समिति की प्राथमिक शालाओं में कुल कितने अध्यापक हैं? 40 छात्रों के लिए एक अध्यापक की नियुक्ति के अनुपात से बहुत कम है? यदि हां, तो इस कमी को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि अध्यापक नियुक्ति के वर्तमान अनुपात 1 : 40 के स्थान पर 1 : 49 किये जाने की योजना है? यदि हां, तो क्या इससे प्राथमिक

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

शालाओं के शिक्षण स्तर में गिरावट नहीं आयेगी ? क्या सरकार प्राथमिक शालाओं में शिक्षण स्तर उठाने की दृष्टि से 1 : 40 के अनुपात के स्थान पर 1 : 30 करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, पंचायती राज (श्री शीशराम ओला) : (1) पंचायत समिति जमवारामगढ़ में कुल 176 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 1 : 49 का मापदण्ड निर्धारित किया हुआ है और उसी के हिसाब से पद सृजित किये जाते हैं। इस अनुपात से कुल 90 पद कम हैं। शिक्षा विभाग से पद आवंटित होते ही व्यवस्था कर दी जायेगी।

(2) शिक्षा विभाग द्वारा 1 : 49 का मापदण्ड निर्धारित किया हुआ है। जिसके अनुसार जिस शाला में 49 तक छात्र हैं, एक अध्यापक दिया जाता है। उसके बाद हर 40 छात्रों पर एक अतिरिक्त अध्यापक 210 छात्रों तक दिया जाता है। इस मापदण्ड से शिक्षा में गिरावट आने की कोई शिकायत नहीं आई है। 30 छात्रों पर एक अध्यापक का मापदण्ड निर्धारित करने के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो आपके ही सामने इस सदन में जब प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्रश्न किया गया था, तो शिक्षा मन्त्री जी ने कहा था कि यह पंचायत मंत्री का सवाल है। अब पंचायत मन्त्री के द्वारा यह जवाब दिया जाता है कि शिक्षा विभाग के द्वारा पद सृजित होंगे तब दिये जायेंगे। एक तो यह पूछना चाहता हूं कि प्राथमिक स्कूल आप चला रहे हैं और अस्थाई पद सृजन का काम आप शिक्षा विभाग के जिम्मे कर रहे हैं, क्या यह उचित है ? दूसरे, आपने इस बात को कहीं भी जवाब में नहीं कहा कि आज से करीब साल भर पहले से ही 40 पर एक अध्यापक रखा जाता था, आपने इसके लिए कुछ नहीं कहा। आपने कहा कि 49 पर एक अभी बनाया है। पहले 40 पर एक अध्यापक का था और अब बढ़ाकर 49 पर एक किया है। उसमें भी एक जमवा रामगढ़ पंचायत समिति में आपके हिसाब से 90 पद खाली हैं। इसका मतलब 49 पर भी एक अध्यापक नहीं है और 70-80-90 छात्रों पर एक अध्यापक है। वह एक ही अध्यापक इन छात्रों को× × × लेकर बैठा रहे। बच्चों के डण्डे लगाकर दो-दो और तीन-तीन घण्टे बाड़े में बन्द करके शाम को छुट्टी कर दी जाती है और फिर.......

श्री अध्यक्ष : शाम तक तो वह रोक लेते हैं बच्चों को।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : वह इसी दृष्टि से रोके रखते हैं कि कोई चैकिंग पर आ जाये।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(18)

श्रीमती उजला अरोड़ा : बीस सूती कार्यक्रम में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं........

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : .... मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि शिक्षा में गिरावट नहीं आई है। तो क्या मौजूदा शिक्षा का स्तर अच्छा है ? इसके हिसाब से केवल प्राथमिक शालाओं के ही नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी एक पत्र लिखना भी नहीं आता है क्योंकि नीचे से वेपढ़े लिखे लोग यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। इस गिरे हुये स्तर को भी गिरा हुआ नहीं मानते, तो शिक्षा के स्तर को और कितना गिराना चाहते हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह : एक प्रश्न मेरा भी है........

श्री अध्यक्ष : जमवा रामगढ़ से सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के पास प्राइमरी शिक्षा है लेकिन उसके टीचर्स के अलाटमेन्ट का कार्य शिक्षा विभाग करता है कि किस जगह कितने टीचर्स भेजे जायें। पंचायत समिति अपनी मांग डवलपमेन्ट विभाग के मार्फत शिक्षा विभाग को भेज देती है और शिक्षा विभाग स्वीकृति देता है तब उन्हें नियुक्ति मिलती है।

नम्बर दो, यह कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के मापदण्ड में गिरावट आई है। मैंने यह निवेदन किया है कि इस प्रकार की कोई शिकायत विभाग के पास नहीं है।

नम्बर तीन, यह पूछा है कि पहले 40 के रेशो पर एक टीचर दिया जाता था और अब 49 के ऊपर एक दिया जाता है। यह कोई मापदण्ड मैंने तय नहीं किया है, शिक्षा विभाग की तरफ से मापदण्ड तय होकर ही नीति निर्धारित की गई है।

श्री अध्यक्ष : जमवा रामगढ़ से सम्बन्धित प्रश्न है।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न पुकार लिया है। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मेरा प्रश्न पूछने का मतलब है....

श्री तेजपाल यादव (चौमू) : कौनसी जगह लिखा है कि शिक्षा का स्तर नहीं गिर रहा है।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है 49 छात्रों पर एक अध्यापक की बात है। पिछली बार सदन में प्रश्न आया था, 3 3 पद खाली पड़े हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, प्राइमरी शिक्षा और पंचायत खास से सम्बन्धित प्रश्न है। सारी पंचायत

(श्री अध्यक्ष)

समितियों के बारे में उत्तर नहीं दिया जा सकता है और न माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट ही किया जा सकता है। प्रश्न जमवारामगढ़ पंचायत समिति के बारे में पूछा था, माननीय मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी।

(व्यवधान)

समय जा रहा है, माननीय सदस्य।

श्री तेजपाल यादव : यह हालत हो रही है, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि गांवों में अध्यापक नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : .. फिर यह पंचायत राज के जिम्मे क्यों रखा है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ले लिया है माननीय सदस्य। अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : सारे राजस्थान का मसला है, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा में 49 छात्रों पर एक अध्यापक कर दिया तो शिक्षा का क्या हाल होगा ? एक एक बच्चे को क, ख, ग, कलम पकड़ कर पढ़ाया जाता है, ऐसी स्थिति में 49 छात्रों पर एक अध्यापक होना बड़ा मुश्किल है। इससे सारी शिक्षा खोखली होती जा रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : × × ×

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, फिर मेरे प्रश्न को भी स्थगित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर दिया। प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिला इसलिये मैंने स्थगित किया।

स्थगित प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5 मार्च, 1982)

सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत के रिक्त पद पर पदस्थापन

252. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

(1) क्या यह सही है कि कोलायत के सहायक उपनिवेशन आयुक्त का पद दो वर्ष से रिक्त पड़ा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बारे में क्षेत्रीय विधायक, आयुक्त, उपनिवेशन व औरों ने लिखित में बार बार निवेदन किया है ? यदि हां, तो उक्त महत्वपूर्ण पद पर अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत के न्यायालय में खातेदारी के प्रार्थना पत्र, जो कि करीबन नौ हजार हैं, तथा सैकड़ों दावे विचाराधीन पड़े हैं ? क्या उक्त पद के रिक्त रहने से जनता को व्यर्थ का व्यय व परेशानी उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उपरोक्त पद पर नियुक्ति कर देगी ?

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) :(1) जी नहीं।

(2) यह पद माह अप्रेल, 1976 में सृजित किया गया था। बीच-बीच में कुछ अवधि के लिये यह पद रिक्त अवश्य रहा था, परन्तु उसे शीघ्र ही भर दिया गया था। बीच की अवधि में इसे प्रशासनिक कारणों से नहीं भरा जा सका, यद्यपि इस बारे में कुछ पत्र अवश्य प्राप्त हुए थे।

(3) सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, कोलायत के कार्यालय में 5337 खातेदारी हकों के प्रार्थना-पत्र और 367 दावे विचाराधीन हैं। सहायक आयुक्त के पद की पूर्ति हो चुकी है। प्रार्थना पत्र और दावों के डिस्पोजल की कार्यवाही जेरकार है।

एक माननीय सदस्य : ये कब से विचाराधीन हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग (2) में बताया कि इस बारे में पत्र अवश्य प्राप्त हुए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे पत्र किन-किन अधिकारियों से मिले थे ? दूसरा बताया प्रशासनिक कारणों से पद नहीं भरा जा सका, तो वे प्रशासनिक कारण क्या थे ?

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक तो प्रशासनिक ही हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, डिपाटमेंट से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट आती रहती है। जो पद खाली रहते हैं, उसके लिये पर्सोनल डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट आती रहती है। इसके बारे में आयुक्त से भी चिट्ठी आई थी। माननीय सदस्य जो फर्मा रहे हैं जिस आदमी का इस पर पोस्टिंग हुआ था, आज भी असिसटेंट कालोनाइजेशन कमिश्नर है। जोईनिंग टाइम में चूंकि वह रिलीव नहीं हुआ था पहले की पोस्ट से, इस कारण करीब नौ महीने की देरी हो गई थी जोइन करने में। क्यों नहीं रिलीव हुए वहां से, इसके लिये तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से क्या उत्तर दे सकता हूं लेकिन यह मैं अर्ज कर सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, इनकी पोस्टिंग 3-1-81 को हुई थी और 30-10-81 को जोइन कर लिया।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

लेकिन उस बीच में, अध्यक्ष महोदय, ये जोइन नहीं कर पाये तो दूसरे असिस्टेंट कालोनाइजेशन कमिश्नर को इनका एडीशनल चार्ज दे रखा था।

श्री अध्यक्ष : ये 30-10-81 को जोइन करके छुट्टी पर तो नहीं चले गये ?

श्री देवीसिंह भाटी : 14-10-81 को जोइन किया, उसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, 18-11-81 को सी. एल. लेकर छुट्टी पर चले गये और 30-11-81 तक छुट्टी एक्सटेन्ड करवा ली। इसके बाद निरन्तर पद खाली था। जैसा माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया असिस्टेंट कालोनाइजेशन कमिश्नर के कार्यालय में 5337 खातेदारी केसेज और 367 दावे विचाराधीन हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि दो साल में कितने विचाराधीन पत्रों का फैसला कर दिया गया ? क्या यह सही है कि इस बीच में केवल एक पर ही फैसला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कोई टैक्निकल कारणों से हो गया होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलवायें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, डिस्पोज कितने हुए हैं, मैं पता लगाऊंगा। जैसा माननीय सदस्य ने फर्माया है कि एक हजार कुछ केसेज बाकी हैं, तो इसका पता लगाया है, 5337 थे और ये मामले खातेदारी के नियम 15 (ए) के नीचे हैं जिस पर गवनमेंट ने अब एक कमेटी नियुक्त कर दी है। कालोनाइजेशन के काफी नियम बदले हैं, यह मैं मानने को तैयार हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : 367 दावे दो साल से विचाराधीन हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट की लिस्ट मगवा कर देखें, हजारों केसेज पेन्डिंग हैं। 100 प्रतिशत डिस्पोजल थोड़े ही हो सकता है। कितना डिस्पोजल हुआ है, कितना नहीं हुआ है, मैं माननीय सदस्य को एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर इन्फार्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रशासनिक कारणों से नहीं भरा बताया है, मैं लेटेस्ट सूचना बता रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : समय जा रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : एक सरप्राइज विजिट की, जब यह प्रश्न हुआ था, सरप्राइज विजिट करने के दौरान ए. सी. सी. कोलायत के अन्दर 15 फरवरी....

श्री अध्यक्ष : उत्तर नहीं आयेगा, समय व्यर्थ में जा रहा है। एक पूरक प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : डेढ़ लाख लोग रहते हैं और ए. सी. सी. की वजह से विचाराधीन मामले पेंडिंग पड़े

22

(श्री देवीसिंह भाटी)

हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या कार्यवाही की जब मैंने यह प्रश्न पूछा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्द लाल मीणा।

(दिनांक 25 फरवरी, 1982)

बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास की योजना

64. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माननीय केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री भारत सरकार ने राज्य सरकार को गत सितम्बर, 1981 में निर्देश दिये थे कि राज्य के बन्धुआ मजदूरों को फरवरी, 1982 तक बसाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये ?

(2) क्या राज्य के बन्धुआ मजदूरों का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कृपया सर्वेक्षण में पाये गये बन्धुआ मजदूरों की सख्या की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) सर्वेक्षण में पाये गये बन्धुआ मजदूरों में से कितनों को मुक्त करवाया गया है और बन्धक रखने वालों के विरुद्ध क्या कोई कानूनी कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कितनों के विरुद्ध ?

(4) बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये बनायी गयी योजना भारत सरकार को कब प्रस्तुत की गयी एवं भारत सरकार ने कितनी राशि राज्य के बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए स्वीकृत की ?

(5) राज्य सरकार द्वारा बन्धुआ मजदूरों को किस योजना के अन्तर्गत बसाया जा रहा है तथा अब तक कितने बधकों को बसाया गया है ?

एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विशिष्ट योजना मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां।

(2) बन्धक श्रमिकों की शिनाख्तगी के लिये राज्य में सर्वेक्षण करने हेतु निर्देश जिलाधीशों को सितम्बर, 81 में पुनः दिये गये। अब तक प्राप्त रिपोर्टों की सूचना के आधार पर एक जिले को छोड़कर शेष जिलों में बन्धक श्रमिक नहीं पाये गये हैं। इस वर्ष केवल झालावाड़ जिले में 38 बन्धुआ श्रमिक शिनाख्त किये गये हैं।

(3) शिनाख्त किये गये 38 बन्धुआ श्रमिकों को मुक्त करा दिया गया है। ये बन्धक मजदूर 14 व्यक्तियों के पास से मुक्त करवाये गये थे, उनमें से 8 के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गयी है। इन 8 व्यक्तियों के पास से 28 बन्धक मजदूर मुक्त करवाये गये हैं।

(4) इस वर्ष शिनाख्त किये गये झालावाड़ जिले के 36 बन्धुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लिए भारत सरकार को 1.44 लाख रुपये की एक योजना दिसम्बर, 1981 में प्रस्तुत की गयी। भारत सरकार ने यह योजना जनवरी,

(श्रीमती कमला)

1982 में स्वीकृत की है जिसके अनुसार 0.72 लाख रुपये भारत सरकार से प्राप्त होंगे और शेष राज्य सरकार देगी।

(5) बन्धक श्रमिकों को पुनर्वासित करने का कार्य केन्द्र परिवर्तित योजना के अन्तर्गत कराया जाता है एवं राज्य में कमजोर वर्ग के उत्थानार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे एकीकृत ग्राम विकास, सहरिया विकास आदि के अन्तर्गत भी लाभान्वित किया जाता है। वर्ष 76-77 में शिनख्त सभी बन्धुआ मजदूरों को पुनर्वासित करवाने हेतु राशि विभिन्न जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। इस राशि का पूर्ण उपयोग कर इन्हें योजनाबद्ध तरीके से पुनर्वासित किया जा रहा है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने प्रश्न के जवाब में बताया है, राजस्थान के एक जिले को छोड़कर किसी जिले में बधुआ मजदूर नहीं हैं। इन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 80-81 में जिलाधीशों के माध्यम से इसका सर्वेक्षण करा लिया गया था। मैं मंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा अनुसूचित जाति जन-जाति आयोग ने अपने सर्वेक्षण में यह माना है कि राजस्थान में 67 हजार बन्धक श्रमिक कृषि क्षेत्र में हैं ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा काफी समय से थी कि गांधी शान्ति प्रतिष्ठान या अन्य संस्थाओं द्वारा इस प्रकार का सर्वेक्षण किया गया है, बहुत बड़े पैमाने पर राजस्थान में खास तौर से नागौर जिले के अन्दर बन्धुआ मजदूर हैं। इसी सिलसिले में पिछले साल जिलाधीशों की जो बैठक हमने की थी, उस वक्त मैंने जिलाधीशों को खास तौर से यह कहा था कि इन जिलों के अन्दर आप विशेष तौर से देखें जब आप पावर्टी लाइन से नीचे की फैमिलीज का आइडेन्टिफिकेशन कम्पेन्स चलायें, उस वक्त इस बात को खास तौर से ध्यान में रखें कि आया इस तरह से कोई बन्धुआ मजदूर इन जिलों के अन्दर हैं या नहीं। उस वक्त में भी जिलाधीशों की तरफ से यही सूचना आयी थी कि इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण हुआ, हो सकता है लेकिन इस तरह के बन्धुआ मजदूर उनके जिले में नहीं हैं। इसके बाद में जैसा मैंने बताया, सितम्बर, 81 में फिर जिलाधीशों को सक्युलर जारी किया गया, उनको पाबन्द किया गया कि आप फिर से एक बार अपने जिले में इंटेंसिव तौर पर इस बात का आइडेन्टिफिकेशन और सर्वेक्षण करें कि कोई बन्धुआ मजदूर आपके जिले में है या नहीं है। झालावाड़ जिलाधीश ने यह बताया कि मेरे यहां पर 38 बन्धुआ मजदूरों का आइडेन्टिफिकेशन हुआ है। इसके अलावा किसी भी जिलाधीश ने इसके बारे में कोई नई खोज या नया सर्वेक्षण कर हमें बन्धुआ मजदूरों की नई जानकारी या सूचना नहीं दी है, उन सबने ना किया है कि हमारे यहां पर कोई बन्धक मजदूर नही है।

श्री नन्द लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन सवाल मंत्री महोदय से पूछना

(श्री नन्दलाल मीणा)

चाहता हूं। सवाल यह है कि 80-81 में पटवारियों के माध्यम से जो सर्वेक्षण कराया, उसकी यह रिपोर्ट मिली है राज्य सरकार को कि राजस्थान में एक भी बन्धुआ मजदूर नहीं है। इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट प्राप्त होने पर विशेष आयोजना अधिकारी पहुंचे, उन्होंने 31 बन्धुआ मजदूरों को पकड़ा। मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से क्या बन्धुआ मजदूर अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत यह नहीं है, न केवल अक्षम्य हो गया है बल्कि गैर जमानती अपराध है। यदि ऐसा है, तो इस अधिनियम के अन्तर्गत बन्धुआ मजदूरों को रखने वालों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ? तीसरा सवाल यह है कि क्या केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें यह कहा गया है कि जिन 4-5 स्थानों के नाम लिये, वहां उनके द्वारा जो अध्ययन राजस्थान में किया गया है उस अध्ययन में जो बन्धुआ मजदूर पाये गये हैं, खोजे गये हैं, उनकी मुक्ति के लिए राज्य सरकार उदासीन है और इनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने संतोषप्रद कार्य नहीं किया है ? इसके अतिरिक्त, मन्त्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 8 अगस्त, 80 को आपने इसी सदन में आश्वासन दिया था सभी माननीय सदस्यों को कि बन्धुआ मजदूरों की खोज, मुक्ति और पुनर्वास के लिए अलग से स्वतन्त्र संगठन की स्थापना राज्य सरकार करेगी ? अब तक आपने जो आश्वासन दिया था, उसकी पालना क्यों नहीं करवायी ? इसके लिए आप जवाब दें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल जो आपने किया, उसकी जानकारी के सम्बन्ध में तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो 38 या 36 या 31 बन्धुआ मजदूर हैं, इनके आइडेन्टिफिकेशन की जो हमने कार्यवाही की, उसके अन्तर्गत ही जिलाधीश के यहां पर कार्यवाही की गई थी।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह 20 संकल्प कार्यक्रम नहीं है।

श्रीमती कमला : हमने जो आदेश....

(व्यवधान)

सुनने की कोशिश करिये।

श्री अध्यक्ष : लम्बी चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। प्रश्नकाल समाप्त होने जा रहा है।

श्रीमती कमला : विभाग ने जिलाधीशों से जो सूचना मांगी थी, उनकी तरफ से जो जवाब आये हैं, उस जवाब के संदर्भ में ही जिलाधीश झालावाड़ ने यह लिखा है, अलग से यह तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी और निल जवाब आ गया और उसके बाद इनकी कोई खोज की गयी, ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरी बात कही है कि भारत सरकार की तरफ से ऐसा पत्र आया है, जिसमें कार्य संतोषप्रद ढंग से नहीं हुआ है, तो ऐसा कोई पत्र नहीं है। आपने जैसा उल्लेख किया

(श्रीमती कमला)

कि गांधी शान्ति प्रतिष्ठान दो वर्ष से बराबर और इससे भी ज्यादा समय से चल रहा है। जब से उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, उस सन्दर्भ में राज्य सरकार को जो लिखा है कि ऐसी हमारे पास में रिपोर्ट आयी है, आपने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और उस सम्बन्ध में जैसा मैंने बताया उस प्रकार से हमने व्यवस्था की, कार्यवाही की, उसकी सूचना आयी और अब तक जितने भी आइडेन्टिफिकेशन हुए हैं, उनको पुनर्वासित करने के लिए हमने कार्यवाही की है। यह स्थिति जरूर है कि हम बराबर भारत सरकार को लिख रहे हैं कि एक स्वतन्त्र संगठन सर्वेक्षण के लिए बनाना आवश्यक है, जो मैंने हमारी सेन्ट्रल मिनिस्ट्री की कान्फ्रेंस के अन्दर इसको प्रतिपादित किया, इसके बाद चिट्ठियां भी लिखीं लेकिन उसके लिए क्योंकि हम अकेले सारा भार को उठाने की स्थिति में नहीं है और भारत सरकार ने कोई अपना कन्ट्रीब्यूशन देने की स्थिति नहीं बतायी। इसलिए हम उसको टेक-अप नहीं कर पाये हैं लेकिन 4 हजार रुपये जो इनके पुनर्वास के लिए दिये जाते हैं, वे भी कम पड़ते हैं उसके लिए अभी हमने लिखा है कि कम से कम साढ़े सात हजार रुपये किये जायें। उसको भी अभी भारत सरकार ने माना नहीं है, इसलिए इसमें दिक्कत जरूर है बाकी राजस्थान में 2–3 बार बराबर इन्टेंसिव प्रयत्न करने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। अगर माननीय सदस्यों की जानकारी में कहीं पर ऐसा कोई बन्धक मजदूर हो तो हमें बतायें, जिससे हम इस बारे में और जांच करके कार्यवाही कर सकें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

मैंने प्रश्नकाल की समाप्ति की घोषणा कर दी है।

श्री अनंगकुमार जैन : झालावाड़ जिले में बन्धक मजदूरों को

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरे राजस्थान में हजारों बन्धक मजदूर हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है व्यवस्था का। उस दिन मन्त्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया था। यह कहा था कि दूसरे मन्त्री देंगे।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हाउस में इस प्रश्न को काल कर लिया गया था, उसके बाद में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो कार्यवाही।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री नन्दलाल मीणा : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(28)

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अंकित नहीं हो रहा है। आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर....

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, यह इस बात का....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो कार्यवाही।

श्रीमती कमला : जिलाधीशों को आगाह किया गया है कि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, मंत्री महोदय जवाब नहीं दें, आसन का आदेश है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। आर्डर आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह स्थगित प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो गया माननीय सदस्या....आर्डर आर्डर....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय ने कहा था उसके बाद यह तय हुआ था कि कमलाजी उत्तर देंगी। तो क्या वे तैयार होकर नहीं आई। + + + क्या ये प्रश्न के लिए तैयार होकर नहीं आई हैं मुझे यह व्यवस्था दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी कि प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, यह स्थगित प्रश्न है। एक ही प्रश्न बचा है। आप व्यवस्था दें, आप उत्तर दिलवाइये। मैं प्रश्न पूछूं या न पूछूं, आपकी अनुमति होगी तभी पूछूंगी लेकिन उसका उत्तर दिलवायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : या तो इसका उत्तर दिलवायें या इसको स्थगित कर दें। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : मैं इस तरह से प्रश्नों को स्थगित नहीं कर सकता। मैं बराबर यह कोशिश करता हूं कि सदन में....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो एक भी शब्द नहीं बोली हूं।

श्री अध्यक्ष : काफी समय सदन का चला जाता है इसलिए बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे नहीं जा सकते सदन में समय के अभाव में। प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय,

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इतनी देर में तो उस प्रश्न का उत्तर आ भी जाता।

श्री अध्यक्ष : मेरे लिए यह सम्भव नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह स्थगित प्रश्न था, आज नहीं आ पाया तो इसको स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहता मैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काल कर लिया गया था और राजस्थान नहर का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बन्धुआ मजदूरों के लिए आपने प्रश्न स्थगित किया था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल की समाप्ति की घोषणा कर दी है मैंने।

श्री भंवरलाल शर्मा : इतने महत्व का प्रश्न था तभी आपने इसको स्थगित किया था। एक बार अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप स्वयं इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि राजस्थान में....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न मेरा पढ़ा हुआ है। इसलिए स्थगित नहीं किया गया था कि यह महत्वपूर्ण है बल्कि इसलिए स्थगित किया गया था कि सम्बन्धित मंत्रीजी ने यह कहा कि इसका सम्बन्ध किसी अन्य मंत्रीजी से है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अन्य मंत्रीजी से उत्तर दिलवाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आज समय के अभाव से जा रहा है तो यह ठीक है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसे प्रश्न चला जाएगा तो कैसे काम चलेगा....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री देवीसिंह भाटी : राजस्थान नहर क्षेत्र में पानी नहीं मिल रहा है, अध्यक्ष महोदय। एक तरफ उन लोगों से लगान लिया जा रहा है, वसूलियां की जा रही हैं दूसरी तरफ उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान नहर क्षेत्र में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर....बैठ जावें, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : स्थगित नहीं करते। कैसे काम चलेगा।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : राजस्थान नहर क्षेत्र में पानी नहीं मिल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर आप पुनर्विचार करें या स्थगित कर दें, अध्यक्ष महोदय। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले यह कहा गया था कि अन्य मंत्री से सम्बन्धित है, आज यह प्रश्नों की सूची में आ गया है। वहां लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, वहां पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच रही है। लगान की वसूलियां हो रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, + + + या सरकार अक्षम है इसलिए उत्तर नहीं दिला रहे हैं....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो कार्यवाही।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री मोहनलाल मोदी : सरकार ने प्रश्न स्थगित कराया था और सरकार की रिक्वेस्ट पर आपने उसको स्थगित किया था। अब हमारा नम्बर आ गया। अध्यक्ष महोदय, कैसा भी समय हो, जब हमारा नम्बर आ गया, सरकार ने कहा कि स्थगित कर दिया जाय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आपके पास पहुंच जाएगा लिखित में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लिखित में पहुंचने से क्या होगा। उत्तर पर सप्लीमेंट्री होते हैं, उससे कई बातें निकलती हैं। आप पूरी फाइल मंगवाइये। हम मंत्री महोदय से पूछ सकेंगे कि क्या फर्माया आपने। यह हाउस का प्रश्न है, हाउस में आया हुआ है, हाउस की सम्पत्ति है। इसके साथ और भी कई महत्वपूर्ण सुझाव आ सकते हैं ....

श्री अध्यक्ष : इस सम्पत्ति को छीन कान रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये तो हर बात का जवाब दे देते हैं, प्रश्न नहीं उठता....

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पेशल सरकम्स्टाँसेज थे जिसमें इस प्रश्न को स्थगित किया गया था। मंत्री महोदय ने कहा था कि मुझसे सम्बन्धित नहीं है। इसलिए कोई दोष + + + प्रश्नकर्ता का नहीं था। वह प्रश्न स्थगित किया गया। प्रश्न का जो सब्जेक्ट है बहुत इम्पार्टेंट है। आप इसको स्थगित कर दें। जब यह नम्बर पर आ गया था, बुला दिया गया था, मगर मंत्री

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द, अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री राजबहादुर)

महोदय ने कहा कि हमसे सम्बन्धित नहीं है। यह आधा उनसे सम्बन्धित था और आधा दूसरे मंत्री से सम्बन्धित था, आपने कहा कि ठीक है, स्थगित हुआ। अब उसका नम्बर नहीं आया तो दूसरी बात है। बहुत स्पेशल सरकम्स्टांसेज हैं। आप पुनः विचार कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से यदि मैं पुनर्विचार करने लगूं तो प्रश्नों के बाद में एक प्रश्नकाल यहां और हो जाएगा कि अमुक प्रश्न को स्थगित किया जावे। इसलिए इस तरह की परम्परा में यहां नहीं डालना चाहता। इसका इलाज एक ही है कि माननीय सदस्य समय की बचत करें प्रश्नकाल में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसका अर्थ में यह समझूंगी कि × × × और वे तैयार नहीं हैं इसलिए इसको टाल दिया जावे। मैं इसका अर्थ यह समझूंगी अगर आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिलाया तो। आप मुझे आधा घण्टे की चर्चा का अवसर दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : वह आप अलग से प्रस्ताव दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपसे चेम्बर में मिल लूंगी।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलिपिक की गई।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, हां मिलना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप कुछ तो कहिये।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला बीकानेर के गांवों को उपनिवेशन क्षेत्र से अलग करने सम्बन्धी सिफारिश

484. श्री मालूराम लेघा (लूणकरणसर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर ने गांव करमीसर, श्री रामसर, शिवबाड़ी रिडमलसर जिला बीकानेर आदि गांवों को उपनिवेशन क्षेत्र से अलग करने हेतु अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजी है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

जी नहीं। आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर से ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गंगानगर की कृषि उपज मण्डी समिति के द्वारा सम्पर्क सड़कों का निर्माण

423. श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीगंगानगर के अन्तर्गत कुछ समय पूर्व जिन सम्पर्क सड़कों का निर्माण चालू किया गया था वे अभी तक भी पूरी नहीं हो पायी हैं ?

(2) क्या सरकार इन निर्माणाधीन सड़कों को अन्य व्यक्तियों, ठेकेदारों से पूरा करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो ये सड़कें कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

(3) क्या सरकार निम्न सड़कें तत्काल पूरा करवाने का इरादा रखती है :—

(क) धालेवाली, ढींगावाली राठान एवं ढींगावाली जाटान वाली

(ख) कोठा से खखा तक की सड़क ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। शीघ्रतिशीघ्र पूरा करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

यूरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता से राज्य भण्डारण परियोजना के तहत गोदामों का निर्माण

424. श्री रामकिशोर मीणा(सिकराय): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) योरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता से राज्य भण्डारण परियोजना के अन्तर्गत सन् 1980-81 व 1981-82 में किस-किस जिले में कितने-कितने गोदामों का निर्माण हुआ है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) निर्माण स्थलों का चयन किस आधार पर किया गया ? यदि इस सम्बन्ध में कोई निर्देश अथवा परिपत्र प्रसारित किया हो, तो उसकी प्रति भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस कार्य हेतु सहकारी विकास निगम के माध्यम से कितनी व कब-कब सहायता प्राप्त हुई है ?

उत्तर

(1) योरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता से राज्य भण्डार परियोजना के अन्तर्गत सन् 1980-81 व 1981-82 में कितने-कितने गोदामों का निर्माण हुआ है,

(कृषि मंत्री)

तालिका सदन की मेज पर रख दी है, जो परिशिष्ट "क" पर है।

(2) निर्माण स्थलों का चयन ग्राम सेवा सहकारी समिति के मुख्यालय पर किया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रसारित निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस कार्य हेतु सहकारी विकास निगम के माध्यम से जो सहायता प्राप्त हुई है उसकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(निर्देश की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

बीकानेर जिले में कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना

425. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर जिले में कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत कितने ग्राम विस्तार कार्यकर्ता, सहायक कृषि अधिकारी तथा विशेषज्ञ कार्यरत हैं ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना कार्यक्रम समस्त बीकानेर जिले में लागू नहीं है। यह कार्यक्रम बीकानेर जिले के केवल उस भाग में क्रियान्वित किया जा रहा है जो राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में आता है। इस योजना के अन्तर्गत बीकानेर जिले के राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में कार्यरत ग्राम विस्तार कार्यकर्ता, सहायक कृषि अधिकारी तथा विषय विशेषज्ञों की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

बीकानेर जिले में रासायनिक उर्वरक का वितरण

426. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में वर्ष 1981-82 में कितनी रासायनिक उर्वरक, नत्रजन, फासफोरस, पोटास वितरण की गई ? कृपया तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बीकानेर जिले में वर्ष 1980-81 व 1981-82 में कितनी जैविक खाद का उत्पादन व वितरण किया गया ? कृपया तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में वर्ष 1981-82 में रासायनिक खाद, नत्रजन, फासफोरस, पोटास वितरण का तहसीलवार विवरण

(32)

(कृषि मंत्री)

परिशिष्ट (अ) में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) यह कार्य विभाग द्वारा नहीं किया जाता। कृषक स्वयं ही खरीदते और बेचते हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति दणाऊकलां

427. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि दणाऊ कलां दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, दणाऊ पंचायत समिति बस्सी द्वारा जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को भेजे गये दुग्ध व जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को प्राप्त दुग्ध की मात्रा में निम्न अन्तर रहा है :—

दिसम्बर	1980	336.4	किलोग्राम
जनवरी	1981	266.4	,,
फरवरी	1981	750.1	,,
मार्च	1981	665.7	,,
अप्रेल	1981	447.3	,,

(2) क्या यह भी सच है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति द्वारा नाप-तोलकर संघ को दुग्ध भेजा जाता है ? यदि हां, तो दुग्ध की मात्रा में कमी का क्या कारण है ?

(3) क्या यह भी सच है कि इस समिति द्वारा भेजे गये दुग्ध की कीमत चुकाने के लिये संघ को लिखा गया लेकिन संघ द्वारा आज तक पूरे दुग्ध का भुगतान नहीं किया गया है जिससे दुग्ध उत्पादकों में असन्तोष व्याप्त है ?

उत्तर

(1) दणाऊ कलां दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. दणाऊ, पंचायत समिति बस्सी द्वारा भेजे गये व जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा प्राप्त दूध की मात्रा में निम्न अन्तर रहा :—

दिसम्बर	1980	386.4	किलोग्राम
जनवरी	1981	266.4	,,
फरवरी	1981	750.0	,,
मार्च	1981	655.7	,,
अप्रेल	1981	443.3	,,

(2) दुग्ध उत्पादकों से दूध नाप कर लिया जाता है पर समिति से संघ को भेजी जाने वाली ट्रकशीट में केवल दूध से भरे केन्स की संख्या लिखी जाती है।

(3) समिति से संघ को प्राप्त दूध का भुगतान किया जा चुका है। दुग्ध परिवहन

(डेयरी मंत्री)

ठेकेदार की अनियमितता के कारण समिति से भेजे गये व संघ को प्राप्त दूध की मात्रा में जो अन्तर रहा उसकी कीमत ठेकेदार से वसूल करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। वसूली उपरान्त समिति को उक्त राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

पंचायत समिति नागौर एवं पंचायत मूंडवा की दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति

428. श्री महाराम चौधरी (नागौर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति नागौर एवं पंचायत मूंडवा जिला नागौर में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का नाम, दुग्ध की मात्रा एवं रूट जो चालू है, कृपया सम्पूर्ण सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) किस-किस दुग्ध मार्ग पर किस-किस तारीख को पशुओं का इलाज करने कौन-कौन अधिकारी 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक गया ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन ग्रामों में कितना-कितना पशु आहार दिनांक 1 जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक वितरित किया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा जिला नागौर क्षेत्र के दुग्ध मार्ग, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां व उनसे जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक प्राप्त दूध की मात्रा का विवरण संलग्न है।

(2) 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक जो अधिकारी जिस मार्ग पर पशुओं का इलाज करने गये उसका विवरण संलग्न है।

(3) 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक जिन ग्रामों में जितना पशु आहार वितरण किया गया उसका विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राज्य गोबर गैस प्लांट योजना

429. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गोबर गैस प्लांट योजना क्या है ? कृपया इस योजना का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त योजना राजस्थान में कब से चालू की गई ?

(3) राजस्थान में अब तक कितने गोबर गैस प्लांट लगाये गये, उनसे कितने

(श्रीमती विद्या पाठक)

ग्रामीणों को व कहां-कहां लाभ मिल रहा है ?

(4) इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अब तक कितनी धनराशि आवंटित की व कितनी खर्च की ?

उत्तर

(1) गोबर या अन्य वेस्ट पदार्थों को सड़ाने से गैस या ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा की समस्या के समाधान के लिये तथा अच्छी खाद प्राप्त करने के लिये यह यह योजना 21 जिलों में चलाई जा रही है जिसमें अनुदान भी दिया जाता है।

(2) वर्ष 1979-80 में प्रथम बार प्रायोगिक तौर पर यह योजना सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इससे पूर्व बायो (गोबर) गैस संयन्त्र खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लगाये जाते थे।

(3) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1979-80 से अब तक कुल 386 संयन्त्र स्थापित किये गये व 659 संयन्त्रों का निर्माण कार्य चल रहा है, ये संयन्त्र राजस्थान के अलवर, अजमेर, जयपुर, कोटा, सवाई-माधोपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर, बून्दी, चूरू, झालावाड़, झुझनूं, चित्तौड़गढ़, सीकर, टौंक, उदयपुर, नागौर, जालौर, भरतपुर जिलों में स्थापित किये गये हैं।

(4) राज्य सरकार द्वारा बायोगैस योजना हेतु आवंटित धन एवं खर्च की सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आवंटित धन (लाख रु.)	व्यय (लाख रु.)
1979-80	0.26	0.142
1980-81	5.00	4.61
1981-82	50.00	43.52

गैंता कस्बा (पीपल्दा) में चिकित्सालय

430. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गैंता कस्बा पीपल्दा क्षेत्र का बहुत बड़ा कस्बा है और इसके आस पास कई गांव पड़ते हैं तथा वहां पर एलोपैथिक डिस्पेन्सरी का होना अति आवश्यक है ?

(2) क्या सरकार गैंता में शीघ्र ही एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोलने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

गैंता की आबादी 1971 की जन-गणना के अनुसार 3056 है। इस ब्लाक

(चिकित्सा मंत्री)

में दो एक का क्राइटेरिया पूरा है। वहां एक उप केन्द्र कार्यरत है। अभी गैंता में डिस्पेन्सरी खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

सांचोर तहसील के क्षेत्र में पब्लिक हैल्थ सेंटर

431. श्री कनकराज मेहता (सांचोर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार सांचोर तहसील के क्षेत्र व जनसख्या को मद्दे नजर रखते हुये इसमें प्राथमिक चिकित्सा हेतु दो पब्लिक हैल्थ सेन्टर की आवश्यकता अनुभव करती है ? यदि हां, तो दूसरा पब्लिक हैल्थ सेन्टर कब तक खुल जायेगा ?

उत्तर

जी हां।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत तहसील सांचौर में जन सहयोग से भवन निर्माण का ठोस प्रस्ताव आने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा।

भीलवाड़ा स्थित गांधी अस्पताल के निर्माण हेतु अवाप्त कृषि भूमि

432. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भीलवाड़ा गांधी अस्पताल के निर्माण हेतु जिन व्यक्तियों की कृषि भूमि अवाप्त की गई थी उनमें से कितने व्यक्तियों को मुआवजे की रकम व कितनों को भूमि एवं मुआवजे की रकम दे दी गई है ?

उत्तर

सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

बीकानेर पी. बी. एम. चिकित्सालय में स्टाफ

433. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर के पी. बी. एम. चिकित्सालय में शैयाओं के हिसाब से विभिन्न श्रेणियों के अनुसार कितना स्टाफ होना चाहिये ? कृपया मापदण्ड का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि स्टाफ कम है, तो कब तक सरकार उपयुक्त स्टाफ उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पी. बी. एम. चिकित्सालय समूह में कुल 1222 शैयाओं हैं जिनके लिए

36

(चिकित्सा मंत्री)

वर्तमान में स्वीकृत पद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 1961 के मापदण्ड के अनुसार वांछित स्टाफ तथा उसके हिसाब से स्टाफ की कमी का विवरण सलग्न है।

(2) प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जा रहे हैं, ताकि विभाग को आवश्यकतानुसार तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध हो सकें।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

राज्य में दूरबीन नसबन्दी हेतु निर्धारित लक्ष्य

434. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दूरबीन नसबन्दी हेतु दिनांक 31 मार्च, 1982 तक राज्य सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। उन लक्ष्यों को आज की तारीख तक कितना पूरा कर दिया है?

(2) राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1982 को कितने डाक्टर्स को दूरबीन से नसबन्दी करने हेतु प्रशिक्षित किया जा चुका है?

(3) दिनांक 31 जनवरी, 1982 तक गुजरात से कितने डाक्टर बुलवाये गये और उन डाक्टर्स ने कुल कितने नसबन्दी ऑपरेशन किये और उन पर राज्य सरकार को कितना खर्चा वहन करना पड़ा?

(4) राजस्थान के कितने डाक्टर्स द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1982 तक कुल कितने नसबन्दी ऑपरेशन किये गये और उन पर राज्य सरकार को कितना खर्चा वहन करना पड़ा?

(5) क्या सरकार अब राज्य में दूरबीन नसबन्दी में प्रशिक्षित डाक्टर्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने पर भी गुजरात के डाक्टर्स को बुलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) लक्ष्य केवल नसबन्दी के लिए ही निर्धारित किए जाते हैं दूरबीन नसबन्दी के नहीं। वर्ष 81-82 के लिए भारत सरकार ने 1.34 लाख नसबन्दी के लक्ष्य दिये थे जिसके विरुद्ध फरवरी, 82 तक 1,34,736 नसबन्दी की गई थीं इसमें से 99,446 दूरबीन नसबन्दी हैं।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 60 डाक्टरों को लेप्रोस्कोपिक पद्धति से आपरेशन में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(3) दूरबीन नसबन्दी आपरेशन करने के लिये गुजरात से 10 डाक्टरों को आवश्यकतानुसार समय-समय पर शिविरों में बुलाया गया। इन डाक्टरों द्वारा जनवरी,

(चिकित्सा मंत्री)

1982 तक 36,520 लेप्रोस्कोपिक आपरेशन किए गए हैं जिन पर राज्य सरकार को 8,53,230 रुपये का खर्चा वहन करना पड़ा है।

(4) राजस्थान के 26 डाक्टरों द्वारा शिविरों में दिनांक 31-1-1982 तक 46,835 दूरबीन नसवन्दी आपरेशन किये हैं जिस पर राज्य सरकार ने रुपये 3,17,774 का खर्च वहन किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न चिकित्सकों द्वारा 5,173 पुरुष नसवन्दी एवं 27,358 परम्परागत महिला नसवन्दी आपरेशन किये हैं जिन पर क्रमशः रुपये 4.92 लाख व 17.78 लाख सरकार द्वारा व्यय किया गया है।

(3) जी हां। मार्च, 1982 तक ही गुजरात के डाक्टरों को बुलाने का प्रावधान था। आगामी वर्ष में सम्भवतः उन्हें अब बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी।

मलेरिया विभाग अजमेर को भेजी गई सामग्री

435. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एव स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

मलेरिया विभाग, अजमेर के उपयोग हेतु गत दिनांक 1 अप्रेल, 1981 से दिनांक 31 जनवरी, 1982 तक कितनी-कितनी सामग्री कब-कब निदेशालय (मलेरिया) से भेजी गई एवं कितनी-कितनी कब-कब स्थानीय तौर पर खरीदी गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

निदेशालय स्तर से मलेरिया यूनिट अजमेर को कोई सप्लाई नहीं की जाती है। सीधी उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया) अजमेर द्वारा स्थानीय तौर पर खरीदी गई सामग्री की एवं उन्हें अन्य अधिकारियों द्वारा सप्लाई की गई सामग्री की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

मेडिकल कॉलेज, अजमेर के इन्टरनीज

436. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर के इन्टरनीज की ट्रेनिंग हेतु अभी तक अजमेर से बाहर केवल श्रीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ही व्यवस्था है ?

(2) क्या इन्टरनीज की संख्या को देखते हुए भिनाय एवं जवाजा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी यह व्यवस्था प्रारम्भ करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

(38)

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) क्या इन इन्टर्नीज को रहने की सुविधा भी इन केन्द्रों पर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) इन्टर्नस किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तीन महीने के लिये प्रशिक्षण ले सकते हैं। (Rural Health Training posting).

(2) अजमेर जिले के रिओरियन्टेशन मेडिकल एजूकेशन (Re-orientation of Medical Education) के अन्तर्गत श्रीनगर/भिनाय एवं जवाजा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन किया गया है।

(3) इन सभी केन्द्रों पर इन्टर्नस के ठहरने के लिये भवन बन रहे हैं। श्रीनगर का भवन बन चुका है। भिनाय एवं जवाजा के भवन शीघ्र पूर्ण होने को हैं।

अजमेर के अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था

437. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में रोगियों को आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन देने की क्या व्यवस्था किस-किस वार्ड में है और इस हेतु कुल कितने गैस सिलेण्डर हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन गैस सिलेण्डर्स के अधिकांश के काक जाम पड़े हैं अथवा ढीले हैं जिससे या तो वह समय पर खुलते ही नहीं या फिर खुल भी जाते हैं तो उनमें ऑक्सीजन का नितान्त अभाव होता है ?

(3) क्या गैस सिलेण्डर्स की इस दुरावस्था के कारण ऑक्सीजन मिलने में विलम्ब होने से पिछले दिनों रोगियों की मृत्यु भी हो गई थी ? यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में ऑक्सीजन गैस देने की व्यवस्था प्रत्येक वार्ड में है और इस हेतु चिकित्सालय में 216 गैस सिलेण्डर हैं।

(2) यह सही नहीं है कि अधिकांश गैस सिलेण्डरों के कार्क जाम पड़े हैं अथवा ढीले हैं क्योंकि उक्त सिलेण्डर पूर्व में ही मैसर्स इण्डियन ऑक्सीजन लिमिटेड, नई दिल्ली से जांच और मरम्मत होकर आते हैं, जिससे उनके समय पर नहीं खुलने का प्रश्न ही नहीं होता।

(3) गैस सिलेडण्रों के दुरावस्था के कारण ऑक्सीजन मिलने में विलम्ब होने से पिछले दिनों रोगियों की मृत्यु संबंधित कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। आवश्यकता पड़ने पर किराये के सिलेण्डर मैसर्स इण्डियन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, अजमेर से मंगवा कर तुरन्त वार्डों एवं ऑपरेशन थियेटर को सप्लाई कर दिये जाते हैं।

पीपल्दा क्षेत्र के ग्रामों में औषधालय का अभाव

438. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के गांव अपानी, नोनेर, डूंगरली, पीपल्दा खुर्द, रनोदिया व जोरावरपुरा में चिकित्सा सुविधा का अभाव है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर शीघ्र ही आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इन स्थानों पर कोई आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(2) वर्ष 1981-82 में औषधालय खोलने हेतु वित्तीय प्रावधान न होने से पीपल्दा क्षेत्र के इन ग्रामों में कोई नवीन औषधालय खोलना फिलहाल सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की पंचायत समिति में पूर्व से ही 10 से अधिक औषधालय संचालित होने के कारण औषधालय खोलने की विभागीय नीति में भी मामला नहीं आता है।

आयुर्वेद के धात्री कल्पद प्रशिक्षण उत्तीर्ण व्यक्तियों को इन्टर्नशिप हेतु भेजना

439. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धात्री कल्पद प्रशिक्षण उत्तीर्ण व्यक्तियों को ही नियमानुसार विभिन्न आयुर्वेद औषधालयों में इन्टर्नशिप हेतु भेजा जाता है ?

(2) यदि हां, तो क्या धात्री कल्पद प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं किये हुए व्यक्तियों को भी गत तीन वर्षों में इन्टर्नशिप हेतु भेजा गया है ? कृपया ऐसे व्यक्तियों की सूची एवं उनके पक्ष में नियमों में ढिलाई के कारण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। केवल वर्ष 1979 में एक व्यक्ति श्री बाबूलाल शर्मा को परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने के कारण इन्टर्नशीप में भेजा गया था। रिकार्ड के पुनः परीक्षण में वह अनुत्तीर्ण पाया गया। मामला परीक्षा बोर्ड में रखा गया। इस अवधि में इन्टर्नशिप के 3 माह 24 दिन का समय निकल जाने के कारण बोर्ड ने यह निर्णय लिया था कि इन्टर्नशीप को पूरा करने दिया जावे व उत्तीर्ण होने पर ही लाभ ले सकेंगे। अतः इन्टर्नशीप में तो परीक्षा उत्तीर्ण घोषित होने पर ही भेजा था किन्तु बीच में स्थिति में अन्तर आ गया था।

आयुर्वेद औषधालयों के उपयोग हेतु सर्जिकल उपकरणों का क्रय

440. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कैलाश मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर के अधीन संचालित औषधालयों के उपयोगार्थ वर्ष 1981-82 हेतु लगभग रु. 69,000/- के मूल्य के सर्जिकल उपकरण एवं औजार संयंत्र के क्रय हेतु दिनांक 1 दिसम्बर, 1981 तक निविदा आमन्त्रित की गई थी ?

(2) यदि हां, तो किस-किस फर्म या व्यापारी ने किस-किस रेट से किन-किन शर्तों पर निविदा प्रस्तुत की और उनमें से किसकी स्वीकृत की जाकर उसे किस तारीख को क्रय आदेश दे दिया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस क्रय आदेश की अनुपालना में निदेशालय में माल प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो कब और उसका कुल कितना मूल्य कब चुका दिया गया और उसे कब-कब किस औषधालय को भेजा गया ?

उत्तर

(1) जी हां, किन्तु निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 16-1-82 तक बढ़ाई गई थी।

(2) सूचना तैयार की जा रही है।

(3) जी नहीं। अभी तक कोई माल प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मूल्य चुकाने अथवा औषधालयों में भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बीकानेर में बाढ़ के उपरान्त वितरित सीमेन्ट

441. श्री देवीसिंह भाटी(कोलायत): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर में बाढ़ के उपरान्त दिनांक 16 जुलाई, 1981 से 20 अगस्त, 1981 तक कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी सीमेन्ट वितरित की गई ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश बीकानेर ने सिर्फ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों को ही सीमेण्ट देने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त अवधि में सीमेण्ट वितरण सिर्फ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ही किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) बीकानेर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए कुल कितनी सीमेन्ट आरक्षित की गई तथा कितनी बांटी गई ? कृपया बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के बाढ़ के पीड़ित की मोहल्लावार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर शहर में दिनांक 16 जुलाई, 1981 से 20 अगस्त, 1981 तक 4829 व्यक्तियों को 28997 थैले सीमेन्ट आवंटित की गई। उक्त सीमेन्ट कम से

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

कम 2 व अधिकतम 40 थैले तक परिस्थिति के अनुसार दी गई। तहसील नोखा में 4000 थैले सीमेन्ट प्रति व्यक्ति 5 थैले के हिसाब से दी गई।

(2) जिले के अन्य क्षेत्रों में 20 अगस्त, 1981 के पश्चात् सीमेन्ट प्राप्त होने पर वितरित की गई। यह सही नहीं है कि जिलाधीश, बीकानेर ने केवल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को ही सीमेन्ट देने के आदेश दिये थे, परन्तु बाढ़ ग्रस्त व्यक्तियों को सीमेन्ट उपलब्धि के आधार पर प्राथमिकता से दी गई थी। उपलब्धि के आधार पर अन्य व्यक्तियों को भी सीमेन्ट वितरित की गई।

(3) बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोई सीमेन्ट आरक्षित नहीं की गई थी। बीकानेर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 1385 व्यक्तियों को 11777 थैले सीमेन्ट वितरित की गई। मोहल्लेवार सूची अत्यधिक लम्बी होने से संलग्न किया जाना सम्भव नहीं है।

जिला भीलवाड़ा के लिए चीनी/सीमेन्ट का मासिक कोटा

442. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा जिले के लिये सीमेन्ट व चीनी का प्रति माह कितना कोटा निर्धारित है ?

(2) जिले में वर्ष 1981-82 में निर्धारित कोटे की कितनी सीमेन्ट व चीनी आई और कितनी लेप्स हुई ? लेप्स होने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा के लिये लेवी चीनी का कोटा 523 मै० टन प्रति माह निर्धारित है। सीमेन्ट का आवंटन तिमाही होता है। अत: प्रत्येक तिमाही में आवंटित सीमेन्ट की मात्रा निम्नांकित है:—

1. अप्रेल से जून, 81	1778 मै० टन
2. जुलाई से सितम्बर, 81	1190 मै० टन
3. अक्टूबर से दिसम्बर, 81	1575 मै० टन
4. जनवरी से मार्च, 82	1450 मै० टन

(2) वर्ष 1981-82 में लेवी चीनी निर्धारित कोटे के अनुसार 523 मै० टन प्रति माह प्राप्त की गई अत: कोई मात्रा लेप्स नहीं हुई। सीमेन्ट की प्रत्येक तिमाही में जो मात्रा आवंटित की गई उसमें से अप्रेल से जून, 81 की तिमाही में 1778 मै० टन में से 1745 मै० टन सीमेन्ट उठाली गई। केवल 33 मै० टन शेष रही। यह मात्रा हैण्डलिंग एजेन्ट समय पर नहीं उठा सका। जुलाई, 81 से सितंबर, 81 की तिमाही में 1190 मै० टन सीमेन्ट आवंटित हुई थी, जिसके विरुद्ध 1150 मै० टन सीमेन्ट उठा ली गई और शेष 40 मै० टन उठानी बाकी

(५२)

(रसद मंत्री)

है। अक्टूबर से दिसम्बर, 81 की तिमाही में 1575 मै० टन सीमेन्ट आवटित हुई जिसके विरुद्ध 1430 मै० टन सीमेन्ट उठा ली गई तथा 145 मै० टन उठानी शेष है। जुलाई से दिसम्बर, 81 की अवधि की शेष माला की मियाद दिनांक 31-3-82 तक भारत सरकार ने बढ़ा दी है। जनवरी से मार्च, 82 की तिमाही में 1450 मै० टन सीमेन्ट का आवंटन हुआ है जो अभी तक नहीं उठाई गई है जिसका कारण सीमेन्ट की नई नीति एवं फैक्ट्री में बिजली की कटौती के कारण सीमेन्ट का उत्पादन नहीं होना है। इस प्रकार किसी भी तिमाही में सीमेन्ट की कोई माला विभागीय त्रुटि से लैप्स नहीं हुई है।

अजमेर नगर परिषद् सीमा में आवश्यक उपभोक्ता सामग्री के वितरण हेतु प्रदत्त लाइसेंस

443. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर नगर परिषद् सीमा में आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराने हेतु किन-किन दुकानदारों एवं संस्थाओं को कब-कब से लाइसेंस दिये हुये हैं ?

(2) इन लाइसेंसधारियों को आवश्यक उपभोक्ता सामग्री में कौन-कौनसी वस्तु कितनी-कितनी माला में किस-किस दिनांक को प्रदत्त की गई ? कृपया यह सूचना माहवार दिनांक 1 अप्रेल, 81 से लेकर दिनांक 15 फरवरी, 1982 तक की सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर नगर परिषद् सीमा में संलग्न सूची के अनुसार व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके नाम के आगे अंकित तिथि से उचित मूल्य की दुकान के प्राधिकार पत्र दिये गये हैं।

(2) इन उचित मूल्य के दुकानदारों को दिनांक 1 अप्रेल, 81 से 15 फरवरी, 82 तक प्रदत्त उपभोक्ता सामग्री की इकजाई सूची संलग्न है। माहवार एवं तिथि वार सूचना अत्यधिक विस्तृत होने से दिया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

प्रिमियर वेजीटेबल (जयपुर) के चेतक घी का अधिक मूल्य पर विक्रय

444. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माह अगस्त/सितम्बर, 1981 में चेतक वनस्पति घी के निर्माता एवं विक्रेता प्रिमियर वेजीटेबल, जयपुर की कोटा स्थित दुकान से मूल्य सूची में दिखाये गये मूल्यों से अधिक मूल्य लेकर एवं उसकी रसीद देकर चेतक वनस्पति घी बेचा जा रहा था ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि कोटा के रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया और 500 टिन माल और मूल्यों को दर्शाने वाले प्लाइवुड का बोर्ड भी जब्त किया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उस जब्तशुदा माल को रुपये 192/– प्रति टिन के उचित मूल्य से बाजार में उपभोक्ताओं को नहीं बेच कर बैंक गारन्टी से उसी पार्टी को सुपुर्द कर दिया गया जिसे पुनः ऊंचे भावों पर ही बेचा गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि रसद विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहें ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) दिनांक 26 अगस्त, 81 को मैसर्स प्रिमियर वेजीटेबल प्रोडक्ट की कोटा स्थित दुकान पुरानी धानमण्डी कोटा द्वारा मूल्य सूची में दिखाये गये बिक्री मूल्य 214-50 रुपये की अपेक्षा मूल्य 219-00 रुपये प्रति टिन लेकर एवं उसकी रसीद देकर चेतक वनस्पति घी बेचा गया था ।

(2) दिनांक 26 अगस्त, 81 को कोटा के रसद विभाग द्वारा जांच की गई । जांच के समय वेची गई 10 टिन वनस्पति के लिये जारी रसीद में वर्णित मूल्य व प्रदर्शन पट पर अंकित मूल्य में अन्तर होने के कारण शेष 556 टिन चेतक मार्का वनस्पति के व दुकान पर प्रदर्शित मूल्य एवं स्टाक सूची की नकल प्राप्त कर जब्त किये थे ।

(3) राज्य सरकार द्वारा वनस्पति घी की कीमत निर्धारित नहीं की हुई थी । जिलाधीश, कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए के अन्तर्गत दिये गये निर्णयानुसार 10 टिन जो 214-50 रुपये प्रति टिन की कीमत के बजाय 219 रुपये प्रति टिन पर बेचे गये थे, राजसात करते हुये शेष 546 टिन बैंक गारन्टी पर प्रार्थी को संभलाये गये थे ।

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6-ए के अन्तर्गत 10 टिन जब्त किये गये थे । उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जा रही है एवं प्रथम सूचना दर्ज कराने के लिए भी विचार किया जा रहा है ।

ऋषभदेव मंदिर की भूमि पर विद्यालय का निर्माण

445. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ऋषभदेव मंदिर की कोई भूमि बालकों के विद्यालय निर्माण हेतु विद्यालय निकेतन प्रबन्ध समिति, ऋषभदेव को दी गई है ? यदि हां, तो कब कितनी भूमि किन शर्तों पर दी गई ?

(2) क्या देवस्थान विभाग द्वारा विद्यालय हेतु भूमि देने के पश्चात् निर्माण

(श्री गोपाल पचेरवाल)
कार्य रोकने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो किसके आदेश से तथा किस कानून के तहत?

(3) विद्यालय निर्माण से देवस्थान विभाग को क्या नुकसान है तथा निर्माण न होने से क्या लाभ है?

उत्तर

(1 व 2) जी हां। देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय आत्मनिर्भर मन्दिर श्री ऋषभदेवजी धुलेव जिला उदयपुर की दादावाड़ी (बगीची) के पास स्थित रिक्त भूमि में से 60 × 50 फीट भूमि रियायती दर पर 51) रुपया प्रति माह की दर से किराये पर विद्या निकेतन प्राथमिक विद्यालय ऋषभदेवजी को दिनांक 6 फरवरी, 1980 से निम्न शर्तों पर किराये पर उपलब्ध कराई गई है :—

1) विद्यालय को विभाग के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार स्टाम्प पर दो प्रतियों में किराया नामा निष्पादित कर प्रभारी अधिकारी मन्दिर श्री ऋषभदेवजी धुलेव को कब्जा देने से पूर्व देना होगा।

2) विद्यालय को नियमानुसार तीन माह का अग्रिम किराया कब्जा लेने से पूर्व जमा कराना होगा तथा नियमित किराया अनिवार्य रूप से माह के प्रथम सप्ताह में जमा कराना होगा।

3) विद्यालय द्वारा विभाग की जमीन पर जो भवन स्कूल के लिये निर्मित कराया जावेगा, वह मन्दिर श्रीऋषभदेवजी धुलेव के भेंट स्वरूप समझा जावेगा व इस निर्माण कार्य में लगी हुई राशि कभी भी विद्यालय देवस्थान विभाग अथवा मन्दिर से क्लेम नहीं कर सकेगा।

4) आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार विभाग को एक माह का अग्रिम नोटिस देकर संस्था से भूमि खाली कराने का अधिकार होगा। इसी प्रकार संस्था भी एक माह का नोटिस देकर भवन खाली कर सकेगी।

5) उक्त 60 × 50 फीट जमीन के आस पास का खाली पड़ी भूमि पर संस्था का कोई अधिकार नहीं होगा।

6) संस्था द्वारा जो निर्माण कार्य कराया जावेगा उसका प्लान विभाग से अनुमोदन कराना होगा। जी हां। प्रधानाध्यापक, शिक्षा निकेतन प्राथमिक विद्यालय, ऋषभदेवजी को राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम सन् 1959 की धारा 2(3) सपठित धारा 2(11) व धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार संस्था का पंजीयन कराने एवं पंजीयन होने तक निर्माण कार्य स्थगित रखने के आदेश आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर द्वारा दिये गये हैं।

(3) विद्यालय निर्माण के होने व नहीं होने से देवस्थान विभाग को कोई लाभ व हानि नहीं है।

भीलवाड़ा के सहकारी संस्थानों द्वारा दिये गये विज्ञापन

446. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भीलवाड़ा की दी सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, सहकारिता होलसेल भण्डार, भूमि विकास बैंक, क्रय विक्रय सहकारी संघ, जिला सहकारी उत्पादक संघ, राजस्थान को-आपरेटिव मिल, गुलाबपुरा की ओर से सन् 1980-81 व सन् 1981-82 में किन-किन समाचार पत्रों को किन-किन तिथियों में कितने रुपयों के विज्ञापन जारी किये गये?

उत्तर

भीलवाड़ा की दी सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, सहकारी होलसेल भण्डार, भूमि विकास बैंक, क्रय विक्रय संघ, जिला दुग्ध उत्पादक संघ, राजस्थान स्पिनिंग को-आपरेटिव मिल गुलाबपुरा की ओर से वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में किन-किन समाचार पत्रों को किन-किन तिथियों को कितने रुपयों का विज्ञापन दिया गया है, की सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर

447. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर में भूत एवं वर्तमान में कार्यरत ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके विरुद्ध संघ की विभिन्न इकाइयों की अब तक की आडिट रिपोर्ट, भौतिक सत्यापनों और सामान्य निरीक्षणों अथवा विशेष निरीक्षणों के द्वारा गबन, वित्तीय अनियमितता, धन एवं सामग्री की कमी (शार्टेज) आदि के तथ्य सामने आये? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन तथ्यों का परीक्षण वर्तमान में प्रचलित सभी कानूनों के प्रावधानों की पृष्ठभूमि में कर लिया गया है और तदनुसार कार्यवाही की गई, की जा रही है या की जावेगी ?

(3) यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, क्या की जा रही है और क्या की जावेगी? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हाँ।

(3) की गई कार्यवाही का उल्लेख उपरोक्त विवरण के कालम 5 में कर दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर में विद्युत सामग्री का क्रय

448. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर द्वारा संचालित उपहार द्वारा वर्ष 1979-80, 1980-81 एवं 15 फरवरी, 1982 तक कौन-कौन सा बिजली का सामान कब-कब कितनी-कितनी राशि का कहां-कहां से खरीदा गया? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग द्वारा यह आदेश दिये हुये हैं कि

(श्री रंगजी मीणा)

बिजली का सामान निर्माता कम्पनी से ही खरीदा जाये ? यदि हां, तो कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभिन्न राजकीय विभागों के आदर्शों के अनुसार ही सामान खरीदा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उपहार में बिजली का सामान निर्माण करने वाली कम्पनियों की मूल्य सूची रखी जाती है ? यदि हां, तो किन-किन कम्पनियों की ? कृपया जून, 1979 से प्रचलित उन कम्पनियों की प्रमाणित मूल्य सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर द्वारा संचालित 'उपहार' द्वारा वर्ष 1979-80, 1980-81 एवं 15 फरवरी, 82 तक बिजली का जो सामान जितनी-जितनी राशि का जिन-जिन से क्रय किया गया है उसकी सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सामान राजकीय विभागों की मांग एवं सामान्य बिक्री को ध्यान में रख कर खरीदा गया है।

(4) सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(आदेश की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सहकारी बैंक कार्यालय व स्टाफ के निवास सम्बन्धी योजना

449. **श्री कनकराज मेहता** (सांचौर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार ने सहकारी बैंक कार्यालय व उनके स्टाफ के निवास हेतु कोई नीति निर्धारित कर रखी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो अब क्या नीति अपनाई जाने की योजना है ?

उत्तर

राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के नियम 54(4) के अन्तर्गत किसी भी सहकारी संस्था को कार्यालय भवन निर्माण हेतु नियम में वर्णित शर्तों के अनुरूप रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान है।

शीर्ष बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंकों के स्टाफ को भवन निर्माण हेतु ऋण देने हेतु नियम विभाग द्वारा क्रमशः दिनांक 25 जून, 79 व 14 मार्च, 80 को जारी किये जा चुके हैं जिसके अन्तर्गत शीर्ष बैंक के कर्मचारियों को 70,000/- रुपये तक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को 60,000/- रुपये तक ऋण देने का प्रावधान है।

जिला गंगानगर के भूमिहीन किसानों को राजस्थान कैनाल पर कृषि भूमि के आवंटन पर रोक

451. श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनता सरकार ने गंगानगर जिले के भूमिहीन किसानों को राजस्थान कैनाल पर जो कृषि भूमि का आवंटन रोक दिया था, उस कृषि भूमि को अब सरकार कब तक आवंटन करने का विचार रखती है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने ऐसे कोई स्थाई आदेश जारी किये हैं कि जिसके अन्तर्गत उक्त जिले के लोगों को कृषि भूमि आवंटित नहीं की जाये ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने गंगानगर जिले के भूमिहीन किसानों को राजस्थान कैनाल में कृषि भूमि का आवंटन रोकने हेतु कोई आदेश जारी नहीं किए तथा आवंटन बिना रोक नियमानुसार किया जाता रहा है।

(2) जी नहीं। ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गए।

विकास अधिकारी पंचायत समिति देवगढ़ की जीप पर व्यय

453. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विकास अधिकारी पंचायत समिति, देवगढ़ द्वारा 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक समिति की जीप पर पैट्रोल, डीजल, मरम्मत पर कितना व्यय किया गया ? कृपया माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विकास अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक टेलीफोन के लोकल काल एवं ट्रंक काल पर कितना व्यय किया गया ?

(3) विकास अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक चिकित्सा पुनर्भरण की कितनी राशि उठाई गई ? कृपया उक्त अवधि का मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विकास अधिकारी ने 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक कहां-कहां यात्राएं कीं तथा यात्रा-भत्ते की कितनी राशि उठाई ? कृपया उपरोक्त अवधि का मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, देवगढ़ ने दिनांक 1 जनवरी, 81 से 31 दिसम्बर, 81 तक पैट्रोल पर रु० 6563–49 एवं मरम्मत पर 185-15 व्यय किये हैं। सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति ने दिनांक 1 जनवरी, 81 से 31 दिसम्बर, 81 तक टेलीफोन एवं ट्रंककाल पर रु० 1280-50 व्यय किये हैं।

(48)

(पंचायत मंत्री)

(3) विकास अधिकारी ने दिनांक 1 जनवरी, 81 से 31 दिसम्बर, 81 तक चिकित्सा पुनर्भरण की राशि रु० 8-16 उठाई है। सूचना सदन के पटल पर रखदी गई है।

(4) विकास अधिकारी ने दिनांक 1 जनवरी, 81 से 31 दिसम्बर, 81 तक रु० 2511-25 की धनराशि उठाई है। सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

सिद्धा सिन्टेक्स, ऋषभदेव में नियोजित कामगार

454. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिद्धा सिन्टेक्स, ऋषभदेव में जनवरी, 1982 तक कुल कितने कामगार नियोजित थे ? कृपया इसमें श्रेणीवार स्थायी प्रोबेशनर्स, केजुअल, बदली व ट्रेनी की संख्या बतायी जाय ?

(2) क्या राजस्थान टैक्सटाइल मिल एसोसियेशन के साथ हुए समझौते के अनुसार इन श्रमिकों को वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना-कितना और नहीं, तो क्यों ? कृपया श्रेणीवार दिये जा रहे वेतन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस मिल में खैरवाड़ा तहसील के कितने कामगार हैं ? कृपया प्रबन्ध स्टॉफ एवं श्रमिकों की क्रमवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नियोजक से प्राप्त सूचना के आधार पर सिद्धा सिन्टेक्स लि. ऋषभदेव द्वारा जनवरी, 1982 तक कुल नियोजित श्रमिकों की संख्या 612 थी। उनमें से स्थाई प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या 269 व ट्रेनी श्रमिकों की संख्या 343 थी। वहां पर बदली व केजुअल श्रमिकों का नियोजन नहीं है। प्रोबेशनर की संख्या 'शून्य' है।

(2) नियोजक से प्राप्त सूचना के आधार पर सिद्धा सिन्टेक्स लि., राजस्थान टैक्सटाइल मिल एसोसियेशन के साथ हुए समझौते में पक्षकार नहीं था क्योंकि उस समय मिल का प्रादुर्भाव नहीं था। श्रमिकों को वेतन उक्त समझौते के अनुसार नहीं दिया जा रहा है। स्थाई श्रमिकों को रुपये 17·50 प्रतिदिन व ट्रेनी श्रमिकों को 7/- रुपये से 9·50 पैसे वेतन दिया जा रहा है।

(3) नियोजक से प्राप्त सूचना के आधार पर सिद्धा सिन्टेक्स में नियोजित श्रमिकों, स्टाफ, मैनेजरियल व्यक्तियों में से खैरवाड़ा तहसील के श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार है :—

1—श्रमिक	345
2—स्टाफ	2
3—मैनेजरियल	'शून्य'

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11 मार्च, 1982)

स्वरूपगंज पंचायत (भीलवाड़ा) द्वारा आवंटित भू-खण्ड

272. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भीलवाड़ा तहसील की सुवाना पचायत समिति की पंचायत स्वरूपगंज ने मण्डपिया के पास कितने भू-खण्ड काटे और किन-किन को किस-किस नीति के अन्तर्गत कितनी-कितनी रकम लेकर दिये ? यह रकम किन-किन कार्यों पर व्यय की गई और पंचायत में कब-कब जमा हुई ?

उत्तर

पंचायत स्वरूपगंज द्वारा मण्डपिया के पास कुल 125 भू-खण्ड आवंटित किये गये। जिन व्यक्तियों को ये भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं, उनसे कितनी-कितनी राशि वसूल की गई है एवं यह रकम पंचायत में कब-कब जमा हुई है, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, ये भू-खण्ड विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों को जिस नीति के अन्तर्गत आवंटित किये गये हैं, उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

1—अनुसूचित जाति, जनजाति भूमिहीन मजदूर आदि को 51)

2—तृतीय श्रेणी को भू-खण्ड 225)

3—मध्यम श्रेणी के लोगों को 300)

4—श्रमजी. वी पत्रकार, नव-युवक डाक्टर, इन्जीनियर, डिप्लोमा, होल्डर्स आदि को 450)

भू-खण्डों के विक्रय से प्राप्त राशि को निम्न मदों पर व्यय किया गया है :—

1—स्कूल भवन कल्याणपुरा गुवारड़ी, स्वरूपगंज के लिये 7,000)

2—कुइयों पर 3,000)

3—रास्ता दुरुस्ती पर 4,000)

4—पंचायत भवन दुरुस्ती पर 2,000)

5—रोड लाइट लगाने पर 3,500)

6—पंचायत कृषि फार्म पर 2,000)

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11 मार्च, 1982)

भीलवाड़ा जिले में पंचायतों द्वारा खुदवाये गये कुएं

273. श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला भीलवाड़ा में पिछले वर्ष तथा इस वर्ष पंचायतों द्वारा प्रत्येक तहसील में कितने नये व कितने पुराने कुओं को खुदवाया व गहरा कराया गया ? क्या इन कुओं में अभी पानी है ? इन्हें गहरे कराने व नये

(श्री बन्शीलाल पटवा)

कुओं पर प्रत्येक में कितना-कितना खर्चा हुआ ?

उत्तर

जिला भीलवाड़ा में वर्ष 80-81 व 81–82 में राहत कार्यों एवं सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत 864 पुराने कुओं को गहरा करवाया गया एवं 203 नए कुएं खुदवाये गये। तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। वर्तमान में इन कुओं में पानी कम होना बतलाया गया है। पुराने कुओं को गहरा कराने एवं नए कुएं खुदवाये जाने पर प्रत्येक पर कितना व्यय हुआ, सूचना विस्तृत होने से उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

जिला भीलवाड़ा में सरपंचों का निलम्बन

452. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1980-81 तथा 1981-82 में भीलवाड़ा जिले में कई सरपंचों का निलम्बन किया गया है ? यदि हां, तो कृपया पंचायत समितिवार नामावली तथा प्रत्येक के आरोप-पत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई सरपंचों को तो बिना किसी कार्यवाही के बहाल कर दिया गया और इसी प्रकार के आरोपयुक्त कई सरपंच आज तक भी निलम्बित हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है ?

(3) भीलवाड़ा जिले में निलम्बित सरपंचों के विरुद्ध कितने मामले किस-किस पचायत समिति के विचाराधीन हैं ? कृपया नामावली मय वर्षवार विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विभाग में कई सरपंचों के विरुद्ध जांच रिपोर्ट वर्षों से न आने पर निलम्बन आदेश प्रभावित हैं ? क्या 3 माह में जांच रिपोर्ट नहीं आने पर सरकार ने उस अधिकारी के विरुद्ध भीलवाड़ा जिले में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि राजनैतिक कारणों से निलम्बन एवं निलम्बन को बहाल करने के मामले राज्य सरकार के सामने आये हैं ? यदि हां, तो भीलवाड़ा जिले में ऐसे कितने मामले हैं जो सांसद, विधायक एवं मन्त्रियों के द्वारा निलम्बन एव बहाल के लिये मांग अथवा कार्यवाही हुई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर पत्रावलियों के आधार पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि निलम्बन के आदेश के बाद भी 2-3 माह तक चार्ज नहीं दिये गये ? यदि हां, तो ऐसे सरपंचों द्वारा आदेश की पालना न करने पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? कृपया नामावली सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां ! जिलाधीश से प्राप्त

(पंचायत मंत्री)

सूचना के आधार पर निलम्बित सरपंचों के आरोपों के विवरण सहित पंचायत समितिवाइज सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है कि सरपंचों को बिना किसी कार्यवाही के बहाल कर दिया गया। सरपंचों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं तर्क को मद्दे नजर रखते हुए ही उनको राज्य सरकार द्वारा बहाल किया गया है।

(3) जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार निलम्बित किये गये सरपंचों के विरुद्ध विचाराधीन चल रहे मामलों की सूची पंचायत समितिवाइज सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) नवीन चुनाव हो जाने के पश्चात् वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में कोई सरपंच निलम्बित नहीं है। जांच प्रतिवेदन तीन माह में राज्य सरकार को प्राप्त हो जाना चाहिये किन्तु अधिकारियों के अन्य महत्व-पूर्ण कार्यों में व्यस्त हो जाने तथा साक्षियों एवं रिकार्ड के समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण कभी-कभी रिपोर्ट आने में देरी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में किसी अधि-कारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं। राजनैतिक कारणों से निलम्बन एवं निलम्बन से बहाल करने के मामले राज्य सरकार के सामने नहीं आये हैं। अतः ऐसे मामलों का विवरण सदन की मेज पर रखे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) जी नहीं। राज्य सरकार के सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें निलम्बित सरपंच द्वारा 2-3 माह तक चार्ज नहीं दिया गया हो। अतः किसी भी सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

स्पष्टीकरण

श्री दाऊदयाल जोशी के निलम्बन को निरस्त करने सम्बन्धी राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार

श्री अध्यक्ष : स्थान प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। कल माननीय दाऊदयालजी के निलम्बन को....

श्री अध्यक्ष : जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं प्रस्ताव की बात नहीं कर रहा हूं। आप एक मिनट सुन लीजिए।

कल आपने माननीय दाऊदयालजी के निलम्बन को वापस करवाया था उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आसन के लिए यह आवश्यक भी है कि सदन के वातावरण को सौहार्दपूर्ण रखे, उसके लिए उन्हें पहल भी करनी चाहिए। आपने अपनी इच्छा के अनुरूप यह काम कल करवाया

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लेकिन आज इसकी जानकारी हमको राजस्थान पत्रिका के द्वारा मिली। उस राजस्थान पत्रिका में जो स्टेटमेंट आया है उसमें यह लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सचेतक ने खेद व्यक्त किया है तब आपने यह निर्णय लिया है। यह आपकी जानकारी में है....

श्री अध्यक्ष : सदन ने निर्णय लिया है। मैंने तो कोई निर्णय लिया नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आपकी भी जानकारी में है और मेरी जानकारी में भी है....

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : तो क्या आपने अध्यक्ष महोदय को × × × निर्णय कराया है....

श्री अध्यक्ष : मैं इसमें निष्पक्ष हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो न तो इस सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आपने एक प्रस्ताव दिया है वह प्रस्ताव मेरे सामने विचाराधीन है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं प्रस्ताव के लिए नहीं कह रहा हूं। हमारे माननीय नेताजी जिनसे मतलब चतुर्वेदी जी से है और सचेतक के रूप में मुझ से है, न तो मैंने आपसे कोई खेद व्यक्त किया और न इस मामले में माननीय ललितजी ने कोई निवेदन किया, यह केवल माननीय खेतसिंह जी की जोड़ी हुई बात है।

(व्यवधान)

यदि आप चाहते हैं कि सदन का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय की इच्छा है, उन्होंने ही यह प्रस्ताव भी रखवाया है हम भी यहीं चाहते हैं और, सरकारी मुख्य सचेतक जी, आपका भी दायित्व है, आप वातावरण को दूषित न होने दें। जो वातावरण अच्छा बनाया जा रहा है उसको अच्छा बनाये रखें। आपके नेताजी ने कहा कि आपका दल बड़ा है। तो दल तो बड़ा है, लेकिन दिल भी बड़ा रखिये। हमने न तो क्षमा याचना की थी और न ही खेद प्रकट किया था। जो राजस्थान पत्रिका में जिस प्रकार से दिया है वह इस तरह दिया है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि आपने खेद व्यक्त किया। "सरकारी मुख्य सचेतक श्री खेतसिंह ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और सचेतक ने अध्यक्ष से उनके व्यवहार पर खेद प्रकट किया।" अध्यक्ष के व्यवहार पर खेद प्रकट किया। इस ढंग से आया है, ना तो अध्यक्ष महोदय ने खेद प्रकट किया ना हमने किसी ने खेद प्रकट किया। यह बात अवश्य है कि माननीय दाऊदयालजी जोशी के निलम्बन पर सारा सदन चिंतित था, माननीय अध्यक्ष महोदय भी उससे दुखी थे।

श्री अध्यक्ष : उनकी शैली है, उनका कागज है, लिखते रहें, अपन क्या करें।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह सही है लेकिन तथ्यों के विपरीत है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कोई भारत सरकार का आफिसियल गजट तो है नहीं, या कोई राज्य सरकार का गजट नहीं है कि इसके अन्दर कैसे यह आ गया। यह तो अखबार है, उनकी मर्जी आयी जो उन्होंने ××× दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप कहिये, आपने यह बात नहीं कही। ना किसी ने क्षमा याचना की थी....

श्री खेतसिंह राठौड़ : खेद प्रकट किया या नहीं यह तो आप जानो बल्कि अध्यक्ष महोदय को क्या पड़ी थी कि इस तरह आ करके....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह उनकी उदारता है। उनका आपकी तरह से दिल नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या आप उनके चेम्बर में नहीं मिले थे ? जो मुझे बात नहीं कहनी चाहिये इस हाउस में....

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे अध्यक्ष महोदय ने बुलाया था, मैं नहीं गया। हम जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा नहीं करें। सदन के कोई भी माननीय सदस्य सदैव किसी समय मुझ से मिल सकते हैं। उनका स्वागत है।

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय तो सबके हैं। सब जायेंगे। इसका मतलब यों आरोप लगाते रहोगे, चेम्बर में क्यों गये, अध्यक्ष महोदय तो सबके हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप हमारे नजदीक हो, आप तो हमारे छोटे भाई हो।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय तो सबके हैं, आपके अकेले के नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। शांत रहें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक जी ने जो भाषण दिया उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। उसको पढ़ रहा हूं : "उनकी पार्टी के नेता आपके चेम्बर में आये थे और उन्होंने अफसोस जाहिर किया था।" मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि दाऊदयाल जोशीजी के निलम्बन के विषय में मैं कभी नहीं आया बल्कि दो दिन मैं चेम्बर में इसलिए नहीं मिला, क्योंकि मेरे मन में बहुत स्नेह था, उनसे बात जरूर हुई, तो बात जरूर में, 'मैंने कहा तनाव का वातावरण बना हुआ है, आप उसको ठीक करें। उन्हीं के प्रस्ताव से निलम्बन हुआ था, उन्हीं के प्रस्ताव से वापस ले लिया" ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप यह चाहते थे, दाऊजी बाहर ही बैठे रहें ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्षमा करिये, यह अलग बात है।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

इसलिये इस प्रकार की चर्चा करना उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आपकी कृपा है, शासन के प्रति हम आभारी हैं, जिस प्रकार सौहार्द का वातावरण बना वह बनना चाहिए। किन्तु हमारे कुछ अधिकार हैं उन अधिकारों के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। ना हमने खेद प्रकट किया है न करने की इच्छा है। हम ठीक थे, ठीक खड़े रहे, वहां मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, अध्यक्ष महोदय।

परसों मैंने इसी विषय में प्रस्ताव रखा था। फिर उस प्रस्ताव को वापस लेने का प्रस्ताव किया था। लेकिन सदन से वह प्रस्ताव वापस नहीं लिया था। वह प्रस्ताव अभी स्टेंडबाई है, उस प्रस्ताव पर तो कोई व्यव- स्था दें।

श्री अध्यक्ष : आपने उस वक्त यह कह दिया था, मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : वापस लेता हूं, लेकिन नियम 284 के तहत सदन से उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है कि आया इसको वापस लेने की इजाजत दी जाय या नहीं? उसकी इजाजत नहीं ली। इसके पहले मेरा प्रस्ताव पड़ा हुआ है, दूसरे प्रस्ताव को लाने की क्या आवश्यकता खेतसिंह जी को पड़ी थी?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया था, ये तो यह चाहते थे कि दाऊ दयाल जी बाहर ही रहें तो ठीक रहे।

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : यह आपके ग्रुप से बिलांग करते हैं या भैरोंसिंह जी के ग्रुप से बिलांग करते हैं?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय खेतसिंहजी की आदत है, जब भत्ता वगैरह बढ़ाने के वास्ते प्रस्ताव लाये थे तो उसमें इन्होंने यह कहा था उजला जी ने सहमति दे दी। मेरा क्या लेना देना। इन्होंने मुझसे खेद व्यक्त किया, "××× मुझसे गलती हुई, पूछने की आपसे।"

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर इन्होंने बाद में भत्ता नहीं उठाया हो तो मैं कान पकड़ता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने तो उठाया ही नहीं। मुझे तो चार साल हो गये आज तक नहीं उठाया। आप उस दिन की क्या बात कर रहे हो। ××× उस दिन इन्होंने ××× बोला था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो इन बातों में रखा क्या है। आप भत्ता बराबर उठा रही हैं। दिल में तो चाहती हैं, ऊपर से कह रही थीं।

××× शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने गलत कहा था ना, एक बार अपनी बात खैर····

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर अरबन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रशासक द्वारा बैंक के सदस्यों के मांग करने पर भी आम सभा आयोजित न करने के विषय में,

(2) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंग कुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से भवानी मंडी की टैक्सटाइल मिल्स तथा नगरपालिका के नाले के निकले हुए पानी से भवानी बांध का पानी दूषित हो जाने के विषय में,

(3) श्री रघुवीर सिंह कौशल व श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पूर्व सूचना के बिना चम्बल की नहर के पानी को बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(4) श्री भंवर लाल शर्मा, सुश्री पुष्पा जैन, श्री रामकिशोर मीणा व श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा गत 16 मार्च को राज्य कर्मचारियों की हड़ताल पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा देने के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

(5) डा० उजला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 11 जनवरी को केन्द्रीय कारागर जयपुर के एक प्रहरी के जेल मंत्री की ड्यूटी से गायब हो जाने के विषय में। पूर्व में भी इस विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की है और वह मेरे विचाराधीन है, उसमें आज या कल निर्णय दे दिया जायगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हू।

(6) श्री हरीश शर्मा–तहसील रामगंज मंडी, कोटा के ग्राम पीपाखेडी की चरागाह भूमि पर कुछ खान मालिकों द्वारा अतिक्रमण करने के विषय में।

(7) श्री मेघराज तावड़—उदयपुर जिले के कुछ गांवों में पेयजल संकट हो जाने के विषय में।

(8) श्री देवीसिंह भाटी—बीकानेर नगर परिषद् के कांजी हाउस में गत 6 फरवरी को भूख से एक बैल व एक बछड़ी के मर जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(9) श्री रतनलाल ताम्बी—कृषि भूमि रूपान्तरण के नियम अव्यावहारिक हैं, इस विषय में। इस संबंध में सरकार की ओर

(श्री अध्यक्ष)

से एक वक्तव्य दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

(10) श्री गुलाब चन्द कटारिया—सदर हॉस्पिटल, धौलपुर में मार्च के प्रथम सप्ताह में दिनेश पुत्र रघुराज सिंह की आपरेशन टेबल पर मृत्यु हो जाने के विषय में। सरकार से एक अन्य प्रस्ताव पर तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार इस मामले की जांच के लिये राज्य सरकार द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है।

(11) पूर्व में श्री अनंग कुमार जैन व श्री बालचन्द्र आर्यवीर की ओर से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना राजेन्द्र जनरल हॉस्पिटल, झालावाड़ के एक डाक्टर द्वारा ट्रेनिंग सेंटर की एक नर्स के साथ बलात्कार का प्रयास करने के विषय में प्राप्त हुई थी। सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस मामले में विभागीय जांच में शिकायत सिद्ध नहीं हो पाई और पुलिस द्वारा भी एक मुकदमा इस संबंध में दर्ज कर लिया गया है।

एक से अधिक स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने के कारण निम्न माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव या तो अस्वीकार कर दिये गये हैं अथवा उनके नाम दूसरे स्थगन प्रस्तावों में से हटा दिये गये हैं।

(1) श्री राम किशोर मीणा व सुश्री पुष्पा जैन—राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतनमान न बढ़ाने का निर्देश देना।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : मैं इस पर बोलूंगी, अध्यक्ष महोदय। मेरा दूसरे में से नाम हटा दें।

श्री अध्यक्ष : मैं नाम पुकारूंगा, माननीय सदस्या।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। राज्य सरकार ने घोषणा की आवश्यक सेवा अधिनियम की और कल हड़ताल होने वाली है, कल विद्यार्थियों की परीक्षा भी है। हड़ताल करने वाले जो लोग हैं राज्य कर्मचारी, उनके भी बच्चे हैं। वे नहीं चाहते कि हड़ताल करें।

श्री अध्यक्ष : इस पर मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री मेघराज तावड़ : इस पर सरकार आज बयान दे दे। कल से हड़ताल पर जा रहे हैं तो विद्यार्थियों का क्या होगा, अध्यक्ष महोदय? परीक्षाएं हो नहीं पायेंगी। बेरी आयोग की रिपोर्ट पर......

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित अनुदान की मांगों के क्रमानुसार उनका पारण

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, अण्डर रूल 144 और 145 हमको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सूची प्राप्त हुई थी उसमें मांगों का क्रम था 12 तारीख को वन एवं पर्यटन, 13 को अन्य कर, 15 को शिक्षा, कला एवं संस्कृति, 16 को उद्योग, राजकीय उपक्रम एवं खनिज तथा 17 को चिकित्सा। अध्यक्ष महोदय, इस सूची के अनुसार हमने डिमाण्ड पास नहीं की। डिमाण्ड इस तरह से पास नहीं होने के कारण कुछ डिमाण्ड रह गईं।

श्री अध्यक्ष : इसी क्रम में पास हो रही हैं, कौन सी रह गई ?

श्री नाथूसिंह : 144 पर पढ़िये। इसमें स्पष्ट लिखा है—

'The House shall on the recommendations of the Business Advisory Committee, allot so many days as may be adequate for the discussion and voting of demands for grants.'

डिस्कशन के लिये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिमाण्ड को मूव करने का दिन तय करेगी। डिमाण्ड पहले डिस्कशन के लिये हाउस में आयेगी और डिस्कशन के पश्चात् वोटिंग के लिये रखी जायगी। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये आपको एक और कोट करना चाहूंगा। कौल एंड शकधर, इसमें पेज 605 में कहा है—

"Whereas during the general discussion on the Budget, the House is at liberty to discuss the budget as a whole or any question of principle involved therein (c) at the stage of discussion on the demands for grants in respect of ministry the debate is essentially confined to a matter which is under administrative control of that ministry and to each head of the demand is put to vote of the House........"

अध्यक्ष महोदय, इसमें भी स्पष्ट लिखा है कि पहले हाउस में डिमाण्ड को डिस्कस करना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : वह मैं सब समझ गया। यह नहीं करें तो कांसीक्वेंसेज पास करने के बाद क्या होते हैं या मांग रद्द हो जाती है, ऐसा कोई कानून हो तो बतायें।

श्री नाथूसिंह : उसी पर, स्टेज बाई स्टेज आ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। कोई भी डिमाण्ड हाउस में आयेगी पर वोटिंग के पहले डिस्कशन आवश्यक है क्योंकि मांग पर हम कट मोशन्स देते हैं। कार्य संचालन संबंधी नियमों का नियम 145 फिर कोट करना चाहूंगा, इसमें लिखा है कट मोशन्स तीन तरह के होते हैं।

श्री अध्यक्ष : विस्तार में न जायं। मैंने सीधा सा प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दे दीजिये।

श्री नाथूसिंह : आप मेरा निवेदन सुन लें।

श्री अध्यक्ष : इसमें समय जा रहा है। मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को समझ लिया। आपका कहना यह है कि क्योंकि डिस्कशन नहीं हुआ उस दिन इसलिये जो पास हुई वह गलत हुई।

श्री नाथूसिंह : यह नहीं है, आप पहले सुनिये।

श्री अध्यक्ष : आप स्पष्ट शब्दों में अविलंब अपनी बात कह दीजिये।

श्री नाथूसिंह : इसमें तीन तरह के कट मोशन्स हैं—डिस अप्रूवल आफ पालिसी कट, दूसरा—इकानोमी कट, तीसरा—टोकन कट। अध्यक्ष महोदय, कट मोशन आते हैं तो कोई भी डिमाण्ड हाउस में ली जायगी वह पहले हाउस में मूव होगी। उसके बाद कट मोशन मूव किये जायेंगे। वह इसलिये किये जायेंगे.........

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में मैंने कल व्यवस्था दे दी थी। ऐसा ही प्रस्ताव कल उठाया गया था।

श्री नाथूसिंह : मेरा दूसरा निवेदन है- चूंकि मुझे उस दिन की प्रोसिडिंग नहीं मिली........

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं, इस सदन का सबसे बड़ा नियम यह है कि एक दफा किसी प्रस्ताव को सदन के समक्ष रख दिया उस पर सदन ने मत व्यक्त कर दिया वह सब, फार आल पर्पजेज, फाइनल है। उसको रि-ओपन नहीं किया जा सकता। इसलिये माननीय सदस्य को वैधानिक आपत्ति है तो अन्य तरीके उपलब्ध हैं। इसके सिवाय कुछ नहीं है। अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री नाथूसिंह : मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं हाउस में। हाउस अपने प्रोसिजर के हिसाब से चलेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रोसिजर के हिसाब से चले, यही तो मेरी कोशिश रहती है।

(व्यवधान)

आर्डर। आपका काम हो तो प्रोसिजर से चलें और दूसरे का काम हो तो न चलें।

श्री नाथूसिंह : ऐसा नहीं है, अध्यक्ष महोदय। जैसा आपने फर्माया बिलकुल ठीक है....

श्री अध्यक्ष : इन सब नियमों की टीका टिप्पणी नहीं होगी। आपको एतराज है तो सीधा प्रश्न पूछ लिया कि सदन ने जब अपना निर्णय दे दिया मतदान के अनुसार, उसके बाद इस प्रश्न पर क्या दुबारा यहां पर विचार किया जा सकता है।

श्री नाथूसिंह : वही मैं निवेदन कर रहा हूं। 24 मार्च, 70 को यही व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था उस पर निर्णय

(श्री नाथूसिंह)

लिया वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं— "जो माननीय सदस्य प्रेस करना चाहते हैं, उन पर मतदान कराया जा सकता है।" प्रेस हम तभी करेंगे जब कट मोशन मूव करेंगे।

श्री अध्यक्ष : कट मोशन के लिये है आप प्रेस करें या नहीं। जैसे कि इस साल मांगों पर विचार विमर्श शुरू हुआ उसी तरह हर वर्ष, पिछले 12–13 वर्षों से अपने यही प्रक्रिया रही है कि जितने माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव देते हैं उनको एक साथ सामूहिक रूप से सदन में पेश किया हुआ माना जाता है। उसके बाद में उनको वापस लेने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती।

श्री नाथूसिंह : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उसमें पूछा भी नहीं कि मान ली गई।

श्री अध्यक्ष : उस व्यवस्था के अनुसार ज्योंही प्रस्तुत हुई उसके बाद कट प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। उसके बाद में माननीय सदस्य उस पर बोलें, दो घंटा बोलें, तीन घंटा बोलें, उसका कोई मतलब नहीं है। निश्चित समय आने पर संबंधित सभी प्रश्न·······

श्री नाथूसिंह : वह डिस्कशन के लिये डिमाण्ड आई नहीं, कट मोशन पेश नहीं किया, जनरल डिस्कशन के लिये आई नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैं निरस्त करता हूं।

श्री नाथूसिंह : मैं आपको कौल एंड शकधर का पढ़ कर सुनाता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनिये। आर्टिकल 212—

'The validity of any proceedings in the Legislature of a State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.'

आर्डर। मैं निरस्त करता हूं। बाधा न डालें।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मैं केवल दो मिनट चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने निरस्त कर दिया। वह विचारणीय विषय है ही नहीं।

श्री राजबहादुर : आप स्वयं अपनी प्रोसिडिंग में देख लें कि जो 284 के अन्तर्गत प्रक्रिया चाही है। 284, 283 में है, वह अपनाई गई है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : वह अपनाई गई है। मैंने कल ही निश्चय कर लिया था।

श्री राजबहादुर : प्रोसिडिंग प्रेस में है। प्रोसिडिंग से मेरी·······

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नाथूसिंह : मैं कौल एंड शकधर को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर । कोई प्रश्न उठाया जाता है वह व्यवस्था का हो तो समय दिया जाता है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जायं । आर्डर, आर्डर । मैं इजाजत नहीं, दूंगा माननीय सदस्य,

(व्यवधान)

कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाय और अध्यक्ष या आसन से व्यवस्था दे दी जाय तो वह समाप्त हो जाता है । इसलिये मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री नाथूसिंह : यह व्यवस्था का सवाल है....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री नाथूसिंह : × × ×

एक माननीय सदस्य : स्कूल में जाकर पता लगाइये । हाउस का वेल्यूएबल टाइम क्यों खराब कर रहे हैं । जब अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है....

श्री नाथूसिंह : आप समझते नहीं हैं....

(व्यवधान)

यह बजरी मिलाकर सड़क पर बेचने का मामला नहीं है । यह विधान सभा का मामला है ।

श्री अनंगकुमार जैन : + + +

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, को यह पता नहीं है कि किस विषय पर बात कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत होते ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए मान लिये जाते हैं । यह प्रक्रिया यहां पर कई वर्षों से चल रही है ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनको बाहर निकालें । टाइम बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री नाथूसिंह : चेम्बर में डिस्कस कर लूं....

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपोलोपित की गई ।

श्री अध्यक्ष : चेम्बर ठीक है। लेकिन व्यवस्था दे दी है। एकेडेस्मक डिस्कशन आप चाहें तो प्रस्तुत हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हरीश शर्मा ।] तहसील रामगंज मण्डी कोटा में ग्राम पीपाखेड़ी चरागाह की भूमि पर कुछ खान मालिकों द्वारा अतिक्रमण करने के विषय में।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रामगंज मण्डी का गंभीर मामला है। खान मालिक लगातार चरागाह पर कब्जा करते जा रहे हैं। पीपाखेड़ी ग्राम के चरागाह पर कब्जा कर लिया है। पत्थर डाल दिये हैं। लोगों का आना जाना बंद हो गया है। बैलगाड़ियों का जाना बंद हो गया है। खान मालिक नहीं लड़ते हैं, मजदूरों को लड़ाते हैं गांव वालों से। कइयों के सिर फूट गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि पीपाखेड़ी चरागाह के मामले को लेकर मुझे भी जेल में डाल दिया गया था। किसानों के अन्दर असन्तोष बढ़ता जा रहा है। जिलाधीश कोटा, परमेश चन्द्र श्रीवास्तव और एस. डी. ओ. रामगंज मंडी, श्री कृष्ण मोहन माथुर दोनों मिल कर खान वालों से × × × ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बिना पूर्व सूचना के किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप न लगावें।

श्री हरीश शर्मा : सूचना दे रखी है।

जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। श्री अमरलाल बलाई, पीपाखेड़ी ने इस चरागाह की एक बीघा जमीन फाड़ी थी तो उसे तहसीलदार ने एक माह की सजा दी थी। तारीख 23-10-81 को तहसीलदार, रामगंज मण्डी ने निर्णय दिया कि इस चरागाह पर 60 बीघा जमीन पर खान मालिकों का अतिक्रमण है, फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। मैंने रेवेन्यू सैक्रेटरी को पत्र लिखे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बार बार लिखने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। केबिनेट ने निर्णय दे दिया था कि अतिक्रमण को रोका जाय। केबिनेट के निर्णय के बाद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मुझे दुख है, अध्यक्ष महोदय, रामगंज मण्डी तहसील में खदान मालिकों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है फिर भी कुछ नहीं हुआ। ग्राम सभा की बैठक हुई जिसमें एस. डी. ओ., बी.डी.ओ., ग्राम वासी और पंचायत के सदस्य थे। उसमें प्रस्ताव किया गया कि इस अतिक्रमण को हटाया जाय पर कुछ नहीं किया गया। आखिर क्यों? अध्यक्ष महोदय, एक सवाल सबसे बड़ा है, गरीब किसान यदि अतिक्रमण करता है तो उसका कुछ नहीं होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो कोई अतिक्रमण करे चाहे खान मालिक हो, चाहे किसान हो, दोनों को सजा दी जाय। एक को सजा दी जाय और एक को नहीं, यह अन्याय है। इससे विद्रोह खड़ा हो जायगा।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपोलपित की गई।

(श्री हरीश शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा सवाल है। इसको रोकना चाहिये। अगर रिश्वत ले, कानून हाथ में ले तो इसको रोकना चाहिये। इस अतिक्रमण को तुरन्त हटाया जाय। यह पीपाखेड़ी के चरागाह के अतिक्रमण का झगड़ा इस सरकार के × × ×

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री हरीश शर्मा : नहीं तो हत्या होने का खतरा है। या तो गांव वाले मरेंगे या खान मालिक मरेंगे। दोनों में से कोई मरेगा। हत्या जरूर होगी। यह सरासर अन्याय कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़। उदयपुर जिले के कुछ गांवों में पयेजल संकट के बारे में।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी स्थगन प्रस्ताव देने की भावना यह थी कि उदयपुर जिले के गांवों में जल संकट है। आज लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। वहां से लोग आये हैं, टेलीग्राम आये हैं। दो दिन में एक दिन पानी मिलता है। गांवों में यह स्थिति है। मैं चाहता था कि गवर्नमेन्ट से इसका जवाब मंगवा कर जानकारी दी जाय तो अच्छा हो।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : आज चर्चा न करें। इसमें जानकारी मंगवा रहा हूं।

श्री मेघराज तावड़ : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी। बीकानेर कांजी हाउस के सम्बन्ध में।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय था, अकाल की स्थिति है और पशुपालकों ने पशुओं को भूखे मरने की स्थिति में उनको आवारा हालत में छोड़ दिया है। अगर शासन इसके बारे में विभाग से जानकारी मंगवाता तो ज्यादा उचित रहता।

श्री अध्यक्ष : सांड कितना बड़ा था ?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, करीब 5-6 साल का था और तीन साल की बछड़ी थी।

अध्यक्ष महोदय, यह तो एक उदाहरण है। कांजी हाउस, म्यूनिसिपल कौन्सिल, बीकानेर के अन्दर दूसरे पशुओं के साथ में एक बैल और बछड़ी को डाल दिया गया था तो वहां चारे-पानी की कतई व्यवस्था नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल कौन्सिल, कांजी हाउस के कर्मचारियों और विभाग की यह जिम्मेदारी है कि कांजी हाउस में जो भी पशु आ जाये उसको निश्चित मात्रा में चारा डाले। अध्यक्ष महोदय, 3 फरवरी, 82 से 5 फरवरी, 82 तक इन पशुओं को कतई चारा नहीं डाला गया। वहां के सहायक नाकेदार मेघराज तातेड़ ने कमिश्नर, म्यूनिसिपल कौन्सिल

(श्री देवीसिंह भाटी)

को 5-2-82 को इसकी सूचना दे दी कि पशुओं के लिये चारा नहीं है, पशु भूखे मर रहे हैं। जब भूख से मर गये तो उसकी सूचना भी दी। दूसरे दिन 6-2-82 को एक बछड़ी भूख से तड़प-तड़प कर मर गयी उसके बावजूद, अध्यक्ष महोदय, क्या होता है जिसने जानकारी दी, जिसकी कि जिम्मेदारी थी, चारा नहीं मिल रहा है, उच्चाधिकारियों को जिसने सूचित कर दिया उस सूचना पर कुछ नहीं किया गया पर पशुओं के मरने की सूचना मिलते ही उन्होंने 10-2-82 को उस नाकेदार का ट्रान्सफर कर दिया। जब अखबारों में यह आया प्रेस में आया कि किस प्रकार से भूख से तड़प कर पशु मर रहे हैं, कांजी हाउस की क्या हालत है तो, अध्यक्ष महोदय, 13-2-82 को निलम्बित किया गया और फिर वापस उसको निरस्त किया गया और बहाल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह उठता है, पहली गलती तो यह है कि जो कांजी हाउस है, फाटक है उसमें किसी प्रकार भी चारे और घास की व्यवस्था नहीं है। अगर आप पशुओं को पकड़ कर फाटक में डालते हैं तो....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : समाप्त करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। परन्तु अकाल की स्थिति है, अध्यक्ष महोदय, और कहीं पर भी चारे और पानी की व्यवस्था नहीं है, सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है....

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है....

श्री देवीसिंह भाटी : स्वायत्त शासन विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि कांजी हाउस में जो आप आवारा पशुओं को पकड़-पकड़ कर डालते हैं, उनके चारे पानी की भी व्यवस्था करें। आज भी वहां पर सैंकड़ों पशु बंद है, शायद आज भी उनके चारे-पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर इस प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया तो आवारा पशु जिनको पशुपालकों, जिनके पास साधन नहीं है, ने आवारा छोड़ दिया है, उनको फाटक में डाल दिया है। अध्यक्ष महोदय, इस पर स्वायत्त शासन विभाग ने और म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, बीकानेर के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया तो सैंकड़ों पशु आज भी जो कांजी हाउस में बंद हैं वे भी इसी तरह से भूख से तड़प-तड़प कर मर जायेंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप जानकारी मंगाते स्वायत्त शासन विभाग, बीकानेर से तो ठीक रहता, सरकार के ध्यान में आता। यह सारी बात इसलिये कही कि सैंकड़ों पशु इस प्रकार मर जाते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हम जो ऐसा मामला रखते हैं, चाहे यह छोटी लापरवाही हुई है ...

श्री अध्यक्ष : आपने तो अपनी बात कह दी है ना।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने तो अपनी बात कह दी है परन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : भूख से तड़प रहे हैं पशु, भूख से मर रहे हैं पशु परन्तु न तो विभाग ध्यान देता है और न उनके चारे पानी की व्यवस्था होती है। ऐसा नोटिस लें वर्ना तो हम × × × कहते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूं कि आप सरकार से इसकी जानकारी मंगायें ...

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दे दी है। आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : जो व्यवस्था आपने दी है वह तो शिरोधार्य है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे जो विषय लये जाते हैं यहां पर, जो रिकार्ड से प्रूफ हैं, किस प्रकार से किन कारणों से पशु मर गये, अध्यक्ष महोदय, उसमें सरकार से कम से कम जानकारी तो करनी चाहिए। इससे यह सरकार के पास जायगा, वह उसकी जांच करायेगी कि किन कारणों से ये पशु मर गये हैं इसके लिये आप व्यवस्था करायें, अध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करता हूं। इसके लिये आपसे निवेदन कर रहा हूं।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया। सदर हॉस्पिटल, धौलपुर में मार्च के प्रथम सप्ताह में दिनेश पुत्र रघुराई सिंह की आपरेशन टेबल पर मृत्यु हो जाने के विषय में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, सदर हॉस्पिटल, धौलपुर में एक 16-17 साल का नौजवान 11वीं कक्षा का विद्यार्थी था वह एक छोटी सी गांठ को लेकर, जो उसके सीने पर थी, उसने देखा कि जब वह काफी दिनों से खतम नहीं हो रही है, हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल के डाक्टरों ने कहा कि एक छोटा सा माइनर आपरेशन होगा। वह अपने पिता को लेकर उस माइनर आपरेशन के लिये वापस हॉस्पिटल आया। अध्यक्ष महोदय, उसको एक आपरेशन थियेटर में ले गये और उसका पिता आपरेशन थियेटर के बाहर ही खड़ा रहा। डाक्टर कोठारी, डाक्टर अंसारी और डाक्टर सद्दीक ये तीनों उस आपरेशन थियेटर में थे, उस बच्चे को आपरेशन के पहले क्लोरोफार्म सुंघाया गया। उसको अधिक मात्रा में सुंघाने के बाद में वे तीनों तो बातों में लग गये और उस बच्चे का किसी ने भी ध्यान नहीं रखा। फिर जब उसका असर हुआ और बच्चा अचेत हो गया उस समय आपरेशन थियेटर के अन्दर ऑक्सीजन गैस नहीं थी। यह दुर्भाग्य की बात है कि आपरेशन थियेटर के अन्दर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी और स्टोर में स्टोर कीपर उपलब्ध नहीं था इस कारण से डिले हुआ और बच्चे की जान चली गयी। अध्यक्ष महोदय, बच्चे की जान चले जाने के दो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

घंटे के बाद बच्चे के बाप को बताया गया। उससे पहले बच्चे के बाप को बताया तक नहीं गया और पीछे के रास्ते से डाक्टर कोठारी और अन्सारी दोनों भाग गये। पीछे के गेट से निकल कर रवाना हो गये। जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी आये तब दो घंटे के बाद उस बच्चे की लाश को बाहर लाकर बच्चे के पिता को सुपुर्द किया। जो बच्चा एक माइनर आपरेशन के लिये गया था उसकी जब लाश बाहर आयी, उसके कारण से स्वाभाविक है कि अपने बच्चे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सका और आसपास के लोग जो आपरेशन के लिये आये थे, इस तरह की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हो गयी, वे भी क्षुब्ध हो गये। गांव के 100-200 आदमी इकट्ठे हो गये और डाक्टर के घर पर गये। वहां जाकर हल्ला मचाया, गालियां दीं। यह भी कुछ हद तक सत्य हो सकता है कि उनके साथ मारपीट भी की गयी है। वहां जब वे गये तो एक डाक्टर, दूसरे तो शहर छोड़कर ही भाग चुके थे, मंत्री महोदय के जाकर छुप गये। अध्यक्ष महोदय, होना तो यह चाहिए कि उसके पिता को सांत्वना दी जाती किन्तु जब वे रिपोर्ट लिखाने गये तो सबसे बड़ी बात जो मुझे कहनी है जिस बात पर मुझे एतराज है वह यह है कि उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गयी। डाक्टर को लेकर जो हमारे मंत्री महोदय के भाई गये तो उसके पिता के खिलाफ और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कराया। इस पर पिता ने दुखी होकर वकीलों की शरण ले करके रजिस्ट्री से एफ. आई. आर. दर्ज करायी। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से जिसका लड़का मर सकता है....

श्री अध्यक्ष : लम्बी चर्चा नहीं होगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, हो सकता है उन्होंने मारपीट की, मैं आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर इस व्यक्ति, जिसके बच्चे का मर्डर हो गया था, की एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई तो आपने उस थानेदार का क्या किया ? आप उस थानेदार के खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रहे हैं ? यदि दुखी व्यक्ति उस डाक्टर के यहां पर जाकर जिसकी गलती से उसका बच्चा मर जाता है उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो लूट का मुकदमा बनाया जाता है इस कारण से कि मंत्री महोदय का भाई उनके साथ थे, उनसे वे डरते हैं इसलिये मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन जिसका बच्चा मरा उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। इसके लिये उस थानेदार को निलम्बित किया जाय जिसने प्रेशर में आकर उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंगकुमार जैन। राजेन्द्र जनरल हास्पिटल, झालावाड़ के एक डाक्टर द्वारा ट्रेनिंग सेन्टर की एक नर्स के साथ बलात्कार का प्रयास करने के विषय में।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, खनिज): अध्यक्ष महोदय, मुझे अधिक कुछ नहीं कहना

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

है बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, तथ्यों की जानकारी करलें, मेरे भाई गये थे या नहीं गये थे। पुनः कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र जनरल हॉस्पिटल, झालावाड़ में आज जो वहां पर मुख्य चिकित्सक हैं × × ×....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। अंकित नहीं किया जाय। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। आप डाक्टर को नाम से सम्बोधित कर रहे हैं।

श्री अनंगकुमार जैन : ठीक है, नाम से नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जनरल हॉस्पिटल की बात है। वहां पर बलात्कार का प्रयास किया गया एक डाक्टर के द्वारा। उनके खिलाफ 20-2-82 को ट्रेनिंग में कार्यरत नर्स × × × ने एक रिपोर्ट....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। नाम किसी का नहीं आये।

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं यह रिपोर्ट में है।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे। तथ्यों को कह दीजिये। आर्डर, माननीय सदस्य। रिपोर्ट पढ़ते समय नामों से संबोधित नहीं करते हैं। उसकी घटना बता दें, बिना पूर्व सूचना के वह भी किसी निश्चित उद्देश्य से ही ऐसा कर सकते हैं। नाम लिया नहीं जायगा।

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज है।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा रिपोर्ट भले ही हो, आप तथ्यों के बारे में कह दें। नाम नहीं लेंगे, न किसी महिला का नाम लेंगे और न ही किसी डाक्टर का लेंगे। आप एक डाक्टर या एक नर्स, इस तरह से कह दीजिये।

श्री अनंगकुमार जैन : एक महिला के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है कि 28-12-81 को उसके साथ बलात्कार एक डाक्टर द्वारा करने की कोशिश की गयी उसकी रिपोर्ट उसने सी. एच एम. ओ., झालावाड़ को पेश की, लेकिन दो महीने तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब दो महीने तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और उसको डराया गया कि तुमको ट्रेनिंग से निकाल दिया जायगा और दूसरी नर्सों से कहा कि उसको समझाओ नहीं तो उसको सस्पेंड कर दूंगा। इस प्रकार से दो महीने तक कार्यवाही नहीं होने पर उसने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद वहां का एस. एच. ओ. इस नतीजे पर पहुंचा कि डाक्टर के खिलाफ बलात्कार

(श्री अनंगकुमार जैन)

के प्रयास का केस साबित हुआ। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, उस नर्स को परेशान किया। अध्यक्ष महोदय, यह एक निश्चित बात है कि यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस के अन्दर रिपोर्ट दर्ज कराता है, यदि वह तफतीश से सन्तुष्ट है तो दुबारा यह दरख्वास्त जाकर नहीं देगा कि मेरे इस मुकदमें की जांच किसी दूसरे व्यक्ति से करवाई जाय। उस नर्स पर दबाव डालकर एक एप्लीकेशन एस. पी. को दिलवायी गयी कि मैं इस इन्वेस्टीगेशन से सन्तुष्ट नहीं हूं इसलिए इस मुकदमे की जांच दुबारा करवाई जाय। अब जो तथ्य रिकार्ड पर आ चुके हैं, उस मामले को रफादफा करने की कोशिश की जा रही है। इन चिकित्सक महोदय का पिछले दो साल के अन्दर तीन बार झालावाड़ से ट्रान्सफर किया गया है, वहां के, अध्यक्ष महोदय, सारे पत्रकारों को चिकित्सक महोदय के गलत कारनामों से गलत इलाज करने से खतरा है। कई लोग उनके इलाज से मर गये हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां से डी. एम. एच. ओ. सैक्रेटेरियेट से एक डिप्टी डायरेक्टर चैकिंग के लिए भेजे गये। उन्होंने जांच में पाया कि यह चिकित्सक अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार करते हैं। उनका ट्रान्सफर किया गया, अध्यक्ष महोदय, लेकिन पांच दिन बाद में केन्सिल कर दिया गया। इस प्रकार के कारनामे चिकित्सक महोदय द्वारा किये जा रहे हैं। वहां आम जनता के अन्दर यह भावना है कि यह डाक्टर जब से हॉस्पिटल के अन्दर कार्यरत है लोगों का इलाज ठीक तरह से नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, इन चिकित्सक महोदय द्वारा कई कारनामे किये गये हैं। एक लेडी, जो पनवाड़ की थी, विमला कुमारी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर। किसी का भी नाम नहीं लेना है, माननीय सदस्य।

श्री अनंगकुमार जैन : पेशेंट थी, उसका क्या नाम नहीं लें, वह तो मर गयी, खतरे से मर गयी....

श्री अध्यक्ष : उसका ले लीजिए।

श्री अनंगकुमार जैन : उस विमला कुमारी का ब्लड ग्रुप ए था उसको बी ग्रुप का ब्लड दिया गया जिसके कारण उसका वहीं देहांत हो गया। इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अध्यक्ष महोदय, एक तीसरी औरत मांगीबाई झालावाड़ के अस्पताल में आकर भर्ती हुई। उसके टिकट पर लिखा था 'पेन एब्डोमन' और उसका ऑपरेशन कर दिया फैमिली प्लानिंग का। अध्यक्ष महोदय, जहां चिकित्सक महोदय द्वारा ऐसे कारनामे किये जाते हैं वहां जनता इनके खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ चुकी है, वहां के पत्रकार भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। मंत्री महोदय को वहां की जनता ने पत्र लिखा, पत्रकारों ने पत्र लिखा, मैंने भी मंत्री महोदय को कई बार अवगत कराया। इन चिकित्सक महोदय से झालावाड़ के अस्पताल को मौत घर मत बनाइये। झालावाड़ की जनता के ऊपर रहम करिये। जो कुछ करना है, अपना मंतव्य पूरा करना है तो जयपुर बुलाकर कर लीजिए

(श्री अनंगकुमार जैन)

लेकिन भगवान के नाम पर इस खूनी दरिंदे को झालावाड़ के अस्पताल से हटा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमने बार-बार आपके माध्यम से सदन में ध्यान आकर्षित किया, पूर्व में भी ध्यान आकर्षित किया था, इस डॉक्टर को यहां से हटाया जाय, इसके खिलाफ जांच करवाई जाय। वह डॉक्टर नहीं, खूनी दरिंदा है। झालावाड़ की जनता के साथ मौत का खिलवाड़ कर रहा है, कई लोग मर चुके हैं। जो मर जाते हैं उनको सूचित नहीं किया जाता है। झालावाड़ की जनता इस डॉक्टर के कारण काफी परेशान हो चुकी है। फैमिली प्लानिंग में 1979 में दो महिलाओं की मृत्यु इस डॉक्टर के ऑपरेशन से हुई....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अनंगकुमार जैन : मैं तो, अध्यक्ष महोदय, नाम नहीं ले रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, वहां लॉ एण्ड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, इस बात के ऊपर अगर सरकार कार्यवाही नहीं करेगी, झालावाड़ की जनता को सीधा हथियार लेना पड़ेगा, डॉक्टर की अंगुलियां काट दी जायेंगी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर।

श्री अनंगकुमार जैन : इसके ऑपरेशन से वहां के कई लोग मर चुके हैं। वहां की जनता इस बात पर आमादा है, राज्य सरकार इस बात को नहीं सोचेगी, मंत्री महोदय नहीं सोचेंगे तो जनता को सीधा एक्शन लेना पड़ेगा लेकिन इस डॉक्टर को झालावाड़ में नहीं रहने दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं, मुझे बहुत दुःख है, काफी लोगों की जानें जा चुकी हैं। यह डॉक्टर पिछले साल के अन्दर 11 बार ट्रान्सफर करवाकर झालावाड़ के अन्दर आया है। झालावाड़ से कोटपूतली, कोटपूतली से सीकर, सीकर से बारां, बारां से वापस झालावाड़....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री अनंगकुमार जैन : इसके पीछे, अध्यक्ष महोदय, रहस्य क्या है। मैं आपके माध्यम से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि....

श्री अध्यक्ष : यह बहुत अल्पकाल की चर्चा है, आपने काफी समय ले लिया। उस डॉक्टर की लम्बी चर्चा के विषय में....

श्री अनंगकुमार जैन : लम्बी कहां कर रहा हूं, जांच के बारे में कह रहा हूं। आज भी मेडिकल विभाग को....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। यदि आप चाहेंगे तो मेडिकल विभाग की मांगों पर....

श्री अनंगकुमार जैन : उस समय तो बहुत सारे डाकूमेंट्स हैं, उनको पेश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं....

श्री अनंगकुमार जैन : उस जांच में जिन लोगों ने बयान दिया, जिन चिकित्सा कर्मचारियों ने बयान दिया, उनका सी. एम. एच. ओ. ने 1-3-82 के आदेश से ट्रान्सफर कर दिया....

श्री अध्यक्ष : आपने एक डॉक्टर के विरुद्ध शिकायत बताई थी उस पर मैंने आपको अवसर दे दिया। आप इस सम्बन्ध में लम्बी चर्चा नहीं करें....

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें....

श्री अनंगकुमार जैन : जिनके 1-3-82 को ट्रान्सफर किये गये हैं, अध्यक्ष महोदय, उनको मैं सदन की मेज पर रख देता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के पटल पर नियमों के अनुसार रखे जाते हैं....

श्री अनंगकुमार जैन : मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय कम से कम जांच तो करायें।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं....सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : मैं तो एक मिनट....

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : मैं यह पूछना चाहती हूं कि माननीय सदस्य ने किस डॉक्टर की चर्चा की। वहां तो एक से अधिक डॉक्टर झालावाड़ में कार्यरत हैं, यह कौन से डॉक्टर की चर्चा करना चाहते हैं। स्पष्ट बोलें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे सारी डॉक्टर कम्युनिटी पर स्ट्रिक्चर आता है। ये किस डॉक्टर की बात करना चाहते हैं, एक व्यक्ति खराब होता है, उससे पूरे समाज की बदनामी होती है क्या यह उचित है?

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी जानते हैं उनको।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी गोलमोल बात है।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती विद्या पाठक : यह डॉक्टर्स के साथ अन्याय हो जायगा उनकी पूरी बिरादरी के साथ अन्याय हो जायगा। एक डॉक्टर की वजह से सारी डॉक्टर कम्युनिटी की बदनामी....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): जो एक खराब है, उसका नाम आ जाय, सबका नाम क्यों....

श्री अध्यक्ष : बालचन्द्र आर्यवीर। आर्डर माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, जिन डॉक्टर का माननीय अनंगकुमार जी ने नाम बताया, इस डॉक्टर ने

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

झालावाड़ के अस्पताल को ××× बना रखा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मैं एक बात कह रहा हूं, वहां के पत्रकार और जनता में बड़ा असंतोष है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चिकित्सा मंत्री जी ने ××× उनका ट्रान्सफर कैंसिल किया है, यह मेरा खुला आरोप है।

श्री सी एल. कंवरिया (मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): अध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाया जा रहा है।

(व्यवधान)

निराधार आरोप है।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : +++

श्री अनंगकुमार जैन : +++

श्री दीपेन्द्र सिंह : उसको एक्सपंज करवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री सी. एल. कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य ने यह आरोप मेरे ऊपर निराधार लगाये हैं। जहां तक आपने वहां के प्रकरण बताये हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है, इन्क्वायरी हो रही है। बलात्कार का मामला घटित होना मालूम नहीं होता फिर भी अगर किसी नर्स के साथ किसी भी प्रकार का कुछ किया होगा उसकी जानकारी की जा रही है, जांच हो जायगी।

श्री अनंगकुमार जैन : 5-5 बार ट्रान्सफर कैंसिल कैसे किया आपने ×××

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, कृपया बैठ जायं। आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। मैं अब इजाजत नहीं दूंगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

नियम 295 के अन्तर्गत उठाया गया प्रश्न
राजस्थान के तीन शिल्पी डवलपमेंट कमिश्नर हैण्डीक्राफ्ट्स द्वारा पुरस्कृत

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, 295 के तहत मैंने एक

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

+++ माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

प्रश्न आपके सामने रखा था, मैं चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : कौनसा प्रश्न था ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : शिल्प कमिश्नर ने राजस्थान के हैण्डीक्राफ्ट में, 15 व्यक्तियों में से ऑल इण्डिया में....

श्री अध्यक्ष : इसके विषय में पांच मिनट दिये जाते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल 16 मार्च को शिल्प कमिश्नर हैण्डीक्राफ्ट्स ने देश के विभिन्न हस्त शिल्पियों को पुरस्कार दिये हैं, जिसका वितरण महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने किया। हमारे प्रदेश का बड़ा सौभाग्य है कि इन 15 पुरस्कृत लोगों में तीन बन्धु राजस्थान के हैं। श्री रामनिवास सोनी, जो तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के निवासी हैं उनका जो परम्परागत क्राफ्ट सोने का काम रंग बिरंगें धातुओं पर करना है। इतना बहुमूल्य है इतनी चारों तरफ प्रसिद्धि है कि उनके परिवार के 6 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिताजी को मिला, 1956 में तीन चाचाओं को प्राप्त हुआ। एक उनके ब्रदर को प्राप्त हुआ और इस वक्त सौभाग्य से श्री रामनिवास सोनी उन 15 पुरस्कृत व्यक्तियों में से हैं जिनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार उन 15 व्यक्तियों में से नाथद्वारा के निवासी 85 वर्षीय श्री नरोत्तम नारायण शर्मा को पिछवाई पेन्टिंग के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 70 वर्षों से अनवरत रूप से उसी प्रकार का काम करते चले आ रहे हैं। ग्यारह मास उनको लगे उस पेन्टिंग बनाने में जिसके लिए कल के दिन महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने पुरस्कार दिया है। मोलेरा ग्राम के श्री खेमराज कुम्हार जो क्ले का काम करते हैं मिट्टी की देवी-देवता, भगवान के इस प्रकार के मॉडल बनाते हैं जिनकी प्रसिद्धि सारे देश में है। वे भी राजस्थान के निवासी हैं जिनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन तीनों लोगों से, जो 15 में से तीन हैं, राजस्थान गौरवशाली है। एक प्रकार का दृष्टिकोण उन्होंने बनाया। उनके जीवन परिचय को देखने के पश्चात् जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे, उनसे बात की तो वे इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस हैण्डीक्राफ्ट्स को ये डवलप कर रहे हैं जिसके लिये ये लोग प्रयत्नशील हैं, तीन पुरस्कार मिल गये, इनके पहले और लोगों को मिल गये, उनकी आर्थिक दृष्टि से इस प्रकार की स्थिति है जिसके कारण यह

(12 म० प०)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो हस्त शिल्प इनके हाथ में है इसके विकास में अवरोध पैदा हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मन्त्रीजी बिराजे हुए हैं उनसे कहना चाहता हू कि राजस्थान की धरती

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

पर इस प्रकार के शिल्प कलाकार हैं। 15 में से 3 हैं, एक बटा पांच की संख्या में हैं। टाइम्स आफ इण्डिया और हिन्दुस्तान टाइम्स में रिपोर्टिंग आई है, रामनिवास सोनी ने तो कहा है कि जिस प्रकार का काम हम करते हैं उसमें सामान बेचने के बाद जो कुछ धन हमें प्राप्त होता है वह इतना नहीं है जिसके कारण इस शिल्प को लगातार आगे बढ़ा सकें। इसी प्रकार की पिछवाई पेन्टिंग की स्थिति है। उन्होंने भी इस प्रकार की बात की। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जब राजस्थान को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो राज्य सरकार को भी आगे बढ़कर इस प्रकार की शिल्प, हस्त शिल्प का जो प्रयोग कलाकारों ने किया है, को पुरस्कृत करना चाहिये। अपनी ओर से ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये, उनके हाथ में जो कला है उस कला के विकास को राजस्थान में आगे बढ़ने का मौका मिले, चाहे वह प्रतापगढ़ का हो चाहे वह नाथद्वारा का हो, चाहे मोलेर ग्राम के लोग हों। तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूं कि अभी तक तो दृष्टिकोण यह रहा है कि महादेवी वर्मा थी, राजस्थान प्रदेश में उनका अनादर हो गया, उदयपुर की नगरी में उनकी पिटाई हो गई यह हमारे माथे पर जो कलंक लगा हुआ है उस कलंक को दूर करने का यह बहुत अच्छा तरीका है, राज्य सरकार को आगे आना चाहिये। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को कहना चाहता हूं जब कल इस प्रकार की बात हुई और तीनों व्यक्तियों के बारे में सारे अखबारों में बात छपी, निश्चित रूप से कुछ ऐसी बात कहें कि जिससे शिल्प कला को राजस्थान में प्रोत्साहन मिल सके, कलाकारों का जीवन यापन ठीक रूप से हो सके और शिल्प कला की भी प्रगति होती चली जाय। मैं आपके माध्यम से 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : मेरा एडजोर्नमेन्ट मोशन है, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

रीको के प्रतिवेदन का समय पर सदन पटल पर उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : आपको अनुमति दी आपने बोल लिया, आपको अनुमति नहीं है। उद्योग राज्य मंत्री, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 12वां प्रतिवेदन....

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : पेश्तर इसके कि राज्य मन्त्रीजी इस पत्रावली को रखें, मैं यह कहना चाहता हूं यह ऐसा डाकूमेन्ट है जो उद्योगों की डिमाण्ड के पहले पेश होना चाहिये। राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन का प्रतिवेदन आज यह पेश कर रहे हैं जबकि डिमाण्ड तो कल हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि क्या सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिये इस बात पर कि राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कारपोरेशन का 12वां प्रतिवेदन उद्योगों की

(श्री राजबहादुर) :

डिमाण्ड के पहले आना चाहिये या बाद में आयेगा। A day after the fair.

श्री उपाध्यक्ष : आपकी समझ में कोई रूल है ?

श्री राजबहादुर : औचित्य की बात कह रहा हूं। As a right, as a member, I can claim it.

सुश्री पुष्पा जैन : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय राजबहादुरजी ने जो बात कही·······

श्री उपाध्यक्ष : कोई कानून बताते।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जब उद्योगों पर बहस हो रही थी और माननीय सदस्य सारे उद्योगों के विषय विचार में प्रकट करना चाहते थे उससे पहले उद्योग से सम्बन्ध रखने वाले सारे प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत होने चाहिए थे। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, कल भी यही स्थिति हुई। आप राज्य सरकार को ताड़ना दें कि आगे जो आने वाली डिमाण्ड्स हैं उनसे सम्बन्धित इस प्रकार के जो डाकूमेण्ट्स हैं वह डिमाण्ड से पहले सदन की मेज पर रख दिये जायं ताकि सदस्य महोदय ठीक प्रकार से चर्चा कर सकें। यही मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

आप व्यवस्था दीजिये, क्या राज्य सरकार को··· ····

श्री उपाध्यक्ष : यह उनके डिस्क्रिशन पर है।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : यह अनुचित बात हो रही है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सुश्री पुष्पा जैन : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। जब एडजोर्नमेन्ट मोशन पर व्यवस्था दी जा रही थी, आसन की तरफ से मेरा नाम दो बार पुकारा गया था।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर क्या है आपका ?

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : पाइन्ट आफ आर्डर। हाउस में पान तो खा सकते हैं, पान खाते हुए बोल नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये, आप आसन के लिये कुछ नहीं कह सकते।

श्री महाराम चौधरी : मैंने आसन के लिए नहीं कहा और भी बैठे खा रहे हैं।

(व्यवधान)

मैंने आपका नाम नहीं लिया, दूसरे सदस्यों के लिये·······

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय सदस्य, टाइम हो रहा है।

श्री राजबहादुर : मैं उपाध्यक्ष महोदय के लिये नहीं कह रहा हूं, लेकिन पान खाना या कोई चीज खाना हाउस में वर्जित है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : तो मैं निवेदन कर रही थी कि इसमें मेरा प्रस्ताव था वह रद्द कर दिया। मैंने इसी पर बोलना ठीक समझा था, तो मुझे बोलने का मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : तो इसमें पाइंट आफ आर्डर कहां है ?

(व्यवधान)

मैं निरस्त करता हूं।

सुश्री पुष्पा जैन : कोई कारण तो बताइये ...

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या को बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय ने इसके बारे में व्यवस्था दी थी....

श्री उपाध्यक्ष : पुष्पा जैन को टाइम देने के लिये मुझे कहा गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यही तो मैं आपसे कह रही थी।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, अब तो आपको यकीन हो गया कि मैं कभी गलत नहीं कहती। उपाध्यक्ष महोदय, 14-3-82 को एन. डी. सी. की मीटिंग में केन्द्र सरकार ने राज्य के मुख्य मंत्रियों को निर्देश दिया कि बिना केन्द्र की अनुमति के राज्य कर्मचारियों के वेतन नहीं बढ़ायें जायें। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के संविधान में राज्य सरकारों को जो अधिकार दिये हुए हैं उनका प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार अपने आप में सुप्रीम है। राज्य सरकार के तदर्थ अधिकारों में केन्द्र सरकार तो क्या कोई भी इन्टरफियर नहीं कर सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संदर्भ में आर्टिकल 154 का हवाला थोड़ा पढ़कर देना चाहूंगी :

"The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution."

संविधान के द्वारा तदर्थ अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वह अपनी शक्ति से, अफसर से या किसी से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, लेकिन केन्द्र सरकार कोई नहीं होती कि वह राज्य सरकार को यह निर्देश दे कि कर्मचारियों के वेतन बढ़ाये जायं या नहीं बढ़ाये जायं। इस संदर्भ में आर्टिकल 152 का भी हवाला देना मुनासिब समझूंगी :

"Subject to the provisions of this Constitution; The executive

(सुश्री पुष्पा जैन)

power of a State shall extend to the matters with respect to which the Legislature of the State has power to make laws :"

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के द्वारा राज्य के कानून होते हैं वह हम सब बनाते हैं या सदन बनाता है या सरकार बनाती है। जिन कानूनों को हम बनाते हैं उनके मुतल्लिक कोई दूसरा हमें निर्देश नहीं दे सकता। हां, एक सूरत ऐसी हो सकती है कि केन्द्र सरकार हमें निर्देश दे सकती है, उपाध्यक्ष महोदय, वह सूरत है फाइनेंस इमर्जेंसी यदि डिक्लेयर हुई हो तो। मैं पूछना चाहूंगी मुख्य मन्त्रजी से क्या इस राज्य में फाइनेंस इमर्जेंसी डिक्लेयर हुई है ? यह दूसरी बात है कि आज राज्य में जो हालात हैं उसमें निश्चित तौर से हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम फाइनेंस इमर्जेन्सी की मांग करें या नहीं करें। लेकिन, मुख्य मन्त्री जी, आज तक राज्य में अभी मौजूदा हालात में कोई फाइनेन्स इमर्जेन्सी डिक्लेयर नही हुई है। फाइनेन्स इमर्जेन्सी डिक्लेयर नहीं हुई तो उस सूरत में केन्द्र सरकार हमें यह निर्देश दे कि राज्य के कर्मचारियों के वेतन बढ़ायें जायं या नहीं बढ़ाये जायं ? उनसे पूछ कर बढ़ाये जायं ! तो इसका हक किसी को नहीं मिल सकता। अगर यह हक हम दे देंगे तो यह होगा कि ××× उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की जो नीतियां हैं उनसे मंहगाई बढ़ती है। आज रेल भाड़ा बढ़ गया कोयले के दाम बढ़ गये, शक्कर, टाट, सीमेंट, पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर, लोहा इन सबकी आज प्राइसेज क्या हो गयीं ? फिर राजस्थान में पैसेंजर भाड़ा बढ़ा दिया। तो ऐसी सूरत में, उपाध्यक्ष महोदय, जहां हम यह उम्मीद करें कि राज्य कर्मचारियों पर एक तरफ तो भार बढ़ाया जाय उनके वेतन बढ़ाने की तरफ हम ध्यान न दें और दूसरी तरफ केन्द्र सरकार यह पाबन्दी लगा दे कि यदि उनके वेतन बढ़ाये जायेंगे तो उसकी अनुमति से बढ़ाये जायेंगे, यह किसी सूरत में उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस राज्य सरकार पर आरोप लगाना चाहूंगी कि बेरी कमीशन की सिफारिशों को इसीलिये लागू नहीं किया जा रहा है कि हमने केन्द्र सरकार के समक्ष घुटने टेक दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के हालात को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि आज की सूरत में हमें बेरी कमीशन की सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार करना होगा। इसलिये मैं यह कहना मुनासिब समझूंगी कि, मुख्यमंत्री जी, आपने कल ही इस सदन में कहा था कि आज आप बेरी कमीशन पर स्टेटमेंट देंगे, लेकिन आज जब मैंने सूची देखी तो मुझे खेद हुआ, आप कहकर मुकर जाते हैं, आपके स्टेटमेंट का कोई हवाला नहीं था। आपने राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य देने का हवाला दिया है लेकिन बेरी कमीशन का नहीं। तो मैं पूछना चाहूंगी आखिर इस सबके मायने क्या है ? क्या बेरी कमीशन....

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : आपको सोचना चाहिये, दोनों मिले जुले क्वेश्चन हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं यही कह रही हूं यह एक दूसरे पर आधारित हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मुख्य मंत्री जी से यह स्पष्ट कराना चाहूंगी कि क्या राजस्थान में कोई फाइनेंस इमर्जेंसी डिक्लेयर हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों वह अन-डिक्लेयर्ड फाइनेंस इमर्जेंसी मानकर चल रहे हैं जिसके तहत हम केन्द्र सरकार के निर्देश मान रहे हैं ? यदि नहीं, तो मुख्य मंत्री जी स्पष्ट करें।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, उद्योग): मैं, कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा (3) का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 1980-81 सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचना

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरेन्द्रसिंह भाटी, राज्य मंत्री, उपनिवेशन राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्य मंत्री, उपनिवेशन) : मैं, राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 19(26) रेव/कोल/80, दिनांक 8 जून, 1981 जिसके द्वारा चम्बल परियोजना क्षेत्र के उप खण्ड अधिकारियों को जिलाधीश के कृत्य करने संबंधी अधिकार दिये गये हैं।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 19(26) राज./उप./80, दिनांक 8 जून, 1981 जिसके द्वारा मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं के सिंचित क्षेत्रों के उप खण्ड अधिकारियों को जिलाधीश के कृत्य करने संबंधी अधिकार दिये गये हैं।

(3) अधिसूचना संख्या प. 19 (26) राज./उप./80, दिनांक 12 फरवरी, 1981 जिसके द्वारा चम्बल नहर परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्रों के उपखण्ड अधिकारियों को जिलाधीश के कृत्य करने संबंधी अधिकार दिये गये हैं।

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 19(26) राज./उप./80, दिनांक 8 जून, 1981 जिसके द्वारा जवाई परियोजना क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारियों को जिलाधीश के कृत्य करने संबंधी अधिकार दिये गये हैं।

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 14 (3) राज./उप./80, दिनांक 25 अगस्त, 1981 जिसके द्वारा उपनिवेशन तहसीलदार नियुक्त नहीं हैं, राजस्व तहसीलदारों को जिलाधीश के कृत्य करने संबंधी अधिकारी दिये गये हैं।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

(6) अधिसूचना संख्या प. 4 (7) राज./उप./80, दिनांक 12 मार्च, 1981 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा तथा राजस्थान नहर परियोजना) क्षेत्र की मण्डियों में भूमि का विक्रय तथा आवंटन शर्तें, 1973 में संशोधन किये गये हैं।

(7) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (29) राज./उप./79, दिनांक 12 मार्च, 1981 जिसके द्वारा नायब तहसीलदार मण्डी विकास समिति, बीकानेर को जिलाधीश के कृत्य करने संबंधी अधिकार दिये गये हैं।

(8) अधिसूचना संख्या प. 4 (29) राज./उप./79, दिनांक 12 मार्च, 1981 जिसके द्वारा अतिरिक्त सचिव मण्डी विकास समिति बीकानेर को जिलाधीश के कृत्य करने संबंधी अधिकार दिये गये हैं।

(9) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (12) राज./उप./75, दिनांक, 28 जनवरी, 1981 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि का स्थायी आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किये गये हैं।

(10) अधिसूचना संख्या प. 4(12) राज./उप./75, दिनांक 28 जनवरी, 1981 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं।

(11) अधिसूचना संख्या एफ. 4(12) राज./उप./75, दिनांक 4 फरवरी, 1981 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनायें, सरकारी भूमियों का आवंटन) नियम, 1968 में संशोधन किये गये हैं।

(12) अधिसूचना संख्या एफ. 4(12) राज./उप./75, दिनांक 11 मार्च, 1981 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1957 में संशोधन किये गये हैं।

(13) अधिसूचना संख्या एफ. 4(10) रेव./कोल./75, भाग-1, दिनांक 3 अगस्त, 1981 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं।

समिति का प्रतिवेदन

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का तृतीय प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल देवपुरा सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1981-82 का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा (सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, 1981-82 का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

78

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरण जी माथुर, मुख्य मंत्री राज्य के विभिन्न भागों में नव विवाहिता महिलाओं की मृत्यु के संबंध में वक्तव्य देंगे । इस विषय पर ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, इससे पूर्व कि मैं इस वक्तव्य को पढ़ूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी को वक्तव्य देना था 18 मार्च से राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के मामले में, उसको पहले लिया जाय ।

(व्यवधान)

शासकीय वक्तव्य

राज्य कर्मचारियों द्वारा 18 मार्च, 1982 से आम हड़ताल की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जायें, वही आ रहा है ।

श्री शिवचरण जी माथुर निम्नांकित विषय पर वक्तव्य देंगे । आगामी 18 मार्च, 1982 से राज्य कर्मचारियों द्वारा आम हड़ताल किये जाने की घोषणा ।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह भली-भांति विदित है कि प्रदेश को अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जो लगातार चार वर्षों से बुरी तरह अकाल पड़ा, पिछले वर्ष की भयंकर बाढ़ से उत्पन्न परेशानियों से प्रदेश जूझ रहा है, दूसरी ओर जनता की विशेषकर कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु तथा सुदृढ़ इन्फास्ट्रक्चर बनाने के लिये अनेक विकास कार्यक्रम हाथ में लिये जा रहे हैं । ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर इसलिये प्रयास करें कि अपना प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर हो और इसमें अपना-अपना योगदान दें, इस प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिये राज्य कर्मचारियों का ही दायित्व है । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य कर्मचारियों ने, जो प्रशासन का अभिन्न अंग है और जिनसे हमारे सदैव सौजन्यतापूर्ण संबंध रहे हैं, प्रदेश की उन्नति की परवाह किये बिना आम जनता की सुविधा को नजरदांज करते हुए हड़ताल पर जाने का विचार किया है । मेरा हमेशा से यह प्रयास रहा है कि कर्मचारियों की वाजिब मांगों पर यथासंभव कार्यवाही की जाय । जब-जब कर्मचारी प्रतिनिधि मुझसे मिलने आये, मैंने उनसे उनकी बातों को ध्यान से सुना है और राज्य सरकार के उपलब्ध साधनों के अनुसार जितनी राहत दी जा सकती थी, देने की चेष्टा की है । कर्मचारियों को अंतरिम राहत तथा डी. ए.

(1.31 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

की 5 किश्तों का भुगतान किया जा चुका है जिससे राज्य सरकार पर लगभग 53 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार वर्ष 1981-82 में पड़ा है ।

माननीय सदस्य यह अच्छी तरह से

(श्री शिवचरण माथुर)

जानते हैं कि सरकार अपने कर्मचारियों को यथासंभव सुविधायें देने के लिए सदा तत्पर रही है तथा कई सुविधायें तो कर्मचारियों की मांग के बिना ही घोषित की हैं। इन सारी सुविधाओं का पूर्ण आधार राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ही मूल रूप में हो सकता है। यदि कोई ऐसी स्थिति उपस्थित हो कि इन सुविधाओं के कारण राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो तो उस परिस्थिति पर गंभीरता से विचार कर निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। यदि यह नहीं किया जाता है तो उसका सीधा प्रभाव यह होता है कि या तो सरकार अभिअपेक्षित विकास की गति को धीमा करे या जनता पर अप्रत्याशित करों का भार डाले। माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि ये दोनों विकल्प राजस्थान की जनता और प्रदेश के व्यापक हित के विरुद्ध होंगे। यह कदम प्रदेश को आगे बढ़ाने के बजाय काफी पीछे ले जायगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों ने राज्य के वृहत्तर हितों को नजरदांज करते हुये कर्मचारियों को उनके कर्त्तव्य का भान कराने के बजाय उन्हें उकसाने तथा गलत राह अपनाने हेतु प्रेरित करना ज्यादा उपयुक्त समझा है। जहां तक कर्मचारियों के वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का संबंध है, मैं माननीय सदस्यों को पे कमीशन की सिफारिशों के वित्तीय भार का भी अंदाजा देना चाहूंगा। पे कमीशन की सिफारिशों के आधार पर एरियर्स तथा नियमित रूप से दी जाने वाली राशि का भार लगभग 82 करोड़ रुपये होता है। इसमें 4 डी.ए. जिनकी घोषणा भारत सरकार ने हाल ही में की है वह जोड़ा जाय तो मार्च, 1983 तक 44 करोड़ रुपये का और भार पड़ता है। इस प्रकार मार्च, 1983 तक इन मदों का अतिरिक्त भार कम से कम 126 करोड़ रुपये बनता है। निगमों एवं बोर्ड इत्यादि में कार्यरत कर्मचारियों को इसी प्रकार दी जाने वाली सुविधा का वित्तीय भार इसके अतिरिक्त होगा। माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि जो वित्तीय स्थिति राज्य सरकार की है उसके अनुसार चालू वित्त वर्ष के अंत में 340 करोड़ का घाटा रहने का अनुमान है। हमने निश्चय किया है कि अगले वर्ष इस घाटे में कोई बढ़ोतरी न हो और उसको ध्यान में रखकर प्रशासनिक खर्चे में कमी करके व जनता के कुछ वर्गों पर वर्ष 1982-83 में 48 करोड़ का अतिरिक्त भार डाला गया।

श्रीमन्, मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि कर्मचारियों को राहत देने हेतु हमारी पार्टी की सरकार ने ही वर्ष 1976 में कर्मचारियों के वेतनमानों में व्यापक संशोधन किये थे। इन संशोधनों को किये हुये तीन वर्ष हुये थे कि जनता सरकार ने समस्या के व्यावहारिक पक्ष को समझने के बजाय वेतन आयोग गठित करने का निर्णय लिया। आम तौर पर वेतनमानों में संशोधन पर्याप्त समय के उपरांत ही किया जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार ने 1970 में वेतन आयोग का गठन किया था, 12 वर्ष के उपरांत भी दूसरे वेतन

(श्री शिवचरण माथुर)

आयोग को गठित करना केन्द्रीय स्तर पर उचित नहीं समझा गया है। राज्य सरकार निश्चित फार्मूले के अनुसार डी. ए. की किश्तें देती आ रही हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेने से पहले उपरोक्त स्थिति व अन्य संबंधित पहलुओं का परीक्षण कर उन पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है।

श्रीमन्, मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के साथ सदैव मधुर संबंध बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील तथा उनकी समस्याओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपना कर उनका यथासंभव हल निकालने के लिये उत्सुक है। परन्तु यह भी निर्विवाद सत्य है कि उत्पन्न समस्या के सभी पहलुओं का इस दृष्टि से अध्ययन किये बिना कि राजस्थान के विकास पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा केवल हड़ताल या आंदोलन के कारण कोई निर्णय लेना प्रदेश के व्यापक हितों के प्रतिकूल होगा। मैं कर्मचारियों से यह अपील करना चाहूंगा कि वे जनता के प्रति अपने कर्त्तव्य को समझें, प्रदेश की जनता को असुविधा में न डालें तथा प्रदेश के विकास की गति को अवरुद्ध न करें। प्रदेश की उन्नति में, जनता को राहत देने में उनका भी भला है, और प्रदेश का भी। मुझे आशा है कर्मचारीगण अपना उत्तरदायित्व समझेंगे और टकराव की नीति को त्याग देंगे।

श्रीमन्, कर्मचारीगण को मैं यह भी आश्वासन देना चाहूंगा कि राज्य सरकार उनकी कठिनाइयों को समझने और यथा संभव उन्हें दूर करने हेतु प्रयत्नशील भी है लेकिन राज्य सरकार किसी भी प्रकार के आंदोलन और धमकी से अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में पीछे नहीं हटेगी। मैं आशा करता हूं कि राज्य कर्मचारी बन्धु, मेरी सद्भावना से प्रेरित अपील पर गम्भीरता से विचार करेंगे और ऐसा कोई कदम नहीं उठायेंगे जिससे प्रदेश की जनता को परेशानी हो। साथ ही मैं राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ऐसे सख्त कदम उठायेगी जिससे संभावित हड़ताल के कारण उन्हें कोई कष्ट न हो और प्रशासन का काम सुचारू रूप से चलता रहे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के समय माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने सरकारी कर्मचारियों को उपदेश दे दिया और वक्तव्य देते समय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सदन के नेता महोदय ने धमकी भी प्रचुर मात्रा में दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बात का शुक्रगुजार हूं माननीय नेता महोदय का कि आज 7 महीने बाद उस वेतन आयोग के विषय में कुछ रुख अपना उन्होंने प्रकट किया है। जो रुख सम्पूर्णतः बंधी बंधाई तनख्वाह वालों के पेट पर बहुत बड़ा आघात है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति से सुनें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया। आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य। कृपया शांति रखें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 3।। लाख कर्मचारी और उनके परिवारों के 16 लाख लोग....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे न बोलें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सदन के नेता ने अपने वक्तव्य में राज्य की वित्तीय स्थिति को जोड़ने का प्रयत्न किया है....

श्री चन्दनमल बैद : तो किससे जोड़ेंगे?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दो कारण उन्होंने बताये अपने वक्तव्य में कि राज्य की वित्तीय स्थिति इस प्रकार की क्यों हो गई। दूसरा कारण है, जो अनाप-शनाप खर्चे लगातार इस प्रकार के किये जा रहे हैं उन पर निश्चित रूप से रोक लगाने की बड़ी आवश्यकता है, राज्य सरकार उसमें असफल रही है। चाहे टेलीफोन का खर्चा हो और चाहे और किसी प्रकार का खर्चा हो।

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से व्यवधान करेंगे, जब सदन के नेता महोदय बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। आप इन लोगों को शान्त करिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि दो कारण उपस्थित करके एक बहुत अच्छी दिशा दे दी है उन्होंने कि जो 340 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट और घाटा है उसको बढ़ने नहीं दिया जायगा। इसका मतलब यह है, आप यह चाहते हैं कि ओवर ड्राफ्ट और घाटे को लगातार वित्त मन्त्री जी और सदन के नेता इस प्रदेश में बनाये रखें। केन्द्र की तरफ से दूसरी लताड़ आती रहेगी। प्रदेश के विकास के लिये, आयोजना के लिये, जो निधि प्रदेश के लिये दी जाती है उसमें ऐसी स्थिति न बन जाय कि हमें कटौती करनी पड़े। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के दो या ढाई करोड़ या पौने तीन करोड़ लोग हैं उनमें किसान हैं, मजदूर हैं, और वे लोग हैं जो कि बन्धी बंधाई तनख्वाह से अपना पेट पालते हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप उनसे बातचीत करते, आप उनको बातचीत करने के लिये बुलाते और अगर आप बातचीत करने का रास्ता खोलते तो यह हड़ताल की स्थिति आज सात महीने के बाद में बनी, वह नहीं बनती। कुछ बात उनकी सुनी जाती, कुछ बात आप अपनी कहते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक बार टेबल पर बैठ कर सरकार उनसे बातचीत करती, टेबल पर बैठ कर तरीके से प्रयत्न किये जाते लेकिन ऐसी कोशिश नहीं की

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

गयी और जब जब भी कोशिश की गई तो हमारे वित्त मन्त्री जी इस बात के लिये बड़े कुशल हैं जो कि लोगों को धौंस से डरा-धमका कर बात करते हैं। लेकिन सोचने समझने की कोई प्रक्रिया नहीं रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि साढ़े तीन लाख लोग हैं, साढ़े तीन लाख कर्मचारियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाय। यह आप जो व्यवहार कर रहे हैं यह उचित नहीं है। दूसरा, केन्द्रीय सरकार आपको निर्देश दे रही है। हमारे यहां पर फेडरल गवर्नमेन्ट है और फेडरल गवर्नमेन्ट होने के नाते इस प्रकार के सुझाव नहीं हैं। यहां पर सदन के नेता कहते हैं वह सुझाव नहीं हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान ही नहीं बल्कि सभी प्रदेशों में अपने सूबेदार बैठा रही है, जिसमें राजस्थान भी एक है। आप डवलपमेन्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं। अगर आप नहीं माने तो आपको कहीं गद्दी छोड़ कर नहीं जाना पड़ जाय। मैं कहना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी से और सदन के नेता महोदय से कि आज जो स्थिति बनी है वह सात महीने के बाद हड़ताल की स्थिति बनी है। आपने सभी प्रजातान्त्रिक प्रणाली, प्रक्रिया को धीरे धीरे समाप्त करना प्रारम्भ कर दिया। अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी जैसा आपने × × × वक्तव्य दिया उसमें आपने पहले बड़ी-बड़ी चर्चायें कीं, लेकिन उसके सन्दर्भ में आपने पेट पर पट्टी बान्धने वाले लोगों के लिये चर्चा नहीं की। आप कह रहे हैं कि हम भड़का रहे हैं। हम नहीं भड़का रहे हैं, आप उनको भड़का रहे हैं। भड़काने की प्रक्रिया तो आप, सदन के नेता महोदय, कर रहे हैं। आपने कहा कि हमारे मधुर सम्बन्ध रहे हैं, हमारे साथ मधुर सम्बन्ध हैं। इसके लिये तो आपने सात महीनों में जो स्थिति उत्पन्न की है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से कि राजस्थान के प्रदेश को उस आन्दोलन की भट्टी में मत झोंकिये। आज भी समय है। अभी सायंकाल का समय है। सायंकाल के पहले ही आप कुछ करें। लेकिन केवल आपने अपने वक्तव्य में अपने अनावश्यक खर्चों, फिजूल खर्चों की बात की। आप उनको कम करने की कोई प्रक्रिया नहीं अपना रहे हैं। एक तरफ तो आप विकास को अवरुद्ध करने जा रहे हैं, विकास अवरुद्ध करने की प्रक्रिया की जा रही है। यह सरकार सब बातों को पुरानी सरकार, तत्कालीन सरकार के माथे मढ़ने जा रही है। हम तो पूछना चाहते हैं कि आप आखिर कितने साल तक लेकर बैठे रहेंगे, कब तक टहलाते रहेंगे, कितने वर्षों तक टहलायेंगे ? एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि कर्मचारी विरोधी इस प्रकार का वक्तव्य, उनको इस प्रकार लगातार उकसाने वाली बात है, उनको लगातार आन्दोलन में मत झोंकिये। यह बात गलत है। आप × × × बातचीत को बुलाइये। जो निश्चित मुद्दे हैं मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूं। कई ऐसे मुद्दे हैं, कुछ फाइनेंशियल मुद्दे हैं, कुछ नान-फाइनेन्शियल मुद्दे हैं जिसमें कि आप उनको राहत दे सकते हैं। आज प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति बन जाय, आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, विद्यार्थियों की 18 तारीख से परीक्षायें हैं। दूसरे, आप राजस्थान विधान सभा में कानून

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

ले आये, आवश्यक सेवाओं का कानून आपने पारित करा लिया। आपने सोचा, अच्छा मौका मिला है आपको लाठियां चलाने का, अश्रु गैस छुड़वाने का। इस प्रकार की स्थिति आप उत्पन्न करना चाहते हैं। आप सारे विद्यार्थियों के जीवन, जन-जीवन को भट्टी में झोंकना चाहते हैं। कृपा करके रहम कीजिये। आज ही आपको चाहिये कि आप उनको बुलाकर बातचीत करें। सद्भावना से बैठ कर बातचीत करनी चाहिए और इस प्रकार की स्थिति बने कि यह हड़ताल हो रही है वह किसी तरह नहीं हो। बस, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री राज बहादुर।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। इस वक्तव्य पर मैं हर दल से एक एक या दो दो माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा। जिनका दल बड़ा होगा उनके दो तीन सदस्यों से अधिक को बोलने का अवसर नहीं दूंगा। लेकिन माननीय सदस्य ध्यान रखें कि दो चार मिनट से ज्यादा का समय बोलने में नहीं लें और अपनी बात पूरी करें।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : इनसे तो हमारा दल बड़ा है राजस्थान स्तर पर।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : हमारा तो इन्टरनेशनल दल है।

श्री अध्यक्ष : यह सबसे बड़ा दल है।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि कुछ आंकड़े देकर मुख्य मन्त्रीजी, जो कि सदन के नेता भी हैं, ने कहा कि भार पड़ेगा। भार जो कि वेरी कमीशन की वजह से 82 करोड़ रुपये और 44 करोड़ रुपये डी० ए० देने पर पड़ेगा, इस प्रकार कुल मिलाकर 126 करोड़ रुपये का भार कुल पड़ेगा, निस्संदेह यह बहुत बड़ा भार है। इसमें कोई सन्देह नहीं कर सकता है और इससे इन्कार भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यहां पर जो अपील की और कहा कि सरकार की टकराव की नीति नहीं है। जब आप अपील करते है और अपील कराते हैं तो हमें अपना मानस बनाना चाहिये कि हम टकराव की नीति नहीं अपनायें। आखिरकार यह कर्मचारी कौन हैं? They are flash of our flash and blood of our blood. वह सारे एक ही हैं। अब, इनमें जब एक हैं तो टकराव कहां है? सब एक ही तो हैं तब........

श्री अध्यक्ष : सब एक ही हैं तब तो सरकार के पास पैसा रहे या चाहे कर्मचारियों के पास पैसा रहे, इसमें क्या फर्क है?

श्री राजबहादुर : एक तो है, मैं....

(व्यवधान)

(श्री राजबहादुर)

लेकिन मेरी बात सुनिये। एक बात है, उनको उनकी आवश्यकतानुसार नहीं मिलता, उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती। है और दूसरा वर्ग कहता है कि उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती है, उनकी तो आज निश्चित रूप से आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, यह बात निश्चित है। एक तरफ तो आप टकराव की नीति अपना रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि हड़ताल नहीं हो। लेकिन मैं यहां पर आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने अपने कर्मचारियों को फौरन चार डी० ए० एक साथ दे दिये और जो पैसा पी० एफ० में डाला है वह कैश है उसका विथड्राअल हो सकता है। इतना बड़ा कन्सेशन केन्द्रीय सरकार दे सकती है, वह इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिये किया है उन्होंने। आज आप अकड़ सकते हैं क्योंकि आपके पास कुछ है, आपके पास शक्ति है, आपके पास अधिकार हैं। after all the Government is an organised machinery. आपके पास आर्गेनाइजेशन है, आपके पास पुलिस है और दूसरे स्रोत हैं। आप उनको दबा सकते हैं। मुझे याद आती है एक वक्त की बात, आप मुझे क्षमा करेंगे ऐसा ही एक मौका मेरे सामने आया था। उन दिनों में पी. एण्ड टी. की हड़ताल हो रही थी, उस समय पण्डितजी प्रधान मन्त्री थे। तब पंडित जी मुझे कहने लगे कि अगर आप सख्ती से हड़ताल को दबा भी लोगे तो क्या उन लोगों का उसके बाद में मूड रह जायगा। यही बात मुझे उस समय जो, हमारे सैक्रेटरी थे श्री बी० एन० झा, जो कि आई. सी. एस. थे, ने भी कही कि अगर आप सख्ती से इन लोगों को दबा लोगे तो उन लोगों का बाद में मूड क्या होगा। क्या आप उनसे बेस्ट कोआपरेशन ले सकते हैं ? क्या उन अधिकारियों और ऐसे कर्मचारियों से बेस्ट कोआपरेशन ले सकेंगे ? अगर आप कुछ देने की स्थिति में नहीं हैं तो आप उनको कहते कि, भाइयों समझो।

श्री अध्यक्ष : तो उस समय आपने आखिरकार क्या किया ?

श्री राजबहादुर : मैंने उस समय उनकी बात मानी। जो पण्डितजी ने कहा था, उनकी बात मानी और मैंने सोचा और समझा, जो कुछ भी कर सकता था वह किया। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अगर आप यह कह रहे हैं कि यह धमकी नहीं है, तो यह बात गलत है। आप उनको निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप उनको समझाते तो बात अलग थी। यह बात तो समझ में आती है कि प्रेक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्राब्लम्स होती हैं। लेकिन आप इसको प्रेक्टिकल में-वे सारी सिचुएशन को फेस करना चाहते हैं तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, जैसा कि आपने फर्माया, ज्यादा नहीं बोलना है, तो ज्यादा बात नहीं कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि शाम तक का समय है, आप इमीजियेटली अभी क्या करना चाहते हैं, क्या रिलीफ देना चाहते हैं। आप इधर अकड़े बैठे रहें और उधर वह अकड़ कर बैठे रहें तो आप जो जनता को राहत देने की बात कहते हैं वह राहत नहीं दे पायेंगे। आपका यह आश्वासन थोथा ही

(श्री राजबहादुर)

रहेगा, यह मैं आपको आगाह कर रहा हूं। आप जितना चाहें, सख्ती से कदम उठायें। हो सकता है आप कुछ लोगों को जेल भेज सकते हैं, कुछ लोगों को सस्पेन्ड कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपने जो रुख अपनाया है इसमें मुझे माफ कीजिये कोई प्रेक्टिकल बात नहीं लगती है। मुझे प्रेक्टिकल नहीं लगा, मैं आपको बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, सरकार के हित में कहता हूं, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कृपया आप रुख को नरम कीजिये, सहानुभूति के साथ आप सोचे। यह तो वह बात हुई कि जो ग्लोवफिस्ट वाली बात है जो आप मखमल में लेकर घूंसा दिखा रहे हैं इससे कोई आपका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपके पास नहीं है तो साफ साफ बता दीजिये कि हम इतना दे सकते हैं इतना नहीं दे सकते हैं। आखिर बात तो यह है कि जब आपको पता था कि वेरी कमीशन बैठा हुआ है, उसका भार इतना रुपया पड़ेगा तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिये था। आपको सोच विचार करके बजट में प्रोविजन्स करने चाहिये थे। सैन्ट्रल बजट में क्या होता है? यही होता है सैन्ट्रल बजट में कि पहले उसका प्रोविजन किया जाता है। इसलिये आपको भी समय रहते हुए इस पर विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह, मैं अवसर दे दूंगा। उतावले न हों, माननीय सदस्य,

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार के अपने दिवालियेपन का चित्रण मुख्य मंत्री जी ने अभी यहां प्रस्तुत किया और उनके कितने खतरनाक इरादे हैं इस तरह के मामलों में उसका भी उन्होंने चित्रण किया। अध्यक्ष महोदय जो असेन्शियल सर्विसेज एक्ट के मार्फत काम करने वालों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर और कर्मचारियों के ऊपर तलवार चलाई जा रही है उसको असल में मुख्य मंत्री जी के हाथ में तो क्या स्वयं इंदिरा गांधी के हाथ में रोक पाने की ताकत सम्भवतः नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान को जो आई० एम० एफ० के लोन के मार्फत गिरवी रख दिया है यह उसका नतीजा सामने आ रहा है। उसकी जो शर्त है उनके अनुसार इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति हो नहीं सकती कि आपके बजट प्रोविजन दूसरे देशों में जायें। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कभी हुई नहीं और इससे ज्यादा होने वाली नहीं है। तो यह उसका परिणाम सामने आ रहा है। वह मानते हैं, कैपिटलिस्ट थ्योरी मानती है कि हड़तालों से प्रोडक्शन गिरता है। हम भी मानते हैं कि हड़तालों से प्रोडक्शन गिरता है और विकास में अवरोध होता है। वह मजदूर अपनी अपनी मेहनत करके, अपने शरीर को पिघला कर उत्पादन करें, उत्पादन करने वाला भूखा मरे और सदियों से जिसने एक सुई इधर से उधर उठाकर नहीं रखी है वह विलासिता का जीवन बसर करे और गुलछर्रे उड़ाये, यह अपमानजनक स्थिति पैदा हुई है, अध्यक्ष महोदय। महंगाई भत्ता, पे बढ़ाने का मामला है, सरकार की नीतियों का ही यह परिणाम है कि महंगाई बढ़ती है। पहले आपने चित्रण पेश किया कि इतना बजट में घाटा है, इतना ओवरड्राफ्ट है इसलिए हम महंगाई भत्ता नहीं दे

(श्री यदुनाथ सिंह)

पायेंगे। आप इंदिरा गांधी जी, केन्द्रीय सरकार बजाय 5800 करोड़ रुपयों का शर्मनाक लोन बाहर के देशों से ले के अपने संसाधनों को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते थे, खाद्यान्न व अन्य सामान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते थे और जो हमारी इन्टरनेशनल कन्सर्न हैं, कारर्पोरेशन हैं उनमें जो पैसा लगा हुआ है उससे कहीं दुगनी और तिगुनी मात्रा में देश से बाहर जो पैसा ले जाया जाता है उसके ऊपर किसी प्रकार से रोक लगाई जा सकती तो इस तरह की आज स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी व्यापारियों के विरुद्ध कानून बनाकर गुर्राती जरूर हैं, गुर्राहट जरूर करती हैं लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के कानून भी ईजाद करती जाती हैं जिससे और भी ज्यादा उनको भ्रष्टाचार बढ़ाने और ब्लेक मनी बनाने का मौका मिलता है। दुहरी पालिसी है, अध्यक्ष महोदय। एक तरफ काम करने वाले छोटे कर्मचारी, छोटे मजदूर को भूखा मरने पर मजबूर होना पड़ रहा है, दिनों दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है, उसके चौके का काम बन्द होने वाला है, बच्चे पढ़ नहीं सकते और दूसरी तरफ आप खर्च की बात करते हैं राजस्थान में। आप बड़े-बड़े नये-नये पद सृजित करते जा रहे हैं ऊंची-ऊंची शृंखला में। डाइरेक्टर जनरल हो गए यहां पर पुलिस के। पांच-पांच और छ-छ तो आई० जी० हो गये। यहां पर आई० ए० एस० की संख्या बढ़ रही है। बड़े अधिकारियों के लिए तो आपके पास पैसा उपलब्ध है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह इनके हाथ में, शिवचरण जी के हाथ में नहीं है। यह वहां से आदेश आये हैं। यह हिन्दुस्तान के संविधान की अवहेलना की जा रही है। संविधान का जो फेडरल स्वरूप था कि राज्य अपने कार्यों को करने में सक्षम होंगे और स्वतन्त्र होंगे उस स्वरूप को तोड़ा जा रहा है........

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य। विषय से हट रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि राज्य सरकार को कोई आदेश दे कि राज्य सरकार अपना शासन किस प्रकार से चलाये। इसका मतलब यह हुआ कि देश की प्रधान मन्त्री वहां हैं और यहां मुख्य मन्त्री जी हैं। क्या मुख्य मन्त्री यहां सिर्फ तहसीलदार की हैसियत से बैठने के लिए बनाये गये हैं? तो यहां की सरकार अपने काम स्वयं करे। केन्द्रीय सरकार को निर्देश देने की आवश्यकता नहीं थी कि राज्य सरकार किस प्रकार काम करे।

अध्यक्ष महोदय, जो हमारे ऊपर एक शर्मनाक लोन है उसकी परिणति है, उसकी अभी तो शुरूआत है कि वेतन जाम हुआ है, हड़तालों पर रोक लगी है। अध्यक्ष महोदय, महंगाई बढ़ाने के लिए तो सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। तो इसका सरकार के पास क्या जवाब है? आपकी नीतियों के रहते महंगाई बढ़ती है। आप महंगाई मत बढ़ाइये, वह कोई महंगाई भत्ता नहीं मांगेंगे। बढ़ा हुआ वह वेतन नहीं मांगने

(श्री यदुनाथ सिंह)

वाले हैं। तो आपकी नीतियों के कारण ही यह हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब से यह मामला सदन में आया तब मुख्य मन्त्री जी ने जो कहा उसमें कहीं पर यह जिक्र नहीं किया कि आपकी कर्मचारियों से इस बीच में कोई बात हुई या नहीं? अगर हुई तो आपको क्या लगता है कि यह हड़ताल टल सकेगी या नहीं? आपने इसका कोई जिक्र नहीं किया है........

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : आज अखबारों में पढ़ने को मिला और रात को रेडियो पर भी सुना कि आपने आर्डिनेन्स जारी कर दिया। लोगों को आप बन्द कीजिए। बन्द करने से लोगों की आत्मा नहीं मरेगी। यह चन्द्रशेखर आजाद और भगत सिंह और महात्मा गांधी का देश है। यहां डरने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने देश को आजाद कराया था अब दुबारा × × × से करने की कोशिशकी जा रही है। इस × × × को कभी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, अध्यक्ष महोदय, इसको आप किसी तरह कीजिए, हर स्तर पर इसका विरोध होगा। विधान सभा में विरोध हुआ, गलियों में होगा, सड़कों पर होगा और हर स्तर पर विरोध होगा। हिन्दुस्तान के आदमी की आजादी को और उसके मेहनत के हक को छीनने की कोशिश की गयी तो यहां पर बहुत बड़ा विद्रोह होने की सम्भावना है, अध्यक्ष महोदय।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : वैद्य श्री भैंरूलाल भारद्वाज।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो प्रान्त की वित्तीय स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। विरोधी दल के माननीय मित्रों ने जो दलील दी वह महज इसलिए दी कि उनके पास, उनकी पार्टी के पास कोई रचनात्मक कार्यक्रम अब बचा नहीं है। इसलिए कोई भी असन्तुष्ट वर्ग जो अपनी मांग उठाकर बाजार में आता है, विरोधी दल का मात्र एक सहारा वह बेचारे असन्तुष्ट लोग हैं जिनके भरोसे पर यह अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। मैं इन मित्रों से एक प्रश्न करूं तो बेजा नहीं है। मैं इनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों के मतों के आधार पर आप इस सीट पर विराजमान हो रहे हैं उस आम आदमी, आम मतदाता जिसने आप जैसे लोगों पर गलती से विश्वास करके यहां भेजा है, उनमें 48 प्रतिशत व्यक्ति 2 रुपया रोज से भी कम पाकर गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जी रहे हैं। इसके बावजूद उन 48 प्रतिशत लोगों का आपको कोई ध्यान नहीं रहा इसलिए कि असल में उन 48 प्रतिशत की भावनाओं को उभार कर या पूंजीवादी लोगों के पैसे के बल पर आप किन्ही निराशाजनक स्थितियों में चुन कर आ जाते हैं। उन साधनों के बल पर चुनकर आते हैं, उन मतदाताओं को आप भड़का कर उनकी छिपी हुई भावनाओं को उजागर कर, अपने साधनों के जोर पर मत प्राप्त करके यहां

(श्री यदुनाथ सिंह)

आते हैं, परन्तु यहां आते ही कलई खुल जाती है। यहां आते ही यह मालूम होता है कि कौन मतदाता के प्रति वफादार है। जो अपने बनाने वालों के प्रति वफादार नहीं है वह किस के प्रति वफादार होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दिल्ली दरबार के प्रति।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि अपने क्षेत्रों में यह अपने मतदाताओं की एक आम सभा आयोजित करें इस प्रश्न पर क्या इस मसले को उस आम सभा से हल कराने की हिम्मत है कि जो आदमी इस हिन्दुस्तान का मालिक है........

एक माननीय सदस्य : यह उत्तेजनात्मक भाषण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : चरमराइये मत। घबराइये मत। नब्ज पर हाथ रखते ही, दुखती रग पर हाथ रखते ही घबराइये नहीं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं........

श्री अनंगकुमार जैन : ××× की तरह मत बोलिये।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, बाधा न डालें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जिन लोगों के लिए आप चुने गये हैं और जो इस देश के मालिक हैं उनकी स्थिति को थोड़ा देखिये। आम किसान और मजदूर रात-दिन मेहनत करता-करता भी प्याज रोटी और कभी-कभी जरूरत पड़ती है तो अपने घर की सब्जी से रोटी खा पाता है। वह मालिक है और सरकार नौकर।

(व्यवधान)

आप किस नौकर की बात कर रहे हैं? उस मालिक की स्थिति यह है और उसके एक साधारण नौकर, औरों को जाने दीजिए, को क्या वेतन और भत्ते सरकार ने दे रखे हैं। क्या यह हिन्दुस्तान कुछ लोगों के लिए है? क्या संगठित लोगों के प्रयास से असंगठित लोगों के हकों पर कुठाराघात होता रहेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पर्सेन्ट संगठित लोगों के जरिये इस देश के बाकी लोगों को झुकाने के लिए, बाकी लोगों की कमर तोड़ने के लिए, टैक्स बढ़ा कर उनको राजी करने के लिए और कुछ प्रेस को राजी करने के लिए जो सुझाव विरोधी दल की ओर से दिये जा रहे हैं यह बिलकुल आम लोगों के हक में नहीं हैं। इसलिए मान्य नहीं हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो बहुत से पढ़े.... ...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : लिखे लोग नौकरी की तलाश में बैठे हैं। वह× ×× चाहते हैं कि इन नाकारा लोगों की छुट्टी करें। वह××× पढ़े-लिखे नौजवान बाट देख रहे हैं। यदुनाथसिंहजी कह रहे थे कि इनके नेता राजस्व मंत्री की हैसियत से यू० पी० में पचास हजार पटवारियों की छुट्टी करके जब नये नौकर सामने लाये थे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों तक यू० पी० में किसी तरह का शोर-शराबा नहीं हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासक की यह ड्यूटी है, मुख्य मंत्रीजी को यह बताना चाहता हूं कि वह उन आम लोगों के लिए चुने गये हैं।

(व्यवधान)

किन्हीं संगठित दबावों के कारण कमजोर न पड़ जायं। उन संगठित दबावों के कारण वित्तीय स्थिति को इधर-उधर न कर जायं, इसलिये मैं इन विरोधी लोगों से यह कहता हूं कि उनको उकसा कर प्रान्तीय सरकार के कार्य में····

(व्यवधान)

व्यवधान डालने की कोशिश मत कीजिये। अपनी राजनीति को नौकरों के भरोसे चलाने की कोशिश मत कीजिये····

(व्यवधान)

और रचनात्मक रूप से सरकार को सहयोग दीजिये·······

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(व्यवधान)

सुविधा प्राप्त एक विशेष वर्ग जो हिन्दुस्तान में क्रियेट हो गया है सर्विसेज में उस विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग को समझाने की कोशिश कीजिये। आप जिन मालिकों के नौकर हैं उन मालिकों की तरफ तो देखो। गांवों में एक कहावत है : "नानी के सिर पर तो लूगड़ी नहीं और दोहिती वेस मांगने आ गई।" हमेशा पेन्ट कोट पहनने वाले, तीन सब्जियों से रोटी खाने वाले घर पर रेडियो और टेलीविजन रखने वाले, नौकर उस गरीब मालिक से और पैसे बढ़वाने की कोशिश करते हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अधिक समय न लेता हुआ यही कहूंगा कि इस सस्ती लोकप्रियता से बचने की कोशिश कीजिये और राजस्थान को रचनात्मक सहयोग दीजिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हर कोई जानता है और हम भी महसूस करते हैं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है लेकिन इसके साथ ही इसका जिम्मेदार कौन है, यह कभी सरकार ने महसूस नहीं किया। पूंजीवादी व्यवस्था के रास्ते पर चलते रहे और कभी भी समाजवादी रास्ते को नहीं अपनाया इसलिये यह संकट बढ़ गया है और यह संकट बढ़ता जा रहा है। इससे घबराकर

(श्री मेघराज तावड़)

हिन्दुस्तान की सरकार ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के इशारे पर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा जो विचारणीय विषय है, उसी पर बोलें।

श्री मेघराज तावड़ : उसी बात को कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। उन्हीं के इशारे पर आवश्यक सेवा नियम बनाकर आज राजस्थान के कर्मचारियों और हिन्दुस्तान के राजनेताओं को एक दमनकारी नीति अपनाकर, एक काला कानून बनाकर कन्ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उनका दमन करके सरकार ने जो राज करने की नीति अपनाई है वह कभी भी सफल नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, होना यह चाहिये था कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये आपके पास राजस्थान में जो संसाधन है, उनको काम में लेते। आपके यहां टैक्स की चोरी हो रही है। सत्ता में बैठे ट्रेजरी बैन्चेज के लोगों ने लाखों-लाखों के घोटाले किये हैं, बड़े-बड़े लोगों ने बिजली की चोरियां की हैं, बड़े बड़े लोगों में जो टैक्स बकाया है उसको लेते तो राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद मिल सकती थी लेकिन ऐसा नहीं किया। आज जो बड़ी बड़ी खानों की रायल्टी बकाया है उसको वसूल करते। अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, सरकार इस बात को भी जानती है। अध्यक्ष महोदय, आप दे क्या रहे हैं उनको ? माननीय भारद्वाज जी कह रहे थे 56 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे है, आज उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं और ××× कहते हैं वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। बड़े बड़े टाटा और बिड़ला के पास जो काला धन पड़ा है क्या सरकार में उस काले धन को निकालने की हिम्मत है ? नहीं है। केवल उस गरीब, चाहे वह मजदूर हो, चाहे, राज्य कर्मचारी हो, पर तुम्हारी तलवार चलेगी। उस पर तलवार चलाकर कहेंगे कि इस सरकार की मदद करो। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहता आज राज्य कर्मचारियों की मदद लेकर प्रशासन को अच्छी तरह चलाना चाहते हैं, प्रान्त में शांति चाहते हैं तो पहले इनसे बात करनी पड़ेगी, इनकी कुछ मांगें मन्जूर करनी पड़ेगी। फिर आपने पांच साल तक बेरी आयोग को क्यों चलाया, उस पर कितना खर्चा पड़ा ? यह खर्चा पड़ने के बाद भी एक लम्बे अर्से तक बेरी आयोग की रिपोर्ट को दबाये रखा। जब आज बेरी आयोग की रिपोर्ट 7 महीने पूर्व सामने आई तो आपको उसकी पहले स्टडी करके राज्य कर्मचारियों को कान्फिडेन्स में लेना चाहिये था, उनसे बात करनी चाहिये थी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, एक तरफ उन्होंने ऐलान कर दिया हड़ताल का और कल से 18 तारीख से विद्यार्थियों की परीक्षा है लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने उनको सहानुभूति का एक भी वर्ड नहीं कहा।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री मेघराज तावड़ : लेकिन टकराव की स्थिति को कहा तो यह साफ है कि सरकार दमन की नीति पर आना चाहती है, लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहता हूं, टाड जैसे लोग ही बच नहीं पाये, अच्छे अच्छे राजा महाराजा××× भी मिट्टी में मिल गये तो आप अपनी दमन की नीति के सहारे राज्य कर्मचारियों को दबा लेंगे और प्रशासन चला लेंगे, यह सम्भव नहीं है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हू केवल इन्दिरा गांधी के इशारे पर नहीं चले, आप अपने विवेक को काम में लीजिये और जो कुछ दे सकते हैं, उनको देने की कोशिश कीजिये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : अगर आपका यही रवैया रहा और टकराव की नीति अपनाई और आपने धमकी दे दी तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रान्त में अव्यवस्था फैलेगी और इसमें केवल राज्य कर्मचारी ही नहीं, मजदूर भी आपसे संघर्ष करेगा। महंगाई पर कन्ट्रोल रखिये। हमें नहीं चाहिये महंगाई भत्ता, हमें नहीं चाहिये वेतन बढ़ोतरी, हमें और दूसरी सुविधायें नहीं चाहिये। आप महंगाई पर रोक लगाइये। आप कहीं न कहीं एक बात तो करिये या तो महंगाई रोकें या फिर महंगाई भत्ता दें। राज्य कर्मचारी के पास है क्या ? फिर वह चोरी करेगा और दो नम्बर का पैसा आयेगा, चोरी करेगा, बदमाशी करेगा रिश्वत लेगा इसलिये....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं आपने जो टकराव की नीति तय कर रखी है और जो आपने सोच लिया है उसमें कामयाब नहीं होंगे। आपकी कुर्सी भी खतरे में है अगर टकराव में आये तो। मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले आप उनसे बात करिये, विचार करिये और कोई आपसी समझौते के हल निकालने की कोशिश कीजिये। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की वित्तीय स्थिति बताई और उस वित्तीय स्थिति को देखते हुए राज्य कर्मचारियों को सुविधा देने में मजबूरी बताई। यह सही है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति खराब है लेकिन फिर भी आपको कर्मचारियों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। आप उनको बुलाकर अपने घर में अपनी स्थिति को समझावें क्योंकि आपके कर्मचारी हैं। आप उनको सारी वित्तीय स्थिति समझाइये, उनको घर में समझाइये और उनकी जो स्थिति है....

श्री अध्यक्ष : यह जनता का घर है, जहां अपन बैठे हैं।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री मोहनलाल मोदी : उसे समझकर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुलायें और जो भी स्थिति हो उसको समझ कर इस समस्या का कोई न कोई निर्णय निकालें, लेकिन सुविधा तो आपको देनी पड़ेगी। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ जाने से उनकी परिस्थितियों को भी देखना पड़ेगा। आज आपका 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट हुआ, यह आपकी किन्हीं परिस्थितियों के कारण ही तो हुआ है इसलिये उनकी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए कुछ दीजिये। एक ऐसी स्थिति कर दीजिये कि रोजाना की जो चीजें हैं वह उनको सस्ती रेट पर उपलब्ध हो जायें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि हड़ताल की स्थिति आई तो इससे आम जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी और आपका प्रशासन ठप्प हो जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन यही करना है कि कर्मचारी नेताओं को बुलाकर कुछ न कुछ सुविधायें देकर इसको सही ढंग से हल कीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं विरोध पक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये से बहुत क्षुब्ध हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से यह अनुभव करता हूं कि राजस्थान प्रदेश के लिए क्या नजरिया है इनके दिमाग में। एम्पलाइज को स्ट्राइक के लिए इन्साइट करने के लिए ये तैयार हैं। डबल एज्ड वेपन की तरह, या तो एम्पलाइज की मांगें कन्सीड करो और मांगें कन्सीड करो तो टैक्स लगाओ। दूसरी जगह विकास रोक दो तो उधर गवर्नमेंट की बदनामी हो और इधर कर्मचारी एर्जीटेट करें। गवर्नमेंट ने काश्तकारों के ऊपर फ्लैट रेट बढ़ायी, उसका भी क्रिटिसिज्म, कर्मचारियों के भत्ते न दे तो उसका भी क्रिटिसिज्म कि साहब भत्ता देना जरूरी है। वेरी कमीशन की डिमाण्ड को मानना जरूरी है। स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के ऊपर कर बढ़ाया तो उसका भी क्रिटिसिज्म। आखिर मैं समझना चाहता हूं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति से कौन अवगत नहीं है ? आज की स्थिति में इस सदन के लिए जिम्मेदार हम हैं और हमसे ज्यादा आप हैं जनता पार्टी वाले जिम्मेदार हैं जिसने ट्रान्जीशनल पीरियड के अन्दर जो हालत बनायी है, उसका परिणाम आज हमको भुगतना पड़ रहा है। ये विषय दूसरा है, बहस का मुद्दा यह है, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं निश्चित रूप से कि आज जो बजट सरकार ने पेश किया है, आज जो राजस्थान की फाइनेन्शियल पोजीशन है, उसके अन्दर जो गवर्नमेंट ने स्टैण्ड लिया है, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि वह अनपापूलर स्टैण्ड है। इसलिए अनपोपूलर स्टैण्ड है कि आप वेस्टेड इण्ट्रेस्ट्स के लिए या अपने खुद के इन्ट्रेस्ट के लिए सोचते हैं। अगर कर्मचारी समझेंगे हमको भत्ता नहीं मिला, तो वे भी कहेंगे कि हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे। चन्द बड़े किसान हैं, वे भी खिलाफ बोलेंगे, साहब, हमारी फ्लैट रेट बढ़ा दी, इर्रीगेशन रेट्स बढ़ा दीं। इण्डस्ट्रीज के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन जो राजस्थान के हित में सोचता होगा, जो आदमी जागरुक होगा, जो राजस्थान की वित्तीय स्थिति से

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

निकालने की कोशिश करेगा, राजस्थान के हित में अच्छा सोचता होगा और उस तरह की भावना रखता होगा, वह समझेगा कि इससे बढ़िया कोई बजट नहीं हो सकता, इससे बढ़िया कोई गवर्नमेंट स्टैण्ड नहीं ले सकती। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, यह मजबूत स्टैण्ड गवर्नमेंट ने लिया है। अध्यक्ष महोदय, यह विशियस सर्किल है। आप कहेंगे, साहब, महंगाई रोक दीजिए, महंगाई रुकेगी नहीं जब भत्ते बढ़ायेंगे, बेरी कमीशन रिपोर्ट को इम्पलीमेंट करवायेंगे, तनख्वाह बढ़ायेंगे तो इन्फलेशन तो होगा ही, वही आज होता है। ज्यों ज्यों ज्यादा भत्ता देंगे, ज्यादा तनख्वाह देंगे, आप बढ़ाते जाइये....

श्री अध्यक्ष : महंगाई घटाना शुरू करें तो शायद महंगाई नहीं घटे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह पोसिबल नहीं है प्रैक्टिकली।

श्री महाराम चौधरी : इनका तो कहना है मुंह में राम बगल में छुरी। नहीं तो पूछ लो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह विशियस सर्किल है। यह अपन महसूस करते हैं फाइनेन्शियल इमर्जेंसी तो लगानी पड़ेगी। अगर आज गवर्नमैन्ट यह स्टैण्ड ले रही है—

श्री यदुनाथ सिंह : बधाई है आपको, आज पहली बार किसी सरकार ने माना है कि—

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्शियल इमर्जेंसी नहीं लगानी पड़े उसके लिए गवर्नमैन्ट ने स्टैण्ड लिया है। उस स्टैण्ड को डाइवर्ट करके चले तो फाइनेन्शियल इमर्जेंसी निश्चित रूप से लगानी पड़ेगी। जिस तरह से जनता पार्टी वाले लोग या विरोध पक्ष के लोग चलाना चाहते हैं सरकार को, राजस्थान को अगर उस तरह से राजस्थान को चलाया गया तो फाइनेन्शियल इमर्जेंसी लगानी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार चल रही है और जो स्टैण्ड हमारी गवर्नमैन्ट लेकर चल रही है, वह इसी कोशिश में चल रही है कि किसी तरह से राजस्थान को वित्तीय संकट से निकाला जावे और कोई फाइनेन्शियल इमर्जेंसी लगाने की नौबत नहीं आये। मैं एक बात बहुत नम्रतापूर्वक लेकिन बहुत दृढ़तापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, कर्मचारियों से बातचीत की, आज बार-बार बातचीत की जाती है, यह स्पष्ट बात है कि चाहे वे यूनिवर्सिटी के एम्पलाइज हों, चाहे गवर्नमैन्ट के एम्पलाइज हों, चाहे और पब्लिक अण्डरटेकिंग के एम्पलाइज हों, उन्होंने हड़ताल का एक बहुत बड़ा माध्यम तलाश कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, अगर ठण्डे दिमाग से कोई भी मांग पत्र देखें, उनके जो मांग पत्र होते हैं, अभी तो बेरी कमीशन को उठाया, मांग पत्र में 90 पर्सेन्ट मांगें तो ऐसी होती हैं जो गैरवाजिब होती हैं, जो खुद मानते हैं कि गैरवाजिब मांगें हैं। एक लम्बा चौड़ा मांग पत्र बना कर हड़ताल के ऊपर चले जाते हैं। हड़ताल पर जाने से पहले यह भी तय नहीं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

होता कि प्रतिनिधि कौन है। हड़ताल होती है तो मैं तो आपको, अध्यक्ष महोदय, सदन को इस बात का स्मरण दिलाना चाहता हूं कि स्वर्गीय बरकतुल्ला खां राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, 1968 में कर्मचारियों ने अनुचित मांगों को लेकर हड़ताल की थी और वह हड़ताल चलकर फिजिल आउट हो गयी। उन्होंने दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया। मैं तो मुख्य मंत्री की इस बात के लिए सराहना करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने दृढ़तापूर्व कह दिया है कि अगर हड़ताल का रास्ता अपनाया तो वह बिल्कुल ठीक नहीं है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने अपील भी की है। मुख्य मंत्री की एक जिम्मेदारी होती है राजस्थान को चलाने की। उनकी अपील है, और मैं समझता हूं, जो आब्जेक्शन किये हैं इस हाउस के अन्दर, यह जनता का हाउस है, जनता से इलेक्टेड लोग यहां बैठते हैं, इसलिए यहां चीफ मिनिस्टर कोई अपील करता है तो मैं समझता हूं सबसे बड़ी अपील है। जब चीफ मिनिस्टर कहता है कि कर्मचारियों को, हमारे एम्पलाइज को राजस्थान की वित्तीय स्थिति को समझना चाहिए तो उन्होंने जो अपील की है, उसको समझ कर कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। मैं समझता हूं, यह बहुत बढ़िया अपील है और उनको इस अपील को मानना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है इनका वेस्टेड, इन्ट्रेस्ट है, अपोजीशन तो इस बात में इन्ट्रेस्टेड है कि एम्पलाइज को किस तरह से गवर्नमेन्ट से भिड़ाया जाय, किस तरह राजस्थान का लॉ एण्ड आर्डर खराब किया जाय, राजस्थान में फाइनेन्शियल पोजीशन खराब की जाय लेकिन कर्मचारियों को उनकी राह पर नहीं चलना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप किस बात में इन्ट्रेस्टेड हो ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : कर्मचारियों को उनके हाथ में कभी नहीं खेलना चाहिए। कर्मचारियों को अपने हितों के लिए आगाह रहना चाहिए। उनका हित इसी में है कि जो इस प्रदेश का हित होगा, इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति अगर अच्छी होगी तो कोई भी सरकार, खास तौर से चुनी हुई सरकार प्रजातन्त्र के अन्दर कोई ऐसा दृष्टिकोण अपना कर नहीं चल सकती। जब सरकार का बजट मुनाफे में चलता हो, सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी हो तो कर्मचारियों को सुविधा देने की बात होगी तो सुविधा देगी, कोई भी सरकार हो, उसे आगे होकर देगी। लेकिन हर चीज की सीमा होती है। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारियों को इस अपील को समझना चाहिए। मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज की तारीख में गवर्नमेन्ट ने स्टैण्ड लिया है और जो रुख अख्तियार किया है, उसके ऊपर फर्म रहना चाहिए और बिल्कुल इसको फर्मली डील विथ करना चाहिए और जो भी करे इस हड़ताल का मुकाबला करना चाहिए। मैं इसको कतई खराब नहीं मानता कि आवश्यक सेवा अधिनियम बनायें या लागू किया जाय, जो कुछ भी किया जाय। चन्द

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कर्मचारी मिल करके, चन्द बी. जे. पी. के लोगों के कहने से राजस्थान के प्रशासन का काम ठप्प कर दें और राजस्थान का काम ठप्प कर दें, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने उम्मीद तो यह की थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी कर्मचारियों की हड़ताल के संदर्भ में कोई नयी बात कह कर प्रदेश में आये हुए संकट को टालने का प्रयास करेंगे। हम यह मानकर चलते थे कि 18 तारीख को राजस्थान के विद्यार्थियों की परीक्षा होने जा रही है। मुख्य मंत्रीजी उन नौजवान बच्चों के भविष्य के बारे में सोच कर प्रदेश में जो संकट आने वाला है, उसको टालने का प्रयास करेंगे लेकिन मैं समझ पाया हू वक्तव्य सुनने के बाद कि मुख्य मंत्रीजी का लगाव उन मासूम बच्चों से नहीं है, मुख्य मंत्रीजी का लगाव इससे है कि सिंहासन को बरकरार कैसे रखा जाय। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, जब आप मात्र विधायक थे और कुर्सी पर माननीय पहाड़िया जी बैठे हुए थे, यह मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि आप किसी भ्रम में नहीं रहें, आपके पैरों के नीचे कितनी धरती है, इस भ्रम में आप मत रहे, जिस समय जयपुर में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, प्रभाकरजी सफाई मंत्री थे और कर्मचारियों ने कहा था कि तीन दिन में हमारी मांगें मान लो अन्यथा राजस्थान में सफाई कार्य ठप्प हो जायेगा और यही हुआ। तीन दिन तक हड़ताल चली, सरकार ने कह दिया, काम नहीं तो पैसा नहीं, हमने कहा कि पैसा नहीं तो काम नहीं। किन्तु हुआ यह कि आपकी सरकार ने सफाई कर्मचारियों के सामने 31 दिन में जाकर × × × उनकी सारी मांगें माननी पड़ीं। आज उसका लाभ उनको क्या मिला, मैं मुख्य मंत्रीजी पहाड़ियाजी और प्रभाकरजी का बहुत शुक्रगुजार हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने सारे कर्मचारी संगठनों को एक जगह लाकर बैठाने का प्रयास किया। इसके लिए आप मुबारक के पात्र हैं। मैं प्रभाकरजी और पहाड़िया जी को बधाई इसलिये दूंगा कि राजस्थान के अन्दर सफाई कर्मचारियों का कोई संगठन नहीं था, राजस्थान में हड़ताल होने के बाद उनका संगठन बन गया संघर्ष के द्वारा। तो मैं उनका शुक्रगुजार हू और आपका भी इसलिए कि राजस्थान के कर्मचारी संगठन हमेशा अपनी-अपनी शक्ति को लेकर चलते रहे, बंटे हुए थे, कोई शेखावत गुट है, कोई सनाढ्य गुट है, कोई पारीक गुट है, जाने कौन कौन से गुट थे लेकिन आज आपकी मेहरबानी से, आपकी विशेष कृपा से सारे कर्मचारी संगठन एक जगह बैठ गये और आज वे आपके गले का फन्दा बन गये। इसलिए आपको इसके लिए तो धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संकट से बचना नहीं चाहते हैं—

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री गोपाल पचेरवाल : संक्षेप में ही तो बोल रहा हूं। मैं तो बहुत ही कम बोलता हूं। आपका एक ही तो बहुत ही आज्ञाकारी सदस्य हूं।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ आप चाहते हैं कि देश में अशान्ति न फैले, प्रदेश में किसी तरह गड़बड़ न हो दूसरी तरफ आपने किसान को नहीं बख्शा। माननीय मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री ने जो बजट द्वारा किसान के गले पर फन्दा डाला है, आपने टैक्स बढ़ा दिये, आपने गरीब को क्या लाभ दिया। बजट में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी है। कर्मचारियों को मुख्य मंत्री ने कह दिया कि हम सख्ती करेंगे। माननीय वित्त मंत्रीजी कर्मचारियों को कहते हैं कि कर्मचारियों को अपनी कार्य क्षमता को तेज करना पड़ेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी, कर्मचारी तो अपनी क्षमता को बढ़ायेंगे या नहीं बढ़ायेंगे लेकिन आप अपनी क्षमता को बढ़ाइये। आपके जो खर्चे हैं, जो आपके मंत्री ढाई-ढाई हजार रुपया महीना भत्ता उठाते हैं उसमें आप कटौती क्यों नहीं करते ? मैं आपको प्रस्ताव करता हूं कि विधायकों के टी. ए. डी. ए. में कमी कर दीजिए। आपके मंत्री जो यात्रा भत्ते में ढाई-ढाई हजार रुपये के बिल उठाते हैं उसमें कटौती कर दीजिए। आपके जो आई. ए. एस. आफिसर ऐश करते हैं, जिनको कार बंगला आदि सुविधायें दे रखी हैं उनमें कटौती कर दीजिए, अपने खर्चे में आप कटौती कीजिए। कर्मचारी रात दिन आठ घण्टे ड्यूटी देता है, अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों की आप क्या ड्यूटी लगाते हैं ? मलेरिया की एक गोली देनी है तो अध्यापक देगा, वोटर लिस्ट के लिए आपका अध्यापक आएगा, आपके परिवार नियोजन के केस लाने के लिए अध्यापक जाएगा। तो अध्यापक से आप सब तरह के काम लेते हैं। बाबू से आप कितनी तरह का काम लेते हैं ? बाबू जब अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो आप उनसे निपटने की बात करते हो। मुख्य मंत्रीजी, बरकत साहब भी नहीं निपट पाये थे और पहाड़ियाजी भी जयपुर के सफाई कर्मचारियों से नहीं निपट पाये थे तो आप अपने भ्रम को दूर कर लो। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसके बजाय यह करते कि हमारे खर्चों में कटौती करते। आप तनख्वाहें कम कर दीजिए। मैं कहता हूं कि आप कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती कर दीजिए, चाहे उसके भत्तों में कटौती कर दीजिए लेकिन आप निःशुल्क शिक्षा की गारण्टी कर दीजिए, आप हर कर्मचारी के लिए आवास की व्यवस्था कर दीजिए। आप कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता, जो अपनी ड्यूटी बजाते हैं, की व्यवस्था कर दीजिए। वह तो आप करना चाहते नहीं, आप उनको अधिकार देना नहीं चाहते और जब मजदूर अपनी आवाज उठायेगा तो आप फिर उसका गला घोटने की बात करेंगे। मुख्य मंत्रीजी, इन्दिरा गांधी ने भी 1974-75 में हिन्दुस्तान के सारे नेताओं को बन्द किया था। क्या अंजाम हुआ था, पता है आपको ? और बरकत साहब ने भी किया था उसका अंजाम भी आपको पता है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह

(श्री गोपाल पचेरवाल)

निवेदन करना चाहता हूं कि आप कर्मचारियों को बुला कर बात कीजिए और कहिये कि आपकी क्या समस्यायें हैं। मेरे विचार में यह है, यह मैं आपको देता हूं, फिर बैठ कर बात करेंगे, आपको निपटायेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कल हड़ताल होगी तो इसमें खर्चा नहीं लगेगा आपका ? अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटी बुद्धि की बात है, आप तो मुख्य मंत्री हो प्रदेश के। कल हजारों पुलिस के सिपाही आप लगाओगे, हजारों कर्मचारियों को आप गिरफ्तार करोगे, हजारों कर्मचारियों को आप मौत के घाट उतारोगे, लाठी चला-चला कर बन्दूकें चला-चला कर। आप जो जेलों में जायेंगे उनको खाना खिलायेंगे, आप पुलिस को यात्रा भत्ता देंगे। आपकी सारी मशीनरी उसमें लग जाएगी। आपका सिर दर्द बन जाएगा, आपका दिमाग बजाय सरकारी काम चलाने के, वित्तीय साधन जुटाने के इसमें लग जाएगा, अपनी कुर्सी को बचाने में लग जाएगा। आप अपनी कुर्सी को बचाने की दृष्टि से यह सारा नाटक क्यों कर रहे हो ? यह क्यों अशांति फैलाना चाहते हो सारे प्रदेश में ? क्यों मासूम बच्चों की शिक्षा में आप बाधक बनना चाहते हो ? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी, कल मैं जोधपुर में था। कल मैंने जोधपुर में एक समाचार पढ़ा अखबार में कि जोधपुर जिले के एक सरपंच को मुर्गा बनाया गया आप द्वारा फ्लेट रेट, बिजली की रेट बढ़ाने के कारण। आपकी जानकारी में नहीं हो तो आप जोधपुर की राजस्थान पत्रिका का एडीशन है उसको मंगा कर देख लेवें। मुर्गा बनाया। ऐसी नौबत आपकी नहीं आ जाय, राजस्थान की जनता आपको मुर्गा बनाने को तैयार नहीं हो जावे यह ध्यान में रखना। आपकी कांग्रेस पार्टी के सरपंच को मुर्गा बनाया है जोधपुर जिले में। राजस्थान पत्रिका के जोधपुर एडीशन को मंगा कर देख लेवें आप। मैंने पढ़ा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके मंत्रियों और विधायकों की यह नौबत आने वाली है इसलिए आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप कर्मचारियों को बुला कर बात करो। उनकी समस्याओं को सुनिये।

(व्यवधान)

इसलिए ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि हम टकराव की स्थिति में नहीं आवें। यह आपकी मर्जी है कि हमारी राय मानें या नहीं मानें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : लेकिन मैं ऐसी स्थिति में आपसे पुनः यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह निपटने की बात छोड़िये। आप बैठ कर बात कीजिए। जहां तक विरोधी दलों का सवाल है, जहां तक आप वाजिब बात कहेंगे, सही बात होगी, प्रदेश के हित की बात होगी तो हम आपका साथ देंगे लेकिन आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके निपटने की बात करेंगे तो यह भ्रम आपका दूर हो जाएगा। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बेरी कमीशन पर एक वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य में यह भी कहा कि जनता पार्टी ने प्रासंगिकता के न होते हुए भी बेरी वेतन आयोग की स्थापना की । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात कहने का औचित्य तो तभी होता कि आज से 25 महीने पहले राजस्थान में जनता पार्टी के शासन का अन्त हो गया था और उसके बाद में जो शासन चला, उसमें केन्द्र की कांग्रेस (आई) की सरकार थी और उस समय जनता पार्टी ने कई आयोग बिठाये उसमें से कइयों के कार्य को बन्द किया गया....

श्री अध्यक्ष : इसमें, आयोग बन्द करने में थोड़ा टाइम लगता है ।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय माथुर साहब जो मुख्य मन्त्री है क्या वह अपनी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता रखना चाहते हैं या नहीं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेरी कमीशन की प्रासंगिकता नहीं थी तो पहाड़िया साहब जब मुख्य मन्त्री बने थे उन्होंने इस कमीशन को आगे क्यों चलाया ? मैं यह पूछना चाहता हूं । आपने यह भी कहा था कि आपका मंत्रिमण्डल बना था, पूर्व मन्त्रिमण्डल. उसने बहुत गड़बड़ की तो आपको भी आज आठ महीने हो गए, आपके शासन में बेरी कमीशन काम कर रहा था उसमें आपके सचिवालय से यह निर्देश दिया जाता रहा था कि कोई भी विभागाध्यक्ष बिना वित्त मंत्रालय से, बिना वित्त विभाग से राय लिए किसी प्रकार का रिप्रेजेण्टेशन नहीं देगा और आज की स्थिति में यह कह रहे है । इस बीच में आप कभी भी बेरी कमीशन को समाप्त करके और कर्मचारियों को यह नहीं कह सकते थे कि यह अप्रासंगिक है इसलिए हम इसको समाप्त करते है ? लेकिन यह बात आज आपने यहां कही है जिसका कोई औचित्य मैं नहीं मानता । माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों को चुनौती देने का कार्य तो माननीय वित्त मंत्रीजी ने पहले ही चालू कर दिया था । मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी बहुत वरिष्ठ हैं, लम्बे समय तक इस सदन में रहे हैं । वित्त मंत्रीजी को क्या अधिकार हैं कि कर्मचारियों को उपदेश दें । कर्मचारी कार्मिक विभाग के अन्तर्गत होते हैं । कर्मचारी सीधे सामान्य प्रशासन से सम्बन्ध रखते हैं जिसका प्रभारी मुख्य मन्त्री होता है, उसके बारे में उपदेश देने की बात, उनसे अनुशासन की बात करने का अधिकार मुख्य मन्त्री का है । बजट में अगर आपको कुछ कहना होता तो निर्णय लेने की बात, कुछ देने की बात कह सकते थे लेकिन आपने तो चुनौती भरे शब्दों में कहा । इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : सामुहिक दायित्व था ।

श्री कैलाश मेघवाल : सामूहिक दायित्व नहीं था, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आप

(श्री कैलाश मेघवाल)

उनके लिए प्रयुक्त करना चाहते हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारियों को चुनौती बजट भाषण जिस रोज हुआ उसी रोज दे दी गई थी। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का शिक्षक संघ मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ है और मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ से हर सरकार बात करती रही है, उनसे चर्चा करती रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं, शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, जो वित्त मंत्री भी हैं पिछले आठ महीनों से या पहले भी, इन आठ महीनों में एक भी बार राजस्थान के किसी भी शिक्षक संघ, जो मान्यता प्राप्त हैं, उनके प्रतिनिधियों से बात की है? आप उनकी उपेक्षा करते हैं। आप उनको विश्वास में लेना नहीं चाहो, आप उनसे बातचीत करना नहीं चाहो, यह चुनौती भरी बातें करते रहो और उनको धमकियां देते रहो, उसके आधार पर क्या राजस्थान के कर्मचारियों के साथ में न्याय करना चाहते है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी होती, आर्थिक कमियों का वातावरण जो आज पैदा किया गया है, हमारे पाटन से आने वाले माननीय विधायक एक बात कह रहे थे कि आर्थिक कमियों का वातावरण पैदा करके कर्मचारियों को उपदेश देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह आपके सचिवालय की कुर्सियों पर बैठने वाले प्रत्येक अधिकारी किसी न किसी रूप में स्पेशल पे, विशेष वेतन ले रहे हैं। किसी न किसी तरह का विशेष अलाउन्स ले रहे हैं। आप चालू करते तो वहां से करते। आप चालू करते वहां से कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति खराब है, राजस्थान के बजट में ओवर ड्राफ्ट भी ज्यादा है, घाटा भी ज्यादा है, राजस्थान की आर्थिक हालत खराब है तो इसका वातावरण तैयार करने की शुरूआत सचिवालय के स्टाफ से करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है, मैंने यही देखा कि "पर उपदेश कुशल बहु तेरे।" जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय विधायक जब बोल रहे थे तब मुझे एक बात याद आ रही थी कि पहाड़ियाजी की मेहरबानी से वे एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के अध्यक्ष बने हैं और पिछले नौ महीनों में तीस हजार किलोमीटर उनकी कारें चलीं हैं जिसमें बीस हजार रुपया खर्च हुआ है।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : कोटा में पड़े हैं खराब हुए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं जहां बैठा हूं उससे मुझे कोई गिला नहीं है। सवाल यह है कि आज मंत्रालय के लोग, जो मन्त्री बने हुए हैं आज सारा अधिकारी वर्ग वैभव, ऐश्वर्य, भोग और विलासिता का जीवन बिताये और गरीब कर्मचारियों को उपदेश दो तो कैसे चलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, तीन जीपें रखिये, मुझे कोई एतराज नहीं, बल्कि आप चार रखिये, आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को कार दीजिए, उसमें भी मुझे एतराज नहीं है। मेरा एतराज तो यह

(श्री कैलाश मेघवाल)

है कि नियम बने हुए हैं कि पांच सौ किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकेंगे। साढ़े चार सौ किलोमीटर तक चलाने का उनको अधिकार है लेकिन तीस हजार किलोमीटर तक चलें और इसी तरह से दो दो, एक जीप और एक कार अपने पास रख रहे हैं। इस वातावरण में अगर आप गरीब कर्मचारी को उपदेश देना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो वह नहीं चलेगा। आज जिस तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, बात की जा रही है, हमारे मालपुरा से आने वाले माननीय विधायक ने एक बात कही, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बरकत साहब के स्वर्गवास का और कर्मचारियों के आन्दोलन का एक ऐसा संयोग था कि आज भी सारा राजस्थान एक बात कहता है कि बरकत साहब के समय अगर वह आन्दोलन नहीं होता तो उस वक्त स्वर्गवास नहीं होता। माननीय मुख्य मन्त्री शिवचरणजी माथुर, वित्त मंत्री, ये तो उस समय भी थे, आज जिस तरह से आपको भड़का रहे हैं, जिस तरह से चुनौती देकर निपटने की बात कह रहे हैं उस घटना को याद कर लीजिए। मैं नहीं मानता कि मौत और उस आन्दोलन से कोई संबंध रहा हो लेकिन मुझे यह मालूम है कि आंदोलन का और उनके स्वर्गवास का जो संयोग रहा था उससे सारे राजस्थान में एक बात कही गई थी कि स्वर्गवास जो हुआ था, माननीय वित्त मंत्रीजी को इस तरह की उकसाने वाली कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी कि सख्ती से आन्दोलन 35 दिन तक कुचला।

श्री राधे श्याम : महान् वक्ता होकर ××× बात कह रहे हैं मुख से।

श्री कैलाश मेघवाल : मंत्री पद छोड़कर दूसरे मंत्री बैठे हैं। माथुर साहब के साथ बैठकर राजस्थान की सेवा करें, इसमें मुझे एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं। आज राजस्थान में हम उपदेश की बात कहें, क्या प्राइस फ्रीज की कोई नीति नहीं अपना सकते? आप कुछ तो कहो। महंगाई बढ़ रही है, आप इसको रोको। होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरे इंडेक्स बढ़ रहे हैं इसको रोक नहीं सकते। अगर इस प्राइस इंडेक्स को आधार बनाकर महंगाई को आधार बनाकर, बाजार भावों को आधार बनाकर, चौके की हालत को आधार बनाकर कर्मचारी अपना औचित्य सिद्ध करता है कि हमारा पेट भरने के लिये हमें पगार ज्यादा दो तो कुछ तो उसको यह संतोष दो कि भाई, अच्छा महगाई बढ़ रही है हम प्राइस फ्रीज कर रहे हैं। कोई आर्थिक स्थिति या महंगाई पर नियंत्रण पाने को सदन में हाथ उठाकर कहिये, भाई, हम आपसे बात करने को तैयार हैं और यह स्थिति है। माननीय खेतसिंह जी मुझे याद है, मैं भूलता नहीं, खेतसिंह जी इस बात से सहमत हों या नहीं हों, मैं जब उधर बैठता था यही, माननीय खेतसिंह जी जब यहां

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

बैठते थे, बेरी कमीशन की घोषणा का आपने स्वागत किया था।

श्री अध्यक्ष : उस वक्त ऐसी आशा थोड़े ही थी ?

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, चाहे उधर वाले हों, चाहे इधर वाले हों, समाजवाद तो कोई ला नहीं सकता है। यह तो हम लायेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी जमवारामगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने एक बात कही। संरक्षित इकाई वह मजदूरों की है, वह गरीबों की है, वह मेहनतकश लोगों की है, वह पसीना देकर के काम करने वाले की है। यह इकाई जब बढ़ जाती है तो जितना नुकसान दे सकती हैं उतनी ही यह इकाई लाभदायक है। बशर्ते आप विश्वास में लें राजस्थान के पांच नेताओं को। वह पांचों नेता संजीदा हैं। क्या मोहनलाल जैन, मुख्य मंत्रीजी से बात करते हैं, संजीदा नहीं हैं ? क्या बिशन सिंह शेखावत संजीदा नहीं हैं ? क्या शिक्षक संघ सनाढ्य गुट के नेता संजीदा नहीं हैं ? क्या नावरिया संजीदा नहीं हैं या रामकिशोर संजीदा नहीं हैं ? ये लोग हैं जिन से आप काम लेते रहे हो, जिन से बात करते रहे हो। पांचों नेताओं को संजीदगी के साथ बैठाकर बात करके विश्वास में लेकर बात करते लेकिन उसकी प्रक्रिया तो कहीं और से प्रारम्भ करनी पड़ेगी। सचिवालय से प्रारम्भ करनी पड़ेगी। आर्थिक संयम, आर्थिक नियंत्रण का वातावरण बनाने की प्रक्रिया आप चालू करेंगे तो निश्चित रूप से कर्मचारी भी साथ देंगे। बाकी आप कर्मचारियों को सिर्फ उपदेश नहीं दे सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछली बार 37 दिन तक आन्दोलन चला। उस 37 दिन के आन्दोलन में जितना राजस्थान की जनता को कष्ट भोगना पड़ा जितना उसको दुःख उठाना पड़ा उससे चारों तरफ अराजकता की स्थिति पैदा होगी। वह हम तो सहने के आदी हैं, राजस्थान की जनता सहने की आदी हो गई, जब तक 37 दिन तक चलेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी चला था। 38वें दिन सरकार कुछ करेगी, लेकिन इसका आर्थिक नुकसान कितना होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह आंकड़े कोई नहीं ला सकता।

श्री अध्यक्ष : हड़ताल पर जायें और तनख्वाह लें तो नुकसान ज्यादा होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको चिन्ता है हड़ताल पर जाकर के तनख्वाह लेने के कुछ करोड़ रुपयों की, और मुझको चिन्ता है राजस्थान में जो अराजकता की स्थिति, प्रशासन ठप्प होने की स्थिति, महीने-डेढ़ महीने के लिये चलेगी उसकी वजह से काम नहीं होगा। इससे लोगों को प्रशासनिक स्तर पर काम करने हैं वह नहीं होंगे। इससे लोगों को अनेकानेक आर्थिक क्षेत्र में हानि उठानी पड़ेगी, घाटा उठाना पड़ेगा। वह घाटा, मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : आपके सचिवालय में जो वित्त विशेषज्ञ हैं, आर्थिक विशेषज्ञ बैठे हैं उन से पूछ लीजिये, एक तहसील में भी अगर एक दिन तहसील बन्द हो जाय तो उस तहसील में काम करने वाले जितने किसान या दूसरे लोग आकर के घर जाते हैं उनका कितना नुकसान होता है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं, आपने जो संकेत दिया वह तो केवल तनख्वाह का दिया है कि अच्छा काम नहीं किया तो वेतन नहीं । तहसील कार्यालय जो बन्द है, पटवार कार्यालय बन्द है, एक स्कूल जो बन्द है, अभी 18 तारीख से परीक्षाएं नहीं हुईं, आप बन्दूक की नोक पर नहीं करा सकते । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपका यह भ्रम भले ही हो, आप भले ही यह मान लो कि हमने सिपाही खड़े करके, सरकारी अफसरों को बैठा करके-या बिना किसी इनविजिशलेन के परीक्षाएं करा लीं लेकिन उन परीक्षाओं की प्रामाणिकता को कोई स्वीकार नहीं करेगा। राजस्थान का जो परीक्षा देने वाला विद्यार्थी है वह भी आज असमंजस की स्थिति में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हू, माननीय मुख्य मंत्रीजी, इस तरह की दृढ़ता की बात मत कीजिये, दृढ़ता नहीं चल सकती है जनतंत्र में ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य । बहुत लम्बा भाषण हो गया ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह आपके कर्मचारी हैं । दृढ़ता और चुनौती भरी बातों से आप वातावरण बिगाड़ रहे हो। होना तो यह चाहिये था कल जब आपको ज्ञापन दिया, आप रात को कर्मचारी नेताओं, आपको तो बड़ी मशीनरी है हर कर्मचारी नेता आपकी नजर में है, को बुलाकर बात करते । इसके बजाय आपने असेंशियल सर्विस घोषित करके....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : हर गिरफ्तारी का एक वातावरण पैदा कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान को अराजकता की भट्टी में मत झोंकिये । मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान वैसे ही पिछड़ा हुआ है, अकाल के काम चल रहे हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं पानी की कमी है, कहीं पैसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री कैलाश मेघवाल : ऐसी स्थिति में राजस्थान का कर्मचारी अगर हड़ताल पर गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो राजस्थान इतना कष्ट भोगेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसी कल्पना से मैं थोड़ी पीड़ा और दर्द अनुभव करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हू, आप कर्मचारियों के साथ बैठकर ऐसा रास्ता निकालिये जिससे हड़ताल की स्थिति पैदा न हो।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल आर्य ।

श्री त्रिलोक सिंह : हम बोल नहीं सकेंगे, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : मैं अवसर दूंगा आपको ।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : हमें बोलने नहीं दे रहे हैं ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : यह तो अवाम की आवाज है ।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, तारीख 18 मार्च, 82 को राज्य कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं, इस संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं कि ये राजस्थान के कर्मचारियों के कितना हित में या कितना अहित में कदम उठाया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता और विपक्ष के माननीय सदस्यगण को अवगत कराना चाहता हूं कि आप कर्मचारियों की तरफदारी करके उनको उकसाने की बात कर रहे हैं, उनको नाजायज तौर से इस तरह से उकसाने का भाषण दे रहे हैं । यह मैं समझता हूं, वास्तविकता से परे हैं व उनके अहित में है । आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान सरकार के माननीय मुख्य मंत्री ने जो अपना व्यक्तव्य दिया उसमें कर्मचारियों के हित व कर्मचारियों की भलाई के लिए और कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो राजस्थान सरकार कर सकती है उसमें कोई तरह की कसर और कमी नहीं रखी जायेगी, इस बात का पूरा-पूरा आश्वासन है । उसके बावजूद भी इस तरह की हठधर्मी कर, मैं समझता हूं, अपने कर्त्तव्य से कर्मचारी भटक रहे हैं । राजस्थान के अन्दर इस समय जो परिस्थितियां हैं वह सामने हैं । राजस्थान भयंकर अकाल की चपेट में है । इस स्थिति में हमारे विरोधी दल के सदस्य इस हाउस के अन्दर इस बात को स्वीकारते हैं और कहते भी हैं कि राजस्थान के अन्दर राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता गरीब है और अधिकांश लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं । वर्तमान में कर्मचारियों को जो सुविधा मिल रही है उसको देखते हुए दूसरी तरफ इस अकाल के समय जो गरीब मजदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जो संगठित नहीं हैं वे खेतीहर मजदूर अथवा दूसरे दैनिक मजदूर हैं उनकी क्या स्थिति है ? क्या महंगाई का प्रभाव सभी पर नहीं पड़ता ? यह सभी वर्गों पर पड़ता है । सरकार और कांग्रेस पार्टी की नीति व कार्यक्रम है कि कर्मचारियों की भलाई के लिए कर्मचारियों व मजदूरों की सर्वांगीण उन्नति हो, इसके लिए सरकार ने अपनी एक ठोस नीति बनाई है और कार्यक्रम भी उसके अनुसार है । सरकार मजदूरों के हित में कार्य करती है । इसलिए मैं मेरी तरफ से आपके माध्यम से उन कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, उनसे अपील करता हूं कि वह राजस्थान की मौजूदा परिस्थिति को मद्दे नजर रखते हुए अपने कदम उठाने से पहले राजस्थान के हित में सोचे, उस गरीब जनता के हित में सोचे, उन मजदूरों के हित में सोचे । केवल अपना स्वार्थ और अपनी

(श्री मांगीलाल आर्य)

आवश्यकता को नहीं देखे। मेरा विश्वास है कि मेरी इस अपील पर व मेरे निवेदन पर राज्य कर्मचारी अवश्य ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जो बात माननीय पचेरवाल जी ने पहाड़ियाजी की सरकार के समय सफाई मजदूरों की हड़ताल के संबंध में कही है, उस हड़ताल के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या उस तरह की हड़ताल इन कर्मचारियों से माननीय सदस्य करवाना चाहते हैं? आप सोच लें कि यह कितना अहितकर होगा। उन सफाई मजदूरों को क्या फायदा मिला, माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जिन बातों को लेकर सफाई मजदूरों से इतनी लम्बी हड़ताल करवाई थी उसका कोई कारण नहीं था, कोई वजह नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मैं उस वक्त सरकार में उप मंत्री के पद पर था। मैंने अपना कर्त्तव्य समझ कर सफाई मजदूरों की जितनी मांगें (डिमाण्ड) थीं, जो उन्होंने सरकार के सामने रखी थीं, उनको आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारी पन्द्रह मांगें स्वीकार कराते हैं, आप एक मांग और जोड़ दो कि कोई वजह नहीं कि आप हड़ताल पर जायं। परन्तु उन सफाई मजदूर के कार्यकर्त्ताओं को भूमिगत कर दिया गया, हमारे से मिलने तक नहीं दिया। मैं उन कार्यकर्त्ताओं के घर तक गया, उनको उनके घरों में ढूंढ़ता फिरा तथा उनकी सारी मांगों को मंजूर कराने का पूरा विश्वास दिलाने के बाद भी उनको नाजायज तौर से उकसा करके यह राजनैतिक षड्यंत्र बनाया गया।

श्री अध्यक्ष : उसमें आपकी भूमिका वाकई बहुत ही सराहनीय रही।

श्री मांगीलाल आर्य : इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई राजनैतिक फायदा उठाने के लिए इन कर्मचारियों को हथियार न बनावें और अच्छी तरह से सोच लें वरना सफाई मजदूरों को क्या फायदा हुआ व इन कर्मचारियों को भी क्या फायदा होने वाला है। उनके फायदे की अगर बात आप कहते हैं तो सफाई मजदूरों को क्या फायदा हुआ? अगर आप कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल आर्य : उनको तनख्वाह दिलवा दी तो मैं समझता हूं कि आपकी नीति और आपका दृष्टिकोण बिलकुल जनहित और प्रदेश के हित के विपरित है।

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोकसिंह।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष, सदन के नेता ने जो बयान दिया है उस बयान से हम उम्मीद तो यह करते थे कि जब प्रदेश की ऐसी हालत है ...

श्री अध्यक्ष : आप बुजुर्ग हो, सच्ची पंचायती करना।

श्री त्रिलोकसिंह : और प्रदेश का कारकून है उसके साथ तसल्ली से सरकार पेश आयेगी, उनकी मांगों पर गौर करेगी। देखो, × × × इन × × × कुछ नहीं धरा, यह बेकार की बातें हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सरमायेदार हो, × × × × जब जनता पर कोई भी प्रहार होता है तो उससे मुकर जाते हो। अभी कल-परसों × × × किसानों की हिमायत के लिये आप भी खड़े हुए थे। श्री माथुर की सरकार ने आपको घुड़कियां दीं तो आप दुबक गये, × × × यह हाल आज है। मैं कहना चाहता हूं, × × × यह राजस्थान के साढ़े तीन करोड़ लोगों का सदन है। उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिये। उनको कोई चुनौतियां दी गईं तो बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या विकास करना चाहते हैं, क्या विकास किया? गांव में सरकार डाक्टर, मास्टर नहीं भेज सकती और गांव के अकाल पीड़ित लोगों को एक भी काम नहीं दिया। राजस्थान के इतिहास में यह पहली × × × सरकार है जिसके × × × कागज पेश कर दिये। जहां किसान आज भूखा मर रहा है, भूखे किसान को इस तरह सदन में गालियां दी गईं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। वह किसान आप × × × को रोटी देता है, उसका बेटा आपकी इज्जत के लिये देश के बोर्डर पर बैठा है, बेटे की बहू बारिश में खड़ी होकर आप लोगों के लिये रोटी पैदा करती है, उसको × × × बताया गया। मैं कहता हूं, इस सरकार को शर्म से डूब जाना चाहिये। ऐसी × × × सरकार है उसके वोट के बलबूते पर आप यहां आये हो, आपको यह अवसर प्राप्त हुआ है।

आज आपके कर्मचारियों की क्या मांग है। आपसे राज तो नहीं मांगते। वे यह तो नहीं कहते कि चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। वे यह तो नहीं कहते कि बगावत करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जीने लायक, गुजर के लायक दो। वह सहूलियत भत्ता, महंगाई भत्ता, मकान किराये का भत्ता मांगते हैं तो आपको क्यों इसमें बगावत की बू आती है, यह समझ में नहीं आता। उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। राज कोई आपका नहीं है, जनता का है। जनता में कर्मचारी भी है। उस राज में कोई भी ऐसा × × × कानून लाकर आप उसकी जबान को बन्द नहीं कर सकते। यह धमकियां दीं कि विरोधी उनको भड़का रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि हम विरोधी इसलिये नहीं आये कि आपको सलाम करें। हम इसलिये आये हैं कि जनता के अधिकारों की रक्षा करें। कोई भी अगर चुनौती देंगे तो उन चुनौतियों को × × × और उन लोगों की हिफाजत करेंगे। आम लोगों की हिफाजत करेंगे। इस तरह के कानून आज ही नहीं, पहले भी आये हैं। दुनियां के नक्शे में बहुत से ऐसे कानून बनाने वाले तो जो, हिटलर और जार का पता ठिकाना नहीं लगा। यह × × × सरकार कारकूनों को मार कर, कारकूनों को दबा कर, सरकारी कर्मचारियों को जेल में भेज कर, लाठी-गोली की

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री त्रिलोक सिंह)

धमकी देकर दबाना चाहती है। इससे बड़ी नादान सरकार कोई आज तक के इतिहास में नहीं आई। आज की तरह जार ने भी जब मजदूर उससे मांग करने गया था तब मजदूर पर गोली चलाई थी। अरे, आज किसान पर डबल रेट करके, आर्थिक सिस्टम दूना करके, सिंचाई की दरों को डबल करके उसको लुटने के लिये वाध्य करकेस दन में बैठे आप खुशी मना रहे हैं। यह सदन कोई ऐसा बन्द कोट-किला नहीं है। जब आप गांवों में जायेंगे तो आपको पता चलेगा कि × × × आप समझ गये होंगे × × × उनके रास्ते बन्द कर देंगे उनकी मोटरों को सीकर और चौमूं के रास्तों में रोक दिया जायगा और उनको सड़कों पर लाकर रगड़ा जायगा। अब भी मैं कहना चाहता हूं कि फौज और पुलिस के भरोसे अगर तुम्हारे में दम है तो यह नादानी की बात है। यहां फौज, पुलिस की क्या हालत है? सुबह कमर बांध कर सिपाही आता है दिन भर भूखा रहता है उसको सात रुपल्ली मिलती है। एक मिनिस्टर पान थूक देता है सात रुपये का। उस आदमी के जरिये आप यह भरोसा करते हैं कि गन और बन्दूक से हम दबा देंगे तो दुनियां में सबसे बड़ी नादानी की बात है। आवाज कभी बन्दूक से नहीं दबी है। आवाज जलजला है, इन्कलाब है। जो उससे टकरायेगा वह मिट जायेगा और हर जोर-जुल्म के खिलाफ हड़ताल उनका नारा है। यह असेंशियल सर्विसेज कानून, अरे, जिन्होने बनाया वह दुनियां से मिट गये। मैं आपसे निवेदन करने नहीं आया, मैं अपनी पार्टी का आदमी हूं, हमारी डिक्शनरी में निवेदन नहीं है, हम तो जनता की बात कहते हैं, अवाम के, मजदूर के हक की बात कहते हैं। आप अपना दामन देखें। अरे, आज मिनिस्टर के रिश्तेदारों का बैंक बैलेंस क्या है, मिनिस्टर का बैंक बैलेंस क्या है? ये ××× बैठा रखे हैं इनका बैंक बैलेंस क्या है? जयपुर में, मैं चैलेंज देना चाहता हूं, इन तमाम × × × के 10-10 लाख, 5-5 लाख के बंगले हैं।

श्री अध्यक्ष : शब्द कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री त्रिलोकसिंह : जो किराये के मकान में रहते हैं, किरायेदार धमकियां देता है कि तुम्हारे बच्चे ने यहां पेशाब कर दिया, यहां टट्टी कर दी। उस कर्मचारी का × × ×

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य, समय हो गया।

श्री त्रिलोकसिंह : यह सरकार जिन्दा रहना चाहती है यह कानून बना कर, यह असेंशियल सर्विसेज एक्ट लागू करके। हरगिज नहीं। अरे, कैसा एक्ट? जब सारी जनता जब सारे कारकून मैदान में आयेंगे तब आपको पता लगेगा, आपका निकलना मुश्किल हो जायगा। और रही बात हमारी, विरोधी दल वालों की, हम हर जुल्म के खिलाफ जो कोई लड़ेगा उसकी हिफ़ाजत करेंगे। जो कानून बनायेंगे वे सब कानून फाड़ कर फेंक देंगे, हर लॉ एण्ड आर्डर को देखेंगे। जम्हूरियत को चैलेंज........

× × × शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, आर्डर।

श्री त्रिलोकसिंह : अरे, आप बात करते हो, अभी एक मिनिस्टर बोल रहे थे कि भंगियों की हड़ताल नाजायज थी। आपके घर की बेटी सिर पर टट्टी उठाती है, × × × क्या यह इन्सानियत है? जब इन्कलाब आयेगा × × × तब पता चलेगा...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। काफी समय हो गया है।

श्री त्रिलोक सिंह : अरे सूखी रोटी मांग ली तो क्या जुल्म हो गया। आपकी कुत्ती हलवा खाती है। आपकी कुत्ती बीमार होती है तो डाक्टर आता है और किसान की बेटी गांव में बीमार होती है, डिलीवरी के वक्त डाक्टर नहीं जाता है। मिनिस्टर कहते हैं डाक्टर गांव में नहीं जाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, लम्बी चर्चा नहीं होगी। कृपया, स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिलोक सिंह : अरे, गांव की रोटी तुम खाते हो। एक दिन इन्कलाब आयेगा। इसलिये मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि इस जुल्म को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सूर्य कुमार। इनके पश्चात्, एक विपक्ष के सदस्य को अवसर दूंगा। उसके पश्चात् डिबेट शुरू होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक भी महिला सदस्य नहीं बोली हैं।

श्री सूर्य कुमार (नेनवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 9 वर्ष बाद राजस्थान के इतिहास के पृष्ठ ने एक करवट ली है। ठीक ऐसा ही मौका राजस्थान की जिन्दगी में 1973 में आया था जब राजस्थान के कर्मचारी आन्दोलन के रास्ते पर थे और 34 दिन, 33 दिन तक वह हड़ताल चली थी। अभी पिछले एक हफ्ते से इस आन्दोलन को लेकर कर्मचारियों की मांगो को लेकर, बेरी आयोग की रिपोर्ट को लेकर जिस प्रकार का गर्मा-गर्म माहोल इस सदन में और सदन के बाहर सड़कों पर, अखबारों में बन रहा है, उससे लगता है कि वास्तव में कोई गंभीर मसला आज पूरे राजस्थान के सामने है। अगर इस सारे माहोल को हम गंभीरता से देखने की कोशिश करें तो, अध्यक्ष महोदय, हकीकत में दिनकर की यह चार पंक्तियां इस मौजूदा परिस्थिति में बिलकुल मौजू हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्ति से सुनें।

श्री सूर्य कुमार : महाकवि दिनकर ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय :

(श्री सूर्यकुमार)

"बेचैन हैं हवाएं, सब ओर बेकली है।
कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है ॥
मझदार है, भंवर है, या पास है किनारा।
यह नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा।।"

आज कर्मचारियों के इस आन्दोलन को कुछ माननीय सदस्य केवल एक राजनैतिक दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। कुछ माननीय सदस्य केवल आर्थिक पहलू पर ध्यान देकर इस परिस्थिति पर अपनी नजर घुमाना चाहते हैं लेकिन मैं किसी दूसरी नजर से देखना चाहता हूं। साहिर ने कहा था :—

"ले दे के फकत अपने पास एक नजर ही तो है।
क्यों देखें हम जिन्दगी को किसी दूसरी नजर से।।"

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आज हम वर्तमान को चाहे देख रहे हों या नहीं देख रहे हों, चाहे हम उसको समझ रहे हों या नहीं समझ रहे हों लेकिन कल आने वाला है। जो कल की पीढ़ी आने वाली है, जो आज का इतिहास बनेगा वह पीढ़ी इस इतिहास को पढ़ेगी। आज हम यहां सदन में सब बैठे हैं हमने उस कल की पीढ़ी के लिये क्या सोचा है। यह प्रजातंत्र है, अध्यक्ष महोदय। प्रजातंत्र अधिकार का नाम नहीं है, प्रजातंत्र फर्ज का नाम है। वह फर्ज चाहे मैं व्यापारी हूं तो मुझे निभाना है, अगर मैं कर्मचारी हूं तो भी मुझे निभाना है, अगर मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं तो भी मुझे निभाना है और मैं आफिसर हूं तो भी मुझे निभाना है। इसके साथ अपने अधिकार की बात करते हैं। इस प्रजातन्त्र में केवल अधिकारों के लिये संघर्ष करना अलग बात है और सस्ती लोकप्रियता प्राप्त कर लेना अलग बात है लेकिन मैं अपने देश के लिये, अपने देश को निर्माण के रास्ते पर आगे ले जाने के लिये, अपने समाज को निर्माण के रास्ते पर आगे ले जाने के लिये अपनी हैसियत से किस प्रकार से फर्ज निभा सकता हूं यह मुख्य मुद्दा आज की तारीख में विचार करने का होना चाहिये। कुछ ट्रेजरी बैंन्चेज पर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जनता पार्टी, जो आज का विरोधी पक्ष है, की नीति की ओर संकेत किया। उनकी नीति की ओर संकेत देना व्यर्थ की बात है। यह स्पष्ट बात है झण्डा दो रंग का, नीति दो रंग की, चाल दो रंग की और बात दो रंग की है। इसलिये....

एक माननीय सदस्य : हमारा एक ही रंग का झण्डा है।....

एक माननीय सदस्य : आप सुनने का माद्दा रखें। ...

(2. 55 म. प.)
(श्री अहमद बक्श सिन्धी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सूर्य कुमार : मैं यह निवेदन कर रहा था उनकी नीति, या उनकी चालें या उनके कार्यकलापों पर विचार करके हमें हमारा दृष्टिकोण नहीं बनाना है। हमें

(श्री सूर्यकुमार)

हमारा दृष्टिकोण बनाना है, आगे आने वाली पीढ़ी है, वह हमारे लिये क्या कहेगी। क्या हम आज वर्तमान को नकार दें? क्या आज राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है उसको नकार दें, आज जो राजनीतिक हालात हैं उनको नकार दें? क्या इन सब को दर गुजर करके हम केवल एक ही बात का ध्यान रखें कि किसी प्रकार से हम कर्मचारियों की जो मांग हैं, चाहे वाजिब हो चाहे गैर वाजिब हो, चाहे कैसी ही मांग हो, चाहे किसी प्रकार की परिस्थिति से निकली हुई हो उनको मान लें? क्या यही दृष्टिकोण विचार करने का हमारे सामने है? मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस दृष्टिकोण से परे जाकर हमें इस बारे में विचार करना होगा, जनमत का भी ध्यान रखना होगा। मैं देख रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जितने भी सवालात सामने आते हैं क्वेश्चन आवर में, उन सवालातों पर गौर फर्मावें प्रोसिडिंग्स को निकाल कर आप देखें तो ज्यादा तर सवाल इस बात पर निर्भर करते हैं कि अमुक सरकारी कर्मचारी ने अपने फर्ज को अंजाम नहीं दिया, इससे जनता को यह असुविधा हुई। अधिकांश सवाल आते है वह केवल इसीलिये आते हैं। इसी बात का जवाब सरकार में बैठने वाले मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को देना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार के सवालातों का सामना जब विरोधी पक्ष में बैठने वाले सदस्यगण सत्ता पक्ष में बैठते थे तब उनको भी करना पड़ता था और इन्हीं कर्मचारियों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में यह सवालात पूछे जाते थे जिनकी मांगों के बारे में आज हमें यहां पर बैठ कर विचार करना है। तो हमें जनमत का ध्यान रखना पड़ेगा, जनमत इन कर्मचारियों की मांगों के बारे में क्या कहता है।

एक विशुद्ध विचारक डाक्टर लोहिया हुए थे, उपाध्यक्ष महोदय। डाक्टर लोहिया ने कहा था "जो बात सड़क पर हों जो बात चौराहे पर हों, वे बातें सदन में जरूर उजागर होनी चाहिये।" केवल एक ही पक्ष सड़कों पर, चौराहे पर नहीं है कि कर्मचारी आन्दोलन के रास्ते पर हैं। एक बात और सड़कों पर, चौराहे पर है और वह जनमत की है। जनमत यह पूछता है कि सरकार इन कर्मचारियों को इतनी अच्छी पे देती है, इतनी सुविधाएं देती है, इनके बाल बच्चों को मेडिकल फेसेलिटीज देती है, रहने को मकान देती है, मकान किराया देती है। दूसरे लोगों, जो समाज के दूसरे वर्ग हैं, के लिये क्या देती है? अगर फिर भी इनके आन्दोलन के आगे सरकार झुक जाती है और समाज के दूसरे वर्ग के हित का ध्यान नहीं रखती है तो यह कैसी सरकार है? यह भी बातें सड़कों पर, चौराहे पर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, विपक्ष के माननीय सदस्य केवल राजनैतिक पूर्वाग्रह में आकर अपने फर्ज को, प्रजातंत्रीय फर्ज को भूल जाना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी से इतिहास के पृष्ठ पर अपने फर्ज को अंजाम नहीं देने का सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते है तो करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह हकीकत है, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य के

(श्री सूर्य कुमार)

अन्दर एक वास्तविकता को अपने सामने सारे राजस्थान की जनता के सामने, इस पूरे सदन के सामने रखा है। विपक्ष के माननीय सदस्य उसको चुनौती मानते हैं, एक धमकी मानते हैं लेकिन उसको एक अपील नहीं मानते हैं। लेकिन यह एक अपील है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें बहुत साफ तरीके से कहा गया है, आप और सरकार, सरकार और सरकार के कर्मचारी एक ही परिवार के अंग हैं। एक ही परिवार है। अगर एक ही परिवार का अंग है तब ऐसी नाजुक हालत में जब कि राजस्थान आर्थिक दृष्टि से ऐसे कगार पर है जिसे यदि एक धक्का दिया गया तो नीचे गड्ढे में जाकर गिरेगा, विकास धरा का धरा रह जायेगा। क्या इस परिवार के सदस्य का फर्ज नहीं हो जाता है कि अपने परिवार वास्तविक स्थिति पर ध्यान रखें और अपने फर्ज को ठीक तरह से अंजाम देने की बात सोचें? आज एक मौका है इस सदन के लिये और सदन का एक सदस्य होने के नाते, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के कर्मचारियों से मुख्य मन्त्री महोदय की अपील में अपना स्वर मिलाते हुए अपील करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि आपको दुविधा है, आप भी मंहगाई से पीड़ित हैं, आपकी जो सुविधाओं की मांग है वह वाजिब हो सकती है लेकिन, दोस्तो, यह इस बात का समय नहीं है। इस तरह की आज राजस्थान की वित्तीय स्थिति नहीं है कि 58 करोड़ की जो आपकी मांग है उसको मंजूर कर लिया जाय। यह वक्त राजस्थान की स्थिति सुधारने का है, राजस्थान की स्थिति को समझने का यह सबसे अच्छा मौका है। कर्मचारी दोस्त इस बात का ध्यान रखें, विपक्ष के नेताओं के कहने से विपक्ष के कहने से उनके गैर जिम्मेदाराना बहकावे में नहीं आयें, और आन्दोलन के रास्ते पर, सरकार से मुठभेड़ के रास्ते पर, सड़कों के रास्ते पर, लड़ाई के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करें। सरकार आपके हितों पर गहरे दृष्टिकोण से सोच रही है और बढ़िया ढग से सोच रही है। यही सरकार आगे चल कर आपकी मांगों को पूरा करेगी, सुविधाऐं देने की कोशिश करेगी। यह कोई गैर जिम्मेदार सरकार नहीं है। 1979 में केवल बेरी आयोग बैठाकर उन्होंने आपको बहका दिया था, पूरी तरह से टाल दिया था। यह सरकार जिम्मेदार है। अगर मना करती है तो जिम्मेदारी से मना करती है। अगर हां करती हैं तो जिम्मेदारी से हां करती है। कोई वायदा करती है तो उसको निभाती है, पूरा करती है। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों से अपील करूंगा कि वे आन्दोलन का रास्ता छोड़ें, लड़ाई का रास्ता छोड़ें और फर्ज को ध्यान में रखें। फर्ज को ध्यान में रख कर राजस्थान के विकास में सहयोग करें और फर्ज को अंजाम देकर जनता को सुविधा देने की पूरी पूरी कोशिश करें। सरकार आपको सुविधाएं देने की पूरी पूरी कोशिश करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने आज एक ऐसा महत्वपूर्ण मसला है जिसमें जनता का,

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सरकार की और सबका हित और अहित जुड़ा हुआ है। यह सही है कि राजस्थान सरकार जिस आर्थिक संकट से गुजर रही है वह राजस्थान के इतिहास में इस सरकार की निर्माण होने के पश्चात् सबसे गहरा संकट है। मेरी यह मान्यता है कि यह सरकार सभी वर्गों की सरकार है। यह जनता के प्रतिनिधियों की सरकार है, यह अधिकारियों की सरकार है और यह सरकारी कर्मचारियों की भी सरकार है। यह सरकार सब पार्टी के नेताओं की सरकार है। हम सभी सरकार से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। राजस्थान का बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसमें उन्होंने हर वर्ग पर टैक्स लगाया है लेकिन टैक्स लगाने के बावजूद भी राजस्थान का बजट घाटे का बजट रहा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं मैंने कल भी सुझाव दिया था और आज भी सुझाव देना चाहता हूं इस घाटे की अर्थ व्यवस्था को किसी प्रकार से ठीक करेंगे, यह आप के सोचने की दिशा होनी चाहिये। आप यदि इस दिशाहीनता की स्थिति से नहीं उभरोगे तो आने वाले समय में राजस्थान की स्थिति इससे भी अधिक भयंकर होगी, इससे भी अधिक खतरनाक होगी। आज कर्मचारी व अधिकारी आन्दोलन की राह पर हैं, तो कल दूसरा वर्ग भी जायगा, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। इस समस्या का जो एक ही समाधान हो सकता है, वह निवेदन करना चाहता हूं। आपने राजस्थान में, जैसा कि मेरे अपने कई साथी भाइयों ने सुझाव दिया था, कई अधिकारी इस प्रकार के हैं जिन्हें एक साथ चार-चार जगह लगा रखा है, उनको चार-चार जगह साथ लेकर चलना चाहते हैं। दो घंटे यहां पर काम करेंगे, दो घंटे कहीं और, दो घंटे कहीं और, और दो घंटे कहीं और, वे सब जगह से भत्ता लेते हैं 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं और चार जगह काम करते हैं। उसको आप चार जगह भत्ता देना चाहते हैं। सबसे पहले इस राजस्थान की सरकार इस बात का प्रयत्न करे कि अलग अलग जगह भत्ता देना चाहते हैं तो इसका राजस्थान की जनता स्वागत नहीं करेगी। भत्ता, विशेष भत्ता, स्पेशल वेतन और न जाने क्या क्या नाम हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं रहते हैं, नाम भी पता नहीं है। इसको समाप्त करें। इसके साथ साथ बड़े बड़े लोगों में जो बकाया है, आई. ए. एस. आफिसर्स ने जो घोटाले कर रखे हैं उनको ठीक करें और राजस्थान में आमदनी बढ़ावें।

मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि कर्मचारियों की मांगें सही हैं। उनकी मांगें वाजिब हैं, मांगें वाजिब होने के बावजूद कहना चाहता हूं कि राणावत वेतन आयोग किसने लागू किया था, किस सरकार ने लागू किया था? इस सरकार ने तो कोई आयोग भी नहीं बिठाया, यह जनता पार्टी ने गठित किया था और गठित करने के बाद जो तथ्य आ रहे है वे इतने भयानक हैं कि राजस्थान की जनता इसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती है या बर्दाश्त कर सकती है यह प्रश्न आज सामने है। इसलिये आपके सामने पूरी जनता का प्रश्न है, जनता के हर वर्ग का प्रश्न है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि बिजली पर टैक्स नहीं

(श्री रतनलाल ताम्बी)

बढ़ाया जाना चाहिए, सिंचाई पर नहीं बढ़ाना चाहिए, उद्योगों पर नहीं बढ़ाना चाहिए। टैक्स नहीं बढ़ायें और उनको सुविधाएं भी मिलनी चाहिए तो आखिर इसका नतीजा क्या होगा? कल आप भी यहां आ सकते हैं, आपके सामने भी यही स्थिति हो सकती है, आप भी यहां पर बैठ सकते हैं, सरकार इधर से उधर बदल सकती है इसलिये इसका स्थायी समाधान हो इस दृष्टि से विचार करें।

मेरा तो कहना यह है कि राजस्थान की सरकार का जो खर्चा बढ़ा है उसको घटायें। बहुत गाड़ियां दौड़ रही हैं, पैट्रोल का खर्चा बहुत हो रहा है, कई प्रकार के खर्चे हो रहे हैं राजस्थान में। इस संबंध में मुख्य मन्त्री जी ने भाषण दिया, वित्त मन्त्री जी ने भाषण दिया उसमें उन्होंने बता दिया कि हम निश्चित रूप से खर्चे को कम करेंगे। मैं तो माथुर साहब की सरकार को तब मानूंगा, राजस्थान की जनता तब मानेगी जब वास्तव में कम खर्च करके राजस्थान की जनता के सामने आयेगी अन्यथा यह उपदेश मात्र है। खर्च कम नहीं होता है और नये खर्चे बढ़ जाते हैं। जो राजस्थान में भयंकर संकट है वह आगे और बढ़ सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान की सरकार समाजवाद की बात करती है, हमारे मुख्य मन्त्री को मैं वर्षों से जानता हूं, वे समाजवाद की नीतियों की और समाजवाद की बात बराबर करते हैं, वे इसको सिद्ध करें कि राजस्थान की सरकार समाजवादी सरकार है। जो बड़े बड़े पूंजीपति बैठे हैं, जिनके ऊपर टैक्स बकाया है, उन सबसे वह वसूल करे। वसूली करके राजस्थान के गरीबों के लिये कम से कम टैक्स लगाये और विकास के काम चलाये। अगर सरकार चलानी है तो विकास के काम भी साथ साथ चलाने पड़ेंगे। राजस्थान में अकाल से गांवों की जनता परेशानी और दुविधा में है, बेकारी बढ़ रही है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं, उनका कोई धणी-धोरी नहीं है। आज राजस्थान में उनको जोब के हिसाब से दो रुपये मजदूरी का पेमेंट हो रहा है, वह भी चार चार महीने से नहीं हो रहा है। उस तरफ जनता के प्रतिनिधियों का ध्यान जाना चाहिए। इस बात से इन्कार नहीं कर रहा हूं कि कर्मचारियों की जो वाजिब मांगें हैं उनके लिये मुख्य मन्त्री जी उनसे वार्ता करें। कर्मचारियों का और जन नेताओं का मिला जुला स्वरूप ही सरकार है। उपाध्यक्ष महोदय, एक वर्ग सड़क पर आ जायेगा और दूसरा वर्ग गोली लाठी चलायेगा तो राजस्थान में कोई अच्छा वातावरण नहीं बनेगा, 73 का अनुभव बहुत स्पष्ट है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी वर्ग सड़क पर नहीं आये इसलिये मिलजुल कर वार्ता करें। इसको कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिये उभारते हैं तो यह उभारने का समय नहीं है। राजस्थान में यह संकट का समय है, गम्भीरता और जिम्मेदारी का समय है, इस बात का प्रयत्न नहीं करें कि एक वर्ग को उभार कर दूसरे वर्ग को उससे लड़ाये। यह लड़ाई का समय नहीं है। निश्चित रूप से आज आर्थिक संकट है और इस गम्भीर संकट में बहुत ही समझ कर, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और विवेक के साथ

(श्री रतनलाल तांबी)

इस तरह का निर्णय करें कि कर्मचारियों को भी संतुष्टि हो और जनता असंतुष्ट नहीं हो। सब वर्ग मिलकर चलें। जैसे कई बड़े वर्गों को सुविधा दे रहे हैं, बड़े अधिकारी सम्पन्न हैं। कई प्रकार की बातें हो रही हैं। अगर करप्शन होता है उसको रोकने के लिये कुछ करें। राजस्थान के लोगों के सामने कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा करना ठीक नहीं है। जो कर्मचारियों के साथ टकराव करके उनको इस तरह से दबाना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। कर्मचारियों के साथ मिलकर बीच का रास्ता निकालें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह भावनाओं को उभारने का समय नहीं है। होना तो यह चाहिए इस समय सभी वर्गों, सभी व्यक्तियों और सभी दलों को एक होकर राजस्थान को इन सब परिस्थितियों से निकाला जाय। इस दिशा में खास तौर से ध्यान देना चाहिए। जिन करोड़पतियों से बड़ी-बड़ी वसूली करनी है वह करें। उनके पास कोई कमी नहीं है, पैसा आयेगा तो आप देंगे। उसके लिये कर्मचारी सहयोग करें, अधिकारी सहयोग करें, इस प्रकार के जहां लीकेज हैं उसको दूर करें। राजस्थान सरकार के पास पैसा आयेगा तो कर्मचारियों को देंगे, पैसा नहीं होगा तो कहां से देंगे। टैक्स बढ़ाते जायें, राजस्थान को ओवर ड्राफ्ट के गड्ढे में धकेल दें, राजस्थान के सारे प्रशासन को, सारी योजनाओं को खतम कर दें, यह बात राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दोनों के बीच समन्वय का रास्ता निकालें। कर्मचारियों से वार्ता करें, उससे मुख्य मन्त्री जी एक अच्छे वातावरण में, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करें। कई दिनों से यह चल रहा है। वेरी आयोग बैठाया। इस पर 58 करोड़ का खर्चा वर्तमान में बताया है और 44 करोड़ की चार किश्त देने की की बात है, कुल 82 करोड़ का खर्चा बताया है। यह सब आंकड़े मुख्य मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में साफ-साफ बताये हैं। इस पर हम सबको मिलकर सोचना है, सबसे पहले जनता के हित में सोचना है कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है। राजस्थान की जनता विकास चाहती है, पानी चाहती है, रोजगार चाहती है, अनाज चाहती है। आप उनको जितना दे सकते हैं उतना दीजिए। मिल जुल कर कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कर्मचारी सड़कों पर न आयें। राजस्थान के सारे काम रुक जायेंगे। पिछले 37 दिनों का अनुभव बहुत खराब रहा है, वैसी स्थिति राजस्थान में पैदा न हो यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी से अपेक्षा तो यह थी कि निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को टालने हेतु कोई रास्ता निकालेंगे, किन्तु दुर्भाग्य है कि सरकार टकराव की स्थिति में आ रही है। मुख्य मंत्री, जैसा कैलाश जी ने बताया कि उस समय भी वित्त मंत्री चन्दनमल जी थे, आपके खिलाफ षड़यंत्र चल रहा है। आप जानते हैं, आप एकाकी हैं। आपको याद होगा, जब आप मुख्य मंत्री चुने गये थे उस समय पार्टी में विभाजन

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हुआ था, आपके पक्ष में केवल दो मत थे। इसलिए मेरा निवेदन है कि बाकी के सारे मत या तो 54 मत पहाड़िया जी के पक्ष में या 23 मत हरिदेव जी जोशी के पक्ष में थे और आपके साथ केवल 2 मत थे। मैं आपके साथ पी. यू. सी. का मैम्बर रहा हूं इसलिए हितकारी व्यक्ति के नाते निवेदन करना चाहता हू, हितं मनोहारी च दुर्लभं बज:। हित चाहने वाला मीठे वचन नहीं बोलता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हू, मेरी इस बात को मानकर चलें, ये आपको नीचे उतारना चाहते हैं योजना बद्ध रूप से, भगवान के नाम पर ऐसा मत कीजिए। उनकी 4 मांगें मोटी-मोटी हैं, शायद आपके सामने आयी होंगी। मैं आप से पूछना चाहता हू, हिन्दुस्तान भर में जब सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की उम्र, दो राज्यों को छोड़कर, 58 वर्ष है तो राजस्थान में ऐसा कौन सा मसला है कि आप सरकारी कर्मचारी की उम्र 55 वर्ष से बढ़ा कर 58 वर्ष न करें। मैं समझता हूं, इससे राज्य कोष पर बहुत बड़ा बोझा नहीं आयेगा, बिल्कुल बोझा नहीं आता है, मुश्किल से कुछ रुपये इस पर लगते हैं। मुख्य मंत्रीजी, आप उनको बुलाकर बात करिये, बहुत जल्दी समस्या का हल हो सकता है। 58 वर्ष की अगर यहां घोषणा कर देते तो आज कोई न कोई रास्ता निकलता। दुर्भाग्य है कि आप ऐसी बात को मान नहीं रहे हैं। नीचे एक बात कही है, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वालों को भत्ता। आज माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय कह रहे थे कि गांवों में कोई डॉक्टर नहीं जाना चाहता। क्यों जायगा? हम परेशान हैं, तीन साल पहले मेरे यहां लेडी डॉक्टर की नियुक्ति हुई थी, कोई डॉक्टर नहीं जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी उस समय अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि वास्तव में गांवों में डॉक्टर नहीं जाते हैं। आप गांवों में लोगों को चिकित्सा के लिए भेजना चाहते हो लेकिन जाते नहीं हैं। गरीब तो बेचारा चला जाता है, डॉक्टर नहीं जाते हैं, डॉक्टरनी नहीं जाती हैं। आप ग्रामीण भत्ता क्यों नहीं देना चाहते? कोई कारण नहीं है। एक तो आपको परियोजनाओं का भत्ता मिलता है, परियोजनायें बनती हैं उनका अलाउंस दिया जा सकता है, तो ग्रामीण भत्ता एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न है जिसके आधार पर आप वाहवाही लूट सकते थे। ग्रामीण भत्ता और उम्र, दो बिन्दु ऐसे हैं जिनके आधार पर कोई न कोई रास्ता मिल सकता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े सरकार ने बताये हैं उनके अनुसार सेवा निवृत्ति की उम्र बढ़ाने से 28 करोड़ से ज्यादा व्यय नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप पावर में होते तो क्या करते?

श्री दाऊ दयाल जोशी : हम करते, हमने आयोग इसलिए बैठाया था। आयोग के माध्यम से सुझाव मांगे थे। हम निश्चित रूप से करते लेकिन दुर्भाग्य है....

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर पावर में होते तो राजस्थान के ऊपर इतना

(श्री दाऊदयाल जोशी)

ओवर ड्राफ्ट नहीं आता, किसी भी मूल्य पर नहीं आता। यह हमारी सरकार थी जो अपनी सूझबूझ के आधार पर केन्द्र और राजस्थान में गेहूं की योजना लायी थी। अगर वह योजना नहीं होती ...

श्री उपाध्यक्ष : फिर लोगों ने मनाया नहीं आपको।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जिस समय अनिवार्य सेवा अधिनियम लागू करने का प्रस्ताव आ रहा था मैंने उस समय कहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस कानून का दुरुपयोग करोगे। उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गर्दन हिलाकर कहा था, नहीं। मौन स्वीकृति दी थी हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, इस बात की स्वीकृति दी थी। आज क्या होगा, रात 12 बजे के बाद आप क्या करने वाले हो ? आज रात में गिरफ्तारियां होंगी, गिरफ्तार करोगे, जेलों में भेजोगे। आप केवल सरकारी कर्मचारी को ही नहीं हमको भी भेजोगे। हम तो मुबारकबाद देते हैं, भेजो। हमारी तो वाहवाही होगी। हमारा कुछ होने वाला नहीं है। जेलों में तो बहुत रहे हैं, 19 महीने की लम्बी जेल काट कर आये हैं छोटी-मोटी जेलों से हमें चिन्ता नहीं लेकिन भगवान के नाम पर आपने पाशविक बहुमत के आधार पर, मैं पाशविक बहुमत कह रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : पहले जो जेलों में जा आये और आज मिल गया वह नहीं मिलने वाला है।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह काहे को मिलेगा। आप आज मत करा लो, आपको चैलेंज है, माननीय मुख्य मंत्री जी, त्याग पत्र देकर, यह सरकार त्यागपत्र देकर चुनाव करा ले, आज हमको फिर जनता प्यार करेगी। हमें चाहते हैं, यह होगा।

श्री उपाध्यक्ष : इतने लम्बे हाथ मत करिये। सामने बैठी पुष्पा जी को न लग जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आवाज मोटी है इसलिए उसी का दण्ड मुझे भोगना पड़ता है और मैं तो दोनों माइक एक तरफ करके बोलता हूं।

(व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप नेताओं को बुला लें, इसमें विरोधी दलों का भी आह्वान कीजिए, तीनों पक्षों को बुलाकर कोई समझौता वार्ता करें। आज रात दमन का डंडा चलायेंगे। राज दण्डे से नहीं चलता, राज के लिए अनेकानेक नीतियां हैं। चाणक्य नीति को पढ़िये आपको उसमें से कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। मेरा आपसे पुनः पुरजोर शब्दों में निवेदन है, आज रात्रि को दमन का डंडा हाथ में न लेकर और....

एक माननीय सदस्य : कौन सा लें ?

श्री दाऊ दयाल जोशी : कमल के जैसा शानदार।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

इस गम्भीरतम समस्या में राजस्थान को मत डालिये, राजस्थान को उबारने का प्रयास कीजिए। यही मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : अब चर्चा काफी हो गयी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने मेरे को कहा था कि आप को बोलने का अवसर देंगे।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : जिस डिबेट में महिलायें पार्टिसिपेट नहीं करतीं वह अधूरी होती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं नहीं बोली चर्चा अधूरी रह गयी। मेरे सुझाव को ध्यान में रखते हुए....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, उनको मौका दे दिया गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो मिनट बोलेंगे, आप घड़ी देख लेना।

श्री उपाध्यक्ष : किसी का नाम नहीं है, नाथूसिंह जी का है, उनको दो मिनट....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, यह कोई तरीका नहीं है। नाम तो देते नहीं अपनी पार्टी के सचेतक की मार्फत कि हम बोलेंगे...."

(व्यवधान)

यहां एक ही मैटर नहीं है और भी बहुत से आदमी बोलेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय, ये महिलायें × × × है, इनको बोलने दीजिए। दो मिनट।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे को दो मिनट देंगे तो नोबत टल सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो जानती हो, वहां स्पीच देकर आयी हो।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सदन की मांग पर इस सदन के द्वारा दबाव डालने के बाद मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य देने पर तैयार हुए हैं।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नाथूसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, इतने लम्बे समय से कर्मचारी मांग कर रहे हैं, जब उनके धैर्य का बांध टूटा और सदन के अन्दर, सौभाग्य से सदन चल रहा था, इस बात की डिमाण्ड हुई, दो तीन दिन तक तनाव का वातावरण रहा तब मुख्य मंत्रीजी को सदन के सामने और कर्मचारियों के सामने झुकना पड़ा। इसके लिये भी मैं कर्मचारियों और सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे थे उस समय उन्होंने यह बात कही, कई माननीय सदस्यों ने भी कहा, बेरी आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों के साथ समय-समय पर वार्ता सरकार उनको लिखे गये पत्र, बेरी आयोग का कार्यकाल लगातार समय-समय पर बढ़ाते रहना इस बात का संकेत है कि यह सरकार, माथुर साहब इस समस्या के बारे में गम्भीरता से विचार करते थे। मैं सदन का समय बेर्बाद नहीं करना चाहता हूं उन पत्रों को पढ़ कर। सरकार सोचती थी और इसीलिये इन्होंने बार-बार कहा था और इसीलिये बेरो आयोग की रिपोर्ट आने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अधिकारियों की कमेटी बनायी चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी। अगर उनकी मंशा यह होती कि बेरी कमीशन बेकार है तो गवर्नमेन्ट कोई कमेटी नहीं बनाती। उस कमेटी ने 27 जनवरी, 82 को इनको प्रतिवेदन दिया, उसके पश्चात् इन्होंने समय-समय पर आश्वासन दिया। एक पत्र 4 जनवरी को लिखा, दूसरा पत्र इन्होंने 6 मार्च को लिखा, फिर 4 फरवरी को दूसरा पत्र लिखा और उसमें कहा कि हम आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि इस पर गम्भीरता से विचार करके कर्मचारियों को कुछ राहत दी जायगी।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन से स्थिति परिवर्तित हुई है। जब मुख्य मंत्रीजी राष्ट्रीय विकास परिषद् की मीटिंग में दिल्ली गये तो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इनको आंख दिखाई और कहा कि आप लोगों को कोई सहायता नहीं दी जायगी। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, तीन दिन पहले लोक सभा में अन्सारीजी ने एक वक्तव्य में कहा कि केन्द्र के पास राज्यों को सहायता देने के लिये कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना के अनुसार....

श्री उपाध्यक्ष : आप ऐसे बयान दे रहे हो जैसे आप खुद मौजूद थे वहां।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वह बता रहा हूं जो लोक सभा में अन्सारीजी बोले हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद् में प्रधान मंत्रीजी बोली हैं, आप चाहें तो मिनट्स मंगा लें। वहां मुख्य मंत्रीजी उपस्थित थे। उपाध्यक्ष महोदय मेरी सूचना के अनुसार श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विभिन्न मुख्य मन्त्रियों को निर्देश दिये और राजस्थान के मुख्य मंत्री को भी निर्देश दिये। आपकी सरकार का सबसे ज्यादा ओवर ड्राफ्ट है। नम्बर एक। नम्बर दो, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री नाथूसिंह)

वह इन्डाइरेक्ट इमर्जेंसी धीरे-धीरे लाना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने पहला कदम यह उठाया कि विभिन्न राज्य के मुख्य मन्त्रियों को निर्देश दिये। इस तरह से पहली तलवार कर्मचारियों पर चलाई। कुछ दिन पहले असेन्शियल सर्विसेज एक्ट इस सदन में पास करवाया था उस समय मैंने कहा था कि यह आपकी स्पष्ट नीति है, कर्मचारियों के प्रति इन्डाइरेक्ट इमर्जेंसी लागू करने का आपका प्रयास है और वह आज सामने आ रही है। इन्होंने वह एक्ट लागू कर दिया और आज जैसे माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कर्मचारियों को गिरफ्तार करेंगे। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से स्पष्ट होता है दबाव में आकर, मुख्य मंत्रीजी, आप इन्कार कर रहे हैं नहीं तो कह देते बेरी आयोग बेकार है। क्यों आपने कमेटी बिठाई? क्यों आपने पत्र लिखे? सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा, यह क्यों कहा? उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री आज यहां वक्तव्य दे रहे थे उस समय प्रारम्भ में लगा कि मुख्य मंत्रीजी कुछ देने जा रहे हैं लेकिन उसके पश्चात् जो भाषा थी वह उचित नहीं थी। उचित इसलिए नहीं थी, कर्मचारियों के प्रति इस स्टेट के सब कुछ अधिकार हैं, मुख्य मंत्रीजी आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपके मुंह से इस तरह के शब्द नहीं निकलने चाहिये। एक तरफ अनेक भूख से पीड़ित कर्मचारी आपसे रोटी मांगते हैं उनकी आंखों में आंसू हैं और आप डण्डा लेकर उनके पीछे पड़े हुए हैं। मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, आपने पहला प्रहार किसानों पर किया और किसानों को मारने के पश्चात् कर्मचारियों पर दूसरी तलवार चला दी। जिस तरह से आप ठण्डे दिखा रहे हो उस तरह अगर यह कर्मचारी बदल गया, एक होकर मन में ठान ली तो यह डण्डा उनके हाथों में होगा और जो उनकी आंखों में आंसू हैं वे आपकी आंखों में होंगे, याद रखिये इस बात को। आज आप 137 बता रहे थे लेकिन 1975 में आपको मालूम है कि 501 थे लेकिन डेढ़ साल बाद, दो साल बाद क्या हुआ। धमकाते हैं आप कर्मचारियों को, दबाना चाहते हैं उनको डरा कर। उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होगा, इन्हीं की सरकार थी बिहार में, उपाध्यक्ष महोदय, उसका हवाला देकर निवेदन करना चाहता हूं कि बेरी आयोग गठित करते समय कुछ कमियां रह गईं, जैसे महंगाई भत्ते का सवाल है। बिहार के अन्दर, यू.पी. के अन्दर कन्जूमर्स प्राइस इण्डेक्स 320 है तो 355 रु. कर्मचारियों को उन्होंने देना शुरू कर दिया। उन्होंने प्राइस इण्डेक्स पर 320 पर महंगाई भत्ता 355 रखा लेकिन बेरी आयोग की रिपोर्ट आई, उपाध्यक्ष महोदय, उसको आप पढ़ें, उसके अन्दर राजस्थान में 368 प्राइस इण्डेक्स पर 350 की बात कही है। आज कर्मचारियों को इतने पाइंट नीचे रखा है, उपाध्यक्ष महोदय, यह न्याय नहीं, फिर भी उसको आप मन्जूर नहीं करना चाहते हैं। आपकी ही सरकार है बिहार और यू. पी. में, क्या उनकी हालत खस्ता नहीं है, आपकी हालत खस्ता है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री

(श्री नाथूसिंह)

जी कमजोर है। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि यहां पर डण्डा दिखाने के लिए कर्मचारियों को उपदेश दे रहे हैं, मुख्य मन्त्री जी आप नीति की घोषणा करते। आप नीति बनाइये। कर्मचारियों की क्या दशा है, महंगाई आप बढ़ाते हैं और देते कुछ नहीं हैं, भूखे रहेंगे भूखे मरेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह खर्च की बात करते हैं, खर्च तो होता यदि महंगाई को वेतन से जोड़ते। महंगाई से जोड़ेंगे तो यह कहेंगे कि घाटा हो जायगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। उस वेतन को काम से जोड़िये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आपकी प्रशासन पर पकड़ नहीं है। इसलिए आफिसेज में काम नहीं होता, समय पर आफिसेज में ठीक ढंग से काम नहीं होता, जितना काम होना चाहिये उतना काम नहीं होता क्योंकि प्रशासन की पकड़ नहीं है। आप काम महंगाई और वेतन तीनों को साथ जोड़ दें। अगर महंगाई का इण्डेक्स बढ़ेगा तो वेतन बढ़ेगा और वेतन बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा। इन तीनों को एक साथ जोड़िये, आपके सामने दिक्कत आने वाली नहीं है, खर्च की समस्या की बात करते हैं उसका भी समाधान हो जाएगा। आप पैसे की बात करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से मुख्य मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी की सरकार फाइनेन्सियल पोजिशन ठीक कर सकेगी, वित्तीय स्थिति ठीक कर सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं अभी सवाल पूछे थे, मुझे आंकड़े मालूम हैं, इन्होंने 60 विधायकों की नियुक्ति की थी और साठों की टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स तय नहीं कीं, कितने किलोमीटर गाड़ियां चलेंगी, कितना भत्ता मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, कहते हुए शर्म आती है, एक विधायक पर पौने दो लाख का खर्चा है, किसी पर दो लाख का आया है। आप हिसाब लगायें, आप स्टेट को किस तरह से बचाना चाहते हैं, उपाध्य महोदय, आज मुझे कहते हुए शर्म आती है। मुख्य मन्त्री जी आपकी सरकार मिस्टर वली जो इस समय बैठे हुए हैं, को लायी, 9 आई. ए. एस. आफिसर्स को सुपरसीड किया। एक-एक का हिसाब लगायें, उसका खर्चा क्या है, क्या कहना चाहते हैं? कितने आई. ए. एस. आफिसर्स हैं जिनको भत्ता दे रहे हैं, जो गाड़ियां लेकर सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, उनकी बीवी और बच्चों को पिक्चर दिखाने के लिये गाड़ियां जाती हैं। क्या इनका पेट्रोल भत्ता कम करना चाहते हैं? आपमें दम नहीं है, मैं जानता हूं आप इन लोगों से कुछ नहीं छीन सकते क्योंकि आप स्वयं सुविधा भोगी हैं और ये तो सुविधा भोगी है ही। एक क्लास बना रखी है आप हमारे हितों का ध्यान रखें, हम आपके हितों का ध्यान रखेंगे। आपका शासन ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहने में कोई शक नहीं, इस समय राजस्थान के फाइनेन्सियल खर्चे का आप हिसाब लगाकर देखें, गरीब कर्मचारियों के मेरे पास अलग अलग आंकड़े हैं, मैं बताना चाहता हू, ऐसा नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, सभी 295 की स्केल में हैं, 400 की स्केल में हैं····

(श्री नाथूसिंह)

(व्यवधान)

यह भी कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने इस समय....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा हो गयी है।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : कार्य सूची में और भी काम हैं, यह कोई फुल फ्लेज्ड डिबेट नहीं है....

श्री नाथूसिंह : और क्या हो रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय पंचायत समितियों को आदेश भेजे जा रहे हैं जिसमें खर्चा कम करने के लिये मुख्य मंत्री जी ने सजेस्ट किया है। मैं आगाह कर रहा हूं मुख्य मंत्री जी ने अपने व्यक्तियों को आर. ए. एस. में लेने के लिये, उनके चयन के लिये मोहनलाल माथुर को पी. ए. सी. का मेम्बर बनाया है। यह मैं आज यहां बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से खर्चा नहीं बचेगा। राज्य के कर्मचारी इनसे रोटी मांगते हैं, पानी मांगते हैं तो यह उनके हाथ में शराब की बोतल देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने बजट पेश किया था, वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं। वित्त मंत्री जी आ गये, इसकी मुझे खुशी है। तो यह शराब की बोतल पेश करते हैं। यह गांधीवादी हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि,

"साकी कहूं आपको या मंत्री कहूं।
गांधीजी की फौज का सतरी कहूं॥"

कर्मचारियों के साथ और इस राजस्थान की जनता के साथ यह लोग जो अत्याचार कर रहे हैं, माथुर साहब, माने या न मानें, कर्मचारियों का संघर्ष होगा। अगर कर्मचारियों की मांग नहीं मानी, मुख्य मन्त्री जी×××मैं बताना चाहता हूं माननीय सदस्यों ने कहा है आप अगर भलाई चाहते हैं....

(व्यवधान)

अच्छा है, आप इन कर्मचारियों से वार्ता कीजिये और इनको संतुष्ट कीजिये, इसी में आपकी भलाई है। आपने समय दिया, उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे भी बोलने दीजिये....

श्री उपाध्यक्ष : मैं किसी को समय नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

सुश्री पुष्पा जैन : मेरा पाइंट आफ आर्डर है....

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर होता ही नहीं है।

(व्यवधान)

देखिये, अगर पाइंट आफ आर्डर नहीं हुआ, ठीक नहीं है....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप हमें अवसर नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूं। मैं बहुत उत्सुक हूं सुझाव देने के लिये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बैठ जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा अधिकार है सदन में सुझाव देने के लिये....

श्री उपाध्यक्ष : आपका यह उपदेश मैंने सुन लिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह उपदेश नहीं, मान्यवर, मैं आग्रह कर रही हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं है....

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : मेरा नाम था, उपाध्यक्ष महोदय....

श्रीमती उजला अरोड़ा : बेरी कमीशन के प्रश्न पर मुझे अवसर नहीं दिया गया....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, समय बरबदा मत कीजिये, बाधा मत डालिये।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पांच तारीख को विरोधी दल....

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर कहां है ?

सुश्री पुष्पा जैन : मैं बता रही हूं 5 तारीख को विरोधी दल के माननीय नेता ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए यह मांग की थी कि बेरी वेतन आयोग की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा जाय उस समय....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कौन से नियम का हवाला दे रही हैं ?

सुश्री पुष्पा जैन : उस समय आसन ने यह व्यवस्था दी थी....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : मैं इनकी बात सुनूं या आपकी....

(व्यवधान)

मैं दोनों की बात नहीं सुनूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, 5 तारीख को विरोधी दल के नेता ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए मांग की थी कि बेरी आयोग की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा जाय उस समय माननीय मदेरणा साहब मौजूद थे तब काफी बहस हुई थी। विरोधी दल के नेता की बात को मद्दे नजर रखते हुए आसन ने यह व्यवस्था दी थी कि दो-तीन दिन में यह व्यवस्था दे देंगे कि रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जायगी या नहीं। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि दो-तीन तो क्या काफी दिन गुजर गये हैं 5 तारीख के बाद, तो व्यवस्था दें कि रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे या नहीं।

अब मुझे दो मिनट बोलने की इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर व्यवस्था देना मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आप बैठ जायं, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह ज्यादती है····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन को कुछ नहीं कहेंगी। मैंने सबको बराबर समय दिया है····

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमको बिलकुल नहीं दिया ···

(व्यवधान)

मैंने बेरी कमीशन पर प्रस्ताव रखा था····

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों का नाम नहीं है····

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : मुझे 5 मिनट दिये जायं····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बैठ जायं।

सुश्री पुष्पा जैन : हम बैठ तो जायेंगे, आप इस तरीके से····

श्री उपाध्यक्ष : समय का ध्यान रखिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमको दो मिनट का समय दीजिये····

(व्यवधान)

इससे समय बरबाद हो रहा है, हमें बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, 2 मिनट बोल लीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 2 मिनट यह भी बोलेंगी ···

श्री उपाध्यक्ष : मैंने घड़ी देख ली है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं डेढ़ मिनट में खतम कर दूंगी। मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रही थी कि हम बहुत चिन्तित थे इसलिये हमने सदन का ध्यान आकर्षित किया। वेरी कमीशन की रिपोर्ट पर वक्तव्य देते हुए मुख्य मन्त्रीजी ने यह आरोप लगाया है अपनी स्पीच में कि वृहत्तर हितों को हमने एक तरफ रखकर लोगों को उकसाया और भड़काया है, यह बात नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगी कि आप हमको भी धमकी दे रहे हैं कि उनको तो गिरफ्तार कर रहे हैं आपको भी गिरफ्तार करेंगे। आपने हवाला दिया है कि बाढ़ है, अकाल है। अकाल की स्थिति यह है कि जयपुर में आज तक आपने पैसा नहीं बांटा, उसमें भी आप पैसा बचाना चाहते हैं और यह कहा कि भू-खण्ड आवंटन किये उसमें बाढ़ पीड़ितों का पैसा काट लेंगे। क्या यही नीतियों की क्रियान्विति की बात है? दूसरा, मेरा सुझाव है कि नित्योपयोगी सामान को सस्ती दर पर देने के लिए आप उन्हें सब्सिडाइज कीजिये। आप महंगाई पर काबू पायें, महंगाई भत्ता अगर नहीं देना है तो मैं कहना चाहूंगी कर्मचारियों के लिये आप चीजें सब्सिडाइज रेट पर उपलब्ध करवायें, जिससे आपको कल्याणकारी में शामिल किया जाय कि आप भी कल्याणकारी राज के कुछ हैं। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगी आप हमारी बात मानिये कर्मचारियों से कुछ बात करिये, वार्ता के द्वार खोलिये। आप उनको धमकी दें, वित्त मन्त्री जी ने उनको धमकी दी, मैं समझती हूं, यह गलत तरीका है।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि 1-2-68 को राणावत पे कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी। 10 साल के पश्चात् राजस्थान में पे कमीशन बिठाना जरूरी था या नहीं? यदि था तो बेरी कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं मंजूर की गयी? क्यों नहीं सदन की मेज पर रखी गई?

(व्यवधान)

यह काला कानून बनाकर कर्मचारियों का गला घोट रहे हैं उससे बेहतर होता कि रिपोर्ट सदन की टेबल पर रखी जाती। हम उस पर विचार करते, जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज आ रही हैं उनसे निपटते, उनको सुलझाते। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह विरोधी दल को कांफिडेंस में ले, जनता को कांफिडेंस में ले, बजाय कांफिडेंस में लेने के आप हिटलर और मुसोलिनी की तरह शासन चलाना चाहते हैं। आप कर्मचारियों का दमन करना चाहते हैं। जिस तरह के विचार अभी ट्रेजरी बैंचेज से आये, मुझे बड़ा अफसोस है जो जमुवारामगढ़ से माननीय सदस्य जीतकर आये हैं उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जनता ने गलती की जो हमको चुना, जिस जनता ने आपको सत्ता हाथ में दी उसके प्रति यह कहें कि जनता ने गलती की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा है....

श्री उपाध्यक्ष : मखबूल जनता की....

सुश्री पुष्पा जैन : उन्होंने कहा, हम

(सुश्री पुष्पा जैन)

कर्मचारियों को उकसाया करते है । माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहती हूं, राजस्थान के 4 लाख कर्मचारियों को, क्या आप × × × समझते हैं कि बेकार में आंदोलन शुरू कर दें ? मुझे ताज्जुब होता है, मैं दुहाई देती हूं आपके दलील की, युक्ति की और सरकारी शासन की । बेहतर होता, मुख्य मंत्रीजी, आप बड़ी शालीनता से पहले ही दिन से ऐसा माहौल क्रिएट करते चिंता प्रकट करते कि यह जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह से इससे निपटा जाय, किस तरह से फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो हमारे ऊपर आ रही हैं उनका भुगतान किया जाय । बजाय इसके आपने एक × × × प्रक्रिया पकड़ ली, उस पक्ष के सदस्यों से कहलवा दिया कि विरोधी दल आंदोलन करा रहा है, सारी की सारी जिम्मेदारी हम पर दे दी और यहां तक कह दिया कि विरोधी दल इससे राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है । मैं कहना चाहूंगी कि कौन सा × × × वह विरोधी दल है जो सरकार की कमजोरियों का फायदा नहीं उठाएगा, आप कमजोरियां करें, आप गलतियां करें, आप शासन चलाना चाहें तो उसका परिणाम यह निकलेगा कि फायदा उठायेंगे । × × × हम तो क्या, × × × भी फायदा उठायेंगे, हम तो बहुत समझदार हैं । मुख्य मंत्रीजी, इस × × × को छोड़िये ...

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइए ।

सुश्री पुष्पा जैन : आप मुख्य मंत्री हैं, बड़ों को ही झुकना पड़ता है, इस राज्य के आप कर्णधार हैं । इस समय राज्य की जनता आपसे कुछ अपेक्षा रखती है । ये कर्मचारी आपसे अपेक्षा रखते हैं, अगर राज्य का शासन चलाना है तो इन कर्मचारियों के सहयोग के बिना राज्य का शासन नहीं चलेगा । शासन चलाना है तो इनको कान्फिडेंस में लीजिये, विरोधी दल को कान्फिडेंस में लीजिये और बैठकर कोई सीधी वार्ता कीजिये उसके ही अच्छे परिणाम होंगे । इस काले कानून का कोई अच्छा परिणाम नहीं होने वाला है । परिणाम होगा तो सिर्फ यही होगा कि आपको यहां से कूच करना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है । मुख्य मंत्री ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सवाल केवल ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री भंवरलाल शर्मा : स्पीच नहीं करूंगा । एक मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : दो महिलायें थीं । उनकी जिद को पूरा किया । आप तो कम से कम संयम रखें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : उनको 5 मिनट दिये । एक सवाल और करूंगा ।

(व्यवधान)

Only one question. No speech.

श्री उपाध्यक्ष : सवाल ही कीजिये । आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अलाउ कर दिया । मुख्य मंत्री महोदय, आप अपने वक्तव्य में उत्तर दें क्या राज्य कर्मचारियों की मांग को केवल इसलिये नहीं मान रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरा जिम्मा है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप क्या राज्य कर्मचारियों की मांग को इसलिये नहीं मान रहे हैं कि वह राजनीति से प्रेरित हैं ? दूसरा सवाल यह है कि आपका राज आ जाने के बाद जनता पार्टी ने जो आयोग बिठाये थे उन सारे आयोगों को आपने समाप्त कर दिया, बेरी आयोग को आपने समाप्त नहीं किया तो आज उसको अमान्य करने का कोई कारण है आपके पास ? तीसरी बात यह है कि आपने राज्य कर्मचारियों को धमकी भरा वक्तव्य दिया है उससे क्या राज्य कर्मचारी हड़ताल समाप्त कर देंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री । आर्डर प्लीज ।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष जी, जो वक्तव्य मैंने राज्य कर्मचारियों की संभावित हड़ताल के संबंध में इस सदन में दिया और उस पर करीब 2॥ घंटे की बहस हुई, उसमें एक बात तो इधर से और उधर से सभी तरफ से स्वीकार की गई कि राजस्थान पर भयंकर वित्तीय संकट है । मैं समझता हूं, यही एक कारण है जो हमको मजबूर करता है हमारी इच्छा होते हुये भी हम उस हालत में अपने आप को नहीं पा रहे हैं कि जो मांग आज कर्मचारी कर रहे हैं उसको पूरा करें । इस बात को स्वयं वे भी अपने तौर पर स्वीकार करते हैं कि दिक्कत राज्य सरकार की है लेकिन उसके बाद भी लगातार उस मांग को वह करते जा रहे हैं । हमारी मजबूरी या हमारी कमजोरी कह दें सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यह है । आज राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है उसमें हमको तोलना यह है कि हम राज्य की कमजोरी को दूर करने के लिये कुछ कठोर निर्णय लें, कड़वे निर्णय लें और उन कड़वे निर्णयों में भी इस बात का खयाल रखें कि उसमें सबसे पहले प्राथमिकता किस वर्ग को दी जाय, किस काम को दी जाय । मैं समझता हूं, इस बात को यहां सदन में बैठकर, विरोधी बैंचों पर बैठकर आप कुछ भी कहें लेकिन मन में आप सोचेंगे तो आप इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि जब इतना बड़ा वित्तीय संकट सरकार के सामने है उस समय यह होना चाहिये कि राजस्थान के विकास की गति धीमी न हो, राजस्थान में जो विकास के लिये आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसके निर्माण में कोई कमी नहीं आये । इसके साथ ही साथ सबसे अधिक महत्वपूर्ण

(श्री शिवचरण माथुर)

बात यह है कि राजस्थान की जनता का वह वर्ग जो आज भी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहता है, जिसको सही मायने में सहायता की आवश्यकता है, उसको सबसे पहले सहायता दी जाय। मैं नहीं कहता कि राज्य कर्मचारियों की मांग में औचित्य नहीं है, उनको दिक्कत नहीं है लेकिन आज उस गरीब आदमी, कोई 56 प्रतिशत कहता है कोई 48 प्रतिशत कहता है, जो गरीबी की सीमा के नीचे रहता है, को संभालने की जिम्मेदारी समाज और सरकार की है। जो कुछ हमारे पास वित्तीय साधन हैं उसके आधार पर प्राथमिकता पहले उसको दें या कर्मचारियों की मांग, जो मैं समझता हूं कुछ दिनों के लिये टाली जा सकती हैं, को दें। उनको पेण्डिग रख लिया जा सकता है। इन बातों को बैलेन्स करने का सवाल है। जहां तक इन दो बातों को बैलेन्स करने का प्रश्न आता है उस समय हमारा विवेक, हमारा निर्णय निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के सर्वहारा वर्ग, जो आज गरीब है, पिछड़ा हुआ है, जिसको संभालना बहुत जरूरी है, को संभालने के लिये हो। उसके लिए भी राजस्थान में एक मौलिक आधार का प्रश्न आता है। यदि हमने उसको नजरंदाज कर दिया तो न राज्य कर्मचारियों को सुविधायें मिलेंगी, न राजस्थान का विकास होगा, न राजस्थान में उद्योग लगेंगे और न ही राजस्थान की खेती का आगे विस्तार होगा। यह सारी की सारी प्रक्रिया इस बात से आने वाली है।

जैसा कि मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह ऐसा विशाल सर्किल है जिसको कहीं न कहीं हमको तोड़ना पड़ेगा और तोड़कर हिम्मत से आगे बढ़ने की कल्पना करनी पड़ेगी। मैं बहुत नम्रतापूर्वक इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं हमारे दिमाग में कहीं भी किसी भी समय यह भावना नहीं रही है कि कर्मचारियों के प्रति कोई कड़ा रुख अपनायें। मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कर्मचारियों के नेतागण जब-जब मेरे से मिलने आये, समय लेकर आये तब मैं मिला हूं, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, 10 बार, 25 बार मिला हूं। कभी मैंने समय का खयाल नहीं रखा और हम जब-जब भी मिले हैं तो हमने एक ही बात कही है शायद राज्य की आर्थिक स्थिति का आपको ज्ञान नहीं है। वह स्वीकार करते हैं कि राज्य की आर्थिक स्थिति का हमें ज्ञान है लेकिन हम क्या करें, हमें तो उन्हीं लोगों को संतुष्ट करना पड़ता है, सैटिसफाई करना पड़ता है जिनके हम नेता हैं, उनके लिये कुछ करना चाहिये। यह बात हमेशा वे कहते रहे ...

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने वक्तव्य में, जब मैं पढ़ रहा था, विरोधी पक्ष के संबंध में जब एक सेन्टेंस लिखने वाली बात सोची उस समय मेरे दिमाग में यह कल्पना थी, वास्तविकता है जरूर लेकिन इसको लिखा जाय या नहीं, उलझन में पढ़ा हुआ था लेकिन अभी जो विरोधी पक्ष की तरफ से भाषण हुये किसी ने कहा डंडा उधर से होगा और आपकी खोपड़ी तोड़ी जायगी और किसी ने यह कहा लड़ाई गली-गली में होगी और बाजार में होगी। किसी ने यह कहा आपको समझ लिया जायगा, किसी ने यह कहा जार की तरह आपको ओवरथ्रो कर दिया जायगा। ये सब बातें जो कही गई हैं, मैं समझता हूं, मेरी आशंका थी कि इसके पीछे कोई राजनीति छिपी है वह सही सिद्ध हुई है। इस प्रकार की बातें विरोधी पक्ष के नेताओं की हुई हैं। मैं कभी उम्मीद नहीं करता था। हम आशा करते थे कि यदि आपको इस बात का खयाल था राजस्थान की वित्तीय स्थिति खराब है और आपको कर्मचारियों का भी खयाल था तो कम से कम एक भी कोई विरोधी पक्ष का नेता यह तो अपील निकालता कि, भाई, ऐसी वित्तीय स्थिति में, खराब परिस्थितियों में कर्मचारियों का कर्त्तव्य है कि वे अपनी मांगों को थोड़ा पीछे रखकर राजस्थान के हित में सोचें और हड़ताल की तरफ आगे कदम नहीं बढ़ायें लेकिन मुझे खेद है, मुझे दुख है कि किसी भी विरोधी पक्ष के नेता ने वास्तविकता की बात को नहीं समझते हुये केवल उकसाने की बात यहां पर कही। यहां पर तरह-तरह की बातें कहीं जिनसे निश्चित रूप से उनको बढ़ावा मिलता।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : यह आपसे उम्मीद नहीं थी।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपका ही जिक्र कर रहा था। थोड़ी शांति रखें।

श्री राजबहादुर : मेरे जिक्र की मुझे कोई ज्यादा चिन्ता नहीं है मैं तो कह रहा था कि आपने जो अपील की बात कही....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : आप मेरे बुजुर्ग हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और आपने जो कहा है मैं भी वही कहने वाला हूं। आपने जरूर यह कहा और आपने माना भी है कि स्थिति खराब है लेकिन उसके लिये इस समस्या का आपने कोई हल या निदान नहीं सुझाया है। आपने कोई सुझाव सुझाने की चेष्टा नहीं की। मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी यहां पर भाषण हुए हैं उससे

(श्री शिवचरण माथुर)

मेरी जो भी आशंका थी वह सही सिद्ध हुई, वह बिलकुल सत्य सिद्ध हुई है। और मेरे ऐसा न मानने में ऐसा कोई कारण नहीं रह जाता है। जो बात यहा पर कही गई है उसके पीछे एक गहरी राजनीति है। यहां तक भी कह दिया गया कि आप लोग जब आगे आयेंगे तो किस प्रकार आयेंगे। इस प्रकार की राजनीति की बातें कही गई। यहां पर इस प्रकार के संकेत किये गये, यहां तक धमकी दी। अगर इसके पीछे राजनीति नहीं है तो क्या है आप स्वयं सोच सकते हैं। मैं इस प्रकार की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं। मैं तो आज भी मानता हूं कि जो हमारे कर्मचारी हैं वह हमारे अभिन्न अंग हैं आगे भी उनसे बातचीत करने से इन्कार नहीं है एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार नहीं 25 बार बातचीत करने को तैयार हूं। हमारे बातचीत करने के दरवाजे कभी बन्द नहीं हुए हैं। हमेशा उनसे बातचीत करने का स्वागत है लेकिन उनसे बातचीत का जो आधार है जो मैंने वक्तव्य दिया है उसमें जो निवेदन किया है। राजस्थान की वर्तमान परिस्थितियों में, मैं समझता हूं, यदि आप भी यहां पर मेरी जगह होते और आप को जनता का ध्यान होता तो शायद आप भी वही बात कहते जो बात मैंने सदन के सामने कही। मैं निवेदन करना चाहूंगा उनकी सभी मांगों के संबंध में हमने कभी भी इन्कार नहीं किया और कोई अनौचित्य की बात नहीं सोची। यही सब बातें मेरे वक्तव्य में दर्शायी हैं। आपने जो बेरी पे कमीशन के बारे में कहा कि जनता पार्टी ने जो कोई कमीशन बैठाये हैं उनको आप भंग करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हम किसी लॉजिकल कनक्लूजन पर आना चाहते थे इसलिये जब पे कमीशन की रिपोर्ट आई तो हमने उस पर एक कमेटी बैठायी। उस कमेटी के निर्माण के बाद उसने अपने कनक्लूजन दिये पर जब हमने इसके वित्तीय भार को देखा, मैं आपको बताऊं कि जो एक्ससॉइज हमने इस पर की और इस परिप्रेक्ष को सामने रख कर जो स्थिति सामने आई जो हमने आपसे निवेदन किया, सभी माननीय सदस्य मानते हैं कि कितना बड़ा वित्तीय भार हमारे ऊपर आ पड़ता। जब यह बात सामने आई तो गम्भीरता से सोचने का प्रश्न उठता है। मैंने कभी भी मेरे वक्तव्य में यह बात नहीं कही है कि कर्मचारियों को हम सुनने को तैयार नहीं हैं, हमने कभी इन्कार नहीं किया। मेरे वक्तव्य में यह था कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयीं जिनसे बहुत अधिक आर्थिक भार पड़ता। तो उस परिस्थिति में इन बातों को गम्भीरता से सोचना पड़ जाता है यही मैंने कहा और हमारे यहां के पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जो बात कही वह बात बहुत ही जिम्मेदारी से कही। मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं और बिलकुल साफ तौर से कहना चाहता हूं कि आज के वर्तमान समय में न केवल राजस्थान बल्कि हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं और हमें गर्व है कि वही इस देश की बागडोर को सम्भाल सकती हैं और हमारी पार्टी ही

(श्री शिवचरण माथुर)

इस देश को चला सकती है बाकी कोई पार्टी नहीं। आपको तो फोबिया हो गया है, जब कोई बात आपसे बन नहीं पड़ती है तो उस वक्त आप सीधी एक ही बात कह देते हैं, वह है श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर बात को टाल देना।

सुश्री पुष्पा जैन : आप उनके नाम से बचना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : राजीव गांधी का नाम लें उसके बाद में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री शिवचरण माथुर : मैं बिलकुल गर्व के साथ कह सकता हूं और जब मैं इस बात का उल्लेख करता हूं तब मुझे गर्व होता है कि इस देश को चलाने की शक्ति और किसी में नहीं है........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आर्डर, आर्डर।

श्री शिवचरण माथुर : जो हमारी तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य हैं वह बहुत ही जिम्मेदारी से बात करते हैं, कोई पापूलर स्लोगन में आकर नहीं करते हैं। पापूलर स्लोगन में आकर कहना बहुत आसान होता है। मंच पर खड़े होकर कहने की बात अलग होती है लेकिन मंच पर खड़े होकर कहने की बात आसान होती है। पापूलर स्लोगन के आधार पर कहना अलग बात होती है। लेकिन कड़वी बात बहुत मुश्किल होती है। कड़वी बात कम कहते हैं। उससे लगता है कि कौन क्या समझते हैं। मैं आपसे निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज जिस जिम्मेदारी को सम्भाल रहा हूं, इस जिम्मेदारी को सम्भालते हुए मेरा पुनीत कर्तव्य है कि मैं राजस्थान के भविष्य के बारे में सबसे पहले सोचूं आगे आने वाले राजस्थान के दस साल, बीस साल में राजस्थान का भविष्य क्या होगा, उसके निर्माण की कल्पना क्या होगी अगर मैं इस भाव से इसको नहीं सोचूं तो मैं निश्चित रूप से यहां बैठने के लायक नहीं हूं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री शिवचरण माथुर : तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य मेरे मित्र श्री कैलाश मेघवाल, जो मेरे बड़े शुभ चिन्तक है, ने एक पुराना हवाला देते हुए कहा कि वित्त मन्त्रीजी ने सलाह दी थी जिसका नतीजा यह हुआ कि बरकत साहब का स्वर्गवास हो गया, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह तो किसी ने देखा नहीं है, एक क्षण लिखा हुआ है, जिस दिन मुझे जाना होगा उस दिन मैं जाऊंगा और जिस दिन आपको जाना होगा तो आप जावेंगे। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यहां

(श्री शिवचरण माथुर)

पर उधर बैठने वाले सदस्यों ने जो बात कही, अगर वित्त मन्त्रीजी ने यहां पर सदन के पटल पर कुछ कहा तो इन्होंने सरकार की नीति के अनुसार अपना वक्तव्य दिया, कोई नई बात नहीं कही और न ही इन्होंने कोई अपना व्यक्तिगत वक्तव्य दिया। उसमें उन्होंने सामुहिक जिम्मेदारी समझकर सम्मिलित रूप से इस कड़वे घूंट को पीकर के कहा है। कड़वी बात जरूर बुरी लगती है लेकिन इतिहास बताता है, कड़वी बातें आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से याद की जाती हैं। जब आगे लोग आते हैं तब वह लोग यह सोचते हैं और कहते हैं कि वह निर्णय कितना सही था। मैं तो कहना चाहता हूं, मैं कोई अपनी बात की तारीफ नहीं कर रहा हूं लेकिन जिन परिस्थितियों में राजस्थान सरकार ने आज जो बजट पेश किया है उसको हिन्दुस्तान के अखबारों ने जिस प्रकार से एडीटोरियल में सराहा गया है उसको आप लोगों ने देख लिया है। न केवल आपके जो पूंजीपति अखबार हैं बल्कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य श्री मेघराज तावड़ है उनकी विचारधारा में विश्वास रखने वाला अखबार पेट्रीयाट ने भी लिखा है। आप पढ़ कर देख लीजिये। आज की परिस्थितियों में जो कुछ सुझाव हो सकते थे, हमने यहां पर रखने की चेष्टा की। उनके आधार पर हम राजस्थान को आगे ले जाने वाले हैं। अगर आज के वक्त में हमें कोई तकलीफ भी होती है तो उस तकलीफ को बर्दाश्त करना पड़ता है और उसे हम उचित मानते हैं लेकिन आगे वक्त अच्छा आ जाय ......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लम्बी बात नहीं कह करके इतना ही कहना चाहूंगा कि यहां पर बहुत हल्की बातें भी कही गई हैं उनका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूं। उससे कोई मतलब भी नहीं है और न ही उनसे कोई लाभ कहीं होने वाला है इसलिये मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों की जो भी बातें हैं उनको सुनने के लिये सरकार तत्पर है। इसमें कहीं पर कोई भी धमकी देने वाली बात नहीं है। उनसे बातचीत करने के लिये हमारे दरवाजे खुले हैं। वह दरवाजे बन्द नहीं हुए हैं। लेकिन उनसे जो भी बातचीत होगी वह राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए, जनता के व्यापक हितों को देखते हुए की जायेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि ऐसी स्थिति लाई जाय जिससे कि डंडा लगाने का या दमन करने की बात हो। पर यह हमारा दायित्व है, कि हड़ताल के कारण अगर कोई किसी को भड़काता है या कोई राजनीति के आधार पर जनता को कष्ट पहुंचाना चाहे तो इस प्रकार की परिस्थितियों में हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी स्थिति से बचाने के लिये जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी हो वह उठाने की हमारी तैयारी हो। किन्तु कहीं भी दबाने जैसी बात नहीं है, धमकाने जैसी बात नहीं है और न ही बदला लेने का सवाल ही है। मैं फिर भी एक बार यह कहते हुए, अपनी अपील

(श्री शिवचरण माथुर)

को दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, कर्मचारीगण से अपील करता हूं कि मेरी उनके प्रति बहुत ही सद्भावना है। उस अपील को प्रस्तुत करते हुए, अपनी अपील में कोई दुर्भावना नहीं रखते हुए इस सदन के मार्फत उनको यह कहना चाहूंगा कि कर्मचारीगण राजस्थान को सही परिप्रेक्ष में समझ कर इस हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय करें और एक अच्छा वातावरण उपस्थित करें। ऐसा वातावरण बनायें कि जिससे बातचीत का वातावरण बन सके और सही परिप्रेक्ष में समस्या का हल निकाला जा सके। बस यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप लोग बातें ही करेंगे या कुछ दोगे भी।

राज्य के विभिन्न भागों में संदेहास्पद स्थिति में नव विवाहित महिलाओं की मृत्यु

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जी द्वारा वक्तव्य। राज्य के विभिन्न भागों में सन्देहास्पद स्थिति में नवविवाहित महिलाओं की मृत्यु।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न सदस्यों ने अपने स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों एवं अन्य प्रस्तावों द्वारा दहेज नहीं देने के कारण एवं नव-विवाहित युवतियों की संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है। माननीय सदस्यों का यह भी मानना है कि प्रदेश में दहेज नहीं दिये जाने के कारण नव-विवाहित युवतियों की मृत्यु का दौर अप्रत्याशित रूप से बढ़ता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, दहेज नहीं देने के कारण नव-विवाहित युवतियों को सताना व परेशान करना वास्तव में एक सामाजिक कुरीति है और यह समाज के प्रति एक कलंक है।

राज्य सरकार माननीय सदस्यों की तरह इस समस्या के प्रति चिन्तित है और इसके समाधान हेतु पूर्ण रूप से जागरूक है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने समस्या का पूर्ण रूप से विश्लेषण किया है और इस समस्या के समाधान हेतु समय समय पर निर्देश भी जारी किये गये हैं।

प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में दहेज नहीं देने के कारण हत्याओं के 10 मामले पंजीबद्ध हुये थे जिनमें से 5 मामले 1980 के थे और 5 मामले 1981 के थे। इन मामलों में से 1980 के पांचों मामलों में पुलिस ने अन्वेषण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया है तथा 1981 के 4 मामलों में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है तथा एक मामला अन्वेषणाधीन है। वर्ष 1982 के चालू वर्ष में अब तक 2 मामले दहेज नहीं देने के कारण महिलाओं की हत्या के सम्बन्ध में पंजीबद्ध हुये हैं। यह दोनों मामले अन्वेषणाधीन हैं। इन दोनों मामलों की स्थिति के बारे में मैं सदस्यों को आगे चल कर अवगत कराऊंगा।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हत्या अपने आप में एक घृणित अपराध है और जब दहेज के लालच के कारण हत्या की जाय तो वह और भी अधिक, घृणिततम हो जाती है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के अपराधों के मामलों में सही नतीजे पर पहुंचना काफी जटिल होता है क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष को काफी अतिरंजित कर प्रस्तुत करते हैं और उनके बयान अधिकतर भावना-प्रेरित होते हैं न कि तथ्यात्मक। इस कारण अन्वेषण में सही स्थिति को मालूम करने में काफी कठिनाई महसूस की जाती है। फिर भी 1980–81 में पंजीबद्ध मुकदमों के अन्वेषण में पुलिस को काफी सफलता मिली हैं। किसी भी मुकदमें में पुलिस ने एफ. आर. नहीं दी है बल्कि कुल 9 मुकदमे, जिनमें अन्वेषण समाप्त हो चुका है, वे सब के सब चालान किये जा चुके हैं। एक मुकदमे में अन्वेषण जारी है।

इस समस्या की महत्वता को देखकर राज्य सरकार ने पहले दो नवविवाहित महिलाओं की उनके विवाह के पांच वर्ष की अवधि में संदेहास्पद मृत्यु हो जाने पर अन्वेषण के सम्बन्ध में निम्न आदेश प्रसारित किये थे :—

(1) जब भी कभी नव विवाहित की संदेहास्पद मृत्यु का मामला ध्यान में आवे तो उसकी गम्भीरतापूर्वक छानबीन एवं जांच की जावे।

(2) ऐसी संदेहास्पद मृत्यु एवं आत्महत्या के मामलों का अनुसंधान पुलिस उप-अधीक्षक पद के अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए। यदि पुलिस उप-अधीक्षक पद का अधिकारी तुरन्त उपलब्ध न हो तो उपलब्ध होते ही वे स्वयं इस प्रकार के अनुसंधान एवं जांच के कार्य करें।

(3) ऐसे सभी मामलों में शव परीक्षण (पोस्ट मार्टम) जहां तक सम्भव हो दो डाक्टरों के बोर्ड से कराया जाना चाहिये।

(4) जहां तक सम्भव हो शव को महिला के माता-पिता या अभिभावक या निकट सम्बन्धियों को दिखा देना उपयुक्त होगा।

(5) चिकित्सा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हुये हैं कि वे शव का परीक्षण पूरी जिम्मेदारी से करें।

इस प्रकार देखेंगे कि राज्य सरकार स्वयं इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि नव-विवाहित युवतियों की संदेहास्पद मृत्यु के मामलों में अविलम्ब एवं गहनता से जांच की जावे ताकि सही स्थिति सामने आ सके और इस समस्या को कारगर रूप से रोके जाने में सफलता प्राप्त हो सके। लेकिन यहां पर माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह समस्या एक सामाजिक समस्या है और जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं आवेगी इस समस्या का पूर्ण रूप से हल केवल प्रशासन की तत्परता से प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

इसी सम्बन्ध में यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस समस्या से निपटाने के उद्देश्य से एक दहेज उन्मूलन संशोधन बिल लाने पर भी विचार कर रही है ताकि दहेज की प्रवृत्ति को यथासम्भव रोका जा सके।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो सरकार ने जो स्टेप्स लिये हैं, इस दिशा में डाइरेक्शन्स इश्यू किये हैं वह तो मैंने पढ़ कर सुना दिये, अब और जो केसेज हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा हो तो मैं तैयार हूं। यह 9 पेज का स्टेटमेन्ट है, श्रीमन। अगर आपकी आज्ञा हो, सदन की आज्ञा हो ..

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) इस सम्बन्ध में मेरा एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित एक युवती की हत्या की गयी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सर्व श्री मोहनलाल मोदी, दाऊदयाल जोशी, महावीर प्रसाद, देवीसिंह भाटी, ललितकिशोर चतुर्वेदी, हीरालाल आर्य, छीतरलाल आर्य और गुलाबचन्द कटारिया ने जो हमारे विभाग को स्थगन प्रस्ताव भेजे थे उनके सम्बन्ध में मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को पूर्व में ही जवाब भिजवा दिये हैं लेकिन इसके बावजूद भी माननीय सदस्य किसी स्पेसिफिक केस, जिसकी जानकारी मुझे है या जिन 12 केसेज का मैंने यहां जिक्र किया है, के बारे में मुझसे कोई जानकारी करना चाहें तो करें, क्योंकि पिछले दो सालों में 9 केसेज में चालान हो चुका है, सिर्फ एक केस में चालान बाकी रह गया है। इस साल 82 के दो केसेज हैं उनमें भी एक का चालान हो गया है और एक के अन्दर मामला जेर तफतीश है। यही मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, माननीन उपाध्यक्ष महोदय।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : यह नग्न चित्र देखने के बाद शायद आपको दया आ जायगी "

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अनुमति बिना नहीं बोलें। माननीय सदस्य, श्री मोहनलाल मोदी ! स्थगन प्रस्ताव पर बोलेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करवाना चाह रही थी माननीय मन्त्री महोदय से....

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) कौनसा स्थगन प्रस्ताव ? उसके बारे में तो चर्चा हो चुकी थी, उपाध्यक्ष महोदय। सरकार ने जवाब दे दिया था, उस पर चर्चा हो गयी थी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी ! आपको भी जवाब मिल गया।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : यह जवाब तो सरकार की ओर से इसी प्रकार से मिलता रहेगा, समस्याओं का, ऐसे मामलों का कोई निदान नहीं होगा। सरकार कतई ध्यान नहीं देगी, यह तो हमें पता है। यह भी आपको महसूस होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बात न कीजिये अपना काम कजिए। जो भी कहना है कहिये।

(—4.07 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

(134)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, प्रागपुरा में····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

मैं माननीय सदस्यों से इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । इतने सारे स्थगन प्रस्ताव अथवा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक साथ इसलिए रखे गये थे कि कुछ माननीय सदस्यों का यह सुझाव था, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे, राज्य सरकार इस तरह की जो घटनायें बराबर होती रहती हैं उन सम्बन्ध में क्या करना चाहती है । कुछ इस तरह के तरीके इस तरह के मुकदमों के अनुसंधान में अपनाये जायें । यदि पोस्टमार्टम हो तो पोस्टमार्टम के बाद में लाश जलाई जाय या गाड़ी जाय तब उसके पीहरवालों को या निकट सम्बन्धियों को बुलावें या नहीं, आदि के सम्बन्ध में इतने सारे स्थगन प्रस्ताव हैं इसलिये एक एक विषय पर चर्चा नहीं होगी । यदि आप सरकार को कुछ सुझाव देना चाहें, इस प्रकार की जो एक अपराधवृत्ति चल रही है उससे मुकाबला किस तरह से किया जा सकता है तो उसकी मैं इजाजत दूंगा । यह मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है । नहीं तो 10-15 इस तरह की हत्यायें हुई हैं उन सबके बारे में चर्चा हो यह सम्भव नहीं होगा ।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, कृपया स्पेसिफिक करवा दीजिए मंत्री महोदय से कि कौन से केस का चालान नहीं हुआ ?

श्री दाऊदयाल जोशी : सन्तोष उर्फ····

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल के 1980 और 81 के केसेज थे मैंने आपसे निवेदन किया····

श्री अध्यक्ष : फाइनेन्शियल ईयर से बात कर रहे हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कलेण्डर ईयर । 1980 के कलेण्डर ईयर में 5 केसेज का चालान प्रस्तुत कर दिया गया है और 1981 के अध्यक्ष महोदय, 5 केसेज में से 4 केसेज का चालान हो गया । जोधपुर को हंसारानी के केस में चालान अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है लेकिन इस केस में अरेस्ट वारन्ट दे दिया गया है और मुल्जिमों की तलाश है । हंसारानी वाला केस जोधपुर का है । अब दो केसेज रह गये सन् 1982 के इनके अन्दर दो केसेज हैं, दोनों किरण देवी के हैं । एक किरण देवी का चालान किया जा चुका है और एक किरण देवी का तफतीश का मामला आया है, जो प्रयागपुरा का किस्सा है । अध्यक्ष महोदय, उस मामले में हमने एस. पी. स्तर के उच्च अधिकारी को तफतीश सौंपी है और यह निर्देश दिये हैं कि विदिन 15 डेज इसका इन्वेस्टीगेशन करके किसी नतीजे पर पहुंचा जाय । अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मेरा यही निवेदन है ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये थे अगर नव-विवाहिता दुल्हन की शादी के चन्द दिनों के दौरान ही सन्देहास्पद स्थिति में मृत्यु हो जाय तो

(श्री देवीसिंह भाटी)

उसका दो डाक्टरों के सामने पोस्ट मार्टम होना चाहिये····

(व्यवधान)

प्रागपुरा हत्या काण्ड, जिसमें किरण देवी की मृत्यु हुई है, में स्पष्ट था कि जलने के कारण उसकी सन्देहास्पद मृत्यु हुई है और मृत्यु होने के बाद जिस डाक्टर ने जांच की थी वह तो वहां अवेलेबल नहीं था और दूसरे डाक्टर ने मना कर दिया कि मैं ऐसे केस की जांच नहीं करूंगा····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये। राज्य सरकार जो नये उपाय करना चाहती है वह सदन को बता दिये हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : राज्य सरकार के यह निर्देश मिले हुए हैं कि ऐसी संदेहास्पद स्थिति में अगर किसी की मृत्यु हो तो दो डाक्टरों के सामने पोस्ट मार्टम किया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या क्या काण्ड हैं, मैंने माननीय सदस्यों को निवेदन किया जो राज्य सरकार ने सुझाव दिये हैं उनके अलावा और कोई आपके सुझाव हों तो दे दें।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सुझाव तो बहुत हैं, अध्यक्ष महोदय, पर सुनता कौन है। दुःख तो इसी बात का है कि निर्देश तो दे दिये जाते हैं परन्तु उनकी पालना नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : ऐसे आदेश जारी थोड़े ही किये हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : बिलकुल, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : राज्य सरकार की ओर से ऐसे निर्देश हैं कि ऐसी सन्देहास्पद स्थिति में यदि किसी नव-विवाहिता की मौत हो जाय तो दो डाक्टरों के सामने उसका पोस्ट मार्टम होना चाहिये। किरण देवी की हत्या हो गई, उसको श्मशान घाट में चुपचाप ले जाकर एक डाक्टर से पोस्ट मार्टम करवा दिया गया और उस मामले को वहां दबाने की कोशिश की गई, अध्यक्ष महोदय। फिर हम क्या सुझाव दें और क्या कहें, उसका कोई फायदा नहीं है। सुझाव आलरेडी सामने हैं न कोई निर्देश देने की बात है, न सुझाव है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को सुन लें और उसके पश्चात्····

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है। मैं केवल दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने प्रस्ताव दिया है क्या ?

श्री दीपेन्द्र सिंह : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है ?

श्री अध्यक्ष : कहां है ? अच्छा आप तो सत्ता पक्ष के हैं ।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मेरे पास प्रतिलिपि है ।

श्री अध्यक्ष : कहिये ।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र ड्योराला गांव की रहने वाली एक युवती किरण देवी, जिसकी प्रागपुरा में शादी हुई, की इस प्रकार निर्ममता और निर्दयता से हत्या की गई कि राजस्थान में इस प्रकार की हत्या की एक भी मिसाल आपको नहींमिलेगी। करोड़पति ससुराल ने कार की मांग की, और कार न दिये जाने के फलस्वरूप उस नव-विवाहिता युवती की हत्या की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं····

श्री मोहनलाल मोदी : यह गलत है, इसकी मुझे भी जानकारी है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय मुझे भी दें।

श्री अध्यक्ष : इसलिये मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन कर दिया था कि प्रत्येक घटना के विस्तार में न जायें। यदि कुछ ऐसी स्थितियां निकाल सकें या कुछ ऐसे सुझाव माननीय सदस्य सुझाव दे सकें जिनसे इस तरह की घटनाओं का अच्छी तरह अनुसंधान किया जा सके और अपराधी व्यक्ति को दण्डित किया जा सके, उस सम्बन्ध में आप कहें तो अच्छा हो। घटनाएं इस तरह की अपने आप में दर्दनाक होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है इसलिये घटनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा जाय। आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव हो तो वह प्रस्तुत करने की कृपा करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जिस परिवार द्वारा यह हत्या की गई है वह अपने आप में बहुत सक्षम, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ है····

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, बार-बार प्रयास करने के बावजूद, बार-बार अखबारों में प्रकाशित होने के बावजूद आज तक कार्यवाही नहीं हुई ··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

श्री मोहनलाल मोदी : किसी अखबार में नहीं है, नवज्योति के अलावा।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : मेरे पास राजस्थान पत्रिका का अंक है, राष्ट्रदूत है, ब्लिट्ज है, नवज्योति का एडिटोरियल है, हिन्दुस्तान और नवभारत टाइम्स की कटिंग मौजूद है। इस प्रकार के वातावरण में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। आर्डर, आर्डर।

श्री दीपेन्द्र सिंह : बड़ा गम्भीर मसला है, अध्यक्ष महोदय। इस मामले की गुत्थियां सुलझने की मुझे उम्मीद नहीं है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं यह मामला सी० बी० आई० को दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : सी० बी० आई० से इसकी जांच होनी चाहिये, अध्यक्ष महोदय, ताकि सारे तथ्य सामने आ जायं। आर्थिक स्थिति से यह परिवार सुदृढ़ है इसलिये सी० बी० आई० से जांच करवाई जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अंकित न हो।

श्री दीपेन्द्र सिंह : ×××

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

+ + +

श्री अध्यक्ष : इस तरह के आरोप न लगायें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

माननीय सदस्यों को मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि इस तरह के सभी प्रस्ताव चाहे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हो, चाहे स्थगन प्रस्ताव हों, मैंने मंत्री महोदय को जो पत्र लिखा है वह भी इसी आशय का था कि इस बारे में सरकार क्या सोचती है, किस तरह अपराधों का अनुसंधान हो, क्या प्रक्रिया अपनाई जाय। उस हिसाब से यहां पर वक्तव्य दिलवाया है, नहीं तो 13-14 विषय एक साथ कभी स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसके लिये तो एक दिन चाहिये। घटना का जिक्र यहां पर आ जाय तो उस सम्बन्ध में चर्चा करने का इरादा नहीं है। माननीय सदस्यों की जानकारी में कोई घटना हो और उसके अनुसंधान में यदि कोई कमी रही हो तो सुझाव के तौर पर कहना चाहें तो कह सकते हैं। इसमें यह प्रक्रिया अपनाई गई है कि आपकी राय में किस तरह के तौर तरीके

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

अपनाये जाने चाहिये। लेकिन कोई बहाना लेकर उसके विषय पर बोलना चाहें तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। क्योंकि आज वित्तीय मसले सदन के विचाराधीन हैं इसलिए मैं इसके लिये कुल 15 मिनट का माननीय सदस्यों को समय देता हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पर्सनल केस में नहीं जायेंगे। सुझाव तो देंगे। उसके लिये भी समय तो चाहिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होंगे। 20 मिनट कर देता हूं। यह नहीं हो सकता है कि मांग पर विचार नहीं हो और जीरो आवर चलता रहे....

(व्यवधान)

आपको नहीं चाहिये तो मैं इसको यहीं बन्द कर देता हूं....

(व्यवधान)

समय का बंटवारा करके फर्मा दीजिये।

(व्यवधान)

मैं नाम पहले जिन माननीय सदस्यों का है, पुकारूंगा।

श्री मोहनलाल मोदी। संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : यह सुझाव देने का जहां प्रश्न आया है....

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं एक निवेदन कर रहा हूं, जहां इस तरह के मामले आते हैं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डेढ़-डेढ़ मिनट का समय मिलेगा।

श्री मोहनलाल मोदी : इसमें दो-तीन तरह की बातें सामने आती हैं। एक ऐसा मामला है कि आत्महत्या की जाय, एक ऐसा मामला हो कि उसको जलाया जाय, उसकी हत्या कर दी जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए एक ही सुझाव देना चाहता हूं राज्य सरकार को कि दोषी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। किसी बड़े अधिकारी, जो कि एस. पी. से कम न हो, द्वारा इस प्रकार के मामलों की जांच करायी जाय। यह मैं मेरा सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : सी. बी. आई. से करायी जांय।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने तो पहले ही बोल दिया कि जैसे इसमें राज्य सरकार ने निर्देश दिये, ऐसी सन्देहास्पद स्थिति के अन्दर जो पोस्टमार्टम हो, वह दो डाक्टर्स के सामने होना चाहिए। तो जो यह किरण हत्याकाण्ड है, इसका....

श्री अध्यक्ष : किरण की बात नहीं करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, उदाहरण तो देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : आप भी और कोई सुझाव देना हो दे दीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सुझाव निर्देश पहले से ही हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उनकी अनुपालना की जाय....

श्री अध्यक्ष : तो फिर चर्चा जल्दी समाप्त हो जायगी। यदि उस व्यवस्था को आप पर्याप्त समझते हैं तो फिर कुछ कहना नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यही तो हम चाहते हैं कि सरकार उसके बारे में क्या करने जा रही है, कम से कम उसके बारे में मंत्री महोदय बताए।

श्री अध्यक्ष : हां, वह पूछ लेंगे। श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी कुछ ऐसे केसेज में से पांच मुद्दे इस प्रकार के बताये कि उनमें किस प्रकार जांच की जाय, किस प्रकार का सरकार का इरादा है। जो 5 मुद्दे उन्होंने बताये वे अपने आप में किसी भी केस के लिए पर्याप्त हैं, मैं यह मानता हूं। लेकिन किसी हत्या कांड की जांच, चाहे वह हत्या हो या आत्म-हत्या हो, में कितना समय चाहिए? किस प्रकार की उस केस में स्थिति बनती है, किस प्रकार के संदेह पैदा होते हैं उनमें मान लो इन पांचों नियमों की पालना नहीं की गयी, दो डाक्टर्स से पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, पुलिस अधीक्षक के स्तर के कोई पुलिस आफिसर से उसकी जांच नहीं करायी गयी और परिवार के निकटतम लोगों को बुलाकर उस लाश को नहीं संभलाया गया और इस प्रकार किसी प्रकार संदेह को दूर नहीं किया गया या जल्दबाजी में किसी लाश को जला दिया गया, इस प्रकार के केस बहुत बड़ा संदेह पैदा करते हैं....

श्री अध्यक्ष : नहीं तो नाम बता दीजिए, जिस केस में इन नियमों का उल्लंघन हुआ हो। मंत्री महोदय उसका....

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये जिसकी चर्चा चल रही है, किरण देवी की उसके बारे में....

श्री अध्यक्ष : जिसका उल्लंघन हुआ है, उसके अनुसार....

श्री महावीर प्रसाद जैन : दो महीने और 12 दिन हो गये, इसमें लगातार सारे अखबार नवज्योति अखबार, राष्ट्रदूत अखबार और राजस्थान पत्रिका....

श्री अध्यक्ष : उसमें यदि कोई लापरवाही हुई है तो मंत्री जी इसका जवाब देंगे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसमें उसके परिवारजनों ने कई प्रकार के प्रश्न खड़े किये और उन प्रश्नों को देखते हुए इस प्रकार लगता है कि वे निश्चित रूप से बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न करते हैं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दो महीने 12 दिन हो जाने के बाद भी किसी प्रकार की गिरफ्तारियां न करना, उन लोगों को प्रोटेक्शन देना, चाहे वह प्रोटक्शन कोई भी दे रहा हो, चाहे वह सरकार दे रही हो लेकिन किसी भी प्रकार से भी उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मान्यता बनती है इसलिए मेरा ...

श्री अध्यक्ष : यानी आपका सुझाव यह है कि इस तरह के जो अपराध हों उनका अनुसंधान जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए, यही बात है न ?

श्री महावीरप्रसाद जैन : जल्दी से जल्दी पूरा हो और जिस प्रकार की क्वेरीज हम चाहते हैं, जिस प्रकार के आफिसर से चाहते हैं, उसी प्रकार कार्यवाही ...

श्री अध्यक्ष : निष्पक्ष अधिकारियों से जांच हो ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें कोई संदेह पैदा न हो और इसमें किसी को प्रोटेक्शन नहीं दें ।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया । आप एक किसी माननीय सदस्य को यदि अवसर दे दें तो 2·4 मिनट में वह सुझाव दे दें ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट में सुझाव देना चाहता हूं । सुझाव यह है इस प्रकार की घटना हो जाती है उसमें जो अपराधी पकड़ा जाता है, उसके साथ सख्ती से निपटा जाय, इसके लिए कुछ कानून बने । ऐसा नहीं हो कि वह जमानत पर रिहा होकर चला जाय और सारे केस को मोड़ दे । एक बात तो यह है । दूसरा, यह जो थानेदार इन्क्वायरी करने के लिए जाता है वह केस को बिगाड़ने की कोशिश ...

श्री अध्यक्ष : यानी जमानत की अर्जी को राज्य सरकार को रेसिस्ट करना चाहिए, कन्टेस्ट करना चाहिए, आसानी से जमानत नहीं होनी चाहिए ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : दूसरी चीज यदि किसी आफिसर ने इस प्रकार का इन्वेस्टीगेशन किया है और इन्वेस्टीगेशन करने के बाद अगर उसमें कुछ ऐसा लगे कि घपला हुआ है, कुछ पैसा खाकर उसको बदला गया है तो वह अधिकारी तो तुरन्त सस्पेण्ड होना चाहिए और उसके खिलाफ....

श्री अध्यक्ष : पैसे का शक होने पर, दूसरे मामूली मुद्दे पर भी सस्पेण्ड हो सकता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : दूसरा यह है कि ऐसे केस एक दिन में नहीं होते हैं, बहुत लम्बे समय तक तंग करने के बाद इस प्रकार की घटना होती है। तो जब उनको परेशान किया जा रहा हो, इस प्रकार की घटनाओं की सूचना उस समय मिल जाय तो उसका इन्वेस्टीगेशन उसी समय इतनी ही तत्परता और उतनी ही दबंगता से करना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना हो नहीं सके।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा लाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्रीमती विद्या पाटक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सचमुच चेयर को काम्पलीमेन्ट पे करना चाहती हूं, पूरे 13 केसेज की फायर आपने किस सफाई से निकलवायी है, इस बात के लिए तो बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर यह बड़ा गम्भीर मसला है, जिस पर केन्द्र भी चिन्तित है और प्रदेश भी चिन्तित है, अखबारों में बार-बार आ रहा है, Women may be protected from cruel in-laws; rise in dowry cause murders etc. जल कर मरी स्त्रियों के आंकड़े सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिये हैं कि पेश करे। हमसे कहा जा रा है कि हम सुझाव पेश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए तो मैं मंत्री जी को निवेदन करूंगी कि सुझाव के लिये एक और कमेटी बना लो और कमेटी में हममें से जिसको उपयुक्त समझते हों, उसको शामिल कर लें और उसमें सुझाव हम निश्चित रूप से देना चाहते हैं। लेकिन सवाल आज के दिन कुछ स्पेसिफिक केसेज का है. एक जिसका माननीय मंत्री महोदय ने हवाला दिया, जनवरी 82 में जो प्रागपुरा में किरण देवी की जलकर डेथ हुई है, ये तो माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि यद्यपि बहुत समय लगा, आपके विभाग ने बहुत ज्यादा समय लिया फिर भी जांच के आदेश हुए, उस पर कार्यवाही हुई, आपने एक डाक्टर को भी सस्पेण्ड किया। आपने एक हवलदार को भी सस्पेण्ड किया। आपने उस केस में मैरिट्स को भी देखा। आपने यह भी देखा कि सरकमस्टांशियल एवीडेंसेज पुलिस और पंचनामे के अनुसार वारदात और उनके बयानों में कितने ज्यादा फर्क है, आपने उसके लिए एक मैडिकल बोर्ड भी विठाया, उसकी जांच, इन्क्वायरी भी करायी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं, डाक्टर और हवलदार को तो सस्पेण्ड कर दिया गया। सवाल तो इस बात का है कि अपराधी का क्या हुआ? सस्पेन्शन कोई पनिशमेन्ट नहीं है। इतना बड़ी भारी डेलीबेट नैगलीजेंस हुई है अगर कोई नाजानकारी है तो वह कानून में एक्सक्यूजेबुल नहीं है। अनजाने में भी गलती हुई तो Ignorance is no excuse, वह भी पनिशेबल है। कुछ दिनों में विधान सभा के बाद ही डाक्टर और हवलदार दोनों

(श्रीमती विद्या पाठक)

रीइन्सटेट हो जायेंगे । इसी तरह की वारदातें वह फिर किसी प्रेशर में आकर करेंगे । क्या आप आवश्यक नहीं समझते कि उनके विरुद्ध गम्भीर आरोप बनाकर उनका सर्विस रिकार्ड, उनका प्रमोशन इस सब पर इफेक्ट होना चाहिए । क्या आप नहीं समझते कि वे भी स्पष्टतः इस हत्या में शामिल हैं ? उस हत्या में शामिल हैं तो 302 की दफा उन पर भी क्यों नहीं लगनी चाहिए । एक सुझाव तो मैं ये देना चाहूंगी । दूसरा सुझाव, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये देना चाहूंगी कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सम्भवतः आ गयी है, सारे केसेज सारे पाइण्ट्स उन लोगों के पक्ष में गये हैं, जो किरण देवी के स्वयं के परिवार वाले हैं । सारे पाइण्ट्स उसके पक्ष में गये हैं, उसके बाद अब आप क्या जांच करवायेंगे ? किसी केस को अगर हश-अप करना हो तो सी. आई. डी. को दे दिया जाय और एन्टी करप्शन को दे दिया जाय । रिपोर्ट पर कार्यवाही करने का आदेश तो हाइएस्ट लेवल पर होगा, इन्क्वायरी की रिपोर्ट मंत्री के पास आ जायेगी, वह कहीं न कहीं, किसी न किसी फाइल के नीचे दब जायेगी और फिर कोई और किरण देवी मर जायेगी । तो माननीय मंत्री महोदय, यह भी आवश्यक है जैसा आपने 15 दिन में कार्यवाही के लिए कहा है तो इन सारे केसेज को इनकी मैरिट्स को देखते हुए निश्चित रूप से उन सभी अपराधियों पर 302 की धारा बननी ही चाहिए । आप कृपापूर्वक आफिसियली अपने अधिकारियों को आदेश देकर इस बात को देखें व कहें कि ये मेरा प्रेस्टीजियस केस बन गया है, आगे और कोई किरण देवी न मरे । तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगी, माननीय मंत्री महोदय, आपने जो आंकड़े बताये हैं, मेरा इत्तफाक उन पर नहीं है । बहुत से केस दर्ज ही नहीं होते, ये मेरी जानकारी में है । यद्यपि अनेक केसेज किसी न किसी प्रेशर में आकर ही दर्ज नहीं होते, उनके लिए भी नियमों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही करके इसको पनिशेबल बनाने की जरूरत है अधिकारियों पर जो आगे के लिए डिटरेन्ट हो ।

धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आपके पास आंकड़े कुछ कम हैं । मैंने प्रस्तुत किया था स्थगन प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : आपके पास उसकी पूर्ति करने के लिए केस हों तो बता दें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अजमेर वाला एक केस था । एक लड़की अजमेर में जला कर मार दी गई थी । वह प्रेगनेंट लड़की थी महरून, उसके बारे में स्थगन प्रस्ताव मैंने आपको दिया है । उसके मेरे पास फोटोज हैं, वह आपके यहां दर्ज नहीं हैं । जोधपुर में 13 केस 80-81 में हुए जिनमें से कुल 12 केस आपके पास हैं । दहेज विरोधी समिति ने आपको समस्त रिकार्ड प्रस्तुत किया है । एक का इसमें आंकड़ा कम है । मान्यवर, अभी चौमूं में हत्या हुई थी राधाबाई की, उसका आंकड़ा आपके पास

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं है । इसका केस भी पुलिस में दर्ज हुआ था । मेरे पास उसकी एफ. आई. आर. की कापी है, मैं मंत्री महोदय को दिखा दूंगी । जिस गर्भवती को मारा है जला करके अजमेर में वह महरून है । यह आंकड़े आपके पास होने चाहिए । मान्यवर, यह तो क्रिमिनल केस है । किसी को मार दिया जावे उसके आपके पास

श्री अध्यक्ष : यह कौन सी तारीख की है दुर्घटना ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह दुर्घटना है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं निवेदन कर दूंगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह घटना शायद 25 फरवरी की है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । अब आप फर्माइये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने आपको इसके बारे में सारे पत्र भी दिखाये थे । उसकी सास ने पांच हजार रुपये, मांगे थे उसके पीहर वालों से, वह पांच हजार पहुंचाये नहीं गए, यह 7 तारीख की घटना है । इसी 7 तारीख की है ।

श्री अध्यक्ष : इसी 7 तारीख की ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : तो इनके पास इसकी सूचना नहीं पहुंची होगी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने आपको प्रस्तुत किया था ।

जिस समय टी. वी. चल रही थी, टी. वी. कुछ लोगों को दिखाने बिठा दिया और उसको एक कोठरी में ले जा कर जला दिया । मैं कहना चाहूंगी कि किरण देवी के बारे में भी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, सब कुछ कर दिया लेकिन उस हत्यारे को क्यों नहीं पकड़ा जो जयपुर में खुला डोल रहा है ? जयपुर में घूम रहा है वह अशोक जो हंसारानी हत्याकाण्ड का हत्यारा है । वह खुला घूम रहा है । मान्यवर, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए । इनमें जो बोर्ड बैठाने की बात कही गयी तो निश्चित रूप से बोर्ड बैठाना चाहिए । मां-बाप को दिखाये बिना तो दाह संस्कार किया ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि आम तौर पर क्या होता है कि पांच सात आस पड़ोस के लोगों को ले लिया और दाह-संस्कार कर दिया ताकि मामला छुप जाय । इस लड़की के बारे में तो मैं कहना चाहूंगी, जिसको जलाया गया है महरून को, इसका पहले गला दबाया गया । गला दबाने से जीभ और आंखें निकल आईं, फिर उस पर मिट्टी का तेल डाल कर जला दिया गया जिससे कि मालूम ही नहीं पड़े कि किसी ने गला दबा कर हत्या की है । मान्यवर, बड़ा दर्दनाक किस्सा है ।

मैं कहना चाहूंगी दहेज विरोधी कानून बना हुआ है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं होता। इसमें कुछ बातें और शामिल कर लेनी चाहिए। दहेज मांगना भी एक तरह से पीनल जुर्म होना चाहिए। यह कोई सामान्य परिस्थितियों की बात नहीं। हमारे यहां बड़ी-बड़ी उम्र की बहिन बेटियां बैठी रहती हैं मानसिक तनाव में वे आत्म-हत्या कर लेती हैं। घरों में सताया जाकर या तो मार दिया जाता है या जल कर मर जाती हैं। सब का कारण मानसिक तनाव है उसमें दहेज खास मुद्दा होता है। मां-बाप के पास इतनी मंहगाई के अन्दर धरा क्या हैं शादी करने के लिए। कहां से वह टीमटाम लाएं, कहां से एक लाख रुपये लावें, कहां से पचास हजार रुपये लावें। उनको तो आज तक के जितने भी एय्याशी के, आराम तलबी के साधन हैं, सब दहेज में चाहिए। कहां से लायेंगे ? इसका राज्य सरकार की ओर से सख्ती से पालन किया जावे। बोर्ड जो बैठे उसमें दो डाक्टरों की बजाय तीन डाक्टर हो तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं कहूंगी कि दो को तो तोड़ा जा सकता है। यह मेरा सुझाव है। इन मामलों में और जो यह राधादेवी पारीक का मामला है चौमूं वाला उस पर भी माननीय मंत्री महोदय ध्यान देंगे। महरून वाले मामले को भी निकलवा कर देखेंगे और जयपुर का जो मामला है हंसारानी वाला वह भी देखेंगे। हंसारानी का हत्यारा है और........

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह जो कमला हैं जोधपुर की, जिसको कि पहले जला कर मार दिया गया........

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जान से मार दिया फिर जलाया नहीं पानी में, जहां पानी एक फुट भी नहीं था उसमें डूबो दिया। ऐसे कोई डूब सकता है क्या ? पानी में डूबने के लिए गहराई चाहिए।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऊपर से नीचे फैंक देना, इसमें सारी मानसिक परिस्थितियां हैं। अमिता हत्या काण्ड जयपुर में, तीन फेरे लगने के बाद ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब समाप्त कीजिए। लम्बा नहीं करिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कोई साधारण केस नहीं हैं, मान्यवर। वह हत्यारा खुला घूम रहा हैं। अमिता भार्गव तीन फेरे लेने के बाद छत पर से गिरी। पचास हजार रुपया उसके बाप, जो रेलवे में सामान्य कर्मचारी था, से मांगा था।....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तीन फेरे की लड़की ऊपर जाकर छत से कूद कर मरी उसकी हत्या का दोषी, उसका हत्यारा भी वही है जिसने यह परिस्थिति पैदा की....

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इन सारी परिस्थितियों में, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कमेटी बनाई है, सुझाव दीजिए, महिलाओं को उसमें रखिये । उसका सामना सीधे सास और मां से होता है । पुरुष लोगों से उतनी वाकफियत नहीं होती और स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन है । मैं कहना चाहूंगी कि........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसी परिस्थिति ने, मान्यवर, हमें दूसरी श्रेणी में खड़ा किया है । मान्यवर, यह गलत है ।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह गलत है। मान्यवर, भ्रष्टाचार का जनक ही दहेज है इसलिए इसको समाप्त करना चाहिए ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि बार बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद एस. पी. साहब द्वारा एडीशनल एस. पी. को यह लिखने के बावजूद :

"....to look into the matter personally and take up. Also send report."

मेरा निवेदन करना यह है कि जो संताली उर्फ संतोष नाम की महिला, जो कि पीसांगन के फरजी पुत्र मीयांजी की लड़की थी, की हत्या हुई। आश्चर्य यह है कि परिवार का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, एक पुलिस कांस्टेबल भेजा गया उसने जाकर कहा कि तुम्हारी लड़की मर गई है। वह जैसे ही आया उसने महिला का चित्र देखा, जो मैं आपके सामने सदन की मेज पर रखूंगा देखने के लिए आपको भी दया आएगी आप देखेंगे तो शायद देख नहीं पायेंगे, तो वह बेहोश हो गया । होश में आने के बाद कहा कि इसको रोको और पोस्टमार्टम कराओ। पुलिस में मैं जाता हूं। पोस्टमार्टम नहीं करवाया। उसको ले जाकर के सीधे रात्रि को आठ और नौ बजे के बीच में जला दिया गया। जलाने के बाद में वह बाप बेचारा पुलिस में पहुंचा, एस. पी. के पास गया, एस. पी. ने यह आर्डर दिया, आर्डर देने के बाद भी जैसा कि बहिन विद्याजी कह रही थी, सीधे सीधे 302 में चालान होना चाहिए था वह चालान नहीं हुआ आज तक भी, और हुआ हो तो माननीय मंत्री महोदय बता दें। 306 में उसकी सास धापू का चालान हुआ। उसका पति आज तक नहीं पकड़ा गया। वह मस्त मलंग होकर बाजार में घूम रहा है। मेरा निवेदन करना यह है कि इतना बड़ा केस है इसमें तीन चार बातें आपको देना चाहता हूं। इस महिला का

(1146)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

चित्र भी मेरे पास है, इसका गर्भाशय निकला हुआ है। यह कैसे निकला, अगर पीटा नहीं गया तो ? जलने के बाद किसी महिला का गर्भाशय नहीं निकलता। पुलिस ने महिला के मरने के बाद कपड़े जब्त क्यों नहीं किए? वे कपड़े कहां गए, कुछ इसका तो पता होगा ? उस कमरे के अन्दर पिस्तौल नहीं था, पड़ोस के मकान से पिस्तौल लाया गया। जिसका वह पिस्तौल था उस महिला का आज तक उस मकान में पता नहीं कहां गई ? इसी के साथ मेरा निवेदन करना यह है इस सतोष के पति ने जेवर बेचे परन्तु मरने के दो दिन बाद। इसी के साथ में सम्पत ने अपने ससुर से पन्द्रह सौ रुपये क्यों मांगें ? इसी के साथ इस काण्ड की जांच बार बार आग्रह करने के बावजूद भी आज तक सी. बी. आई. से क्यों नहीं हुई ? लाश को कब्जा जलने के बाद क्यों पहनाया गया ? क्या केवल यह शो करने के लिए कि यह लाश जलाई नहीं गई है, उसको कब्जा पहनाया गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नाम तो बता दीजिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : नाम है इसका संताली उर्फ संतोष ब्यावर, सम्पतराम उसका पति है, फरजी पुत्र मियांजी ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा अंतिम निवेदन करना यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनेकानेक प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के तत्कालीन अधिकारियों के पास आये हैं, सी. बी. आई. की जांच रिपोर्ट गई है और 306 में पुलिस ने पैसे खाकर उसका चालान पुट अप कर दिया जबकि उसको 302 में करना चाहिए था। इसी कारण से जेवर बेच कर पैसे पुलिस को दिए गये, डाक्टर के पास गए और सास को रिमाण्ड पर छोड़ दिया गया। पुनः इस सारे केस की रि-इन्क्वायरी करवाई जावे, दुबारा जांच करावें और जाँच कराने के बाद अपराधियों को सजा दी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन कदमों की माननीय मंत्री महोदय ने....

श्री दाऊदयाल जोशी : यह सारा रिकार्ड मुझे कांग्रेस के माननीय सदस्य, जो सामने बैठे हैं, ने दिया था....

श्री अध्यक्ष : उनकी और आपकी बात को बराबर ही वजन देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की ओर से जो कदम प्रत्याशित रूप से उठाने की राज्य मन्त्री महोदय ने चर्चा की है, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि इन उपायों का किसी भी हत्याकाण्ड में कोई पालन नहीं किया गया। यह तो आपकी कृपा है और

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हमारे स्थगन प्रस्ताव हैं और 3 मार्च को लोक सभा में दिया हुआ केन्द्रीय राज्य गृह मन्त्री का वक्तव्य है जिसके कारण माननीय मन्त्री महोदय इस प्रकार के सारे कारणों को आज विधान सभा में प्रस्तुत कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन पांच कदमों की आपने चर्चा की है, इन सारे 13 हत्याकांडों में इन पांच कदमों में से किन-किन कदमों की पालना हुई, इसको बता दें ? मेरा निवेदन करना है कि दो डाक्टरों से पोस्टमार्टम मुश्किल से किसी एक केस में हुआ हो, जलाने के पहले उनके माता-पिता या अन्य लोगों को बुला कर उनको सतुष्ट किसी एक केस में करा दिया हो तो माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं उसका एक कारण है। वह कारण है भ्रष्टाचार। कारण है सरकार की नेग्लीजेंसी, कारण है सरकार की लापरवाही, कारण है सरकार का उस नाते से प्रयत्नशील न होना। मैं कहना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, इन पांचों कदमों का लगातार इम्प्लीमेंटेशन करने के लिये एक लार्ज स्तर पर मॉनिटरिंग सेल बनाइये। नहीं बनेगा यह तो वही होगा जैसे जगह जगह छोटे छोटे आफिसर इस प्रकार का प्रयत्न कर देते हैं। क्या हुआ किरण हत्याकांड में ? वहां सब इन्स्पेक्टर पुलिस भी नहीं था केवल मात्र एक छोटे से हैड कांस्टेबल के सहारे उसको जला दिया गया। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं आपको, मॉनिटरिंग सेल के साथ साथ मास मांडिया का प्रयोग कीजिये। बहुत बड़ा अहम सवाल है। राज्यों में और केन्द्र में एडल्ट्रेशन की स्थिति बनी थी। एडल्टेशन के केसेज होते थे। जिस दिन केस हुआ जिस दिन सरकार के ध्यान में आया उस दिन रेडियो से ब्राडकास्ट होता था। आल इण्डिया रेडियो राजस्थान का, आल इण्डिया रेडियो केन्द्र का किसलिये है ? समाज में जागृति हो। ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसे विषय पर मास मांडिया का प्रयोग करके राजस्थान की जनता को एजुकेट करना चाहिये। राज्य सरकार बताना चाहती है, अगर रेडियो सुनेंगे तो मातृगृह से लोग तुरन्त आकर अप्रोच करेंगे, बात चल पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट की बात कही गयी। मैं कहना चाहता हूं, आप बतायें डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट क्यों बदले गये इस किरण हत्याकांड में, मैं कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार क्या हो रहा है। मैं इस केस में डिटेल में नहीं जाना चाहता। किन्तु आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो इनवेस्टीगेशन करनेवाले आफिसर हैं, 9.1.82 को पाइन्ट आउट हुआ, पहले आफिसर हैं, नरेन्द्रसिंह डीवाई. एस. पी. वह बदले गये। आ गये महेन्द्रसिंह डीवाई. एस. पी. वह भी बदले गये, आ गये कैलाश चन्द्र डीवाई. एस. पी. वह भी बदले गये। आ गये तुलसी राम जी, डी वाई. एस. पी. और अब आ गई हैं, सी. आई. डी.। मांग हो रही है सी. बी. आई. की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पहले कहा मन्त्री महोदय ने, केन्द्र की ओर से आदेश आये, हमने स्वीकार किया, तुरन्त एक्टिवली काम शुरू करेंगे। यह ढंग है ? भ्रष्टाचार है। एक-एक व्यक्ति ने खाया है, यह 12—12 केसेज हैं। कई ऐसे केसेज हैं,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जिसमें एफ. आई. आर. दो दो महीने के बाद लिखी गई है। कोई केस नहीं बता सकते जिसमें दो दो डाक्टर गये अपने यहां से। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हू, मेरा निवेदन है, मास मीडिया का प्रयोग करिये। मेरा निवेदन है इस नाते से करने की कोशिश करिये। मैं इस नाते से एक दो सुझाव रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है, यह सामाजिक दोष है। समाज में इस प्रकार की बात है। समाज का सहारा लीजिये। दहेज विरोधी जो मान्य महिलाओं की प्रदेश में सलाहकार संस्था है, वह जागृत है, हर केस के बारे में एक्टिवली कहती है।

श्री अध्यक्ष : इसलिये बुजुर्गो ने कहा है कि ज्यादा पैसा इकट्ठा करना ही नहीं चाहिये। गरीबों में ऐसे किस्से होते ही नहीं, ना तो दहेज मांगते हैं ना दहेज देने की हैसियत होती है और औरतों को लाड़-प्यार से रखते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : शकुन्तला कल्याण का केस हुआ वह एक गरीब लड़की है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा राज्य सरकार से निवेदन है, दहेज विरोधी समिति सलाह सुझाव देती है। उनकी एप्लीकेशन आती हैं। गण मान्य महिलाएं इससे पीड़ित हैं, उनके मन को कष्ट है उनसे क्या सलाह मशविरा नहीं लिया जा सकता है। सब जगह उनकी समितियां स्थापित है। किसको चिन्ता हैं उनसे सलाह लेने की? वहां तो पैसे पकते हैं, भ्रष्टाचार होता है। एक दूसरे के साथ बन्दर बांट चलती है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती चली जा रही है। इसलिये मैंने निवेदन किया, मॉनीटरिंग करने के साथ एक सैल स्थापित करिये, उसके माध्यम से एक्टिवली सारी गतिविधियों को तेज करिये। थोड़े समय में मेरा निवेदन है, अगर इस पर कानून लाने वाली बात कर रहे हैं आप तो कुछ समरी ट्राइल की उसमें व्यवस्था करिये। एक बार कानून जोर से आये, एक बार मास मीडिया के सहारे जनता में इस प्रकार की इच्छा जगृत हो, एक कांससनेस उत्पन्न हो जाये तो इस प्रकार के नृशंस हत्याकांड रोके जा सकते हैं।

अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जैसा माननीय सदस्या कह रही रही थीं, मेडिकल बोर्ड बैठा, पुलिस के कारण नहीं बैठा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी वजह से बैठा है?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं कहना चाहता हूं, हां, निश्चित रूप से हमारी वजह से बैठा। मेडिकल बोर्ड बैठा लगातार इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव आने के कारण। सपेंड किया गया वह मात्र इस कारण से। राज्य सरकार कदम नहीं लेना चाहती, यह तो आपकी जागरुकता थी, आपने उसको एडमिट कर लिया, उस पर वक्तव्य देने की बात कही गई, इसलिये उस पर बात शुरू हो गई। मैं जानता हूं, मन्त्री

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

महोदय, फर्जी कार्यवाहियों को, आपको तारीख बताने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समाज का दबाव है, विधान सभा का दबाव है। मन्त्री महोदय, भले ही इसको एक्सेप्ट मत कीजिये। यह भयानक भीषण हत्याकांड है। समाज को कलंकित करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शस से लोक सभा में चर्चा हुई। केन्द्र सरकार ने जिन कदमों को दोहराया है राज्य सरकार उनका पालन नहीं करती है। उसका पालन करिये। मॉनीटरिंग करवायें, सैल को एक्टिव करवायें, मास मीडिया का प्रयोग करिये, उपयोग करिये और दहेज विरोधी संस्था का सहयोग लीजिये। अच्छा हो पांच सात लोगों की कमेटी आप इस विधान सभा की बना दें, ऐसे विषय पर। दहेज के कारण वीभत्स दृश्य उपस्थित होते हैं, किरण हत्याकांड का वीभत्स दृश्य उपस्थित हो गया है। आप सी. आई. डी. में डालकर कचरे में मत डालिये। अगर यह प्रूव हो गया है, डाक्टर दोषी है, अगर यह प्रूव हो गया है हवलदार दोषी है, तो डाक्टर और हवलदार को पैसे देकर इस प्रकार गलत रिपोर्ट कराने वाले 302 के अपराधी हैं वह छूटे हैं। कई लोग उनकी वकालात करने आपके पास आयेंगे। उनको बख्शिये मत। उनको कटघरे में जल्दी से जल्दी खड़ा कीजिये। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा डेलीकेट मामला है, हत्या और आत्म हत्या, इसमें कितना अन्तर है यह समझना बहुत आवश्यक है। अभी तक हमारे यहां हत्या के लिये तो 302 है और आत्म हत्या के लिये कोई प्रावधान नहीं है, कोई सजा नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : है।

अनेक माननीय सदस्य : है।

श्री हजारी लाल शर्मा : No. No

श्री प्रद्युम्नसिंह : अटेम्प्ट टू सू साइड 309 है। मरने के बाद क्या आफेंस बनाता है।

श्री हजारीलाल शर्मा : अभी तक जो छूटते है, हत्या करने वाले लोग छूटते हैं, वह इस आधार पर छूटते हैं कि इसने आत्म हत्या की। आत्म हत्या करने के बाद वह तो मर गया। केस तो बनता है 307 का, जब वह जीवित रहे तो। जब आत्म हत्या करने वाला मर गया तो केस किस पर बनने का है। कोई प्रावधान नहीं है दूसरे पर केस बनाने का। प्रश्न यह है कि जब नव-विवाहिता लड़की आत्म हत्या करती है तो किसी न किसी तकलीफ के कारण करती है। उसमें जब तक काग्नीजेबल आफेंस नहीं बनायेंगे तब तक यह हत्या और आत्म हत्या का फर्क लेकर उनका बचने का रास्ता बना रहेगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा की। खास तौर से किरण देवी वाले मामले

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस बात की अभी तक मेरे पास या राज्य सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई जैसा कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाये उसके अन्दर कहीं आरोप नहीं लगाया। मेरे पास कोई शिकायत नहीं है, सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, पुलिस के उच्च अधिकारियों को शिकायत प्राप्त नहीं हुई। जहां तक आपने कहा, आपके स्थगन प्रस्ताव आने के बाद मेडिकल बोर्ड बैठाया····

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एप्लीकेंट के एप्लीकेशन्स लगातार देने के बाद।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, मैं कब मन्जूर नहीं कर रहा हूं इस बात को। मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : बहुत चतुर हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कहीं किसी महिला की मृत्यु हुई जलकर। ससुराल वाले कहते हैं आत्म हत्या का मामला है। कहीं शिकायत की गई, उससे पीहर वालों ने कहा, हत्या है। उस पर मुकदमा दर्ज होता है क्योंकि जब आत्म हत्या की बात आती है तो 174 की रिपोर्ट उस पर बनना शुरू होती है, 174 के अन्दर मामला दर्ज करके उसका अन्वेषण करते हैं। उस दौरान कहीं आरोप लग जाता है, हत्या का मामला है। प्राइमरी जो जांच होती है, इन्वेस्टीगेशन होता है, उसके अन्दर यह पाया जाता है कि हत्या का मामला है तो कन्वर्ट करके केस रजिस्टर कर लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा माननीय हजारी लाल जी ने कहा, इस मामले में मैंने पूर्व में वक्तव्य में भी कहा है, यह बड़ा नाजुक प्रश्न है। दोनों पक्ष हैं। एक हत्या का आरोप लगाता है, एक आत्म हत्या की बात कह कर चलता है। अध्यक्ष महोदय, इस किरण देवी वाले मामले के अन्दर, यह बात सही है, प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने मेडिकल बोर्ड बैठाया। 8–3 को हमारे पास मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त हुई। 8–3 को मेडिकल रिपोर्ट में जो सीनियर डाक्टर बैठे थे एस. एम. एस. के, उन्होंने इस बात को पाया जिस प्रकार पोस्टमार्टम किया जाना चाहिये था, उस प्रकार न करके नियमों की अवहेलना की गई है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट पर उन्होंने अपना संदेह व्यक्त किया। आपने एक एक बात और कही, आपने फर्माया कि इसके अन्दर कई आफिसर बदले गये। 174 की इन्क्वायरी थी उसमें दो आफिसर बदले गये, यह बात सही है। 174 की जांच दो डी. एस. पीज. ने की। क्योंकि अखबारों में इस बात की चर्चा चल रही थी कि इसकी बराबर सही जानकारी नहीं हो रही है। लेकिन 302 का केस रजिस्टर हो गया उसके बाद कोई अधिकारी नहीं बदला गया। जब स्थगन प्रस्ताव यहां पर आया तो हमने मुनासिब समझा—मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, मामला बहुत गंभीर है इसलिये एस. पी. स्तर के अधिकारी को लगाया जाय। इस कारण से एस. पी. स्तर के अधिकारी को लगाया। उसको आदेश दिये कि 15 दिन के अंदर इन्वेस्टीगेशन

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कंपलीट करके रिपोर्ट दे दी जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से, चाहे कितना ही धनवान, प्रभावशाली व्यक्ति हो, किसी को बचाने की कोई मन्शा नहीं है। हमारा इसमें क्या स्वार्थ है? आज मेरी बहिन-बेटी के संग भी हो सकता है, किसी के संग भी हो सकता है। मेरी बहिन-बेटी के संग हो तो मेरे साथ क्या गुजरेगी। इस मामले में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, कितनी ही पहुंच वाला क्यों न हो, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इन सभी केसों से अलग निकल कर सरकार की इस बात की भी जिम्मेदारी हो जाती है, मैं कोई पर्टीकुलर बात नहीं कह रहा हूं एक जनरल बात कह रहा हूं, हमको, पुलिस प्रशासन को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा भावावेश में आकर यदि आरोप लग जाय तो इन्वेस्टीगेशन से, तस्दीक से सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि कोई निरपराध आदमी इस मामले में न फंस जाय। मैं इन केसेज के सन्दर्भ में नहीं कह रहा हूं.........

श्री देवीसिंह भाटी : जांच में कभी छिपा नहीं रह सकता कि हकीकत क्या है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिलकुल आपकी बात मैं मानता हूं यह मैंने पूर्व में भी निवेदन कर दिया। आप सुनिये, यह बात इससे साबित हो जाती है, अध्यक्ष महोदय, कि 12 में से 10 केसेज में चालान प्रस्तुत कर दिया गया, सिर्फ दो मामले रह गये जो अण्डर इन्वेस्टीगेशन हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, यह जो सर्कूलर था इसमें कुछ गाइड लाइन्स आई. जी. पी. ने एस. पीज. को दी है। यह 17.12.81 का सर्कूलर निकला हुआ है इसमें गाइड लाइन दी हुई है कि इन बातों का हर संभव प्रयत्न किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं?

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा जल्दी समाप्त करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मैंने आपको बताया, पढ़ कर सुना दिया। मेरे पास 12 केसेज हैं उनके लिए आप कोई दिन मुकर्रर कर लें। अध्यक्ष महोदय, किसके अन्दर क्या कार्यवाही हुई है, क्यों नहीं हुई है, मैं विस्तार से चर्चा करूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : गाइड लाइन्स का पालन हुआ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय चतुर्वेदी जी, मुझे एक बात बता दीजिये, गाइड लाइन का पालन नहीं होता तो 10 केसेज में चालान कैसे हो जाता?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : चार चार महीने के बाद, जब प्रमाण नष्ट हो जाते हैं, थोड़े प्रमाण आते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ऐसे मामले हुए हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर मैंने बात

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

की, कई ऐसे केसेज होते हैं जिनमें तफतीश में काफी समय लगता है। आज जिस घर में, ससुराल में किसी महिला की मृत्यु होती है, हत्या की जाती है क्या आप सोचते हैं उनके ससुराल वाले साक्ष्य देने के लिये तैयार होंगे ? नहीं होंगे। सरकम्स-टेंशियल एविडेंस इकट्ठी करनी पड़ती है, क्या हालात थे, उन हालात को देखना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की किसी दोषी को संरक्षण देने की, बचाने की कोई इच्छा नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : सिर्फ एक सवाल छोटा सा, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : बहुत समय हो गया। चर्चा समाप्त हुई।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं भाषण नहीं करूंगी।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने श्रीमती मंजू के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था तो मैं उसका चालान हुआ मान लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप मान लें, हम तो इस तरह मानेंगे नहीं।

श्री रामकंवार बैरवा : आपने व्यवस्था दी थी कि सरकार से जवाब मंगवाया है।

श्री अध्यक्ष : जवाब आ जायगा तो मैं आपको निवेदन कर दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री रामकंवार बैरवा : तो क्या इन केसेज में वह केस नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : इसमें आज की लिस्ट में मैंने तो नहीं देखा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जिस विश्वास का वास्ता दिया है उसी विश्वास का वास्ता देते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि झनकारी उर्फ संतोष के केस में क्या सी. बी. आई. से जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में पुलिस विभाग को ही सक्षम पाता हूं अतः यह आवश्यक नहीं है कि जांच सी. बी. आई. से करवाई जाय।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। सदन की अनुमति से आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिये बैठक का समय बढ़ाया जाता है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : और आधे घंटे की चर्चा ?

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा किसी अन्य दिन के लिये ले लें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट में....

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट में केवल आपका भाषण नहीं होगा, आप और मंत्री महोदय दोनों समाप्त कर दें 10 मिनट में, ऐसी व्यवस्था है।

आधे घंटे की चर्चा
राज्य में कीटनाशक औषधियों के निम्न स्तर के नमूनों की जांच

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, मैं आपसे ही पूछूंगा और जब आप घंटी बजा देंगे, बैठ जाऊंगा। आप इसको देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान होने के नाते कीटनाशक औषधियों का प्रयोग मैं स्वयं करता हूं और इन औषधियों....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह कौशल :....में से कुछ सफल हुई, कुछ असफल हुईं। औषधियों के बारे में जानकारी मैंने ली है उसके आधार पर ही मैंने यहां प्रश्न किया है और प्रश्न का उत्तर मुझे मिला है कि मार्च, 1980 से फरवरी, 82 तक 2163 कीट नाशक औषधियों के नमूने लिये गये उनमें से 937 की जांच करवाई गई। बाकी का क्या हुआ, यह पता नहीं। यानी 2 हजार में से 937 की जांच करवाई गई। इन 937 में से 239 निम्न स्तर की सिद्ध हुईं और चालान करने की अनुमति केवल 18 की दी गई। 18 की अनुमति देने के बाद भी चालान किया 13 का। यह मुझे माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपका विभाग आपको कितना धोखा देता है इसका नमूना बता रहा हूं, आप जांच करवाइये। इन 13 का भी चालान नहीं हुआ है। चालान केवल दो का हुआ है। जबकि 13 का चालान करने की अनुमति दी थी। अध्यक्ष महोदय, नामजद अनुमति दी जाती है। जिन अधिकारियों के नाम अनुमति दी गई थी उनका ट्रांसफर इसलिये कर दिया कि वे चालान करने की हिमाकत कर रहे थे। इस विभाग का एक दृश्य उपस्थित करूं, अध्यक्ष महोदय, जो इन्सेक्टिसाइड्स इंसपेक्टर्स हैं उन को नमूने लेने की ट्रेनिंग नहीं मिली, नमूने लेंगे कैसे? नमूने लेने जाते हैं तो बजट नहीं। क्योंकि जहां से नमूने लाने होते हैं, वहां उनको पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए बजट नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। यदि नमूने लेकर प्रयोगशाला में भिजवा भी दें और यहां से यदि साठ दिन में नमूना नहीं जाता है तो टेक्निकल दृष्टि से चालान करने के योग्य नहीं होता है। एक विशेष बात और है, अध्यक्ष महोदय, जितने भी असिस्टेंट डायरेक्ट की पोस्ट है, वे सभी रिक्त हैं। एक प्रश्न तो मैंने यह उपस्थित किया कि अयोग्य हैं इंसपेक्टर्स नमूने लेने में, यदि नमूने ले लें तो क्या होता है कि डिप्टी डायरेक्टर प्लाण्ट प्रोडक्शन से परमिशन ली जाती है और वह यह कोशिश करते हैं कि उनको अनुमति नहीं दी जाय।

श्री अध्यक्ष : पर्चेज कौन करता है कीट नाशक औषधियों को ?

श्री रघुबीर सिंह कौशल : कीट नाशक दवाइयां दुकानों से किसान खरीदता है और वह सब स्टेण्डर्ड की सिद्ध होती हैं इसलिये काम नहीं करतीं। सब स्टेण्डर्ड की सिद्ध होने के कारण, अध्यक्ष महोदय, राज्य सभा में भी पिछली बार हंगामा मचा। हरियाणा में इन कीटनाशक औषधियों के कारण हजारों बीघा की फसल समाप्त हो गई। सिरसा और गाजियाबाद में तो बोगस फैक्ट्रीज पकड़ी गईं राज्य सभा में जवाब दिया गया कि यह स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट को मैंने इसलिये पूछा। और एक प्रश्न इसलिये उपस्थित किया कि दो हजार में से दो का चालान हुआ ? अध्यक्ष महोदय, होता क्या है, जब नमूने आते हैं तो उन पर कोड नम्बर इंसपेक्टर लिखकर भेजता है तो डिप्टी डायरेक्टर प्लान्ट प्रोडक्शन को वह बात अखरती है क्योंकि वह चाहते हैं कि मैन्यूफेक्चर्स का नाम लिख कर भेजे ताकि वह उस फैक्ट्री के लिये तो इजाजत दे दे जो उनसे मिली हुई नहीं है और जो मिले हुए हैं उनकी इजाजत नहीं दे। इसकी जांच कीजिये। आपको आश्चर्य होगा, यह सारे राजस्थान की लिस्ट मेरे पास मौजूद है कितनी कम्पनियां हैं और कितनी सब-स्टेण्डर्ड सिद्ध हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि परमिशन मांगने की हिमाकत केवल दो जिलों ने की है और किसी ने परमिशन नहीं मांगी क्योंकि उनको कोपभाजन बनना पड़ता है। उनका ट्रांसफर हो जाता है। यह दो हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। ज्यादा केसेज में हनुमानगढ़ ने कोशिश की है और दो नमूनों के लिये अनुमति चाही गंगानगर ने। अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति क्यों आई ? रायसिंह नगर के दरबारासिंह ने जिलाधीश गंगानगर को और जिला कृषि अधिकारी को यह शिकायत की कि सेन्डोज की दवाई से उसकी कपास की फसल जल गई है। इस पर नमूने लिये गये। जब सेन्डोज के नाम से चालान करने की परमिशन मांगी, डिप्टी डाइरेक्टर प्लान्ट प्रोडक्शन से कि क्या इसका चालान कर दिया जाय ? डिप्टी डाइरेक्टर प्लान प्रोडक्शन ने लिखा है कि चालान विक्रेता का किया जाना चाहिये मैन्यूफैक्चरर का नहीं। पत्र व्यवहार आपके पास मौजूद है। हो सकता है कि आपकी जानकारी में न हो। इसको यों न लीजिये कि आपके विभाग की आलोचना हो रही है। आपकी जानकारी में तथ्य आ रहे हैं। तो डिप्टी डाइरेक्टर प्लान्ट प्रोडक्शन ने लिखा है मैन्यूफैक्चरर का चालान नहीं कर सकते आप विक्रेता का चालान कर सकते हैं। इन्सेक्टीसाइड एक्ट 1968 बना हुआ है उसमें स्पष्ट है कि यदि माल पैक बंद हैं, सील्ड है तो चालान मैन्यूफैक्चरर का होता है। लेकिन पत्र व्यवहार से डिप्टी डाइरेक्टर, प्लान्ट प्रोडक्शन इतना नाराज हो गया उसने लिखा कि आप चालान मैन्यूफैक्चरर का नहीं कर सकते हैं, विक्रेता का कीजिये। आखिर में जोइन्ट डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर गंगानगर ने इसमें इन्ट्रेस्ट लिया और वह परमिशन मिली। दो में गंगानगर को मिली। नामजद परमिशन दी जाती है। हनुमानगढ़ के डी. ए. ओ. का ट्रान्सफर कर दिया गया ताकि चालान नहीं हो। अनुमति के पहुंचते ही दूसरी जगह ट्रान्सफर कर दिया गया ताकि चालान करने वाले नहीं हो। यह स्थिति हो रही

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

है। मैन्यूफैक्चरर से मिला हुआ है आपका अधिकारी, डिपार्टमेन्ट जो चालान नहीं होने देता है। दो हजार में से केवल दो का चालान हुआ है बाकी का चालान नहीं हुआ। यह एक ऐसा दृश्य है जिसमें मैन्यूफैक्चरर से मिले हुए है। अध्यक्ष महोदय, एक कम्पनी है जो बी. एच. सी. बनाती है उसका नमूना आप देखें। यह सहकारी कीटनाशक दवाई फैक्ट्री झोटवाड़ा की है इसके दस नमूने निम्न स्तर के सिद्ध हुए हैं। दूसरी वी० एम० इण्डस्ट्री है जयपुर की इसके 11 नमूने हैं जो सब स्टेण्डर्ड के सिद्ध हुए हैं लेकिन उसके बाद चालान नहीं होने देने की कोशिश विभाग करता है। अध्यक्ष महोदय, पांचों डिवीजन पर पांच असिस्टेन्ट डाइरेक्टर क्वालिटी कन्ट्रोल की पोस्ट हैं लेकिन पांचों की पांचों पोस्ट खाली पड़ी हैं, क्यों? यह पोस्ट भर दो जाय तो चालान ज्यादा पेश होंगे। गंगानगर में दो ए. पी. पी. ओ. की पोस्ट हैं, वे भी खाली हैं। गंगानगर विशेष कोपभाजन है इसमें क्योंकि वे नमूने भेजते हैं। यह विभाग की कोशिश है कि पूरे के पूरे निम्न स्तर के नमूनों की जांच न हो। इसका फल किसको भुगताना पड़ता है? दरबारासिंह, रायसिंहनगर को भुगतना पड़ता है। उसकी फसल जल गई। हम अपनी फसल पर छिड़कने के लिये दवाई खरीदते हैं, वे काम नही आती हैं। आज सल्फर काम नहीं करती है, बी० एच० सी० काम नहीं कर रही है।....

श्री अध्यक्ष : आपके वहां की शिकायत नहीं है इस तरह की कीटनाशक की....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : शिकायतें है। लेकिन इनके द्वारा जो जवाब दिया गया है उससे साफ है 2 हजार नमूनों में से 935 की जांच कराई गई और उनमें से 325 सब स्टेण्डर्ड सिद्ध हुए हैं और दो का चालान हुआ है, मतलब क्या है? who is at falt? उस व्यक्ति के खिलाफ, उस आफिसर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? यह बात मैंने पिछले सत्र में भी रखी थी लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यह उत्तर लेकर आपके सामने दृश्य उपस्थित करने की कोशिश की है। 2 हजार में से दो का चालान पेश किया है।....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यदि लेबोरेट्री से साठ दिन में रिपोर्ट नहीं आती है, अध्यक्ष महोदय, तो वह तकनीकी दृष्टि से फेल हो जाता है। हर स्तर पर विभाग का यह प्रयत्न है यह नमूने निम्न स्तर के सिद्ध न हों, उनका चालान न हो क्योंकि मैन्यूफैक्चरर से डिप्टी डाइरेक्टर प्लान्ट प्रोडक्शन और डाइरेक्टर दोनों मिले हुए हैं उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपका सिंचित क्षेत्र है, आप स्वयं काश्तकार हैं वहां की शिकायत क्यों नहीं है। उधर के मामले आपके पास हैं?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : बारां के हैं, कोटा के हैं। सब जगह के नमूने हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया।

(156)

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगी उनके पास अगर रिप्लाई में कोई आंकड़े गलत हैं तो उसमें थोड़ा करेक्शन कर लें। यह 2163 के बजाय 1163 है।....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपका रिप्लाई है 2163 का....

श्रीमती कमला : यह टाइप की गलती है लेकिन वास्तव में 1163 है....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : डिपार्टमेंट की एफिशियेन्सी सामने आ गई।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये आधे घन्टे की अनुमति दी गई है, कोई न कोई गलती है।

श्रीमती कमला : दूसरी बात, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है वास्तव में इसमें दो-तीन स्टेज पर काफी खामियां हैं, पिछले वक्त में हमने इनको दुरुस्त करने की कोशिश की थी लेकिन इस कोशिश के दौरान, जैसा आपने कहा कि पहले उन्होंने कुछ कम केसेज का चालान किया था जबकि बहुत सारे केसेज का चालान कर देना चाहिए था। इसके बाद मैंने आदेश दिये थे कि बाकी केसेज हैं उनमें तुरन्त चालान किया जाय लेकिन, माननीय सदस्य, आपने अभी कहा है, आपने 13 केसेज में चालान करने का बताया है उनमें से सिर्फ दो केस का चालान हुआ है, बाकी केसेज में चालान नहीं हुआ है। मैं आपकी इस सूचना को सही मानते हुए इस बात की जानकारी करूंगी कि मैंने जो आपको सूचना दी है वह सही है या आपने जो सूचना दी है वह सही है। अगर आपकी सूचना सही है तो मैं वरिष्ठतम अधिकारी, जिसने यह सूचना दी है के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने में कोई कसर नहीं रखूंगी।

दूसरी बात, यह सही है कि बहुत से स्तर पर कर्मचारीगण या अधिकारीगण इस बात की चेष्टा करते हैं कि जहां पर सब स्टेण्डर्ड नमूने पाये जायें उनके विक्रेता अथवा उनके मैन्यूफैक्चरर को किसी तरह बचायें इसलिये इस केस के अन्दर जैसा कि बताया है मार्च, 1980 से अभी तक 1163 नमूने विश्लेषण के लिये दुर्गापुरा लेबोरेट्री में आये उनमें से 935 नमूने निम्न स्तर के साबित हुए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कुल 937 टैस्ट हुए।

श्रीमती कमला : सुनिये, 937 नमूनों में से 239 नमूने निम्न स्तर के साबित हुए। इनमें से इन्होंने 22 नमूनों पर काग्नीजेन्स लेकर 13 नमूनों का चालान किया। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है लेबोरेट्री वालों ने उन से मिल कर यह चेष्टा की हो जिसको कि हमने बाद में पकड़ा, 60 दिन के अन्दर अन्दर का चूंकि उस एक्ट के अन्दर प्रावधान है अगर 60 दिन के अन्दर अन्दर परीक्षण करके नमूने को सब स्टेण्डर्ड साबित कर दिया तब तो आप एक्ट के तहत उसका चालान करने के लिए अधिकृत हैं, अगर 60 दिन के बाद नमूने का परीक्षण करके उसकी रिपोर्ट दी तो आप कानूनी तौर पर उसका चालान करने के लिये अधिकृत नहीं हैं।

(श्रीमती कमला)

लेबोरेट्री के कुछ कर्मचारी, अधिकारी ने इस बात की चेष्टा की, जिन नमूनों के 60 दिन के अन्दर अन्दर टेस्टिंग होकर रिजल्ट मिल जाने चाहिए थे, जिससे कि शेष केसेज थे, उन पर मुकदमे कर सकते, उनके 60 दिन के बाद में दिये। जो उन्होंने तीन महीने वाला अपना क्वार्टरली रिटर्न दिया उसमें लिखा है हम इसलिये नहीं कर पाये, क्योंकि बिजली नहीं थी। यह कारण बताया या और कई कारण बताये हैं। उन सारे कारणों को देखने के बाद जिन महीनों में बिजली नहीं होने का कारण बताया गया है या दूसरे कारण बताये गये हैं उनकी जांच की गयी है और वे कारण निरर्थक पाये गये हैं और उच्च वरिष्ठ अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं। उनमें से एक अधिकारी तो वरिष्ठ हैं इसलिए डी० ओ० पी० को उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की स्वीकृति लेने के लिये लिखा है, शेष के खिलाफ आदेश दे दिये गये हैं। यह सही है कि कई जगह यह कोशिश की जाती है वे नमूने ही न भेजे जायं, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी की नेग्लिजेंसी होती है। आपने यह एक अच्छी बात बताई। इस मामले में आपने कहा, मेरी भी निगाह में यह बात आई है। मैंने इस बात की व्यवस्था की है कि कोई भी जिला लेवल का अधिकारी, जिसके खिलाफ इस तरह की बात आयी है अगर वह नहीं बताये और काश्तकार स्वयं बताये तो उसके बारे में कार्यवाही करते हैं। लेकिन बहुत दफा काश्तकार भी नोटिस में नहीं लाता है। यह स्थिति है। इसको मैं समझ रही हूं। इस बारे में विवशतायें थीं जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : जो डिप्टी डायरेक्टर मिले हुए हैं उनके बारे में कहा था....

श्रीमती कमला : यह बात और आपकी सारी बातें सुनने के बाद ही मैं यह व्यवस्था दे रही हूं कि यहां से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जो क्षेत्रीय अधिकारी है वहीं के वहीं उनसे परमिशन लेकर चालान किये जा सकते हैं जिससे एक जगह पर उसको इकट्ठा करने से जो कुछ करप्शन की गुंजाइश हो सकती है वह निकल सके। एक व्यक्ति के अधिकार में ही यह नहीं रहे, इसलिये यह किया है। इसके लिये जो आपने सुझाव दिये हैं उनके लिये धन्यवाद।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी पहली बार मंत्री महोदया को धन्यवाद दे रहा हूं उसको आप स्वीकार करें।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड (निरसन) विधेयक, 1982

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री चन्दन मल बैद।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड (निरसन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

158

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड (निरसन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड (निरसन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड (निरसन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान औद्योगिक स्थापन (आकस्मिक छुट्टी) विधेयक, 1982

श्री अध्यक्ष : श्री बृज सुन्दर शर्मा ।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान औद्योगिक स्थापन (आकस्मिक छुट्टी) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : कम से कम आज्ञा तो मांग लेते ।

श्री अध्यक्ष : आज्ञा प्रदान कर दी गयी थी ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान औद्योगिक स्थापन (आकस्मिक छुट्टी) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान औद्योगिक स्थापन (आकस्मिक छुट्टी) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान औद्योगिक स्थापन (आकस्मिक छुट्टी) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं ।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार । चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी ।

श्री छोगालाल कंवरिया (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में....

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं, माननीय सदस्य ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप सुन लें, अध्यक्ष महोदय, ठीक नहीं हो तो आप न मानें ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, गलत हो तो अस्वीकार कर देना।

श्री छोगालाल कंवरिया : किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 76,95,45,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्रीमती उजला अरोड़ा(जयपुर ग्रामीण)

1. जयपुर के जनाने अस्पताल की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

2. सीकर स्थित आयुर्वेद कॉलेज को और अधिक सरकारी अनुदान दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. श्री कल्याण आरोग्य सदन बजाज ग्राम सावली के आरोग्य सदन में क्षय रोगियों की शंकायें बढ़ाने हेतु अनुदान दिलाये जाने बाबत चर्चा के लिये।

4. श्री कल्याण अस्पताल सीकर में काटेज वार्डों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. श्री कल्याण अस्पताल सीकर में पेथोलोजी जांच यंत्रों की कमी से जनता को हो रही कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

6. श्री कल्याण अस्पताल सीकर में मातृ कल्याण केन्द्र के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. बीमारों की संख्या दृष्टिगत रखते हुये श्री कल्याण अस्पताल सीकर में नये वार्ड्स की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. श्री कल्याण अस्पताल सीकर को 'अ' श्रेणी का अस्पताल घोषित करने हेतु चर्चा के लिये।

9. सीकर जिले के कटरायल दौलपुरा ग्राम में डिस्पेन्सरीज खोलने हेतु चर्चा के लिये।

10. सीकर विधान सभा क्षेत्र के चेनपुरा ग्राम में आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

11. सीकर जिले के राजपुरा ग्राम में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

12. सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कोलीड़ा की जनसंख्या को देखते हुये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा)

13. सार्वजनिक चिकित्सालय प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में इमर्जेंसी सेवा प्रारम्भ न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लिये यथेष्ट चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने में सरकारी उपेक्षावृत्ति पर चर्चा के लिये।

15. जिला चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, सवाईमाधोपुर व सीकर में माह अगस्त, 1981 में हैजा, उल्टी, दस्त तथा आंत्रशोध से मरने वालों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने बाबत चर्चा के लिये।

16. सब्सिडियरी हैल्थ सेन्टर अम्बामाता प्रतापगढ़ के प्रति सरकार की उपेक्षावृत्ति पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी)

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

17. नई डिस्पेन्सरी व एड पोस्ट खोलने में पिछले दो वर्षों में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

18. टोंक सहादत अस्पताल में कॉटेज वार्ड की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. टोंक जिला मुख्यालय पर स्थित जनाना अस्पताल एवं सहादत अस्पताल में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. टोंक सहादत अस्पताल, जनाना अस्पताल एवं निवाई अस्पताल को क्रमोन्नत कर उन्हें सभी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

21. सिकराय व आमेर क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के अभाव पर चर्चा के लिये।

22. चिकित्सालयों में दवाई के अभाव पर चर्चा के लिये।

23. सिकराय क्षेत्र में 1981 की जनगणना के आधार पर उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. मानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जीप की व्यवस्था न होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़)

25. तहसील बहरोड़ के ग्रामों में उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं में आवश्यक सुधार हेतु चर्चा के लिये।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

26. भीलवाड़ा नगर के महात्मा गांधी अस्पताल में 'अ' श्रेणी की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

27. आयुर्वेदिक रसायनशाला उदयपुर में एक लम्बे समय से औषधियों का निर्माण बन्द है उसे पुनः प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

28. आयुर्वेद विभाग के आचार्यों के स्थानान्तरण में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

29. जन साधारण को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

30. झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में असनावर, बकानी, झालावाड़ एवं झालरापाटन में डाक्टरों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये।

31. झालावाड़ शहर में चिकित्सालय परिसर में मरीजों एवं उनके परिजनों के ठहरने हेतु, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में विभाग द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

32. झालावाड़ शहर में जनाना अस्पताल में शैयाओं की कमी पर चर्चा के लिये।

33. झालावाड़ जिला अस्पताल में डाक्टरों के बार-बार स्थानांतरण निरस्त किये जाने से जनता में व्याप्त भारी रोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

34. झालावाड़ जिले के कई मेल नर्सेज 'प्रथम श्रेणी' द्वारा पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से ड्यूटी जोइन नहीं करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

35. झालावाड़ जिले में नर्सिंग स्टाफ को अपने पोस्टिंग के स्थान पर न रखकर डेपुटेशन पर भेजने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

36. नर्सिंग स्टाफ को अपने पोस्टिंग के स्थान पर न रखकर डेपुटेशन पर जनरल अस्पताल में रखने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

37. दिसम्बर माह में अलवर नगर में नकली एवं अवैध औषधियों की बरामदगी के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही का न होना एवं अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की

(श्री अनंगकुमार जैन)

सुविधा हेतु मोबाइल यूनिट बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. खाद्य पदार्थों में की जा रही मिलावट को रोकने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

40. प्रदेश के अस्पतालों में बैड्स के आधार पर यूनिटों के निर्धारण में असमानता बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

41. जनाना अस्पताल अलवर के पिछवाड़े में घोर गंदगी होने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

42. खेड़ली (अलवर) में डाक्टरों के आवास की व्यवस्था करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

43. अलवर जनरल अस्पताल में सर्जिकल एवं आर्थोपेडिक विभाग में दो माह से सीनीयर स्पेशलिस्ट की नियुक्ति न होने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

44. बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के चिकित्सा उपकेन्द्रों में कोई स्टाफ न होने व शिव तहसील मुख्यावास की डिस्पेन्सरी में कोई डाक्टर न होने पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद (टौंक) :

45. टौंक जिले में आबादी के अनुपात में चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

46. प्रदेश में चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)

47. खिवाड़ा (तहसील देसूरी) में चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

48. राजकीय चिकित्सालयों तथा उप-केन्द्रों पर पूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

49. प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्सरे मशीन उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

50. प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक महिला चिकित्सक की नियुक्ति कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

51. पांच किलो मीटर की दूरी पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत चर्चा के लिये।

52. उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा डिस्पेन्सरी पर पूरा स्टाफ नहीं लगाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा)

53. नैनवा पंचायत समिति में ग्राम देई में रेफरल अस्पताल स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री सूर्यकुमार)

54. नैनवां पंचायत समिति के बामन गांव में डिस्पेन्सरी, पीपलया में एडपोस्ट एवं सहण में औषधालय स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

55. मोदरा में चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी)

56. बाड़मेर जिले में चिकित्सा सुविधाओं की कमी को प्राथमिकता के आधार पर पूरी कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

श्री चतुर्भुज (टोड़ारायसिंह)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

57. बाड़मेर व टोंक के चिकित्सालय में स्टाफ की कमी एवं दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर)

58. आयुर्वेद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. राज्य में चिकित्सा सेवाओं की अव्यवस्था व अस्पतालों की दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

60. सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल (हिण्डोली)

61. हिण्डोली पंचायत समिति ग्राम वसोली तथा दबथाना में डिस्पेंसरियों को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

62. पाली जिले की सोजत तहसील में ग्राम सियाट व राजोलकला में उपयुक्त भवन बन जाने के बावजूद भी नई डिस्पेंसरी व एडपोस्ट न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नरपत बरवड़ (सूरसागर)

63. सूरसागर क्षेत्र के ग्राम जोलपाली, सुरपुरा, नांदड़ा कलां, पूंल में चिकित्सा केन्द्र खुलवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

64. निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कराने हेतु चर्चा के लिये।

65. केशवरायपाटन क्षेत्र के बसवाड़ा, देही खेड़ा गांवों में अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

66. केशवरायपाटन क्षेत्र में रिक्त चिकित्सकों के पदों की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये।

67. केशवरायपाटन में महिला चिकित्सक की नियुक्ति कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

68. सांचौर तहसील में एक और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने व ग्राम गुंदाऊ व मालवाड़ा में एडपोस्ट खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

69. जिला सवाई माधोपुर में चिकित्सालय की व्यवस्था ठीक न होने से मरीजों को होने वाली असुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. जिला सवाईमाधोपुर के अस्पतालों में दवाइयों तथा उपकरणों की कमी से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

71. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा पर्याप्त नहीं है उसमें सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

72. ग्राम खाटू में रेफरल अस्पताल के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. पंचायत समिति दांतारामगढ़ के ग्रामों में स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़)

74. ग्राम परतापुर एवं तसींग में एड-पोस्ट को क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

75. ग्राम पचार में डिस्पेन्सरी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

76. नीम का थाना क्षेत्र के सांवलपुरा तंवरान में चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़)

77. लोक स्वास्थ्य की सम्पूर्ण व्यवस्था एवं चिकित्सा की कमी के बारे में चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

78. झुंझुनू जिले के ग्राम टीटनवाड़ में एडपोस्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. झुंझुनू जिले की ग्राम खपचलंगी

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

में चिकित्सालय हेतु निर्मित भवन में चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. झुंझुनू जिले की सराय सूरपुरा में निर्मित भवन में एडपोस्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. झुंझुनू जिले के ग्राम धमोरा में निर्मित भवन में चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

82. प्रयोगशाला का प्रशिक्षण प्राप्त स्वास्थ्य निरीक्षकों को सैम्पल भरने के अधिकार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. मोबाईल आई यूनिट बीकानेर का स्थानान्तरण अन्य स्थान पर करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

84. उदयपुर में जिला हॉस्पिटल अलग से बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. जिले के समस्त आयुर्वेद औषधालयों में दवाइयों, पट्टियों के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

86. राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

87. बिजेरी, सुरजड़ा आर० डी० 860, खारी चारणान हाडला, मेघासर, श्रीरामसर, घड़सीसर अम्बासर व किलचु में डिस्पेन्सरी खोलकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर चर्चा के लिये।

88. प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्रों पर सांप के काटे की व अन्य जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

89. ग्राम अकासर व बरसलपुर के आयुर्वेद औषधालयों में वैद्यों की अनुपस्थिति से बीमारों को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

90. पी० बी० एम० चिकित्सालय बीकानेर में एम्बूलेंस एवं पूछताछ के लिये अलग-अलग टेलीफोन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. पी० बी० एम० चिकित्सालय बीकानेर एवं अन्य चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली खाद्य सामग्री के स्तर में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

92. राजकीय चिकित्सालयों में रोगियों को निःशुल्क पर्याप्त उचित भोजन की व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।

(श्री चुन्नीलाल)

93 जनरल हॉस्पिटल सवाईमाधोपुर में नई 200 एम० की एक्सरे मशीन की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये ।

94. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डार में महिला डाक्टर का पद होते हुये भी महिला डाक्टर के अभाव पर चर्चा के लिये ।

95. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डार में प्रसूति गृह की दुरावस्था पर चर्चा के लिये ।

96. जनरल हॉस्पिटल सवाईमाधोपुर में व्याप्त रिश्वत खोरी को समाप्त किये जाने पर चर्चा के लिये ।

97. सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय होने के कारण जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय सवाईमाधोपुर में स्थापित किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग)

98. फागी तहसील हैडक्वाटर की डिस्पेंसरी की दुर्दशा पर चर्चा के लिये ।

99. फागी तहसील के हैडक्वार्टर पर रेफरल अस्पताल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

100. तहसील हैडक्वार्टर्स पर पूरी तरह चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

101. फागी व चाकसू तहसील में मच्छरों की दवाई नहीं छिड़के जाने पर मलेरिया आदि से नागरिकों को होने वाली कठिनाई को दूर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री घाराराम फुलवारिया (सिवाना)

102. चिकित्सालयों में मेल व फीमेल नर्सों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

103. गोगुन्दा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में रेफरल अस्पताल खोलने के बाबत चर्चा के लिये ।

104. गोगुन्दा विधान सभा की कोटड़ा तथा गोगुन्दा पंचायत समिति के मालवा काचोरा में एक नई डिस्पेन्सरी तथा 4 अन्य नई डिस्पेंसरी खोलने बाबत चर्चा के लिये ।

105. गोगुन्दा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की डिस्पेन्सरियों में औषधियों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

106. गोगुन्दा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की डिस्पेंसरियों में स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिये ।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा)

107. सराड़ा क्षेत्र में चिकित्सालयों के अभाव से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री शोभराजमल (चित्तौड़गढ़)

108. नये चिकित्सालय खोलने व वर्तमान चिकित्सालयों में सुधार करने एवं स्टाफ की कमी को पूरी कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगनसिंह (बयाना)

109. बयाना क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)

110. घनी आबादी वाले इलाके में चिकित्सा सुविधा की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर)

111. मकराना नगर में रेफरल हॉस्पिटल खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

112. इन्द्रगढ़ तथा मांगरोल में लेडी डाक्टर की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. गैंता में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. पीपल्दा क्षेत्र के अयानी, नोनेरा, बिनायका, डूंगरली, में एडपोस्ट खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

115. पीपल्दा क्षेत्र में अयानी, डूंगरली, रमोदिया, पीपल्दा खुर्द में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. पीपल्दा क्षेत्र के इटावा अस्पताल को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये।

117. बीमारों की संख्या के अनुपात में इटावा, खातौली, इन्द्रगढ़ अस्पतालों में बैड्स, दवायें एवं अन्य सामग्री बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भरोसीराम (हिण्डौन)

118. सवाईमाधोपुर जिले में डिस्पेंसरी व उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

119. कोटा के भीमसिंह अस्पताल में मरीजों को भोजन वितरण की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

120. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी पर चर्चा के लिये।

(168)

श्री कुंजीलाल (वामनवास)

121. चिकित्सा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा जिला सवाईमाधोपुर में चिकित्सालय सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री कुन्जीलाल (वामनवास)

122. सवाईमाधोपुर अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही से होने वाली मृत्युओं के कारण पर चर्चा के लिये।

123. सवाईमाधोपुर के टी. बी. अस्पताल को नगर के बाहर कहीं खुले स्थान पर स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

124. ग्राम पलायथा तहसील मांगरोल जिला कोटा में अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

125. कोटा के भीमसिंह अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

126. ग्राम कोयला तहसील बारां जिला कोटा के अस्पताल में गत कई महीनों से डाक्टर न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

127. हरिजन व पिछड़ों की स्वास्थ्य रक्षा हेतु ठोस योजनाओं के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

128. राजस्थान नर्सिंग कालेज में वांछित योग्यता वाले व्याख्याता नहीं होने से इसे इन्डियन नर्सिंग कौन्सिल से मान्यता नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

129. राजस्थान नर्सिंग कॉलेज में प्रिन्सीपल के रिक्त पद को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

130. राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल की बैठकें आयोजित नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

131. राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल का बजट बिना पास कराये ही खर्च करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल में रजिस्ट्रार का पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. महिला नर्स एवं पुरुष नर्स के भेद-भाव को मिटाकर समान पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

134. राजस्थान में नर्सिंग स्टाफ के विभिन्न रिक्त पदों को न भरने से जनता को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

135. रेलवे की भांति रोडवेज की बसों में नर्सिंग स्टाफ को रियायत देने में विभाग द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

136. राज्य में नर्सिंग स्टाफ को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

137. अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में नर्सिंग शिक्षा एवं नर्सिंग सेवा के लिये अलग से अधिकारियों की नियुक्ति कराने हेतु चर्चा के लिये।

138. राजस्थान में परिवार कल्याण योजना के अधीन कार्यरत नर्सिंग स्टाफ का मैसिंग भत्ता बन्द करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

139. भ्रमणशील शल्य इकाई में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को सर्दी में जंगलों में कार्य करने पर भी गरम वर्दी नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

140. राजस्थान नर्सिंग कॉलेज में बी. एस सी. नर्सिंग में पुरुष विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

141. राजस्थान नर्सिंग कॉलेज में पोस्ट बेसिक बी. एस सी. कोर्स चालू करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग):

श्री अनंगकुमार जैन (झालरा-पाटन):

142. डग विधान सभा क्षेत्र के नागेश्वर उन्हेल में 1 ग्रेड की डिस्पेन्सरी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):

143. भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई के कार्यरत स्टाफ को ओवर टाइम नहीं देने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद):

144. राज्य में नकली एलोपैथी औषधियों के निर्माणकर्त्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

145. आयुर्वेद पद्धति के अनुसार राज्य में अलग पंचकर्म चिकित्सा पद्धति प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

146. राज्य की फैक्ट्रियों में कार्यरत मजदूरों को आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु ई. एस. आई. स्कीम लागू करने पर चर्चा के लिये।

147. राज्य में आयुर्वेदिक औषधियों के

(श्री दाऊदयाल जोशी)

निर्माण के लिये आयुर्वेदिक औषध निर्माण निगम की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

148. कोटा जिले के ग्राम धुलेर में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी व सांगोद में महिला डॉक्टर की नियुक्ति हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (मनोहर थाना) :

149. झालावाड़ जिले के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये।

150. जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत अकलेरा सब-डिवीजन के मुख्यालय चिकित्सालय को क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामधन चोधरी (लाडनूं) :

151. ग्रामों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

152. कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता के ग्राम पंचायत मुख्यालय 'काचरी' में किसी भी प्रकार का चिकित्सालय नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) :

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर):

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत):

153. जैतारण व सुमेरपुर में रेफरल अस्पताल व डिस्पेन्सरी खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

154. चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण तथा अस्पतालों में उपकरणों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री मालू खां (चूरू) :

155. चूरू जिले के चिकित्सालयों में स्टाफ व दवाओं की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) :

156. जिला नागौर विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में खोजास, विचावा, भामड़ोदा ग्रामों में चिकित्सा व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये।

157. जिला नागौर विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के चिकित्सालय में औषधि एवं उपकरणों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

158. निदेशालय द्वारा आयुर्वेद औषधालयों में आवश्यक दवाइयों का यथेष्ट मात्रा में वितरण न करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

159. भीलवाड़ा तहसील के बड़ा महुआ, बरड़ोद, दाथल, कोटूकोटा में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी स्थापित की जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

160. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन चिकित्सालय खुलवाने एवं वर्तमान चिकित्सालयों में आवश्यक सुधार हेतु चर्चा के लिये।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़) :

161. किशनगढ़ व अजमेर के अस्पतालों की दयनीय स्थिति पर एवं आबादी के अनुपात में नये औषधालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

162. विभाग द्वारा राजगढ़ (अलवर) के अस्पताल की जीर्णशीर्ण अवस्था को सुधारने हेतु कोई कदम नहीं उठाने व उसमें एक्स-रे की मशीन के खराब पड़े रहने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

163. परवैणी, रामपुरा, तहसील राजगढ़ (अलवर) में क्रमशः डिस्पेन्सरी व एडपोस्ट खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

164. परिवर्तित परिवेश में एलोपैथिक औषधालयों को उचित मात्रा में दवाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

165. राज्य में आयुर्वेद के चल-चिकित्सालयों की ओर अधिक स्थापना कराने हेतु चर्चा के लिये।

166. राज्य की रसायन शालाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

167. राज्य के एलोपैथिक चिकित्सालयों की भांति आयुर्वेद के चिकित्सालयों में रोगी शय्याओं का विस्तार करने बाबत चर्चा के लिये।

168. राज्य में आयुर्वेद के स्नातकों के बेकार होने के बावजूद भी राज्य से बाहर के स्नातकों को नियुक्ति दी है व दी जा रही है उन्हें रोककर राज्य के आयुर्वेदिक स्नातकों के साथ न्याय कराने बाबत चर्चा के लिये।

169. राज्य के आयुर्वेद विभाग द्वारा आयुर्वेदिक औषधालयों पर पुनर्भरण बिलों की सीमा 2 हजार रुपये मात्र प्रतिमाह तय करने से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

170. राज्य में तेजी से कैन्सर (रक्तार्बुद) की वृद्धि हो रही है अतः बीकानेर की भांति राज्य के अन्य नगरों में भी कैन्सर (रक्तार्बुद) की समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

171. राजकीय अस्पताल की भूमि पर कालूराम इमरती देवी ट्रस्ट द्वारा निर्मित धर्मशाला में मरीजों के परिचारकों को ठहराने के स्थान पर बरातों को ठहराकर रुपया अर्जित करने को विभाग द्वारा नहीं रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली) :

172. चिकित्सा विभाग में सुधार हेतु सुझावों पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

173. जिला चिकित्सा अधिकारी कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा राजाज्ञा के विपरीत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां करने बाबत तथा नियुक्ति में आरक्षण की अवहेलना करने पर चर्चा के लिये।

174. जिला चिकित्सा अधिकारी कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा बिना टेण्डर प्राप्त किये लगभग पच्चीस हजार की दवाइयां उस फर्म से क्रय की गई जो अधिकृत नहीं थी, इस पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

श्री बालचन्द्र आर्यबोर (डग) :

175. निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा सितम्बर, 1980 में स्थानान्तरण पर पाबन्दी लगाने के बाद भी जिला चिकित्सा अधिकारी कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा स्थानान्तरण एवं पदस्थापन किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई) :

176. बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में निवाई व क्षिलाय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में शैय्याओं की संख्या कम पड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) :

177. डेढ़ लाख की आबादी वाले जमवारामगढ़ क्षेत्र में मेडिकल डिस्पेन्सरी और आयुर्वेद चिकित्सालयों की कमी से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री महादेवसिंह (खण्डेला) :

178. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला जिला सीकर के खण्डेला कस्बे में मातृ सेवा एवं शिशु कल्याण (जच्चा खाना) के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला जिला सीकर की ग्राम पंचायत दुलहेपुरा में चिकित्सालय की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला जिला सीकर के कांवट कस्बे के चिकित्सालय में 20 बैड्स और बढ़वाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास डोसी (चौहटन):

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर):

181. बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के प्राइमरी हैल्थ सैन्टर, एडपोस्ट, डिस्पेन्सरी में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

182. बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के मुख्यालय चोहटन में रेफरल हॉस्पिटल के लिये भवन के निर्माण के उपरान्त भी पर्याप्त डाक्टर, स्टाफ एवं दवाइयां नहीं भेजने के कारण ग्रामीणों में उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल):

183. ग्राम सांवली तहसील दूदू जिला जयपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़):

184. आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

185. होमियोपैथिक दवाइयों की राज्य कर्मचारियों के लिये पुनर्भरण व्यवस्था शीघ्र कराने हेतु चर्चा के लिये।

186. आयुर्वेदिक औषधियों के पुनर्भरण की राशि की प्राप्ति की जटिल प्रक्रिया को समाप्त कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द):

187. राज्य में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़):

188. कुशलगढ़ क्षेत्र की जनता को समय पर चिकित्सा-सुविधा उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये।

189. राज्य सरकार द्वारा कुशलगढ़ क्षेत्र के उदेगढ़ वसुकी में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन बन जाने के बावजूद भी स्टाफ नहीं भेजने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

190. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय खोल कर जनता को राहत दिलाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी):

191. ग्राम सावली तहसील दूदू में आयुर्वेदिक औषधालय के अभाव से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल):

192. जयपुर की प्रत्येक डिस्पेन्सरी में डेन्टल सर्जन की नियुक्ति कराने हेतु चर्चा के लिये।

193. जयपुर शहर की एलोपेथिक डिस्पेन्सरियों में पैथोलाजी यूनिट प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये।

194. जयपुर के हवा महल निर्वाचन

(श्री भंवरलाल शर्मा)

क्षेत्र की आबादी को दृष्टिगत रखते हुए पुरानी बस्ती में एक और डिस्पेन्सरी खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

195. अलवर के जनाना अस्पताल में एक्स-रे मशीन को उपयोग में न लिये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

196. अलवर में नकली दवाओं की बिक्री को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

197. आवश्यक लाइसेन्स के अभाव में अलवर में एक फर्म "फ़ार मेडिको" द्वारा दवाओं के निर्माण को रोक पाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

198. अलवर के जनरल एवं जनाना अस्पताल में गत तीन वर्षों से एम्बुलेन्स के अभाव के कारण रोगियों को होने वाली परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) :

199. अस्पतालों में उपकरण व दवाइयां उपलब्ध न होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

200. चिकित्सा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

201. धौलपुर सदर अस्पताल में कुत्ते काटने की दवा समय पर उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री सैय्यद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा) :

202. मसूदा व विजयनगर में रेफरल चिकित्सालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

203. अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में आपरेशन्स की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये जेनरेटर लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. मसूदा चिकित्सालय में आपरेशन थियेटर की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. मसूदा विधान सभा क्षेत्र के किसी भी चिकित्सालय में एम्बुलेन्स न होने से मरीजों को होने वाली असुविधाओं पर चर्चा के लिये।

206. अजमेर, ब्यावर, मसूदा व विजयनगर के चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पृथ्वीसिंह (खानपुर) :

207. प्रदेश में विशेष तौर पर झालावाड़ में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हेतु चर्चा के लिये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) :

208. राजस्थान में दन्त चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा हेतु आवश्यक सुविधाओं और महाविद्यालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

209. आयुर्वेद विभाग में कार्यरत स्नातकोत्तर एवं स्नातक आयुर्वेद चिकित्सकों के वेतनमानों की विसंगति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

210. आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश हेतु निर्धारित मापदण्ड के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

211. जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामों के नागरिकों को चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के लिये बड़वा, देवगांव एवं जटवाड़ा में डिस्पेन्सरी खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

212. प्रशासनिक खर्चे को कम कर औषधि व उपकरण के व्यय में बढ़ोतरी करने हेतु चर्चा के लिये।

213. जयपुर जिले की बस्सी तहसील के नागरिकों को चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के लिये बस्सी, बेनाड़ा, राजपुरा व लालगढ़ में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने की चर्चा के लिये।

214. आयुर्वेदिक औषधालय में कार्यरत वैद्यों द्वारा आयुर्वेदिक उपचार के स्थान पर एलोपैथिक उपचार करने की जो प्रवृत्ति उभरी है उसे शक्ति के साथ रोके जाने एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा की गिरती हुई साख को कायम रखे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

215. प्रत्येक चिकित्सालय में निर्धन एवं असहाय रोगियों के उपचार की पूर्ण सुविधा सुलभ कराने के लिये निर्धन रोगी कल्याण सहायता कोष की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

216. ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधालयों में लम्बी अवधि तक अनुपस्थित रहते हुए वैद्यों द्वारा फर्जी उपस्थिति दिखा कर वेतन लेने की प्रवृत्ति को रोककर ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को नियमित चिकित्सा-सुविधा सुलभ कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़):

217. ग्राम नोसरिया पंचायत समिति रतनगढ़ जिला चूरू में स्वीकृत नयी डिस्पेन्सरी के स्थानान्तरण किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

218. आयुर्वेद विभाग द्वारा अनुदानित संस्था धनवन्तरी औषधालय, जयपुर द्वारा अनियमितताएं करने एवं अनुदान राशि का दुरुपयोग करने के कारण दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

219. आयुर्वेद विभाग में व्याप्त अनियमितताओं एवं आयुर्वेद चिकित्सकों के पद खाली रहने से दवाखानों में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

220. तहसील बस्सी, जिला जयपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल चिकित्सालय में क्रमोन्नत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

221. तहसील बस्सी, जिला जयपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे मशीन न होने के कारण जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना):

222. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पद पर वरिष्ठ डाक्टर का पोस्टिंग नहीं करके कनिष्ठ डाक्टर को पदस्थापित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

व्यवस्था का प्रश्न

निष्पादन आय-व्ययक प्रपत्र का वितरण

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंसिंह गुर्जर। आपका पाइन्ट आफ आर्डर क्या है ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य की मांगें रखें उससे पहले मैं निवेदन करूं कि जिस विभाग की मांग होती है उसका आय-व्ययक प्रपत्र मांगें प्रस्तुत करने से पहले हमें मिल जाय, ऐसी आपकी व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, आप इनको लताड़िए, प्रताड़ित करें, यह हमको अब तक नहीं मिला है।

श्री सी. एल. कंवरिया : निष्पादन आय-व्ययक की प्रतियों का वितरण हो चुका है। सब निकल चुकी हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अभी तक नहीं पहुंची हैं।

श्री सी. एल. कंवरिया : पहुंच चुकी हैं। निकल गयी हैं मेरे यहां से।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हाउस में भी सोते रहते हैं और डिपार्टमेंट में भी सोते हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अभी तक नहीं मिली हैं।

श्री नाथूसिंह : आपके अधिकारी भी आपका मजाक करते है। आपको तो कह देते हैं कि पहुंचा दी गयी हैं और यहां पर नहीं पहुंचाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। विभाग का प्रगति विवरण तो आपके पास पहुंच गया ना। मेरी व्यवस्था उस संबंध में ही थी।

श्री दीपेन्द्र सिंह : परन्तु निष्पादन आय-व्ययक प्रपत्र भी तो पहुंचना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था जो दी गयी थी वह प्रगति विवरण के बारे में दी गयी थी, फिर भी माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये जो इस तरह के विवरण हैं वे समय पर पहुंच जाने चाहिए।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, इस बहस में रुपयों का सवाल है वह इससे जुड़ा हुआ है। आय का निष्पादन तो आय-व्ययक पत्रक से ही हो सकता है। उसके बिना कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। निष्पादन आय-व्ययक हमेशा एक अप्रेल से जो निष्पादन होता है उसका होता है। उसके बिना बहस कैसे करेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : यह तो, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया है। आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसी व्यवस्था, ऐसे निर्देश कई बार आसन के द्वारा यहां पर दिये गये हैं परन्तु यह सरकार सुनने वाली नहीं है। उन निर्देशों का क्या औचित्य है,यह समझ में नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीरियस मामला है। अगर इस प्रकार प्रक्रिया का पालन होता है तो यहां चर्चा करना ही व्यर्थ होगा।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वी सिंह।

श्री पृथ्वी सिंह (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के बारे में विचार व्यक्त करना चाहूंगा। आज हमारे देश की आबादी, जो निरन्तर बढ़ती जा रही है, का काफी बड़ा भाग गांवों में निवास करता है लेकिन देखने में यह आता है कि हमारे जितने भी डाक्टर होते हैं वह बड़े-बड़े शहरों में अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं इस कारण गांवों में जाने की उनकी कम रुचि होती है। डाक्टरों की इस प्रवृत्ति के कारण ही गांवों में उनकी कमी रहती है। इसलिये जो ग्राम के लोग हैं, गांवों के निवासी हैं वे इस सुविधा से पूर्णतः वंचित रहते हैं, इस सुविधा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके लिये अगर किसी तरह की समस्या है तो उसका समाधान करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर कुछ डाक्टर्स गांवों में जाते भी हैं तो ऐसे दिमाग के लोग जाते हैं जो अपनी सम्पूर्ण शक्ति से ज्यादा पैसा कमाने का निरन्तर प्रयास करते हैं। जो गांवों में रहते हैं उनके लिये गांवों में

(5. 16 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिन्धी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था नहीं होने से और पैसा नहीं होने से बड़े शहरों में जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सारे बड़े डाक्टर्स अपनी विद्या को ज्यादा पैसा कमाने में लगाते हैं। यह भी शिकायतें मिलती हैं कि अस्पतालों में भी मरीजों से किसी न किसी रूप में पैसा वसूल किया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर

(178)

(श्री पृथ्वीसिंह)

आकर्षित करना चाहूंगा कि इस प्रवृत्ति, जो निरन्तर बढ़ती जा रही है, को रोकें। गरीबों को भी यह चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए, इससे काफी अन्तर पड़ रहा है। एक तरफ मान्यवर, पापूलेशन बढ़ रही है जिससे हमारी जितनी योजनाएं चल रही हैं वे काफी प्रभावित होती हैं। लेकिन जन-संख्या-वृद्धि को रोकने के लिये कुछ ऐसी अड़चनें हैं जो हमारे यहां पर हैं, जैसे दूरबीन नसबन्दी के लिये टेक्निकल आदमी हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं और जो आपरेशन के एपरेटस होते हैं वह भी हरएक जिले में मौजूद नहीं हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कम से कम एक एक्सपर्ट डाक्टर, जो दूरबीन के द्वारा नसबन्दी कर सके, जिला मुख्यालय पर हो। आज हम देखते हैं पुरुष नसबन्दी के केसेज में, कई बार ऐसा मसला आया है, कुछ कमियां रहने की वजह से या और किसी वजह से गलती हो गयी और कई औरतों को डिलीवरी हो गयी। उससे काफी आपस में उनकी मानहानि हुई इसलिये पुरुष नसबन्दी के लिये कम लोग आते हैं और महिला नसबन्दी के लिये ज्यादा। आज अगर हर जिला मुख्यालय पर एक डाक्टर को लगा दिया जाता····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मानहानि कैसे हो गयी ?

श्री पृथ्वीसिंह : उनके बच्चे-बच्ची हो गये तो लोग बाग में

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये, किसी का सवाल सुनिये मत।

श्री पृथ्वी सिंह : मैं आप से निवेदन करूं कि अगर इस तरह से डॉक्टर्स को लगा दिया जाय और उसके साथ-साथ कार्य का अलाउन्स दिया जाय तो आज जितनी नसबन्दियां दूरबीन के द्वारा होती हैं उससे 5–6 गुना अधिक बढ़ सकती हैं। उससे आगामी आने वाले पापूलेशन के संकट को दूर कर सकते हैं, देश की आगामी योजनाओं को सफल बनाने में हम उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो साधन आज बड़े-बड़े शहरों में है वह जिला मुख्यालयों पर नहीं हैं। बहुत से जिले छोटे हैं। छोटे होने की वजह से कई ऐसी मशीनें वहां उपलब्ध नहीं हैं जिनसे वहां के लोगों की वहीं जांच की जा सके। खास तौर से झालावाड़ जिला पिछड़ा हुआ जिला है। वहां पर ऐसी सुविधाएं बहुत कम हैं। ऐसा मालूम हुआ है कि सरकार ने कई अस्पतालों को अपग्रेड किया है परन्तु उनमें झालावाड़ का नाम नहीं है। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि झालावाड़ अस्पताल को अपग्रेड करके वहां के लोगों, जो 6 पंचायत समिति के लोग हैं, को इलाज की सुविधा प्रदान करने में सरकार मदद करे। इसके अलवा मेरे क्षेत्र में अकलेरा सब डिवीजन एक ऐसी जगह है जहां पर सब गरीब लोग रहते हैं, ट्राइबल एरिया है। सब कुछ होते हुए आज अकलेरा में न डाक्टर है न कोई एक्स–रे मशीन है, न नर्स है। वहां पर कोई सुविधा नहीं है, तो मैं राज्य सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा कि अकलेरा औषधालय को अस्पताल में तब्दील किया जाय ताकि वहां के गरीब

(179)

(श्री पृथ्वीसिंह)

लोगों को इलाज की सुख-सुविधा मिल सके। इसके अलावा उस एरिया के गरीब लोगों के इलाज के लिये इधर-उधर फिरने से, वहां पर पोलियो की समुचित दवा की व्यवस्था न होने से काफी बच्चे अपंग हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं। तो उसके किसी तरह से उस जगह पर पोलियो वेक्सीन की प्रोपर सप्लाई की जाकर वहां के बच्चों को विकलांग होने से बचाया जाय।

इसके अलावा जहां पर पीने के पानी के लिए हैण्ड पम्प लगाये हैं उन हैण्ड पम्पों के आस-पास पानी के निकास के लिये नाली बनायी जाय। होता क्या है, पानी इकट्ठा होने से जगह-जगह कीचड़ उस क्षेत्र में हो जाता है और उससे काफी मच्छर पैदा हो जाते हैं। मच्छरों के पैदा होने से मलेरिया का काफी प्रकोप है। मच्छर मारने की दवा डी. डी. टी. छिड़कने से न तो वहां मच्छर मरते हैं, न मलेरिया की रोकथाम हो पाती है। मैं यह समझता हूं, डी. डी. टी. से मच्छर नहीं मरते हैं लेकिन जो फिलट होता है उससे मच्छर नहीं होते। तो मैं निवेदन करूंगा उस डी. डी. टी. के जांच करवाई जाय और डी. डी. टी. की बजाय अन्वेषण करवाकर कोई ऐसी दवा निकाली जाय जिससे मच्छर और मक्खी मरें और हम लोग जो मलेरिया उन्मूलन करना चाह रहे हैं वह इससे हो सके। इसके अलावा अगर हमें गांव के लोगों की सेवा करनी है तो कुछ ऐसे डाक्टर्स को तैयार करना पड़ेगा जो गांवों के ही रहने वाले हों, गांव के वातावरण में उनको एजूकेशन दी जाय ताकि उनको गांवों में जाने में उतनी हिचक न हो और गांवों के लोगों की सेवा कर सकें। मान्यवर, हमारी जनसंख्या के 80 प्रतिशत लोग गांवों में रह रहे हैं। वास्तव में उनको जब तक आप अस्पताल और हर तरह की सुविधायें देकर सक्षम नहीं बनायेंगे तब तक हम 80 प्रतिशत भाग का विकास नहीं कर पायेंगे। हमारा देश जिस स्थिति में विकास की ओर बढ़ रहा है उसमें काफी संकट का सामना करना पड़ेगा। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में तीन मुद्दों को उठाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय अवश्य ही इस ओर ध्यान देंगे।

पहला मुद्दा तो यह है कि हमारे इतने बड़े प्रान्त में एक भी महाविद्यालय डेन्टलडिसीज के इलाज में विशेषज्ञता प्राप्त करनेके लिए नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी रखा था, उसका जवाब मिला है, विचाराधीन है। लेकिन प्रारम्भिक अवस्था में ,विचाराधीन है। मैं जानना चाहूंगा कि कब तक इस कार्य में थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकेंगे? मैं जानता हूं, आज बार-बार हमारे सामने समस्या आती है, बहुत वित्तीय कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इस कार्य को प्रारम्भ किया जाय और प्रारम्भ करके युक्ति से चला जाय तो कोई भी अधिक कठिनाई आने वाली भी नहीं है। फेजेज में इसको किया जा सकता है। फेजेज में किये जाने के लिए जैसे लेबोरेट्री या लेक्चर रूम्स आजकल मौजूद हैं,

(184)

(श्री पृथ्वीसिंह)

व्यवस्था बाई रोटेशन या अदरवाइज की जा सकती है। स्टाफ भी, मैं समझता हूं, बहुत एम्पलाय करने की जरूरत नहीं है। जो वर्तमान में स्टाफ है उस से ही शुरुआत कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इसको शुरू करें। सन् 1976 तक यह सुविधा थी कि 25 विद्यार्थी राजस्थान के डेपूटेशन पर और कालेजेज में जाते थे, उनको शिक्षा मिल जाती थी लेकिन सन् 1976 के बाद आपने उसको समाप्त कर दिया। सन् 1976 के बाद पहाड़िया जी के समय में कुल 3 लोग गये थे। अचानक एक एडवर्टाइजमेन्ट निकला, 3 लोग सलेक्ट कर लिये गये और बाकी जा नहीं सके। छोटे-बड़े नगरों में, सब जगह, आखिर इतनी बड़ी पोपूलेशन आपकी है, डेन्टिस्ट की आवश्यकता तो है। इसलिए मैं बिनती करूंगा कि आप इस बात को देखें और जो शुरुआत हो सकती हैं, सम्भव हो सकता है, वह करें। प्रारम्भिक स्टेज पर न रहने दें, आगे बढ़ायें। यह श्रेय लें कि कम से कम एक चीज आपने अपने कार्यकाल में आगे बढ़ायी। जैसा मैंने कहा, एकामोडेशन स्टाफ एडजस्टमेन्ट के साथ किया जा सकता है। जहां तक मेरी जानकारी है, जो कुछ भी मैं समझ सकता हूं, एक बात सामने आती है, बार-बार विद्यार्थी लोग आते रहते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेन्ट्स। पहले कायदा यह था कि इनका रेश्यो। : । का होता था with the number of teachers and member of staff. अगर एक हमारे स्टाफ का आदमी है तो उसके मुकाबले पोस्ट ग्रेजुएट एक कर देते थे, उसी आधार पर कई वर्षों तक चलता रहा। 1978 में मुझे बताया गया कि 32 रजिस्ट्रेशन हुए क्योंकि आपके स्टाफ की स्ट्रेन्थ 25 थी मेडिसन साइड में, 1979 में 24 रह गयी। 1980 में 28 रह गयी। सर्जरी साइड में स्टाफ स्ट्रेन्थ 26 थी वहां रजिस्ट्रेशन कुल 12 हुए सर्जरी साइड में, उसके बाद सर्जरी में 18 हुए। 25 प्लस 26 बराबर 51 आदमियों के अगेन्स्ट 51 लिये जा सकते थे, 51 नहीं 40 लेते, आपने कुल 30 आदमियों को लिया इससे बड़ी निराशा लोगों में हुई। यह तीन साल का कोर्स है। आप जानते हैं, वह लोग एक साल कहीं पर ट्रेनिंग करके यहां इस ख्याल से आये थे कि दो साल की ट्रेनिंग करने पर रजिस्ट्रेशन मिल जायेगा। एक साल का पूरा खर्चा किया बम्बई वगैरह में लेकिन यहां उनको ग्रीन सिगनल दे दिया कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। इसलिए यह चीज ऐसी है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिसन और सर्जरी के क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, स्टाफ चाहिए उसको जुटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए अपने प्रदेश की न्यूनतम आवश्यकता को देखना होगा।

तीसरी बात जो पिछले साल भी कही थी उसको फिर दोहराता हूं। हमारे हॉस्पिटल्स और डिस्पेन्सरीज की खस्ता हालत है। कहीं चले जायं, जिस कदर मरीज हैं जगह उतनी नहीं है। आप कह देंगे वित्तीय साधन नहीं हैं। लेकिन कुछ तो करिये। कहीं तो करिये, सफाई की तो व्यवस्था करिये। सफाई का भी स्टाफ उसमें आ गया। सफाई है, मेडिसन नहीं है। यह समस्या मेरे इलाके की ही नहीं किसी

(श्री पृथ्वीसिंह)

डिस्ट्रिक्ट में चले जाइये, बड़े-बड़े अस्पतालों को ले लीजिये। आपके जयपुर में ही एस. एम. एस. अस्पताल को ले लीजिये, Some steps should be taken to maintain cleanliness. मैं आशा करता हूं, कभी-कभी मन्त्रीजी थोड़ा दौरा करते होंगे, वार्ड्स को देखते होंगे, यहां भी और जगह भी। अगर ऐसा करते रहें तो शायद लोग सतर्क रहें। कभी-कभी यह भी चैक कर लीजिये कि आपके मेडिसन्स के स्टोर कहां तक ठीक चल रहे हैं, कितना कमीशन जा रहा है और कितनी शिकायतें आती हैं। मैं इन तीनों पाइन्ट्स पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, एक डेन्टल कालेज, दूसरा रजिस्ट्रेशन आफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेन्ट्स and third cleanliness and sceptic conditions of your hospitals.

मैं इससे ज्यादा और कुछ अर्ज करना नहीं चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फतेसिंह।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में मांग संख्या 26 पर चर्चा करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान प्रदेश में सरकार की चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था इतनी बुरी है कि जनता में अशान्ति का माहौल फैला हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इस प्रदेश में जहां चिकित्सा सुलभ है, जहां अस्पताल है वहां पर डाक्टरों की कमी, दवाइयों की कमी इतनी है कि जनता को राहत नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूं कि इस प्रदेश के अन्दर चिकित्सा के पीछे इतने धन का दुरुपयोग हो रहा है लेकिन सरकार बिल्कुल नींद में सोई हुई है। मैं एक जयपुर का उदाहरण बताऊं, गये साल मैं खुद बांसवाड़ा से एक मरीज को लेकर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में गया और वहां पर डाक्टर से जांच करवाई। उस व्यक्ति के शरीर पर कुछ गांठें थीं। उन की जांच के लिये डाक्टर ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके गांठ को लेबोरेट्री में भेजा। उसके बाद में उसको तारीख दी कि अमुक समय तक आप इसकी जानकारी कर लें। वह व्यक्ति एक टीचर था। वह छुट्टी के समय पर आया था और इस उम्मीद से आया था कि मेरी बीमारी का कोई इलाज होगा। लेकिन हुआ यह कि 15 दिन की मियाद देने के बाद जब वह दुबारा यहां आया, मैं खुद उसके साथ में गया, तो मालूम हुआ कि उसका जो ऑपरेशन किया था उसमें निकाली गई गांठें जांच के लिये लेबोरेट्री में भेजी ही नहीं। डाक्टर ने कम्पाउण्डर को बुलाया और रिकार्ड मंगवाया लेकिन मालूम नहीं पड़ा, कोई पता नहीं लगा कि वह लेबोरेट्री की जांच के लिये भेजीं या नहीं, आपरेशन हुआ या नहीं। आज हमारे इतने बड़े अस्पताल का हाल यह है तो आप समझ लीजिये दूर दराज के गांवों में जो छोटे-छोटे अस्पताल हैं वहां की स्थिति क्या होगी। जनता को राहत मिलती होगी ? तो, उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की लापरवाही डाक्टरों द्वारा की जाती है

(श्री फतेसिंह)

और उसका नुकसान जनता को भुगतना पड़ता है। यह हमारे प्रदेश के लिये, इस सरकार के लिये शर्मनाक बात है। मैं मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान देवें।

आगे मैं आपसे यह निवेदन करूं कि बांसवाड़ा जिला एक दूर दराज का इलाका है। मेरे क्षेत्र में बिखरी हुई बस्ती है दो-दो किलो मीटर पर झोंपड़े बनाकर आदिवासी, किसान मजदूर रहते हैं, उस क्षेत्र में अस्पतालों का अभाव है। हमने कई बार राज्य सरकार को लिखा, मिनिस्टर को भी लिखा और जिलाधीश को भी लिखा, भई, ऐसे क्षेत्र में पंचायतवाइज डिस्पेन्सरी नहीं तो कम से कम आयुर्वेदिक औषधालय तो खोलो। लेकिन सरकार पता नहीं, नींद में सोई हुई है या वहाँ से एक विरोधी सदस्य होने के नाते उस क्षेत्र को इसने नैग्लेक्ट कर रखा है। मैं यह चाहूंगा कि मेरी इस बात पर आप गौर करें, जांच करवावें, सर्वे करावें कि वास्तव में उस इलाके की क्या स्थिति है। मैं आशा करता हूं, आप उस इलाके की जनता की सुविधा के लिये कुछ चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करेंगे। मैं यह मांग करता हूं कि हर पंचायत क्षेत्र में अगर एक आयुर्वेदिक औषधालय खोल दिया जाय या दो चार पंचायतों के बीच में डिस्पेन्सरी खोल दी जाय तो वहां की जनता को राहत मिल सकती है। आगे मैं एक उदाहरण आपके सामने और बताऊं, 8-1-82 की बात है। सज्जनगढ़ में एक दूरबीन से नसबन्दी ऑपरेशन कैम्प लगा था। एक महिला ऋषभ बाई, जो कि इटाला की थी,

[समय-समाप्ति-सूचक घण्टी]

अपने पीहर जीवाकूटा से इटाला जा रही थी। उसको कैम्प के अधिकारी जीप लेकर रास्ते में मिल गये, वे उसे गाड़ी में बिठा कर सज्जनगढ़ कैम्प ले गये। उसको यह नहीं कहा कि तुम्हारा नसबन्दी आपरेशन किया जायगा, जब कि उसको पता नहीं था, वहां ले जाकर के दूरबीन नसबन्दी से उसका आपरेशन कर दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

फिर किस प्रकार क्या हुआ यह पता नहीं लेकिन उस बाई की मृत्यु हो गई। वहां से उसको बांसवाड़ा ले जाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, उसके परिवार के, घर के मालिक को पता नहीं था, न उस बाई को पता था कि मुझे आपरेशन के लिये ले जा रहे हैं। ऐसी घटना हो गई, बांसवाड़ा लाश को ले जाया गया। जब बाद में दूसरे दिन दूसरे लोगों के द्वारा उसके घरवालों को पता चला तो उसका पति बांसवाड़ा गया। बांसवाड़ा जाने के बाद उसकी लाश लेकर जब उसने पूछा कि बिना पूछे इस तरह से आपरेशन कैसे किया तो उसको डराया गया, धमकाया गया। वह लाश उसके पति को दे दी गई और डाक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो, मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की जांच कराई जावे और जिस अधिकारी ने लापरवाही से आपरेशन किया उसके खिलाफ एक्शन लिया जाय, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाय।

(श्री फतेसिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं समझता हूं, आज भी इमर्जेन्सी का रूप धारण करके सरकार बैठी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, आपकी पार्टी का टाइम खतम हो गया है।

श्री फतेसिह : नहीं साहब, कोई टाइम खतम नहीं हुआ। कभी कभी बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा बोलिये।

श्री फतेसिंह : मैं आप से यह कह रहा था पूर्व में जिस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा इमर्जेन्सी लागू करके जबर्दस्ती आपरेशन किये गये थे उसी तरह से आज भी जो मौजूदा सरकार है वह भी इमर्जेन्सी का रूप धारण करके आपरेशन करती है और इस से नुकसान होता है। ठीक तरह से दूरबीन से आपरेशन करें....

श्री उपाध्यक्ष : सरकार आपरेशन नहीं करती है, डाक्टर करता है।

श्री फतेसिह : नहीं, यह सरकार की व्यवस्था है, डाक्टर की इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी मर्जी से आपरेशन करे। टार्गेट बधे हुए हैं उसके हिसाब से अपना कोटा पूरा करने के लिये आज भी जबर्दस्ती दूरबीन से आपरेशन किये जाते हैं। तो मैंने आपसे यह अर्ज की कि जो उस गरीब औरत की आपरेशन मे मृत्यु हो गयी उसकी जांच कराई जाय। आगे मैं यह कह सकता हू कि आज उस परिस्थिति को लेकर के हमारे क्षेत्र में डर है। अगर अधिकारी लोग किसी तरह लोगों को आपरेशन के लिये तैयार भी करते हैं तो वह डर के मारे आपरेशन के लिये तैयार नहीं होते हैं। मैं यह भी कह सकता हूं कि यह सरकार आज भी उसी नियम पर तुली हुई है कि लोगों को जबर्दस्ती पकड़ कर के आपरेशन करो। पिछली बार भी इस नसबन्दी के आधार पर कांग्रेस की सरकार गई थी और आज भी यह रवैया अपनाया जायगा तो उसको आने वाले समय में जनता दिखा देगी। आगे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करता हू कि कुशलगढ़ में जहां अस्पताल है वहां पर डाक्टरों का अभाव है, वहां पर एक ही डाक्टर है। तहसील स्तर पर एस. डी. एम. है, मुन्सिफ कोर्ट है, 10 हजार की आबादी है। तहसील स्तर पर जहां काफी लोग मरीज हैं, जो अस्पताल में इलाज के लिये आते है वहां केवल एक डाक्टर होने की वजह से वहां की जनता को समय पर राहत नहीं मिलती है। तो मैं सरकार से मांग करता हू कि सरकार वहां तीन डाक्टरों को नियुक्त करने के लिये तैयार रहे, तो ठीक है वरना उस आदिवासी इलाके के साथ इसी तरह से भेदभाव किया जाता रहा तो जनता उसके लिये और कोई विचार करेगी।

गांव मे वसूली के लिये एक सब सैण्टर है। उसका भवन भी वहाँ पर बना हुआ है। मैंने कई बार मांग की है कि उसके लिये स्टाफ की मन्जूरी दो। वह क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, वहां कुशलगढ़ में लोग नहीं जा सकते हैं। मैं मांग करता हूं कि वसूली के लिये वहां जो सब सैण्टर का भवन बना हुआ है वहां पर स्टाफ की व्यवस्था करें, स्टाफ की मंजूरी दें।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें । श्री बहादुरसिंह ।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व के माननीय सदस्य ने चिकित्सा सुविधाओं के बारे में कहा । मैं भी मांग संख्या 26 चिकित्सा, परिवार कल्याण और लोक स्वास्थ्य के सबंध में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं,

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कीजिये ।

श्री बहादुरसिंह : संक्षेप में ही कहूंगा । जो मैंने कटमोशन दिया है इस पर बोलूंगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता के लिये, मनुष्य मात्र के लिये या पशु मात्र के लिये भगवान और डाक्टर दोनों को ही बराबर के मानते हैं । जो मरीज होता है अगर भगवान उसको सही कर दे, उसकी बीमारी ठीक हो जाये, तो वह मानता है कि भगवान ने ही उसे ठीक किया है और अगर डाक्टर इंजेक्शन या दवाई के माध्यम से उसे ठीक कर दे तो मरीज मानता है कि मुझे डाक्टर ने ठीक किया है, मेरा भगवान तो डाक्टर है । जैसा मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने कहा, एक छोटे से आपरेशन को लेकर के इतना बड़ा काण्ड हुआ । एक गरीब आदिवासी की औरत परिवार कल्याण के आपरेशन में आपरेशन टेबल पर मर जाय, यह बहुत बुरी बात हैं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो डाक्टर बांसवाड़ा में नसबन्दी का आपरेशन करता है वह गुजरात का रहने वाला है, वह प्राइवेट डाक्टर है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं राजस्थान सरकार ने इस प्राइवेट डाक्टर को कैसे मान्यता दी ? वह किस हिसाब से यहां आता है ? वह फी में काम करता है या सरकार से पैसा लेता है या नहीं लेता है ? गलत काम करने वाले डाक्टरों को कैसे यहां बुलाया गया ? इतना बड़ा नुकसान हुआ ...

श्री उपाध्यक्ष : याद रखें कि गुजरात के डाक्टर इस मामले में बड़े एक्सपर्ट होते है, अगर कोई मर गया तो उसका क्या ...

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री बहादुरसिंह : सरकार की तरफ से डाक्टरों को पढ़ाया जाय, इस प्रकार से सारे साधन जुटाये जायें तो वह जिम्मेदारी से काम करेगा । वह अपने हिसाब से दिन में 10 आपरेशन की जगह 15 आपरेशन करेगा । वह अपना काम भी अधिक करेगा और अधिक आपरेशन के हिसाब से पैसा भी उसको मिलेगा । जो काम सरकार की ओर से हो रहा है मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं उसमें और सुधार करे । बांसवाड़ा जिले में जिन-जिन अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों में जहां स्टाफ की कमी है वहां स्टाफ लगायें । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, कई ऐसे अस्पताल और डिस्पेंसरियां हैं जो स्टाफ की कमी की वजह से बन्द पड़ी हुयी हैं । कोई डाक्टर नहीं है, केवल दाई के भरोसे सब सैण्टर चल रहे

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री बहादुरसिंह)

हैं। दाई ही इंजेक्शन लगाती है, दवा देती है, दाई केवल इसीलिये है। उनको इंजेक्शन लगाने की ट्रेनिंग नहीं दी है, गोलियां देने की ट्रेनिंग नहीं दी है, बीमारी की जांच करने की ट्रेनिंग नहीं है। इस तरह से बांसवाड़ा का हिसाब चल रहा है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां डिस्पेंसरी में मरीज जाता है या बड़े अस्पताल में जाता है तो डाक्टर केवल नब्ज देखकर उसकी जांच कर देता है और उसको आश्वासन देता है, चिट्ठी लिख देता है कि बाजार से दवाई खरीद कर ले आओ। एक आदिवासी जो साल भर में 250 रुपये मजदूरी करके या खेती करके कमाता है उसकी बीमारी में दो हजार रुपये लग जायं, जैसे टी० बी० का मरीज है उस आदमी को बाजार से दवा मंगवानी पड़े तो क्या वह जिन्दा रह सकता है? यह सवाल सारे राजस्थान का है, केवल बांसवाड़ा का नहीं है। इसी तरह से सब अस्पतालों में जितनी भी दवाइयां आती हैं वह तमाम दवाइयां डाक्टर, जो बाजार में दुकान लगाकर बैठे हैं उनको बेच देते हैं और उनसे कमीशन के रूप में पैसा लेते हैं। वह सीधे वहां जाकर स्टॉक की दवाइयां लेते हैं तो किस तरह से गरीब आदमी खरीद पायेगा। वह बीमारी से मर जाता है, उसकी पुलिस में रिपोर्ट नहीं होती है, उसका हिसाब नहीं है क्योंकि बीमारी से मृत्यु हुई है, उसकी कोई खबर लेने वाला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस पर कड़ी नजर नहीं रखी गई तो डाक्टर को मरीज आज भगवान मानता है, मैं समझता हूं, वह कातिल हैं जो दवाइयों को बेचकर खा जाते हैं, अस्पतालों में इलाज नहीं करते हैं, मरीजों को ठीक नहीं करते है, उनको भर्ती नहीं करते है, खाट नहीं देते हैं। बहुत से लोग पैसा देकर भर्ती हो जाते हैं। छोटी बीमारी हो तो वह 10 दिन का रेस्ट करते है, गरीब आदमी को नीचे लिटाया जाता है। इस तरह की स्थिति गांव में होती है। यह जितनी कमियां हैं अस्पतालों में उनको दूर किया जाना चाहिये। मैं बांसवाड़ा का उदाहरण बताना चाहता हूं। एक दिन मैं एक मरीज से मिलने जा रहा था, एक आदमी बार-बार कह रहा था कि आप कहां से आये हैं? मैंने कहा, मैं एक मरीज को देखने आया हूं, मेरा एक साथी है उससे मिलने आया हूं। उन्होंने कहा, उसको खाट के नीचे देखो। खाट के नीचे देखा तो एक हफ्ते का कचरा उस मरीज की खाट के नीचे पड़ा हुआ था। वहां इतने सारे मच्छर, इतनी सारी गंदगी देख कर मैंने उससे कहा भाई, तू यहां से छुट्टी ले लें। डाक्टर से कह कर और प्राइवेट अस्पताल में जाकर भर्ती हो जा। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता हूं। बाकी डाक्टर से जो कहना है मैं कहूंगा। इस प्रकार की सारे अस्पतालों में खराबियां, गंदगियां हैं तो फिर डाक्टर क्या करते हैं। आपने सफाई के लिये इतना सारा बजट पास किया है वह किसलिये है? मैं तो यह कह रहा हूं जो लोग बेकार हैं उनकी भर्ती करने के लिये एक होस्टल और खोल दो, उनको तनख्वाह मिलती रहे, कोई काम नहीं करें, कोई देखभाल नहीं करें, अस्पतालों की सफाई के बारे में ध्यान नहीं दें। उनको पेट भरने के लिये तनख्वाह दे दो। यहीं करना

(श्री बहादुरसिंह)

हो तो होस्टल खोल दो, अस्पताल नहीं। मरीजों के साथ साथ जो बेकार लोग हैं, बेईमान है, काम चोर हैं उन लोगों के लिए होस्टल खोल दो। इस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, मन्त्री महोदय।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगनसिंह।

श्री जगनसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से पहले जो चिकित्सा व्यवस्था थी, प्राचीन काल में, इसमें दो राय नहीं उससे तो आजकल अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है। प्राचीन काल की बात करता हूं, हम गांवों के रहने वाले है और गांवों में अधिकतर हमने समय निकाला है, अगर गांवों की हालत को देखा जाय तो जो आज से बहुत पहले प्राचीन काल में जो चिकित्सा व्यवस्था थी उसमें और आज की गांवों की चिकित्सा व्यवस्था में अगर मेल मिलाया जाय तो कोई खास फर्क नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में जो डिस्पेन्सरियां है, देहाती क्षेत्र में जो सब-सैन्टर्स हैं वहां पर अगर भूले-बिसरे स्वास्थ्य विभाग ने किसी डाक्टर का अपाइन्टमेंट कर दिया, किसी कम्पाउण्डर को भेज दिया या किसी और दूसरे ए. एन. एम. या डब्ल्यू. एच. सी. को भेज दिया तो वे किसी न किसी तरह से दूसरी जगह पर लग जायेंगे लेकिन गांव में नहीं पहुंच पाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हर जगह डाक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, यह किसलिये है? सबकी भावना है अच्छी जगह पर पहुंचे, अच्छी जगह पर रहें। विभाग का कर्त्तव्य है जिस जगह पर जिस डाक्टर या कम्पाउ-डर को लगाये उसको पाबन्द किया जाय कि वह हर हालत में उस जगह पर ही पहुंचे ताकि जो वहां के गरीब आदमी हैं वहां रहने वाले आदमी हैं, जिनको चिकित्सा व्यवस्था सुलभ नहीं हो पाती है उनको समय पर चिकित्सा व्यवस्था सुलभ हो पाये।

इसके साथ ही साथ उन डिस्पेन्सरियों को हमने देखा है, उन सब-सैन्टर्स को देखा हैं वहां अगर डाक्टर है तो दवाइयां नहीं हैं। पता नहीं उन डाक्टरों के पास स्टाफ की कमी है या पता नहीं बजट में प्रावधान है या नहीं इस कारण डिस्पेन्सरियां खुली या न खुली दोनों बराबर है। दुर्भाग्य से मेरा सवाई मानसिंह अस्पताल में लगातार 10-15 दिन से जाना हुआ। आज ही सुबह आप से मिला, वहां की जो व्यवस्था मैंने देखी, निश्चित रूप से एक दो डाक्टरों ने, जिनसे मेरा पर्सनल पाला पड़ा, अच्छा अटेंड किया। लेकिन जो आम व्यवस्था देखी वह, उपाध्यक्ष महोदय, कहने योग्य नहीं है, महसूस ही कर सकते हैं। इतनी बड़ा अस्पताल है वहां पर्टीकूलर एक आदमी को अटेंड नहीं कर पाते है, आम आदमी को वह किस तरह से अटेंड कर पाते होंगे, आम आदमी को किस तरह समय पर चिकित्सा सुलभ होती होगी? मैं आज ही गया और वहां की व्यवस्था देख कर मैंने महसूस किया कि वहां की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसमें भी सुधार लाना पड़ेगा।

(श्री जगन सिंह)

इसके साथ ही मैं जिस जिले से आया हूं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हू वहां की व्यवस्था के लिये तो कहना बहुत ही शर्मनाक बात हो जाती है। किस तरह से अस्पताल खाली पड़ा है बयाना....

श्री उपाध्यक्ष : यह बात तो सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल में जो थूकदान रखे हुये हैं वे खुले हुये होते हैं, बहुत गंदे लगते हैं उन पर ढक्कन होना चाहिये, माननीय मंत्री नोट करें।

श्री जगनसिंह : वहां के स्टाफ का जो व्यवहार है उसके लिये भी आप नोट करायें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : वह मंत्री बहुत कमजोर हैं, धड़कन बंद हो जायगी।...

श्री उपाध्यक्ष : No Comments.

श्री जगनसिंह : मेरा बयाना क्षेत्र है और पूरे क्षेत्र में एक पी० एच० सी० है। वह पी० एच० सी० कितनी बढ़िया है, वहां पर तीन डाक्टर और एक डाक्टरनी है। स्टाफ का तो भगवान ही मालिक है, मुझे भी मालूम नहीं वहां कितना स्टाफ है। इतना स्टाफ नियुक्त होने के बाद भी कभी कोई सौभाग्य का दिन आता होगा जब कोई डाक्टर मौके पर मिल जाता होगा। पिछले कई दिनों की आप रिपोर्ट। मंगायें चिकित्सा व्यवस्था समय पर सही ढंग से उपलब्ध न होने के कारण वहां का भूतपूर्व प्रधान जगन सिह खड़इया, जिसको अचानक हार्ट अटैक हुआ, का स्वर्गवास हो गया। इससे पहले राजस्थान में भयंकर बाढ़ आई जनता त्राहि त्राहि कर रही थी, जहां चारों तरफ स्वास्थ्य विभाग ने अपनी अच्छी सर्विस दी वहां एक दुर्भाग्यशाली क्षेत्र था तो बयाना था। जहां गम्भीर नदी की भयंकर बाढ़ ने उस क्षेत्र को चारों तरफ से घेरते हुए बयाना कस्बे को देहाती क्षेत्र से अलग कर दिया उस जगह पर मौके पर चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंच पाई इस कारण कितने ही लोग पीड़ित रहे और बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी।

बयाना में एक्स-रे मशीन पहुंच गई लेकिन आज तक उसको चालू नहीं किया गया। वहां पर आज भी हास्पिटल है, लेकिन मुझे यह नहीं कहना चाहिये जहां पर गधे घोड़े बंधते हैं ऐसी अवस्था में वह हास्पिटल है। वहां डाक्टर नहीं पहुंच रहे हैं और न ही मरीजों को अटेंड कर रहे हैं।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं वह आयुर्वेदिक विभाग के बारे में है। वह कौन सा दिन है जब बहुत लम्बी-लम्बी सर्खियों में अखबारों में इस विभाग के बारे में 2-4 लाइनें नहीं छपी हों। उपाध्यक्ष महोदय, या तो आयुर्वेद औषधालय खुलते नहीं हैं और खुलते हैं तो वहां वैद्य नहीं हैं, कम्पाउण्डर नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं। जब

(श्री जगन सिंह)

अखबारों में पढ़ते हैं, लम्बे-लम्बे, चौड़े-चौड़े वक्तव्य आते हैं उनसे भ्रष्टाचार की बू आती है भ्रष्टाचार विदाउट प्रूफ होते हैं, मैं किसी आदमी की बुराई नहीं करना चाहता और जो महसूस किया है उसे कहे बगैर भी नहीं रह सकता। मैं बीमार नहीं हूं....

श्री बहादुर सिंह : मंत्री महोदय को सिर दर्द हो रहा है।

श्री जगन सिंह : मैं देहात का रहने वाला हूं, मैं बीमार नहीं पड़ता। च्यवनप्राश की मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बाधा न डालें।

श्री जगन सिंह : जिस अधिकारी के अण्डर में यह डिपार्टमेंट आता है उसके बारे में हमने पिछले सत्र में, मंत्री महोदय थोड़ा नोट करें इधर थोड़ा ध्यान दें, 21 विधायकों ने अपने हस्ताक्षरों से आरोप पत्र दिया था उसके लिये आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से आपने इस पर कुछ किया है, इसमें क्या कार्यवाही की ? क्या आपने इससे सदन को अवगत कराया है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दीजिये ये तो कभी-कभी बोलते हैं, माननीय सदस्य।

श्री जगन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमने उस पर जो आरोप लगाया था उसका यहां पर उल्लेख भी किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, उस अधिकारी ने अपनी पत्नी को, अपने ससुर की बेटी बता कर उसकी नियुक्ति कर दी जब कि खुद ही ने उसके लिये इन्टरव्यू लिया था। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, अपनी पत्नी को अपने ससुर की बेटी बता कर...

(व्यवधान)

मैं उसी जगह पर पहुंच रहा हूं शादी होने के पहले तो आप चाहे पत्नी नहीं कहें लेकिन शादी होने के बाद वह पत्नी बन जाती है। फिर उसको अपनी पत्नी ही बताना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में व्यवधान नहीं डालें। आप उस तरफ मुंह करके नहीं बोलें, माननीय सदस्य, आप मेरी तरफ ध्यान करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पुरुष हो या स्त्री वह तो वल्दीयत से ही जानी जाती है।

श्री जगन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो अधिकारी इन्टरव्यू लेता है अगर उसका कोई रिश्तेदार आ जाता है तो वह अधिकारी स्वतः ही उसको दूसरी जगह पर

(श्री जगन सिंह)

ट्रांसफर कर देता है जैसा कि आप भी वकील हैं मैं भी वकील हूं हमने देखा है कि अगर किसी जज या किसी मुन्सिफ के किसी रिश्तेदार का केस उसके पास आ जाता है तो वह उस केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर देगा।

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया : आ गई ना बात समझ में।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री जगन सिंह : तो इस बारे में मै राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा ऐसे अधिकारी ने अपने लड़के को जिस पोस्ट के लिये नियुक्ति पत्र दिया है वह लड़का उस पोस्ट के लिये निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नाम बतावें उनका।

श्री उपाध्यक्ष : नाम बताने की जरूरत नहीं है।

श्री जगन सिंह : इसके बारे में राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्रालय को लोक सेवा आयोग के सचिव का पत्र भी आया था। वह पत्र है एफ 9(11) वर्ग आयुर्वेद नियुक्ति /77-78/1933 डेटेड 8-6-79 इस सन्दर्भ में यह उल्लेख किया गया था कि महेन्द्र कुमार निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं अतः उन्हें इस पोस्ट पर नहीं लिया जावे। लेकिन वह व्यक्ति आज तक ड्रग इन्सपेक्टर की पोस्ट पर बरकरार है। उपाध्यक्ष महोदय, यह ड्रग इन्सपेक्टर क्या होता है यह आपको भी मालूम है जो दवाइयां चैक करता है, वह ड्रग इन्सपेक्टर होता है। दवाइयां चैक करने की योग्यता नहीं रखता हो····· ···

एक माननीय सदस्य : यह कब हुआ ? यह तो सन् 79 में हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये, बाधा नहीं डालें।

श्री जगन सिंह : यह तो सन् 77 में हुआ था।

श्री सी० एल कंवरिया : यह तो आपके जमाने के ही कारनामें हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर, बाधा नहीं डालें।

एक माननीय सदस्य : यह नियुक्ति कब हुई, कब इनका अपाइन्टमेंट हुआ, कौनसे सन् में हुआ, यह बतावें ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री जगन सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय चाहता हूं, मैं तो बहुत ही कम बोलता हूं।

मेरा निवेदन है कि वह आदमी दवाइयों को चैक करे, निरीक्षण करे जो उसकी योग्यता नहीं रखता हो तो वह क्या निरीक्षण करता होगा। वह दवाइयों की अच्छाई या बुराई को क्या समझेगा ? वह गलत दवा को अच्छी बता सकता है। मेरा निवेदन है कि इसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जाय। तीसरी बात जो हमने आपको लिखी थी वह हींग की खरीद के बारे में थी। उसमें जो घोटाला हुआ, उसकी जांच करवाई जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जो चीज मानव के लिये बिलकुल ही खराब हो, मानव जीवन के उपयोग के लिये ठीक नहीं हो वह दवाइयों के लिये क्या अच्छी हो सकती है। जो खाने के उपयुक्त नहीं हैं, वह दवाइयां बनाने में क्या काम आ सकती है ? इन सभी मुद्दों पर माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ध्यान देकर उचित कार्यवाही करें। आज पूरा प्रदेश परेशान है। अस्पतालों की हालत यह है कि अस्पताल खाली हैं, अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और यदि डाक्टर हैं तो दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। यदि दोनों ही हैं तो एक ही जगह पर डाक्टरों की हालत खराब है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सोचिये। बयाना के अस्पताल की हालत आप देखें वहां पर ऐसी दुर्दशा है, आप, मंत्री जी, एक दिन मेरे साथ चलिये और वहां के अस्पताल की हालत देखिये, अगर आप वहां के अस्पताल की हालत देखेंगे तो आपको रोना आ जायगा। वह प्रदेश का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां पर किसी तरह से जनता को चिकित्सा सेवा सुलभ नहीं हो रही है और आज वहां की जनता दुःखी है। अस्पताल खाली हैं, डाक्टर नहीं हैं, डाक्टर होंगे तो उनमें पार्टीबाजी है। एक डाक्टर दूसरे डाक्टर के पेशेन्ट्स को अटेण्ड नहीं करते हैं। अगर एक डाक्टर किसी की चिट पर दवाई लिख देता है तो दूसरा डाक्टर उसको अटेण्ड नहीं करता है और यदि दूसरा लिख देता है तो तीसरा डाक्टर उसको अटेण्ड नहीं करता है। इस प्रकार की वहां पर व्यवस्था है। वहां पर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं, तो क्या मन्त्री महोदय इसके लिये कोई व्यवस्था करेंगे ? एक्सरे मशीन, जो वहां बन्द है, को चालू करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : No repeatation; Please.

श्री जगन सिंह : कांग्रेस आई के 21 विधायकों ने मन्त्री महोदय को उस पर आरोप लगाकर उनकी जांच कराने के लिये पिछले सत्र में लिखकर दिया था, उसके लिये मन्त्री महोदय ने क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं की है, तो अब क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? उसके बारे में आज मन्त्री महोदय, सदन में जवाब दें तो इसका भी जवाब सदन में दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरूसिंह।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में····

एक माननीय सदस्य : यह अपनी सीट से नहीं बोल रहे हैं, आपकी व्यवस्था है कि

(एक माननीय सदस्य)

जिसकी जो सीट हो उस जगह से ही बोलें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरी सीट है मैं उसी जगह से बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : उपाध्यक्ष महोदय, कंवरियाजी से आंख मिलाने को तैयार नहीं हैं इसलिये वहां से बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये, सदन का समय खराब मत कीजिये। इस तरह से व्यवस्था चली तो बहुत देर हो जायगी।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी आदत चूड़ियां भेंट करने की है तो आप कंवरियाजी को क्या भेंट करने जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। कृपया सदन की कार्यवाही में बाधा मत डालिये।

श्री मोहनलाल मोदी : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा हूं कि ये मंत्रियों को चूड़ियां भेंट करते हैं तो आज कंवरियाजी को क्या भेंट करने जा रहे हैं ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में स्वास्थ्य मन्त्रालय के माथे पर एक काला दाग है वह काला दाग कंवरियाजी नहीं हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जयपुर में नकली दवाइयां बनाने की फैक्ट्री है, उस नकली दवाई बनाने वाले व्यक्ति ने जयपुर से पूरे देश में नकली दवाइयां बनाकर बेची हैं, इसकी जानकारी न केवल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को है बल्कि स्वास्थ्य मन्त्री जी को भी है. लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सहयोग दीजिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर का एक व्यक्ति जिसने यहां पर तिलक नगर में फैक्ट्री लगा रखी थी, उस फैक्ट्री के पास कोई लाइसेंस दवाइयां बनाने का नहीं था, उसने पूरे देश में दवाइयां सप्लाई की और जब पकड़ा गया तो उसने जम कर नोट चलाये। वह नोट किसके पास पहुंचे इसकी जांच मन्त्री महोदय करायें। वह व्यक्ति यहां से भाग भी गया है; लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यह नकली दवाइयां बनाने की फैक्ट्री आज स्वास्थ्य विभाग की शोभा बढ़ा रही है। उसकी दवाइयां टैस्ट कराई गईं और जो रा-मैटीरियल पकड़ा गया था उसको चोरी से बाजार में बेच दिया गया।

(192)

श्री उपाध्यक्ष : क्या उसकी एफ. आई. आर. पुलिस में दर्ज करवाई, पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह तो जांच करायें जब पता लगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, जो आरोप मैंने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लगाये हैं, जब मंत्री महोदय अपना जवाब दें, तो उसके लिये क्या कार्यवाही की वह बतावें। नकली दवाइयां बनाने वाली इसी तरह की एक कम्पनी, लेबोरेट्री थी, जिसकी दवाइयां नकली थीं। उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। भारत सरकार से इसके लिये आदेश आये कि इसकी जांच की जाय और बाद में रिमाइन्डर भी आया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। बाद में उसी व्यक्ति को किसी दूसरे आदमी के नाम से यहां पर दवाइयों की फैक्ट्री लगाने का लाइसेन्स दिया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसी तरह बक्सी फार्मेस्युटिकल कम्पनी जिसके लाइसेंस की डेट निकल गई थी, का बैक डेट में चैक लेकर लाइसेंस रिन्यू किया गया। इसी तरह जो एडेमस फार्मेस्युटिकल कम्पनी, है उसकी फैक्ट्री चल रही है। वह कम्पनी जहां दवाइयों में शक्कर मिलानी चाहिये, गुड़ मिलाकर दवाइयां बना रही है। आप इसे चैक करके देख लें आपके सामने यह सभी मामले आ जायेंगे। इसके लिये शिकायतें विभाग को की गई हैं, शायद मन्त्री जी को भी इसके बारे में शिकायतें मिली होंगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से नकली दवाइयां बाजार में बिक रही हैं और आज तो स्थिति ऐसी है, उपाध्यक्ष महोदय, जब कि असली दवाइयां ही गुण नहीं कर रही हैं तो फिर नकली दवाइयां क्या काम आयेंगी। इससे तो लोग सीधे-सीधे मर जायेंगे। मैं तो पहले ही, उपाध्यक्ष महोदय, डर के मारे इन्जेक्शन नहीं लगवाता हूं कि कहीं वह इंजेक्शन ही नकली नहीं हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करूं, राज्य सेवा के अन्दर विकास अधिकारी की बहुत मामूली सी, छोटी सी पोस्ट है, तहसीलदार बहुत छोटी सी पोस्ट है। उनके पास जीप और गाड़ियां हैं, लेकिन आज चिकित्सकों के पास कोई गाड़ियां नहीं हैं। जो अधीक्षक चिकित्सालय के हैं उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। जो हैड हैं डिपार्टमेंट्स के उनके पास गाड़ियां नहीं हैं। इमर्जेन्सी और हो गयी। मान लो कंवरिया जी बीमार पड़कर भर्ती हो गये और डाक्टर किसी कारण से उस समय नहीं पहुंच सका और यदि इन्हें कुछ हो गया तो दोष डाक्टर का होगा कि डाक्टर क्यों नहीं पहुंचा। जबकि सरकारी डाक्टर को गाड़ी देनी चाहिए। डाक्टर की एक असेन्सियल जॉब है। उसके पास गाड़ी होगी तो समय पर आकर इलाज करेगा। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी आप ऐसा प्रावधान रखिये कि डिपार्टमेंट के हैड्स को तो गाड़ियां दें ताकि वह गाड़ियों से समय पर आकर इलाज कर सकें।

दूसरी बात, गांवों के अन्दर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए हैं। हर पंचायत समिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं लेकिन

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

उनमें महिला चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की जाती है। इस कारण ग्रामीण महिलायें शर्म और संकोच से पुरुष डाक्टर को अपने ऐसे रोग होते हैं जिनको वह बता नहीं पाती हैं। यह आपने भी, उपाध्यक्ष महोदय, नोट किया होगा क्योंकि आपने भी रूरल एरियाज से थोड़े बहुत वोट लिये होंगे। मैं आपसे निवेदन करूं कि मानलें महिलाओं को कोई गुप्त रोग हो जाय गम्भीर रोग हो जाय तो एक पुरुष डाक्टर को शहरों की पढ़ी लिखी महिला तो जाकर बता देगी, लेकिन गांव की ग्रामीण महिला कोई पुरुष डाक्टर को नहीं बतायेगी और बीमारी से खतम हो जायगी। मेरा निवेदन है, माननीय चिकित्सा मंत्री जी, प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में एक महिला चिकित्सक की नियुक्ति करें, ऐसा प्रावधान जरूर रखें ताकि उन ग्रामीण महिलाओं, जिनसे आप वोट लेकर आते हैं, को असली लाभ मिल सके।

मैं आपसे निवेदन करूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्सरे मशीन का होना भी जरूरी है। जिला लेवल पर एक दो मशीनें होती हैं वह खराब भी हो जाती हैं, यदि एक्सरे के लिए डाक्टर लिख देता है तो बेचारे मरीजों को भटकना पड़ता है।

मैं आपसे निवेदन करूं, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे मिला भी था। राजकीय सवाई मानसिंह चिकित्सा, महाविद्यालय के अन्दर एम० डी० के रजिस्ट्रेशन के लिए कई पोस्ट अभी वेकेंट पड़ी हैं। आपसे मैं मिला, मुख्य मन्त्री जी से भी मिला। मुख्य मन्त्री जी ने शायद निर्देश भी दे दिये लेकिन अभी तक दो महीनों से एम० डी० का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बेचारे छात्र डाक्टर भटक रहे हैं जब कि एक साल उनका बर्बाद हो गया। प्रिन्सिपल महोदय ने उनकी सिफारिश कर दी और यहां तक लिख दिया कि अगली साल से शायद यह रजिस्ट्रेशन बन्द हो जाय लेकिन आपने अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जब कि वे बांड पर यह लिख कर देने को तैयार हैं कि हमें छात्रवृत्ति नहीं चाहिए, चाहे आप कोर्ट में लिखा लीजिए। आप यह फैसला करें कि उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे या नहीं? क्यों उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है?

मन्त्री महोदय, स्वास्थ्य केन्द्र आपने जगह-जगह खोल दिये कई जगह और गांवों में खोले जायेंगे लेकिन.......

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अपना भाषण ऐसे दे रहे हैं जैसे मंत्री जी के चैम्बर में बोल रहे हों आप।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल स्टोर्स गांवों के अन्दर जहां अस्पताल खोल दिये वहां नहीं हैं। लोगों को 15-20 मील जाकर डाक्टरों की पर्ची से दवाइयां लानी पड़ती हैं। उस का क्या कारण है? पहले ड्रग का लाइसेंस दिये जाने की व्यवस्था थी उसके लिये बोर्ड के द्वारा जो उनका इन्टरव्यू वगैरह होता था अब वह बन्द कर दिया गया है जिसके कारण नयी दुकानें नहीं खुल पा रही हैं और गांवों के अन्दर डिस्पेंसरीज हैं, डाक्टर हैं लेकिन

(134)

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

दवाइयों की दुकान नहीं है। दवाइयां लाने के लिए 15-20 मील तक 40-50 रुपये खर्च करके जाना पड़ेगा फिर दवाइयां लेकर आयेगा। ऐसे में मरीज की क्या हालत होगी? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वह प्रणाली वापस चालू की जाय, ड्रग्स के लाइसेंस दिये जाय ताकि वहां दवाइयों की दुकानें खोली जा सकें और लोगों को दवाइयां उपलब्ध हो सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

काफी चर्चा चली थी, उपाध्यक्ष महोदय मेरे और मंत्री महोदय के बीच में मामूली सी गरमा गरमी हो गयी थी तो विपक्ष वालों ने....

श्री उपाध्यक्ष : No mention.

श्री मोहनलाल मोदी : मामूली थोड़े ही हुई थी।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : उसका होवा बना दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात समाप्त कीजिए जल्दी।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 5 मिनट ही हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : You have taken ten minutes. जो जरूरी बातें है वे कह दीजिए जल्दी।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : मेरी कांस्टीट्यूएंसी के गांव जोझावर में एक डाक्टर नवल लगे हुए हैं, जिनके लिए लोग यह कहते हैं कि मन्त्री महोदय के रिश्तेदार हैं। जो वैद्य पहले वहां लगा हुआ था, डिस्पेन्सरी वहां नयी खुली थी और डाक्टर बाद में आया, उस बेचारे ने डाक्टर को अपने यहां रखा, महीने-डेढ़ महीने तक उसको खाना खिलाया लेकिन बाद में जब उसकी प्रैक्टिस नहीं जम पायी, लोगों ने उससे इलाज नहीं कराया, वैद्य से इलाज कराते थे तो उसने आकर माननीय मन्त्री महोदय से कुछ कहा। मैं आपसे निवेदन करूं कि उस डाक्टर ने वैद्य के ऊपर छुआछूत का इल्जाम लगाया और माननीय मन्त्री महोदय ने उसका ट्रांसफर कर दिया जैसलमेर और पीछे जगह खाली रख दी। उस बात पर मैंने माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन किया था कि आपको बेचारे वैद्य को बदलना ही था तो पड़ोस के गांव में बदल देते। किसी की शिकायत है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको जैसलमेर और बाड़मेर भेज दिया जाय। उसकी कोई शिकायत नहीं। उसकी प्रशंसा के लिए गांव वालों ने लिखा, सरपंच ने लिखा, ब्लाक कांग्रेस कमेटी ने लिखा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिखा और जिला आयुर्वेद अधिकारी ने लिखा। सारी फोटो स्टेट कापी मेरे पास है, जो मैं मन्त्री महोदय को दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं जरा आयुर्वेद पुराण के ऊपर आ जाता हूं। आयुर्वेद विभाग के बारे में मैं आपसे निवेदन

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

करूं, बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह बयान दिया था.... ·

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप सीधे ही मन्त्री महोदय के ऊपर आ जाइये। कभी आयुर्वेद पर आते हैं, कभी मेडिकल के ऊपर आते हैं। सीधे इन्हीं पर आ जाओ आप।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विभाग घात्री कल्पद कर्मचारी महासंघ के महा मन्त्री, श्री सत्यनारायण शर्मा ने ज्ञापन दिया है राज्य सरकार को, बाण्ड पेपर के ऊपर लिखकर दिया है कि यह 11 शिकायतें जो मैं निदेशक, गोकुलेन्द्र शर्मा के खिलाफ लिख रहा हूं अगर गलत हो जायं तो मेरे खिलाफ कार्यवाही की जाय। दो साल से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस (आई) के सदस्य बार-बार लिख कर दे रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई जांच नहीं की गयी। इसका क्या कारण है? मैं आपसे निवेदन करूं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बाधा न डालें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इस विभाग और इस घोटाले से सम्बन्धित 21 सदस्यों ने लिखित में दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, लिखित में दिया है और लिखित की सूचना मेरे पास आई है। मैं नाम लेकर चार्ज लगा रहा हूं। मैंने लिखित में दिया है, उपाध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करूं आपसे कि 11 फाइलें जिनके अन्दर उनके घोटाले हैं मैं उन....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं इसलिए बताने दीजिए।

श्री तेजपाल यादव : कह नहीं सकते इस तरह से। एतराज है हमारा साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। आपके पास इतना पुलन्दा शिकायतों का है तो इनको दे दीजिए।

श्री तेजपाल यादव : किसी भी अधिकारी का व्यक्तिगत नाम लेकर आरोप नहीं लगा सकते।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : वे 17 फाइलें विभाग ने, डायरेक्टर ने गायब कर दी हैं। और 17 फाइलें और निकलवा दी जायं जिनकी सूची मेरे पास है तो आपको मालूम हो जायेगा

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो नियुक्तियां हुईं उनका

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

रिकार्ड मेरे पास है, मन्त्री महोदय को दे दूंगा। इसकी जांच करायें।

जब वोट लेने गये होंगे तब गोखरू जैसी चीज आपने जंगलों में देखी होगी, उपाध्यक्ष महोदय। वह गोखरू जैसी चीज जो जंगलों में फ्री मिलती है उसका कोई भाव नहीं है। गांवों के अन्दर हाथों से बंटोरवा कर निदेशक महोदय ने इकट्ठी करवा ली। उसके 3.73 के टेण्डर मिले लेकिन इन्होंने 19.60 के भाव से खरीदकर हजारों रुपयों का घोटाला किया जिसकी शिकायत माननीय मंत्री महोदय को हो चुकी है। फिर आपसे निवेदन करूं, प्लास्टिक के डिब्बों का काण्ड हुआ। जिसकी चार्ज शीट विभाग से दें दी गयी लेकिन वह चार्ज शीट अभी तक उन तक नहीं पहुंची है। न जाने कहां जाकर अटक गयी है। आपसे निवेदन करूं कि महेंद्रपाल सिंह एल० डी० सी० की अवैध नियुक्ति की गयी। जिलाधीश अजमेर ने इसकी जांच के लिए लिखा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

हीरा हींग के बारे में आपसे निवेदन करूं कि वह भी इस किस्म की थी कि दवाओं के काम में नहीं आये। उसका 90 रुपये किलो का टेन्डर मिला था लेकिन इन निदेशक महोदय ने 290 रुपये के भाव खरीदी है। जांच करा लीजिए। इनको चार्ज शीट मिली, चार्ज शीट इश्यू नहीं हुई। चार्ज शीट क्यों नहीं इश्यू हो रही है? इसलिये कि इनकी डी० पी० सी० बैठने वाली है और यह उप-निदेशक के पद से निदेशक के पद पर कार्यरत हैं....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यदि इस समय उनके ऊपर चार्ज लगा दिया....

श्री उपाध्यक्ष : यह सब बातें आप मंत्री जी को लिख कर दे दें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : तो प्रमोशन रुक जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मेरा निवेदन है कि यह सारा पुलिन्दा मैं मन्त्री महोदय को दूंगा। मन्त्री महोदय इस पर जांच करायें। डेट ऑफ बर्थ लोगों की गलत थी। उनकी डेट ऑफ बर्थ मिटाकर दूसरी डेट ऑफ बर्थ लगाकर उनको नियुक्तियां दे दी गयीं। यह यह सारे सरकारी रिकार्ड की, उनको जो आरोप पत्र भेजा गया है, जो उन तक नहीं पहुंचा है, उसकी यह फोटोस्टेट कापियां हैं। मन्त्री महोदय को आज शाम को जवाब देना होगा कि निदेशक महोदय के बारे में क्या निर्णय लेने जा रहे हैं। जो चर्चा हो रही है उसमें आपको हमें सही मानना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है आपके ऊपर भी कल कोई चार्ज लगा दे कि आप उनसे मिले हुए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि इससे बचने के लिए आज शाम को

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

आप जवाब दें कि गोकुलेन्द्र शर्मा कितने सही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये आप। श्री दीपेन्द्रसिंह !

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट की मांगों पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आयुर्वेद भी है न आज ?

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय जाया होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट की मांगों पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। इसी का एक भाग और है जिसको आजकल लोग मेडिकल एण्ड हैल्थ के समानान्तर आयुर्वेद एण्ड वैल्थ के नाम से पुकारने लगे हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों पर कुछ चार्जेज लगाये, माननीय मन्त्री महोदय को कुछ निवेदन किया और बहुत सी बातें आपके सामने आई हैं, उनको तो मैं नहीं दोहराना चाहता हूं लेकिन आपके माध्यम से इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान विधान सभा के 21 माननीय सदस्यों ने एक शिकायत-पत्र कार्यवाहक निदेशक के विरुद्ध ठोस प्रमाणों सहित माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को दिया था, वह मैंने मेरे हाथों से दिया था। आज पता नहीं उसको पी गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं उसकी प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है। हमने माननीय मन्त्री महोदय को देने के बाद एक दिन सदन में यह सुना कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी चल रही है। पहले तो उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि मांग पत्र मिला है। फिर यह कहा कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी चल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं जब चार्ज शीट आपके विभाग ने इश्यू कर दी तो कौनसी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी बाकी रह गई ? मेरी मान्यता है सारे सबूत प्राप्त होने के बाद ही चार्ज शीट दी जाती है। डी. ओ. पी. में वह चार्ज शीट दबा दी गई। मैं चार्ज शीट का जिक्र नहीं करता लेकिन जिस प्रकार से डब्बा काण्ड है, जिस प्रकार हीरा हींग काण्ड है, जिसका मेरे दोस्तों ने जिक्र किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े शर्म की बात है लाखों रुपयों के घोटालों के काण्डों को दबा दिया गया। राजस्थान के स्वास्थ्य मन्त्री जी नकार जाय, माननीय सदस्य राजस्थान विधान सभा में बार-बार चिल्लाते रहें और किसी प्रकार का सरकार की ओर से उत्तर न दिया जाय, मन्त्री महोदय उत्तर न दें, इससे अधिक शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जब 21 माननीय सदस्यों की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो फिर माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे। आयुर्वेद विभाग के उन अधिकारियों के विरुद्ध 6 विधायकों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा। चार्ज शीटों के मामले को लेकर आज सुबह यह जवाब

198

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

मिला कि आयुर्वेद विभाग के निदेशक को चार्ज शीट देने के सम्बन्ध में आज दिनांक 17 मार्च, 1982 को चिकित्सा सम्बन्धी अनुदान की मांगों के बहस के समय आप चर्चा कर सकते हैं। इसलिये मैं इस प्रकार के कबाड़े, जिनकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, उदाहरण के लिये प्रस्तुत करूंगा। एक काण्ड आयुर्वेद विभाग में हुआ। इण्डियन मेडिसन बोर्ड एक अलग बोर्ड है जिसका विभाग से कोई ताल्लुक नहीं है, विभाग अलग है, बोर्ड अलग है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इण्डियन मेडिसन बोर्ड में सीताराम शर्मा पुत्र जगदीश, निवासी टौंक को स्थानान्तरित किया गया, एल. पी. सी. भेजी गई। झुंझुनूं में उसको जोइन करवाया गया। वहां जब कुछ कागजों की कमी के बारे में जिला आयुर्वेद अधिकारी ने लिखा कि इस व्यक्ति से सम्बन्धित कागपहुंचाये, आप आश्चर्य करेंगे उपाध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति का अपाइंटमेंट लेटर तक नहीं था, इण्डियन मेडिसन बोर्ड में नौकर तक नहीं उसको ट्रान्सफर करके दूसरी जगह भिजवा दिया गया। उसको नौकरी दे दी गई। उसकी शिकायत करने पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार के भ्रष्टाचार खुले आम पनपते रहे, बाहर सदन की छवि बिगड़ती हो और इस प्रकार सरकार के भ्रष्ट अधिकारी को पनाह दी जाती हो, इससे अधिक शर्म की बात नहीं हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से....

श्री उपाध्यक्ष : आप मन्त्री जी से मिले या नहीं इस सम्बन्ध में।

श्री दीपेन्द्र सिंह : मैं निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी सुन लीजिये....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जवाब मत दीजिये।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। श्री दीपेन्द्रसिंह।

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूसरा काण्ड उपस्थित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आंखें आश्चर्य से खुली रह जायेंगी, निदेशक महोदय की छत्र छाया में एक उप वैद्य को नकली सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी दे दी गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक टी. सी. की कापी दिखाना चाहता हूं, जिसमें साफ लिखा गया है उक्त टी. सी. के हिसाब से उन्होंने मिडिल पास किया है। निदेशक महोदय की मिलीभगत से फर्जी प्रमाण पत्र दे करके उसको अपाइन्टमेंट दिया गया। जिला आयुर्वेद अधिकारी ने इन्क्वायरी करनी चाही, आपको आश्चर्य होगा, जब उस स्कूल के प्रधानाध्यापक से जानकारी चाही गई कि क्या यह 86 नम्बर की टी. सी. रामगोपाल

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

शर्मा की है ? उपाध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य का विषय है जो प्राथमिक शिक्षा के हैड मास्टर हैं, उन्होंने जवाब में लिखा है कि शाला के रिकार्ड, 1966 से 1969 टी. सी. पजिका की काउन्टरफोइल क्रमांक संख्या—86 से ज्ञात होता है कि उपयोग में ली गई टी. सी. मुमताज अली सन ऑफ फैयाज अली के नाम की इश्यू की गई व दिनांक 23-8-68 को दी गई है, दिनांक 25-5 को कोई टी. सी. नहीं दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय, टी. सी. मुमताज अली की है। फर्जी टी. सी. से अपाइन्टमेंट दिया गया है। जिसको अपाइन्टमेंट दिया गया है उसका नाम है रामगोपाल शर्मा। इस प्रकार से खुले भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। मैं निवेदन करूं, इससे भयंकर घोटाला निदेशक महोदय का मैं एक और प्रस्तुत करना चाहता हूं और मन्त्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं कि उम्मेदसिंह नाम का एक व्यक्ति का जन्म साल 1945 था। वह व्यक्ति 1945 में जन्मा और निदेशक महोदय ने 1945 को बदल कर 1954 कर दिया जिससे वह ओवर ऐज न हो। उसे नौकरी दे दी। इस प्रकार के कारनामों के मैं सबूत पेश करना चाहता हूं। उस व्यक्ति की यह टी. सी. है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खेजरोली जिला–जयपुर के अन्दर 1-7-45 को जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, फर्जी रेकार्ड तैयार करके उसे नौकरी दे दी जिसमें उसकी जन्म तिथि 1954 साबित हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा इस प्रकार के कारनामों की विधायक बार-बार शिकायतें करते हैं किन्तु मन्त्री महोदय उसको नकार जाते हैं। डी. ओ. पी. चार्ज शीट इश्यू करता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर भ्रष्टाचार की सीमा कहां तक पहुंचने वाली है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं झालावाड़ के जिला आयुर्वेद अधिकारी, श्री श्याम सुन्दर शर्मा, जो कि एक गजेटेड ऑफिसर है ने अपने आरोप पत्र में निदेशक महोदय के खिलाफ साफ लिखा है कि इन आरोपों में से यदि एक भी गलती हो तो मुझे नौकरी से हटा दिया जाय, मैं नौकरी से बर्खास्त होने को तैयार हूं। इन कागजों का पता नहीं है, इन शिकायतों को पी गये, शिकायतें लापता कर दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, इससे अधिक शर्मनाक घटनाएं और क्या हो सकती हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं ये सारे कारनामे आपके विभाग के हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व निदेशक महोदय ने एक आदेश निकाला, कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर दिनांक 28 मार्च, 81, जिसमें यह कहा गया है कि यह इम्पार्टेंट डाकूमेंट्स, जिनकी लिस्ट दी गई थी, पार किये जाने का खतरा है, मेरे जाने के बाद चोरी होगी। यह लिखित में दिये जाने के बाद वे सारे डाकूमेंट्स वहां से चोरी कर लिये गये और आज भी प्रभावशाली लोगों के खिलाफ इन्क्वारियां पेंडिंग पड़ी हैं। आज उन कागजों का पता नहीं है, उनकी पत्रावलियों का पता नहीं है, उन शिकायतों का पता नहीं है। जहां इस

200

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

प्रकार के खुले भ्रष्टाचार हों, जहां इस प्रकार की स्थितियां हों, जहां इस प्रकार विक्टिमाइज किया जाता हो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आयुर्वेद विभाग की एक महिला कर्मचारी श्रीमती शांती देवी, जो गोपालपुरा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थी, का इन्हीं की कृपा से, क्योंकि ये खुद थे, एक साल में 22 बार ट्रान्सफर किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के इस प्रकार के आरोप हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तो जनता में इस सदन के प्रति क्या विश्वास रहेगा, इस सरकार के प्रति क्या विश्वास रहेगा, इस विभाग के प्रति क्या विश्वास रहेगा और राजस्थान के मन्त्री महोदय के प्रति क्या विश्वास रहेगा। मैं दिवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

वह मुझे पता है। उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट लेना चाहता हूं।

सदन के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, 26 फरवरी को माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि सारे मामलों पर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी चल रही है। यह सबूत है जो मेरे पास मौजूद है। जब इन सारी घटनाओं को देखते हैं तो एक निराशा होती है। उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मन्त्री जी से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूं, अन्य माननीय सदस्य घर जाकर मिले हैं, कार्यालय में मिले हैं, सदन में मिले हैं और मेरे बात करने से पूर्व भी मिले हैं। आपसे उम्मीद है और मैं आशा करके चलता हूं यदि आप भ्रष्टाचार को पनाह नहीं देना चाहते हैं, यदि आप अपने आपको ईमानदार साबित करना चाहते हैं तो सारे भ्रष्टाचारों की जांच करें....

(6.27 बजे)
(श्रीमती विद्यापाठक, सभापति, पदासीन)

मैं चैलेन्ज करना चाहता हूं सारे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का आश्वासन दें, निश्चित तिथि दें, निश्चित अवधि दें, निश्चित व्यक्ति का नाम डिक्लेयर करें ताकि दोषी अधिकारियों को दण्डित कर सकें।

सभापति महोदया, मैं आपको एक आश्चर्यजनक स्थिति और बताता हूं। जब इस प्रकार के आरोप लगाये और जब सारी घटनायें मन्त्री महोदय के सामने रखीं, चुप्पी देखो, डी. ओ. पी. से कोई जवाब नहीं मिला तब हमें चारों तरफ से एक निराशा का वातावरण मिला। डिपार्टमेंट से कोई इन्क्वायरी नहीं हुई, मन्त्री जी से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला तब कांग्रेस के 16 विधायकों ने राजस्थान सरकार के गृह मन्त्री को एक मांग पत्र दिया है। उस मांग पत्र के अन्दर यूनियन के कर्मचारी और आयुर्वेद कर्मचारियों के महामंत्री के द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र व जो उन्होंने एफीडेविट दिया है, उसको रिकमण्ड करके यह मांग की है कि यदि आयुर्वेद विभाग चुप बैठता है, राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्री चुप बैठता है, आयुर्वेद विभाग यदि इस पर इन्क्वायरी नहीं करना चाहता तो राजस्थान के विधायक यह चाहते हैं, सारे के सारे

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

सारे मामलों की निश्चित रूप से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच करवायी जाय। आरोप को साबित करने के लिए एफीडेविट तक पेश किये हैं। माननीय सभापति महोदया, इन सारी स्थितियों में मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं, जहां इस प्रकार का वातावरण हो, लोग आयुर्वेद के नाम से डरते हों, लोग दवाई खाने से डरते हों, भ्रष्टाचार का बोल बाला हो, वहां इस पद्धति का क्या भविष्य होगा। उनको बार-बार निवेदन किया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इतने आरोप हैं, क्या आप उनकी जांच नहीं करवा सकते? जब तक श्री गोकुलेन्द्र शर्मा को आयुर्वेद जगत से स्थानान्तरित नहीं किया जाता या अजमेर से इनके कार्यालय को स्थानान्तरित नहीं किया जाता तब तक, सभापति महोदया, निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। सारे घोटालों के ऊपर सांप की तरह जो व्यक्ति बैठा हो, वह किसी प्रकार की जांच नहीं करने देगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार के सारे आरोप मैंने, माननीय सदस्यों ने लगाये हैं, एक स्थिति आपके सामने प्रस्तुत की है। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : हीरा हींग काण्ड के मामले 3 लाख का घोटाला माननीय सदस्यों ने इस सदन में प्रस्तुत किया। मुझे दुःख होता है, उसकी केमिकल जांच की रिपोर्ट आती है कि इन्सान के खाने के लायक चीज नहीं है। ऐसी स्थिति में भी जब कि तीन लाख का घोटाला हो जाय, 90 रुपये किलो की हींग 290 रुपये किलो में खरीदी जाय, केमिकल एग्जामिनेशन में वह काम की नहीं निकले, उसके बाद भी मुझे पता लगा है, सभापति महोदया, 10 दिन पहले उसका दो लाख का पेमेण्ट करने के राजस्थान सरकार के माध्यम से आदेश करा लिये गये हैं। अब यह षड़यन्त्र चल रहा है कि विधान सभा सत्र में इसका पेमेण्ट किया जाय या नहीं? बावजूद पेमेण्ट उठाने की साजिश के अजमेर में पेमेण्ट उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है और उस पेमेण्ट को उदयपुर स्थानान्तरित करके वहां से उठाने का षड़यन्त्र चल रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, उसको रुकवाया जाय और सारे मामले की जांच करवायी जाय।

आपको आश्चर्य होगा, अभी अभी एक नया मामला सामने आया है 10 लाख रुपये का, सभापति महोदया, एक टेण्डर दिया गया, अजमेर की फर्म को, उस फर्म को दवाई के कन्सर्न से कोई लेना देना नहीं, दवाई का व्यापार नहीं, उस कन्सर्न के पास दवाई का लाइसेंस नहीं है, लेकिन उसकी केवल मात्र एक योग्यता है कि वर्तमान निदेशक महोदय का वह मकान मालिक है और ये उसके किरायेदार हैं। सभापति महोदया, 10 लाख रुपये की उनके टेण्डर के माध्यम से दवाइयां खरीदी जानी हैं, पिछला रिकार्ड आपका बता रहा है कि क्या-क्या करतूतें रही हैं। अजमेर के माननीय मंत्री महोदय हैं, अजमेर की फर्म है, अजमेर में निदेशक महोदय बैठते हैं, इस आयुर्वेद जगत का क्या

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

होने वाला है, इसका भविष्य शासन पर छोड़ता हूं। सच बोलता हूं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रकार की स्थितियां हैं, जिस प्रकार के सवालात सदन में प्रस्तुत हुए हैं, ये मेरे अकेले के आरोप नहीं हैं कांग्रेस (आई) के 21 विधायकों के आरोप हैं। कर्मचारियों के एफीडेविट दिये हैं, ये मेरे अकेले के आरोप नहीं आयुर्वेद विभाग की जांच साबित करती है, इस सदन में उपस्थित लोगों की डिबेट साबित करती है कि इस प्रकार के घोटालों को राजस्थान सरकार उजागर होने के बाद भी दबाती है। यदि स्वास्थ्य मंत्रीजी इस प्रकार के घोटालों पर पर्दा डालते हैं तो लोगों के दिमाग में किसी प्रकार का संशय जरूर पैदा होगा। इसलिए मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मांग करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, अपने नकाब को बचाने के लिए, जिससे चौराहों पर लोग आपके विषय में बातें नहीं करें और इस बात का विश्वास कर सकें कि स्वास्थ्य मंत्री ने ईमानदारी का परिचय दिया है, आप तिथि की घोषणा करें, निश्चित अवधि की घोषणा करें और आप यह तय करें कि इतनी अवधि के अन्दर इन सारे घोटालों की जांच होगी, सारे मामलों की जांच होगी, इन सारे मामलों पर ईमानदारी से निष्पक्ष फैसला होगा और निदेशक महोदय को वहां से स्थानान्तरित कर दिया जायगा ताकि न्याय किया जा सके, इस बात की मैं आपसे मांग करता

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हूं। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता और सदन का अधिक समय जाया नहीं करना चाहता। लेकिन पुनः एक बात पैदा होती है यदि इस प्रकार के आरोपों की जांच विभाग ने नहीं की, आयुर्वेद के डायरेक्टर के खिलाफ इस बात की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने नहीं की तो इस सदन के सामने मैं विकल्प बताना चाहता हूं और, सभापति महोदया, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इन सारी परिस्थितियों में यदि एक महीने में हमको जवाब नहीं मिलता है तो इस आसन द्वारा राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों की एक समिति बैठायी जानी चाहिए जो सारे मामलों की जांच करे, सारे घोटालों की जांच करे, जिससे निर्दोष लोगों को बचाया जा सके, दोषी लोगों को सजा दी जा सके। इसके साथ ही आयुर्वेद शिक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, आपसे पुनः मेरी

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पुरजोर शब्दों में यह प्रार्थना है कि सारे आरोप, घोटालों की यदि जांच नहीं हो सकी, यदि सारे मामले स्पष्ट नहीं हो सके तो सारे के सारे आरोप आप पर जायेंगे, जिसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से आपकी होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं इन्दिरा गांधी की नीतियों में आप विश्वास करने का दावा करते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : वह तो है ही इसमें कहने की क्या बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदया, सारे मामले स्पष्ट हैं, ये सारे के सारे मंत्री महोदय के किये हुए हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब आपकी बारी आये तब आप बोलिये। बीच में व्यवधान न डालें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, वर्तमान परिस्थितियों में सदन में माननीय सदस्यों ने अपने विचार और सारी की सारी स्थितियां जब आप लोगों के सामने प्रस्तुत की हैं, मैं आपके माध्यम से पुनः मांग करना चाहता हूं कि आप यदि निश्चित अवधि की घोषणा आज सदन में नहीं करेंगे, निश्चित व्यक्ति के विरुद्ध यदि आप जांच नहीं करवायेंगे....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, रिपीटिशन नहीं करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : दोषी व्यक्तियों को वहां से हटाकर जांच करवाकर यदि आप सजा देने का आश्वासन नहीं देंगे तो मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है कि निश्चित रूप से राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का पूरी तरह से संरक्षण है जिसके अन्दर ये सारी की सारी काली करतूतें हो रही हैं।

श्री सभापति : श्री चाव खां। जल्दी समाप्त करें। इसके बाद आप। माननीय सदस्य ज़रा जल्दी समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मेरा भी नाम है।

श्री मोहनलाल मोदी : हमारे भी दल का नम्बर आयेगा?

श्री चाव खां (कामां) : सभापति महोदया, अभी आपके सामने आयुर्वेद के डायरेक्टर साहब गोकुलेन्द्र शर्मा के बारे में एक ही बात सदन के सामने रखी गयी, इसमें कोई दोराय नहीं कि इसके अन्दर एक लाख नहीं अगर इसकी इन्क्वायरी ईमानदारी से की जाय तो करोड़ों रुपये का घोटाला है। आयुर्वेद में सोना और जितनी भी धातु हैं इनको काम में नहीं लाया जाता, सबको बेचा जाता है। कम से कम सौ केस ऐसे हैं, जिनमें फर्जी डिग्रियां देकर लोगों को लगाया गया है। आपको मालूम है कि आयुर्वेद के अन्दर कितने ऑफिसर बैठते हैं, सन् 45 से पहले कितने दवाखाने थे, कितने यूनानी के थे सबको खा गये। यूनानी को खतम कर दिया। यूनानी की राजस्थान के अन्दर 3 श्रेणियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 1980-81 में क्यों नहीं ध्यान दिया। अपने पर 15 लाख और होम्योपैथी को 90 हजार और यूनानी को एक पैसा नहीं दिया। बार-बार इसके बारे में शिकायत की गयी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। जिस मामले को सदन में उठाया जाय, बड़े शर्म की बात है यहां पर लाखों वोटर हमें चुनकर भेजते हैं और सरकार के सामने बात रखी जाती है, उस पर तवज्जोह नहीं दी जाती, सरकार ध्यान नहीं देती। बड़े शर्म की बात है। अगर हमारी आवाज को

(श्री चाव खां)

नहीं सुना जाय, हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया जाय तो सरकार के बैठने का और यहां से टी. ए. डी. ए लेने का क्या फायदा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री चाव खां : इस मामले में पूरी जांच करें, जांच से पहले उसका अजमेर से तबादला करें। एक बार वहां से उसको हटा दिया गया था, लेकिन लाखों रुपये रिश्वत देकर फिर उसको वहां बैठा दिया गया। एक मामले में जिस आदमी को हटा दिया जाय फिर उसको बैठा दिया जाय ये कहां का न्याय....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें। आर्डर प्लीज।

श्री अनंगकुमार जैन : सभापति महोदया, मंत्री महोदय के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जब से विधान सभा चालू हुई तब से लग रहे हैं और फिर भी ये....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री अनंग कुमार जैन : और माननीय मंत्री महोदय पीछे देखते हैं, माननीय सभापति महोदया, इनको भी ताड़ना दीजिए कि कुछ सदन के अन्दर....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपकी बारी नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन : एक व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाकर उसको हम....

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य.... माननीय सदस्य....कृपया व्यवधान न डालें।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदया, माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं × × × यह स्पष्ट बात आ गई कि कहीं न कहीं दाल में काला है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में बोलने की आदत नहीं डालें।

श्री चाव खां : सभापति महोदय....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी माननीय सदस्य ने माननीय तेजपाल जी के लिए × × × तो मेरा निवेदन है कि × × ×

× × × अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

शब्द अगर वे करते हैं तो रहने दीजिए वरना निकाल दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, जब आपको पूछें तब जवाब दीजिए, कृपया व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य वैसे भी बहुत कम बोलते हैं, उनको बोलने दें।

श्री चाव खां : सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र के अन्दर....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री चाव खां : सभापति महोदया, मेरा क्षेत्र ऐसा इलाका है जहां पर पांच पर्सेंट लोग भी आपको पढ़े लिखे हुए नहीं मिलेंगे। अनपढ़ ही ज्यादातर आपको वहां पर मिलेंगे वहां पर न तो कोई चिकित्सालय आपको मिलेगा न वहां पर कोई दवाखाना मिलेगा। अगर कहीं मिलेगा भी तो वहां पर हकीम नहीं, डाक्टर नहीं। और जब कहा जाता है तो मंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे पास हकीम नहीं हैं। मैं उनको दावे के साथ कहता हूं, वे कहते हैं कि हकीम नहीं हैं मैं कम से कम दस हकीम देने को तैयार हूं, लेकिन वे हकीमों को लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। पिछले साल भी मैं मंत्री महोदय से मिला और आज भी मिलने को तैयार हूं। मेरे पास हकीम मौजूद हैं, वहां पर दवाखाना मौजूद है, लेकिन वहां पर हकीम नहीं है। मेरे क्षेत्र के अन्दर एक ही दवाखाना है, वहां पर पहले हकीम था लेकिन आज हकीम नहीं है। मेरे क्षेत्र के अन्दर एक और जगह पर दवाखाना है लेकिन वहां पर भी हकीम नहीं है। हकीम बेचारे परेशान हैं, उनको भेजा नहीं जाता। यह कहा जाता है कि जिन लोगों ने 73 और 74 में पास किया है, डिग्री ली है उनको भेजा जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मेरे पास प्रमाण है कि जिन्होंने 76 और 75 में डिग्रियां लीं उनको लगाया गया है। इस तरीके से मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि इन बातों पर ध्यान दें और गांव में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा विचार करें ताकि उन लोगों को कुछ राहत मिले। जैसे कहावत है कि—

बाडकरी खेत को, खेत बाड को खाय,
राजा हो चोरी करे तो न्याय कौन घर जाय।

××× न्याय करने वाला कौन मिलेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदया, हवामहल से आने वाले माननीय

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

सदस्य ने निवेदन किया था ××× तो शब्द को रहने दीजिए। आपने उस पर कोई व्यवस्था नहीं दी। मैं यह समझूं कि वे ××× करते हैं क्योंकि आपको निवेदन किया है या तो आप व्यवस्था दे दीजिए....

श्री सभापति : व्यवस्था पेंडिंग है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सम्माननीय सभापति महोदया,

> सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया
> सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिददुः-खभाग भवेत।

हमारे महर्षियों ने वेदों में जो मनुष्य के लिए कल्पना की है यह मेरी वही संस्कृति है भारत की जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनां, सबसे पहले मेरे महर्षियों ने स्वस्थ व्यक्ति के विषय में सोचा है। नम्बर दो पर जो बात आती है सर्वे सन्तु निरामया। सब व्यक्ति स्वस्थ रहें। आज वास्तव में मुझे बहुत बोलना था लेकिन मैंने आज की जो कार्य-सूची देखी उसको देखने के बाद ही लगता था कि आज मेरे आयुर्वेद के ऊपर कालिख पुतेगी। एलोपैथी पर जिस प्रकार के कटमोशन पिछली बार थे इस बार नहीं हैं। आयुर्वेद पर अधिक हैं। पिछली बार मैंने आयुर्वेद के विषय में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था आरोप लगा कर, और तत्कालीन आयुर्वेद मंत्रीजी घासी-राम जी ने इस सदन में पूरे समय केवल मेरे द्वारा लगाये गये आरोपों का प्रत्युत्तर दिया। उन्होने पूरा-पूरा विश्वास दिलाया था कि निश्चित रूप से मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से न मालूम किन कारणों से आज जो-जो आश्वासन दिए थे कि उस पसारी को पकड़ा जाएगा, उस व्यापारी को गिरफ्तार किया जाएगा, उस डिब्बे वाले को पकड़ कर लायेंगे, उस पर केस चलायेंगे, वे सारे के सारे मामले कहां गए ? आज जब सीधी-सीधी चार्ज शीट मिल गई है जो होना हो एक राण्ड निपूती हो जाय। मन में एक दुख है, आज मन में वास्तव में पीड़ा है कि मेरे आयुर्वेद पर आज गम्भीर-तम चार्ज लगा रहे हैं और आयुर्वेद मंत्रीजी, जो एलोपैथी के भी मंत्री हैं, कुछ कारगार कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। जो कुछ करना हो करें। जिस प्रकार की स्थिति आज आयुर्वेद की हो रही है वह वास्तव में चिन्ता का विषय है। माननीय सभा-पति महोदया, मुझे आयुर्वेद पर ही बोलना था, लेकिन जिस प्रकार के आज चार्ज लगे हैं और जिस प्रकार की छवि आयुर्वेद की उभर कर आई है, वह शोचनीय है, विचारणीय है। उस पर निश्चित रूप से गम्भीरता के साथ विचार किया जाना चाहिए। माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी को जैसा निर्णय लेना हो उसको घोषित करके, उद्घोषित करके सदन को आश्वासन देना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था, मुझे तो कहना था कि पैथी में केवल मेरी ही पैथी है। आयुर्वेद पद्धति ही एकमात्र ऐसी

××× अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

पद्धति है जो सर्वांगीण है। चिकित्सा के सर्वांगपूर्ण तरीके से यह पद्धति प्रचलित है, लेकिन आज जिस प्रकार की बात मैं कहूंगा वह लोगों को जमेगी नहीं। लोग समझेंगे कि आयुर्वेद की तो आज यह दुर्दशा हो रही है लेकिन वास्तव में जहां निरामया की कल्पना की है वहां आयुर्विज्ञों ने इस बात को भी मंजूर किया है कि—

> "सम दोषः समाग्नि सम धातुः मल क्रिया, प्रसन्नात्येन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यमिधीयते"

(6-45 सायं)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

इन्द्रियां और मन दोनों जिस व्यक्ति के प्रसन्न हों, आज कितने व्यक्तियों के मन और इन्द्रियां प्रसन्न हैं ?

श्री माधवसिंह दीवान : कोई चूर्ण चटनी से भी आदमी स्वस्थ हुए हैं क्या ?

श्री दाऊदयाल जोशी : स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना आयुर्वेद ने की है।

प्रसन्नात्येन्द्रिय मनाः, क्योंकि माननीय माधवसिंहजी आपने कहा कि वास्तव में आज जिस प्रकार के चार्ज आयुर्वेद पर लग रहे है उसके आधार पर मैं बोल नहीं सकता। मुझे बहुत बोलना था आयुर्वेद पर, लेकिन आज जो वकालत करूंगा आयुर्वेद की वह थोथी वकालत होगी, लोगों को जमेगी नहीं कि कैसा आयुर्वेद का घपला है। एलोपैथी में भी बहुत भयंकर घपले हैं इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि ये उजागर हुए हैं, दिखते हुए हैं और प्रकट होने पर उनकी जांच होनी चाहिए, क्षीर नीर धीर के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए और आज ही निर्णय लिया जाना चाहिए उसके बाद यह चर्चा समाप्त हो जावे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद की जो मैं कल्पना कर रहा था, आज से तीन दिन पहले पश्चिमी जर्मनी के डाक्टरों ने घोषणा की है कि आज दुनिया में इंडियन प्लास्टिक सर्जरी का नाम लिया जाता है तो इण्डियन, भारतीय चिकित्सा पद्धति के आधार पर प्लास्टिक सर्जरी को पहली बार हिन्दुस्तान की उस सुसभ्यता से निकाल कर लाया गया। आज से तीन दिन पहले ही पश्चिमी जर्मनी के वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि अगर टांकें लगाने की कोई पद्धति इस दुनिया में प्रचलित थी शल्य क्रिया, आपरेशन के बाद तो वह केवल भारत में थी। जहां एक प्रकार के कीड़े को सुरक्षित रख कर उस व्यक्ति के घाव पर कीड़े को रख दिया जाता था और उसकी लार से अपने आप टांका लग जाता था। इस प्रकार से व्यक्ति के टांका लग जाया करता था। सबसे पहले यह कल्पना आयुर्वेद ने की थी। इस प्रकार का महान आयुर्वेद है। मेरा दुर्भाग्य है कि राजस्थान में उसकी दुर्दशा हो रही है। यह बड़ा ही चिन्ता का विषय है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज भी मेरा एलोपैथी के इन विद्वानों को चैलेंज है आपके माध्यम से कि क्या उनके पास डायबिटीज की दवा है ? No।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

डायबिटीज की दवा देने वाला व्यक्ति, इन्सूलिन नाम की दवा जिस व्यक्ति ने पैदा की, खुद डायबिटीज से मरा। मेरे आयुर्विज्ञों ने····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ये एकेडेमिक बातें हो रही हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यही निवेदन कर रहा हूं। मैं अपनी बात पर आ रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्विज्ञों ने पहले कहा था :

सर्वएव प्रमेहास्तु कालेना प्रतिकारिण
मधुमेहत्व मायान्ति तदाउसाध्या
भवन्ति हि"

यानी अपथ्य जैसा पन्द्रह सौ साल पहले जिस माधव आचार्य ने कल्पना की कि मधुमेह असाध्य होता है आज के वैज्ञानिक, आज के सर्व श्रेष्ठ वैज्ञानिक मधुमेह पर दवा नहीं निकाल सके। इंसूलिन के निर्माता को मधुमेह से मरना पड़ा। मेरा निवेदन करना है कि जहां यह सारा आयुर्वेद है, पंच कर्म पद्धति, मैं आपके माध्यम से····

श्री उपाध्यक्ष : आयुर्वेद की इम्पॉर्टेन्स है अपनी जगह इसमें कोई शक नहीं है, आपने काफी कह दिया। अब आप मुद्दे पर आ जाइये।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना है जहां पर आयुर्वेद चिकित्सा के साथ होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा की बात कही है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक पद्धति और चालू करने के लिए निवेदन कर रहा हूं, जो केरल में चालू है पंच कर्म पद्धति। स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और अनुवासन। यह पद्धति राजस्थान में नहीं है। पंच कर्म पद्धति आयुर्वेद का ही एक अंग है। राजस्थान में कोई सर्वश्रेष्ठ विद्वान केरल से बुला कर पंच कर्म पद्धति यहां पर चालू कर देंगे तो इससे बहुत बड़ी उपचार में सुविधा मिलेगी।....

अभी धात्री उपवैद्यों ने आन्दोलन किया। मंत्री महोदय अड़ गये जैसा आज मुख्य मंत्री अड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं हम तो कल्पद ही कहेंगे, क्या हुआ माननीय मंत्री महोदय, आपने क्या निर्णय लिया ?

श्री माधवसिंह दीवान : कल्पद ही रहे।

श्री दाऊदयाल जोशी : कल्पद नहीं रहे, अब उनको धात्री उप वैद्य कहा जायेगा। मैं निवेदन कर रहा था आप इस प्रकार अड़ने की आदत छोड़िये और आयुर्वेद के हित के लिये सोचिये। मैं जानता हूं आयुर्वेद के प्रति आपके मन में श्रद्धा है क्योंकि आप मेरे साथ मैम्बर रहे हैं इस नाते से निवेदन कर रहा हूं आयुर्वेद के लिये सोचिये।

एक बात और मैं निवेदन कर रहा था, जैसा मैंने कहा एलोपैथी में मधुमेह की कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है वैसे ही

(श्री दाऊदयाल जोशी)

लिवर के विकार के लिये लिव-52 है वह बीमारी का इलाज नहीं है केवल एक मेडिसन है, इसके अलावा एलोपैथी के पास कोई दवा नहीं है। जहां एलोपैथी के पास इसकी कोई दवा नहीं है वहां पाइल्स की भी कोई दवा नहीं है। इसका इलाज आयुर्वेद वालों ने बताया और इसके लिए कैम्प लगाये गये। मैं आयुर्वेद के विद्वानों को इसके लिये धन्यवाद अर्पित करता हू।

श्री उपाध्यक्ष : मांग पर बात कीजिये। माननीय सदस्य, यह तो सारी एकेडेमिक बातें हैं। इससे कोई इन्कार नहीं करता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आयुर्वेद के जो कैम्प लगायें वे वृहद स्तर पर कैम्प लगाये जायं। पाइल्स के लिये यानी बवासीर के लिये केवल आयुर्वेद में ही कल्याणकारी उपचार है। अभी तक ये कैम्प्स दो तीन जिलों तक ही सीमित हैं। ये कैम्प अभी बांसवाड़ा वगैरह में भी लगे थे।

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप कहेंगे, घंटी क्यों बजा दी।

श्री दाऊदयाल जोशी : कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू है उसमें कर्मचारी केवल एलोपैथी की दवाओं का ही पुनर्भरण करा सकता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय आयुर्वेद मंत्री जी से निवेदन है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में आयुर्वेद की चिकित्सा लेने वाले व्यक्तियों को भी पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की जाय। जिस प्रकार पोस्ट एण्ड टेलिग्राम ऑफिस है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने पोस्ट एण्ड टेलिग्राम वालों को आयुर्वेदिक दवा लेने पर पुनर्भरण की सुविधा दे रखी है। मेरा निवेदन है कि आपने आते ही सबसे बड़ी कृपा आयुर्वेद पर की, जो पुनर्भरण की राशि देते थे उसमें कटौती कर दी। एक हजार से ज्यादा का बिल नहीं बनायेंगे और उसके लिये भी काउन्टर साइन करायेंगे। इस प्रकार वैद्यों पर से आपने विश्वास हटा दिया। आप सारे वैद्यों को चोर मान कर चल रहे हैं। एलोपैथी का डाक्टर दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हजार की दवा लिखता है। मेरा आपसे निवेदन है कि पुनर्भरण राशि पर जो कटौती और प्रतिबन्ध लगाया है, उसको आप वापस लें।

आयुर्वेद निगम की बात चली थी। आयुर्वेद मेडिसन में मिलावट की बात हुई। मेरा निवेदन है राजस्थान में जो आयुर्वेद निगम की बात चली थी, उसकी सारी कार्यवाही हुई थी, उसका सारा पत्राचार हुआ था, उसका बजट तय हुआ था आप जब अपनी बात कहें तो राजस्थान में आयुर्वेद निगम की स्थापना की बात जरूर कहें।

एक बात और कहना चाहता हूं। प्रचार साहित्य के लिए एलोपैथिक का बजट है। जैसा इसमें बताया गया है, आयुर्वेद का भी प्रचार साहित्य होना चाहिये। आयुर्वेद का इतना बढ़िया प्रचार साहित्य है, शुद्ध जीवन की कल्पना, दिनचर्या, रात की चर्या की कल्पना केवल आयुर्वेद ने की है जिससे वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति बना

(२८८)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

सकता है तो वह आयुर्वेद बना सकता है। उसकी प्रेस रिकार्डिंग कहीं नहीं बनती और कहीं भी आपका विज्ञापन का साधन नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था नशीली दवाओं की बात बहुत हुई। उपाध्यक्ष महोदय, कालेज के विद्यार्थियों का अभी जो कुछ दिन पहले सर्वे किया गया था उसमें यह पाया गया कि कालेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से 47 प्रतिशत विद्यार्थी नशीली दवाएं, नशे की गोलियां खाते हैं। यह कहां से मिलतीं हैं? डिपार्टमेंट ने आदेश लागू कर रखा है कि जो इस प्रकार की जहरीली दवाएं बेचेंगे उनको हम चैक करेंगे। चैक करने के लिये आपने राजस्थान के अन्दर 29 औषधि निरीक्षक और 3 आयुर्वेद निरीक्षक बाजार में लगा रखे हैं। जब सर्वे हुआ है, राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 47 प्रतिशत विद्यार्थी आज की तारीख में नशीली चीजें खाकर अपना टाइम पास करते हैं तब आपने कब-कब किन-किन व्यक्तियों के माध्यम से नशीली दवाओं को रोकने का प्रयास किया है?

गर्भ समापन के बारे में कहना चाहता हूं। जहां तक अबार्शन की बात है, आपने परिवार कल्याण के माध्यम से गर्भ समापन की सुविधा दी है। लेकिन गर्भ समापन की क्रियाओं की बहुत भयंकर परिस्थिति है। आज नकली डाक्टर बाजार में बैठे हुए हैं। मेरी मां बहिनें हैं, उनका किसी न किसी से कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार का नाजायज ताल्लुक हो जाता है और ताल्लुक होने के बाद वे गर्भ समापन की बात सोचती हैं और बाजार में उठाईगिरे डाक्टरों के पास जाकर गर्भ समापन कराती हैं। राजस्थान में इस प्रकार के आंकड़े हैं। राजस्थान में तीन हजार महिलाएं गलत तरीके से गर्भ समापन के कारण मर गयीं। मेरा निवेदन है आज गर्भ समापन की प्रक्रिया जो हॉस्पिटल में चलती है उसके डाक्टर्स, लेडी डाक्टर्स की अधिक से अधिक संख्या बढ़ायी जाय जिससे सही ढंग से सही जगह गर्भ समापन की क्रिया हो सके।

मैं निवेदन कर रहा था पागल कुत्तों की बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, बाजार में पागल कुत्तों के इंजेक्शन कहीं नहीं मिल रहे हैं। चार दिन पहले मेरे सांगोद के अन्दर एक बच्चे को एक पागल कुत्ते ने काट खाया। मैं उसके इंजेक्शन के लिये जब वहां हॉस्पिटल में गया तो वहां कोई इंजेक्शन नहीं मिला। मैं आज से चार दिन पहले गया, एम० बी० एस० हास्पिटल कोटा में गया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जब निडल लगायी जाती है उसके बाद निडल के ऊपर पट्टा लगाया जाता है जिसको बैंडेज प्लास्टर कहते हैं, वहां पर बैंडेज प्लास्टर नहीं है। वह कहते हैं बाजार में साढ़े तीन रुपये का आता है वहां से लाओ। अगर हॉस्पिटल में बैंडेज प्लास्टर नहीं है तो यह हॉस्पिटल कायके लिये है। उसके कारण निडल लगाने के बाद उसका कम से कम छटांक भर खून बह गया। अनट्रेण्ड कम्पाउन्डर था, ट्रेनी था, उसने निडल लगायी निडल लगाने के साथ खून बहता रहा। वह निडल बार बार निकल जाती

(श्री दाऊदयाल जोशी)

थी, निडल लीक हो जाती फिर वह वापस उसको लगाता था, उसके कारण उसको तकलीफ हुई। हॉस्पिटल के अन्दर कम्बल नहीं है। जब मैंने डाक्टर को कहा, यह मरीज गांव से आया है, एक फटी दरी पड़ी हुई है, आप कृपा करके इसको कम्बल दे दीजिये। कम्बल की व्यवस्था वहां पर नहीं है। मैं और निवेदन कर रहा हूं। अभी नकली दवाओं की एलोपैथी में बात आयी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नकली जहर बिक रहा है। मैं यह कह रहा हूं, आर. डी. पी. एल. के तहत एलोपैथिक दवाओं का ऋषिकेश में कारखाना है, इसी प्रकार से एक कारखाना राजस्थान में भी है। एलोपैथिक विभाग दवाइयां बाहर से क्यों पर्चेज करता है? डाक्टरों को क्यों अधिकार दे रखे हैं कि वे दो लाख रुपये तक की दवाओं की खरीद कर सकते हैं। सी. एम. एच. ओ., डी. एम.एच.ओ., डी.एम.ओ. को क्यों अधिकार दे रखे हैं? आर. डी.पी.एल. किस बात की बीमारी है? उसमें हमारी पूंजी लगी हुई है। राजस्थान की 51 प्रतिशत पूंजी आर. डी. पी. एल. में लगी हुई है। राज्य सरकार से मेरा यह निवेदन है आर. डी. पी. एल. के अलावा कहीं दूसरी जगह पर सही दवाएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि वहां रिसर्च निश्चित रूप से शुद्ध होती है, परिष्कृत होती है उसका तरीका हमने देखा है पी.यू.सी. के माध्यम से जाकर के, वास्तव में वहां पर सही दवाएं मिलती हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : ×××

श्री दाऊदयाल जोशी : चौथा, आज फार्मेसी का डिप्लोमा मिलता है। आज गांवों में दवाएं बेचने वाला कोई नहीं है जबकि इसके लिए वास्तव में 13 हजार एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशंस के छांटने के लिये वहां पर केवल तीन बाबू, एक आफिसर, एक चपरासी और एक क्लर्क है। वे 13 हजार एप्लीकेशंस को किस प्रकार छाटेंगे? राजस्थान में यह डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है। आपने यह तय किया है राजस्थान के अन्दर जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर के माध्यम से 60 प्रशिक्षणार्थियों, जो बी. एससी. पास होंगे, को फार्मेसी डिप्लोमा देंगे। आज 13 हजार एप्लीकेशंस हैं, आप इसकी सीटें क्यों नहीं बढ़ाते? जो हॉस्पिटल और खोल रहे हैं वास्तव में वहां पर अधिक व्यक्ति चाहिये। आप करते क्या हैं? कोटा के लिये डिस्पेन्सरी है उसके नाम से एक डिस्पेंसरी दूसरी जगह डाल देते हैं, तीसरी जगह एक और डाल देते हैं। आज 13 हजार एप्लीकेशंस का निपटारा नहीं हो रहा है। एस. एम. एस. हास्पिटल के अंदर एप्लीकेशंस का ढेर पड़ा हुआ है, उन्होंने दो-दो सौ रुपया एक-एक एप्लीकेंट से लिये हैं।

चौथी और अंतिम बात जो निवेदन करना चाहता हूं वह राजस्थान के नर्सिंग

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

212

(श्री दाऊदयाल जोशी)

स्टाफ के बारे में है। नर्सिंग स्टाफ की बड़ी भारी कमी है। मेरा निवेदन है राजस्थान नर्सिंग कौंसिल एक संस्था है, कई साल हो गये उसका वहां पर रजिस्ट्रार नहीं है। आयुर्वेद का रजिस्ट्रार नहीं है, नर्सिंग का रजिस्ट्रार नही है इस प्रकार से पद रिक्त होने के कारण लोगों को काफी तकलीफ होती है। मेरा निवेदन करना है हम पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं करते हैं लेकिन नर्सिंग स्टाफ में पुरुष और स्त्री में भेद किया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज इन दोनों का वेतन बराबर नहीं है। जो पुरुष नर्स का काम करते हैं, उनको वह वेतन नहीं मिलता है जो स्त्री नर्स को मिलता है। राजस्थान नर्सिंग कालेज के प्रिन्सिपल का पद अनेक सालों से खाली पडा हुआ है आपसे निवेदन है कि इसकी पूर्ति की जावे। राजस्थान नर्सिंग स्टाफ को अन्य सुविधाएं नहीं हैं, उनको सारी सुविधाएं दी जायं।

हिन्दुस्तान में केवल मात्र राजस्थान है जहां पर भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई का कार्यक्रम है। मेरा आपसे यह निवेदन है उसका जो स्टाफ है, वे भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई के लोग गांवों में जाते हैं जहां रात रात भर ठंड सहन करते हैं या गर्मी में तपते हैं लेकिन उन गरीबों को वर्दी नहीं दी जाती है। अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान हिन्दुस्तान में एक ही है। आपको सुन कर ताज्जुब होगा जिस प्रकार दिल्ली में इंडियन मेडिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सुनने की बात है, उसी प्रकार से हिन्दुस्तान भर में केवल राजस्थान में और वह भी जयपुर में आल इंडिया आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आपको मालूम है, मंत्री महोदय ! पधारे थे क्या कभी वहां ? मेरा निवेदन करना है, माननीय मंत्री महोदय, जो आल इंडिया आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर में है उसकी बहुत दुर्दशा है ? उस पर हम भी प्रतिवर्ष 16 लाख रुपये की एड देते हैं, मेरा निवेदन करना है उस आल इंडिया रिसर्च आयुर्वेद इंस्टीट्यूट में पिछले दो साल से प्रिंसिपल नहीं है, आखिर कौन पढ़ाता है बच्चों को ? मेरा बच्चा भी पढ़ता है पांच छः साल हो गये। जो एलोपैथी का डिप्लोमा लेते हैं उनको तो पांच साल में डाक्टर बना कर बाहर निकाल दिया जाता है, उनको तो दो साल में एम. डी. बना कर बाहर निकाल दिया जाता है लेकिन आयुर्वेद पढ़ने वाला व्यक्ति 6 साल में आयुर्वेद की डिग्री लेकर निकलता है।

वहां पर प्रिंसिपल क्यों नहीं है ? आपका कंट्रोल है। आप उपाध्यक्ष हैं और मैं भी सदस्य हूं इस आल इंडिया आयुर्वेद रिसर्च संस्थान का, अखिल भारतीय आयुर्वेद रिसर्च संस्थान का लेकिन उसकी मीटिंग नहीं हुई डेढ़ साल से। आप लिख दें हैल्थ मिनिस्टर शंकरानन्द को दिल्ली में कि तुरन्त मीटिंग बुलवाइये क्योंकि 350 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं उनको पढ़ाने वाला कोई प्रिंसिपल नहीं है। केवल एक बी. ए. पास व्यक्ति

(श्री दाऊदयाल जोशी)

वहां पर कार्यरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आपसे निवेदन है कृपा करके जिस प्रकार लाखों करोड़ों का बजट तय किया है एलोपैथी के लिये उसी प्रकार से आयुर्वेद के लिये भी अगर अपने दिल में दर्द रखते हैं तो उसके कल्याण के लिये सोचिये। इन्हीं शब्दों के साथ, जय आयुर्वेद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कनक राज मेहता।

श्री कनक राज मेहता (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज चिकित्सा की मांग पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज चिकित्सा का कितना महत्व है, सब जानते हैं और जो क्षेत्र चिकित्सा में पिछड़े हुए हैं वहां के लोगों की आज क्या हालत है, वह भी सब देख रहे हैं। आज जितनी भी चिकित्सा व्यवस्था है वह सारी बड़े बड़े शहरों में सीमित है। शहरों में सारे साज सामान और हर तरह की औषधियां उपलब्ध होती हैं लेकिन देहातों की हालत बहुत खराब हो रही है वहां पूर्ण रूप से चिकित्सालय में, औषधालय और शफाखाने में स्टाफ नहीं है, मेडिसन की व्यवस्था नहीं है और न वहां पर पूरा साज सामान ही दिया जाता है। मेरा निवेदन यह है आपके मार्फत कि जो सरकार की तरफ से कैडर मुकर्रर किया जाता है वह केवल कागजों तक ही सीमित रहता है। उस कैडर के मुताबिक अगर स्टाफ नहीं लगाते हैं तो मेरे ख्याल से इस तरह के आयुर्वेदिक शफाखाने और पी. एच. सी. खोलने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे औषधालय खोल करके तो जनता को गुमराह करना ही है। उन लोगों को चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है और भारी खर्चा वहन करना पड़ता है। मेरे क्षेत्र में करीब सवा दो लाख की आबादी है लेकिन उस आबादी में सिर्फ प्राइमरी हैल्थ सेंटर एक ही है जहां दो होने अनिवार्य है जैसा कि नियमों के अनुसार होना बहुत जरूरी है लेकिन एक पी. एच. सी. होते हुए उस हैल्थ सेंटर में सिर्फ एक डाक्टर है और हास्पिटल का इन्चार्ज होने के कारण उन्हें इन्जरी सर्टिफिकेट भी इश्यू करने पड़ते हैं इस कारण कभी जालौर अदालतों में जाना पड़ता है और जिस रोज पेशी होती है उस रोज चिकित्सालय का कार्य सारा ठप्प हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पी.एच.सी. सांचौर में सवा दो लाख की आबादी पर एक ही चिकित्सालय है और उसमें भी एक ही डाक्टर का औचित्य नहीं है। लोगों की सुविधा की जो कामना है वह शून्य सी हो जाती है क्योंकि डाक्टर पूरे समय रह नहीं सकता और जितनी आबादी उस क्षेत्र में है और जितनी तादाद में मरीज आते हैं उनका उपचार ठीक ढंग से नहीं होने के कारण करीब 80 प्र०श० गरीब लोगों को चिकित्सा के लिये भागना पड़ता है और गरीब काश्तकारों को भारी खर्च वहन करना पड़ता है। यह हमारे लिये बड़े दुःख की बात है और यह सरकार को भी सोचना चाहिये कि इस प्रकार से पिछड़े क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को दुःख उठाना पड़ता है। साथ में यह भी निवेदन है कि एक ही दवाखाना होने के कारण, एक ही शफाखाना होने के नाते वहां पर जो 3–4 प्रेक्टिशनर्स हैं उन पर कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण लोगों को भारी खर्चा वहन

(श्री कनकराज मेहता)

करना पड़ता है। यदि कोई हार्ट-पेशेन्ट होते हैं, इंपार्टेन्ट केसेज़, होते जिनके अन्दर सुविधा मिलनी बहुत जरूरी होती है लेकिन आवागमन के साधन बहुत खराब होने के कारण लोगों को काफी दुःख उठाना पड़ता है। जालौर हमारे क्षेत्र से करीब 150 कि. मी. पड़ता है वहां चिकित्सा सुविधा के लिये जाना लोगों के लिये भारी पड़ता है। यह सरकार के लिये सोचने का विषय है कि यह जो पिछड़ा क्षेत्र है, और गांवों में इतनी आबादी है, मगर जाने के लिए आवागमन के साधन नहीं, उस क्षेत्र में सारी सुविधा को प्राथमिकता दिया जाना बहुत जरूरी है।

साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं उस क्षेत्र में परिवार नियोजन का कैंप लगाया गया। ऐसे पिछड़े क्षेत्र में कैंप था वह फर्स्ट आया है और इस बार भी मैं यकीन दिलाता हूं कि परिवार नियोजन के कैम्प के लिए सांचौर में काफी उत्साह है उसको भी नकारा नहीं जाना चाहिये। यह हालत देखते हैं, जब एक ही डाक्टर मौजूद है तो क्या आप उनका औचित्य समझते हैं। क्या यह सरकार के लिये अफसोस की बात नहीं है कि एक ही डाक्टर ऐसे स्थान पर है जिससे न वहां लोगों को सही उपचार दिया जा सकता है न लोगों की भलाई हो सकती है। मेरा निवेदन यह है कि आयुर्वेदिक शफाखाने में और औषधालय में स्टाफ नहीं है पी. एच. सी. में भी स्टाफ नहीं है। सांचौर में मेरे ख्याल से 80 साल से एक हॉस्पिटल है उसके अन्दर जो ड्रेसिंग टेबल है वह भी अर्से से टूटी फूटी पड़ी है, तो ऐसे इक्विपमेंट्स जरूरी हैं। जिस ड्रेसिंग टेबल पर मरीज को उपचार देने के लिये लाना पड़ता है उसकी ऐसी दुर्दशा है कम से कम वह ड्रेसिंग टेबल तो रिप्लेस होनी ही चाहिये। साथ ही यह भी मेरा निवेदन है कि सांचौर में 2-3 दानदाताओं ने रेफ्रिजरेटर भी भेंट किया था लेकिन उसकी भी बड़ी दुर्दशा है। जब भेंट में कोई चीज आती है, जो मरीजों की सुविधा हेतु दी जाती है उसकी रिपेयरिंग भी सरकार की तरफ से नहीं होना बड़ा दुःख का विषय है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये और इस प्रकार के इक्विपमेंट्स जो दान में आते हैं उनकी कम से कम समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये उनको समय पर ठीक कराया जाना चाहिये ताकि वह लोगों के काम में आवें नहीं तो उनका दान देना बिलकुल व्यर्थ हो जाता है।

मेरा यह भी निवेदन है कि सांचौर में पागल कुत्तों के इंजेक्शन होने चाहिये जो नहीं होने के कारण लोगों को डेढ़ सौ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उससे गरीब लोगों के लिये बड़ा भारी खर्चा उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और कई लोगों को इलाज न ले सकने के कारण मृत्यु का सामना करना पड़ता है। ऐसे दूर-दराज इलाकों में यह सुविधा होना बहुत जरूरी है और खास करके ऐसी कंडीशन में जहां इन्जेक्शन एक ही जगह से मिलते हैं वह भी बाहर से आते हैं, उसकी समुचित व्यवस्था किया जाना जरूरी है। इसलिये ऐसे दूर दराज इलाकों में ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये ताकि इस तरह के इन्जेक्शन जल्दी मिल सकें और पागल

(श्री कनकराज मेहता)

कुत्ते से काटे हुए जो व्यक्ति हैं उनको मृत्यु का भाजन नहीं होना पड़े, उनका उपचार सही सस्ते ढंग से हो सके।

अन्त में मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो हैल्थ सेन्टर, सब सेन्टर, आयुर्वेदिक शफाखाने हैं वहां पर स्टाफ न होने के कारण उनका कोई औचित्य नहीं है। आपने आयुर्वेदिक शफाखाने खोल दिये, हैल्थ सेन्टर खोल दिये लेकिन वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर दवाई नहीं मिलती हैं, स्टाफ नहीं मिलता है। इसका कोई औचित्य क्या है? इसलिये मेरा यह निवेदन कि सांचौर काफी बड़ा इलाका है काफी बड़ी पंचायत समिति है, वहां की जनसंख्या बहुत अधिक है। इतनी जनसंख्या के ऊपर अगर आप समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं करेंगे, औषधालय में दवाई, डाक्टर नहीं देंगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी एक स्टेट के लिये। मनुष्य अपना शरीर ठीक रख सके इस ढंग की व्यवस्था करना सरकार का फर्ज होता है और फर्ज होते हुए भी न पूरा करना अफसोस की बात है। मेरा निवेदन है कि शहरों में उपयुक्त सुविधा उपलब्ध होती है लेकिन दूर-दराज के इलाकों में इस तरह की व्यवस्था न होने के कारण भारी तकलीफ उठानी पड़ती है। इस तरफ ध्यान देना जरूरी है। जो इलाका पिछड़ा है वहां पर आपको इस तरह की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर करनी चाहिये। डाक्टर सबसे पहले भेजना चाहिये। स्टाफ की व्यवस्था नहीं होगी तो लोग वहां जाकर क्या करेंगे? वहां डाक्टर मिलता है तो पर्ची लिख कर देता है किन्तु सभी दवाइयां बाजार से लेना कठिन है गरीब लोग आते हैं तो उनको दवाई उपलब्ध नहीं होती है। गरीब इलाकों के अन्दर काफी तादाद में इस तरह की जरूरी दवाइयां शफाखाने में उपलब्ध होना आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुन्दरलाल !

श्री मोहनलाल मोदी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुन्दरलाल। इसके बाद श्रीमती विद्या पाठक।

श्री गोपाल पचेरवाल : हमारी पार्टी की तरफ से कोई नहीं बोला है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : टाइम खराब न करें, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं.... ...

श्री देवेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, हमको भी समय दिया जाय। कल भी टाइम नहीं दिया था।

श्री चतुर्भुज : मेरे को भी, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नाम आ जायेगा। लिस्ट लम्बी चौड़ी है। मैं चाहता हूं कि जो बोले नहीं हैं उनको पहले ले लें।

श्री देवेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार भी टाइम नहीं दिया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये, माननीय सदस्य ।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि टाइम थोड़ा लें तो अच्छा रहेगा और थोड़ा संक्षेप में बात कहें, ज्यादा लम्बी चौड़ी न कहें और रिपीट करने से बचें ।

श्री सुन्दरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैंने कई बार लिखा है कि मेरे क्षेत्र में चार डिस्पेन्सरीज हैं उन डिस्पेन्सरीज में कभी डाक्टर नहीं लगता है और लगता है तो वहां नहीं रहता है । मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है । एक लाख रुपया खर्च किया है डिस्पेन्सरीज पर । पहले तो डाक्टर लगाते नहीं हैं और कभी डाक्टर लगता भी है तो महेन्द्रगढ़, हरियाणा में रहता है, नारनौल में रहता है । इस सम्बन्ध में मेरा एक क्वेश्चन था उसका जवाब नहीं आया है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा हमारे क्षेत्र में जहां डिस्पेन्सरीज हैं उनमें वहीं के रहने वाले डाक्टर को लगायें ताकि वहीं रह सके और बाहर गांव वालों को सुविधा मिल सकें । बीस-तीस किलो मीटर में कहीं भी डिस्पेन्सरी नहीं हैं । एक, दो, तीन डिस्पेन्सरीज हैं परन्तु उनमें डाक्टर नहीं हैं । मेरे क्षेत्र में 100 किलोमीटर पर हरियाणा लगता है वहां पर सब तरह की सुविधा है । राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र की तरह सुविधा है । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जहां भी डिस्पेन्सरीज खोलें वहां पर डाक्टर रखना जरूरी है ।

दूसरी बात, वैद्यों के लिये कहना चाहता हूं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं वैद्य एक महीने में दो दिन जाता है, सिर्फ तनख्वाह लेने जाता है । आप हर विधायक से पूछ लें वैद्य वहां पर नहीं रहते हैं, वैद्य आयुर्वेदिक दवाई काम में नहीं लेते हैं वैद्य जाते हैं और सुई लगाते हैं । चाहे कोई भी वैद्य हो, जैसा दाऊदयाल जी ने कहा सही कहा कि वैद्य आयुर्वेदिक पद्धति नहीं अपनाते हैं । यह मैं ईमानदारी से कहता हूं कोई भी वैद्य औषधालय की दवाई नहीं देता है, वे अंग्रेजी दवाइयां काम में लेते हैं । मेरे इलाके में एक वैद्य ने एक आदमी के सुई लगाई वह मर गया उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, इसलिये मैं मन्त्री महोदय से आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा वैद्यों को ताड़ना दी जाय कि वे सुई न लगावें, औषधालय की दवाई को ही काम में लें । गांव वालों को वैसे ही ज्ञान नहीं है वैद्य सुई लगाता है तो कहते हैं वैद्य होशियार हैं । इसलिये उसी पद्धति को चलायें जिस पद्धति को अपनाया है तो उससे फायदा होगा । औषधालय की कोई भी दवाई वैद्य काम में नहीं लेता है ।

डिस्पेन्सरीज के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । वहां पर किसी प्रकार की पट्टी नहीं मिलती है, किसी भी विधायक के क्षेत्र में नहीं मिलती है, कभी भी कोई आदमी बीमार हो जाय तो पट्टी खरीद कर लानी पड़ती है । जिसके चोट लग जाय, घाव लग जाय और अस्पताल जाता है तो कहते हैं पट्टी खरीद कर लाओ । पूरी दस

(श्री सुन्दरलाल)

रुपये की पट्टी लानी पड़ती है। कई आदमियों ने कहा कि पूरी पट्टी खरीद कर क्या करें।....

श्री अनंगकुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आपस में बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं और वे नोट नहीं कर रहे हैं। कृपया इनको कहें कि बात न करें।

श्री सुन्दरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना बजट दवाखानों को दिया जाता है, जितना डिस्पेन्सरीज को दिया जाता है वहां पर उतना नहीं है। कोई ज्यादा न कह कर इतना ही कहना चाहता हू जो डिस्पेन्सरीज हैं उनमें पट्टियों की व्यवस्था होनी चाहिये। गरीब आदमी पट्टी कहां से लावें? ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में चारों डिस्पेन्सरीज में कोई डाक्टर नहीं है वहां डाक्टर की व्यवस्था की जाय, पट्टी की व्यवस्था जरूर की जाय। दूसरे जहां भी अस्पताल खोले जायं उनमें दवाई पूरी हो, जहां भी डिस्पेन्सरीज मन्जूर हों वहां पर दवाई की दुकान का लाइसेन्स दिया जाये। यही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम पार्टी की तरफ से बोलने वाले सदस्यों के नाम क्रमवार देते हैं उसमें आपने ऐसा न करके, कल भी ऐसा किया, पहले मेरा नाम था परन्तु पहले आपने ताम्बी जी को अवसर दे दिया। आज भी यही स्थिति है। मेरे मन में यह भावना पैदा हो रही है × × × इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें फिर आप कह देंगे पार्टी का समय समाप्त हो गया। इसलिये मेरा पहले से निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। आपकी पार्टी का समय मुझको मालूम है। आपने जो नाम दिये हैं, मैंने उन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे हैं जो कभी बोले नहीं, आप इतने उतावले क्यों होते हैं। टाइम बाकी है। आपको मौका दूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपकी इस बात से बाउण्ड नहीं हूं कि जिसका पहले नाम दिया हुआ है उसका नाम पहले बोलूं। यह चेयर के डिस्क्रिशन पर है किस मैम्बर का वह किस प्रकार से नाम पुकारे।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर कभी नहीं दिया मेरे से कोई विशेष नाराजगी है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : नाराजगी का सवाल नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : फिर क्या बात है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री मोहनलाल मोदी : हमारे अधिकारों की बात है, अधिकारों की बात करने का अधिकार है। समय है बोलने के लिये, नाम भी दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाधा मत डालें। कार्यवाही में बाधा उपस्थित न करें।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने दें, यह अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका नाम लेकर पुकारूंगा। कृपया बाधा मत करें। समय जा रहा है आपको टाइम का ख्याल नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरे भी अधिकार हैं। मैंने कभी वाक आउट भी नहीं किया है....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको बता दिया है....

श्री मोहनलाल मोदी : मेरा निवेदन करना तो यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : आपको सैटिसफेक्शन होना चाहिए, यह आपका डिसिप्लीन है। श्रीमती विद्या पाठक !

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, जिस पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों ही चिन्तित हैं, वह है आज जनसंख्या की समस्या। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह नेशनल प्रॉब्लम है जिसको बहुत गम्भीरतापूर्वक सोचा जाना देखा जाना जरूरी है। 1981 की जनसंख्या के आंकड़े इतने भयानक हैं कि जिनको विचारकों ने एक टाइम बम की संज्ञा दी है। इस पर बहुत ही गम्भीरतापूर्वक आज केवल राज्य सरकार के ही नहीं सभी के विचार रखे जाने बहुत जरूरी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत की जनसंख्या और किस तरह से इसकी बढ़ोतरी हो रही है, हमारे राजस्थान की जनसंख्या कितनी वृहद होती जा रही है इस विषय में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगी। सन् 195? से 1957 तक हमारे भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी और 71-83 तक यह जनसंख्या 68 करोड़ हो गयी है जो कि बहुत बड़ी वृद्धि जनसंख्या में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम इसके आंकड़े देखें कि प्रति दशक जनसंख्या की वृद्धि किस तरह से हुयी तो देखेंगे कि सन् 51 से 61 तक 23 प्रतिशत हुयी, 61 से 71 तक 24 80 प्रतिशत 71 से 81 तक 24.75 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि की पर्सेन्टेज रही और कुछ 0.5 प्रतिशत कीफर्म कमी जरूर नजर आयी लेकिन वह सैटिफेक्शन का कारण नहीं है। सन् 1947 से1981तक हमारे देश की जनसंख्या डबल हो गयी और 2001 तक आज जो जनसंख्या है, उससे डबल होने की सम्भावना काफी है। इस अनुपात में राजस्थान के आंकड़े कोई कम भयानक नहीं हैं। 81 में जहां जनसंख्या 3,41,02,912 थी वह पिछले दशक से 83 लाख बढ़ी जो उससे पिछले 10 वर्षों में 6-7 प्रतिशत ज्यादा हुयी। पिछले दशक में 61-71 में यह केवल 27.83 प्रतिशत बढ़ी थी।

(7.22 बजे)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

यह आंकड़े देने का मेरा आशय यह है

(श्रीमती विद्या पाठक)

कि इस बीच कितना धन लगा फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम में और परिवार कल्याण प्रोग्राम में जिसकी आज इतनी ज्यादा चर्चा है और उस अनुपात में हमारी उपलब्धि क्या रही है इसी की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं। राजस्थान की जनसंख्या देश में 9वें स्थान पर है और जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से जो हिन्दुस्तान के 12 बड़े शहर हैं उनमें से एक है। जहां हमारे राजस्थान में हजार पुरुषों के पीछे 900 महिलाएं थीं आज देश की कुल आबादी में 4.99 प्रतिशत आबादी हमारे राजस्थान की है। माननीय सभापति महोदय, ये आंकड़े कितने ज्यादा भयानक हैं। पूरे देश में यदि प्रत्येक बीस व्यक्ति को देखा जाय तो एक राजस्थानी निश्चित रूप से मिलेगा, यह अनुपात देश व हमारी राजस्थान की जनसंख्या का है। राजस्थान में बर्थ रेट बहुत ज्यादा रही है। पूरे हिन्दुस्तान की बर्थ रेट से कहीं ज्यादा है। पूरे हिन्दुस्तान की बर्थ रेट जहां 27.83 प्रतिशत पिछले दशक तक रही है राजस्थान की 32.36 प्रतिशत रही। यदि तुलनात्मक देखें तो हमारे पड़ोसी प्रदेशों के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। राजस्थान की जनसंख्या पिछले एक दशक में 32.34 प्रतिशत बढ़ी जब कि हरियाणा की 28 प्रतिशत, गुजारत की 27 प्रतिशत, कर्नाटक की 26 प्रतिशत और मध्य प्रदेश और यू. पी. की 25 प्रतिशत बढ़ी। इसका मतलब हमारे आंकड़े करीब करीब 33 प्रतिशत पिछले एक दशक में बढ़े। राजस्थान की पर केपिटा इनकम का जहां तक सवाल है और खुशहाली का जहां तक सवाल है वह निरन्तर रूप से गिरती जा रही है। यह आंकड़े, माननीय सभापति महोदय, माइग्रेटेड जनसंख्या के नहीं हैं। राजस्थान कोई ऐसी अट्रेक्टिव स्टेट नहीं है जो दूसरी जगह से लोग यहां रोजगार की तलाश में आयेंगे और रहना पसन्द करेंगे। यह यहां की जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े हैं जो निश्चित रूप से मैटर आफ कन्सर्न होना चाहिए हम सबके लिये। स्वतः ही यह स्पष्ट है कि जब इतनी बड़ी जनसंख्या होगी तो इससे गरीबी भी आयेगी, इससे कन्जूमर्स भी बढ़ेंगे। इससे दंगे और एग्रेसन, वायलेन्स, असंतोष बढ़ेगा और सब तरह की स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें और दूसरी अमेनिटीज है वह डिवाइड होंगी, अन एम्पलायमेंट बढ़ेगा, एजूकेशन, हाउसिंग फैसेलिटी शेयर की जायगी तो भी पर केपिटा कम होंगी। विकास प्रोग्राम में बाधा आयेगी, आर्थिक विषमताएं बढ़ेंगी जिससे असंतोष बढ़ेगा और स्टेण्डर्ड ऑफ लिविंग कम होगा। अब मैं तुलनात्मक रूप से बताना चाहती हूं कि हमारे देश में फेमिली प्लानिंग में कितना खर्च किया गया है और कितनी सफलता मिली है। उसको तुलनात्मक रूप से देखने के बाद कि कितना पैसा खर्च किया गया उसके मुकाबले हमारी जनसंख्या कितनी घटी और इस पैसे के मुकाबले कितनी सफलता मिली, यह पता लगता है कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में यानि 52 से 57 तक इसके अन्दर 6.5 मिलियन रुपया खर्च किया गया और उस समय जनसंख्या थी 33 करोड़। छठी पंचवर्षीय योजना, जो 1978–83 तक पूरी होने वाली है, में फेमिली प्लानिंग के प्रोग्राम

(श्रीमती विद्या पाठक)

पर यानि अब परिवार कल्याण के प्रोग्राम पर 7 हजार 650 मिलियन रुपया खर्च किया गया है और जनसंख्या है 68 करोड़ यानि पैसा ज्यादा खर्च हुआ उसके अनुपात में जनसंख्या भी ज्यादा बढ़ी, पैसा बढ़ता गया और जनसंख्या भी बढ़ती गयी। मेरे कहने का मतलब यह है आंकड़ों से साफ पता लगता है कि हमारे प्लानिंग प्रोग्राम की कितनी खामी है जिसका इतना खर्च है जिसकी आज इतनी दुहाई दी जा रही है कितना भयंकर फेल्योर रहा है। इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। हमें बराबर यह कहा जाता है कि विपक्षी दलों ने फेमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को फेल किया। सरकार ने जिस तरह से कोअर्शन और जबरन फेमिली प्लानिंग किया था उससे स्वतः ही जनता बाधा डालती। कोअर्शन से एग्रेसन नेचरल है। जब एग्रेसन होगा तो प्रोग्राम भी हैम्पर होगा और इसलिये ही जनता ने इसका विरोध किया। जनसंख्या के जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमारा प्लानिंग प्रोग्राम है उसको पुनः जज करना पड़ेगा। इसको रि-लुक करें, रि-आर्गेनाइज्ड करें, रि-प्लान करें। माननीय सभापति महोदय, इसके फेल्योर के भी कुछ कारण है....

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदया नहीं माननीय सभापति महोदय।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : यह आपके काले कोट के कारण है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, इसके फेल्योर के कारण क्या हैं ? हम देखते हैं कि हमें असफलता मिली है, पर प्रोगाम बहुत जरूरी है। इसके हम भी हामी हैं हम नेशन के विरोधी नहीं हैं, राष्ट्रीय विकास और खुशहाली में बाधा डालना नहीं चाहते हैं। हम इस प्रोग्राम में सहयोग करना चाहते हैं लेकिन मैथड आफ इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस हो सकता है। हम एग्री नहीं करते हैं कोअर्शन, जोर जबरदस्ती जनता पर इस्तेमाल किया जाय इसके हम हामी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इसके फेल्योर के मुख्य कारण यह हैं कि यह प्रोग्राम सदा केवल हैल्थ डिपार्टमेंट का ही बना हुआ है, हैल्थ डिपार्टमेंट ही केन्द्र में एग्जीक्यूट करेगा और हैल्थ डिपार्टमेंट ही राज्य में एग्जीक्यूट करेगा। हैल्थ डिपार्टमेंट के पूरे बजट का एक प्रतिशत ही फेमिली प्लानिंग पर खर्च होता है, हैल्थ डिपार्टमेंट एक पर्सेंट ही इस पर खर्च करता है इसमें एक अकेले डिपार्टमेंट से सफलता कैसे मिलेगी। इसमें टोटल सिस्टम को इवाल्व करना पड़ेगा, कान्टेक्ट करना पड़ेगा, सारे सिस्टम को इन्टीग्रेटेड बनाना पड़ेगा। इसमें राजस्थान के सारे विभागों का सहयोग आवश्यक है। एक सुझाव देना चाहूंगी। यदि हमको फेमिली प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाना है, जनसंख्या पर कन्ट्रोल करना है तो यह बहुत जरूरी है कि महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दिया जाय। माननीय सभापति महोदय, बच्चे ज्यादा होने का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ता है। आप कहेंगे, महिलाओं को खेती में, लेबर में रोजगार मुहैया है लेकिन वह रेमुनरेटिव और अट्रेक्टिव नहीं है इसलिए

(श्रीमती विद्या पाठक)

महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाय ताकि वे ऊंचे जॉब्स को लेने में सक्षम हो सकें। मैं रिजर्वेशन के बिलकुल खिलाफ हूं। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का मेरा विरोध है, क्योंकि रिजर्वेशन के साथ स्टेण्डर्ड के पक्ष को कम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसमें महिलाओं की अधोगति होना निश्चित है। महिलाओं को अपारचुनिटी दी जाय कि उनकी एजूकेशन बढ़े, उनको बेटर रेमुनरेटिव जॉब्स मिलें, ताकि उनको अट्रेक्शन एक स्टेज पर हो, वरना सम्पन्नता से उनको हाथ धोना पड़ेगा यदि उनके बच्चे ज्यादा हुए तो। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, पहली आवश्यकता तो यह है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाय, उनको बेटर रोजगार दिये जायं, इसको प्राप्त करने के लिए यह नेचरल है आप कहेंगे राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए क्या यह पासिबल है? परन्तु यह कैसी एक साइक्लिक प्रोसेस है। इस साइकिल को कहीं न कहीं तो ब्रेक करना पड़ेगा, इसको प्राप्त करने के लिए रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे, जो चाहे हमारे सिस्टम में इकानामी से हों, चाहे हमारे रिसोर्सेज किसी भी तरह से डवलप करके हों, उद्योगों को और एक्सपोर्ट को बढ़ाकर हों। फिर से आर्थिक सिस्टम को सोचा जाय, रिप्लान किया जाय। एक्सपोर्ट्स, खेती-बाड़ी एग्रीकल्चर उद्योगों को बढ़ाया जाय ताकि स्टेण्डर्ड ऑफ लिविंग इन सबसे मिलकर बढ़े, खुशहाली हो। स्टेण्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो यह बहुत नेचरल है कि परिवार अपने साधनों को खुशहाली की स्टेज तक जरूर रखना चाहेंगे और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहेंगे। इन सबके लिए ग्रामों में विकास करना जरूरी है। इन सारी योजनाओं का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जहां ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो, वहां चिन्तन को राष्ट्रधारा से जोड़ा जाय, अच्छे स्कूल, अच्छी अधिक सड़कें, स्वास्थ्य सेवायें, सफाई, रिक्रिएशन और रिलेक्सेशन की सुविधा ग्रामीण स्तर पर भी की जाय तब ही ग्रामीण क्षेत्रों में फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम सेक्सेसफुल हो सकता है वरना सिर्फ हैल्थ डिपार्टमेन्ट से ही यह पासिबल नहीं है। कठिन काम जरूर है मगर यह मुर्गी पहले या अण्डा पहले वाली बात नहीं हो इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है ताकि....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। 5-7 मिनट और...

श्री सभापति : 10 मिनट तो हो गये हैं और आज का जो प्रोग्राम है, आपको मालूम होना चाहिए, बहुत टाइट है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम अटर फेल्योर है उसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहती हूं। माननीय मन्त्री महोदय, मेरी समझ में....

श्री सभापति : आप जैसी बुद्धिमान

(श्री सभापति)

सदस्या तो सुझाव दो लाइन में भी दे सकती है। सुझाव के रूप में कोई बात कहें तो ठीक है आप ...

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, थोड़ा टाइम लगेगा....

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, एक बात और भी आवश्यक है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : इसमें आश्चर्य की बात नहीं है इस कुर्सी पर बैठने के बाद तो समझ में नहीं आता है....

श्रीमती विद्या पाठक : अधिकांशतः माननीय सभापति महोदया ही बैठती हैं। आप माफ करेंगे। माननीय सभापति महोदय, 81 की जनसंख्या के जो आंकड़े आये हैं उनको स्टडी करना जरूरी है, यह देखना जरूरी है कि कौन-कौन से रीजन, कौन-कौन से एरियाज में, कौन-कौन सी कम्युनिटीज में पापुलेशन ग्रोथ हो रही है वरना इम्बैलेंस हो जाता है। जहां तक इन्सेन्टिव का सवाल है, अस्पतालों की सुविधा में इन्सेंटिव दिया जाता है वह अच्छा है, लेकिन जो पैसे में इन्सेन्टिव दिया जाता है उससे मेरा इत्तफाक नहीं। इससे प्रवृत्ति नहीं बनेगी। मोटीवेशन के लिए भी एक व्यक्ति एक व्यक्ति को मोटीवेट करे तो वह अच्छा है। स्पेसिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए बजाय टर्मिनल मैथड्स के और इस सिस्टम को इवेल्यूएट किया जाना चाहिए, जो बहुत पहले ही किया जाना चाहिए था। इसमें सबसे बड़ी बाधा कई धर्म गुरू और दूसरे लोग आते हैं इनको कान्फिडेंस में लेकर इस पर कुछ नीतिगत विचार किया जाना चाहिए। जहां तक एस० एम० एस० हॉस्पिटल का सवाल है, थोड़ी-सी मैं अपनी बात कहकर खतम करूंगी। टोटल बजट जो इसका है उसमें से 49 प्रतिशत केवल कर्मचारियों के भत्तों पर खर्च होता है, 8 प्रतिशत भवनों के रख रखाव पर खर्च होता है, 20 प्रतिशत मशीनों के रख रखाव पर और 23 प्रतिशत दवाइयों पर खर्च होता है। माननीय सभापति महोदय, इसके बावजूद मृत्यु दर बढ़ती चली जा रही है। इसके पीछे कारण हो सकते हैं, स्टाफ की लापरवाही हो सकती है, दवाइयां समय पर न मिले, इस तरह की बाधायें हो सकती हैं। हमारे प्रदेश में बहुत से लोगों को यह भी मालूम नहीं कि एम्बूलेंस सर्विसेज भी यहां अवेलेबल हैं। अगर आप एस० एम० एस० हॉस्पिटल में जायेंगे, बहुत तरह की शिकायतें आज माननीय सदस्यों ने यहां भी की हैं....

(व्यवधान)

....और विशेष तौर पर, डायग्नोस्टिक सर्विसेज पर, यहां माननीय सभापति महोदया, एस० एम० एस० हॉस्पिटल में....

(व्यवधान)

हर डिपार्टमेंट में....

(श्रीमती विद्या पाठक)

(व्यवधान)

अनेकों एक्स-रे मशीन्स हैं, सबकी सब खराब पड़ी हैं। देखने में यह आता है कि लोगों को बाहर जाकर अपने खून की जांच, पेशाब की जांच, टट्टी की जांच, एक्स-रे और जितनी डायग्नोस्टिक्स हैं सब बाहर करानी पड़ती हैं। यहां तक कि इन्डोर पेशेंट्स तक को बाहर जाना पड़ता है और जो ट्राली पर ले जाते हैं वे लोग भी पैसा मांगते हैं। माननीय सभापति महोदय, जब विभाग का 20 प्रतिशत धन मशीनों के रख रखाव पर खर्च होता है तो फिर क्या कारण है कि

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कुछ चेंज तो मुझे भी नजर आ रहा है।

श्रीमती विद्या पाठक : फिर क्या कारण है कि इन सब पेशेंट्स को जांच के लिए बाहर जाना पड़ता है। वैसे ही इस देश में, इस प्रदेश में इतनी गरीबी है उसके बाद भी अगर डायग्नोसिस बाहर करानी पड़ती है, मशीनों को ठीक करवाया नहीं जाता है तो निश्चित रूप से इसके पीछे जनता के लोग मोटिव्ज एट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरा किसी पर कोई आक्षेप नहीं लेकिन यह निश्चित रूप से ध्यान देने की बात है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कौनसे मरीजों के चार्ट पर बाहर के डायग्नोसिस के कागज लगे हुए हैं। इसी तरह रेडियोलोजी और एक्स-रे प्लान्ट्स की आज सात दिन से चर्चा हो रही है। अस्पताल में एक्स-रे प्लान्ट्स भी बहुत हैं, एक्सरे प्लेट्स भी मिलती हैं मगर, माननीय सभापति महोदय, सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है कि एक्स-रे प्लेट्स मिलेगी नहीं और बाहर उनको एक्स-रे करवाना लाजिमी हो जाय। आपने सुना होगा, यहां एक वयोवृद्ध डाक्टर जयपुर में है, जिनको हाल ही में कई संस्थाओं ने सम्मानित किया है। डेढ़ वर्ष पूर्व उन्होंने कुछ व्यवस्था कर एक्स-रे प्लेट्स अस्पताल में रख दिये थे, जो गरीबों को निरन्तर नो प्रॉफिट नो लास पर मिलते थे, ऐसी सिचुएशन क्रियेट की गयी कि वह एक्स-रे प्लेट्स अवेलेबिलिटी के बावजूद हॉस्पिटल में न रखे जायं, गरीबों को उसकी सहायता न मिले। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो दुकान वे सज्जन डॉ० ताराचन्द गन्गवाल दवाइयों की चलाते हैं, वहां हमारे यहां की सहकारी दुकानों से दवाइयां अच्छी और सस्ती हैं, स्टाक ज्यादा है परन्तु इस तरह की एजेंसीज को डिसकरेज करने के पीछे निश्चित रूप से मोटिव्ज होते हैं।

इसी तरह पे-क्लिनिक के बारे में कहना चाहती हूं कि 1974 में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी कि नान प्रेक्टिस अलाउन्स भी दिया जायेगा। उसके बावजूद भी प्राइवेट प्रेक्टिस की शिकायतें आ रही हैं, पर एक बार फिर से सोचा जाना, फिर से इवेल्युएट किया जाना जरूरी है कि यह योजना यहां कितनी सक्सेसफुल हुई है। इसी तरह मेन्टल हॉस्पिटल, जनाना हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट्स के अटेंडेंस की कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा वहां वेटिंग रूम, केण्टीन इस तरह की कोई भी व्यवस्था

224

(श्रीमती विद्या पाठक)

नहीं है जो उन्हें या उनके मरीजों को कोई थोड़ी बहुत सुविधा दे सकें।

जो विभाग में परचेज सिस्टम है उसके बारे में कहना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदय, करीब-करीब 10-15 लाख की मशीनें बाहर से, विदेशों से मंगवाई जाती हैं। पहले उसका सिस्टम यह था कि सरकार पहले अपना रुपया बैंक में जमा करा देती थी, बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर देते, जो विभाग द्वारा उन फर्म को भेज दिये जाते थे और उनको उचित स्पेसिफिकेशन की मशीनें मिल जाती थीं। परन्तु आज स्थिति क्या है? मैथड चेंज करके ग्लोब टैण्डर सिस्टम शुरू कर दिया, पूरे विश्व में से उस मशीन के टैण्डर्स लिये जायेंगे, नतीजा क्या होगा? जहां इसमें डिले होगी, इक्विपमेंट जो सैंसिटिव होते हैं वह उपलब्ध नहीं होते हैं उनको प्राप्त करने में लेट होंगे....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी।

जिससे वेस्टेड इण्ट्रेस्ट डवलप होने स्वभाविक हैं, यह चीज नहीं चलने वाली है। इसके अलावा बीच में कमीशन और इन चीजों को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। अधिकारी कम्पनियों की पैरवी करते नजर आयेंगे। जिस स्पेसिफिकेशन का सामान है वह मिलेगा नहीं उसको यूज करने वाला कोई और व्यक्ति होगा, जो आर्डर करने वाला है वह कोई और व्यक्ति होगा। मशीनें कैसी आयेंगी और फिर कितनी किस प्रकार से यूज हो पायेंगी यह सोचने की बात है। इसको ब्यूरोक्रेटिक वे से निकालना होगा। अस्पताल में जो वेसमेंट है उसमें कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो ऑपरेशन थियेटर्स का एयर कण्डीशनिंग करते हैं किन्तु वह खराब पड़े हैं। डेढ़ दो वर्ष पहले वोल्टाज कम्पनी ने यह कहा था कि हम इनको ठीक कर देंगे परन्तु ठीक नहीं कराया गया उस एयर कन्डीशनर को और जो नये यूनिट्स लिये गये हैं उससे पूरे आपरेशन थियेटर का कूलिंग हो रहा हो, ऐसा नहीं है। इससे इनफेक्शन जहां बढ़ेगा वहां आपरेशन थियेटर्स में सुविधा कहीं प्राप्त होगी कहीं सुविधा प्राप्त नहीं होगी।

जहां तक रूरल एरिया का सवाल है, सभापति महोदय, वहां पर लेडी डॉक्टर नहीं जातीं। उसके पीछे कारण यह है, सभापति महोदय, न तो उनके लिये भवन होते हैं, न उनके बच्चों के पढ़ने के लिये स्कूल हैं, न ऐसे रोड्स हैं कि वहां आसानी से आ जा सकें। वहां कुछ केमिस्ट की दुकानों से ही डिस्पेन्सरी के डाक्टर दवाइयां लेते हैं। इसलिए केमिस्ट गांवों में इतने पावरफुल हो रहे हैं कि वह डाक्टर का ट्रांसफर करवाते हैं और केन्सिल करवाते हैं इससे मेल प्रेक्टिसेज डवलप होती हैं वेस्टेड इण्ट्रेस्ट डवलप होते हैं, इसलिये इसको देखा जाना जरूरी है। प्रिवेन्टिव और स्वयं चिकित्सा पर जो खर्चा किया जाता है वह तो टोटली वेस्ट ही होता है इसलिए इन दोनों को कोरिलेट करना भी बहुत जरूरी है। जैसे शुद्ध पेय

(श्रीमती विद्या पाठक)

जल, उचित सेनिट्रेशन, न्यूट्रिएशन की व्यवस्था। अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा बच्चों की आंखों में मक्खियां अण्डे देती हैं इस तरह से ग्लाईकोडरमा बीमारियां होती हैं। सेनिटेशन का पूरा ध्यान रखा जाय तो इसके विषय में कार्यवाही उचित हो सकती है। और पोस्ट मार्टम की तो गांवों में बहुत बुरी हालत है। अगर पुलिस है तो डाक्टर नहीं, डाक्टर है तो पुलिस नहीं, और अगर दोनों हैं तो कानाफूसी है। इससे ग्रामीण जनता बहुत दुःखी है। गांवों में डाक्टर जाने से इसलिये कतराते हैं कि पॉलिटिकल इन्टरफियरेन्स बहुत ज्यादा होता है। जहां तक पागल कुत्ते काटे का इन्जेक्शन का सवाल है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा अभी कुछ दिन पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा, भरतपुर में एक जगह है....

श्री सभापति : टाइम इज ओवर, दो मिनट से ज्यादा हो गया।

श्रीमती विद्या पाठक : सभापति महोदय, आधी मिनट में समाप्त करती हूं। वहां पर 16 पशु कुत्ते के काटने से मर गये, इस तरह आदमी भी कई मरे होंगे लेकिन इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हैं। इसी तरह से गांवों में डिस्पेन्सरी भवनों की हालत खराब है। लेडी डाक्टर का पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होता है। मेरे अपने क्षेत्र बगरू में एक लेडी डाक्टर के पद की स्वीकृत हुई, लेडी डाक्टर का पद करीब सवा साल खाली रहा वह सिर्फ इस वजह से कि वहां के जो केमिस्ट हैं उनका परिवार राजनीति से सम्बन्ध रखता है, उसने लेडी डाक्टर का ट्रांसफर करवा दिया। क्योंकि हसबेंड वाइफ दोनों तो रूरल एरिया में रह नहीं सकते, इस तरह से जो भी आते हैं उसका केमिस्ट ट्रांसफर करवा देते हैं। नतीजा यह होता है कि डाक्टर होता है तो लेडी डाक्टर नहीं, दोनों तो साथ हो नहीं सकते। माननीय मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी है और मुझे पूरा विश्वास है इस विषय में कुछ करेंगे।

सांगानेर में मेटरनिटी सेन्टर में ऑपरेशन थियेटर की जरूरत है। माननीय मन्त्री महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है एक बार वहां इन्सपेक्शन करके आवें आपको स्वयं पता लगेगा वहां महिलाओं को किस तरह कठिनाई व असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहां प्राथमिकता से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): माननीय सभापति महोदय...

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदया ?

श्री मोहनलाल मोदी : महोदय बोल रहा हूं, महोदया शब्द से आपको विशेष लगाव है।

मांग संख्या 26 पर वाद-विवाद हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी

(श्री मोहनलाल मोदी)

भी जन कल्याणकारी सरकार का उत्तरदायित्व है लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। चिकित्सा की दृष्टि से ऐसा लगता है कुछ शहरों तक ही राजस्थान सीमित है। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और जयपुर को ही राजस्थान मानकर चला जाता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और गांवों के अलावा छोटी-छोटी ढाणियों में रहती है जो काफी दूर तक फैली हुई हैं। उसमें कहीं बहुत कम स्थानों पर चिकित्सालय की व्यवस्था है और अगर कहीं है तो उसमें डाक्टर नहीं है, डाक्टर है तो उसमें दवा नहीं मिलती है, दवा है भी अगर कहीं कोई डाक्टर लिखने वाला मिल जायगा, मन्त्री महोदय तो पधार गये, वह सुनना नहीं चाह रहे थे।

(व्यवधान)

कोई बात नहीं, मैं जो कहूंगा, रिकार्ड पर तो आयेगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप दस मिनट के अन्दर ही अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं अधिक समय नहीं लूंगा। हॉस्पिटल है वहां दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। सभापति महोदय, दवाई लिख दी जाती है तो कैमिस्ट की दुकान पर जो दवा है वह दवा लिख दी जाती है, हॉस्पिटल से आज एक भी किसी मरीज को दवा नहीं दी जाती है। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में टोडा हॉस्पिटल है, वहां डाक्टर नहीं है। वहां डाक्टर इस तरह नहीं है, डाक्टर था उसको मन्त्री महोदय ने हटा दिया, उसको भेज दिया। मन्त्री महोदय की कृपा है उसको उन्होंने अपनी जगह भेज दिया। इस तरह की राजस्थान की स्थिति है। आपने देखा, अभी स्वास्थ्य मन्त्रीजी के ऊपर उनकी पार्टी के सदस्यों ने किस तरह से आरोप लगाये। जिस राज्य में इस तरह के भ्रष्ट स्वास्थ्य मन्त्री हों और जिस राज्य में हॉस्पिटल का, स्वास्थ्य के अन्दर किस प्रकार से····

श्री सभापति : इम्प्यूटेशन नहीं होना चाहिये, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, आज तो इस विभाग की डिमाण्ड है और विभाग की डिमांड के ऊपर इस तरह से खुले आरोप लगाये गये जिनसे आपके मन्त्री जी पूरी तरह से सम्बन्ध रखते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं आज डाक्टर का ट्रांसफर, कम्पाउन्डर्स का ट्रांसफर, ××× तो विभाग का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति मन्त्री होता है, स्वास्थ्य मन्त्री के सामने ऐसे-ऐसे आरोप लगाये जायं और वह फिर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें, यह सीधा मामला है कि स्वास्थ्य मन्त्री भ्रष्ट हैं। क्या उनको आज एक ही काम

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मोहनलाल मोदी)

रह गया ? मैंने पिछले सत्र में भी कहा था, मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाह रहा हूं, मुख्य मन्त्रीजी, इस बात पर गौर करें और वे अपनी सफेद चादर पर जो यह दाग है उस दाग को हटावें। स्वास्थ्य मन्त्री को हटा देंगे तो उनकी चादर सफेद की सफेद रहेगी। सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के लिए कुछ निवेदन कर रहा हूं, मेरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, आवागमन के साधन नहीं हैं। मेरी पंचायत समिति की पापूलेशन, सभापति महोदय, राजस्थान की सारी पंचायत समितियों का हिसाब लगायेंगे तो चौथे नम्बर पर है। 81 में तो शायद कुछ नम्बर और बढ़ गया है लेकिन 71 के हिसाब से लें तो नीम का थाना पंचायत समिति की पापूलेशन राजस्थान की पंचायत समितियों की पापूलेशन के हिसाब से चौथे नम्बर पर है किन्तु वहां आज आवागमन के साधन नहीं हैं। तीस-चालीस मील तक हास्पिटल नहीं है। सभापति महोदय, लोगों की आज ऐसी हालत है अगर दूर कोई बीमार हो जाय तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाते-जाते रास्ते में····

श्री छोगालाल कंवरिया (स्वास्थ्य मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, यह जो मेरे पर चार्ज लगाया गया है, बगैर नोटिस मेरे पर चार्ज नहीं लगाया जा सकता, या तो इसे आप कार्यवाही से निकलवाइये या सदस्य महोदय बोल रहे हैं उनको मना कीजिये कि इस तरह चार्ज बिना नोटिस मन्त्री पर नहीं लगाये जा सकते।

(व्यवधान)

मैं इसका खण्डन करता हूं। इस प्रकार के चार्ज मेरे ऊपर नहीं लगाये जा सकते।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अब आपकी नींद खुली है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह आरोप लगे हुए हैं, यह अपना दामन साफ करें····

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अगर आप किसी डिमांड पर किसी मन्त्री के खिलाफ कोई स्पेसिफिक चार्ज लगाते हैं तो कृपया पहले नोटिस दें। उससे पहले आपको ऐसे अलफाज का प्रयोग नहीं करना चाहिये। भ्रष्ट या भ्रष्टाचारी का आरोप विदाउट नोटिस नहीं होना चाहिये। वह स्पेसिफिक नोटिस के साथ एलीगेशन होना चाहिये इसलिये जो यह वर्ड हैं वह एक्सपंज कर दिया जाय।

(व्यवधान)

228

श्री अनंगकुमार जैन : आप उस स्थिति की कल्पना करिये, आठ मन्त्रिमण्डल के सदस्यों और 12 कांग्रेस के सदस्यों ने चिकित्सा मन्त्री ...

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ठहरिये, पाइन्ट आफ आर्डर रेज़ किया है....

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : सभापति महोदय, मेरा....

श्री सभापति : आप पहले कोट कीजिये कि किस रूल के तहत पाइन्ट आफ आर्डर रेज़ कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

पहले रूल कोट कीजिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जब आप आरोप लगा रहे थे तो क्या मन्त्री महोदय सो रहे थे। जब विपक्षी सदस्यों ने लगाया तो उन्हें एतराज हुआ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज़ कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री गोकुल चन्द शर्मा : नहीं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय। जो इन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, यह सरासर गलत है। माननीय मन्त्री महोदय के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आप बाधा डाल रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की बात जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इधर सत्तारूढ़ पार्टी से नहीं लगाये गये हैं जितने उन्होंने भाषण दिये, बातें कहीं उसमें सिवाय भ्रष्टाचार के कोई बात नहीं कहीं....

श्री गोकुल चन्द शर्मा : वे विभाग के लिये कह रहे थे, अधिकारियों के लिये कह रहे थे मंत्री महोदय के लिये नहीं कहा....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बातें न करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : × × ×

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

अंकित न हो।

आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

मैं आपको नाम से सम्बोधित करूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

आप पाइंट आफ आर्डर किस रूल के तहत रेज कर रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : 271 के अन्दर....

श्री सभापति : कोई रूल नहीं है 271 में।

(रात्रि 7.52 बजे)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री मोहनलाल मोदी : मेरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है वहां अस्पतालों की कोई व्यवस्था नहीं है कोई भी आदमी बीमार हो जाय तो वह 30-40 किलोमीटर ले जाते हैं रास्ते में ही वह खतम हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, साम्बलपुर थम्वाण ऐसी जगह है जहां हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई है किन्तु लम्बे अर्से से बार-बार निवेदन करने पर भी आज तक वहां हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हुई है। पिछले साल काफी अस्पताल खुले हैं लेकिन मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र का नम्बर नहीं आया। नीम का थाना के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, नीम का थाना में काफी बरसों पुराना एक अस्पताल था, जनता पार्टी की सरकार आई वहां के सूर्य नारायण चौधरी उद्योग मंत्री बने और उनकी कृपा से वह पी. एच. सी. में कन्वर्ट हो गया। उसको वहां से हटा लिया गया, वहां से ले

× × × माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मोहनलाल मोदी)

गये। मैं निवेदन करने जा रहा था कि वहां पर अस्पताल की सैंक्शन दें। पी. एच. सी. सिरोही में एक डाक्टर लगा रखा है लेकिन डाक्टर उपलब्ध नहीं होते। नीम का थाना में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की जो बिल्डिंग बनी हुई है वह 10 साल से बनी हुई है लेकिन वहां पर अभी तक मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की सैंक्शन नहीं दी गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी सैंक्शन दें....

(व्यवधान)

कोई बात नहीं अगर मंत्री महोदय चले गये, रिकार्ड हो जायगा, मंत्री महोदय को थोड़ा डर था इसलिए वह निकल गये। मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि दरीबा में अस्पताल होना चाहिये। आज जहां डाक्टर्स हैं उन डाक्टर्स के व्यवहार में कितना बड़ा अन्तर है। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में मोबाइल सर्जिकल यूनिट हैं, आप उन यूनिट्स को देखें यह यूनिट्स जहां कैम्प लगाती हैं उस क्षेत्र के लोगों को बड़ा आराम मिलता है। जो उन डाक्टरों की सेवा भावना है, स्टाफ की जो सेवा भावना है, अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे, मैं समझता हूं जो सही सेवा मरीजों को मिलनी चाहिये वह उस सर्जिकल यूनिट में देखने को मिलती है। मरीज के साथ जो व्यवहार होना चाहिये ऐसी सेवा भावना, मैं समझता हूं, आप किसी अस्पताल में जायं, नहीं मिलेगी। मैं निवेदन करना चाह रहा था हैड क्वाटर्स पर यदि यूनिट कम हैं तो आप दो-दो, तीन-तीन डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर उनका इंतजाम करें ताकि आम जनता को, गरीबों को सस्ता और अच्छा इलाज उन मोबाइल सर्जिकल यूनिट्स से मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा था कि बड़े से बड़े अस्पताल में अधिक से अधिक रुपये खर्च करके वह इलाज नहीं हो पाता जो मोबाइल सर्जिकल यूनिट में होता है। एक जगह का जिक्र मैं करने जा रहा था कि खून नहीं मिला तो एक डाक्टर ने अपना ब्लड देकर उस मरीज को बचाया। ऐसी भावना इस यूनिट के अन्दर है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, यदि यह पासिबल न हो तो दो-तीन डिस्ट्रिक्ट मिलाकर यूनिट्स कायम की जायं। अब मैं थोड़ा सा पे-क्लिनिक के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : उस इकाई की कोई शिकायत है वह सामने रखें, कोई समस्या है उसकी ?

श्री मोहनलाल मोदी : वह मेरी जानकारी में नहीं है। यह जरूर है कि ऐसे डाक्टरों और स्टाफ के लिये, जैसा अभी माननीय जोशीजी ने कहा था, गर्म वर्दी मिलनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को इस पर विशेष ध्यान देकर उन लोगों को विशेष पे, विशेष अलाउंस और उनके रहने की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिये। पे-क्लिनिक के बारे में निवेदन करना चाह रहा था। अध्यक्ष महोदय, पे-क्लिनिक से गरीब आदमी को लाभ नहीं है। आप पहले पे-क्लिनिक में नाम दर्ज कराइये, 8-10 दिन में नम्बर आये फिर वहां दुबारा जाकर मरीज को दिखायें।

(श्री मोहनलाल मोदी)

मेरी मान्यता है कि आप पे-क्लिनिक को बन्द कर दें, समाप्त कर दें। बड़ी बड़ी सिटीज जयपुर, जोधपुर में 50-100 मील दूर से जो मरीज को लेकर आते हैं वह पे-क्लिनिक में नाम दर्ज करायें, 15 दिन में उसका नम्बर आये तो उस मरीज की क्या हालत हो सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पे-क्लिनिक को आप समाप्त कर दें। इससे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिये मेरी मान्यता है कि पे-क्लिनिक लाभदायक नहीं है। मैं कुछ डाक्टर्स के बारे में कहना चाहता था। मेडिकल रिपोर्ट्स जो होती हैं, अध्यक्ष महोदय, मेडिकल रिपोर्ट्स जो डाक्टर देते है वह फाइनल होती हैं। मेरे सीकर में मीटिंग थी, विजिलेन्स कमेटी की, उसमें एक ग्रामीण आदमी की शिकायत आई कि गलत तरीके से मेडिकल करके केस दर्ज करा दिया। उसमें सी. एम. एच. ओ ने जवाब दिया कि, साहब, हमारे पास तो उसको चेंज करने का कोई अधिकार नहीं है। वह आदमी मेडिकल बोर्ड से जांच कराने के लिये पुलिस को लिखे, पुलिस मेडिकल बोर्ड से जांच कराये। मेडिकल बोर्ड के लिये वह लिखे, उस पर पुलिस उसको लिखे भी कि आप मेडिकल बोर्ड के सामने आइये लेकिन अगर वह आदमी गलत मेडिकल रिपोर्ट लेकर केस दर्ज कराता है तो वह आदमी पुलिस के सामने नहीं जायगा। पुलिस उसमें मजबूर हो जाती है। डाक्टर अगर सर्टिफिकेट दे दे तो उस पर उसी दफा के अंदर चालान करना पड़ता है और केस बनाना पड़ता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से जो इन डाक्टरों में भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के कारण आज आम आदमी परेशान है।

अध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार क्यों है? डाक्टर्स के ट्रांसफर में, उनकी पोस्टिंग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसके कारण से आज आम आदमी बहुत परेशानी महसूस करता है। मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं कि जैसलमेर के अंदर डा. बी. आर. भंडारी, कनिष्ठ विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सा मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं जबकि डाक्टर श्रीमती ओम प्यारी शर्मा उनसे वरिष्ठ हैं। यह जूनियर हैं और वह सीनियर हैं। सीनियर आदमी जूनियर का काम करे, आप बतायें यह किस प्रकार की व्यवस्था है। इस आधार पर हम कहें कि इसमें भ्रष्टाचार है तो मानना पड़ेगा। आखिर ऐसे क्या कारण हैं एक जूनियर आदमी को आप सीनियर की पोस्ट पर बिठा दें और सीनियर आदमी जूनियर पोस्ट पर रहे और उनको आप इन्चार्ज नहीं बनायें तो यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? इस पर ध्यान दिया जाय, मंत्री महोदय, इसका क्या कारण है? डा. बी. आर. भंडारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी आपने लगा रखा है, जबकि डी. पी. सी. द्वारा उनका प्रमोशन डा. श्रीमती ओम प्यारी के बाद किया गया है। आप अपने जवाब में इसका उत्तर देंगे।

आखिर में, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरे क्षेत्र में, जहां मैंने आपको बताया है उन जगहों पर, जहां हॉस्पिटल्स की व्यवस्था नहीं है वहां व्यवस्था

(श्री मोहनलाल मोदी)

करायें और राजस्थान की जनता को, गरीब जनता को लाभ देने के लिये हॉस्पिटल्स की व्यवस्था में सुधार करायें । मेडिसन्स का बजट आपके पास है इसलिये दवाइयां आम गरीब लोगों को मिले ऐसी व्यवस्था करें। आपको दवाइयां मिलती हैं, उनका बजट सैंक्शन होता है । एक्स-रे मशीन खराब पड़ी हैं, पिछली बार जवाब दिया था कि में एक्स-रे प्लेट होते हुये रिफ्यूज कर देते हैं, वह बाजार से खरीदनी पड़ती है। इस तरह की जो बातें हैं उन पर आप विशेष ध्यान दें। यह सेवा का काम है, लोगों की सेवा करिये, लोगों की सेवा करेंगे तो लोगों का आर्शीवाद मिलेगा, नहीं तो आप यह समझिये कि जैसे पहाड़िया जी चले गये वैसे महोदय आपके जाने का नम्बर भी आ जायगा ।

श्री मांगीलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, आपके आसन पर आने से पूर्व माननीय सदस्य ने खुले तौर पर मंत्री जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया या तो कार्यवाही से हटा दिया जाय उस को....

श्री अध्यक्ष : वह अब अवसर चला गया इसलिये पुनर्विचार कैसे किया जाय । श्री माधवसिंह दीवान ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): अध्यक्ष महोदय, सुबह से ही जब डिबेट शुरू हुई है, मंत्री जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जा रहे हैं। सही बात यह है कि मारवाड़ी में कहावत है : "दूखे कठे बतावे कठे" । जिन माननीय सदस्यों के मंत्री महोदय ने काम नहीं किये, नाराजगी उस बात की थी । और लगा दो भ्रष्टाचार के आरोप, यह इतना आसान काम है और यहां प्रिविलेज आपने ऐसा दिया हुआ है

श्री अध्यक्ष : आप तो इसमें निष्पक्ष हो ना ?

श्री माधवसिंह दीवान : बिलकुल । मैंने तो मंत्री महोदय से आज तक एक भी ट्रांसफर नहीं कराया ।

श्री मोहनलाल मोदी : जितनी आपने लिस्ट दे रखी है उसको कराना चाहते हैं ।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी समस्या है परिवार नियोजन की । जन संख्या बढ़ती जा रही है, हमारा विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है । कुछ बजट खर्च करते रहते हैं । यह समस्या शुरू कब से हुयी ? यह समस्या पिछले 15-20-25 साल से शुरू हुई उससे पहले हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति थी तब यह परिवार नियोजन की समस्या कभी खड़ी नहीं हुई क्योंकि आदमी को बचा नहीं सकते थे, कहते थे आदमी कोई बचता है क्या । जब आदमी बचता ही नहीं था तो समस्या खड़ी ही नहीं हुई । जब से एलोपैथी आई है आदमी बचने लगे हैं और तब से यह समस्या बढ़ गई । सबसे पहले मेरा निवेदन है....

श्री दाऊदयाल जोशी : सरफा से कितनी डैथ हुई हैं ?

श्री माधवसिंह दीवान : सबसे पहले मेरा निवेदन है कि जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा हम लोग टैक्स के रूप में लेते हैं यह पिंजरापोल चलाने के लिये तो नहीं लेते हैं, जब आयुर्वेद चिकित्सा से कोई आदमी ठीक नहीं होता है, आप गांवों में जाकर देख लीजिये, फिर इस डिपार्टमेंट पर यह फालतू पैसा लगाने से क्या लाभ है ? आप हमारे गांव में पधारिये वैद्यों के पास, वह वैद्य 6-6 साल पढ़ाई करके भी कुनैन की गोलियां और सुइयां लगाते हैं। उनको खुद को आयुर्वेद चिकित्सा पर विश्वास नहीं है तो यह सरकार और कम से कम अधिकारीगण तो इस बात पर विचार करें। मंत्री महोदय, जब वैद्यों को विश्वास नहीं है, इस चिकित्सा पर जो 6-6 साल पढ़ाई करते हैं....

श्री अध्यक्ष : मरीज को विश्वास नहीं होता, इसलिये मरीज को राजी करने के लिये वह दवाइयां देते हैं।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, यह च्यवनप्राश वगैरह, दाऊ दयाल जैसे मोटे और ताकतवर बनना हो उसके लिये ठीक है, बाकी आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, गांव में कितने आयुर्वेद चिकित्सालय खुले हुये हैं एक भी काम का नहीं है, सारे के सारे अंग्रेजी दवाइयां बेचते हैं और स्वेत चटनी अपने घर वालों को या इधर-उधर भेज देते हैं। इधर कहते हैं, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, डाक्टरों की कमी है और उधर कहते हैं बजट नहीं है। आयुर्वेद की जो पुरानी पद्धति है वह पिछले वैदिककाल से चली आ रही है, कई नयी चीजें आ गई हैं अभी तक इस धंधे को क्यों रगड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जब चिकित्सा पद्धति नहीं है तो आयुर्वेद और होम्योपैथिक के लिए हमारे गांव वाले कहते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय दाऊदयाल को बाद में बोलना चाहिये था।

श्री माधवसिंह दीवान : होम्योपैथी चिकित्सा मीठी गोलियों का शफाखाना है। इसलिये आजकल गांवों में इसकी जरूरत नहीं है और इसे शहरों में ही रखो। हमारे यहां फालतू अहसान मंत्री महोदय थोप देते हैं कि अस्पताल खोल दिया है। हमारे यहां उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो मेहरबानी करके आयुर्वेद की शहरों में जरूरत है, वहां रखिये और गांवों में नर्स ही भेजो तो हम राजी हैं लेकिन वैद्यों को नहीं।

श्री अध्यक्ष : वैद्य बीमार हो जायं तो कौनसी दवाई लेते हैं ? कुछ जानकारी हैं, एलोपैथी वाली लेते हैं या आयुर्वेद वाली ?

श्री माधवसिंह दीवान : हमारे यहां तो खराब से खराब कैसी भी बीमारी हो, कम्पाउंडर की कीमत ज्यादा है बनिस्पत इन वैद्यों के। यदि 10-10, 15-15 दिन तक इलाज नहीं हो, गांव का मजदूर कितने दिन बैठा रहेगी, मलेरिया हो कुनैन की गोली दो ठीक हो जायगा या दस्त लगे तो एक गोली दो ठीक हो जायगा। इनके पास क्या इलाज है जो छोटे-छोटे रोग हो रहे हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी : एलोपैथी का रिएक्शन होता है। जो साइटिका बीमारी

(श्री दाऊदयाल जोशी)

आजकल पैदा हुई है, वह एलोपैथी की दवाई लेने से हुई हैं। एन्ट्रावायोफार्म के कारण यह आम बात हो गई है। सारी बीमारियों की जड़ ही एलोपैथी है।

श्री माधव सिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आप हमारे यहां पर उनके क्षेत्र की डिस्पेन्सरीज रख दीजिये और हमारे क्षेत्र के जो आयुर्वेदिक अस्पताल हैं वह आप उनके क्षेत्र में भेज दीजिये, हमें कोई एतराज नहीं है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, परिवार कल्याण या परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में मेरा यह निवेदन है कि आज तक इसमें कहां पर कमी रही इसके लिये मेरे ख्याल से इसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है। सरपंचों को, प्रधानों को और हम लोगों को इसमें कभी भी इनवाल्व नहीं किया गया है। हमारा इसमें कोई मतलब ही नहीं रहा। हमारे यहां पर आपरेशन हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो ठीक है। अध्यक्ष महोदय, आज जनसंख्या बढ़ रही है वह तो ठीक है लेकिन उसके लिये आप ऐसे कार्यक्रम बनावें जिसमें आप हम लोगों को इनवाल्व करें। आप हम लोगों को इनसेन्टिव्स दीजिये। आप कोई न कोई ऐसा टार्गेट फिक्स करें कि आपकी पचायत समिति अगर सबसे ज्यादा आपरेशन करायेगी तो हम पंचायत समिति को यह इनसेन्टिव देंगे आप यहां पर ज्यादा डिस्पेंसरीज खोलेंगे, या ज्यादा स्कूल खोलेंगे या ज्यादा सड़कें आपकी पंचायत समिति में बनायी जायेंगी। यह तो हो ही दूसरे, जो हमारे वार्ड पंच हैं, सरपंच हैं और प्रधान हैं अगर उनकी पंचायत समिति ज्यादा कामयाबी हासिल करती है तो आप उनको दूसरी जगह घुमाइये, उनको यात्रा कराइये। अपने यहां से दूसरे प्रदेशों को भेजिये ताकि उन लोगों को भी पता पड़े कि वहां इस प्रकार का काम हुआ है। हमें उन्हें यह कहना चाहिये, भाई, अगर आप हमारा यह काम करोगे तो आपको यह फायदा होगा। आप ऐसा करोगे तो हम लोगों में इन्ट्रेस्ट पैदा होगा। आप कम से कम कोई टार्गेट अचीव करने के लिये कहें। आप हमारा दायित्व तो वहां रखें। नहीं तो होता क्या है कि आपके नर्स या कम्पाउन्डर्स वहां पर चले जाते हैं और एक सब सैन्टर खोल कर फिर-फिरा कर आ जाते हैं। पता नहीं, कैसे आपने यह किया। खैर, इस तरह से इस बार मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी। मेरा ख्याल है शायद यह पहली बार है जब कि पिछले दस सालों में राजस्थान ने सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट के द्वारा जो टार्गेट दिये गये थे उनको अचीव किया है। इस बात के लिये तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, राजस्थान ने पिछले 15 वर्षों में पहली बार अपने टार्गेट ही पूरे नहीं किये बल्कि उससे और आगे बढ़ गया है। इससे कुछ नहीं होने का क्योंकि जब तक हमारे इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं लिया जायगा तब तक यह पूरी तरह से लागू नहीं हो सकेंगे। इसलिये इनके लिये आपको कुछ न कुछ इनसेन्टिव देना होगा। जब तक यह नहीं करेंगे तब तक आपके कार्यक्रम तेजी से लागू नहीं हो सकेंगे। आप अस्पतालों मे फ्री दवाइयां देते हैं। मैं मेरे तजुर्बे से कह सकता हूं कि जो

(श्री दाऊदयाल जोशी)

दवाइयां मिलनी चाहिये वह दवाइयां अस्पतालों में नहीं मिलती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब आप अस्पतालों को दवाइयां मरीजों को देने के लिये देते हैं और वह उनको नहीं मिलती हैं तो आपको चाहिये कि यह फ्री दवाई देने की व्यवस्था को बन्द कर दें। आज आप गरीबों के लिये एक्स-रे की फैसेलिटी हास्पिटल में देते हैं लेकिन वहां पर एक्स-रे प्लेट्स आज तक उनको नहीं मिलीं। मेरा यह निवेदन है कि आप एक्स-रे प्लेट आन कास्ट खरीदने की व्यवस्था करवा दें। इससे यह होगा कि अगर कोई बाहर से एक्स-रे करवा कर आता है तो उसके 15 रुपये लगते हैं। अगर आप आन कास्ट प्लेट देकर एक्स-रे करेंगे तो उसको कम से कम दस रुपये का फायदा होगा। नहीं तो होता क्या है कि डाक्टरों के पैसे बंधे हुए होते हैं। डाक्टर यह कह देते हैं कि यहां पर एक्स-रे मशीन खराब है या कह देते हैं कि प्लेट नहीं है। वह बाहर से एक्स-रे करवाने के लिये कह देते हैं। वह लोग उनसे कमीशन लेते हैं। अगर आप आन कास्ट देने की व्यवस्था करवा देंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। लोग आन कास्ट खरीद कर अपना एक्स-रे करवा लेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था करने से यह भाई भतीजावाद जो वहां पर हो रहा है, वह भी नहीं होगा। इसी प्रकार दवाइयों के लिये निवेदन करना चाहता हूं। आपके हास्पिटल में ऐसी दवाइयां होनी चाहिये, जैसे टिन्चर है, पट्टी है। बाकी दवाइयां तो बेचारे गरीब लोगों के हाथ में आती ही नहीं और यह आपका दवाइयों का बजट बिलकुल ही बेकार जाता है।

तीसरा, मुझे जो अर्ज करना है वह यह है जैसे कि आपने हैल्थ इन्श्योरेन्स स्कीम मजदूरों के लिये चालू कर रखी है वैसी स्कीम आप गरीब वर्ग के लोगों के लिये चालू कर दें, ताकि जो आदमी महीने के पैसे जमा करवाना चाहे वह अपने परिवार के लिये पैसा जमा करा दे और फिर हैल्थ इन्श्योरेन्स स्कीम के तहत उसके परिवार वालों का इलाज होता रहे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हैल्थ इन्श्योरेन्स स्कीम के तहत पैसा जमा कराने को तैयार हैं। इसके अलावा मुझे निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय, आज आपके चिकित्सा विभाग में बहुत से डिप्टी डाइरेक्टर और एडीशनल डाइरेक्टर की पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। इस प्रकार पिछले 6 माह से जो पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं उन को आप या तो अबालिश कर दें या भरें। आपका उनको खाली रखने का मकसद क्या है ? मेरा मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से यही निवेदन है कि आप जब अपना उत्तर दें तो इन बातों का उत्तर जरूर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री माणकमल मेहता।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की मांगों पर कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गये हैं उन पर मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने काफी अच्छे सुझाव दिये। अभी माधवसिंह जी ने परिवार कल्याण के लिये अच्छे सुझाव

(श्री माणकमल मेहता)

दिये। मैं भी कुछ विशेष बातें आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। आज राष्ट्र स्वतन्त्र है। स्वतन्त्र राष्ट्र में हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता है। यह सर्व विदित बात है और इस बात को सभी जानते हैं कि एलोपैथी की चिकित्सा की पद्धति आज बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज उसमें कई इन्वेन्शन्स हो चुके हैं और मनुष्य को मरने से रोका जा रहा है। यह सही है कि आबादी बढ़ रही है। जब आबादी बढ़ती है तो निश्चित रूप से उसके लिये परिवार नियोजन की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसका उपयोग करना पड़ेगा। इस विषय के अतिरिक्त वर्तमान में राजस्थान के हास्पिटल्स में जिस प्रकार की अव्यवस्था है उसके विषय में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिये मुख्य मन्त्री जी और चिकित्सा मन्त्री महोदय के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि पाली का मुख्यालय पाली है, इस साल से वहां के हास्पिटल को आपने 300 बैडेड हास्पिटल कर दिया। विशेष रूप से वहां के नागरिकों को जो सुविधा मिलेगी उससे उन लोगों के द्वारा आशीष भी दी जायगी। इसके साथ ही बांगड हास्पिटल में जो काम्पलेक्स बने हुए हैं उसमें टी. बी. का काम्पलेक्स है और हास्पिटल इट सैल्फ है। हास्पिटल की जो बिल्डिंग है वह डोनेशन से बनी हुई है, उस पर 30 लाख रुपये का खर्चा हुआ है। सरकार ने यह बहुत बड़ा काम किया कि यह जो पहले 50 बैडेड हास्पिटल था उसको 300 बैडेड हास्पिटल कर दिया। विशेष रूप से यह देखा गया कि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ करने के लिये, अपने आपको स्वस्थ रखने के लिये और बीमारी के इलाज के लिये हास्पिटल जाता है तो वहां का जो एटमासफिअर होना चाहिये वह बहुत शुद्ध वातावरण होना चाहिए। लेकिन जब हम वहां जाते हैं, मैं पाली के हास्पिटल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं वहां पर आपने जिस प्रकार से दवाइयों पर खर्चा किया है उसके अनुरूप सफाई के लिये राशि खर्च नहीं की है। हास्पिटल में गन्दगी रहती है। स्पेशली मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लेबेट्रीज और लेट्रिन्स हैं, वह बहुत ही गन्दी है। जो वार्ड्स हैं उनमें हालत यह है कि जो बीमारी को दूर करने के लिये बीमार जाता है वह वहां पर जाकर दूसरी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। वह एक मर्ज से ठीक न होकर दूसरी बीमारी से ग्रसित होकर वहां से निकलता है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्रत्येक हास्पिटल के लिये जो बजट एलोकेशन करते हैं उसमें स्पेसिफिक राशि सैनीटेशन के बारे में रखें जिससे वहां सफाई रह सके। किसी भी हास्पिटल में आप चले जाइये, आप देखेंगे कि जनसंख्या के साथ-साथ मरीज भी बढ़ रहे हैं। मरीज जब ज्यादा तादाद में आते हैं तो जहां पर 60 और 45 बैड्स की कैपेसिटी है वहां पर 70-80 लोग भर्ती हो जाते हैं तब उनके बैड्स साफ नहीं होते हैं। क्यों नहीं उनको धुलवाया जावे, प्रापरली वाश कराया जावे ? वाशरमैन और स्केवेन्जर्स की बहुत

(श्री माणकमल मेहता)

ज्यादा उपयोगिता होनी चाहिये। उनकी ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिये। सी. एम. एण्ड एच. ओ. हो या जो इन्चार्ज डाक्टर हो उसको देखना चाहिये नियमित रूप से या किसी डाक्टर की ड्यूटी इस बात के लिये लगनी चाहिये कि स्वच्छता है या नहीं। वहां का प्रांगण बहुत गन्दा रहता है। उसकी स्वच्छता के लिये जो वहां पर स्केवेन्जर्स और स्वीपर्स हैं, जो वहां पर काम करने वाले फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स है उनको कहा जाय तो वह भी वहां पर समय पर नहीं आते हैं। इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, खास तौर से पाली के हास्पिटल, जिसको आपने अपग्रेड किया है, के लिए आप सीनियर डाक्टर्स दें और सीनियर स्पेशलिस्ट डाक्टर्स हमको देवें। इसके साथ साथ आप जो एलोकेशन आफ बजट करेंगे उसमें इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, जो कि एक रेफरल हास्पिटल टाइप होता है, में गांवों से और दूसरी तहसीलों से मरीजों को रेफर करके भेजा जाता है। वहां पर स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे। विशेष रूप से लेबेट्रीज और लेट्रिन्स और वार्ड्स में स्वच्छता रहे। वहां पर विशेष रूप से व्यवस्था की जाय इसके लिये फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स आपको ज्यादा देने चाहिये। एक वही नहीं बल्कि राजस्थान के सभी हास्पिटल्स में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिये।

आज हमारे राजस्थान में पैथालोजिकल और बायोकेमिकल और रेडियोलोजिकल प्रोग्रेस बहुत अधिक हो चुकी है। उसके स्पेशलाइजेशन के साथ साथ हमारे यहां पर इन्वेस्टीगेशन का काम डाक्टर लोग करते हैं। इसलिये जब तक हमारे पास पूरे उपकरण नहीं हों तब तक कोई इन्वेस्टीगेशन प्रापरली नहीं हो सकता है। एक मरीज की बीमारी का अगर आप सही निदान नहीं कर सकेंगे, तो मैं समझता हूं, आप एक बीमारी का इलाज नहीं करके दूसरी बीमारी का इलाज कर देंगे और असली बीमारी, असली मर्ज का इलाज नहीं होगा। इस प्रकार एक व्यक्ति की अमूल्य जीवन लीला समाप्त हो जायगी। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि जिन हास्पिटल्स को आपने अपग्रेड किया है या जिन हास्पिटल्स में उपकरण हैं उनको आप सम्पन्न बनाइये। उन उपकरणों के लिए विशेष रूप से यह देखना चाहिए कि उसके टैक्निशियन्स वहां पर प्रापरली हैं या नहीं हैं। टैक्निशियन्स के साथ साथ जो मशीनें वहां लगी हुई हैं वह प्रापरली वहां पर रखी हुई हैं या नहीं। हम अक्सर देखा करते हैं, एक्स-रे की बात जो अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कही, एक्स-रे प्लेट्स हास्पिटल्स में मिलती नहीं है। कीमत लेकर भी अगर एक्स-रे प्लेट्स मिलती रहें तो कोई हर्ज नहीं है। इसके अन्दर कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो एक्स-रे मशीन हैं वह तो कम से कम प्रापरली वहां पर रखी जानी चाहिए। वह मशीन खराब है तो उसको ठीक कराकर काम में लाया जाना चाहिए। मैं आप से निवेदन करूं कि पाली के हास्पिटल में एक्स-रे के लिए मरीज जाते हैं तो वह रेफर कर देते हैं, आप गांधी हास्पिटल चले जाइये, जोधपुर चले जाइये, हमारी एक्स-रे

(श्री माणकमल मेहता)

मशीन खराब पड़ी है। एक गांव का रहने वाला गरीब इन्सान जो बड़ी मुश्किल से एक डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल तक पहुंचता है वह कब तक जोधपुर जाकर बड़े हास्पिटल में किस प्रकार से अपना इलाज करा पायेगा। फिर वहां पर भी प्लेट्स नहीं मिले तो उसको प्राइवेट डिस्पेंसरी में या दूसरी जगह जाकर अपना एक्स-रे करना पड़ता है।

इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां कैंसर का कोई यूनिट नहीं है। मैंने सारा प्रतिवेदन देखा चिकित्सा विभाग का, बीकानेर में और जयपुर में कैंसर का यूनिट है उसके अन्दर डाक्टर्स हैं, मशीनें हैं, लेकिन रेडियोलाजी की जो मशीनें हैं या रेडियेशन के लिए जो मशीनें है वह प्रापरली वर्क नहीं करती हैं। ऐसे किसी भी यूनिट से कोई लाभ नहीं जिसे हम नाम के लिए रखें। आज कैंसर की बीमारी हमारे देश में काफी लोगों को है। यह असाध्य रोग है, जिसके लिए कई व्यक्तियों को तो बाम्बे टाटा हास्पिटल में जाना पड़ता है या बाम्बे हास्पिटल जाना पड़ता है। कैंसर का ट्रीटमेन्ट इतना कास्टली होता है कि हर आदमी आसानी से अपना इलाज नहीं करा सकता। मेरा निवेदन आपसे यह है कि बीकानेर में कैंसर का यूनिट है, जो कि गंगासिंहजी के वक्त में रखा गया था। कोबाल्ट थैरापी वगैरह की जो मशीनें हैं उन मशीनों के लिये प्रापरली डाक्टर्स वहां पर रहने चाहिए, मशीनों और उपकरणों को ठीक ढंग से काम में लाया जाना चाहिए। 30–30 और 40–40 लाख की मशीनें, जो राजाओं के वक्त में रखी गयी थीं, आज भी खराब पड़ी हुई हैं और प्रापरली वर्क नहीं करती हैं। उनमें कई उपकरण ऐसे हैं जो खराब हैं, उन उपकरणों को ठीक करके काम में लाया जाना चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करूंगा, जैसे कि राजस्थान के अन्दर कैंसर के ट्रीटमेन्ट के लिए मैंने कोबाल्ट थैरापी और रेडियोलोजी की बात कही परन्तु उसके स्पेशलिस्ट डाक्टर्स राजस्थान में नहीं हैं। इसलिये स्पेशलिस्ट डाक्टर्स को बुलाया जाना चाहिए। कैंसर में भी कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके स्पेशलिस्ट होते हैं। उन स्पेशलिस्ट डाक्टर्स में जैसे हेमाटोलोजिस्ट होते हैं, ब्लड स्पेशलिस्ट होते हैं। ब्लड कैंसर एक प्रकार का कैंसर होता है जिसको केवल खून की परीक्षा करके मालूम किया जा सकता है। इस कैंसर में कोई ट्यूमर नहीं होता या और कोई गांठ नहीं होती। उसका हेमाटोलोजी से ही इलाज हो सकता है। इस तरह के हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर्स यहां पर नहीं हैं या हैं तो उनकी पूरी काम्पीटेन्स नहीं है। काम्पीटेन्ट डाक्टर्स को कम से कम जयपुर, जो हमारी राजधानी है, में तो रखा जाना चाहिए।

इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पे-क्लिनिक वाली बात जो अभी कही गयी है उसमें मैं अपने शब्द मिलाकर आप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पे-क्लिनिक्स किसी काम के नहीं हैं। इनमें बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है। इसलिए पे-क्लिनिक बन्द करके डाक्टर्स को प्राइवेट प्रेक्टिस कम्पलीटली अलाउ की जानी चाहिए ताकि

(श्री माणकमल मेहता)

इसमें जो करप्शन है वह हमेशा के लिए समाप्त हो सके।

मैं इसके साथ ही साथ आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि दवाओं के लिए हमारे गवर्नमेन्ट एम्पलाइज को जो पैसा स्टेट की तरफ से दिया जाता है, मेडिकल रि-एम्बर्समेंट होता है वह रि-एम्बर्समेन्ट खतम हो जाना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा करप्शन है। इसमें तीन आदमियों को पैसा मिलता है, डाक्टर्स को, पेशेन्ट्स को और दुकानदारों को। यह तीनों मिलकर बिल्स बना लेते हैं, वह बिल किसी तरह से एनकेश हो जाते हैं और कई आदमी ज्यादा से ज्यादा पैसा जितना चाहे बटोर लेते है। यदि स्पेशल बीमारियां हो जैसे कैंसर है या और कोई बीमारी है जिसके लिए डाक्टर्स खुद कह दें कि इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है उसके लिए गवर्नमेन्ट रि-एम्बर्स करना चाहे तो वह दूसरी बात है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूगा कि रि-एम्बर्समेन्ट के बजाय उनको एक कन्सोलिडेटेड अलाउन्स दे दिया जाय। हर आदमी को पचास रुपया या सौ रुपया दे दें, वह बहुत बढ़िया रहेगा। इसके लिए एक कमेटी बैठा-दें या स्वयं मंत्री महोदय देख लें और इस पर विचार करें, मैं समझता हूं, यह बहुत आवश्यक है, इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। इसको हमेशा के लिए खतम किया जाना चाहिए। आप अपने आप देखो तो आपको पता लगेगा कि कितना पैसा सरकार का खर्च हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि आपके यहां केजुअल्टी वार्ड हैं उनमें हमेशा स्पेशलिस्ट डाक्टर नहीं मिलते। कोई एक्सीडेन्ट होता है और मरीज जाता है उस समय उसकी हालत ऐसी होती है कि वह मरणासन्न अवस्था में होता है। अगर अच्छा डाक्टर उसी समय अवेलेबल नहीं हुआ तो हम नहीं कह सकते कि वह कितने दिन जिन्दा रहेगा या कितने दिन नहीं रहेगा। इसलिए आपके बड़े हास्पिटल्स में, जहां स्पेशलिस्ट डाक्टर्स है, चाहे जूनियर स्पेशलिस्ट हो चाहे सीनियर स्पेशलिस्ट हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे रीडर हो और चाहे लेक्चरार हो, आपको रोजमर्रा 7 दिन में एक दिन ऐसे आदमी की ड्यूटी रखनी चाहिए ताकि वह अवेलेबल हो सके। वह वहां पर चौबीस घन्टे नहीं रह सके, 12 घंटे नहीं रह सके तो कम से कम इस तरह का नियम बना दिया जाय कि छोटा डाक्टर इमीडियेटली केजुअल्टी आते ही बड़े डाक्टर को बुला सके और उसको अटेण्ड कर सके। वरना हमने देखा है कि कई बार ऐसे एक्सीडेन्ट्स में कई मनुष्यों की जान इसलिए चली जाती है कि उनको प्रापर डाक्टर अटेण्ड नहीं कर सकता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो इन मांगों के ऊपर बोलने का मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यह निवेदन करता हूं कि जो मैंने सुझाव आपके समक्ष रखे हैं उनके ऊपर ध्यान देने की कृपा करें।

एक मैं यह कहना चाहता था कि एन्टी-रेबिक इन्जेक्शन्स आज नहीं मिलते हैं, उनकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। यह एक ऐसा मर्ज है जब एक कुत्ता काटता है हड़क्या होने के बाद तो उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। आप उन कुत्तों,

(२४९)

(श्री माणकमल मेहता)

जो स्ट्रीट डाग्स हैं, को म्युनिसिपेलिटीज के मार्फत समाप्त करने की कोशिश करें और समाप्त नहीं कर सकते हैं तो एन्टीरेबिक इन्जेक्शन इमीडियेटली अवेलेबल होने चाहिए उनको रखने के लिए जो रेफ्रिजरेटर्स होने चाहिए वह कई हास्पिटल में नहीं होते। हर हास्पिटल में रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। मै इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करता हूं कि हास्पिटल में जहां अच्छे डॉक्टर्स ला रहे है वहां सफाई की, स्वच्छता की, प्रिवेन्शन की बात को भी ध्यान में रखते हुए इसके लिए बजट का एलोकेशन करें। आप इस पर ध्यान दें, इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मै आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग नम्बर....

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि हमारे दल से किसी भी सदस्य को आज के वाद विवाद में बोलने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अवसर दे दूंगा। अभी कोई समय समाप्त थोड़े ही हुआ है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर चर्चा चल रही है। मैं आपका और आपके जरिये मंत्री महोदय का ध्यान ग्रामीण इलाके की तरफ दिलाता हूं। एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि हमारे पास डाक्टर अवेलेबल नहीं हैं और दूसरी तरफ डाक्टर्स पास होकर डिग्री लेकर मारे मारे फिरते हैं। एक तरफ तो डाक्टर बेकार बैठे हैं और दूसरी तरफ जो गांव में जनता है वह परेशान है। इस सरकार की नीति डाक्टर और मरीज को मिला नहीं सकती है।

श्री अध्यक्ष : यह पूंजीवाद का दोष है।

श्री मेघराज तावड़ : यह पूंजीवाद का दोष है, सही है यह, अध्यक्ष महोदय। आप तो बिलकुल प्रोग्रेसिव हैं, मैं जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की जो नीति है वह डिफेक्टिव है। ज्यादातर शहरी इलाके में या जहां बड़े कस्बे हैं वहां तो आप ध्यान देते हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है, खेद है इस बात का कि आज 35 साल की आजादी के बाद भी हम लगातार ग्रामीण इलाके और आदिवासियों की बात करते है, लेकिन टोटल आदिवासियों का इलाका है उस इलाके में, अध्यक्ष महोदय, आज तक सड़कें नहीं हैं। सड़कें नहीं होने की वजह से न डिस्पेन्सरी खुलेगी न आयुर्वेदिक औषधालय खुलेंगे। अध्यक्ष महोदय. मेरे इलाके से मैं कहीं जा रहा था, 20 माइल पर एक डैथ हो गई। उसका पोस्ट मार्टम करने के लिए

(श्री मेघराज तावड़)

झाडोल गांव, जो तहसील से लगा हुआ है, में डाक्टर नहीं जा रहा था तो 20 माइल से उस लाश को उठाकर गोगुन्दा लाना पड़ा। महिलाओं की प्रसूती के लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं है, आस पास में कोई व्यवस्था नहीं है। डाक्टर के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में डैथ हो जाती है। ऐसे कई केसेज हो गये हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मै चाहूंगा मेरे इलाके में नहीं हो तो कोई बात नहीं किन्तु आप बिना भेदभाव के.. ....

श्री अध्यक्ष : मेरे इलाके में काफी खाली पड़े हैं।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, यह हकीकत है। जो कांग्रेसी इलाका हो वहां व्यवस्था पूरी नहीं हो, ऐसी बात नहीं है लेकिन ग्रमीण इलाकों की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, ग्रामीण इलाकों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जब से मैं चुन कर आया हूं दो साल से एक रेफरल हास्पिटल के लिए लिखा है। कुछ हमारे व्यापारियों ने 85 हजार रुपया खर्च कर दिया बिल्डिंग बनाने के लिए लेकिन गत वर्ष देवपुरा जी स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने कमेन्ट मांगे थे उस पर डिपार्टमेंट ने मजबूरी जाहिर कर दी कि वहां नहीं खोला जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, वहां न खोलें लेकिन कितना डिस्टेन्स है, शहर से आस पास के इलाके कितने लम्बे है और आस पास में कितनी किस तरह की पापूलेशन है वह देखें। जो गरीब आदमी, आदिवासी इलाके में रहते हैं, अध्यक्ष महोदय, वह शहर में नहीं आ सकते हैं। शहर में आते भी हैं मुश्किल से तो उनकी बड़ी दुर्गति होती है। मैं राजनेता नहीं हूं मैं समाज सेवी हूं। जिस हालत में वे आते हैं चाहे वे मर रहे हों लेकिन डाक्टर पैसे लिए बिना भर्ती नहीं करता है। पहले तो भर्ती होने के लिए डाक्टर को पैसे दो और उसके बाद जो वहां पर चौकीदार बैठा हुआ है या चपरासी है, वह कहता है दो रुपये मेरे लाओ। इस तरह बड़ी मुश्किल से अस्पताल तक पहुंचते हैं और बिना पैसे भर्ती नहीं किये जाते हैं। और भर्ती भी हो गये तो दवाओं के लिए पैसे नहीं होते हैं। ऐसी दुर्गति होती है। गरीब आदमी की हालत इतनी बदतर है जो देखी नहीं जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय कम है इसलिए एक सुझाव के तौर पर भी समझिये और समस्या की दृष्टि से भी समझिये। अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर के टी. बी. क्लिनिक की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि कभी भी अचानक दौरा करिये। बिना पैसे लिये वहां कोई काम नहीं होता है। खाने की कमी, स्वच्छता की कमी किन्तु उस ओर कोई ध्यान नहीं रखा जाता है।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हास्पिटल की यह हालत है कि मक्खियां भिनभिना रही है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है और न कभी फिनाइल डाली जाती है हास्पिटल में। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री मेघराज तावड़)

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं अचानक आप दौरा करिये और चैक करिये। आप देखेंगे कि लेट्रिन भरी पड़ी है, पानी नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इलाज के लिये जाएं तो उसको दूसरी बीमारी लगेगी। अध्यक्ष महोदय, बिना पैसे लिये भर्ती नहीं किया जाता है और दवाइयां तक नहीं दी जाती है। मैं उदयपुर के टी. बी. क्लिनिक के बारे में कहता हूं, आप कभी भी दौरा करिये। मैं इस तरह एक एक बात को कह कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन आप जानते हैं, हर जगह यह हालत है। मैं यह मानता हूं आपके उदयपुर में और गांवों में या दूर दराज में कोई चैक नहीं कर सकता है लेकिन जयपुर तो राजस्थान की राजधानी है, नाक के नीचे है, स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूंगा कि कभी जाकर टी. बी. क्लिनिक में देखें। अध्यक्ष महोदय, बड़ा ताज्जुब होता है, मैं भी एक बार गया था, वहां पानी नहीं है। वहां और कोई व्यवस्था ढंग की नहीं है। चार घंटे पानी आता है और बन्द हो जाता है। यह अभी अभी का फोटो है, अध्यक्ष महोदय, जो अखबार में भी छपा है। वहां के मरीजों ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम मुख्य मंत्री जी के नाम, 8 नाम मरीजों के हैं, से 8 मिसाल भ्रष्टाचार की दी हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने भेजी नहीं होगी आगे। शायद आपने अपने पास ही रख ली।

श्री मेघराज तावड़ : यह तो मेरी है, वह तो दूसरी कापी है। अध्यक्ष महोदय, पैसों के लालच से बीमार भर्ती होते हैं। जितने दिन तक स्वास्थ्य सुधार नहीं हो तब तक छुट्टी नहीं दी जानी चाहिये लेकिन पैसा लेकर भर्ती किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं फोटो स्टेट कापी है। 20 तारीख को मोहन सिंह भर्ती हुआ और 24-2-82 को उसकी छुट्टी कर दी जाती है। टी. बी. का मरीज है और थोड़े दिन रह कर फिर से भर्ती होना पड़ता है। इस तरह की जहां व्यवस्था हो, टी. बी. के मरीज के साथ यह हालत हो तो ध्यान दीजिए मंत्री जी और आपके अधिकारियों को कहिये, उन्हें ऐसे निर्देश दीजिये, एक आदमी के पास खून नहीं, उसका कलेजा चीर कर खा गये और रहा सहा खून है उसको भी पी जाना चाहते हैं। उसकी लंगोटी है वह भी डाक्टर छीन लें, ऐसी व्यवस्था मत कराइये।

मैं तो कभी अन्दाज नहीं लगा सकता हूं जब तक समाजवादी व्यवस्था लागू नहीं होगी तब तक इन गरीबों का कहीं कोई भला नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, अभी जो कहा गया कि जो डायग्नोसिस होता है हास्पिटल में वह एस. एम. एस. हास्पिटल में न होकर जो प्राइवेट क्लिनिक लगे हुए हैं उनमें होता है क्योंकि वहां के डाक्टर का उसमें हिस्सा है, कमीशन मिलता है इसलिए डायग्नोसिस बाहर करवाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कम से कम हमारी राजधानी का जो बड़ा अस्पताल है वहां तो ऐसा न किया जाय। इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि आप नेकी को बदलिये। मैं उदयपुर के जनरल

(श्री मेघराज तावड़)

हास्पिटल की बात कहूंगा और जगह की भी होगी, मुझे और जगह का तो मालूम नहीं है वहां एक डाक्टर आज लग रहा है वह जब से अपाइन्ट हुआ तब से रिटायरमेंट होने तक वहीं आस पास घूम रहा है। तीन साल में डाक्टर को चेन्ज करते हैं तो उसका तबादला करिये लेकिन मैं जानता हूं जैड एण्ड जैक में आदमी वहां चला जाता है, आपकी पालिसी ही यहहै। तो मेहरबानी करके जैड एण्ड जैक के चक्कर में आप न फंसे। सही माय्ने में गरीब आदमी को फायदा पहुंचाना है तो जैड एण्ड जैक को खतम करना पड़ेगा और आपको भी इसका मोह तोड़ना होगा चाहे आपके भाई हो, और चाहे आपके पास जैक आता हो।

इस सम्बन्ध में मैं आयुर्वेद विभाग की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय माधवसिंह जी ने कहा, आयुर्वेद का डिपार्टमेंट है कहां? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आयुर्वेद में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं किन्तु आज गांवों में आयुर्वेद की कोई डिस्पेन्सरी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। आपको मालूम है, अध्यक्ष महोदय, पुराने जमाने में जब हम पढ़ते थे, हालांकि हम लड़ाई नहीं लड़ सकते थे फिर भी लड़ाई में अगर कहीं खून निकल रहा है तो इमीजियेट उससे खून रोका जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : वह आयुर्वेद नहीं है देसी है।

श्री मेघराज तावड़ : वह उसी से बनता है—जड़ी-बूटी से। तो अध्यक्ष महोदय, आज जितनी आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं वह उन जड़ी बूटियों से ही बनती हैं और ज्यादा फायदेमन्द होती हैं। हैल्थ के लिए नुकसान दायक नहीं होती है। आज एलोपैथिक की दवाइयां रि-एक्शन कर जायेंगी, आयुर्वेद की रि-एक्शन नहीं करेंगी। मैं नहीं कहता हूं कि हमें वैज्ञानिक तरीकों से आगे नहीं बढ़ना चाहिये लेकिन आयुर्वेद की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिये क्योंकि आज जितनी जड़ मूल से बीमारी को आयुर्वेदिक दवा नष्ट करती है वह शायद एलोपैथिक नहीं करती है। मैं तो चाहूंगा कि आपका जो आयुर्वेदिक शोध संस्थान है उस के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाना चाहिये। उसमें ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों की व्यवस्था और सुविधा दी जानी चाहिये ताकि कम से कम ये निकल कर ग्रामीण इलाकों में जायें। आज एलोपैथी का कोई डाक्टर नहीं जाता है लेकिन हर जगह आयुर्वेद के लोग तो मिलेंगे इसलिये ज्यादा बजट दिया जाना चाहिये और ज्यादा सुधार की तरफ ध्यान जाना चाहिये।

आज आयुर्वेद में जितने लड़के, लड़कियां पढ़ते हैं उनको नौकरी मिल रही है, यह कोई ज्यादा नहीं है। हम यह महसूस करते हैं पुराने समय की पद्धति के अनुसार ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं इसलिए इसको बराबर लिया जाना चाहिये। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेकर निवेदन करना चाहता हूं आयुर्वेद श्री धनवन्तरी सेवा

(श्री मेघराज तावड़)

समिति है। अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन भी किया था। उसे अनुदान दिया जाता है, डिपार्टमेंट की तरफ से इस ट्रस्ट में जो पैसा दिया जाता है उसका मिसयूज होता है। वहां पर वैद्य है। उस राजकीय वैद्य को ड्यूटी पर रहना चाहिए। वह वैद्य आज तक ड्यूटी पर नहीं रहता है और ड्यूटी पर बता दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, प्रमोशन मे भी इसी तरह की धांधलियां और अनियमितताएं हैं। 33 हजार रुपये का उन्होंने सोना खरीदा। जो अपने चहेते हैं उनको प्रमोशन दिया गया, सुपरसीड करके प्रमोशन दिया गया। एक व्यक्ति को, मैं नाम नहीं बताऊंगा, समझ जायेंगे आयुर्वेद के अधिकारी जो यहां बैठे हैं, 11 प्रमोशन एक साथ देकर नियुक्ति दी गयी जबकि उससे पहले अच्छे योग्य वैद्य वहां बैठे हुए हैं लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दी गयी। जब उसकी कम्पलेण्ट की तो उनको मारने की धमकी दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की जो अनियमितताएं हैं, वे दूर की जानी चाहिये। खास तौर से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं सेवा समिति के जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया है। इसलिये जो अनुदान, जो पैसा उनको मिलता है वह काटा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अब मेरे इलाके के लिए एक दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने रैफरल हास्पिटल के लिये पूर्व में भी कहा था, लास्ट ईयर भी कहा था। मैं चाहूंगा कि बिना भेदभाव किये जो आदिवासी इलाका है चाहे उदयपुर में हो, चाहे डूंगरपुर में हो, चाहे बांसवाड़ा में हो या मेरे इलाके में हो उनमें रैफरल हास्पिटल, पी. एच. सी. और डिस्पेन्सरी ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करिये। हमारे यहां सराड़ा तहसील में बड़ोदरा गांव है, वहां पर डिस्पेन्सरी खोलने की सेंक्शन हो गयी लेकिन राजनीतिक झगड़ों से कुछ लोग, कांग्रेस के ही दूसरे लोग हैं, खोलने नहीं दे रहे हैं। एक तो राम सिंह देवपुरा कह रहे हैं हम तो सराड़ा में ले जायेंगे, चावड़ में ले जायेंगे क्योंकि बड़े बड़े सेठ लोग रहते हैं, सेठ कहते हैं कि हम पैसा देते हैं इसलिये वहां डिस्पेन्सरी खोली जानी चाहिये। इस प्रकार जहां गरीब रह रहे हैं वहाँ से डिस्पेन्सरी हटाने को कार्यवाही की जा रही है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि नोट कर लें, बडोदरा गांव, सराड़ा तहसील में है उसके लिये डिस्पेन्सरी सेंक्शन हुई है। राजनीतिज्ञों की आपसी लड़ाई है। चावड़ में बड़े धनी लोग रहते हैं और चावड़ से दो किलोमीटर सराड़ा है वहां पर डिस्पेन्सरी है। चावड़ दो किलोमीटर दूर है और बडोदरा 14 किलोमीटर दूर पड़ता है। इधर जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब स्वास्थ्य के सम्बन्ध में थोड़ा सा और कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। स्वास्थ्य की

(श्री मेघराज तावड़)

दृष्टि से, सेनीटरी के लिहाज से देखें बीमारियां क्यों फैलती हैं। कभी सेनीटरी इन्स्पेक्टर जाकर चैक नहीं करते, मैं तो अपने यहां भी यह महसूस करता हूं कि ये चीजें वहां भी है। अध्यक्ष महोदय, एक बार उदयपुर में ठण्डी सब्जी दी थी उसमें बिच्छू निकला। वह तो देख लिया, उसे स्वास्थ्य विभाग को सौंपा लेकिन उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जहां सब्जी जैसी चीजें ठीक नहीं रहती है रात की बासी मिलाकर दे दी जाती है, यह विभाग की, हमारी कमजोरी है कि ऐसे मामलों में चालान नहीं करते है। छोटे-छोटे बच्चे है, अध्यक्ष महोदय, उनसे 8–10 घण्टे काम लिया जाता है। छोटे-छोटे बच्चे, जिनके हाथ सड़ रहे हैं, वो पानी पिलाते हैं। जो पीने वाले हैं, उनमें छुआछूत की बीमारी फैलती हैं। इस तरह सेनीटेशन पर खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस की व्यवस्था की जानी चाहिए, स्टेप लिया जाना चाहिए। जो छोटे बच्चे हास्पिटल में काम करते है, उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु बजारी।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आदरणीय स्वास्थ्य मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी ने....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात दूसरी है।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : हमारे ब्यावर नगर के अस्पताल को 'ए' श्रेणी में घोषित किया उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने 'ए' क्लास हास्पिटल तो डिक्लेयर कर दिया है लेकिन जैसे मुख्य मन्त्री सहायता कोष के अन्दर प्रावधान है कि 50 पर्सेन्ट राशि अगर वहां की जनता अस्पताल के निर्माण के लिए इकट्ठा करके देती है तो 50 पर्सेन्ट राशि मुख्य मन्त्री सहायता कोष से दी जाती है। उसके लिए मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे ब्यावर के अम्बेडकर अस्पताल के लिए ब्यावर नगर की जनता जब भी वार्ड वगैरह का निर्माण करे तब मुख्य मन्त्री सहायता कोष से अधिक से अधिक, जो भी उचित हो, अनुदान दिलाने की आप अवश्य कृपा करें। इसके साथ ही जो हमारे ब्यावर के अन्दर टी० बी० क्लीनिक है, उसके बारे में भी मैं निवेदन करूंगा। उस क्लीनिक के अन्दर कुछ वर्ष पूर्व 15-20 बैड थे लेकिन वे किसी कारणवश हटा दिये गये। ब्यावर एक मजदूर एरिया है और वहां टी० बी० के मरीज अधिक होते है इसलिए मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो 15-20 बैड्स हटाये हैं, उनकी व्यवस्था अवश्य करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री पचेरवाल।

आपकी, शिवदानसिंह जी की राय से तो हम परिचित हैं, मेडिकल विभाग के बारे

(246)

(श्री अध्यक्ष)

में। इसलिए मेरे ख्याल से कोई दूसरी बात हो तो ...

श्री शिवदानसिंह : एक मिनट।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की मांग के सम्बन्ध में मैंने भी अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैंने कटौती प्रस्ताव में अपने क्षेत्र की मांगों पर ज्यादा जोर दिया हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में तो हमको कहने की जरूरत इसलिए नहीं रही कि कांग्रेसी माननीय सदस्य ही हमसे 10 कदम आगे बढ़ गये हैं, जो हमारा काम है, वे कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उसके कारण तो दीवान साहब ने बता दिये।

श्री गोपाल पचेरवाल : अब उससे शिकायत नहीं है। ट्रान्सफर के बारे में ज्यादा नहीं कहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार सरकार को लिखित में भी आवेदन किया है कि सरकार की नीति यह हो कि ग्रामीण इलाकों में जहां पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, जो साधन हीन और अर्थहीन हैं उन लोगों को चिकित्सा सुविधायें अधिक उपलब्ध करायी जानी चाहिए। पैसे वाले, शहरी लोग, सम्पन्न लोग अपने साधनों से अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण बड़े शहरों में अपना इलाज करवा लेते है लेकिन गांवों के लोगों के पास न पैसा है, न शहर तक पहुंचने के साधन हैं, न सड़कें हैं, न गांव से शहर तक सड़कें हैं न और कोई सुविधा उनको मिली हुई है। मेरे क्षेत्र में, श्रीमन, एक बसवाड़ा गांव हैं। वहां पंचायत मुख्यालय है उस गांव से हमारे चिकित्सा कमिश्नर माननीय यतीन्द्रसिंह जी साहब अच्छी तरह परिचित है क्योंकि वे उसी इलाके में रहे हैं। श्रीमन्, वह ऐसा गांव है बरसात के दिनों में अगर कोई महिला प्रसव से पीड़ित हो और वहां उसका उपचार नही हो, उसको अगर राहत नहीं दो जाय और कोई व्यक्ति वहां के लाखेरी या केशोरायपाटन या कापरेन के अस्पताल तक लाने का प्रयास करे, तो मैं समझता हूं कि वह वहां तक नहीं पहुंच सकती। 10 किलोमीटर तक रास्ते में खाड़ में पानी भरा रहता है और शहर तक जाने के लिए अप्रोच नहीं है। मैंने निरन्तर प्रयास किया है कि वहां पर गांवों के लोगों में राजनीतिक मतभेद दूर हो। उन लोगों ने गलती की जो अपना मत देकर मुझे जिताया है। उसकी सजा उनको नहीं दी जाय क्योंकि उन्हें मत देने का अधिकार है। अगर आप इस राजनीतिक दुर्भावना से काम करेंगे तो चिकित्सा का जो पवित्र विभाग मानव जाति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिये है उसके द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाना एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैंने लिखित में भी निवेदन किया है और माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां नहीं है, मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा कि उस गांव में आप राजनीतिक मतभेद से दूर हटकर अगर छोटी सी चिकित्सा सुविधा भी नर्स वाली या एड पोस्ट वाली देकर, जिस भी तरह उचित हो, तत्काल राहत देने की दृष्टि से अगर वहां अस्पताल खोलेंगे तो उनके साथ न्याय होगा।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि केशोरायपाटन में, लाखेरी में जो हमारी डिस्पेंसरी हैं। लाखेरी में दो साल से लेडी डाक्टर का पद सृजित है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, श्रीमान्, आज वहां कोई लेडी डाक्टर की व्यवस्था नहीं है। लाखेरी ऐसी जगह पर है जहां से बूंदी जाना पड़े तो पचास किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा हमको कोटा जाना पड़ेगा तो 60-70 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। आज वहां पर महिलाओं के उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कई माननीय सदस्य, हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी बड़े आवेश में थे इन्दिरा गांधी का नाम लेने पर। आज आपको इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे देश की प्रधान मन्त्री एक महिला हैं लेकिन उस देश की एक महिला प्रसव पीड़ा से, गुप्त रोगों से, दूसरे रोगों से पीड़ित होकर मौत का शिकार हो जाती है, उस पर आप को गर्व महसूस होता है या अफसोस महसूस होता है? अगर आपको इन्दिरा गांधी पर गर्व महसूस होता है, देश की प्रधान मन्त्री महिला है तो जो महिलाएं चिकित्सा के अभाव में, महिला चिकित्सकों के अभाव में मौत की शिकार हो जाती है उस पर आपको शर्म आनी चाहिए। महिलाओं की चिकित्सा का, महिला चिकित्सकों की व्यवस्था करने का आपका नैतिक दायित्व है। आप गांवों में महिला चिकित्सकों की व्यवस्था करें। जहां पर महिला चिकित्सक नहीं हैं, जहां पर लेडी डाक्टरों की व्यवस्था नहीं है ऐसे गांवों में आप अपने और खर्चों में कटौती करके लेडी डाक्टर उपलब्ध करावें।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान, मेरे क्षेत्र के गांव में तहसील हैडक्वाटर है, कई अधिकारी वहां रहते हैं, गरीब लोग वहां रहते हैं। उस गांव में निरन्तर प्रयास करने के पश्चात् भी मैं अपने राज में असफल रहा। मेरे राज में तो मैंने इतना करवा लिया था, एक बार डेपूटेशन पर भेज दें, यह आदेश करवा लिए थे लेकिन ज्योंही राज परिवर्तित हुआ तो आदेश में भी परिवर्तन हो गया। वहां किसी भी स्थिति में आप एक लेडी डाक्टर की व्यवस्था कर दीजिए ताकि उनको कोटा जाने की, बूंदी जाने की दिक्कत नहीं हो। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किन कारणों से उस लेडी डाक्टर, जो डेपुटेशन पर वहां लगाई गई थी, को हटा दिया गया और क्यों नहीं वहां पर लेडी डाक्टर का पद सृजित किया जा रहा है? एक बार, दो बार तत्कालीन चिकित्सा मन्त्री के परिचित थे उनके द्वारा मुझको लिखा गया कि अविलम्ब व्यवस्था करा दी जाएगी, फाइनेन्स के अभाव में इस तरह का नहीं किया जा रहा है। बीच में हमने डाक्टर पी. सी. जैन और उनकी मिसेज को वहां लगवाया था लेकिन वे वापस चले गए। उसका कारण यह था कि जो वहां जिले के प्रभारी मन्त्री हैं वे नाराज हैं। नाराजगी यह थी कि जो उनकी प्रक्रिया है, पुराने काम करने के तौर तरीके हैं उनकी वह पूर्ति नहीं कर पाये इसलिये उनको हटा कर दूसरी जगह लगा दिया गया। यह तो कोई बड़ा दोष नहीं है कि उनकी इच्छाओं की

(श्री गोपाल पचेरवाल)

पूर्ति वे डाक्टर नहीं कर पाये। उनकी पुरानी इच्छाओं और पुरानी आदतों की पूर्ति नहीं कर पाये। इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना, वह तो डाक्टर की इच्छा पर है। हो सकता है कि उनकी आय के स्रोत बहुत ज्यादा नहीं जमते हो इसलिए मन्त्री जी की इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाये हो। लेकिन मन्त्रीजी की इच्छा की वजह से मेरे क्षेत्र की जनता को सजा भुगतनी पड़े तो मैं, श्रीमान्, मैं धरती का आदमी हूं। मन्त्री जी बीच में गए थे, पंडितजी, वहां पर डण्डे खाने पड़े तो भागना पड़ा है। ऐसी स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की दुर्भावना से अगर काम करेंगे तो कोई अच्छा नहीं होगा। जनता में रोष व्याप्त हो सकता है और जनता में रोष व्याप्त होगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप केशोरायपाटन जैसी जगह पर एक लेडी डाक्टर का पद सृजित करें और वहां अविलम्ब लेडी डाक्टर लगाने का कष्ट करें।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, श्रीमान, जैसा माननीय तावड़ साहब ने टी. बी. हास्पिटल के बारे में कहा है। यह एक नैतिक सवाल है, यह एक राजनैतिक सवाल नहीं है, दुर्भावनावश नहीं कहना चाहता हूं। माननीय तावड़ साहब ने यह भी कहा था कि वहां पर पानी का अभाव है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान्, जो मरीजों को रोटियां दी जाती हैं वह रोटियां मेरे पास हैं। आप उन उन रोटियों को अगर देखेंगे तो मैं समझता हूं किसी मन्त्रीजी के घर में कुत्ता भी होगा, किसी को कुत्ता पालने का शौक होगा, वह भी इन रोटियों को नहीं खाएगा। अध्यक्ष महोदय, उनको जो दाल दी जाती है, आप उस दाल को देखिये। मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की दाल में एक दाणा मूंग का भी मिल जाए तो मुझे खुशी होगी। सारी दाल में, श्रीमान्, केवल पानी ही पानी है। उसमें हल्दी का रंग इतना डाल रखा है कि वह पीली जरूर है बाकी न उसमें घी होगा, न कोई मिर्च होगी, न नमक होगा। रोटी की स्थिति यह है, माननीय मन्त्री जी जब आयेंगे तो मैं उनको भेंट करूंगा कि आप इस तरह से सेवा करना चाहते हैं। उन मरीजों के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में जानवर घूमते रहते हैं। वहां रोटी इस तरह की दी जाती है, श्रीमान्, तो....

श्री परसराम मदेरणा : हास्पिटल में मिर्च तो कम ही रहती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मिर्ची कम डालें, लेकिन मिर्ची डाल कर लाल तो करें उसे।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय मंत्रीजी तो बुढ़ापे में भी लाल हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय मंत्रीजी बुढ़ापे में लाल हैं तो आपको एतराज क्या है?

श्री गोपाल पचेरवाल : एतराज नहीं है, साहब। मुझे तो खुशी है कि बुढ़ापे में कितने लाल हैं। खुशी इस बात की है कि बुढ़ापे में इतनी ललाई है और नवजवानों के चेहरों पर है कालिमा।

श्री परसराम मदेरणा : ललाई तो आपकी मुझ से ज्यादा है लेकिन उनका रंग ऐसा है कि वह ललाई दिख नहीं रही है।

श्री गोपाल पचेरवाल : मुझे यह पता नहीं था कि बुढ़ापे में भी मंत्रीजी मेरे कलर से इतने प्रभावित हो जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं टी. बी. हास्पिटल के बारे में निवेदन कर रहा था। मैं समझता हूं, हम लोगों को मेडिकल सुविधायें मिलती हैं, आज मेरे परिवार में कोई टी. बी. पेशेंट हो जाय तो मुझे राजकीय सुविधा है, जितना भी चिकित्सा पर खर्चा होगा मुझे सरकार से मिल जाएगा लेकिन जो गरीब आदमी है उसको नहीं मिलेगा। वह सरकारी अस्पताल में जाएगा और वहां पर इस तरह की रोटी देंगे, इस तरह की दाल देंगे या दवाओं में मतभेद करेंगे। श्रीमान्, उस पर भी यह रोटी उसको पलंग पर नहीं मिलती।

श्री अध्यक्ष : कम मिलती होगी, उसमें से भी आप और लेकर आ गए।

श्री गोपाल पचेरवाल : नहीं आज तक, श्रीमान्, दो बार एम. एल. ए. बन कर आया हूं लेकिन मैंने आज तक एक बार भी मेडिकल बिल नहीं लिया है। आप रिपोर्ट प्राप्त कर लें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप रोटी लेकर आ गए तो उसके उतनी कमी पड़ गई और।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं तो जो वह नहीं खा रहे थे वह लाया हूं, मैं तो खाऊंगा नहीं। श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं मरीजों को रोटी उनके बैड तक नहीं पहुंचाई जाती है। मेरे पास फोटो है, श्रीमान्, लाइन लगा कर मरीज घुस रहा है, कमजोर है, कम शक्ति है, वहां पहुंच नहीं सकता लेकिन पेट की भूख शान्त करने के लिए वहां पर पहुंच रहा है। इसलिये आप इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करें. उन मरीजों को बिस्तर पर आप दवा नहीं दे सकते तो उनको जीने के लिए रोटी तो दीजिए। श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस टी. बी. पेशेंट्स की ओर आप ध्यान रखें और उनको न्याय दिलवायें।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अगर हमारे विभाग की यही स्थिति रही तो कौन जवान बेटी अपने इलाज के लिए आगे यहां आएगी। कोई भी इज्जतदार परिवार या कोई जवान बच्ची, जवान महिला आपके अस्पताल से मुंह मोड़ने लग जायगी। क्यों मुंह मोड़ने लग जायगी, आपको पता है? चित्तौड़-निम्बाहेड़ा का आपका मोबाइल सर्जिकल कैम्प लगा था। एक मुसलमान की लड़की श्रीमान्, जिसकी दो अंगुलियां जुड़ी हुई थी, आपरेशन कराने के लिए मोबाइल सर्जिकल कैम्प में भर्ती की गई थी। अध्यक्ष महोदय, उसको भर्ती करने के बाद रात को जो वहां क्लर्क था उसने उसको बुलाया और कहा कि डाक्टर साहब

(श्री गोपाल पचेरवाल)

आपको देखेंगे । डाक्टर साहब ने उसको बुला लिया और उसको देखने लग गये । श्रीमान्, जो बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, मैं तो उसको कह ही नहीं सकता, माननीय सदस्या यहां पर बैठी हुई हैं, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई, जबर्दस्ती उसके कपड़े उतार दिए गए । जब वह चिल्लाई तो वहां की जनता के जो स्वयं सेवक थे, कार्यकर्त्ता थे उन्होंने जाकर देखा । डाक्टर साहब नंगे ही वहां से भागे और डाक्टर जी. सी. शर्मा, जो निर्देशक थे, उनको अपनी गाड़ी में बिठा कर जयपुर ले आए । श्रीमान्, मैं कहता हूं कि इस विभाग में इस प्रकार की घटनायें घटती रहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सोचिये, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, मानवीय आधार पर आप सोचेंगे तो क्या जवान बेटियां आपके पास इलाज करवाने के लिए आयेंगी ? क्या आपकी सरकार से उम्मीद रखें ? चूंकि मुसलमान की लड़की थी, साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई । ब्राह्मण समाज का वह व्यक्ति था जिसने यह हरकत की....

श्री परसराम मदेरणा : कौन से अस्पताल के लिए कह रहे हैं ?

श्री गोपाल पचेरवाल : निम्बाहेड़ा में मोबाइल सर्जिकल कैम्प लगा था ...

श्री अध्यक्ष : मोबाइल सर्जिकल यूनिट का काम तो गरीबों के हित में बहुत बढ़िया है । कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति इसमें हो तो

श्री गोपाल पचेरवाल : वही अर्ज कर रहा हूं, साहब, गरीबों के हित में काम है लेकिन यह गरीबों के साथ इस तरह से अन्याय होने लग गया तो गरीब व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंच पायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : कभी ऐसी दुर्घटना कोई हो जाय तो दुर्भाग्यपूर्ण बात या स्थिति बनती है । वैसे सर्जिकल यूनिट को तो मैंने देखा है ।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, साहब, ऐसी जगहों पर....

श्री माधवसिंह दीवान : मेरे क्षेत्र में भी कैम्प लगाया गया था । बहुत बढ़िया काम किया था मोबाइल सर्जिकल यूनिट ने ।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं वही अर्ज कर रहा हूं, साहब, कार्य अच्छा है लेकिन ऐसे काम में भी ऐसी घटना घटने लग जायगी तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाएगी ।

मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करके ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं ।

आयुर्वेद के मामले में यहां पर बड़ी चर्चायें की गई हैं । मैं आयुर्वेद का पक्षधर हूं और इसलिए पक्षधर हूं कि मैंने उसको देखा है । हमारे यहां गुरुदेवसिंह जी जिलाधीश थे, आज की तारीख में झुंझुनू में हैं । उन्होंने दो या तीन कैम्प हमारे बूंदी जिले में लगाये थे । एक कैम्प मेरे क्षेत्र में लगा

(श्री गोपाल पचेरवाल)

था और एक हिण्डौली क्षेत्र में लगा था। वहां पर छोटे बच्चों को जो पोलियो हो जाता है उसका इलाज किया, जो पाइल्स की बीमारी हो जाती है उसका इलाज किया था। मैंने मेरे क्षेत्र में इन दोनो कैम्पों को अटेंड किया था। वहां पर इतनी भीड़ थी कि पूरी तरह से नहीं चला पाये और काफी बीमार लोग निराश लौट गए। वहां पर उन्होंने बच्चों का आयुर्वेद की पद्धति से इलाज किया। आयुर्वेदिक दवा से इलाज किया, गर्म पानी से सेंक किया, उससे कई बच्चों को राहत मिली। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे यहां कैम्प लगा उसमें बूंदी के चिकित्सक थे, उनके नाम से मैं परिचित नहीं हूं लेकिन उनका यह प्रयास था, आयुर्वेद के चिकित्सक थे....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चौथमल शर्मा थे।

श्री गोपाल पचेरवाल : उनके प्रयासों से दोनों कैम्प सक्सेसफुल रहे। काफी राहत बच्चों को मिली। जो लोग पाइल्स की बीमारी से ग्रसित थे उनको काफी राहत मिली। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आयुर्वेद पद्धति को आगे बढ़ायें तो अच्छा रहेगा। मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा। मैंने अपने क्षेत्र की समस्या रखी है उन पर विचार किया जावे और उनका समाधान किया जावे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की टेबल पर रख दूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी आयें, उतने एक दो माननीय सदस्य और बोल लें।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्तावों पर माननीय सदस्य अपने-अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। करीब-करीब माननीय सदस्यों ने सारे सुझाव दिये हैं और हरएक विषय में अपने विचार व्यक्त किये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री जी की तरफ से तो जवाब नहीं दे रहे हो ?

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : डायरेक्टर साहब की तरफ से बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री तेजपाल यादव : एक बात यह है कि अभी प्रश्न के उत्तर में माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने बताया कि स्टाफ की कमी है, डाक्टर गांवों में जाते नहीं हैं, स्टाफ गांवों में जाता नहीं है। मैं इस समस्या के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, यह जनता की सेवा के लिये पैसा खर्च किया जाता है या स्टाफ के लिये पैसा खर्च किया जाता है ? डिस्पेंसरियां, औषधालय, हास्पिटल इन डाक्टरों के लिये, नर्सेज के लिये या कम्पाउन्डर्स के

(श्री तेजपाल यादव)

लिये खोले जाते हैं या जनता की सेवा के लिये खोले जाते हैं ? एक बात तो यह है।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर और नर्सेज भी यह मांग करते हैं कि ज्यादा हास्पिटल और डिस्पेंसरियां खोली जायं ताकि उनको नौकरी मिल सकें। दोनों के ही काम हैं।

श्री तेजपाल यादव : वह तो गांवों में जाते ही नहीं हैं, अस्पताल खाली पड़े रहते हैं, वह तो सिर्फ उनको नौकरी देने के लिये खोले जाते हैं। गांवों की सेवा के लिये खोले जाय, जो हमको यहां चुनकर भेजते हैं उनकी सेवा के लिये खोले जायं तब तो मैं समझता हूं, डाक्टर और नर्सेज सब गांवों में होने चाहिये। माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी गांव से चुन कर आये हैं, लेकिन वह बात करते हैं शहरों की। शहरों में अगर कोई जगह खाली होती हो तो डेपुटेशन पर लगा देते हैं। यहां रख लेते हैं किन्तु गांवों की डिस्पेन्सरी, सब-सेन्टर्स खाली पड़े रहते हैं। ग्रामीण × × × हमको चुनकर भेजते हैं, टैक्स देते हैं, फिर भी उनको इन सेवाओं का लाभ नहीं मिलता है।

श्री परसराम मदेरणा : सब सैन्टर्स में डाक्टर होते हैं क्या ?

श्री तेजपाल यादव : कम्पाउन्डर्स रहते हैं। डिस्पेंसरी में डाक्टर्स रहते हैं, लेकिन वह खाली पड़ी रहती हैं, दो-दो, तीन-तीन साल तक खाली पड़ी रहती हैं। जब हम प्रश्न लगाते हैं तो जवाब मिलता है डाक्टर वहां जाना नहीं चाहते हैं, स्टाफ की कमी है। अगर स्टाफ की कमी है तो यहां खाली जगह रहनी चाहिये। यहां तो इलाज की कई सुविधायें हैं, सब तरह की सुविधायें हैं, प्राइवेट सुविधा भी मिलती है, गांवों में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। स्टाफ की कमी है पहले गांवों में लगाना चाहिये, और बाद में शहरों में लगाया जाना चाहिये। दूसरा निवेदन है, आज मेरे कई साथियों ने एक विशेष व्यक्ति को टार्गेट बनाकर यहां अपने जो विचार व्यक्त किये आयुर्वेद के संचालन के संबंध में लेकिन वस्तु स्थिति यह है, विपक्ष के सदस्य महानुभाव ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं उन्हीं के समय में उनको प्रमोशन दिया गया था। जब उनको काबिल नहीं समझा तो आपकी सरकार ने उनको प्रमोशन क्यों दिया ?

श्री परसराम मदेरणा : अब मिनिस्टर का रिप्लाई हो रहा है।

श्री तेजपाल यादव : दूसरी बात, पर्चेजिंग के मामले में, प्लास्टर के डिब्बों के मामले में, गोखरू के क्रम में तथा हींग के विषय में कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाये। उसमें तो वह डायरेक्टर केवल साधारण सदस्य थे, उस पर्चेजिंग कमेटी के चेयरमेन डिप्टी सैक्रेट्री हैं। दूसरी बात, हींग के

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री तेजपाल यादव)

मामले में वह मेम्बर ही नहीं थे। जोधपुर और उदयपुर से हींग खरीदी गई थी और अतिरिक्त डायरेक्टर उस कमेटी के चेयरमेन थे। डायरेक्टर तो कहीं आता ही नहीं। डायरेक्टर के पास प्रशासनिक अधिकार ही नहीं है। एडीशनल डायरेक्टर, जो आर.ए.एस. अधिकारी हैं, को प्रशासनिक अधिकार हैं। नियुक्तियां, ट्रांसफर्स, यह सारे मामले डायरेक्टर के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं हैं। ख्वाहमख्वाह किसी रंजिश की वजह से किसी अधिकारी के लिए यह कह दो उसका प्रमोशन नहीं हो, उसको उसका वाजिब हक नहीं मिले, एक तरह से माननीय मंत्री पर दबाव डालें कि उसके साथ न्याय न हो, नहीं तो यह सारा रिकार्ड है। एक प्रश्न भी गत वर्ष बजट सैशन में माननीय कैलाश मेघवाल ने उठाया था उसके संबंध में सरकार की ओर से जवाब आया था, यह पैसा वसूल किया जायगा।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : पाइन्ट आफ आर्डर। कोरम नहीं है, हाउस में कोरम नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कोरम तो है।

श्री तेजपाल यादव : उससे वसूली की कार्यवाही तो नहीं की जा रही है। डायरेक्टर के खिलाफ कोई आरोप नहीं बनता। वह उसमें कोई अधिकारी नहीं था, पर्चेजिंग कमेटी का चेयरमेन नहीं था उसके बावजूद उसके खिलाफ अनर्गल, साढ़े तीन करोड़ जनता के प्रतिनिधियों के सदन के अन्दर आरोप लगाये जायं वह शोभाजनक नहीं है। केवल एक उद्देश्य यह है कि किसी ने किसी तरह जो उसका वाजिब हक है उससे महरूम कर दिया जाय, इसके अलावा कोई बात नहीं है।

दूसरी बात, मेरे क्षेत्र में माननीय मंत्रीजी इटावा में एक डिस्पेंसरी की घोषणा सार्वजनिक सभा में करके आये थे। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा इसी फायनेन्शियल ईयर में उसका भवन तैयार हो गया....

श्री अध्यक्ष : थोड़े दिन पहले लिस्ट निकली है, वह देख लें।

श्री तेजपाल यादव : मेरे इलाके में जितने सब-सैन्टर्स हैं वह वर्षों से खाली पड़े हैं जब कि वहां और मकान बन गये हैं। मैं आपके माध्यम से विशेषकर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मेरा इलाका बहुत नजदीक है वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो कम से कम स्टाफ लगाइये। धन्यवाद।

श्री दाऊदयाल जोशी : नाम का ही झगड़ा है।

श्री तेजपाल यादव : अजी चहुमुखी विकास है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

254

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, हम डाक्टर लगाने और डिस्पेंसरी खोलने के लिये और एड पोस्ट खोलने के लिये दरख्वास्त कर रहे हैं मेहरबानी अगर मंत्री महोदय इतना कर दें जहां एडपोस्ट के मकान बना दिये हैं एन. आर. डी. पी. के तहत पैसा खर्च करके और डिस्पेंसरी सरकार की मदद से शिफ्ट कर दी है वहां डाक्टर की जगह कम्पाउन्डर तैनात कर दें और फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर की जगह थर्ड ग्रेड कम्पाउन्डर चतुर्थ श्रेणी का टेबलेट देने वाला आदमी बैठा दो तो सरकार की सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र में उपलब्धि होगी। अब आप जवाब यह देते हो सरकार की वित्तीय हालत नाजुक है। जो आपकी हालत कठिन है उसमें हम भी अपने आप को सरकार का एक अंग मानते हैं, हम शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन शिकायत एक बात की तो मंत्री महोदय आपसे करूंगा, अगर आप उत्तर टालमटोल का देते हो किसी भी माननीय सदस्य को तो हम अपने आपको महसूस करते हैं कि हमको XXX समझ कर जवाब दिया जाता है। जहां देश पर हमला होता है तब हिन्दुस्तान की आर्मी का जनरल अपने सिपाही को कैसे हुक्म देता है, मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा। कोई सिपाही यह कहता है, हमको गोली लग गई तो? गोली लगती है, देश के इतिहास में शहीद होते हैं, उनकी भी मातायें होती हैं, बच्चे होते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाके में लोग जाने को तैयार नहीं हैं, यह सरकार का, लोकतांत्रिक सरकार का उत्तर जन प्रतिनिधियों को मंत्री का इस प्रकार का उत्तर व्यावहारिक उत्तर नहीं है। हम नहीं कहते ज्यादा एडपोस्ट खोल दो, ज्यादा डिसपेंसरी खोल दो। ठीक है सरकार का वित्तीय संकट है उसमें हम अपने आपको सरकार का अंग समझते हुए ज्यादा जोर नहीं देना चाहते हैं। आप जैसा कहते हो, हम आयुर्वेदिक औषधालय देंगे, मेरे क्षेत्र में पांच आयुर्वेदिक औषधालय ऐसे है जहां मैंने कभी वैद्य को नहीं देखा। खाली पड़े हैं मेरी तहसील हैड क्वार्टर को देख लो। राजस्थान में कोई ऐसी तहसील नहीं मिलेगी जहां तहसील हैड क्वार्टर हो, पंचायत समिति हैडक्वार्टर हो, जिस जगह 8-10 बसों का दिन में आवागमन होता हो, वहां डाक्टर नहीं है। यह सरकार और पार्टी की छवि के लिये भारी धब्बा है। इसका इन्तजाम हो। नौकरी आप देते हो, उसमें कौनसी शर्त लगाते हो। क्या यह शर्त लगाते हो, भाई, आप फलाने क्षेत्र में रहना चाहोगे या फलाने में नहीं रहना चाहोगे? उस वक्त तो यह होता है साहब, राज्य सरकार जहां सेवाएं हमारी लेगी वहीं हम सेवाएं देने के लिये तैयार हैं। तो क्यों नहीं बर्खास्त करते हो उनको जो आपके आदेशों की पालना नहीं करते हैं। अगर बर्खास्त नहीं कर सकते तो फिर आप और हम सरकार नहीं चलाते हैं। यह तो खुदा भरोसे बेड़ा चल रहा है। आप और हमारे बिना भी चल सकता है, कौन सा रुक जायगा और गवर्नर शासन होता तो कौन सा काम रुक जाता है। लोकतंत्रीय सरकार होने के नाते इस मामले में तो गांवों में बिल्कुल असंतोष है। आज शहरों में गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में डिस्पेंसरीज हैं, हर चीज का इन्तजाम है। शहरों में एक चीज बन्द हो जाती है तो दूसरे दिन हड़ताल का नोटिस, धमकी आती है और आप फौरन टेलीफोन खड़खड़ाते हो

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

255

(श्री अमीन खां)

सैक्रेटरी, कमिश्नर, डायरेक्टर के यहां कि इन्तजाम कर दो और गांव में लाख आबादी, पूरी तहसील चिल्लाये तो सिर्फ एक ही जवाब आप देते हो कि कोई वहां जाना नहीं चाहता है। तो ठीक है, मैं सुझाव दूंगा। डेजर्ट एरिया के लिये ट्रेनिंग सेंटर वहां के डिस्ट्रिक्ट में रखो और वहां जितने लोग क्वालिफाइड हैं उनके लिये ट्रेनिंग सेंटर अलग रखो। उनकी ट्रेनिंग अलग रखो और नियमों में संशोधन करके इन सेवाओं का इन्तजाम करो। नहीं तो हाल की व्यवस्था में, अध्यक्ष महोदय, आम आदमी, जनता का गरीब आदमी यह मानता है कि जो लोग चिल्लाते हैं, जो लोग धमकी देना जानते हैं जो किसी अधिकारी, मिनिस्टर को खुश करना जानते हैं उनके लिये तो व्यवस्था है और शरीफ आदमी के लिये व्यवस्था नहीं है। इतना ही कह कर मैं मंत्री महोदय का, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जितनी भी एड पोस्ट है, मैं उनका नाम भी बता देना चाहता हूं वहां लगातार तीन साल से पोस्टें खाली देख रहा हूं। खड़ीन, फलाऊ पदमसिंह, बालेबा, हरसानी, गागरिया, जैसलमेर जिले में चेलक, झिगनियाली, फतेहगढ़ में कोई वैद्य नहीं है, न तहसील हैडक्वार्टर पर कोई डाक्टर है। इस अव्यवस्था का इलाज करो। शहर के अमीर लोग नहीं आते हैं तो अमीरों को भर्ती मत करो, रूल्स में अमेंडमेंट करके वहां के लोगों को ट्रेनिंग दो और बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर में ट्रेनिंग सेंटर खोल कर रेगिस्तानी आदमी का अपाइन्टमेंट करके कुछ सेवाएं करो। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। यह नहीं सोचें कि अनपढ़ आदमी ने कह दिया और आपने इस कान से निकाल दिया। इसका इन्तजाम नहीं किया तो गांव का आदमी तंग करेगा शहरों से ज्यादा। जिस दिन गांव वाले आदमी तंग करेंगे उस दिन नतीजा भुगतना पड़ेगा, हम शहर वालों से भी ज्यादा सजा दे सकते हैं। इतना ही कह कर आशा रखता हूं कि मेहरबानी करके इस का इन्तजाम करेंगे। धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अवसर दे दूंगा लेकिन आप थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिये स्वस्थ शरीर बहुत आवश्यक है। अगर शरीर स्वस्थ तो जीवन के जो कर्त्तव्य हैं उनका ठीक प्रकार से निर्वहन हो सकता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। लेकिन स्वस्थ शरीर रहे कैसे, प्रश्न यह है। आज स्वस्थ शरीर रखने के लिये आवश्यक है कि हम को खाद्य पदार्थ, खाने-पीने की वस्तुएं, जिनका उपभोग जीवन चलाने के लिये करते हैं, शुद्ध मिलें। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले 34 वर्ष में आजादी के बाद हमने देश में जो चरित्र का निर्माण किया है, उसमें आज इस देश का प्रत्येक नागरिक गलत तरीके से, किस प्रकार से धन के पीछे पागल होकर भाग रहा है, किस प्रकार से अधिक से अधिक सम्पदा अर्जित करना चाहता है, इसके पीछे उसने सारे नैतिक कर्त्तव्य,

256

(श्री जीतमल जैन)

समाज के प्रति उत्तरदायित्व को बिसार दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग को भी जितना चिंतित होना चाहिये उतना नहीं है। पिछली बार चिकित्सा के क्षेत्र में इतना सारा खर्चा करने के पश्चात् भी आज हम देख रहे हैं कि हमारे नागरिक निरन्तर बीमारियों के घेरे में बंधते जा रहे हैं। आखिर क्यों ? अगर स्वच्छ चीजें खाने को नहीं मिलेंगी तो निश्चित रूप से ये बीमारियां बढ़ेंगी। प्रिवेंशन इज बैटर दैन क्योर। हमें इसलिये प्रारम्भ की बात को सोचना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलें। हमें जो दवाइयां मिलती हैं उनमें जो मिलावट मिलती है उसकी किस प्रकार से रोकथाम करें। इसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल असफल रहा है। जो कुछ भी पिछले दिनों में देखने को मिला है, दिल्ली की बात हो चाहे कर्नाटक की ,भिन्न-भिन्न जगहों के नमूनों के बारे में जो रिपोर्ट आती है उसमें यह है कि 60 से 70 प्रतिशत खाने की वस्तुओं में मिलावट पाई जाती है। तो फिर किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं ? निश्चित रूप से हम बीमार रहेंगे और हमें अधिक औषधियों की ओर मुंह करना पड़ेगा। इस बात को रोकने के लिये 1956 में एक फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आया। उसमें 1970 में हमने अमेण्डमेंट भी किया कि किस प्रकार से अधिक से अधिक सजा देकर इसको रोकें। लेकिन जितने भी निरीक्षक लगाये गये, जो कुछ भी उसको रोकने की व्यवस्था है वह अपर्याप्त है। जितने नमूने वर्ष भर में लाये जाते हैं वे अपर्याप्त है और निश्चित रूप से हम इसकी रोकथाम नहीं कर सके हैं। मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि किसी भी प्रकार इस सारी व्यवस्था को सुधारा जाय। हमारे यहां प्रयोगशालाओं की भी बहुत कमी है। पूरे 26 जिलों में इन मिलावटी चीजों की जांच करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, जो कुछ भी व्यवस्था है वह थोड़ी है। सरकार ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि हम सारी व्यवस्था को राजस्थान में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सुझाव है, अगर आप चाहते हैं कि लोग कम बीमार पड़े, लोग स्वस्थ रहें तो निश्चित रूप से मिलावटी चीजों की रोकथाम करनी पड़ेगी। उसके लिये प्रत्येक जिले में इस प्रकार की व्यवस्था करें, जहां इस प्रकार की मिलावटी चीजों की जांच हो सके उसके लिये प्रत्येक जिले में लेबोरेट्री हो। इसी तरह से समाज के साथ, समाज के लोगों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करते हैं मेरे ख्याल से एक या दो लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति से भी ज्यादा जघन्य अपराध इस प्रकार खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यक्ति करते हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिये। इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। इस संबंध में पिछले दिनों स्वास्थ्य संघ के डाक्टर रिवाल इसी बात को देखने के लिये जयपुर पधारे थे कि हमारे देश में कितनी प्रकार की मिलावट होती है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां काफी अधिक चीजें एडल्ट्रेटेड मिलती हैं। इस सम्बन्ध में मैं अलवर के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। अलवर में दिसम्बर में कुछ छापे मारे गये, कुछ जाली दवाइयां पकड़ी गई। एक ऐसी फैक्ट्री

(श्री जीतमल जैन)

पकड़ी जिसके पास लाइसेंस नहीं था और वह दवाइयों का निर्माण कर रही थी। उसको बनाने वाले व्यक्ति ने दूसरे नाम से लाइसेंस ले रखा है। वह वहां का बहुत ही बदनाम व्यक्ति है। 1977 से पहले....

श्री अध्यक्ष : अब डिबेट उफान पर नहीं है। अब तो बैठ रही है धीरे धीरे। अब नये आरोप लगाने की चर्चा शुरू हो जायगी तो फिर गरमा-गरमी हो जायेगी। आपने पूर्व में सूचना दी हो तो और बात है। आप अपने सुझाव अच्छे अच्छे दे रहे थे वे चालू रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोरम नहीं है, मान्यवर।

(गण-पूरक-घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, यह मिलावट के काम में छोटे-मोटे व्यापारी....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल जैन : संक्षेप में, पांच मिनट में समाप्त करूंगा।

यहां तक कि बड़ी बड़ी कम्पनियां भी इस बारे में लिखती हैं। पार्ले कम्पनी, जो एक बहुत प्रसिद्ध कम्पनी है इस देश की जिसकी गोलियां हमारे बच्चे बड़े चाव से खाते है, भी इस तरह के मिलावट के काम में पकड़ी गई। उस पर दो लाख का जुर्माना कोर्ट के द्वारा किया गया। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, अलवर में पिछले दिसम्बर में कुछ इस तरह के छापे मार कर कुछ नकली दवाइयां पकड़ी गई। एक फैक्टी पकड़ी गई जो बगैर लाइसेंस के दवाइयों का निर्माण करती है। यह व्यक्ति बहुत बदनाम व्यक्तियों में से है। 1977 से पहले एक भूतपूर्व मन्त्री से बड़ा निकट का संबंध था और उसके आधार पर उन्होंने भ्रष्ट आचरण करके खूब धन अर्जित किया इसमें कोई सन्देह नहीं है। आज उस व्यक्ति ने फिर नकली दवाइयां बनाने का कारखाना लगा रखा है वह कारखाना सील्ड है। तीन महीने का समय हो गया लेकिन कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई किसी का चालान नहीं हुआ। वास्तव में मैं नहीं जानता, किस प्रकार से भ्रष्ट लोगों को रखना चाहते है, मंत्री महोदय, इसके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार अस्पतालों में हमारे यहां राजस्थान में व्यवस्था है, वह छिपी नहीं है। चाहे वह अलवर का अस्पताल हो चाहे जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल हो, सब जगह अव्यवस्था है, सफाई का नाम नहीं है। सफाई का नामोनिशान नजर नहीं आता है। अलवर के अस्पताल में गंदगी का ढेर लगा रहता है। यहां तक कि वार्ड के अन्दर कुत्ते प्रवेश कर जाते हैं, मरीजों के साथ बैठते हैं कोई रोकने वाला नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। एक माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे। विशेष रूप से लेबेट्रीज की हालत बहुत खराब है उसके सामने वार्ड है जिसके अन्दर खड़ा रहना मुश्किल होता है।

(श्री जीतमल जैन)

इसके साथ-साथ दवाइयों का अभाव तो सारे प्रदेश के अन्दर आप हर अस्पताल में देख सकते हैं । दवाइयों का प्रावधान हैं ? लेकिन दवाइयां किसके पास पहुंचती है, दवाइयां उन व्यक्तियों को मिलती हैं जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो पूर्ण रूप से दवाइयां खरीद सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, जो समाज का शोषित, पीड़ित तबका है उसको दवाइयां नहीं मिलती हैं । इस बात को मैं विल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत से अस्पतालों की दवाइयां चोरी-चोरी बाजार में बिकती हैं। उनको रोकने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । इसके बाद एक और बात कही गयी है, केवल आप 22 पैसे प्रतिदिन एक मरीज के ऊपर आउट डोर में और 24 पैसे इन्डोर पेशेन्ट पर खर्च करते हैं । इस प्रकार आप देश, प्रदेश के नागरिकों को सुविधा नहीं दे सकते हैं । उसे दवाइयों की सुविधा नहीं दे सकते हैं। अधिकतर दवाइयां बाजार से खरीदनी पड़ती हैं फिर गरीब पर टैक्स लगाने का आपको क्या हक है ? क्या अधिकार है ? आप इस टैक्स के बारे में सोचें । अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस टैक्स को लगाने के बारे में दस बार सोचें । इसका भार गरीब आदमी पर पड़ेगा इस बात को सोचें ।

इसके साथ-साथ हमारा देश अधिकतर गांवों में रहता है । गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिये, लेकिन जहां पर डिस्पेन्सरीज हैं वहां की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। वहां पर नर्सिंग स्टाफ नहीं पहुंचता है, गांव तक नहीं पहुंचता है । मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि अलवर जिले के अन्दर 20 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी पोस्टिंग गांव में हो रही है, वे गांव में न रह कर शहर के अस्पतालों में डेपुटेशन पर काम कर रहे हैं । आप जानते हैं जब तक किसी का राजनीतिक संरक्षण न हो, किसी बड़े आफिसर का संरक्षण न हो, निश्चित रूप से डेपुटेशन पर नहीं रह सकता है । परिणाम यह है कि गांवों को सुविधा देने की बात आप करते हैं, लेकिन वहां डिस्पेन्सिरीज में स्टाफ नहीं है । नर्सिंग स्टाफ बगैर राजनैतिक संरक्षण प्राप्त किये कैसे शहर के बड़े अस्पताल में रह सकता है ?

इसके साथ-साथ मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, सवाई मानसिंह अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या है । लोग जयपुर पहुंच कर इलाज कराना चाहते हैं । सेन्ट्रलाइज कर रखा है । इसको आप कम करने का प्रयास करिये । जयपुर के आस-पास विशेष सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिये....

श्री अध्यक्ष : ....जयपुर के अस्पताल के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। सभी मंत्रिगण वहां जाते रहते हैं रात-दिन इसलिये वे स्थिति से परिचित हैं। कोई नई बात हो तो बतायें, संक्षेप में....

(व्यवधान)

नहीं, अन्य मंत्री भी ।

259

श्री जीतमल जैन : अब, जो कटौती प्रस्ताव मैंने विशेष रूप से मेरे क्षेत्र के बारे में दिये हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। एक धर्मशाला का निर्माण पिछले दिनों अलवर में हुआ था। जनता पार्टी का शासन था, उस समय वहां एक ट्रस्ट को जमीन दी गई जिसका उद्देश्य यह था कि वह धर्मशाला का निर्माण करे, जिसके अन्दर पेशेन्ट के अटेन्डेन्ट रह सकें और उनकी सेवा-सुश्रुषा हो सके। जिस समय जमीन दी गई थी उस समय ट्रस्ट और सरकार के बीच यह बात निश्चित हुई थी कि केवल इस धर्मशाला के अन्दर वे ही लोग ठहरेंगे जो मरीज के अटेन्डेन्ट होंगे, उनके अलावा कोई नहीं ठहरेगा। जनता पार्टी का राज चला गया लेकिन किस प्रकार यह सारी व्यवस्था बदली गई मेरी समझ में नहीं आता है। आज कई लाख रुपयों की जमीन उस ट्रस्ट को फ्री दी गई है, मुफ्त में दी गई है। धर्मशाला का निर्माण इसलिये किया गया था कि वहां पर मरीजों के साथ उनके अटेन्डेन्ट ठहरेंगे, वह न होकर वहां पर पैसा लेकर बारातें ठहराना शुरू कर दिया है, पैसा कमाना एक मात्र उद्देश्य रह गया है। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं जिस प्रकार पहले मन्दिरों को जमीन दी गई थी सार्वजनिक काम के लिये, धीरे-धीरे उस पर काम करने वाले मैनेजमेन्ट करने वालों ने कब्जा कर लिया, प्रशासन में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा मालूम नहीं और बाद में यह प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जायगी। इसलिये जिस उद्देश्य से धर्मशाला का निर्माण किया गया था लाखों रुपयों की जमीन उनको निःशुल्क दी गई थी, उस जमीन का दुरुपयोग हो रहा है। मैं समझता हूं अन्त में वह दरअसल कुछ लोगों के लिये, ट्रस्ट के पदाधिकारियों के परिवार के लिये रह जायगी। जब से इस धर्मशाला का निर्माण हुआ सारा उल्टा कार्य हुआ। सारे कानून, सारे नक्शे बनाये कुछ और और बना कुछ और। नक्शे में दुकानें चार थीं बतायीं दस। इस प्रकार से सारा उल्टा कार्य हुआ। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बारे में दुबारा विचार करें....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य। काफी समय हो गया है।

श्री जीतमल जैन : इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अलवर के अस्पताल के अन्दर कई महीनों से सीनियर सर्जन का स्थान खाली पड़ा है। 30 दिसम्बर को वे रिटायर हो गये लेकिन आज तक सरकार ने किसी सर्जन को वहां पर नहीं भेजा है। बहुत बड़ा अस्पताल है, जहां सैकड़ों, हजारों गरीब मरीज आते हैं किन्तु डाक्टर न होने से परेशान होते हैं। आज तक सीनियर सर्जन की व्यवस्था नहीं की गई है।

मैं सवाई मानसिंह अस्पताल के बारे में चर्चा जरूर करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, वहां पर इमर्जेंसी की जो सेवा है वह कितनी अजीब है। इमर्जेंसी सेवा इसलिये दी जाती है कि कोई घटना घटे और आवश्यकता हो तो तत्काल विशेष रूप से मरीज को सेवा मिल सके, दवा मिल सके, लेकिन वहां इमर्जेंसी सेवा के रूल्स इस प्रकार के हैं, कोई बच्चा चला जाय तो उसको देखने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(260)

(श्री जीतमल जैन)

उसके लिये आपको जेकलान अस्पताल में जाना पड़ेगा। पिछले दिनों इसी प्रकार की एक घटना हुई। एक बच्चा जल गया। जब उसको वहां पर ले जाया गया तो यह कहा गया कि यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है बच्चे को जेकलान अस्पताल ले जाइये। वह बच्चा मर गया। इसी प्रकार से अलवर अस्पताल के बारे में मैं आपको बताऊं, हरिजनों के लिये, जिनकी बड़ी दुहाई देते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था है। एक हरिजन बालक को वहां पर ले जाया गया। वहां पर देखने वाला कोई डाक्टर नहीं थ उसको कहा गया कम्पाउन्डर को दिखाइये। आखिर में चार-पांच दिन बाद उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। इस प्रकार का हमारे हरिजनों के साथ व्यवहार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये, माननीय सदस्य। पर्याप्त है। श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अस्वस्थ होने पर चिकित्सा बहुत जरूरी है लेकिन मेरे क्षेत्र में चिकित्सा की जो व्यवस्था है, उसमें मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि महिला चिकित्सालय रतनगढ़ के अंदर है लेकिन उसमें एक भी लेडी डाक्टर नहीं है। महिला चिकित्सक के लिये कई दफा लिखा लेकिन माननीय मंत्रीजी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई।

श्री अमीन खां : फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : पैसे की बात है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : अमीन खां जी, मुझे मालूम है किससे बात करनी होती है, वित्त मंत्रीजी से वित्त की व्यवस्था करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बाधा नहीं डालें, माननीय सदस्य।

(रात्रि 9.28 बजे)

(श्री अहमद बक्श सिन्धी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : मैं सीधा मुख्य मंत्रीजी से मिला, उनको लिखा और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने तत्काल जवाब ही नहीं दिया बल्कि समुचित व्यवस्था भी की है। मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : यहां है ही नहीं कौन कहेगा उनको।

श्री दिनेश डांगी : यहां पर सरकार है।

श्री जयदेवप्रसाद इंदोरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक

(श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया)

ऐसे तथ्यपूर्ण सत्य का रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूं जो आपको चौंका देने वाला है। अभी 19-2-82 को वर्ष 81-82 में नयी डिस्पेंसरीज खोलने बाबत एक आदेश जारी हुआ, इसमें लिखा है,"राज्य में निम्नलिखित जिलों, पंचायतों, पंचायत समितियों, ग्रामों आदि में नवीन डिस्पेंसरीज, एड पोस्ट खोले जाने हेतु निर्देशानुसार राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।" इसमें क्रम संख्या 6 पर जिला चूरू में पंचायत समिति रतनगढ़ में जहां डिस्पेंसरी खोली गयी है उस गांव का नाम नोसरिया है। उस आदेश की स्याही अभी सूखने भी नहीं पायी थी कि 24-2-82 को एक दूसरा आदेश निकाला। उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग वास्ते निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर। डिस्पेंसरीज के स्थानान्तरण के क्रम में। निदेशानुसार उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के सम संख्या पत्र दिनांक 19-2-82 के द्वारा ग्राम नोसरिया, पंचायत समिति रतनगढ़, जिला चूरू में स्वीकृत नयी डिस्पेंसरी को ग्राम टीबा बसई जिला झुंझुनू में तुरन्त प्रभाव से स्थानान्तरण करने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।"

श्री अमीन खां : चूरू जिले में कितनी खोली गयी हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : केवल एक।

श्री अमीन खां : और बाड़मेर में ?

श्री सी. एल. कंवरिया : पांच खोली हैं चूरू में इसलिये एक की कमी कर दी है।

श्री अमीन खां : हमारे जिले का नाम बतायें।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : आपके जिले की तो आप मांग करें उसकी बात आप करें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। टाइम का आप ध्यान रखें। बोलने दें उनको।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : मेरे क्षेत्र की बात पर मुझे बोलने का अधिकार है,मुझे इस पर बोलना पड़ेगा उस पर आप नहीं बोल सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप, माननीय सदस्य, अपनी बात कहें।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि या तो इस ढंग से डिस्पेंसरी की स्वीकृति नहीं देनी थी, अगर देनी थी तो सोच समझ कर देनी थी जिससे चार-पांच दिन के बाद ही दूसरी जगह स्थानांतरित न करनी पड़े। इसी तरह से आपसे पहले जो स्वास्थ्य मंत्रीजी थे उन्होंने एक वैद्य का ट्रान्सफर करने के बजाय औषधालय का ट्रान्सफर कर दिया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रशासन में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं वह क्या बताती हैं। इससे लोगों में जग

(श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया)

हंसाई होती है, इलाके के अन्दर शासन के प्रति आस्था खतम होती है। मेरा निवेदन यह है कि कोई काम किया जाय तो सोच समझकर और अच्छी तरह से तोल लें कि कोई दबाव तो नहीं आयेगा। मैंने आपको नोसरिया में खोलने के लिये, कोई पीले चावल तो नहीं दिये थे, आपको कोई आमंत्रित तो नहीं किया था। मैं जानता था कि मैं कहूंगा तो आप खोलेंगे नहीं, इस लिये वह प्रस्ताव आपके विभाग के द्वारा ही भिजवाये और आपने आदेश कर दिये। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि चाहे तो मोहवश या लोभवश किसी तरह से भी आदेश को निरस्त किया गया है उसके प्रति मैं अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं। वापस खोलें या नहीं खोलें इसकी परवाह नहीं है। मेरे में ताकत होगी तो खुलवा लूंगा।

श्री माधवसिंह दीवान : मंत्री महोदय तो खोलेंगे नहीं।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : आपको अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहिए।

श्री अमीन खां : हमारे यहां तो खोली ही नहीं है।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : और मेरे क्षेत्र में खोली हैं तो आपको आपत्ति है, क्या ?

श्री माधवसिंह दीवान : आपत्ति नहीं है।

श्री अमीन खां : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपके क्षेत्र में खोली जाय या नहीं खोलनी चाहिए, मैं तो यह कह रहा था कि हमारे यहां नहीं खोली है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे बैठे बातें न करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, × × ×

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : दूसरा यह निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि राजलदेसर में एक्स-रे मशीन है वह बंद पड़ी है उसको चलाने की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी की उसके लिये नियुक्ति नहीं हुई है। इसी तरह से पडिहारा में मातृ शिशु केन्द्र को बहुत वर्षों पहले ही चिकित्सा विभाग को दे दिया गया था, लेकिन उसको अभी तक अधिग्रहण नहीं किया गया है। कागजों में काम चल रहा है, लेकिन अधिग्रहण नहीं किया गया है, उसे स्वीकृति नहीं दी गयी है। ये छोटे-छोटे काम ऐसे हैं जिनसे यह मालूम होता है डिपार्टमेंट में लापरवाही है, उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता था कि इस ढंग की लापरवाही पर आप कम से कम सुनवाई तो करें। आपने समय दिया, उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय। उत्तर देंगे।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत टाइम हो गया है, अब कृपा करें।

(व्यवधान)

पहले रतनलाल ताम्बी बोलेंगे।

श्री माधवसिंह दीवान : आर्डर होने के बाद। आदेश एक बार दे दिये हैं पहले।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तो बोल चुके हैं। हमें भी समय देने की कृपा करें। इतनी देर से कोरम बढ़ा रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमारे यहां की जो सूची है....

श्री उपाध्यक्ष : उसका समय हो गया है। बैठ जाइये। समय दे दूंगा। मंत्री महोदयजी, आप बिराज जायं।

श्री रामसिंह विश्नोई : मंत्री महोदय को क्यों मना कर रहे हैं ?

श्री माधवसिंह दीवान : हमें तो कोरम बढ़ाने के लिये बैठना पड़ रहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : चिकित्सा सुविधा के बारे में खास तौर से निवेदन करना है। जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है उस गति से राजस्थान में चिकित्सा सुविधा नहीं बढ़ रही है, यह अत्यन्त खेद की बात है। एक तरफ तो बीस संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े को पहले की बात कही जाती है दूसरी ओर आदिवासियों, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो इलाके हैं उनमें चिकित्सा सुविधा के विस्तार के मामले में इस वर्ष काफी उपेक्षा की गयी है। जैसा कि इस वर्ष डिस्पेंसरीज और एड़ पोस्ट खोलने के राज्य सरकार ने आदेश दिये हैं उन आदेशों को मैंने गम्भीरता से देखा है और यह महसूस किया है कि जो पिछड़े को पहले वाली बात है उसकी राजस्थान के चिकित्सा मंत्रीजी, जो स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं, ने इस बार उपेक्षा की है। मैंने मेरे इलाके की जनजाति योजना के अन्तर्गत जो गांव हैं उनकी एक सूची दी थी और यह अपेक्षा की थी कि यहां उप केन्द्र, डिस्पेंसरी खोली जायगी। उनको बनाने के लिये लिखकर दिया था उस दिशा में मंत्री महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की बात निवेदन करना चाहूंगा। पंचायत हैडक्वार्टर भाखड़ा और कुम्हाड़िया में 90 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति और जन जाति की है, वे डेढ़ दो हजार की आवादी के गांव हैं वहां पर एड पोस्ट, डिस्पेंसरी के लिए कहना चाहूंगा। इसके साथ-साथ जहाजपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अप ग्रेडेड है उसमें आई और डेन्टल डाक्टरों की बहुत आवश्यकता है। वहां पर वार्ड बना दिया गया है। पचास

(श्री रतनलाल ताम्बी)

बैड्स की मांग वहां पर वर्षों से की जा रही है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहाजपुर में करीब डेढ़ लाख की जनसंख्या है वहां पर पिछड़े हुए वर्ग के लोगों की जनसंख्या अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों की संख्या 50 प्रतिशत है और बहुत दूर-दूर तक कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जहाजपुर में पचास बैड्स स्वीकृत किये जांय। वहां पर जन सहयोग से वार्ड बन गया है लेकिन सरकार ने एक पैसा भी नहीं लगाया है। घर-घर जाकर पैसा इकट्ठा करके वार्ड बनाया गया है इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि पचास बैड्स स्वीकृत करें।

इसके साथ-साथ एक और निवेदन करना चाहूंगा कि 22 रियासतों के विलीनीकरण के समय वह एक रियासत थी, शाहपुरा राजधानी की जो कि डिवीजन का सब डिवीजन हैड क्वार्टर है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर 15–20 बैड की ही व्यवस्था है, इसलिये वहां पर भी कम से कम 100 बिस्तरों की स्वीकृति दी जाय ताकि सही तौर से चिकित्सा की व्यवस्था हो सके।

अब मैं ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आपने समय की पाबन्दी लगा दी है। अन्त में दो एक बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने राजस्थान के आयुर्वेदिक विभाग और उसके निदेशक महोदय पर जो आरोप लगाये हैं वे अत्यन्त गम्भीर आरोप हैं। राजस्थान के कई अन्य हिस्सों में हम जाते हैं, आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित कई लोगों से मिलते हैं, भ्रष्टाचार का कीर्तिमान इस विभाग ने स्थापित कर रखा है। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है, मंत्री महोदय, जब आपकी पार्टी के विधायकों ने लिखकर दे दिया, आरोप साफ तौर पर दिये

(व्यवधान)

फिर आप उनको सील्ड करने में क्यों लगे हैं? आज उनकी कुछ घोषणा करें। जो गोखरु डेढ़ और दो रुपये किलो में मिल सकते हैं, वह साढ़े ग्यारह या 11.70 की रेट में खुले आम बाजार में आप खरीद कर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

जो हींग 90 रुपये में मिल सकती है, वह 240 रुपये के आसपास या इससे अधिक में खरीदी है। यह भ्रष्टाचार के साफ उदाहरण हैं। इसके बारे में आप देखें। मैं निवेदन करना चाहता हूं उप निदेशक को कार्यवाहक निदेशक का काम दे रखा है, मेहरबानी करके डिवीजनल हैड क्वार्टर से सीनियर ऑफिसर उस स्थान पर लगाकर इस विभाग को कलंक से बचायें। निश्चित रूप से राजस्थान के आयुर्वेदिक जगत में निदेशक महोदय के प्रति बड़ा

(श्री रतनलाल ताम्बी)

असंतोष है। जगह-जगह भ्रष्टाचार की शिकायतें आम तौर पर सामने आती हैं। मुझे कहना बहुत था, लेकिन मैं समय के अभाव में आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, आज मंत्री महोदय यह घोषणा करें कि राजस्थान के आयुर्वेदिक विभाग के तथाकथित निदेशक महोदय के बारे में राज्य सरकार क्या नीति और क्या कार्यवाही करना चाहती है। अगर भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करना चाहती है, निश्चित रूप से करे। जनता पर टैक्स लगते हैं, कई प्रकार का जनता पर भार है, ऐसी स्थिति में दवाइयां मिलती नहीं हों, बाजार में बिक जाती हों, महंगे भावों पर दवाइयां खरीद कर राज्य के खजाने में डाके डलवाने वाले अधिकारियों को सरकार सील्ड करे तब राजस्थान की जनता आपको बख्शने वाली नहीं है। मेहरबानी करके इस बारे में साफ तौर से ध्यान दें। यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। मैं तो चौमूं से आने वाले माननीय विधायक की बात का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दो या तीन मिनट बोलूंगा। उन्होंने एक बात कही है कि यहां किसी निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर आरोप लगाये जा रहे हैं, अच्छा हो कि यह बात सही हो। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे दिख रहा है विलम्ब हो रहा है, अधिक सामग्री कम समय में लेने के लिए मैंने लिख ली थी मैं उसको पढ़ता, लेकिन उतना समय नहीं है इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस विधान सभा के हर सत्र में, किसी प्रश्न के माध्यम से, कटौती प्रस्तावों के माध्यम से बड़े स्पष्ट शब्दों में आयुर्वेद मन्त्रियों ने यह स्वीकार किया है कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार है, जिसकी वे जांच करायेंगे। उस भ्रष्टाचार के बारे में कांग्रेस (आई) के भी 21 विधायक लिखकर दे रहे हैं उस भ्रष्टाचार को लेकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के ऊपर अनेकानेक आरोप लगाये गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति साफ होनी चाहिये। साफ इसलिए होनी चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री आयुर्वेद को भी देखते हैं, उन पर भी आरोप हैं, आयुर्वेद निदेशक के ऊपर भी आरोप हैं, इनके बीच की कड़ी सचिवालय पर भी आरोप हैं। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय चिकित्सा मंत्री जी, निश्चित रूप से तीन महीने में सारी कार्यवाही करके स्पष्ट रूप से कहिये कोई आरोप नहीं है मेरा विभागाध्यक्ष साफ है, तो मैं समझता हूं राजस्थान की जनता को सन्तोष होगा। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 36 लेख अर्जित किये हैं, आपके द्वारा दिये गये आश्वासन के और सचिवालय के पत्रों की फोटो स्टेट प्रतियां, जिनकी चर्चा माननीय दीपेन्द्र सिंह जी कर रहे थे, ताम्बी जी कर रहे थे, दूसरे विधायक भी कर रहे थे। इन सबको मैं अभी आपको बताता 10 पेज का मेमोरेण्डम पढ़ने के लिए तैयार किया था उसकी एक प्रति आपको दे रहा हूं और एक प्रति सदन की मेज पर

(श्री कैलाश मेघवाल)

रख रहा हूं। एक उपमंत्री जी को दूंगा, मैं चाहता हूं आप निश्चित रूप से इस बात की घोषणा करें कि तीन महीने में इन सब बातों पर जांच होकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। आप बच जायेंगे, विभागाध्यक्ष भी बच जायेंगे, यह स्थिति ज्यादा अच्छी होगी बजाय इसके कि राजस्थान के आयुर्वेद जगत में असन्तोष रहे, गुटबाजी बढ़े, यह आरोप लगे कि मंत्री जी क्या-क्या करके विभागाध्यक्ष की यह सारी बात छिपाने के लिए प्रयत्नशील हैं, ऐसी स्थिति नहीं हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहता हूं, आप स्वयं निर्देश दें माननीय मन्त्री जी को। इन सारी बातों का निचोड़ यह है कि सब बातों की जांच कराली जाये। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि जांच के बारे में कुछ आश्वासन दिये, आपकी सरकार ने आश्वासन दिये, यह स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार है। यही मैं निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मैंने ज्ञापन पढ़ने के लिए तैयार किया था। एक प्रति प्रमाण सहित मंत्री जी को पेश कर देता हूं, एक प्रति सदन की मेज पर रख देता हूं और एक प्रति माननीय उप मन्त्री को पेश करता हूं। उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल आर्य।

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य और आयुर्वेद विभाग की डिमाण्ड पर विचार चल रहा है, मैं उस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह प्राचीन कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर सब सुखों के ऊपर पहला सुख है तो वह स्वस्थ शरीर है। मनुष्य का स्वास्थ्य एक अमूल्य धरोहर है और उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। हमें इस बात का दुख है कि हमारे चिकित्सक जिस वक्त अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कालेज में प्रवेश करते हैं तो इस तरह अपने आपको पाबन्द करते हैं कि कहीं भी सरकार हमें आदेश देगी वहां हम जायेंगे। उसके बावजूद अगर ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों का अभाव है और वह भी केवल इसलिए कि उनको शहरी सुविधायें, शहरी ऐशो आराम नहीं है, तो फिर इस तरह की हमारी प्रवृत्ति से ग्रामीण क्षेत्रों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल सकता। भारत की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। इसलिए मेरा निवेदन आपके माध्यम से मंत्री महोदय से है कि अगर इस प्रकार का कोई भी कर्मचारी अथवा अधिकारी चाहे किसी भी स्तर का डॉक्टर हो या कम्पाउण्डर हो, या नर्स हो, वह ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से आनाकानी करे, अथवा जोइन नहीं करे अथवा छुट्टी लेकर बैठ जाये तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोई नहीं जायगा।

इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र के अन्दर केसवना नाम का एक गांव है उस गांव के अन्दर आज से 4-5 साल पहले एक डिस्पेन्सरी खुली थी। वह खुलने के बाद वहां के दानदाताओं ने लाखों रुपये खर्च करके वहां बिल्डिंग बनवायी, डॉक्टर, कम्पा-

(श्री मांगीलाल आर्य)

उण्डर, आदि के रहने के लिए सारी व्यवस्था की परन्तु उसके बाद में जनता पार्टी के शासन में उसको बन्द कर दिया गया। आज, उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत है कि वहां पर केवल एक नर्स बैठा रखी है। आज डिस्पेन्सरी खोलने की इस तरह की व्यवस्था की गयी है कि कहीं पर डिस्पेन्सरी खुली हो और किसी कारण से बंद हो गयी है। तो उसको प्राथमिकता दी जाय तो....

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : जनता पार्टी के महामन्त्री थे ये जिले के। इनकी क्षमता का परिचय है यह....

श्री मांगीलाल आर्य : मैं एम. एल. ए. नहीं था वरना यह नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, उस जगह लाखों रुपये खर्च करके भी वह बिल्डिंग बेकार पड़ी है इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां तत्काल हॉस्पिटल खुलवाकर बिल्डिंग का उपयोग किया जाय वरना उसके आसपास सारीं....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री मांगीलाल आर्य : 10 किलोमीटर क्षेत्र में कहीं कोई सुविधा नहीं है, या तो जालोर आना पड़ता है या....

(व्यवधान)

तो सबसे पहले मेरा जिला शिडयूल्ड कास्ट्स का जिला है, क्षेत्र है, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। शिड्यूल्ड कास्ट्स में भी, मैं तो शिड्यूल्ड कास्ट हूं, शिड्यूल्ड में भी शिड्यूल्ड जिसके काम को वरिष्ठ प्राथमिकता मिलनी चाहिये मगर मेरे क्षेत्र में प्राथमिकता देने के बजाय उसको बिलकुल नजर अन्दाज किया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें और जो बिल्डिंग है उसका उपयोग करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सूची निकाली गई है उसमें 1977 में जो डिस्पेन्सरीज केन्सिल हुई थीं उसमें सेन्ट पर्सेन्ट ये स्वीकृत हुई तो यह गांव कैसे पीछे रह गया, भेदभाव हुआ है।

श्री मांगीलाल आर्य : पता नहीं, उसमें बिल्डिंग बनी हुई है, लाखों रुपया दानदाताओं ने लगाकर स्टाफ क्वार्टर भी बनाये हैं। सारी बातें हैं इसके बावजूद ध्यान नहीं दिया गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको टाइम नहीं दूंगा।

श्री मांगीलाल आर्य : तो उपाध्यक्ष महोदय, अस्पताल के अन्दर दानदाताओं द्वारा जो साधन सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं, उसमें कोई टैक्निकल डिफेक्ट होने के कारण अथवा उसकी सही ढंग से मरम्मत नहीं होने के कारण वह बेकार पड़ी हैं। हजारों रुपये के फ्रिज, एक्स-रे, मशीन व अन्य

(श्री मांगीलाल आर्य)

उपकरण बेकार पड़े हैं, मेरा निवेदन है कि उनकी रिपेयर करवाकर जनहित में उन्हें काम में लिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट में सुझाव दे दें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरी आत्मा रो रही है, आज आयुर्वेद की आलोचना जापान में रहे राजघराने के एक व्यक्ति, जो माननीय सदस्य हैं, ने की। उसके बाद में मैं विवश हो गया हूं कि मैं अपने विचार प्रकट करूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे प्रदेश में आयुर्वेद की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके तो जीवन-यापन का स्तर यह है कि आज अगर उनके घर का कोई छोटा नौकर बीमार होता है तो दो-दो डाक्टर आते हैं क्योंकि वह एक सम्पन्न घराने के हैं। वह क्या जानते हैं कि आयुर्वेद की क्या उपलब्धि रही है। आयुर्वेद की यह उपलब्धि है कि इस देश की 90 पर्सेन्ट जनता, जो गरीब जनता है, गरीब तबके की है, को अगर राहत पहुंचाई है तो वह जड़ी बूटियां और आयुर्वेद द्वारा ही पहुंचायी गई है। बड़ी-बड़ी औषधियों से रिएक्शन के द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं उनका निदान अगर किया जा सकता है तो सिर्फ आयुर्वेद के द्वारा ही किया जा सकता है। आज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होना चाहिये कि जो व्यक्ति आयुर्वेद के बारे में नहीं जानते उनको क्या हक है....

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोर्ड का मैम्बर बना दें।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं, एक नियोजित षड़यन्त्र है इन लोगों का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं यहां की जड़ी बूटियों, जिनका विदेशी लोग आदर करते हैं और रिसर्च करने के लिए यहां पर आते हैं, की उपेक्षा हो रही है यह बहुत बड़ा अन्याय है।

श्री उपाध्यक्ष : आयुर्वेद कॉलेज में आपका लैक्चर करवा देंगे। आप अपनी डिमाण्ड पर बोलिये।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद हमारे देश की सबसे प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था है, उसकी उपेक्षा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जो उसके लिये बजट दिया है वह ऊंट के मुंह में जीरा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब आपके माध्यम से मैं कुछ मेरे क्षेत्र की समस्याओं

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रदेश के चिकित्सा विभाग के जो मन्त्री हैं वह मेरे खयाल से शारीरिक रूप से अक्षम हैं तभी उनकी दया दृष्टि कुछ लिमिटेड एरिया में ही रहती है। जिस तरह उन्होंने इस दफा मेडिकल डिस्पेन्सरी खोली हैं, पता नहीं क्या क्राइटेरिया स्थापित किया है। मेरे खयाल से तो उनका मेडिकल डिस्पेन्सरी खोलने का क्राइटेरिया सिर्फ यह था कि उनके पीछे कितना वजन है। माननीय मन्त्री महोदय, मैं कहना चाहता हूं आप स्वयं समझ गये होंगे उस वजन से क्या तात्पर्य है क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं। एक आर. ए. एस. आफिसर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि झुन्झुनू जिले में तीन-चार डिस्पेन्सरीज खोली गई हैं, परन्तु उनमें एक भी डिस्पेन्सरीज ऐसी नहीं है जहां पर भवन की सुविधा उपलब्ध हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में दस हजार की आबादी के गांव हैं, मैं समझता हूं, वहां 15 से 20 किलोमीटर तक कोई भी मेडिकल फेसिलिटी उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में सदन में याचिका दी गई, पहले कई बार आश्वासन दिया गया, किन्तु पता नहीं रिटायरमेंट के बाद माननीय मंत्री महोदय मंत्री बने हैं इसलिए इनकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो चुकी है या इन्द्रियों पर इनका नियन्त्रण नहीं रहा इसलिये इन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसी विडम्बना है। मैं ग्रामीण क्षेत्र की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है जैसा कहा गया है, 1977 में कांग्रेस शासन में कई एडपोस्ट और डिस्पेन्सरीज की घोषणा की गई थी, परन्तु वे किन्हीं कारणों से नहीं खुल पायी थीं, अब उनको खोला जा रहा है। मेरे क्षेत्र में एक एडपोस्ट की घोषणा हुई थी और आर्डर निकाला गया था किन्तु पता नहीं किन कारणों से वह एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या मंत्री महोदय ने अब भी भेदभावपूर्ण नीति की....

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, किन्हीं कारणों से क्या, जनता पार्टी ने बदले की भावना से किया था, कारण क्या होता है। स्पष्ट है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, माननीय सदस्य रामसिंहजी एक वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं उन्होंने अपने भाषण से स्पष्ट कर दिया कि मन्त्री महोदय फिर वही पक्षपातपूर्ण नीति अपना रहे हैं। अगर 1977 में जनता पार्टी की गलती से नहीं खुली और आगे नहीं खुलती है यह मन्त्री महोदय की, सरकार की गलती है। इसको मन्त्री महोदय स्पष्ट करेंगे, मेरा आरोप है वह सही है या नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं आपके माध्यम से....

श्री परसराम मदेरणा : आरोप बहुत निराधार है, मेरे यहां भी खुली थी 1977 में, क्योंकि इनके पास साधन नहीं थे साधनों के अभाव में सब जगह खोल दी, 1977 में

(श्री परसराम मदेरणा)

तो आपके यहां भी खुली होगी आपके यहां पहले खुल जाए और दूसरों के बाद में, यह कैसे हो सकता है ।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपके बावड़ी में खुला है, खुला कैसे नहीं ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, वह डिस्पेन्सरी खुली है एड पोस्ट नहीं खोला था ।

(व्यवधान)

मैं कह रहा हूं मुझे मालूम है, उनकी संख्या एक सौ और कुछ है । वह प्रावधान हुआ इस साल और अगले साल और प्रावधान होगा । 1977 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने खोली थी, दूसरी जगह खुलेगी तो यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जायगा कि उस जगह कौन माननीय सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहा है ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने यह घोषणा की थी 1977 में खुल जायगी, एक एक कान्स्टीट्यूएन्सी में 25-25 प्राइमरी स्कूल खोले हैं । कुछ हां माननीय सदस्यों के क्षेत्र में खोले हैं । माननीय मन्त्री महोदय जानते हैं किन किनके यहां खोले हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक दो प्राइमरी स्कूल खोले हैं । तो यह कहना, आपके यहां घोषणा....

श्री उपाध्यक्ष : यह स्कूलों की डिमाण्ड नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : जवाब दे रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के सक्षम चिकित्सा मन्त्री का ध्यान मेरे क्षेत्र की समस्याओं की तरफ आकर्षित करता हूं । मेरे क्षेत्र में रेफरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग उदयपुर वाटी में बनकर तैयार हो चुकी है जो तहसील हैडक्वार्टर है, पचायत समिति हैडक्वार्टर है और जहां पर दूसरी फेसिलिटी नहीं है । रेफरल हास्पिटल की जो बिल्डिंग है वह बनकर तैयार हो चुकी है, परन्तु पता नहीं क्यों अभी उसको चालू नहीं किया जा रहा है और डाक्टर रेफरल हॉस्पिटल....

श्री उपाध्यक्ष : बाकी बात आप लिखकर दे देना ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : एक मिनट में समाप्त करता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि वहां पर रेफरल हास्पिटल का स्टाफ जल्दी से जल्दी नियुक्त होना चाहिये । मैं कहना चाहता हूं मेरी दो लाख की आबादी का क्षेत्र है उसमें एक भी लेडी डाक्टर नहीं है । तीन-चार जगह ऐसी हैं जहां पर मेटरनिटी सेन्टर नहीं है । एक दूसरा उदयपुर वाटी में कहीं पर भी लेडी डाक्टर नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय जल्दी से जल्दी व्यवस्था करेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां तमोला नाम का गांव है उसकी आठ हजार की आबादी है वहां पर डिस्पेन्सरी की बिल्डिंग बने 15 साल हो

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

गये परन्तु डिस्पेन्सरी नहीं खोली। कोई सरकार....

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा यह ज्वलन्त समस्या है, आज मेडिकल फेसिलिटी उपलब्ध कराना हमारा अपना दायित्व है। सेण्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सरकार को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर चार-पांच हजार की आबादी पर एक सब सेण्टर उपलब्ध कराया जायेगा परन्तु मैं यह कहता हूं कि अभी तक उसके बारे में कुछ भी व्यवस्था नहीं हुई है इसलिये तत्काल व्यवस्था कीजिये। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आयुर्वेद के के खिलाफ इन्होंने जो आरोप लगाये आप इनसे पूछिये कि इनकी श्रीमती जी जहां भर्ती हैं वहां कौन सा अस्पताल है? आयुर्वेद का है या एलोपैथिक का है?

श्री उपाध्यक्ष : यह इनकी मर्जी है कि जहां चाहे भर्ती करा सकते हैं आप इन्हें कैसे रोक सकते हैं?

(व्यवधान)

आप बैठ जायें

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : जो मेरे क्षेत्र की ज्वलत समस्या है उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। अभी रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनके यहां जो आयुर्वेद की डिस्पेंसरी खोली गयी थी उसका बाद में ट्रांसफर कर दिया गया। उसका जवाब मेरे पास है उसमें तथ्य है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उस घोटाले के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की उस डिस्पेंसरी को वहां से हटा कर दूसरी जगह ले जाने का क्या औचित्य था? मंत्रिमण्डल के सदस्यों की जो भावना थी, उसको ट्रांसफर करने की जो वजह थी उसको मैंने स्पष्ट कर दिया। डिस्पेंसरी को ट्रांसफर कर उस क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है। मंत्री महोदय जवाब दें तो उनके ऊपर जो आरोप लगाये जा रहे हैं, उनसे उनकी सफेद चादर में जो दाग लगे हैं उनको मिटाना चाहते हैं तो वह स्पष्ट करें आखिर उनकी मंशा क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

आप एक मिनट बैठ जायें, मैं खुद खड़ा हूं।

बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का टाइम खतम हुये 25 मिनट हो गये फिर भी मैं बहिन को मौका देता हूं।

श्री अनंगकुमार जैन : एक बहिन और एक भाई को मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

समय बरबाद न करें, उनको बोलने दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे बाद यह बोल लेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बैठ जायें।

(व्यवधान)

आपको बोलना है तो बोलें। मैंने आपको इसलिये मौका दिया है कि आप महिला हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं कहना चाहूंगी, मंत्री महोदय ध्यान दें, यह योजना बनाई जानी चाहिये कि मातृ शिशु कल्याण केन्द्र आठ मील की दूरी पर खोले जायें। जो प्रसव से पीड़ित महिला होती हैं, गांव में उनको बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि चिकित्सा सुविधा वहां उपलब्ध नहीं होती और उनकी देखभाल अशिक्षित दाइयां करती है। किन्तु वह भी उपलब्ध नहीं हैं। मैं समझती हू आप इसकी व्यवस्था करेंगे। आप अपने चिकित्सालयों में नर्सें और बढ़ायें। रूस ने तो इस क्षेत्र में बहुत प्रगति कर ली है उसने इस तरह की औषधियों का निर्माण कर लिया है जिससे पीड़ा न हो, ऐसी कई औषधियों का आप भी निर्माण कराइये। मैं कहना चाहूंगी कि बहुत पीड़ा की बात है इसको आप लोग नहीं समझेंगे, आपने महसूस नहीं किया है मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी कि....

(व्यवधान)

यह कोई हंसी उड़ाने की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, टाइम बहुत हो गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कहना चाहूंगी कि आज के मुकाबले में पहले जब अंग्रेजों का राज था....

श्री उपाध्यक्ष : आप नर्सों की बात कीजिये, काहे का दोष दे रही हैं अंग्रेजों को, गोली मारो।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगी कि बच्चों को टाइम पर पोलियो के टीके लगाये जायें, उनकी स्कूलों में जांच कराई जाये क्योंकि जो बच्चे बाद में पीड़ित हो जाते हैं उनकी रोकथाम नहीं हो सकती इसलिये पांच साल के बच्चों से लेकर सैकण्डरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आप यह योजना बनायें कि डाक्टर स्कूलों में जायें और उनकी जांच करें ताकि जो आने वाले रोग हैं उनसे उनको बचाया जा सके। मैं कहना चाहूंगी कि कई ऐसे असाध्य रोग हैं, जो माताओं को

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लगते हैं। आजकल मंहगाई के जमाने में खाने को कुछ नहीं मिलता, ऐसे समय में उनका कल्याण केन्द्रों में पोषण होना चाहिये, उनको पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिये। स्वास्थ्य की गोलियां, कुछ प्रोटीन के आहार उनको उपलब्ध करायें इससे आने वाले जो बालक हैं वह स्वस्थ रहेंगे। मंत्री महोदय का मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं कि जयपुर में जिला चिकित्सालय खोलने की योजना थी वह मेरी समझ में नहीं आता कहां चली गई? हमारे एस. एम. एस. में बहुत ज्यादा प्रेशर है उसको कोपविद नहीं किया जा सकता। आप डिस्पेन्सरियां खोलिये। जो शहर के चारों तरफ डिस्पेन्सरियां हैं उनमें प्रसूति सुविधा उपलब्ध कराइये इससे हमारे बड़े अस्पतालों का बर्डन कुछ कम होगा। उनमें लेबोरेट्रीज की सुविधाएं नहीं हैं वह उपलब्ध कराइये। पागलों के अस्पताल में आज सहायक की कमी है, नर्सों और कम्पाउण्डरों की भी कमी है। एक मरीज को पकड़ने के लिये, उस पर काबू पाने के लिये सात-आठ सहायकों की जरूरत होती है। आपके वहां पर सहायक बहुत कम है। मैं कहना चाहूंगी कि आप इस व्यवस्था को ठीक करिये। मान्यवर, हमारे छः अस्पताल हैं उनमें टी० बी० अस्पताल की हालत बहुत खराब है। वहां पर मरीज को रखने की ठीक से व्यवस्था नहीं है, वहां पर बहुत हालत खराब है। बाहर चारों तरफ से बाउण्डरी खुली है वहां से सूअर घुसे चले आते हैं, नीचे जमीन से चूहे निकल कर आते हैं और सब चीजों को खराब करते हैं। आप लोग सुविधायें उपलब्ध कराते हैं लेकिन मैंने भी व्यवस्था देखी है और वहां पर इतनी अव्यवस्था है....

श्री उपाध्यक्ष : आप एक चूहा पकड़ कर लातीं तो अच्छा रहता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके सुझाव पर अगली बार चूहे के साथ सूअर भी पकड़ लाऊंगी। वहां पर मिट्टी के टीले हैं उनमें चूहे पनपते हैं, उनके कारण इतनी गन्दगी है, मान्यवर, कि वह बर्दाश्त नहीं हो सकती। वहां की व्यवस्था सुधारी जानी चाहिये। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि कुष्ट रोग का जयपुर में इलाज नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : वहां पर जो म्युनिसिपैलिटी है वहां जाकर व्यवस्था....

(व्यवधान)

बैठ जायं, माननीय सदस्य।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं आधा मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में बाधा डाल रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, हमारे एस. एम. एस. में दांतों के एक्स-रे के लिये प्लेट नहीं मिलती, अन्य एक्स-रे के लिये भी प्लेट नहीं मिलती। तीन लिफ्ट्स हैं उनमें से कभी एक चालू रहती है और कभी दो। शाम को वह सब बन्द हो जाती हैं। वहां के सुपरिन्टेन्डेंट के दिमाग में पता नहीं क्या खपत है कि वह ताले लगवा देते हैं जिससे लोगों को व मरीजों को घूमकर जाना पड़ता है। इससे बीमार आदमी को

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बहुत परेशानी होती है, खाना पहुंचाने, सब्जी आदि पहुंचाने में भी दिक्कत होती है। मान्यवर, यह सब अव्यवस्थायें है इन अव्यवस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिये।

मैं पेयजल के बारे में कहना चाहूंगी। यहां जल तो उपलब्ध कराया जा रहा है किन्तु वह पेयजल नहीं है, उसको पेय जल नहीं कह सकते। मैं कहना चाहूंगी पेयजल को पेयजल की तरह से दिया जाय। इस पेयजल से बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। वातावरण दूषित है। मेरे यहां जैसे जल-महल है, आप कभी दिल्ली गये होंगे, उसके पानी की बदबू के मारे दिमाग सड़ जाता है। मान्यवर, जो ट्रीटमेंट प्लांट की योजना है वह योजना असफल रही है उसकी इसमें फोटो दिखाई गई है। सेंटर में ट्रीटमेंट प्लांट का जो प्लान बनाया है उसमें दो करोड़ रुपया मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में लगा है। लेकिन मान्यवर, एक तरफ से साफ पानी उसमें आता है दूसरी तरफ से गंदा पानी आता है तो क्या फायदा ? यह डेढ़ करोड़ की योजना है। विश्व बैंक से पैसा लेकर आये हैं और सारी योजना का सत्यानाश कर दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : बाकी जितनी बातें हैं, सजेशन हैं वह लिख कर भेज देना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक सजेशन और देती हूं। जनाना अस्पताल में शय्याओं का इन्तजाम कम है और धरती पर औरतें पड़ी रहती हैं। अस्पताल के पीछे वहां की सुपरिटेन्डेंट गुप्ता का निवास है तो क्यों नहीं उस अस्पताल को वहां तक फैलाया जाता है ? जितनी जगह में अस्पताल बना हुआ है उससे ज्यादा जगह सुपरिन्टेंडेन्ट के निवास के लिये है। मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय एक बार सारे स्थान का दर्शन करके आयें। मेरा फिर सुझाव है कि पास ही जो पुलिस लाइन का आफिस है आप उसको लीजिये और पुलिस लाइन्स को नई पुलिस लाइन्स में भेज दीजिये।

एक निवेदन और करना चाहूंगी जो एम्बूलेंस की व्यवस्था है उसका पूल बनाया जाना चाहिये, केवल सवाई मानसिंह अस्पताल में एम्बूलेन्स की व्यवस्था है और दूसरी जगह कहीं नहीं है। जिस किसी अस्पताल में जरूरत हो किसी डिस्पेन्सरी को जरूरत हो मरीज को लाने के लिये या डाक्टर को बुलाने के लिये तो डाक्टर्स के लिये देंगे नहीं। वह, मान्यवर, सेवाओं में चली गई।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसका पूल बनाया जाना चाहिये, मान्यवर, तभी सुचारू रूप से सुविधा होगी। गांवों में, मैं समझती हूं कि समय समय पर शल्य चिकित्सा इकाइयां भिजवायें जिससे उनको समय समय पर सुविधायें दी जा सकें। एक और बात है। मेरे क्षेत्र में मोतीकटला डिस्पेंसरी में जब मैंने चुनाव लड़ा था तब बल्लियां थीं। अभी तक उसमें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो बल्लियां हैं, मान्यवर, उन बल्लियों को हटाने की

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

व्यवस्था नहीं की है। कभी किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी या किसी मरीज के सिर पर गिर गई तो ठीक नहीं रहेगा। अभी भी एक कमरा बल्लियों पर टिका है उसके लिये बजट में व्यवस्था करें। मंत्री महोदय, एक बात रह गई बहुत जरूरी है, वह आपसे भी संबंधित है। उमलापर हुक्मा हिकमत की परीक्षा होती थी जिससे हिकमत का प्रमाण पत्र मिल जाता था। पिछले दिनों इस प्रमाण पत्र की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और वह अब रह गये हैं कम्पाउंडर। सारा दवाखाना बिना हकीम के पड़ा हुआ है, मैं समझती हूं यह व्यवस्था गलत है,। तिब्बिया कालेज को आप बजट देते हैं वहां पर रीडर आपने अयोग्य लगा रखा है उसको आप देखें और इस विधि को मान्यता दें जिससे हमारे हकीम दवाखानों में आकर चिकित्सा कर सकें। आयुर्वेद में बहुत गड़बड़ इस साल कराई है। पूरे साल, मान्यवर, वहां पर दवाइयों का चयन नहीं करने दिया, कहां से चिकित्सालय चलता, कहां से रोगियों को दवाइयां मिलतीं? अब उन्होंने अंत में बजट दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसके लिये एक कमेटी बनी थी जिससे वहां कोई निदेशक हो या आप हो कोई भी हो उन पर आरोप नहीं लगे। मैं कमेटी की मैम्बर थी, इंदिरा गांधी ने मेरी सरकार को भंग कर दिया, कमेटी भंग हो गई तो रिपोर्ट नहीं दे पाये वह रिपोर्ट विभाग के पास रखी है उसको पढ़ें तो आयुर्वेद में बहुत कुछ हो सकता है, मेरा यही कहना है। धन्यवाद।

श्री अनंग कुमार जैन : आधा मिनट?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री अनंग कुमार जैन : आधा मिनट।

श्री भंवरलाल शर्मा : He will be the last speaker.

श्री उपाध्यक्ष : No no. I will not allow. मंत्री महोदय जवाब देंगे।

(व्यवधान)

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी का टाइम आधा घंटा ज्यादा हो गया।

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : आधा मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना शुरू कर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : He will be the last speaker.

श्री सी. एल. कंवरिया : मेरी मांग संख्या 26...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

276

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : आधे मिनट में अपनी बात कहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । मैं इजाजत नहीं देना चाहता । मैंने कह दिया आपको ।

श्री सी. एल. कंवरिया (चिकित्सा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सामने मांग संख्या 26 प्रस्तुत की उसके संबंध में माननीय सदस्यों के कई बहुमूल्य सुझाव भी आये, कइयों ने अलग अलग अपने क्षेत्रों की अपनी अपनी कठिनाइयां और अपनी अपनी मांगें भी सामने रखीं । स्वास्थ्य और चिकित्सा बिभाग सेवाओं का एक आवश्यक अंग है । हमारे देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरागांधी ने ···

श्री भंवर लाल शर्मा : क्या नाम लिया ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री सी. एल. कंवरिया : एक सम्मेलन में यह कहा था कि एक देश का स्वस्थ नागरिक राष्ट्र की धरोहर है । अगर राष्ट्र के निवासी, देश के निवासी स्वस्थ होंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा और राष्ट्र मजबूत होगा तो राष्ट्र सम्पन्न होगा । यह हमारे देश की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के शब्द हैं जो उन्होंने स्वास्थ्य सम्मेलन में कहे थे, वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के········

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा पाइंट आफ आर्डर है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । इंदिरा गांधी के नाम से आपको चिढ़ क्यों है ?

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं, हमको चिढ़ नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रधान मंत्री का नाम लेकर····

श्री यदुनाथ सिंह : जब हमने नाम लिया तो आसन ने कहा कि इंदिरा गांधी का नाम न लें, आपने व्यवस्था दी कि इंदिरा गांधी का नाम न लें ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई व्यवस्था ऐसी नहीं दी थी, बैठ जाइये ।

श्री सी. एल. कंवरिया : वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन की कान्फ्रेंस एम्बसटरडम 1978 में हुई थी । उसमें समस्त देशों के लिये उन्होंने एक निश्चित कार्यक्रम निर्धारित किया था और वह कार्यक्रम "हैल्थ फार आल बाई 2000 ए० डी०" समस्त देशों के लिये यह एक निर्धारित कार्यक्रम उन्होंने रखा कि समस्त देशों में सारे वहां के निवासी 2000 ए० डी० तक स्वस्थ हो जायं । इस कार्यक्रम का मतलब यह है कि आने वाले 20 वर्षों में देश के अंदर जितनी बीमारियां हों उनका उपचार हो, देश के निवासियों को ऐसी शिक्षा मिले जिससे कि उनका स्वास्थ्य लाभ हो । चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग न केवल बीमारियों का उपचार ही करता है बल्कि बीमारियों की रोक-थाम का कार्यक्रम भी उसके सामने है । आज हमारे सामने यह भी लक्ष्य है और हम यह चाहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य

(श्री सी. एल. कंवरिया)

और चिकित्सा की सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर से दूरस्थ गांवों में, उपलब्ध हों और गरीब से गरीब आदमी को इस सेवा का लाभ मिले। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुये हम न केवल शहरी क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रहे हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम निरंतर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करने जा रहे हैं। आज जब यह वर्ष पूरा होने जा रहा है, हमने इन क्षेत्रों में,

(10.20 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, 234 प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खोल दिये हैं और डिस्पेन्सरियां भी खोल दी गई हैं। इसके अलावा सब सेन्टर्स 2340 हैं। यह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्र न केवल शहरी क्षेत्रों में ही हैं बल्कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका निरन्तर प्रसार होता जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्पेन्सरीज खोली जाती हैं, एडपोस्ट खोली जाती हैं, सब सेन्टर्स खोले जाते हैं। मैं सबसे पहले जो हमारी राष्ट्रीय ज्वलन्त समस्या है उसके बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां पर सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया कि चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ हमारी सबसे अधिक समस्या है उसके लिये जो कार्यक्रम आवश्यक है वह है हमारे यहां पर बढ़ती हुई आबादी को रोकना। इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह आप सभी लोग जानते हैं और आप सभी लोगों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को यहां पर रखा अगर हम इस ज्वलन्त समस्या की ओर ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे यहां पर जितने विकास के कार्यक्रम बनते हैं, चाहे जितने विकास के कार्यक्रम बन जायं, वह हमारी बढ़ती हुई आबादी के कारण माइनस हो जाते हैं। मैं आपकी सूचना के लिये यहां पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। सन् 1951 में हमारे देश में लगभग 36 करोड़ की आबादी थी और वह आबादी सन् 1971 में बढ़ते बढ़ते 55 करोड़ हो गयी और वही आबादी बढ़कर 1981 में 68 करोड़ हो गयी। और अब यह अनुमान लगाया जाता है कि अगर इसी प्रकार हमारे राष्ट्र की आबादी निरन्तर बढ़ती गई तो आगे आने वाले 30 वर्षों में हमारे देश की आबादी दुगुनी हो जायेगी। आप इसको इमेजिन कीजिये और जरा ध्यान कीजिये कि आगे आने वाले 30 वर्षों में अगर इस द्रुत गति से आबादी बढ़ती गई और उसकी रोकथाम नहीं की गयी तो हमारी यह आबादी बढ़ते बढ़ते 137 करोड़ हो जायगी उस वक्त हमारे देश की क्या स्थिति हो सकती है उसका आप अन्दाज लगाइये।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह विश्नोई : तो आप

(श्री रामसिंह विश्नोई)

आबादी को रोकने के लिये चिकित्सा सेवायें बन्द कर दें।

श्री सी. एल. कंवरिया : चिकित्सा सेवायें भी आवश्यक हैं। लेकिन बढ़ती हुई आबादी की रोकथाम भी बहुत आवश्यक है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत करा देना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के लिये इस वर्ष भारत सरकार ने एक लाख 34 हजार आपरेशन का परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य रखा था आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि यह हमने लक्ष्य पहली दफा में 28 फरवरी को ही प्राप्त कर लिया और····

श्री गोपाल पचेरवाल : खेतसिंहजी की नसबन्दी कराई की नहीं ?

श्री सी. एल. कंवरिया : तो अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की 24 स्टेट्स में हमारी स्टेट का नम्बर सातवां है और नार्थन स्टेट्स में हमारा नम्बर प्रथम है। यह मैं पिछली दफा····

श्री खेतसिंह राठौड़ : जब से मैंने चार्ज संभाला तब से हुआ है।

(व्यवधान)

श्री सी. एल. कंवरिया : तो मैंने आपको जिस समस्या के बारे में कहा वह कम महत्व की नहीं है यह सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। चाहे कितने ही डवलपमेन्ट के प्लान्स आप बना लें यदि आपकी आबादी बढ़ जाती है तो वह सभी डवलपमेन्ट के प्लान्स माइनस होते जायेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ और आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : घणो, बस।

(व्यवधान)

श्री सी. एल. कंवरिया : मैं आपको निवेदन करूं कि जो डवलपिंग नेशन्स हैं उनमें हमारे देश का 12 वां नम्बर है। हमारे यहां जो विकास हुआ है और जो हमारा धन बढ़ा है उसके आधार पर 12 वें नम्बर पर हैं लेकिन इस देश के धन को अगर बांटा जाय और पर केपिटा इनकम देखें तो 506, आती है। इससे आप अन्दाजा लगायें कि हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी की तरफ ध्यान देना लाजमी है। यह कहते हैं कि हमारे भारत वर्ष में हर साल एक आस्ट्रेलिया जुड़ जाता है। एक आस्ट्रेलिया की पापुलेशन जितनी ही हमारे देश में जुड़ जाती है।

श्री अध्यक्ष : अब तो कनाड़ा जुड़ने लग गया है, आस्ट्रेलिया तो छोटा पड़ता है।

श्री सी० एल० कंवरिया : तो मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि आस्ट्रेलिया जिसकी पापुलेशन सवा करोड़ है और कनाड़ा की आबादी ढाई करोड़ है····

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आप केन्द्रीय मंत्री के रूप में बोल रहे हैं या राजस्थान के मंत्री के रूप में बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सी० एल० कंवरिया : तो अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े बता रहा हूं उसकी ओर बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर, व्यवधान नहीं डालें।

श्री सी० एल० कंवरिया : राजस्थान की आबादी जो कि सन् 1971 में दो करोड़ 85 लाख थी वह 1981 में बढ़कर 3 करोड़ 41 लाख हो गयी। यानी दस वर्ष में आबादी 83 लाख बढ़ गयी। आप ध्यान कीजिये अगर हमारी आबादी इस तरह से निरन्तर बढ़ती रही और हम इसे आल इण्डिया बेसिस पर देखें तो हम बहुत पीछे हैं। आल इण्डिया में जब पापुलेशन दूसरी जगह पर 25 बढ़ती है तो हमारे राजस्थान में आबादी बढ़ने का रेश्यो 34.7 है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : पीछे नहीं आगे हैं।

श्री सी. एल. कंवरिया : तो अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : यह तो मन्त्री महोदय का खयाल है।

श्री सी. एल. कंवरिया : अब मैं आपका ध्यान राजस्थान में जो विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा सेवाओं का प्रसार हो रहा है उनके बारे में आकर्षित करना चाहता हू। हमारे जो कार्यक्रम हैं उसमें मिनिमम नीड्स प्रोग्राम चल रहा है। उस मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में आने वाले वर्ष में हम सात प्राइमरी हैल्थ सेन्टर अपग्रेड करके रेफरल हास्पिटल में बदल रहे हैं। जो सात प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हैं उनमें हम 30-30 शय्यायें लगवा रहे हैं और हॉस्पिटल का स्वरूप दे रहे हैं। जो रेफरल हॉस्पिटल होते हैं उनमें जिस प्रकार की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध होती हैं वह वहां पर होंगी। वहां पर स्पेशलिस्ट भी होंगे, तो सात प्राइमरी हैल्थ सेन्टर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत शुरू हो रहे हैं। प्राथमिक सेवायें केन्द्र जो हमारे 232 पंचायत समितियों में थे वह....

एक माननीय सदस्य : उसमें एक आयुर्वेदिक अस्पताल हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारे कोटा बूंदी, झालावाड़ में आयुर्वेदिक अस्पताल हो।

श्री सी. एल. कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आयुर्वेद की तरफ बाद में आऊंगा।

(श्री सी. एल. कंवरिया)

अभी तो मैं, अध्यक्ष महोदय, केवल एलोपैथिक के उपर अपना प्रकाश डाल रहा हू ।

(व्यवधान)

हमारे यहां पर पहले 232 पंचायत समितियां थीं उनमें एक एक स्वास्थ्य केन्द्र था । पिछले साल हमने दो स्वास्थ्य केन्द्र खोले थे और अब इस वर्ष दो प्राथमिक केन्द्र और खुलेंगे । इस प्रकार हमारे राजस्थान में जो कुल 236 पंचायत समितियां हैं उनमें 236 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खुल जावेंगे ।

श्री अनंग कुमार जैन : आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है ।

श्री सी. एल. कंवरिया : हमारे यहां 236 पंचायत समिति में 236 प्राथमिक हैल्थ सेन्टर खुल जावेंगे । अब हमारे यहां सहायक स्वास्थ्य केन्द्र एक नयी योजना है उसको सब्सिडियरी हैल्थ सेन्टर्स भी कहते हैं । यह नयी योजना इस आने वाले वर्ष से ही लागू हो रही है । इस योजना के अन्तर्गत 20 हजार की जनसंख्या वाले क्षेत्र में जो पहले से डिस्पेन्सरी खुली हुई है उसको सब्सिडियरी हैल्थ सेन्टर के लिए चुना जाएगा, और उस डिस्पेन्सरी को सब्सिडियरी हैल्थ सेन्टर में परिवर्तित किया जायगा । परिवर्तन के बाद उस क्षेत्र में उस डिस्पेन्सरी, जो कि सब्सिडियरी हैल्थ सेन्टर में परिवर्तित कर दी जायेगी, में लगभग 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष का स्टाफ और बढ़ेगा एक डाक्टर तो पहले से ही होगा लेकिन एक डाक्टर और बढ़ेगा । इसी प्रकार स्टाफ भी बढ़ेगा और 10 हजार रुपये की एडीशनल दवायें उसमें उपलब्ध कराई जायेंगी । इसके अलावा 25 हजार रुपये की कीमत के उपकरण यानी इक्विपमेंट उपलब्ध कराये जायेंगे । इसी प्रकार 10 हजार रुपये की मेडिसिन्स भी अतिरिक्त दी जायेंगी । इस प्रकार यह सब्सिडियरी हैल्थ सेन्टर्स ग्रामीण क्षेत्रों में चुने जायेंगे । अगले साल हमारा यह लक्ष्य है कि 100 सब्सिडियरी हैल्थ सेन्टर्स चुने जायें लेकिन उसके लिए यही शर्त होगी कि जो डिस्पेन्सरी है उसकी जो एडीशनल बिल्डिंग होगी वह वहां के निवासियों को और वहां के क्षेत्र के लोगों को जोड़कर देनी पड़ेगी । उसके अन्तर्गत मातृ शिशु कल्याण का भी एक विंग होगा, उसमें लेबोरेट्री का प्रावधान भी होगा । तो यह अतिरिक्त सेवायें इसके अन्दर उपलब्ध की जायेंगी । लगभग एक लाख की लागत का भवन उसमें जोड़ दिया जायेगा और एक सब्सिडियरी हैल्थ सेन्टर इस प्रकार से स्थित होगा कि उसके अन्तर्गत 4 उपकेन्द्र यानी सब-सेन्टर भी उसकी देखरेख में होंगे । यह हमारा 1982-83 के लिए लक्ष्य रखा गया है ।

एक माननीय सदस्य : और एड पोस्ट ?

श्री सी. एल. कंवरिया : एड पोस्ट तो नहीं खुलेंगी । यह सब्सिडियरी हैल्थ सेन्टर्स खुलेंगे जो डिस्पेन्सरी खुली हुई है उसमें । जैसा मैंने निवेदन किया उसके अन्दर 50

(श्री सी. एल. कंवरिया)

हजार का एडीशनल स्टाफ, 25 हजार के इक्विपमेंटस और 10 हजार की मेडिसन्स होंगी। इसी प्रकार नये सब सेन्टर्स का भी लक्ष्य रखा गया है और 100 केन्द्र तो यू. एन. पी. ए. के अन्तर्गत तीन जिले चुने गये हैं सवाई माधोपुर, भरतपुर और कोटा....

एक माननीय सदस्य : आपने चुने या पहले से ही हैं।

श्री सी. एल. कंवरिया : यह पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के द्वारा चुने गये हैं। उन 100 उप-केन्द्रों में यू. एन. पी. ए. के अन्तर्गत केन्द्र बनाये जायेंगे। इसके अलावा 150 और उप-केन्द्र चुने जायेंगे जहां इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध होंगी।

हमारे यहां जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, नेशनल प्रोग्राम, जिसकी बड़ी ज्वलंत समस्या पहले भी बताई थी पापुलेशन पर कन्ट्रोल, दूसरे अंधेपन का उपचार एवं ब्लाइन्डनेस को रोकने के लिए हमारी राष्ट्र की समस्या है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे देश में राजस्थान में सबसे ज्यादा इस बीमारी के रोगी हैं....

श्री खेतसिंह राठौड़ : और हाउस तक आ गयी है।

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि इसका प्रसार यहां तक आ गया। यह हमारे राजस्थान की समस्या है हमने 1982-83 के लिए यह लक्ष्य रखा है कि हमारे राजस्थान में जो 27 मेडिकल डिस्ट्रिक्स हैं उनमें एक डिस्ट्रिक्ट में 10 कैम्प लगें अगले आने वाले साल में और एक कैम्प में 100 नेत्र के आपरेशन होंगे। इस प्रकार से 27 हजार आई आपरेशन्स का लक्ष्य रखा गया है जो हमारे यहां 8 जिलों में होंगे।

इसके अलावा हमारी तीन मोबाइल यूनिट्स भी काम कर रही हैं–गंगानगर, पाली और भीलवाड़ा में। यह इकाइयां भ्रमणशील हैं और इस तरह की बीमारियों की रोकथाम के लिए यह जगह-जगह जाकर उपचार करेंगी। आंखों की जितनी बीमारियां होती हैं सब का उपचार हो सकेगा, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं कि न केवल केटेरैक्ट बल्कि कोरनिया का ग्राफ्टिंग भी यहां हो सकेगा....

श्री परसराम मदेरणा : ब्लाइन्डनेस होगी उसका भी इलाज होगा अगर बीमारी है तो ?

श्री सी. एल. कंवरिया : तो आंखों की सब तरह की बीमारियों के उपचार के लिए व्यवस्था की जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुष्ठ रोग का भी कुछ प्रसार हमारे राजस्थान में हुआ है। उसके लिए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण योजना है। अलवर, भरतपुर, कोटा और

2825

(श्री सी. एल. कंवरिया)

नागौर करीब 6 जिले आइडेन्टीफाई हुए हैं, जयपुर भी शामिल है, जिनमें कुष्ठ रोग, लेप्रोसी के इन्सीडेंस, ऐसे केसेज नजर आते हैं। इन कुष्ठ रोगों के निवारण के लिये 20 शय्याओं वाला अतिरिक्त अस्पताल व दो शहरी कुष्ट रोग कार्यकर्ता 5 सर्वेक्षण एवं उपचार केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इसका शत प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार वहन करेगी। इस प्रकार 1982--83 में 1500 रोगियों की जांच कर इलाज करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शक योजना, विलेज हैल्थ गाइड स्कीम भी है। मेरी मान्यता है कि अधिकांश छुटपुट बीमारियां लोगों में ज्ञान अधिक नहीं होने और चिकित्सा सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाने के कारण होती हैं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण लोगों को उनके द्वारा चयनित एवं गांव में ही रहने वाले स्त्री अथवा पुरुष कार्यकर्ता को स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी बुनियादी प्रशिक्षण देकर गांव में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय तो लोगों को छोटी मोटी बीमारियों से....

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, टाइप करके ही भिजवा दें।

श्री सी. एल. कंवरिया : मैं पढ़ नहीं रहा हूं। कुछ एक्सट्रेक्ट्स बता रहा हूं। मैं अब तक वैसे ही बोलता रहा।...

श्री अध्यक्ष : पढ़ नहीं रहे हैं।•

श्री सी. एल. कंवरिया : इस प्रकार हर एक गांव में जिसकी आबादी एक हजार है वहां विलेज हैल्थ गाइड, मेल अथवा फीमेल कोई भी हो सकता है, चुना जायगा और उसको तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जायगा। उस तीन महीने के प्रशिक्षण में उसको 200) रु० मासिक मिलेगा। तीन तीन महीने के प्रशिक्षण के बाद एक हजार की आबादी वाले गांव अथवा ऐसे दो गांव, जिनकी आबादी मिलकर एक हजार हो जाती है, में एक विलेज हैल्थ गाइड काम करेगा, उसको 50) रु० अलाउन्स मासिक दिया जायगा और 50) रु० की मासिक दवाइयां उसके किट में दी जायेंगी। वह दवायें ऐसी होंगी जो गांवों में अक्सर छोटी मोटी बीमारियों के काम में आती हैं जैसे फोड़े, फुन्सी या बुखार की दवाइयां उसके किट में दी जायेंगी। विलेज हैल्थ गाइड योजना इस वर्ष से लागू होगी। एक हजार के बाद 7 हजार की पापुलेशन के ऊपर मल्टी पर्पज वर्कर होगा। सब सेन्टर में मल्टी पर्पज वर्कर जिसका लिन्क डिस्पेन्सरी से होगा और प्राथमिक केन्द्र से होगा। इस प्रकार 158 पंचायत समितियों में करीब 14 हजार कार्यकर्ता उपलब्ध हो जायेंगे जो 1 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनसंख्या को लाभान्वित करेंगे। यह हमारी विलेज हैल्थ गाइड स्कीम है। इस प्रकार दो हजार डिस्पेन्सरी स्तर पर, 8 हजार प्रति एड पोस्ट स्तर पर और चार हजार अतिरिक्त गाइड्स उपलब्ध कराये जायेंगे। यह हमारे अतिरिक्त कार्यक्रम होंगे आने वाले वर्षों में।

अब रहा हमारे शहरी क्षेत्रों में चलने

(श्री सी. एल. कंवरिया)

वाले हॉस्पिटल और खास तौर से मेडिकल ··

एक माननीय सदस्य : आने वाले वाले कितने वर्षों में, यह बता दें ?

श्री सी. एल कंवरिया : जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां पांच मेडिकल कालेजेज हैं उनके साथ 5 अटेच्ड हॉस्पिटल्स भी हैं। जयपुर में सवाई मानसिंह कालेज के साथ सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जनाना हास्पिटल और मानसिक रोगी अस्पताल हैं। इस प्रकार अटेच्ड हॉस्पिटल दिये जायेंगे। इन मेडिकल कालेजेज में स्पेशलाइजेशन डवलप हो रहा है। आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज से जो अटेच्ड हॉस्पिटल हैं उसमें बड़े विशेषज्ञ और विद्वान डाक्टरों ने बहुत अच्छा नाम कमाया है। डा० पी. के. सेठी ने पैर बनाने के लिये नाम कमाया है उसके लिये फिलीपीन देश ने मेगसेसे अवार्ड दिया है जो कि लगभग दो लाख की कीमत का है। इसी प्रकार यूरोलोजी में डा० गंगवाल भी नेशनल लेवल पर इनाम पा चुके हैं। एस. एम. एस. मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल श्री रामेश्वरजी शर्मा हैं उनको भी आल इण्डिया लेवल पर पुरस्कृत किया जा चुका है वे मेडिकल कालेज में टीचिंग के लिये वर्ल्ड लेवल पर चुने गये हैं।

इसी प्रकार उदयपुर मेडिकल कालेज में डा० गुप्ता और डा० भण्डारी भी स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर पुरस्कृत हो गये हैं। हमारे मेडिकल कालेजेज में स्पेशलाइजेशन भी डवलप हो रही है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिये भी कुछ सुविधायें....

श्री भंवरलाल शर्मा : जो डाक्टर पुरस्कृत हुए हैं, उनको हमारी ओर से बधाई हो।

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यगण का का ध्यान एक और बड़ी महत्वपूर्ण इकाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान की एक महत्वपूर्ण इकाई है मोबाइल सर्जिकल यूनिट। यह 500 बेड्स की इकाई 1956 से राजस्थान में कार्य कर रही है। मोबाइल सर्जिकल यूनिट के द्वारा 25 वर्षों में लाखों मरीजों के आपरेशन और इलाज किये जा चुके हैं और उसकी सिल्वर जुबली के अवसर पर अक्टूबर के महीने में डोगरिया माता में कैम्प लगाया गया था। इसके अलावा इस इकाई के द्वारा 28 कैम्प आर्गनाइज करने का लक्ष्य रखा गया था। 28 कैम्पों में इस इकाई ने 73149 लोगों का इलाज किया और 8650 लोगों के आपरेशन किये। आपरेशन में आंख का आपरेशन आदि कई प्रकार के छोटे मोटे आपरेशन्स हैं। मोबाइल सर्जिकल यूनिट का भी एक विशिष्ट स्थान....

श्री अध्यक्ष : छोटी छोटी कठिनाइयां हैं वे भी दूर नहीं हो रही हैं....

श्री सी. एल. कंवरिया : छोटी इकाइयां, एक छोटी इकाई के लिये अभी तक....

(व्यवधान)

(श्री सी. एल. कंवरिया)

हां, छोटी छोटी कठिनाइयां है, मैं उसकी ओर आ रहा हूं। अब, मैं आयुर्वेद विभाग के लिये....

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : मोबाइल सर्जिकल यूनिट इतनी बढ़िया काम कर रही है तो विशेष रूप से बड़ा रूप रखने के लिये कोई आपकी योजना हो तो वह भी बता दें ?

श्री सी. एल. कंवरिया : अब तक आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी के 6,100 औषधालय, चिकित्सालय खुल चुके हैं। पिछले वर्ष 130 औषधालय और चिकित्सालय खुले थे लेकिन इस वर्ष इसके लिये फण्ड्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं इसलिये इस साल कोई औषधालय खुलने की सम्भावना नजर नहीं आती है।

(व्यवधान)

फण्ड दिला दीजिये, फण्ड मिल जाय तो 200 खोल दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह काला धन है। आज तक राजस्थान के इतिहास में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आज यह पहली बार हो रहा है....

(व्यवधान)

यह आयुर्वेद के प्रति षड़यन्त्र है। मैं इसका घोर विरोध कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मंत्री ने आयुर्वेद औषधालय न खोलकर ग्रामीण जनता के साथ घोर अन्याय किया है और इसके विरोध में मैं वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री सी. एल. कंवरिया : राजस्थान में पहले से ही 2601 औषधालय और चिकित्सालय आयुर्वेद के हैं। पिछले साल ही 130 खुले हैं, उनको ही अच्छी तरह से पहले देख लें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्री सी. एल. कंवरिया : तो इस प्रकार हमार आयुर्वेद विभाग की उपलब्धियां हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपलब्धियां ?

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : यह तो प्रतिवेदन में पढ़ लिया हमने स्वयं ने।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप सन्तुष्ट हैं ?

श्री सी. एल. कंवरिया : आयुर्वेद विभाग के बारे में माननीय सदस्यों ने तथाकथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहुत ज्यादा

(श्री सी. एल. कंवरिया)

प्रहार किये और बहुत से माननीय सदस्यों ने इस आयुर्वेद विभाग के निदेशक के संबंध में कहा। उसके साथ में मेरा भी नाम, क्योंकि मन्त्री हू, जोड़ दिया यद्यपि मैं इन चीजों से बहुत दूर रहा हूं और अब भी कोसों दूर हूं। इसके अलावा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

जरा सुन लीजिए। आयुर्वेद के निदेशक के सम्बन्ध में आप लोगों ने कहा कि 21 एम. एल. एज. ने दस्तखत करके उनके खिलाफ शिकायतें दी हैं और पहले भी कई शिकायतें हुई हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निदेशक के विरुद्ध जो भी शिकायतें पेश हुई हैं, उनकी जांच जारी है और....

श्री अध्यक्ष : जांच का समय कुछ कम पड़ गया है।

श्री सी. एल. कंवरिया : जांच होने के बाद अगर वे दोषी पाये गये तो उनको किसी प्रकार से बख्शा नहीं जायगा। आयुर्वेद के जो डायरेक्टर हैं वह कोई हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। मैं उनको बख्शने वाला नहीं हूं। कोई भी अधिकारी जो भी इस प्रकार के आरोपों में लिप्त होगा उसके खिलाफ कोई सबूत होगा और वह साबित हो जायगा तो उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : यह इन्क्वायरी उनको अपने पद से हटाकर करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

श्री सी. एल. कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ जो भी जांच होती है, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी, जिसे डी. ई. बोलते हैं, होती है, वह डिपार्टमेन्ट आफ पर्सनल, डी. ओ. पी. के जरिये होती है। निदेशक के खिलाफ जो भी आरोप थे, लगभग 4-5 इन्क्वायरी उनके खिलाफ हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, उनको हमने डी. ओ. पी. में जांच के लिये भेज दिया है। डी. ओ. पी. ने एक दफा तो वापस हमको लौटाया, भई उसमें प्रारंभिक जांच नहीं हुई। दूसरी चीज यह है कि हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट की स्वीकृति भी नहीं है, इसलिए दुबारा आया। दुबारा वापस जा रहा है। उसकी इन्क्वायरी डी. ओ. पी. में होगी, डी. ओ. पी. डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी करायेगा। मैं यह भी अवश्य ताकीद कर दूंगा कि उन कम्पलेन्ट्स की जांच जल्दी से जल्दी हो। डी. ओ. पी. जांच करेगा और उसके बाद हमको रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तो आप निश्चिन्त रहें और विश्वास रखें कि किसी प्रकार का पक्षपात उनके साथ नहीं किया जायगा अगर वह दोषी पाये गये तो उनको अवश्य सजा मिलेगी।

आयुर्वेद विभाग के सम्बन्ध में आपने बहुत-सी शिकायतों का ढेर रखा। आयुर्वेद विभाग के सम्बन्ध में बहुत सी बातें ऐसी

(श्री सी. एल कंवरिया)

हैं जिनसे मुझे खुद को भी संतोष नहीं है कि यहां कोई कार्य बढ़िया होता हो। इस प्रकार की मुझे भी शिकायतें मिलती हैं कि कहीं आयुर्वेद के वैद्य जी गांवों में नहीं मिलते, कई जगह यह भी शिकायतें हैं कि वैद्य एलोपैथी की दवाइयां और गोलियां बांटते हैं और इन्जेक्शन भी लगा देते हैं एलोपैथिक। इस प्रकार कई प्रकार की शिकायतें हैं और जो-जो शिकायतें हमारे यहां आती हैं, उनकी हम जांच अवश्य कराते हैं और जिसको दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही करने की जो भी प्रक्रिया निर्धारित सी. सी. ए. के रूल्स के अन्तर्गत है उस प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। किसी सरकारी कर्मचारी को वैसे ही डिसमिस या टर्मिनेट या सस्पेण्ड नहीं कर सकते, नियमों में जो प्रक्रिया है उसको अपनाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको भी निवेदन करना चाहता हूं जो भी शिकायत माननीय सदस्यों, एक-दो ने मुझे शिकायत पेश की हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी भी हम जांच करेंगे, जांच करने के बाद अगर वह दोषी पाये गये तो उनको अवश्य सजा मिलेगी। यह मैंने आयुर्वेद के सम्बन्ध में निवेदन कर दिया है। आयुर्वेद के सम्बन्ध में मैं अधिक क्या कहूं, आयुर्वेद के दो सरकारी कालेज चलते हैं और 3 प्राइवेट कालेज चल रहे हैं। वहां से प्रशिक्षणार्थी वैद्य की उपाधि लेकर आते हैं उनको लगाया जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद विभाग कार्य कर रहा है, कोशिश यह की जायेगी कि आने वाले समय में आयुर्वेद विभाग की सेवाओं में सुधार आये भ्रष्टाचार खतम हो, अगर है। जिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत साबित हो जायेगी उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

अब इसी प्रकार यूनानी और होम्योपैथी की भी डिस्पेंसरीज हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में है और कार्य कर रही हैं। उनकी सेवाओं में सुधार लाने का पूरा प्रयास किया जायेगा। यह कोशिश की जायेगी ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनमें हकीम नहीं हैं, आपने डिग्री कोर्स को खतम कर दिया, आप वहां पर कौन से चिकित्सक लगाएंगे, यह तो बता दीजिए ?

श्री सी. एल कंवरिया : यह सब किया जायगा, माननीय सदस्या।

माननीय सदस्यों ने जो बहुमूल्य सुझाव दिये उनके ऊपर भी ध्यान दिया जायगा। अस्पताल में सुधार, अस्पतालों में मरीजों की अच्छी तरह देख रेख, अस्पतालों में सफाई आदि सब बातों पर अवश्य ध्यान दिया जायगा। इसके साथ-साथ कई बड़े-बड़े अस्पतालों में कमेटियां बना दी जायेंगी। वह देखेंगी कि अस्पताल की व्यवस्था ठीक चलती है या नहीं। सवाई मानसिंह अस्पताल में पिछले 3-4 महीने से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, सारे अस्पताल की पुताई और सफाई हो रही है। इमर्जेंसी सर्विस राउण्ड दी क्लाक, 24 आवर्स चालू हो गयी है। वहां हर प्रकार की लाइफ

(श्री सी. एल. कंवरिया)

सेविंग ड्रग्स तैयार रखी जाती हैं ताकि एक्सीडेन्ट केसेज का कोई आदमी आये तो उसको दवाई, चाहे रात का वक्त ही हो, उस वक्त ही मिल सके। इसी प्रकार गरीब रोगियों के लिए भी दवाइयों का प्रबन्ध है। जो गरीब हैं, उनको जो आवश्यक दवाइयां दी जानी चाहिए उसकी भी व्यवस्था है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रभावशाली लोगों को देते हैं, गरीब लोगों को नहीं मिलती हैं।

श्री सी. एल. कंवरिया : अस्पतालों में यह व्यवस्था सुधारी जा रही है। आपने जनाना हॉस्पिटल के लिए कहा। देखिये, मैंने आपसे सबसे पहले निवेदन किया कि जितने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां बहुत भीड़ रहती है। सवाई मानसिंह अस्पताल की बिल्डिंग जो किसी जमाने में जितनी बड़ी थी आज बढ़ी हुई जनसंख्या के साथ चार गुणी नजर आ रही है। जनाना हॉस्पिटल बहुत बड़ा अस्पताल है लेकिन फिर भी आज वहां बहुत भीड़ रहती है, बहुत रोगी आते हैं। कमरे तो भरे ही रहते हैं लेकिन बरामदे भी भरे रहते हैं। आज रोगियों की संख्या बढ़ती हुई आबादी के साथ बढ़ती जा रही है इसलिए उन अस्पतालों की ओर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी और मैं जनाना हॉस्पिटल में गये थे और वहां की व्यवस्था को देखा था। वहां जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों के बारे में बातें बहुत की गई थीं। उनके बारे में यह भी हुआ कि जो भी अस्पताल में कठिनाइयां या कमियां हैं, उनका हल निकाला जाय....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सवाई मानसिंह चिकित्सालय में गये या नहीं गये ?

श्री सी. एल. कंवरिया : इसका प्लान भी बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इन अस्पतालों में कार्य हो। यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्पेन्सरी नहीं हैं, हैं तो कई जगह आपके डाक्टर्स नहीं हैं। आपने भी कहा कि स्टाफ नहीं है, तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि डाक्टर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते नहीं हैं। हमने तीन सौ डाक्टरों को एडहाक नियुक्ति दी थी। तीन सौ डाक्टरों में से

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कम्पलसरी कर दें तो ठीक रहेगा।

श्री सी. एल. कंवरिया : जैसा माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि एडहाक नियुक्तियां दीं, उसमें केवल 140 डाक्टर आए। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह अपाइन्टमेंट दिये गये थे इसलिए 140 ने जोइन किया और 160 ने जोइन नहीं किया। अब दुबारा 125 डाक्टरों को और नियुक्तियां दी गई हैं जिसमें कुछ लेडी डाक्टर भी हैं। उनकी नियुक्तियां अभी तीन चार रोज पहले ही की गई हैं। अब देखिये कि कितने आते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग क्यों नहीं पहुंचते ? कई जगहें ऐसी हैं जहां पर भवन की व्यवस्था नहीं है। कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में....

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : आप ग्रामीण क्षेत्रों के लड़कों के लिए मेडिकल कालेज में सीटें रिजर्व कर दीजिए। शहरों के लड़के गांवों में नहीं जाते।

श्री सी. एल. कंवरिया : मेडिकल कालेजेज के अन्दर जो एडमिशन होते हैं वह पी. एम. टी. के इम्तिहान होकर ही होते हैं उसमें जो पास हो जाते हैं उनमें से ही एडमिशन होते हैं। बात यह है कि उसके अन्दर सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए सीटों के आधार पर होता तो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : अभी तक आप शहरों के ही लड़कों को लेते हैं इसीलिए यह प्राब्लम है।

श्री सी. एल. कंवरिया : इसी प्रकार से अन्य स्टाफ ए. एन. एम., कम्पाउण्डर्स नर्सेज वगैरह हैं। राजस्थान में 18 ए. एन. एम. ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं जहां 540 लड़कियां ट्रेनिंग लेती हैं। इस साल हमने निश्चित कर दिया है कि उन ट्रेनिंग सेंटर्स से 540 की बजाय 900 ट्रेनीज हम निकालेंगे। जब यह 900 ट्रेनीज हो जायेंगी तो हर साल हमको ज्यादा ए. एन. एम. मिलेंगी। इसी तरह से कम्पाउन्डर्स, नर्सेज मिलेंगी। यह स्टाफ बढ़ा करके इसकी पूर्ति आने वाली छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है कि ढाई तीन साल में इस कमी की पूर्ति हो जावेगी। ज्यों-ज्यों ट्रेनिंग लेकर ट्रेंड स्टाफ निकलता जाएगा त्यों-त्यों पूर्ति होती जाएगी। आप यह भी सोचते हैं कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री सी. एल. कंवरिया : निरन्तर कमी क्यों आती है? माननीय सदस्य श्री यदुनाथ सिंहजी ने पहले एक प्रश्न किया था कि पहले जो कमियां आपने कही थीं उससे भी ज्यादा कैसे हो गई? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर साल सौ सवा सौ डिस्पेंसरीज भी तो ज्यादा खुलती हैं। इसके साथ ए. एन. एम. सब-सेंटर्स में भी लिए जाते हैं। वहां पर ए. एन. एम. कम्पाउन्डरर्स नर्सेज कहां से जाती हैं और जब आप डिस्पेंसरीज खुलवाते हैं तो....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय....

श्री सी. एल. कंवरिया : इस प्रकार से यह कमी रहती है।

श्री रतनलाल ताम्बी : नर्सेज ट्रेनिंग सेंटर्स डिस्ट्रिक्टवाइज होने चाहिए। जिस डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होगा वहां पर नर्सेज ज्यादा मिल सकती हैं। यह ज्यादा सुविधाजनक रहेगा।

श्री सी. एल. कंवरिया : मैंने बताया है कि 18 ट्रेनिंग सेंटर हैं और यह दूर-दूर जिलों में हैं। वहां पर कहां से स्टाफ लगावें ट्रेनिंग सेंटर तो खोल दिये। अब ऐसी उम्मीद की जाती है कि इससे कमी दूर होगी और फिर भी कमी रहेगी तो कुछ ट्रेनिंग सेंटरों की मात्रा बढ़ा कर इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों ने चिकित्सा पर....

श्री अध्यक्ष : अभी तो काफी कागज आपके बचे हुए हैं।

श्री सी. एल. कंवरिया : अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारी मांग संख्या 26 को स्वीकार किया जावे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह कहती हूं....

श्री दाऊदयाल जोशी : यह आपने बड़ी कृपा की आयुर्वेद हॉस्पिटल के बारे में...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में आयुर्वेद विभाग के निदेशक महोदय के प्रति बहुत गंभीर आरोप लगाये। उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह उप-निदेशक हैं और कार्यवाहक निदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं। इस दौरान उनका ट्रांसफर करके इन्क्वायरी करवा लें। यह बहुत आवश्यक है। इसमें इन्क्वायरी क्या करनी है, यह तो साफ है कि जो माल खरीदा गया उसकी कीमत क्या है और टेन्डर में कीमत कितनी है। गोखरू का भाव बाजार में कितना है और कितने में खरीदा है। इस बारे में आपने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की जिससे यह आभास होता है कि आप सील्ड करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं।

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो डायरेक्टर हैं वैसे तो डिप्टी डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर का पद काफी समय से खाली है। उसका चार्ज एडहाक बेसिस पर दिया गया है। उन्हें आफिशियेटिंग रूप में लगाया गया है। यह बेसिकली डिप्टी डायरेक्टर हैं। क्योंकि डायरेक्टर का पद खाली है और उसके लिए क्वालिफाइड व्यक्ति अभी सलेक्ट नहीं हुआ है। इस पर सलेक्शन का मैथड बाई प्रमोशन है इसलिए उन्हें सिर्फ एडहाक रूप में सीनियोरिटी के लिहाज से चार्ज दिया गया है। वह भी मेरे आने से बहुत पहले दो साल पहले दिया गया था।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसीलिए कह रहा था...

श्री सी. एल. कंवरिया : उनके खिलाफ जो भी चार्जेज हैं उनकी काम्प्रिहेंसिव इन्क्वायरी करा कर अगर दोषी पाये गये तो उनको बख्शा नहीं जाएगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में दो साल से एड पोस्ट डिस्पेंसरीज काफी खोली हैं, वहां पर दवाइयों की दुकानों के लाइसेंस अभी तक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं जिससे दवाइयां नहीं मिल रही हैं। उसके लिये आपने क्या व्यवस्था की है?

श्री सी. एल. कंवरिया : मैंने आपसे निवेदन किया कि 35 और 15 डिस्पेंसरीज, एड पोस्ट्स इस वर्ष के लिए खोल दीये हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

२९०

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं वह यह है कि वहां पर जो दवाइयां बेचते हैं····

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि मैंने भी एक प्रश्न पूछा था वह भी यों ही चला गया। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री सी. एल कंवरिया : आप मेडिसन के बारे में कह रहे हैं ? जिस जगह पर डिस्पेंसरी वगैरा हैं अगर वहां कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है तो उसके उसके लिये लाइसेंस दिया जाता है, उसके लिए अप्लाई करें,···· कोई मांगे तो देवें। बगैर मांगे तो कोई चीज नहीं मिलती है, लाइसेंस मांगे तो दे देंगे।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो साफ हो गया कि जनता के हित इनके हाथ में सुरक्षित नहीं हैं।

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, लाइसेंस के लिए वहां का कोई आदमी इन्ट्रेस्टेड हो जो दवाइयां बेचना चाहता है वह अप्लाई करे तो लाइसेंस दिया जा सकता है।

श्री माणकमल मेहता : उसके लिए फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरे पूछने से मतलब नही है, इसका समाधान होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि जब डिस्पेंसरियां खोल रहे हैं तो दवाइयों की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : आपने जवाब दे दिया है।

श्री रामसिंह विश्नोई : जवाब आया नहीं है। दवाइयां आपके हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं नहीं और दवाई विक्रेता को वहां लाइसेंस दे नहीं पा रहे हैं इससे मरीजों को परेशानी होती है।

श्री सी. एल. कंवरिया : फार्मासिस्ट का सम्बन्ध दिल्ली से होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए बता देना चाहता हूं कि ड्रग कण्ट्रोल एक्ट लागू है और ड्रग कण्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत जो लाइसेंस जारी होते हैं उसके मुताबिक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। उसके अन्दर प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है····

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : ग्रामीण क्षेत्रों में रिलेक्स कर सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन रिलेक्स करने की बात कह रहे हैं, नीम हकीम खतराए जान। दवाइयों के मामले में····

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारा मतलब यह नहीं है। हमारा मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर भी पढ़े लिखे बच्चे हैं। आपको शायद ड्रग कण्ट्रोल एक्ट के बारे में मालूम पड़ जाय, शहरों में इसको प्रचारित करते हो, किन्तु गांवों के आदमी

(श्री रामसिंह विश्नोई)

शहरों में जाकर मालूम नहीं कर सकते। उनको पड़ता खाता नहीं है। गांवों के आदमी यह काम कर सकते हैं। गांवों में पढ़े लिखे बहुत मिल जायेंगे उन्हें लाइसेन्स उपलब्ध करायें।

श्री सी. एल. कंवरिया : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपका कहना मुझे ठीक जंचता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग शायद नहीं मिलते हैं इसलिए वहां परचुनी दुकानदार या जनरल मर्चेण्ट मेडिसन रख सकते हैं। इण्डिपेन्डेण्टली तो एक डिस्पेन्सरी के ऊपर कोई मेडिकल स्टोर नहीं चलेगा। फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई लाइसेन्स लेना चाहेंगे और हम यह समझेंगे कि क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते हैं तो इस पर अवश्य विचार किया जाएगा लेकिन विचार ड्रग कण्ट्रोल एक्ट के तहत होगा। अगर उसमें आवश्यकता अमेंडमेंट के लिए अनुभव की जाएगी तो उसकी सिफारिश की जाएगी। अमेंडमेंट की सिफारिश की जा सकती है क्योंकि वह सेन्टर का एक्ट है।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इतनी देर तक लम्बा भाषण दिया जिसको सुनने के लिये हम सवा ग्यारह बजे तक बैठे रहे... ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : सारगर्भित भाषण था।

श्री यदुनाथ सिंह : उससे प्रतीत होता है कि राजस्थान राज्य की कोई स्वास्थ्य नीति नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं गांवों में डिस्पेंसरी क्यों खाली रहती हैं....

श्री अध्यक्ष : यह पहले डिबेट में उठाया होता, तो जवाब देते। यह डिबेट में नहीं है, नये मुद्दे नहीं उठायें। उस वक्त कह देते स्वास्थ्य नीति नहीं है। जो चर्चा हुई उसका जवाब दे दिया पर्याप्त डिबेटिंग हो गया।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिना स्टाफ के डिस्पेंसरी....

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न श्री....

श्री दाऊदयाल जोशी : आयुर्वेद पर ऐसी कोप दृष्टि क्यों हुई ?

श्री अध्यक्ष : आप पहले कह चुके हैं, जिस पाइन्ट पर वाक आउट करके पधार गये, उसी पाइन्ट पर मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री दाऊदयाल जोशी : जगह खाली हैं, 180 विद्यार्थी इस साल निकलेंगे, उनको आप कहां खपायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर। श्रीमती अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने हर आठ मील पर मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोलने के लिये कहा है, वह किसी कारण से कहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव पीड़ा से पीड़ित स्त्रियों के लिये कोई मेडिकल की

292

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सुविधा नहीं मिलती, तो क्या मंत्री महोदय ग्रामीण क्षेत्रों में हर आठ मील के एरिया पर मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोलने के बारे में सिद्धान्ततः स्वीकार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? एक प्रश्न मेरा यह है, दूसरा....

श्री अध्यक्ष : दूसरा नहीं, सिर्फ एक प्रश्न ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, बहुत जरूरी प्रश्न है। क्या आप अपने चिकित्सा विभाग की ऐसी कमेटी बनायेंगे जो यह बताये....

श्री अध्यक्ष : जैसी आपके टाइम में थी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, मेरे टाइम में तो थी ही नहीं। क्या चिकित्सा विभाग की ऐसा कमेटी बनायेंगे जो यह बताये शराब पीने से कितना फायदा है, कितना स्वास्थ्यवर्धन होता है ?

श्री अध्यक्ष : लेकिन इनकी तो बहुत सी दवाइयों में शराब है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : शराब कितनी लाभदायक है इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनायें। एक तो यह है और आप मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोलने के बारे में क्या नीति अपनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, आपने कहा सौ सब्सिडियरी हैल्थ सेन्टर खोलेंगे उसका क्या क्राइटेरिया होगा ? दूसरा यह कहूंगा कि सब सेन्टर....

श्री अध्यक्ष : यह बहुत ही लेट उठाया आपने पाइन्ट। मंत्री महोदय के पास सब सूचना है लेकिन पत्रावलियां इतनी बड़ी हैं कि उनको ढूंढने में कठिनाई होगी। माननीय सदस्य, कृपया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती अरोड़ा के जो पूरक प्रश्न हैं, कृपया उनके उत्तर दें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदय उत्तर दीजिये मेरे प्रश्न का ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के संबंध में कहा है, मैं इनको सूचनार्थ निवेदन करना चाहता हूं कि 106 मातृ शिशु कल्याण केन्द्र हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मात्र 26 जिलों में 126 ?

श्री सी. एल. कंवरिया : 106 ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 26 जिलों में 106 ?

श्री सी. एल. कंवरिया : 106.

श्रीमती उजला अरोड़ा : केवल ।

श्री सी. एल. कंवरिया : 106 क्या कम होते हैं। यह 26 जिलों में 106 और शहरी क्षेत्रों में 59 हैं ।

मांग संख्या 26 का पारण

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई । मांगों पर मतदान ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 76,95,45, 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(ध्वनि मतदान)

जरा जोर से कहें ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 18 मार्च, 1982 के प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही, गुरुवार दिनांक 18 मार्च, 1982 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये रात्रि 11.15 बजे स्थगित की गई)

परिशिष्ट1

प्रश्न संख्या 488 की सूची

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डग (झालावाड़) में स्वीकृत एवं कार्यरत स्टाफ की सूची

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत
1.	चिकित्सक	2	—
2.	मेल नर्स श्रेणी—2	2	2
3.	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	2	—
4.	प्रसाविका	2	1
5.	बी. ई. ई	1	1
6.	वरिष्ठ लिपिक	1	1
7.	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1
8.	वाहन चालक	1	1
9.	टीका पर्यवेक्षक	1	1
10.	टीकाकार	1	1
11.	संगणक	1	1
12.	मलेरिया तकनीशियन	1	1
13.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	4

———

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जाहोता ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड

493. **सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आमेर पंचायत समिति में जाहोता ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 से बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(2) क्या उक्त सहकारी समिति को राज्य सरकार निकट भविष्य में चालू करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पंचायत समिति चोहटन में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लिपिक के पद का सृजन

494. **श्री भगवानदास डोसी (चोहटन)**: क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सन् 1959 से प्रत्येक पंचायत समिति के बजट में एक वरिष्ठ लिपिक एवं एक कनिष्ठ लिपिक के पद स्वीकृत है जिनका वेतन समिति की निजी आय से उठाया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से बार-बार निवेदन करने के बावजूद पंचायत समिति चोहटन में उक्त दोनों पद अभी तक भी सृजित नहीं किये गये हैं ?

(3) क्या पंचायत समिति चोहटन में उक्त दोनों पदों को सृजित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वर्तमान में पंचायत समितियों की निजी आय से एक वरिष्ठ लिपिक एवं एक कनिष्ठ लिपिक का पद सृजित किया जाना संभव नहीं है।

(3) जी नहीं।

296

केन्द्र से राज्य को सीमेंट को आवंटन सम्बन्धी नीति

495. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या खाद्य व आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को किस नीति के आधार पर प्रतिमाह कितनी सीमेंट का आवंटन किया जाता है तथा राज्य सरकार द्वारा जिलेवार सीमेंट आवंटन करने के लिये क्या नीति अपनाई जाती है ?

(2) राज्य सरकार को मई, जून व जुलाई, 1981 में सीमेंट का कितना कोटा केन्द्र सरकार से आवंटित हुआ ? उसमें से कितनी-कितनी सीमेंट जिलेवार आवंटित की गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान को सीमेंट की मात्रा कम अलॉट होती है ? यदि हां, तो सरकार इसे बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जिलेवार सीमेंट के आवंटन में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिये अलग-अलग मापदण्ड निर्धारित किया हुआ है ? यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सीमेंट आवंटन करने हेतु राज्य सरकार क्या नीति तय करने जा रही है ?

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई सीमेंट की मांग को देखते हुए क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त कोटे की मांग करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) जिले में जो सीमेंट आवंटित किया जाता है उसमें से कितने प्रतिशत राशन कार्ड पर शहरी उपभोक्ताओं को सीधा वितरण किया जाता है तथा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को कितना प्रतिशत राशन कार्डों पर सीधा वितरण किया जाता है और नहीं किया जाता है, तो क्यों ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सरकार के आवंटन की नीति की राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार को सीमेंट का आवंटन त्रैमासिक करती है। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को 1,30,200 मै० टन से 1,63,700 मै० टन सीमेंट एक त्रैमास के लिए आवटन किया जाता है। इसमें से सीधे ही केन्द्र सरकार 65,000 मै० टन सीमेंट विद्युत् एवं सिचाई कार्यों के लिए सम्बन्धित विभागों को आवंटित कर देती है। सितम्बर, 81 से उद्योगों के लिए

(श्री खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

भी 13,020 मै० टन सीमेंट इसी प्रकार आवंटित किया जा रहा है। शेष मात्रा का आवंटन खाद्य विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार वर्ष, 1976 को सीमेंट के उपयोग का आधार मानते हुए आनुपातिक प्रणाली से जिलों को आवंटन करती है। जिलों को उक्त आवंटन करते समय जिलों की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास एवं बढ़ते हुए निर्माण कार्यों को भी दृष्टिगत रखा जाता है।

(2) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को सीमेंट का त्रैमासिक आवंटन करती है। द्वितीय तिमाही, 1981 (अप्रेल से जून, 1981) में 1,40,200 मै० टन एवं तृतीय तिमाही, 81 (जुलाई से सितम्बर, 1981) में 1,45,200 मै० टन सीमेंट का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त अवधि में खाद्य विभाग द्वारा सीमेंट के जिलेवार किये गये आवंटन की सूची सदन के पटल पर प्रेषित है।

(3) अन्य राज्यों को कितनी सीमेंट आवंटित की जाती है, इसकी सूचना केन्द्र से राज्य को प्राप्त नहीं होती है। राज्य की त्रैमासिक आवश्यकता 3,50,000 मै० टन की है, जबकि राज्य को लगभग 1,30,200 मै० टन से 1,63,700 मै० टन सीमेंट प्रति त्रैमास ही आवंटित की गई है। इस मात्रा में वृद्धि किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को पत्राचार एवं व्यक्तिगत सम्पर्क कर निवेदन किया जाता रहा है।

(4) यह सही नहीं है कि जिलेवार सीमेंट के आवंटन में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग माप दण्ड निर्धारित किये हुए हैं। विभाग द्वारा आवंटन पूरे जिले के लिए ही किया जाता है। इसमें ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की अलग-अलग मात्रा अंकित नहीं की जाती है। जिलों को आवंटित मात्रा में से 50 प्रतिशत सीमेंट कृषि कार्यों के लिए दिये जाने के विभाग के निर्देश हैं। शेष 50 प्रतिशत का उपयोग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य कार्यों के लिए किया जाता है।

(5) राज्य को आवंटित मात्रा आवश्यकता से बहुत कम है। राज्य की त्रैमासिक आवश्यकता 3,50,000 मै० टन की है, जबकि राज्य को वर्तमान में 1,63,700 मै० टन तक ही सीमेंट आवंटित होती है। इस मात्रा में वृद्धि किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को पत्राचार एवं व्यक्तिगत सम्पर्क कर निवेदन किया जाता रहा है। वर्तमान में केन्द्र सरकार की दिनांक 28-2-82 को घोषित नई नीति के अनुसार सीमेंट फैक्ट्रियों के कुल उत्पादन का 66.6 प्रतिशत सीमेंट लेवी के रूप में राज्यों को मिलेगा। शेष 33.4 प्रतिशत सीमेंट खुले बाजार में बिना किसी मूल्य एवं विक्रय नियन्त्रण के आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगा। इस नीति के फलस्वरूप प्रथम तिमाही, 1982 के लिए जिलों को आवंटित पब्लिक सेल सीमेंट की मात्रा में से 10 प्रतिशत सीमेंट का ही लदान पब्लिक सेल के लिए सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा जिलों को किया जावेगा।

(6) उपलब्धि एवं स्थानीय आवश्यकता

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

के सन्दर्भ में जिलों में सीमेंट वितरण करने के लिए जिलाधीश अधिकृत है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2-5-81 को आदेश प्रसारित किये हुए हैं कि जिलों को आवंटित मात्रा में से 10 से 20% तक सीमेंट राशन कार्ड पर 5 बोरी प्रति कार्ड प्रति त्रैमास सीमेंट विक्रेताओं द्वारा दी जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में भी दिनांक 30-10-81 से पूर्व उक्त आदेशों के अनुसार सीमेंट उपभोक्ताओं को दिया जा सकता था। परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रक्रिया से सीमेंट का वितरण सुचारू नहीं होने पर दिनांक 30-10-81 के आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया है। केन्द्र सरकार की नई नीति के पश्चात् शहरी क्षेत्र में भी यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, क्योंकि फ्री सेल सीमेंट मिलेगा।

(दर्शाई गई मात्रा मै० टनों में)

क्र०सं०	नाम जिला	द्वितीय तिमाही, 1981 (अप्रेल से जून, 1981) नियमित	अतिरिक्त	कुल	तृतीय तिमाही, 1981 (जुलाई से सितम्बर, 1981) नियमित	अतिरिक्त	कुल
1.	अजमेर	1900	685	2585	1900	300	2200
2.	अलवर	1700	85	1785	1700	700	2400
3.	बाड़मेर	1050	325	1375	1050	—	1050
4.	बून्दी	375	80	455	375	100	475
5.	बांसवाड़ा	550	125	675	550	100	650
6.	भरतपुर	1600	50	1650	1600	700	2300
7.	भीलवाड़ा	1150	600	1750	1150	300	1450
8.	बीकानेर	850	250	1100	850	700	1550
9.	चूरू	850	75	925	850	200	1050
10.	चित्तौड़गढ़	750	100	850	750	100	850
11.	डूंगरपुर	475	150	625	475	100	575
12.	श्रीगंगानगर	2000	35	2035	2000	500	2050
13.	जयपुर	7500	543	8043	7500	328.5	1078.5
14.	जोधपुर	2700	350	3050	2700	500	3200
15.	जैसलमेर	375	225	600	375	—	375

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	जालौर	650	200	850	650	100	750
17.	झुन्झुनू	950	75	1025	950	500	1450
18.	झालावाड़	425	100	525	425	100	525
19.	कोटा	2100	85	2185	2100	700	2800
20.	नागौर	1250	250	1500	1250	700	1950
21.	पाली	1450	350	1800	1450	300	1750
22.	सीकर	1150	35	1185	1150	500	1650
23.	सवाईमाधोपुर	1600	85	1685	1600	500	2100
24.	सिरोही	750	50	800	750	200	950
25.	टौंक	600	230	830	600	1500	2100
26.	उदयपुर	3300	600	3900	3300	500	3800
	योग	38050	5738	43788	38050	13181.5	51231.5

नोट—सिंचाई, उद्योग, कृषि आदि विभागों से भी जिलों को इन विभागों के अधीन जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, के लिए सीमेंट का पृथक आवंटन किया जाता है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक नागौर में लोन सुपरवाइजर के पद

496. श्री महाराम चौधरी (नागौर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केन्द्रीय सहकारी बैंक, नागौर ने दिनांक 13 जनवरी, 1982 को लोन सुपरवाइजर का चयन किया था ? यदि हां, तो चयनित लोन सुपरवाइजर्स का नाम, पिता का नाम, ग्राम व तहसील का नाम क्या है ?

(2) केन्द्रीय सहकारी बैंक, नागौर में लोन सुपरवाइजर्स के स्थान कब से रिक्त हैं ? रिक्त स्थानों की भर्ती के लिये कब अधिसूचना जारी की गई एवं अधिसूचना में क्या-क्या आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की गई थीं ?

(3) लोन सुपरवाइजर के लिये किन-किन योग्यताओं वाले प्रार्थियों को आमंत्रित किया गया और इनमें से किन-किन को चयनित किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या चयनित लोन सुपरवाइजर्स, नियोजन कार्यालय के माध्यम से लिये गये हैं ? कृपया नियोजन कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या केन्द्रीय सहकारी बैंक, नागौर ने दिनांक 23 जनवरी, 1982 को रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में कोई विज्ञप्ति जारी की है ? यदि हां, तो किन-किन रिक्त स्थानों के लिये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. नागौर में लोन सुपरवाइजर के 7 पद माह जनवरी, 81 से एवं 15 पद माह अक्टूबर, 81 से रिक्त थे। 7 पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना माह फरवरी, 81 में तथा 15 पदों के लिए अधिसूचना अक्टूबर, 81 में जारी की गई थी। अधिसूचना में शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य, कृषि, अर्थ शास्त्र व गणित में द्वितीय श्रेणी में स्नातक परीक्षण उत्तीर्ण होना तथा सहकारी संस्थाओं में कार्य के अनुभवी प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाना निर्धारित किया गया था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए द्वितीय श्रेणी की शत लागू नहीं होगी इसके लिए केवल स्नातक परीक्षण उत्तीर्ण होना रखा गया।

(3) लोन सुपरवाइजर के लिए क्रमांक 2 में वर्णित योग्यताएं वाले प्रार्थियों को आमन्त्रित किया गया था और उनमें से जिन को चयन किया गया, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

लोन सुपरवाइजर के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची

क्र. सं.	नाम उम्मीदवार
1.	श्री रामनिवास पुत्र रामदेव
2.	श्री रामेश्वरलाल पुत्र जीतमल
3.	श्री देवकरण पुत्र घेवरराम
4.	श्री गोरधन राम पुत्र नारायणराम
5.	श्री रोहित कुमार पुत्र परोपकारीलाल,
6.	श्री रमेशचन्द्र पुत्र शिवप्रसाद
7.	श्री कैलाश चन्द पुत्र रेवड़मल
8.	श्री हरिप्रसाद पुत्र मरेलाल
9.	श्री प्रहलादराम पुत्र देवीलाल

निम्नलिखित दो अनुसूचित जाति वर्ग से चयनित किये गये।

1.	श्री प्रेमचन्द पुत्र बीरबल राम
2.	श्री रूपनारायण पुत्र घासीलाल।

जयपुर कृषि उपज मंडी क्षेत्र में खर्च राशि

497. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) के क्षेत्र में वर्ष 1980-81 व वर्ष 1981-82 में किस-किस मद पर कितनी राशि व्यय की गयी ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) द्वारा सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो किस-किस पंचायत क्षेत्र में कौन कौनसी सड़कों पर कितनी राशि स्वीकृत की गयी ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर द्वारा वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में व्यय की गई राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट–1 में अंकित कर दिया गया है जिसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, जयपुर (अनाज) द्वारा निर्माण की जा रही सड़कों के लिये पंचायत समितिवार स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट–2 में अंकित कर दिया गया है जिसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

———

कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर द्वारा किये गये व्यय का मदवार विवरण

क्र. सं.	मद का नाम	व्यय की राशि	
		1980-81	1981-82
1.	संस्थापन एवं प्रशासनिक	707689.48	609109.62
2.	विपणन बोर्ड का अंशदान	1216844.67	595612.43
3.	मण्डी प्रांगण में सुविधाओं पर	300874.48	289573.17
4.	मण्डी निर्माण	4199226.00	2464055.57
5.	सड़क निर्माण	402870.00	1166890.00
6.	वर्गीकरण प्रयोग शाला	30000.00	53000.00
	योग :	6830504.63	5178240.79

304

कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर द्वारा निर्माण की जा रही सड़कों के लिये स्वीकृत राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	पंचायत समिति	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि	
			प्रशासनिक	वित्तीय
1	2	3	4	5
1.	शाहपुरा	1. शाहपुरा से रामपुरा	10.50	3.00
	,,	2. अमरसर से करोरी	7.50	7.50
	,,	3. मनोहरपुर से नवलपुरा	7.00	7.00
	,,	4. शाहपुरा से खाजकेला	1.00	1.00
	,,	5. गुलाव बाड़ी से मेनियावास	4.50	3.00
	,,	6. शाहपुरा से केर की चौकी से कोटलेट का बास	9.00	9.00
	,,	7. नेशनल हाइवे बागावास अटिरास	4.50	4.50
	,,	8. बैराठ से बस स्टेण्ड से गणेशजी का मन्दिर	2.00	1.00
	,,	9. वैराठ से पाजछी	2.50	1.50
	,,	10. झीलवाड़ी से नेकी ढाणी	3.00	2.00
	,,	11. नवरंगपुरा से सेवड़ी	4.00	4.00
	,,	12. रालावास से घनौता वाया याजीपुरा, जगतपुरा	8.75	3.50
	,,	13. बैराठ रोड़ से सांठयाना देवली	4.00	4.00
	,,	14. भाभरू से लुहावान	4.80	4.80
	,,	15. मेड़ से आमका	6.40	6.40
2.	सांगानेर	1. जयपुर डिग्गी रोड़ से बालेवाला से वाटिका वाया लाखना	12.80	2.00
	,,	2. जयपुर से अजमेर रोड़ से भम्भोरिया वाया सांरगपुरा	3.20	2.00
	,,	3. सांगानेर सोडाला रोड़ से खवासजी का बांध वाया देवरी	3.20	2.00

(305)

1	2	3	4	5
	सांगानेर	4. दुर्गापुरा से मानियावास वाया जाट देवरी	8.00	2.00
	,,	5. ठिकरियां रोड़ को बढ़ाकर ग्राम मन्जरिया तक	4.80	2.00
	,,			
		अधूरे निर्माण कार्य :—		
	,,	6. अजमेर रोड़ से बगरू खुर्द	1.18	0.20
	,,	7. भाकरोटा से मुकन्दपुरा	0.77	0.25
	,,	8. महापुरा से लाल्या का वास	0.88	0.20
	,,	9. अजमेर रोड से बगरु खेड़ा	0.29	0.15
	,,	10. महापुरा से लाल्या का वास	5.84	2.00
	,,	11. जयपुर कलवाड़ा रोड	0.20	0.20
	,,	12. बगरु से सुवावा का वास	2.00	2.25
	,,	13. मुहाना से सुखिया	0.90	2.50
3.	आमेर	1. नीदड़ से जयरामपुरा	6.40	2.50
	,,	2. बिन्दायका खारड़ा से बेगस नीमेड़ा, हिम्मतपुरा, मुड़िया, रामपुर	9.60	2.50
	,,	3. मोडी से रायथल वाया जालूम जयसिंहपुरा	9.60	2.50
	,,	4. ढाणी तन बिहारीपुरा से सिरसी रोड	6.00	6.00
	,,	अधूरे निर्माण कार्य :—		
	,,	5. जयपुर चौमू रोड़ से नांगल	0.61	0.02
	,,	6. नांगल से चौप	13.59	2.50
4.	झोटवाड़ा	1. धर्मपुरा से धानिया रेल्वे स्टेशन तक वाया भम्भोरिया	5.60 लाख	9.00लाख
	,,	2. भाकरोटा से मुकन्दपुरा ग्राम तक	3.20 ,,	
	,,	3. सिरसी रोड़ हाथोद	2.40 ,,	
	,,	4. धर्मपुरा रोड़ से जिलाई महेश-वाला ग्राम तक	4.80 ,,	

1	2	3	4	5
	झोटवाड़ा	5. खातीपुरा सिरसी रोड़ से गोकुलपुरा तक	2.00	2.00
	,,	6. सिसोदिया रानीजी गार्डन माताजी की बावड़ी	2.00	2.00
	,,	7. सिरसी से कुण्डा (अधूरी सड़क)	1.80	1.80
	,,	8. सिरसी से हाथोद(अधूरी सड़क)	0.85	0.02
5.	जमवारामगढ़	1. दोलतपुरा से भीमपुरा वाया बगवाड़ा	6.40	2.00
	,,	2. मानपुरा से वासना तक	4.80	2.00
	,,	3 ताला से साभरकल्ला वाया घोला मालासती	30.40	2.00
	,,	4. गढ़वाली से खोरा लालडखानी	8.00	2.00
	,,	5. आंधी से धूला वाया विरासना	30.40	2.00
	,,	6. चंदवाजी से रामपुरा वाया पीलवा घाटी	10.40	2.00
		अधूरे निर्माण कार्य :—		
	,,	7. ताला से धोला 2 किमी.	1.37	0.10
	,,	8. ताला से धोला 2 से 4 कि. मी.	2.14	1.14
	,,	9. मानपुरा कल्ला से खाईवाड़ 2 से 4 कि. मी.	1.51	0.85
	,,	10. मानपुरा कल्ला से साईवाड़ 0 से 2 कि. मी.	1.67	0.12
	,,	11. आंधी से भगवानपुरा 2 कि.मी.	1.76	0.78
	,,	12. आंधी से भगवानपुरा 2 से 4 कि. मी.	1.65	0.50
6.	बस्सी	1. बस्सी से भटेरी वाया पाटन	8.00 लाख	2.10 लाख
	,,	2. कानोता नामला रोड़ से बनाड़ वाया कुथाडा	9.60 ,,	2.00 ,,

1	2	3	4	5
	बस्सी	3. बस्सी से मनोहरपुरा	3.20 ,,	2.00 ,,
	,,	4. जयपुर आगरा रोड़ से देवली, गुमानपुरा	3.20 ,,	2.00 ,,
	,,	5. टूंगा कस्बा रोड़	3.20 ,,	2.00 ,,
	,,	6. टूंगा लवाण से रजवास	2.40 ,,	2 00 ,,
	,,	7. रजवाड़ी से गुमानपुरा वाया माधोगढ़	6.40 ,,	2.00 ,,
		ड. अधूरे निर्माण कार्य :—		
	,,	8. आगरा रोड़ से खेड़ी	1.92 ,,	1.00 ,,
	,,	9. बासखो से बूड़ला	1.35 ,,	0.10 ,,
	,,	10. बांसखो से बूड़ला	2.25 ,,	0.07 ,,

पंचायत समितियों के अधीन अध्यापकों के रिक्त पद

498. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान की पंचायत समितियों के प्राथमिक विद्यालयों में कुल कितने छात्र विद्याध्ययन कर रहे हैं ? इन विद्यालयों में कुल कितने अध्यापक हैं ? क्या निर्धारित मापदंड से अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो कितने कम हैं और इस कमी को दूर करने हेतु नवीन नियुक्तियां कब की जावेंगी ?

उत्तर

राजस्थान की पंचायत समितियों के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में 16,07,315 छात्र अध्ययन कर रहे हैं । पंचायत समितियों द्वारा 20,643 प्राथमिक शालाएं चलाई जा रही हैं जिनके लिए 36,256 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। 1:49 के मापदण्ड से कुल 5482 पद कम हैं। शिक्षा विभाग द्वारा पद स्वीकृत करने पर ही नियुक्तियां सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा गन्ने पर बढ़ाई गई चुंगी

499. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भूपालसागर ग्राम पंचायत ने मई, 1978 में गन्ने पर प्रति क्विन्टल 1 पैसा चुंगी लगाई थी ? यदि हां, तो इस चुंगी से प्रति वर्ष कितनी राशि वसूल हुई है ?

(2) क्या मई, 1980 में चुंगी की दर एक पैसे से बढ़ाकर पांच पैसा प्रति क्विन्टल करने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या दिनांक 30 जुलाई, 1980 को सम्बन्धित अधिकारी ने इस संबंध में स्थगन आदेश दिया था ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 1978-79 से जनवरी, 1982 तक गन्ने पर लगाई गई चुंगी से जो आय हुई उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

	वर्ष		राशि
			रुपये पैसे
1.	78-79	में	8,934.42
2.	79-80	में	4,037.35
3.	80-81	में	4,521.12
4.	81-82	में	3,512.99
			(जनवरी, 82 तक)

(पंचायत मंत्री)

(2) जी हां। ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील पेश करने पर राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 65 (सी) के तहत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30-7-80 को स्थगन आदेश दिये गये थे।

पंचों को बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर 28

ग्राम पंचायत....................पंचायत समिति......................जिला...................वर्ष 1981–82

बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	सरपंच	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक की कार्यवाहियां	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
5-5-80	पंचायत भवन	श्री शान्ती लाल बापना	श्री शान्तीलाल टांक श्री भूपालसिंह श्रीमती अणछी देवी श्री नानालाल श्री नारायण श्रीमती बरजू बाई श्री वासुदेव	प्रस्ताव संख्या-3 चुंगी कर की पत्रावली सं. 6/2036 पर विचार। चुंगी कर पत्रावली संख्या 6/2036 सदन में प्रस्तुत हुई। यह पत्रावली कर लगाने संबंधी व प्रक्रिया पर सदस्यों द्वारा दिनांक 25-7-79 को मीटिंग में पारित प्रस्ताव के आधार पर श्री उप जिला विकास अधिकारी जो चित्तौड़गढ़ को भेजी गई थी। उस पर उनका मार्गदर्शन जो प्राप्त हुआ है वह पत्रा-	ह० शान्तीलाल टांक ह० भूपालसिंह ह० अणछी ह० नानालाल ह० नारायण ह० बरजू ह० वासुदेव

1	2	3	4	5	6
				वली में उल्लिखित है । श्रीमान् उप जिला विकास अधिकारी जी ने सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्ति को उचित नहीं माना है । अतः सदन में आगे की कार्यवाही के लिये प्रस्तुत है । इस वर्ष के बजट में चुंगी कर के लिए जो प्राप्तियां आंकी गई हैं उसकी पूर्ति के लिए पत्रावली में उल्लिखित कुछ वस्तुओं पर चुंगी कर लगाया जाना तथा कुछ वस्तुओं पर चुंगी कर में वृद्धि को यह सदन उचित मानता है । इसके अलावा गन्ने पर जो चुंगी इस पत्रावली में प्रस्तावित कर लगाने का निर्णय किया है वह 3 पैसा प्रति क्विन्टल जो बहुत कम है । अतः निम्न प्रकार से अनुसूचित नं. 1 में चुंगी कर लगाने तथा अनुसूचित नं. 2 के अनुसार वर्णित वस्तुओं पर सामने अंकित दर के आधार पर वृद्धि करने का निर्णय किया जाना है । **अनुसूची नं. 1** (1) सभी प्रकार के दलहन, उड़द, मूंग, मटर, चना, मसूर, लाबिया आदि — 50 पैसा प्रति क्विन्टल	

1	2	3	4	5	6
				(2) लकड़ी (I) इमारती 25 पैसा प्रति सैंकड़ा बिजली मूल्य से (II) जलाऊ 25 पैसा प्रति क्विन्टल (3) शराब देशी अथवा अंग्रेजी 2-00 प्रति सैंकड़ा अनुसूची नं. 2 में पूर्व चुंगी में निम्न प्रकार वृद्धि की गई— (1) गन्ना-पूर्व में 1 पैसा प्रति क्विन्टल के बजाय 5 पैसा प्रति क्विन्टल (2) रासायनिक पदार्थ 0-50 पैसा प्रति सैंकड़ा के बजाय 1) रु. प्रति सैंकड़ा बिजली मूल्य (3) कोयला, कोल, स्टोन कोल 50 पैसा प्रति सैंकड़ा के बजाय 1) रु. प्रति सैंकड़ा बिजली मूल्य पर। उपरोक्त प्रकार से अनुसूची नं. 1 में वर्णित वस्तुओं पर चुंगी कर लगाने एवं अनु-	

1	2	3	4	5	6
				सूची नं. 2 में वर्णित वस्तुओं पर सामने अंकित दरों के अनुसार चुंगी कर लगाने का निर्णय इस संबंध में प्राप्त समस्त आपत्तियों पर विचार कर उसे खारिज करते हुए लगाने का निर्णय लिया जाता हैं । यह निर्णय सर्व सम्मति से पारित किया जाता है । यह चुंगी कर दिनांक 25-5-80 से प्रभावशील होगा तथा इस संबंध में प्रभावित व्यक्तियों को सूचना पत्र छपवा कर सूचित किया जावे ।	

(314)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डावरा (कोटा)

500. श्री दाऊदयाल जोशी (दोगोद) व श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले के मण्डावरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कब से डॉक्टर्स का अभाव है तथा डॉक्टर के अभाव में स्वास्थ्य केन्द्र का प्रभारी कौन है ?

(2) 1 अप्रेल, 1981 से लेकर 30 दिसम्बर, 1981 तक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थित जीप पर कुल कितना व्यय किस-किस मद में हुआ उसका किन-किन ने उपयोग किया ? क्या नियमों के तहत वे व्यक्ति उपयोग करने के अधिकारी थे ?

(3) स्वास्थ्य केन्द्र की जीप किस कार्य हेतु 1 अप्रेल, 1981 से 30 दिसम्बर, 1981 तक कितनी बार कोटा आई और उस पर कितनी धन राशि का पैट्रोल व्यय हुआ ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावरा के चिकित्सक के पद, जो दिसम्बर, 80 से रिक्त था, पर दिनांक 12-3-82 को एक चिकित्सक के पदस्थापन आदेश हो गए हैं। सुल्तानपुर डिस्पेन्सरी के प्रभारी अधिकारी डॉ. एस. सी. मिश्रा को फरवरी, 81 से अतिरिक्त कार्य के रूप में मण्डावरा का प्रभारी अधिकारी बनाया गया।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की जीप पर अप्रेल, 81 से 30 दिसम्बर, 81 तक की अवधि में हुए व्यय का विवरण निम्नानुसार है :—

मरम्मत के मद पर रु.	4900/-
पैट्रोल ऑयल आदि	3200/-
कुल रु.	8100/-

वाहन का उपयोग डॉ. मिश्रा ने राज कार्य हेतु किया जो इसके लिए अधिकृत थे।

(3) 1 अप्रेल, 1981 से 30-12-81 तक की अवधि में जीप आंत्रशोध की बीमारी की रोकथाम हेतु, मिनी सर्जिकल कैम्प एवं लेप्रोस्कोपिक कैम्प के कार्य हेतु 3 बार पैट्रोल लेने हेतु, एवं 2 बार मरम्मत हेतु कोटा आई। कोटा आने पर वाहन पर लगभग सात सौ रुपये का पैट्रोल का व्यय हुआ।

कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरगंज द्वारा बनाई जाने वाली सड़कें

501. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरगंज द्वारा मोहनपुरा व बलवन तक सड़कें बनाई जानी हैं ? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति कब हुई तथा उपरोक्त कार्य में क्या प्रगति हुई ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य में उदासीनता बरती जा रही है ?

(श्री हीरालाल आर्य)

यदि हां, तो इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इन सड़कों की कोई स्वीकृति ही नहीं हुई है।

(2) प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, तो शेष प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

नाथद्वारा क्षेत्र के ग्रामों में रूरल ग्रोथ सेन्टर योजना

502. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव देलवाड़ा का चयन रूरल ग्रोथ सेन्टर के लिये किया गया था ? यदि हां, तो इस पर उक्त योजना में कुल कितना खर्चा होगा एवं उसका कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

(2) क्या सरकार नाथद्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव गांवगुढ़ा एवं कोठारिया का चयन उपरोक्त योजना के अन्तर्गत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस योजना पर तीन वर्ष की अवधि में कुल 43.87 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव था। वर्ष 1980-81 में कन्या माध्यमिक शाला भवन 60,000/- रु., मार्केट सब यार्ड 50,000/- रु., पशु चिकित्सालय भवन—84,000/- तथा मनोरंजन केन्द्र हेतु 15,000/- कुल 2 लाख 9 हजार रु. स्वीकृत हुए। वर्ष 1981-82 में कार्य प्रारम्भ हुआ है।

(2) कोठारिया गांव का चयन भी उक्त योजना के अन्तर्गत किया जा चुका है। किन्तु गुढ़ा गांव का चयन निर्धारित मानदण्ड में न आने के कारण नहीं किया जा सका।

जिला अलवर की डिफाल्टर ग्राम सेवा सहकारी समितियां

504. श्री बाबूलाल बैरवा (कटूमर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अलवर जिले में अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधीन कितनी ऐसी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं जिन पर कि अवधिपार ऋण बकाया है तथा डिफाल्टर हैं ? कृपया इनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अलवर जिले में सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. अलवर के अधीन 270 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं जिन पर अवधिपार बकाया है तथा डिफाल्टर हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

———

(316)

दी अलवर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि० अलवर

शाखा तिजारा

क्र० सं०	नाम समिति	पं० स०	दि. 28-2-82 को बकाया ऋण	इसमें अवधिपार	विशेष विवरण
1.	भूपकाहेडा ग्रामसेवा स स.	तिजारा	408853-48	194172-88	
2.	ग्वालदा ,,	,,	458351-02	266661-48	
3.	पलासली ,,	,,	371446-78	206692-82	
4.	ततारपुर ,,	,,	669834-29	311414-71	
5.	ईशरोदा ,,	,,	397305-39	201385-94	
6.	रमाना ,,	,,	471735-38	200337-78	
7.	घिरियावास ,,	,,	483024-15	233082-15	
8.	राबड़का ,,	,,	349786-31	182570-31	
9.	चावंडी कलां ,,	,,	262448-09	81103-09	
10.	कुलताजपुर ,,	,,	297953-42	185762-42	
11.	तिजारा ,,	,,	189148-36	136398-36	
12.	भिवाडी	,,	424558-30	289233-10	
13.	भिण्डसी ,,	,,	392729-15	333982-15	
14.	लासापुर ,,	,,	430971-02	225632-02	
15.	टपूकड़ा ,,	,,	699979-51	193458-26	
16.	चुहड़पुर ,,	,,	393605-16	128806-60	
17.	हसनपुर ,,	,,	270789-17	49365-49	
18.	झिवाना ,,	,,	413069-76	178478-61	
19.	पाटन कलां ,,	,,	340065-13	1734-00	
20.	गोठड़ा ,,	,,	420371-33	75207-33	
21.	लुहाडेरा ,,	,,	536604-86	57377-96	
22.	साहडोद ,,	,,	42552-04	26533-54	
23.	पिपलाना ,,	,,	298235-21	713-6'	
			9405417-28	3800104-61	

दी अलवर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बेंक लि० अलवर

क्र. सं. नाम समिति	पं. स.	28-2-82 को बकाया ऋण	उसमें में से अवधि पार	विशेष विवरण
1. आदर्श जागूवास	बहरोड़	372378-92	30627-02	
2. अजमेरोपुर	,,	170113-81	11041-71	
3, अनन्तपुरा	,,	114952-42	34958-12	
4. बर्डोहरिजन	,,	115719-58	30840-77	
5. बहरोड	,,	526970-68	58282-67	
6. बुढवाल	,,	228154-49	160222-83	
7. ढूढरिया	,,	219830-25	8467-34	
8. गूतो	,,	145523-10	114623-10	
9. हमीदपुर	,,	529068-99	44018-24	
10. जखनारा	,,	201015-59	22382-09	
11. खोहर	,,	249798-65	1740-00	
12. मांचल	,,	298422-06	64843-86	
13. माहाराजवास	,,	329218-51	5567-80	
14. मोहम्मदपुर	,,	232169-19	5216-45	
15. नागलखोडिया	,,	311697-60	11279-07	
16. पहाडी	,,	165128-17	18501-87	
17. रिवाली	,,	332916-62	105164-37	
18. शेरपुर	,,	238956-25	238956-25	
19. ऊटोली आदर्श	,,	288949-35	85499-64	

———

दी अलवर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि० अलवर

शाखा अलवर

क्र० सं०	नाम समिति		पं० स०	दि० 28-[illegible]-82 को बकाया ऋण	जिसमें से अवधिपार	विशेष विवरण
1.	डेरावामनवास	ग्रामसेवा	थानागाजी	116553-04	105129-04	
2.	बसईजोगियान	,,	,,	401496-69	227838-04	
3.	बामनवासकाकड़	,,	,,	47121-00	15068-00	
4.	आगर	,,	,,	221308-52	146885-67	
5.	सांवतसर	,,	,,	143057-37	115854-37	
6.	थानागाजी	,,	,,	383793-50	266994-50	
7.	सालेटा	,,	,,	94780-44	81270-44	
8.	हरनेर	,,	,,	165872-65	34883-65	
9.	गुढाचुरानी	,,	,,	127831-45	8838-00	
10.	कोलाहेड़ा	,,	,,	144975-00	—	
11.	प्रतापगढ़	,,	,,	105301-10	—	
12.	बासबेरीनाल	,,	,,	272185-60	102735-00	
13.	अजबपुरा	,,	,,	117789-50	—	
14.	पीपलाई	,,	,,	108149-72	64343-72	
				2450215-58	1169840-43	

———

दी अलवर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि० अलवर

(राशि लाखों में)

शाखा लक्ष्मणगढ़

क्र० सं०	ग्राम समिति	पं० स०	दिनांक 28-2-82 को बकाया ऋण	उसमें से अवधिपार	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	बिचगांवा ग्रामसेवा सह० स०	लक्ष्मणगढ़	3-64	0-82	
2.	बडका ,,	,,	2-54	—	
3.	बडोदामेव ,,	,,	12-82	2-99	
4.	बूटोली ,,	,,	1-93	0-57	
5.	बुटियाना ,,	,,	2-02	0-89	
6.	बाई ,	,,	2-07	0-67	
7.	भैंसडावत ,,	,,	3-54	1-75	
8.	चिडवाई ,,	,,	0-91	0-90	
9.	चिमरावली ,,	,,	3-02	1-67	
10.	दीनार ,,	,,	2-44	—	
11.	गोविन्दगढ़ ,,	,,	7-41	4-56	
12.	गणडूरा ,,	,,	2-49	0-49	
13.	गढ़ी सैयदका ,,	,,	2-47	0-44	
14.	गोठड़ा ,,	,,	3-06	2-47	
15.	हरसाना ,,	,,	3-32	1-10	
16.	हसनपुर ,,	,,	4-12	0-91	
17.	ईदपुर ,,	,,	4-47	2-85	
18.	इंटेड़ा ,,	,,	3-23	1-44	
19.	जयसिंहपुरा ,,	,,	2-97	0-91	
20.	जावली ,,	,,	1-58	0-31	
21.	कचावा ,,	,,	1-89	0-39	
22.	खोहरा ,,	,,	2-23	2-12	
23.	खेड़ामहमूद ,,	,,	3-55	1-99	
24.	खुडियाना ,,	,,	2-30	—	
25.	लक्ष्मणगढ़ ,,	,,	5-84	3-52	

1	2	3	4	5	6
26.	लीली ग्रामसेवा सह० स०	लक्ष्मणगढ़	2-54	0-82	
27.	मोलिया ,,	,,	3-21	1-42	
28.	मोजपुर ,,	,,	1-89	—	
29.	न्याना ,,	,,	2-44	1-02	
30.	नसवारी ,,	,,	2-93	0-61	
31.	नागलखाजादी ,,	,,	3-82	2-01	
32.	रामवास ,,	,,	2-13	1-27	
33.	सेहरा ,,	,,	3-30	2-33	
34.	सैमला खुर्द ,,	,,	4-75	2-50	
35.	सायपुरपाखर ,,	,,	3-40	1-97	
36.	सैदमपुर ,,	,,	4-76	2-75	
37.	सौराई ,,	,,	1-75	0-43	

———

दी अलवर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि०, अलवर

(राशि लाखों में)

पंचायत समिति, कठूमर

शाखा—खेड़ली

क्र० सं०	नाम समिति		दि० 28-2-82 को बकाया ऋण	जिसमें से अवधिपार
1	2		3	4
1.	टिटपुरी	ग्राम सेवा	1-98	0-82
2.	खोखरी	,,	2-08	1-52
3.	सांख	,,	3-77	1-47
4.	खैरली रैल	,,	3-99	1-35
5.	नागलरूपा	,,	2-02	0-78
6.	टौडा	,,	2-01	0-78
7.	गैंथना	,,	3-26	1-68
8.	रामपुरा	,,	0-98	0-98
9.	डयोटाना	,,	2-71	1-37
10.	हुडियाना	,,	4-62	1-81
11.	खोह	,,	3-39	0-92
12.	पीपलखेड़ा	,,	5-70	2-02
13.	तुसारी	,,	2-64	0-20
14.	बावाकठूमर	,,	3-67	1-47
15.	नाटोज जादूका वास	,,	2-78	1-08
16.	रेटा	,,	2-82	0-49
17.	संतोषपुर	,,	3-35	1-01
18.	रामपुरापाटन	,,	4-51	2-16
19.	मसारी	,,	2-42	0-67
20.	डोरोली	,,	4-64	0-66
21.	धोलागढ़	,,	2-40	0-44
22.	गारू	,,	4-96	2-15
23.	दारोदा	,,	4-45	0-82
24.	तसई	,,	6-31	3-35

1	2	3	4
25. अरूवा	ग्राम सेवा	3-88	0-59
26. जहाडू	,,	4-11	0-77
27. जाडला	,,	2-73	—
28. दातिया	,,	3-42	0-23
29. बुलाहेडी	,,	1-86	0-08
30. इसरोता	,,	2-87	—
31. बड़ौदाकान	,,	2-00	—
32. रौनीजाथान	,,	3-61	—
33. कालवाड़ी	,,	4-24	—
34. सोखर	,,	2-85	0-55
35. मनोखर	,,	1-94	0-27
36. मथुराहैडा	,,	2-15	0-39

————

दी अलवर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., अलवर

शाखा—मुण्डावर पंचायत समिति, मुण्डावर

क. सं.	ग्राम समिति	दि. 28-2-82 को ऋण बकाया।	जिसमें से अवधिपार
1.	अजरका एल. एस. एस.	3,63,421.00	3,56,721.00
2.	मानोत ग्राम सेवा स. स.	2,63,789.89	600.52
3.	बासनी ,,	4,72,774.38	1,59,071.38
4.	बेरोज ,,	5,88,149.04	2,49,907.52
5.	बीजवाड़ चौहान ,,	3,29,835.62	6,851.00
6.	भुनगड़ा अहीर ,,	4,25,923.02	1,05,482.72
7.	गोपीपुरा ,,	4,29,882.88	2,60,933.30
8.	जागींवाड़ा ,,	5,75,491.11	58,585.86
9.	जाट भगोला ,,	3,01,480.01	1,59,427.01
10.	जीन्दौली ,,	4,82,041.81	2,20,115.23
11.	मुण्डियाखेड़ा ,,	3,97,399.97	1,41,136.32
12.	मुण्डावर ,,	4,14,029.88	2,80,392.94
13.	मुण्डनवाडाकलां ,,	3,23,698.12	1,35,608.00
14.	मातौर ,,	4,97,254.76	3,626.00
15.	पलावा ,,	3,45,640.00	—
16.	पदभाडा खुर्द ,,	2,85,788.00	2,60,677.00
17.	रानोंठ ,,	3,61,624.00	2,29,233.61
18.	रसगन ,,	4,59,849.61	1,56,492.96
19.	राजवाड़ा ,,	9,57,506.14	2,07,221.52
20.	सोडावास ,,	5,95,683.63	1,39,735.63
21.	श्यामदा ,,	2,79,795.38	11,883.38
22.	सिहाली खुर्द ,,	3,70,128.95	—
23.	शीलगांव ,,	2,49,425.86	87,717.86
24.	सोरखाकलां ,,	4,72,224.85	70,962.85
25.	तिनकीरूडी ,,	2,40,543.11	—
26.	ततारपुर ,,	2,37,036.47	1,04,962.47
27.	उलाहेडी ,,	7,00,421.40	4,028.53
28.	वेहल ,,	38,741.00	35,941.00

दी अलवर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., अलवर

शाखा—कोटकासिम पंचायत समिति—कोटकासिम

क्र.सं.	नाम समिति		दि. 28-2-82 को ऋण बकाया	जिसमें अवधिपार
1.	बूडीबाबत ग्राम सेवा सह.समिति		2,75,597.00	74,710.00
2.	जटियाना	,,	3,68,224.34	59,123.34
3.	कोटकासिम	,,	6,10,462.94	2,11,744.00
4.	पुर	,,	4,52,792.26	46,356.98
5.	हरसोली	,,	2,63,365.81	2,24,138.55
6.	बघेरी खुर्द	,,	3,25,994.92	67,417.92
7.	बघाना	,,	5,55,306.84	5,40,926.84
8.	जकोपुर	,,	3,61,883.27	1,28,131.27
9.	गुणसार	,,	4,43,891.90	2,48,478.11
10.	पतलिया	,,	3,76,972.40	1,89,953.00
11.	खानपुर अहीरान	,,	4,55,218.61	98,454.07
12.	कतोपुर	,,	5,85,613.20	2,97,197.53
13.	मुरगचका	,,	3,28,421.22	47,938.22
14.	उजोली	,,	4,92,168.53	1,37,126.53
15.	पालपुर	,,	3,35,686.26	1,76,810.79
16.	गंगापुरी	,,	5,93,420,27	3,40,325.23
17.	मोकर	,,	8,40,958.34	2,72,278.64
18.	तिगोवा	,,	4,40,522.23	38,801.28
19.	कान्हडका	,,	2,81,415.08	18,253.08

———

दी अलवर सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., अलवर

शाखा—राजगढ़ पंचायत समिति—राजगढ़

क्र. सं.	नाम समिति		दि. 28-2-82 को ऋण बकाया	उसमें से अवधिपार
1.	अलई ग्राम सेवा. सह. समिति		1,24,983.35	71,863.27
2.	बल्लूपुरा	,,	1,73,722.66	1,57,022.06
3.	धनरेड़	,,	3,08,874.22	2,31,563.03
4.	ढिगावड़ा	,,	1,69,454.06	1,27,707.06
5.	गोलाकावास	,,	2,77,118.66	1,29,976.66
6.	इंदपुरा	,,	89,614.52	34,199.52
7.	राजगढ़ मालीयान	,,	67,075.58	67,075.58
8.	राजपुर	,,	3,73,136.63	2,98,090.29
9.	सकट	,,	2,61,709.93	1,89,200.24
10.	श्रीचन्दपुरा	,,	94,018.61	87,904.62
11.	सुरेर	,,	2,53,944.22	2,16,969.22
12.	टहला	,,	3,96,384.68	2,43,885.36
13.	तिलवाड़	,,	1,75,464.73	1,67,764.72
पंचायत समिति—रेणी				
14.	बहादरपुर	,,	6,25,035.72	3,65,950.02
15.	मजेड़ा	,,	2,87,909.47	62,019.37
16.	डेरा	,,	5,45,870.23	3,15,586.32
17.	ईश्वाना	,,	3,33,154.55	3,40,083.05
18.	जामडोली	,,	1,65,556.37	31,115.17
19.	रेणी	,,	3,14,365.51	63,559.41
20.	रामपुरा	,,	6,08,147.38	2,94 705.28
21.	छिलोडी	,,	3,64,991.27	2,14,033.27
22.	डोरोली	,,	4,66,661.17	4,13,104.47
23.	खोहरा चौहान	,,	2,01,566.53	39,263.93
24.	माचाडी	,,	2,01,061.69	1,05,390.19
25.	माजवाड़	,,	2,01,061.69	1,05,390.19
26.	पाटन	,,	3,38,513.83	2,84,510.47
27.	पिनान	,,	1,74,677.99	83,400.19

दी अलवर सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., अलवर

शाखा बानसूर

क्र.सं.	नाम समिति			दिनांक 28-2-82 को बकाया ऋण	उसमें से बकाया अवधिपार
1.	भग्गू का वास ग्राम सेवा		बानसूर	3,93,062.90	1,56,545.50
2.	बबेड़ी ग्राम	,,	,,	3,36.052.68	88,887.83
3.	हमीरपुर	,,	,,	1,22,758.14	39,990.40
4.	ग्यानपुरा	,,	,,	1,32,910.05	1,09,046.92
5.	मोरोड़ी	,,	,,	2,27,235.79	1,56,265.54
6.	चूला	,,	,,	1,00,426.90	1,00,426.90
7.	साथलपुर	,,	,,	2,18,162.78	2,10 608.61
8.	खोहरी	,,	,,	2,13,507.57	6,916.07
9.	हाजीपुर	,,	,,	2,22,039.10	—
10.	कराना	,,	,,	71,113.76	—
11.	नीमूचाना	,,	,,	2,85,230.61	—
12.	बुटेरी	,,	,,	69,604.64	60,967.64
13.	किशोरपुरा	,,	,,	31,511.53	23,590.53
14.	शाहपुरा	,,	,,	1,48,698.00	21,275.20
15.	महनपुर	,,	,,	93,956.07	93,956.07
16.	बानसूर	,,	,,	5,07,262.98	51,319.37
17.	रामपुर	,,	,,	6,39,252.25	2,83,927.80
18.	खेड़ा	,,	,,	4,22,195.10	1,25,399.42
19.	बाबरिया	,,	,,	2,45,723.17	52,168.74
20.	हरसोरा	,,	,,	43,860.40	28,547.75
21.	गिरूड़ी	,,	,,	76,627·08	76,627.08
22.	भूपसेड़ा	,,	,,	1,80,797.22	92,732.83

———

दी अलवर सेन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक लि., अलवर

शाखा—नीमराना

क.सं.	नाम सह. समिति	प.सं.	28-2-82 को बकाया ऋण	उनमें से अवधिपार विशेष वि.
1.	आदर्श शाजहांपुर	नीमराना	1,24,661.01	1,04,400.01
2.	चोबारा	,,	1,28,626.24	—
3.	फौलादपुर	,,	2,72,316.73	93,786.93
4.	धोलीट	,,	2,80,879.73	20,076.43
5.	गिगलाना	,,	2,25,461.78	1,43,408.23
6.	हुडियाकलां	,,	2,46,628.02	9,876.67
7.	जीनायचाखुर्द	,,	4,39,030.55	13,507.00
8.	माजारा	,,	1,17,382.41	4,372.11
9.	माजरोकलां	,,	2,06,673.92	64,550.22
10.	माढन	,,	82,607.52	78,067.52
11.	नानगवास	,,	1,87,461.00	6,113.80
12.	नीमराना	,,	1,80,528.65	1,100.40
13.	निहालपुरा	,,	39,783.61	21,933.61
14.	तलवाना	,,	2,82,515.70	3,221.20

———

(328)

दी अलवर सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि, अलवर

सायंकालीन शाखा

क्र.स.	नाम समिति		प.स.	दिनांक 28-2-82 को बकाया ऋण	उसमें से अवधिपार
1.	अकबरपुर ग्राम से.सह.स.		उमरेण	2,70,356.37	—
2.	अहमदपुर	,,	,,	2,23,051.38	—
3.	आलपुर	,,	,,	2,70,998.04	—
4.	बासशिकारियान	,,	,,	1,69,259.80	1,49,668.05
5.	बीजवाड़	,,	,,	2,65,977.47	—
6.	बरतपुरा	,,	,,	3,30,343.80	1,25,563.80
7.	भडकोल	,,	,,	2,89,111.14	1,71,529.74
8.	भडोडी	,,	,,	2,25,996.55	88,729.40
9.	चादोली	,,	,,	2,08,732.23	75,903.88
10.	ढाकपुरी	,,	,,	1,67,969.61	40,356.76
11.	घाटला	,,	,,	4,77,280.42	2,75,208.58
12.	हल्दीना	,,	,,	2,05,193 90	11,466.55
13.	इन्दाक	,,	,,	1,98,397.59	53,947.48
14.	जटियाना	,,	,,	2,72,351.30	2,72,351.30
15.	जमालपुर	,,	,,	2,00,621.04	29,442.44
16.	कलसाड़ा	,,	,,	2,87,631.78	69,142.73
17.	कस्वाडहरा	,,	,,	98,263.20	—
18.	मालाखेड़ा	,,	,,	2,15,933.59	1,02,391.19
19.	निठारी	,,	,,	1,24,442.60	99,966.60
20.	पुनखर	,,	,,	3,52,242.00	3,02,308.75
21.	सेनी प्रेत कुंज	,,	,,	1,97,720.73	1,93,270.73
22.	पृथ्वीपुरा	,,	,,	2,36,503.57	1,17,223.42
23.	रतनगढ़	,,	,,	2,07,683.34	1,70,516 84
24.	सामोला	,,	,,	2,32,437.10	2,00,429.00
25.	शाहपुरा	,,	,,	2,23,485.68	34,638.03
26.	सालपुर	,,	,,	2,01,426.40	69,484.00
27.	तुलेडा	,,	,,	3,57,624.57	3,57,624.57
28.	उमरेण	,,	,,	3,05,238.45	1,27,792.00

दी अलवर सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., अलवर

शाखा—रामगढ़

क्र.सं.	नाम समिति	प.सं.	दिनांक 28-2-82 को बकाया ऋण	उसमें से अवधिपार
1.	गूजकी ग्राम से.सह.स	रामगढ़	3,38,288.30	1,37,444.20
2.	चीडवा ,,	,,	7,38,142.63	2,47,570.35
3.	ककराली ,,	,,	6,13,162.07	4,13,607.32
4.	नशोपुर ,,	,,	2,76,860.34	41,523.43
5.	खोजाका ,,	,,	3,44,322.80	69,849.35
6.	रघुनाथगढ़ ,,	,,	2,08,518.06	99,781.56
7.	नागलीमेघा ,,	,,	4,16,299.96	2,34,218.66
8.	बगड राजपूत ,,	,,	3,88,303.23	11,237.58
9.	रामगढ़ आदर्श ,,	,,	4,33,115.71	80,111.41
10.	कंमाला ,,	,,	2,18,502.01	1,54,715.26
11.	बरामदा ,,	,,	6,18,427.58	4,81,078.83
12.	रसगन ,,	,,	3,66,112.18	—
13.	चौराटी पहाड़ ,,	,,	3,70,250.40	—
14.	महावीर ,,	(अलावड़ा)	2,34,697.50	—
15.	विलासपुर ,,	,,	3,08,410.21	—
16.	बहाला ,,	,,	3,47,793.85	—
17.	निवाली ,,	,,	3,97,991.07	5,130.00
18.	मुबारिकपुर ,,	,,	3,08,907.15	5,769.00
19.	मंगलेशपुर ,,	,,	3,18,113.33	—
20.	नोगांव ,	,,	4,32,448.25	—
21.	बाम्बोली ,,	,,	2,89,014.35	—

———

(330)

दी अलवर सेन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक लि., अलवर

शाखा—खैरथल

क्र.सं.	नाम समिति		प.सं.	दिनांक 28-2-82 को बकाया ऋण	जिसमें से अवधिपार
1.	भालमसीका	ग्रा.से.स.स.	किशनगढ़	2,45,810.00	32,745.00
2.	बाघोर	,,	व स	2,59,764.00	—
3.	बहादरपुर	,,	,,	5,23,024.04	—
4.	भागीरथ चाचाका	,,	,,	5,17,911.40	2,38,533.00
5.	बघेरी कलां	,,	,,	2,77,096.00	—
6.	बिकानी	,,	,,	9,30,795.21	—
7.	चोडावता	,,	,,	3,32,891.87	1,20,999.87
8.	घासोली	,,	,,	3,70,478.00	—
9.	झारखेड़ा	,,	,,	4,61,352.24	31,968.90
10.	इस्माइलपुर	,,	,,	2,74,380.00	—
11.	जीलोता	,,	,,	3,46,852.60	68,394.00
12.	खैरथल	,,	,,	13,00,065.45	4,68,129,00
13.	किशनगढ़	,,	,,	13,57,108.00	3,54,173.00
14.	कोलगांव	,,	,,	2,40,549.64	1,18,343.00
15.	खानपुर	,,	,,	2,68,802.00	76,268.00
16.	लंगडवास	,,	,,	5,14,393.06	79,422.15
17.	माछरोली	,	,,	5,65,300 00	4,64,509.00
18.	मुसाखेड़ा	,,	,,	3,92,104.00	1,18,966.00
19.	माहुन्द	,,	,,	6,26,96[illegible].00	22,219.00
20.	मांचा	,,	,,	2,27,133.00	89,894.00
21.	रायबका	,,	,,	4,70,016 40	—

———

विभिन्न राज्यों में राज्य के देवस्थान विभाग की सम्पत्ति

505. श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) देश के किन-किन राज्यों में देवस्थान विभाग की सम्पत्ति है ?

(2) क्या हरिद्वार में राज्य सरकार का कोई भवन है ? यदि हां, तो इस पर प्रति वर्ष अनुमानित कितना व्यय किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि जर्जरित स्थिति में होने के कारण राज्य सरकार इसे उत्तर प्रदेश सरकार को देने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग की सम्पत्ति राजस्थान के अलावा उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा देहली राज्यों में स्थित है।

(2) जी हां। मन्दिर श्री गंगाजी हरिद्वारा में स्थित है। इस पर विगत तीन वर्षों में क्रमशः निम्न राशि व्यय की गई है :—

वर्ष	व्यय की गई राशि
79–80	6,712–00 रु०
80–81	6,009–00 रु०
81–82	9,023–00 रु०

(3) जी नहीं।

प्रभारी आयुर्वेद औषधालय पोसालिया (सिरोही) के विरुद्ध जांच

506. श्री मेरू सिंह गुर्जर (खारची) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेद औषधालय, पोसालिया (सिरोही) के वैद्य प्रभारी श्री रणजीतमल के पंजीयन-पत्र व योग्यता-पत्र की संदिग्धता के कारण उनके विरुद्ध जांच चल रही है ?

(2) क्या उनके विरुद्ध इस प्रकार की जांच पूर्व में भी की गई थी ? यदि हां, तो तत्कालीन जांच क्यों रोक दी गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि वैद्य रणजीत मल को सात माह से वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रारम्भिक जांच चल रही है।

(2) इस बिन्दु पर जांच जो पूर्व में प्रारम्भ हुई थी, वह अभी चल रही है।

(3) जी हां। इनका वेतन राज्यादेश क्रमांक-एफ-11(138) आयुर्वेद/81, दिनांक 2-11-81 द्वारा रोका गया था किन्तु अब वेतन देने के आदेश दिनांक 16-3-82 को प्रचलित कर दिये गये हैं।

जयपुर दुग्ध वितरण योजना में गाड़ियों का अनुबन्धन

507. श्री हरिसिंह (फुलेरा) : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर दुग्ध वितरण योजना में दुग्ध व दुग्ध से बने पदार्थ के परिवहन के लिये दिनांक 23 दिसम्बर, 1981 को टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति द्वारा किस-किस दर से कितनी-कितनी गाड़ियों की अरनेस्टमनी सहित टेण्डर भरे थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 13 जनवरी, 1982 को नेगोसिएसन हो चुके हैं ? यदि हां, तो आज तक वर्क आर्डर क्यों नहीं दिये गये ?

(3) जयपुर दुग्ध वितरण योजना के अनुबन्ध में क्या ऐसी कोई शर्त है कि एक ही व्यक्ति की छः गाड़ियां लगाई जावेंगी ? यदि नहीं, तो फिर अच्छी कन्डीशन व ऊंचे मॉडल की अलग-अलग व्यक्तियों की गाड़ियां जिनकी निम्नतम दरें हैं क्यों नहीं लगाई जा रही हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, जिन व्यक्तियों ने अरनेस्ट मनी सहित टेण्डर भरे थे उनकी सूची दरों सहित सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां, वर्क आर्डर भी 12-2-82 को दिया जा चुका है।

(3) जी नहीं। अच्छी हालत की नये मॉडल की गाड़ियां ही जिनकी दरें न्यूनतम थी, लगाई गई हैं।

सूची

क्रमांक	पार्टी का नाम	बड़ी गाड़ी दरें प्रति दिन प्रति गाड़ी	छोटी गाड़ी प्रति दिन प्रति गाड़ी	विवरण
1.	मै० महेन्द्र सिंह मवाल, सीकर	411/–एक गाड़ी के लिए निविदा दी गई।	—	अमानत राशि जमा है।
2.	मै० जगदीश प्रसाद, सीकर	415/–मॉडल 1981 411/–वन व्हीकल 1978 मॉडल 1979 मॉडल तीनों गाड़ियों के लिए है।	—	अमानत राशि जमा है फार थ्री व्हीकल।
3.	मै० मानकंवर, अनिल सिंह, जयपुर।	375/–निविदा 3 बड़ी + 3 छोटी गाड़ियों की दी है।	275/–	अमानत राशि जमा है। फार वन व्हीकल।
4.	मै० मान कुंवर, जयपुर।	450/–फार सिक्स व्हीकल	350/–	अमानत राशि जमा है फार सिक्स व्हीकल।
5.	मै० भरत सिंह, बनीपार्क, जयपुर।	500/–फार सिक्स व्हीकल	500/–	अमानत राशि जमा है। एक गाड़ी की अमानत राशि जमा है।
6.	मै० जय गोविन्द, ट्यूर्स, जयपुर।	425/–	325/–	अमानत राशि जमा है एफीडेविट एवं फर्म रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि संलग्न है। 16 गाड़ियों की अमानत राशि जमा है।

334

1	2	3	4	5
7.	मै० क्वालिटी ट्रेडर्स, जयपुर ।	450/–	260/–	अमानत राशि जमा नहीं है ।
8.	मै० नेशनल ट्रांसपोर्ट, जयपुर ।	451/–	—	अमानत राशि तीन गाड़ियों की जमा है ।
9.	मै० आनन्द गुड्स ट्रांसपोर्ट कं०, जयपुर ।	301/–	175/–	अमानत राशि जमा नहीं है ।

सरपंच ग्राम पंचायत सिकन्दरा के विरुद्ध शिकायतें

508. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार को सिकन्दरा ग्राम पंचायत के सरपंच श्री रामलाल पालीवाल के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो उस पर कब जांच हुई तथा जांच परिणाम क्या रहे ? जांच परिणामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अभी तक कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री रामलाल पालीवाल सरपंच ग्राम पंचायत सिकन्दरा के विरुद्ध शिकायत जिलाधीश, जयपुर को प्राप्त हुई थी। प्राथमिक जांच रिपोर्ट दिनांक 14-7-81 को प्राप्त हुई। जांच में सरपंच द्वारा पंचायत राशि का दुरुपयोग एवं अन्य अनियमिततायें किया जाना पाया गया। सरपंच के दोषी पाये जाने पर उन्हें आरोप-पत्र दिया गया तथा उन्हें निलम्बित किया गया। सरपंच द्वारा आरोपों का खंडन किये जाने पर उप जिलाधीश, दौसा द्वारा विस्तृत जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त न होने से सदन की मेज पर प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

(2) जी हां। इनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

जिला चित्तौड़गढ़ के सहकारी बैंकों के अध्यक्ष

509. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न सहकारी बैंकों में राज्य सरकार ने किन-किन व्यक्तियों को कब से अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है तथा किन-किन मनोनीत अध्यक्षों ने अपना कार्यभार नहीं संभाला है ?

(2) मनोनीत अध्यक्षों को कितना वेतन, यात्रा भत्ता, टेलीफोन एवं वाहन खर्च प्रति माह दिया जाता है ?

(3) चित्तौड़गढ़ जिले में मनोनीत अध्यक्षों द्वारा पद धारण करने के पश्चात् किन-किन अध्यक्षों पर वेतन, यात्रा-भत्ता, टेलीफोन एवं वाहन खर्च के रूप में कितना-कितना व्यय हुआ है ? कृपया जनवरी, 1982 तक का खर्च का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में राज्य सरकार के आदेशानुसार निम्न बैंकों में उनके नाम के आगे अंकित व्यक्तियों को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है :—

(सहकारिता मन्त्री)

क्र.	नाम बैंक	नाम अध्यक्ष	राज्य सरकार आदेश दिनांक
1.	चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक	श्री ज़ुल्फीकार अहमद आजम	10-7-81
2.	चित्तौड़गढ़ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि०	श्री बलवंतराम सुराणा	10-7-81
3.	प्रतापगढ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि०	श्री हरलाल मीणा	10-7-81

श्री हरलाल मीणा ने प्रतापगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष का पद नहीं संभाला है।

(2) मनोनीत अध्यक्षों को सम्बन्धित संस्था द्वारा वेतन, यात्रा-भत्ता, टेलीफोन एवं वाहन खर्च प्रतिमाह नहीं दिया जाता है।

(3) चित्तौड़गढ़ में जिन मनोनीत अध्यक्षों द्वारा पद धारण करने के पश्चात् खर्चा जनवरी, 82 तक किया गया है उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम सं.	नाम अध्यक्ष	वेतन	यात्रा भत्ता	टेली.	वाहन खर्च
1. चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०	श्री ज़ुल्फीकार अहमद आजम	–	1899-80	–	–
2. चित्तौड़गढ़ प्राथमिक सह. भूमि विकास बैंक लि०	श्री बलवंत राम सुराना	–	883-70	36-00	–

राज्य में पशु चिकित्सालयों का अभाव

510. श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के किस किस जिले में कितने पशु हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रदेश के किस-किस जिले में कितने पशु चिकित्सालय हैं ? उनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) नये पशु चिकित्सालय खोलते

(श्री उम्मेद सिंह)

समय राज्य सरकार किन-किन मापदण्डों को दृष्टिगत रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में पशु चिकित्सालयों की संख्या कम है ? यदि हां, तो वर्ष 1982 में किन-किन जिलों में कितने नये पशु चिकित्सालय राज्य सरकार खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची (क) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) प्रदेश के किस-किस जिले में कितने पशु चिकित्सालय हैं, जिलेवार सूची (क) में दर्शाया गया है।

(3) राज्य में पशु चिकित्सालय खोलने का आधार पशुओं की संख्या, गांव की जनसंख्या, क्षेत्र की आवश्यकता एवं ग्रामवासियों द्वारा चिकित्सालय के लिए निःशुल्क भवन आदि उपलब्ध कराने की सहमति इत्यादि है।

(4) 30 पशु स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 1981-82 में खोले गये हैं, जिसकी सूची (ख) संलग्न है। वर्ष 82-83 में बजट प्रावधान होने पर ही विचार किया जाना संभव होगा।

जिलेवार पशुधन एवं चिकित्सा संस्थाएं वर्ष 1981–82

जिला	पशुधन वर्ष 1977 की पशु गणणानुसार	चिकित्सालय	औषधालय	स्वास्थ्य केन्द्र	कुल संस्थाएं
1	2	3	4	5	6
1. अजमेर	1644265	18	13	—	31
2. अलवर	1382168	19	13	—	32
3. बांसवाड़ा	931068	9	7	—	16
4. बाड़मेर	2532313	9	1	15	25
5. भरतपुर	1144925	20	12	—	32
6. भीलवाड़ा	2352586	19	15	—	34
7. बून्दी	799554	6	3	—	9
8. बीकानेर	1534983	9	3	12	24
9. चित्तौड़गढ़	1697037	17	13	—	30

1	2	3	4	5	6	7	8
10. चूरू	1574522	10	2	11	23		
11. डूंगरपुर	892599	10	5	—	15		
12. गंगानगर	1645431	22	9	5	36		
13. जयपुर	2468916	29	21	—	50		
14. जैसलमेर	1300419	5	4	14	23		
15. जालोर	1320045	10	2	6	18		
16. झालावाड़	8916261	10	4	—	14		
17. झुन्झुनू	968588	11	7	6	24		
18. जोधपुर	2442424	15	4	12	31		
19. कोटा	1270328	17	12	—	29		
20. नागौर	2371741	17	6	14	37		
21. पाली	1983093	14	3	13	30		
22. स० माधोपुर	1467564	12	14	—	26		
23. सीकर	1361092	12	3	12	27		
24. सिरोही	765220	8	5	—	13		
25. टौंक	1159297	7	11	—	18		
26. उदयपुर	3445464	22	18	—	40		
राजस्थान :—	41359267	357	210	120	687		

339

मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त वर्ष 1981–82 में नये पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्धी सूची (ख)

क्र.सं.	जिला	नाम स्थान	पंचायत समिति तहसील
1.	जोधपुर	सुवाप	त० फलौदी
2.	,,	बापिनी	त० औसिया
3.	,,	तिलवासनी	पं० स० बिलाड़ा
4.	,,	डांवरा	पं० स० औसियां
5.	चूरू	पडिहारा	पं० स० रतनगढ़
6.	,,	नागलकलां	पं० स० राजगढ़
7.	,,	बड़सीसर	पं० स० सरदारशहर
8.	नागौर	खजपाना	त० मूण्डवा
9.	,,	निम्मी जोधा	त० लाडनू
10.	,,	थांवला	त० नागौर
11.	बीकानेर	जस्सूसर दरवाजा	बीकानेर
12.	,,	बाधून	नोखा
13.	,,	केला	लूणकरणसर
14.	झुन्झुनू	बगड़	झुन्झुनू
15.	,,	दिलाई दक्षिणा	त० मण्डावा
16.	सीकर	कूदन	त० सीकर
17.	,,	चापलाटा	त० नीम का थाना
18.	,,	काशी का बास	त० सीकर
19.	श्रीगंगानगर	रामगढ़	त० नोहर
20.	,	डावड़ी	त० भादरा
21.	पाली	राणावास	पाली
22.	,,	पूसी	प० स० रानी
23.	,,	चौपड़ा	सोजत

1	2	3	4
24.	पाली	मुंडारा	पाली
25.	,,	बलाड़ा	त० जैतारण
26.	जैसलमेर	झिन्झिनियाली	जैसलमेर
27.	बाड़मेर	सनवाड़ा	बाड़मेर
28.	,,	सवाऊपदमसिंह	पं० स० बायूत
29.	जालौर	सियाना	त० जालौर
30.	जालौर	धानौल	पं० स० रानीवाड़ा

———

कृषि सहकारी समिति जवाहर-नगर (धरियावद)

511. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धरियावाद के जवाहर नगर की कृषि सहकारी समिति की संस्थापना किस सन् में हुई और इसके संस्थापक कौन थे तथा इसके क्या उद्देश्य थे ?

(2) क्या यह भी सही कि कृषि सहकारी समिति के सदस्यों को भूमि नियमन करने के अधिकार दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) धरियावाद जवाहरनगर कृषि सहकारी समिति की स्थापना सन् 1975 में हुई। इसके संस्थापकों की सूची व उद्देश्य संलग्न है।

(2) जी नहीं।

श्री जवाहरनगर सहकारी कृषि समिति लि. के उद्देश्य एवं साधन

उद्देश्य

इसका उद्देश्य सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक उन्नति करना और उनके आधार पर ग्राम की नई रचना करना होगा और उसके सदस्यों में भ्रातृभाव, मितव्ययता, बचत, स्वावलम्बन और पारस्परिक सहायता के भावों को समुन्नत करना होगा।

साधन

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित साधन होंगः—

1. सदस्यों में खेती करने के लिये जमीन बांटने का प्रबन्ध करना।
2. अच्छी खाद, उत्तम बीजों एवं आधुनिक लाभदायक कृषि यंत्रों के प्रयोग से कृषि में उन्नति करना और सिंचाई के लिए कुओं आदि की उपयुक्त व्यवस्था करना।
3. सदस्यों को खेती के यंत्र, खाद, बीज, पशुओं आदि के क्रय के निमित ऋण देना।
4. सदस्यों के लिये खेती के यंत्र, खाद, बीज और पशु क्रय करना या किराये पर प्राप्त करना।
5. सदस्यों की उपज को सुरक्षित रखने के लिये गोदाम इत्यादि बनवाने का प्रबन्ध करना या किराये पर लेना एवं उपज को बेचने का प्रबन्ध करना।

6. सदस्यों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये खेती से सम्बन्धित घरेलु उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देना।

7. विवाह, सामाजिक संस्कारों आदि पर होने वाले अपव्यय को रोकना।

8. मादक वस्तुओं का विरोध करना और दुर्व्यसनों को रोकना।

9. वाद विवादों व लड़ाई झगड़ों को आपस में ही निपट लेना।

10. गौ-शालाओं की स्थापना करना तथा पशुओं की उन्नति एवं नस्ल सुधार के लिये प्रयत्न करना और उनके इलाज का प्रबन्ध करना।

11. गांव के प्रौढ़ों, बालक-बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना।

12. पर्व त्यौहार आदि सुसंस्कृत ढंग से मानना और ग्राम सभा आदि का आयोजन करना।

13. गांव में पुस्तकालय, वाचनालय आदि स्थापित करना।

14. ग्रामीण जीवन को सुखी और समुन्नत बनाने हेतु संगीत, प्रभातफेरी, भजन-कीर्तन व नाटक आदि मनोविनोद के साधनों को प्रोत्साहन देना।

15. स्वास्थ्य सुधार के लिये खेल और व्यायाम आदि की व्यवस्था करना।

16. वैयक्तिक स्वच्छता का प्रसार करना।

17. संक्रामक रोगों की रोकथाम करना एवं उनको दूर करने का प्रयत्न करना।

18. औषधालय एवं अस्पताल स्थापित करवाना।

19. पंचायती भवन, मार्ग, गलियों और मकान सुव्यवस्थित रूप से बनाना एवं उनकी सफाई और सौन्दर्य का प्रबन्ध करना।

20. समिति के कारोबार चलाने के लिये आवश्यक पूंजी का प्रबन्ध करना, सदस्यों को अपने व्यवसाय की उन्नति एवं आवश्यक कार्यों की पूर्ति के लिए उचित ब्याज दर पर निर्धारित सीमा तक ऋण देने की व्यवस्था करना। यथा साध्य ऋण द्रव्य रूप (नकद) में देने की अपेक्षा वस्तुएं मंगा कर देना।

21. अ- सदस्यों को पैदावार की जमानत पर ऋण देना।

व- सदस्यों की इच्छा पर उनकी पैदावार को खरीदना या इकट्ठा करना, उसको इकजाई (कमीशन पर) बेचने का प्रबन्ध करना व सदस्यों के माल की बिक्री के लिये एजेन्सियां स्थापित करना।

22. सदस्यों को दैनिक आवश्यकता की वस्तुयें :—नमक, तेल, कपड़ा आदि उचित मूल्य पर प्राप्त होने की व्यवस्था करना।

23. माल ढोने, बीज ले जाने के लिये आवश्यकतानुसार सुविधाजनक सवारी का प्रबन्ध करना।

24. सार्वजनिक हित के सामूहिक प्रयत्नों के संगठन में सहायता करना, यथा :— जमीन के बहाव (कटान) को रोकने, जंगलों व चरागाहों आदि की पुनर्रचना करने, जंगली जानवरों से फसलों को बचाने आदि के प्रयत्न करना, इत्यादि।

25. अन्य समस्त ऐसे कार्य करना जिससे समिति के उद्देश्य व साधनों की पूर्ति में सहायता मिले।

———

3448

सदस्यों की सूची, जवाहरनगर कृषि समिति लि.

क्र. सं.	नाम सदस्य	पिता का नाम	जाति	व्यवसाय
1.	श्री मावजी	लिबाजी	मीणा	खेती
2.	,, गोमा	ककुवाजी	,,	,,
3.	,, मोगजी	कचरा	,,	,,
4.	,, जगन्नाथजी	गोमाजी	,,	,,
5.	,, कचरा	गोमा	,,	,,
6.	,, कमजी	गोमाजी	,,	,,
7.	,, पदमा	गोमाजी	,,	,,
8.	,, हवजी	गोमाजी	,,	,,
9.	,, मेमजी	लिवाजी	,,	,,
10.	,, पेमा	पूजाजी	,,	,,
11.	,, मोता	उमराजी	,,	,,
12.	,, डोगरी	मेगजी	,,	,,
13.	सवजी	नानजी	,,	,,
14.	श्री गोमा	जीवाजी	,,	,,
15.	,, नानजी	ज्ञानजी	,,	,,
16.	,, गोमा	दलबी	,	,,
17.	,, खेमा	देवाजी	,,	,,
18.	,, सवा	कुबेराजी	,,	,,
19.	,, काला	दल्ला	,,	,,
20.	,, लालू	नगजी	,,	,,
21.	,, केवा	मेमजी	,,	,,
22.	,, वेसात	जगन्नाथजी	,,	,,
23.	,, लाला	पूजाजी	,,	,,
24.	,, मेरा	नागराजी	,,	,,

1	2	3	4	5
25.	श्री लालू	भगताजी	मीणा	खेती
26.	,, गौतमा	पूजाजी	,,	,,
27.	,, धूला	नानजी	,,	,,
28.	,, मावा	धूलाजी	,,	,,
29.	,, काना	वाला	,,	,,
30.	,, पूजा	कचराजी	,,	,,
31.	,, भगवान	पूजाजी	,,	,,
32.	,, नाथूजी	मलुलाजी	,,	,,
33.	,, हुकरा	हीराजी	,,	,,
34.	,, देवा	कचराजी	,,	,,
35.	,, प्रभू	मन्नूजी	,,	,,
36.	,, नानजी	हालूजी	,,	,,
37.	,, हीरा	कचरा	,,	,,
38.	,, हवजी	लीम्बाजी	,,	,,
39.	,, केवला	लीम्बाजी	,,	,,
40.	,, रूपा	पूजाजी	,,	,,
41.	,, रामजी	पूजाजी	,,	,,
42.	,, कोदारा	ककूआ	,,	,,
43.	,, मूडा	गोमाजी	,,	,,
44.	,, धामजी	कमजी	,,	,,
45.	,, पोशा	रूपा	,,	,,
46.	,, लालजी	मावजी	,,	,,
47.	,, धनजी	ज्ञानजी	,,	,,
48.	,, सोमा	ज्ञानजी	,,	,,
49.	,, मोमा	ज्ञानजी	,,	,,
50.	,, केला	बालजी	,,	,,

(346)

1	2	3	4	5
51.	श्री वीरजी	पन्नाजी	मीणा	खेती
52.	,, गोमा	खातराजी	,,	,,
53.	,, वज्बा	रूपाजी	,,	,,
54.	,, मेमा	खातरा	,,	,,
55.	,, मनजी	बालाजी	,,	,,
56.	,, पन्ना	माधुजी	,,	,,
57.	,, हरजी	पेमजी	,,	,,
58.	,, मेमा	रूपजी	,,	,,
59.	,, पन्ना	माड़जी	,,	,,
60.	,, हरजी	पेमजी	,,	,,
61.	,, मेमा	रोपजी	,,	,,
62.	,, रमा	खेमा	,,	,,
63.	,, लालजी	खेमाजी	,,	,,
64.	,, कल्ला	कचरा	,,	,,
65.	,, रोडा	वेलाजी	,,	,,
66.	,, डोगरी	काना	,,	,,
67.	,, हीरा	गलजी	,,	,,
68.	,, कचरा	जोईता	,,	,,
69.	,, रामीग	हीरा	,,	,,
70.	,, वेला	गोगलाजी	,,	,,
71.	,, सवा	परथीजी	,,	,,
72.	,, सावरा	फूलाजी	,,	,,
73.	,, वाला	कानजी	,,	,,
74.	,, कानजी	देवजी	,,	,,
75.	,, सवजी	नाथूजी	,,	,,
76.	,, लालजी	कचरा	,,	,,

1	2	3	4	5
77.	श्री होमा	लाला	मीणा	खेती
78.	,, वेला	देवा	,,	,,
79.	,, होमा	देवा	,,	,,
80.	,, मनजी	गोकला	,,	,,
81.	,, जोइता	गोकला	,,	,,
82.	,, नगजी	गोता	,,	,,
83.	,, हरजी	थावरा	,,	,,
84.	,, कुवेरा	नारिग	,,	,,
85.	,, धनजी	गोमाजी	,,	,,
86.	,, कुरा	वदाजी	,,	,,
87.	,, मेमा	कालाजी	,,	,,
88.	,, माना	वेलाजी	,,	,,
89.	,, रूपा	कालाजी	,,	,,
90.	,, काना	केरींगजी	,,	,,
91.	,, लालू	मावजी	,,	,,
92.	,, जीवा	पदमाजी	,,	,,
93.	,, हीरा	वकला	,,	,,
94.	,, पन्ना	खातराजी	,,	,,
95.	,, मेमा	ताजूजी	,,	,,
96.	,, काला	पेमाजी	,,	,,
97.	,, नाथू	बेलाजी	,,	,,
98.	,, मंगला	वेलाजी	,,	,,
99.	,, कानजी	लालजी	,,	,,
100.	,, धन्ना	कचरा	,,	,,
101.	,, धूला	नामजी	,,	,,
102.	,, सवा	पायताजी	,,	,,

348

1	2	3	4	5
103.	श्री प्रताप	लीबाजी	मीणा	खेती
104.	,, वीरजी	गोमा	,,	,,
105.	,, धर्मा	जोइताजी	,,	,,
106.	,, जगन्नाथ	पूजाजी	,,	,,
107.	,, रतना	नाथू	,,	,,
108.	,, कला	नाथूजी	,,	,,
109.	,, दीता	मगुजी	,,	,,
110.	,, सवा	पालजी	,,	,,
111.	,, मेरा	वालाजी	,,	,,
112.	,, पुना	वालाजी	,,	,,
113.	,, रंगा	पूरा	,,	,,
114.	,, तोतीया	थाना	,,	,,
115.	,, गोदरा	कुवेरा	,,	,,
116.	,, नानजी	नाथूजी	,,	,,
117.	,, मेघा	केवाजी	,,	,,
118.	,, वालीजी	केवाजी	,,	,,
119.	,, रूपा	हलियाजी	,,	,,
120.	,, ऊदा	हलिया	,,	,,
121.	,, खातू	खातू	,,	,,
122.	,, नानजी	हलिया	,,	,,
123.	,, फूला	लालजी	,,	,,
124.	,, रूपा	रतनाजी	,,	,,
125.	,, रामा	,,	,,	,,
126.	,, वीरजी	खेमाजी	,,	,,
127.	,, कुरा	गोकलाजी	,,	,,

1	2	3	4	5
128.	श्री रूपा	नानजी	मीणा	खेती
129.	,, हकीया	घोला	,,	,,
130.	,, ककुआ	हीराजी	,,	,,
131.	,, भगवान	मंगला	,,	,,
132.	,, नानजी	कंचरा	,,	,,
133.	,, गंगा	कानजी	,,	,,
134.	,, रूपा	सोमजी	,,	,,
135.	,, दलजी	हीराजी	,,	,,
136.	,, रूपा	मणजी	,,	,,
137.	,, मेखा	लालजी	,,	,,
138.	,, रामा	भगु	,,	,,
139.	,, हीरा	वेसातजी	,,	,,
140.	,, सवजी	वेसातजी	,,	,,
141.	,, वेला	कावा	,,	,,
142.	,, खातरा	हीराजी	,,	,,
143.	,, लालजी	अमरा	,,	,,
144.	,, होमा	बाउवा	,,	,,
145.	,, सवजी	वीता	,,	,,
146.	,, मावजी	हरेगा	,,	,,
147.	,, गंगाराम	मेघजी	,,	,,
148.	,, गेना	वालाजी	,,	,,
149.	,, तेजी	वक्ताजी	,,	,,
150.	,, जालमा	वक्ताजी	,,	,,
151.	,, पुना	हरजी	,,	,,
152.	,, बक्शी	मावजी	,,	,,

1	2	3	4	5
153.	श्री हुक्का	मोगा	मीणा	खेती
154.	,, देवा	हुक्का	,,	,,
155.	,, लेबा	मदरूपा	,,	,,
156.	,, ककवा	जीवाजी	,,	,,
157.	,, रूपा	निवा	,,	,,
158.	,, मेरा	डूंगरी	,,	,,
159.	,, लालु	नाथाजी	,,	,,
160.	,, खातू	नाथू	,,	,,
161.	हकरा	वक्ता	,,	,,
162.	श्री मोगा	थावरा	,,	,,
163.	" सेगा	लखमा	"	"
164.	" हीरा	भीमजी	"	"
165.	" मोगा	लालू	"	"
166.	" काना	धनजी	"	"
167.	" हरजी	थावरा	"	"
168.	" फूलजी	औखा	"	"
169.	" हरजी	धूला	"	"
170.	" नाथा	जोइता	"	"
171.	" मनजी	मावा	"	"
172.	" पूजा	जोइता	"	"
173.	" कमजी	फूला	"	"
174.	" छगनलाल	पूंजीलाल	"	"
175.	" दला	नाथू	"	"
176.	" चन्ना	पदमा	"	"
177.	" शोभा	अमरा	"	"
178.	" हाजा	लिवाजी	"	"

1	2	3	4	5
179.	श्री वाला	सोमा	मीणा	खेती
180.	" कमजी	गंगा	"	"
181.	" मेवा	तेजी	"	"
182.	" भोमा	ताजू	"	"
183.	" दला	हाजीया	"	"
184.	" फुलकी	वेला पति पूजा	"	"
185.	" नानजी	काना	"	"
186.	" कुबेरा	धूला	"	"
187.	" काऊजी	हीरा	"	"

पैक्स (सहकारी समिति) डूगरांछोटा (कुशलगढ़) में पकड़ी गई चीनी

512. श्री फतेसिह (कुशलगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र के पैक्स (सहकारी समिति) डूंगरा छोटा से जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा ने दिनांक 30 दिसम्बर, 1981 को 213 किलो शक्कर पकड़ी जो स्टॉक में अधिक पाई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि डूंगरा छोटा पैक्स के वितरणकर्ता अधिकारी ने शक्कर जनता को ना देकर वितरण रजिस्टर में दर्ज करली ?

(3) क्या राज्य सरकार ने उक्त भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

(4) इस प्रकार पकड़ी गई 213 किलो शक्कर क्या जनता को वितरित की गई या जब्त की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के निर्देश दिनांक 15-3-82 को जारी कर दिये।

(4) जनता को वितरण की गई।

राजकीय चिकित्सालय फागी की क्रमोन्नति

514. श्री रामकंवार बैरवा (फागी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार फागी राजकीय चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त चिकित्सालय में वर्तमान में कुल कितने पलंग हैं तथा बीमारों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उनमें कितनी कमी महसूस की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

छठी पंचवर्षीय योजना में 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के क्रमोन्नत करने का ही लक्ष्य था जो पूर्ण हो चुका है। अब आगे कोई प्रावधान नहीं है।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फागी में 6 रोगी शैयाएं स्वीकृत हैं। बीमारों की संख्या को देखते हुए कोई कमी महसूस नहीं की जा रही है।

फसल क्षतिपूर्ति हेतु कृषकों को राहत

515. श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहर, आगजनी एवं विद्युत की कमी आदि से फसल नष्ट हो जाने पर क्षतिपूर्ति के लिये सरकार किसानों को क्या कोई मदद दे रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि तथा शीत लहर एवं अन्य प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसल नष्ट हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर प्रभावित क्षेत्र की विशेष गिरदावरी के आधार पर सम्पन्न खराबा को ध्यान में रखते हुए संबंधित क्षेत्र को बाढ़ ग्रस्त, अतिवृष्टि, अनावृष्टि से प्रभावित अथवा अकाल ग्रस्त क्षेत्र घषित कर वहां कृषकों को खाद, बीज एवं पौध संरक्षण औषधियों को क्रय करने हेतु अनुदान की सुविधा दी जाती है। आवश्यक होने पर भू-राजस्व एवं अन्य सरकारी तथा स्वायत्त-शासी संस्थाओं के ऋणों तथा करों की वसूली भी स्थगित की जाती है। फसल में आग लगने पर क्षति का राजस्व विभाग के माध्यम से अनुमान तैयार कराया जाता है तथा अग्नि से प्रभावित कृषकों को राजस्व विभाग के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। विद्युत की कमी के कारण हुई क्षति की स्थिति में कोई सहायता नहीं दी जाती।

फसल बीमा योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

आयुर्वेद विभाग में कार्यरत उप वैद्यों की पदोन्नति

516. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग डूंगरपुर में कई ऐसे उप वैद्य हैं जो वैद्यों की ट्रेनिंग पाये हुए हैं तथा वैद्य की समस्त योग्यतायें उन्हें हासिल हैं ? यदि हां, तो उन्हें पदोन्नत क्यों नहीं किया गया है ? क्या विभाग ऐसे लोगों को पदोन्नत करने का इरादा रखता है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 के अन्तर्गत वैद्य पद पर शत-प्रतिशत सीधी भर्ती का प्रावधान है। कम्पाउन्डर के पद से पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है। अतएव किसी वैद्य पद को पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम पंचायत कुन्डी कुन्जेड़ व सहरोद के सरपंचों के विरुद्ध विचाराधीन जांच

517. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(पंचायत मन्त्री)

(1) क्या सरकार अटरू तहसील की ग्राम पंचायत कुन्डी, कुन्जेड़ तथा सहरोद के सरपंचों के विरुद्ध प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों की जांच करायेगी ?

(2) यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि इनके विरुद्ध अनियमितताओं एवं गबन की पहले भी जांच की गई है ?

(4) क्या जिलाधीश, कोटा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या तब जिलाधीश से जांच रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करके नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सरपंच, ग्राम पंचायत कुन्डी व सहरोद के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच पूर्ण होकर जांच प्रतिवेदन दिनांक 14-3-1982 को प्राप्त हुए हैं और उचित कार्यवाही राज्य स्तर पर की जा रही है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत कुन्जेड़ के विरुद्ध अभी जांच जिला स्तर पर चल रही है। जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन शीघ्र भेजने हेतु स्मरण कराया जा चुका है।

(3) जी नहीं। इसके अलावा उपरोक्त सरपंचों के विरुद्ध कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई थी। अतः जांच कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां।

(5) जी हां। नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

चिकित्सा अधिकारी उदामंडी (खेतड़ी) का मुख्यावास उदामंडी रखना

518. श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुंझुनू तहसील खेतड़ी के ग्राम उदामडी में राजकीय चिकित्सालय कब से खुला है ?

(2) उक्त चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी किस किस-अवधि में नहीं रहा ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में लगाये जाने वाले चिकित्सा अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में होने की वजह से उदामंडी में न रहकर नारनोल, महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) चिड़ावा या झुंझुनू में रहते हैं ?

(4) क्या सरकार इस व्यवस्था में सुधार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) दिनांक 16-2-1961 से।

(2) चिकित्सा अधिकारी जिस-जिस अवधि में नहीं रहे, उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(4) व्यवस्था में सुधार हेतु यदि कोई स्पेसिफिक सुझाव आवेंगे, तो उन पर विचार किया जावेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 318 की सूची

राजकीय चिकित्सालय उदयमण्डी (झुंझुनु) में जब-जब चिकित्सा अधिकारी नहीं रहे उसका विवरण :—

दिनांक–16-2-61	से	24-11-61
दिनांक–1-6-62	से	9-8-64
दिनांक–1-6-65	से	8-8-65
दिनांक–3-2-67	से	20-4-68
दिनांक–7-7-68	से	7-1-70
दिनांक–22-6-70	से	16-7-70
दिनांक–23-1-71	से	31-1-71
दिनांक–24-3-71	से	5-8-71
दिनांक–15-2-73	से	31-7-74
दिनांक–2-5-75	से	18-12-75
दिनांक–19-3-76	से	16-9-76
दिनांक–12-11-76	से	6-12-76
दिनांक–16-4-77	से	20-12-78
दिनांक–24-2-79	से	26-10-80
दिनांक–25-1-82	से	अब तक

(356)

जिला बाड़मेर में रिक्त चिकित्सक स्टाफ के पदों की पूर्ति

520. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ा-मालानी)–क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) **बाड़मेर जिले डाक्टर्स कम्पाउन्डर्स एवं नर्सेज के कितने पद रिक्त हैं तथा कितने समय से ?**

(2) क्या सरकार रिक्त पदों की पूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) रिक्त पदों का ब्यौरा संलग्न है।

(2) जी हां।

दिनांक 12-3-82 को 7 चिकित्सकों का पदस्थापन किया जा चुका है। शेष की पूर्ति प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर करना सम्भव होगा।

जिला बाड़मेर में रिक्त पदों की सूची :—

क्र. सं.	नाम पद	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त है
1.	सी. ए. एस.	4	2 वर्ष से
2.	मेल नर्स श्रेणी-2	53	2-3 वर्ष से
3.	प्रसाविका	71	5-6 वर्ष से

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 12 मार्च, 1982)

विभिन्न स्रोतों से राजस्थान नहर को प्राप्त जल

351. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : क्या कृषि (सी. ए. डी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर में कहां-कहां से कितना-कितना पानी राजस्थान को मिलता है ? क्या वर्ष 1981-82 में राजस्थान नहर को जिन-जिन स्थानों से पानी मिलता था वह पूर्ण मिला है ? यदि नहीं, तो क्यों ? राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये ?

(2) क्या वर्ष 1981–82 में राजस्थान नहर को पूरा पानी नहीं मिलने के कारण किसानों को हुई क्षति का मुआवजा सरकार देने को तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर को हरिके बैराज से पानी मिलता है। वर्ष 1955 के अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसार राजस्थान को 8 एम. ए. एफ. पानी मिलना तय हुआ था। किसी वर्ष में वास्तविक पानी औसत से कम या अधिक हो, तो इस अनुपात में पानी मिलता है। राजस्थान को राजस्थान नहर तथा गंग नहर में संयुक्त रूप से यह पानी मिलता है। जिसका अधिकतम भाग राजस्थान नहर को आता है। वर्ष 1981–82 में राजस्थान को 31-1-82 तक 5.555 एम. ए. एफ. पानी मिलना था परन्तु वास्तव में 5.094 एम. ए. एफ. पानी मिला। राजस्थान को प्राप्त कुल 5.094 एम. ए. एफ. पानी में से राजस्थान नहर को वर्ष 1981–82 में 31-1-82 तक 3.687 एम. ए. एफ. पानी प्राप्त हुआ। पंजाब द्वारा राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं देने के कारण राजस्थान नहर को कम पानी मिला है। राज्य सरकार ने इस विषय को विभिन्न बैठकों में जोरदार ढंग से उठाया। 31 दिसम्बर, 1981 के अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसार अब पंजाब ने भाखड़ा-व्यास प्रबन्धक मण्डल के निर्णयों को मानना स्वीकार कर लिया है। अतः अब राजस्थान को वर्ष 1982 में अधिक पानी मिला है। अब सम्भावना है कि राजस्थान को अपने हिस्से का पानी मिलता रहेगा।

(2) जी नहीं। सिंचाई एवं ड्रेनेज एक्ट के नियम 20 के अनुसार यदि काश्तकारों को पानी कम मात्रा में मिलता है तो उनके सिंचाई शुल्क में कमी करने का प्रावधान है। इसके अनुसार काश्तकारों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है। अतः क्षति के लिए मुआवजा का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में वर्ष 1981–82 में खोदे गये नल-कूप

503. श्री सुरजाराम टाक (नोखा) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1981–82 में राज्य में कितने नलकूप खोदे गये ? कृपया जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरजा राम टाका)

(2) राज्य में इस समय कुल कितनी रोटेरी रिग्स मशीनें हैं और वे कहां–कहां पर कार्यरत हैं ? कृपया जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार का जिला बीकानेर में वर्ष 1982–83 में कितने नलकूप खुदवाने का विचार है ?

(4) जिला बीकानेर के रेगिस्तानी क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार ने उनके लिये विशेष रोटेरी रिग्स मशीनें उपलब्ध कराने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) जिला बीकानेर की तहसील नोखा के ग्राम पांचू, बिदासरिया, लालमदेसर, बनियां, गजसुखदेसर, चिताना, सियाणा, साठिका इत्यादि गांवों के लिये नलकूप खोदने हेतु सर्वेक्षण हुआ है या नहीं ?

(6) क्या तहसील नोखा के घनी आबादी के कस्बे जैसे पांचू, बिदासरिया, गजसुखदेसर व बनियां में इस सत्र में ट्यूबवैल खुदवाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कार्य कब पूर्ण हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में (जनवरी, 1982 तक) भू-जल विभाग द्वारा राज्य में कुल 439 नलकूप खोदे गये जिनका जिलेवार विवरण पेज "एक" पर संलग्न है।

(2) राज्य में भू-जल विभाग के पास कुल 16 रोटेरी रिग मशीनें हैं। विभिन्न जिलों में कार्यरत इन मशीनों का विवरण संलग्न पेज "दो" में दर्शाया गया है।

(3) भू-जल विभाग द्वारा जिला बीकानेर में वर्ष 1982–83 में, वर्तमान प्रस्तावों के अनुसार, 50 नलकूप खुदवाने का कार्यक्रम है।

(4) जी नहीं। क्योंकि भू-जल विभाग के पास जिला बीकानेर हेतु रोटेरी रिग मशीनें उस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए उपलब्ध है।

(5) जी हां। तहसील नोखा में पूर्व में किये गये अर्ध-विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण के अन्तर्गत इन ग्रामों में सर्वेक्षण किया गया है।

(6) जी नहीं। भू-जल विभाग के पास वर्तमान में इन ग्रामों के लिये नलकूप खुदवाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान के विभिन्न जिलों में भू-जल विभाग द्वारा वर्ष 1981-82 में, निर्मित (जनवरी, 1982 तक) नल कूपों का विवरण :—

क्रम संख्या	जिला	नल कूप संख्या
(1)	जोधपुर	80
(2)	पाली	52
(3)	नागौर	66
(4)	बीकानेर	21
(5)	चूरू	6
(6)	जैसलमेर	12
(7)	बाड़मेर	24
(8)	जालौर	18
(9)	श्रीगंगानगर	20
(10)	झुन्झुनू	17
(11)	सीकर	3
(12)	जयपुर	3
(13)	अलवर	5
(14)	भरतपुर	3
(15)	चित्तौड़गढ़	24
(16)	उदयपुर	5
(17)	बांसवाड़ा	37
(18)	डूंगरपुर	24
(19)	सिरोही	10
(20)	भीलवाड़ा	9
	योग	439

राजस्थान के विभिन्न जिलों में मार्च, 82 के प्रथम सप्ताह में कार्यरत रोटरी रिग मशीनों का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	कार्यरत रोटेरी मशीन की संख्या	टिप्पणी
1.	बाड़मेर	5	
2.	जैसलमेर	3	
3.	जालौर	4	
4.	बीकानेर	1	
5.	झुन्झुनू	2	
6.	अलवर	1	
	योग :—	16	

परिशिष्ट—3

परिशिष्ट "क"

अतारांकित प्रश्न संख्या 424 की सूची

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि० जयपुर

वर्ष 1980–81 एवं 1981–82 में निर्मित गोदामों की सूची

क्र. सं.	जिला	वर्ष 1980-81 में निर्मित गोदामों की संख्या	वर्ष 1981-82 में निर्मित गोदामों की संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	12	4
2.	अलवर	12	52
3.	बामेड़र	2	19
4.	भीलवाड़ा	36	35
5.	बीकानेर	3	7
6.	बूंदी	1	4
7.	चित्तौड़गढ़	9	22
8.	चूरू	1	13
9.	जयपुर	32	37
10.	झालावाड़	6	5
11.	झुन्झनू	—	22
12.	जोधपुर	8	50
13.	कोटा	6	11
14.	नागौर	—	27
15.	पाली	—	15
16.	सवाई माधोपुर	—	14
17.	सीकर	10	17
18.	सिरोही	—	2
19.	श्री गंगानगर	—	10
20.	टौंक	2	14
21.	उदयपुर	—	1
		140	381

कुल योग 521

"परिशिष्ट ख"

दी राजस्थान स्टेट को-ओपरेटिव बैंक लि., जयपुर

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋण राशि का विवरण

क्र.सं	ऋण प्राप्ति का दिनांक	राशि
1.	3-4-1980	434000
2.	26-4-1980	67500
3.	16-8-1980	498500
4.	8-10-1980	783000
5.	25-11-1980	904500
6.	1-1-1981	25500
7.	6-1-1981	1066500
8.	28-1-1981	102000
9.	18-2-1981	310500
10.	17-3-1981	601000
11.	26-3-1981	472500
12.	30-3-1981	675000
13.	14-4-1981	891000
14.	26-6-1981	127500
15.	16-9-1981	702000
16.	3-2-1982	564200
17.	4-2-1982	1807200
18.	9-2-1982	112600
19.	13-3-1982	60000
		10206000

———

दी राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बंक लि., जयपुर

गोदाम आवेदन पत्र की जांच एवं उनको शीर्ष बंक को भेजने से पूर्व ध्यान देने योग्य बिन्दू

1. समिति का 100 मैं० ट० के लिए रु० 1.50 लाख एवं 50 मैं० ट० के 1.00 लाख का ऋण व्यवसाय होना चाहिए।

3. सदस्यों में कुल ब्याज बकाया कुल ऋण बकाया के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

3. समिति की निबल प्रयोग्य विधि (एन०डी०आर०) पोजिटिव होनी चाहिए।

4. समिति हानि में नहीं होनी चाहिए।

5. समिति के पास 1200 वर्ग गज जमीन होनी चाहिये, तथा पट्टा एवं साइट प्लान साथ-साथ में संलग्न होना चाहिये।

6. समिति का आगामी पांच वर्ष का व्यवसाय इस प्रकार होना चाहिये कि वह गोदाम का ऋण भुगतान कर सके तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक स्तर पर जांच कर भिजवाये।

7. आवेदन पत्र के साथ नवीनतम वर्ष के लेखे (आय-व्यय, हानि-लाभ खाता, व्यापार खाता, सन्तुलन चित्र) संलग्न होने चाहिये। कृपया यह भी जांच करके भिजवायें कि लेखों के योग सही हैं तथा समस्त लेखे किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

8. यदि जमीन 1200 वर्ग गज से कम परन्तु 600 वर्गगज से अधिक है तो प्रधान व्यवस्थापक की विशेष सिफारिश होनी चाहिये।

9. समिति का स्वयं का अंशदान (5 प्रतिशत) गोदाम अमानत खाते में जमा होना चाहिये।

10. समिति को शीर्ष सहकारी बैंक की नोमिनल सदस्य बनने हेतु नोमिनल सदस्यता का फार्म प्रस्ताव एवं नमूना हस्ताक्षर (मियादी अमानत खाता खोलने का) फार्म मय रु. 501/- राशि का चैक या डिमान्ड ड्राफ्ट साथ संलग्न किया जाना चाहिये। नोमिनल सदस्यता के समस्त पत्रादि पूर्ण होने चाहिए। तथा क्रय विक्रय सहकारी समिति के लिये नोमिनल सदस्यता के लिये रु० 1001/- भिजवायें।

11. समिति के वचन पत्र साथ में संलग्न होना चाहिये जो प्रमाणित हो तथा उसमें दिनांक भी अंकित की जावे।

12. आवेदन पत्र में ऋण एवं राजकीय हिस्सा अंशदान की रकम सही भरी हुई होनी चाहिए ।

13. उप/कनिष्ठ अभियंता के द्वारा जमीन की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया होना चाहिये ।

14. यदि समिति के पास पूर्व में गोदाम है तो अतिरिक्त गोदाम की आवश्यकता पर चाही गयी अतिरिक्त सूचना भी संलग्न होनी चाहिये ।

15. समिति के द्वारा आवेदन पत्र के साथ-साथ जमीन को बंधक रखवाने की कार्यवाही भी शुरू हो जानी चाहिये ।

16. शीर्ष बैंक को भेजे जाने वाले सब प्रोजेक्ट की चारों प्रतियां पूर्ण होनी चाहिये । संबंधित आंकड़े पत्रादि चारों के साथ पूर्ण रूप से संलग्न किये जावें ।

17. केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा कार्यालय टिप्पणी (आफिस नोट) पूर्ण तथा चारों प्रतियों के साथ जांच कर संलग्न की जावे :

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 425 की सूची

तहसील का नाम		विषय विशेषज्ञ	सहायक कृषि अधिकारी	ग्राम विस्तार कार्यकर्ता
1.	बीकानेर	12	15	55
2.	लूनकरणसर	—	3	26

————

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 426 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

(मात्रा मेट्रिक टनों में)

नाम तहसील	कमाण्ड			माप कमाण्ड			योग		
	एन.	पी.	के.	एन.	पी.	के	एन.	पी.	के.
1. बीकानेर	671-18	24-46	11-55	4-41	1-8	—	675-59	25-54	12-63
2. लूणकरणसर	35-34	7-21	9-80	20-21	2-56	0-80	55-55	9-77	1-60
3. नौखा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. श्री कोलायत	—	—	—	1-3	0-5	—	1-3	0-6	—
योग :	706-52	31-67	12-35	25-92	4-96	0-8	732-44	36-91	14-23

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 428 का विवरण

पंचायत समिति नागौर एवं मूंडवा जिला नागौर क्षेत्र में दुग्ध मार्ग, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति एवं उनसे जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 81 तक प्राप्त दुग्ध की मात्रा का विवरण

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति	दुग्ध मार्ग	प्राप्त दूध की मात्रा (लीटर)
1	2	3
(अ) पंचायत समिति, मूण्डवा		
1. गोपालक दुग्ध उत्पादक सह. समिति	—	—
2. कुचेरा ,,	—	—
3. भण्डाणा ,,	—	—
4. आचीणा ,,	भेड़-भुण्डेल	16779
5. गांधीसागर ,,	,,	66668
6. बुलासागर ,,	,,	17093
(ब) पंचायत समिति, नागौर		
1. चात्रण्डिया ,,	,,	37291
2. नयाबेरा ,,	,,	41394
3. सिनोद ,,	,,	—
4. ढिगसरा ,,	,,	38687
5. भेड़ ,,	,,	15059
6. नई नाड़ी ,,	,,	29462
7. चावन्डा माता (अपंजीकृत) ,,	,,	26994
8. माड़पुरा ,,	,,	1694
9. भुण्डेल ,,	,,	1742

1	2	3
10. अलाय-दुग्ध-उत्पादक सह. समिति	अलाय-सथेरण	58541
11. सथेरण ,,	,,	24754
12. जाखणिया ,,	,,	16706
13. नीम की ढाणी ,,	,,	24734
14. चाऊ ,,	चाऊ-झोरड़ा	16117
15. परावा ,,	,,	16250
16. मंडियाली (अपंजीकृत) ,,	,,	6578
17. खेतास ,,	,,	21029
18. कंवलीसर ,,	,,	12763
19. हिंगोनिया ,,	,,	12545
20. झोरड़ा ,,	,,	14203

(378)

1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक जो अधिकारी जिस मार्ग पर पशुओं का इलाज करने गये उसका विवरण

माह	दिनांक	दुग्ध मार्ग	अधिकारी का नाम
1	2	3	4
जनवरी, 1981	8-1-81	भेड़-भुण्डेल	डा. एल. डी. पुरोहित
	17-1-81	,,	,,
	27 1-81	,,	,,
	18-1-81	अलाय-सथेरण	,,
	31-1-81	,,	,,
फरवरी, 1981	20-2-81	भेड़-भुण्डेल	,,
	25-2-81	अलाय-सथेरण	,,
मार्च, 1981	5-3-81	भेड़-भुण्डेल	,,
	17-3-81	,,	,,
अप्रेल, 1981	9-4-81	,,	,,
	22-4-81	,,	,,
	12-4-81	चाऊ-झोरड़ा	,,
	23-4-81	अलाय-सथेरण	,,
मई, 1981	3-5-81	चाऊ-झोरड़ा	,,
	23-5-81	,,	,,
	22-5-81	अलाय-सथेरण	,,
	24-5-81	भेड़-भुण्डेल	,,
	31-5-81	,,	,,
जून, 1981	13-6-81	अलाय-सथेरण	,,
	28-6-81	,,	,,
	19-6-81	भेड़-भुण्डेल	,,
	27-6-81	,,	,,
	26-6-81	चाऊ-झोरड़ा	,,
जुलाई, 1981	5-7-81	भेड़-भुण्डेल	,,
	11-7-81	,,	,,
	25-7-81	चाऊ-झोरड़ा	,,

1	2	3	4
अगस्त, 1981	24-8-81	भेड़-भुण्डेल	डा. एल.डी. पुरोहित
	27-8-81	अलाय-सथेरण	,,
	28-8-81	चाऊ-झोरड़ा	,,
सितम्बर, 1981	4-9-81	चाऊ-झोरड़ा	,,
	11-9-81	,,	,,
	20-9-81	,,	,,
	27-9-81	,,	,,
	6-9-81	भेड़-भुण्डेल	,,
	15-9-81	अलाय-सथेरण	,,
अक्टूबर, 1981	5-10-81	,,	,,
	22-10-81	,,	,,
	9-10-81	भेड़-भुण्डेल	,,
	10-10-81	चाऊ-झोरड़ा	,,
	19-10-81	,,	,,
नवम्बर, 1981	2-11-81	भेड़-भुण्डेल	,,
	23-11-81	,,	,,
	3-11-81	चाऊ-झोरड़ा	,,
	28-11-81	,,	,,
दिसम्बर, 1981	21-12-81	भेड़-भुण्डेल	,,
	23-12-81	,,	डा. ए. आर. व्यास
	23-12-81	चाऊ-झोरड़ा	डा. एल. डी. पुरोहित
	24-12-81	,,	डा. ए. आर. व्यास
	31-12-81	अलाय-सथेरण	,,

———

372

एक जनवरी 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक जिन ग्रामों में पशु आहार वितरण किया गया उसका विवरण

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का नाम	पशु आहार वितरण (किलोग्राम)
(अ) पंचायत समिति मूंडवा	
1. गोपालक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति	—
2. कुचेरा ,, ,,	—
3. भण्डाणा ,, ,,	—
4. आचीना ,, ,,	6020
5. गांधीसागर ,, ,,	38290
6. बूलासागर ,, ,,	6860
(ब) पंचायत समिति नागौर	
1. चावंडिया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति	16730
2. नयादेरा ,, ,,	27230
3. सिनोद ,, ,,	—
4. ढिगसरा ,, ,,	24640
5. भेड ,, ,,	1890
6. नई नाडी ,, ,,	9660
7. चावन्डा माता (अपजीकृत) ,,	4480
8. माड़पुरा ,, ,,	—
9. भुण्डेल ,, ,,	—
10. अलाय ,, ,,	16380
11. सथेरण ,, ,,	2100
12. नीम की ढाणी ,, ,,	—
13. चाऊ ,, ,,	4550

1	2	3	4
14. परावा	दुग्ध उत्पादक	सहकारी समिति	4830
15. मंडियाली	,,	,,	2450
16. खेतास	,,	,,	5460
17. कंवलीसर	,,	,,	700
18. हिंगोनिया	,,	,,	6020
19. झोरड़ा	,,	,,	1680
20. जाखनिया	,,	,,	7140

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 432 की सूची

क्र.सं.	नाम व्यक्ति जिनकी कृषि भूमि अवाप्त की गई	रकम मुआवजा जो दी गई व देने की दिनांक	भूमि के बदले भूमि दे दी गई
1.	श्री कल्याण पिता भैंरू माली	307·43 दि. 18-1-66	—
2.	श्री कल्याण पिता भैंरू मोहन पिता श्री कल्याण, गुलाब प्यारा	307-43 दि. 18-1-66	
3.	श्री कल्याण पिता भैंरू मोहन पिता कल्याण माली	— —	16/1
4.	श्री काना पिता ज्वाना माली	243·89 18-1-66	—
5.	श्री मथुरालाल पिता चौथमल सोमानी	— — —	2111/2
6.	श्री गोकल पिता हुकार माली	— — —	1/1
7.	श्री गंगाराम रामसुख पिता श्रीराम काना पिता ज्वाना	1057·55 18-1-66	—
8.	श्री काना पिता ज्वाना कल्याण पिता भैंरू माली	1857·55 „ „	—
9.	श्री गंगाराम रामसुख पिता श्रीराम	2716·75 „ „	—
10.	श्री गुलाब, प्यारा माली	— — —	711/4
11.	श्री बालू, मांगिया पिता दला	330·25 18-1-66	—
12.	श्री हरिवल्लभ ब्राह्मण	— —	91/1
13.	श्री हरिवल्लभ, गिरधारी ब्राह्मण	— —	91/1
14.	श्री गिरधारी, धूला	— —	9/3
15.	श्री रामस्वरूप, गोकल लाल	— —	7/1
16.	श्री रूपचन्द्र, कुन्दनलाल	— —	21/
17.	श्री बाबुलाल, फूलचन्द्र	455·55 अनपेड —	—

18. श्री फतहलाल रामनाथ	इसका प्रत्युत्तर नोट भाग में दर्शाया गया है।		
19. श्री बुकललाल, लक्ष्मण		—	31/4
20. श्री चुन्नीलाल, बदरीलाल	—	—	1/2
21. श्री भैरू मोहन कजोड़	—	—	161/4
22. श्री भैरू मोहन, कजोड़ हरिवल्लभ	- -	—	161/4
23. श्री रंगलाल बालूराम	—	—	21/

नोट – क्र. सं० 18 पर वर्णित व्यक्ति श्री जाजू को न तो मुआवजा भुगतान किया गया है न ही भूमि भी अभी तक दी गई है। जिसका कारण यह रहा है कि प्रार्थी द्वारा अपनी जमीन के एवज में जो प्रथम बार जमीन की मांग की है उसके प्रार्थना पत्र में ग्राम आटूण को आराजी नं० 807 चाही थी किन्तु यह भूमि आबादी में होने से प्रार्थी को एलाट नहीं की जा सकी। इसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा ग्राम पासल में आराजी नं० 1659 की मांग की जो आराजी खातेदारान की थी इसके पश्चात् प्रार्थी ने पुनः अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम केवाड़ा की आराजी नं० 12 में मांग की किन्तु प्रार्थी को पुनः जब भूमि दिखाई गई तो उसने स्वयं ही लेने से इन्कार कर दिया था इन्हीं कारणों के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा अब तक चाही गई भूमियों में से किसी भी भूमि को नहीं दिया जा सका है। क्योंकि प्रार्थी द्वारा जो जमीने चाही हैं वे सभी नगर परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत आती थीं।

————

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 433 की सूची

CATEGORY WISE deficiency of various posts in the Associated Groups of Hospitals, Bikaner as per 1961 pattern.

S.No.	Name of post	Sanctioned posts as per 1961 pattern	Deficiency
1.	Nursing Superintendent Gr. I	1	1
2.	Nursing Superintendent Gr. II	1	—
3.	A.A.O.	1	—
4.	CAS and Dietician	14	—
5.	Accountant	2	—
6.	Office Supdt.	1	—
7.	Stenographer Gr. II	1	—
8.	O. Assistant	1	—
9.	UDCs	8	—
10.	LDCs	20	—
11.	Sisters	28	2
12.	Male Nurse Gr. I/Gr. II and Staff Nurse	269	—
13.	Sister Tutor	3	—
14.	ANM	3	3
15.	Physiotherapist	1	—
16.	Occupational Therapist	1	—
17.	Radiographer	1	—
18.	LHV	1	—
19.	FPW	2	—
20.	Project cum Mechanic	1	—
21.	Driver	7	—
22.	Technician	18	—
23.	Lab Assistant	3	—
24.	Tailor	7	—
25.	Office Peon	3	—
26.	Cycle Sawar	2	—
27.	Chowkidar	18	—
28.	Cooks	25	5
29.	Cleaner	6	—
30.	Barber	3	—
31.	Dhobi	20	10

1	2	3	4
32.	Attendant	247	—
33.	Sweeper	146	—
34.	Carpenter	2	—
35.	Gardner	2	—
36.	Record Keeper (Med)	1	1
37.	Health Educator	1	—
38.	Jr. Acctt.	1	—
39.	Chargeman Gr. I	2	—
40.	Mistri Gr. II	1	—
41.	Mechanic Gr. I	7	—
42.	Fitter Gr. II	7	—
43.	Electrician	1	1
44.	Wireman	1	—
45.	Pump driver	3	—
46.	Boiler Attendant	3	—
47.	Hospital Mistry	2	—
48.	Mason	1	—
49.	Turner	1	—
50.	Welder	1	—
51.	Painter	1	1
52.	Telephone operator	4	—
53.	Helper Gr. I	9	3
54.	Helper Gr. II	18	4
55.	Psychologist (Clinical)	1	—
56.	EMD Sweeper	1	—
57.	LDC storekeeper	1	—
58.	LDC typist (EMD)	1	—

378

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 435 की सूची

सूची संख्या 1

क्र.सं.	सामान का नाम	मात्रा	दिनांक	कार्यालय का नाम जहाँ से सामग्री भेजी गई
1.	माइक्रोस्लाइड्स	48 ग्राम	27-8-81	सहायक निदेशक (मले०) जयपुर जोन जयपुर
2.	माइक्रोस्लाइड्स	21 ग्राम	22-10-81	यथा
3.	दवाई छिड़कने का पम्प	10	16-5-81	यथा
4.	क्लोरोक्वीन गोलियां	2,00,000	14-4-81	यथा
5.	यथा	3,00,000	14-8-81	यथा
6.	यथा	1,94,000	22-10-81	यथा
7.	पेरासिटीमोल गोलियां	50,000	4-6-81	यथा
8.	पेमाक्यूवीन गोलियां	52,000	25-5-81	यथा
9.	डी०डी०टी० 50 प्रतिशत	127 बैग्स	22-5-81	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी (मलेरिया) अलवर
10.	डी०डी०टी० 75 प्रतिशत	177 ड्रमस	22-5-81	यथा
11.	,,	260 कार्टन्स	23-5-81	यथा
12.	,,	280 कार्टन्स	27-6-81	डीएसजीडी. बोम्बे
13.	,,	291 कार्टन्स	27-6-81	यथा
14.	,,	79 कार्टन्स		उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधि (मले०) टोंक
15.	,,	10 ड्रम		यथा
16.	टाइपराइटर	2		भाषा विभाग, जयपुर
17.	स्टेशनरी			गवर्नमेन्ट प्रेस जयपुर से
18.	स्टेशनरी			गवर्नमेन्ट प्रेस जोधपुर से
19.	डी०डी०टी० 75 प्रतिशत	344 कार्टन्स		उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी (मले०) टोंक

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 443 की सूची

अजमेर नगर परिषद सीमा में व्यक्ति एवं संस्थाओं को उचित मूल्य की दुकानों के प्राधिकार पत्र दिये गये की सूची

क.सं.	नाम दुकानदार	दुकान नं०	प्राधिकार पत्र देने की तारीख
1.	श्री अहमद हुसैन	2	2-1-78
2.	,, हरबक्स रुड़मल	3	2-1-78
3.	,, रामचन्द	4	2-1-78
4.	,, देवनदास झमरोमल	6	3-1-78
5.	,, कृपाराम	7	2-1-78
6.	,, शीतलदास	9	31-1-78
7.	,, रेलवे मैन्स कन्जूमर को०	10	9-10-77
8.	,, भंवरलाल शर्मा	11	30-1-78
9.	,, लीलाराम	12	3-1-78
10.	,, ब्रह्मदत्त शर्मा	13	3-1-78
11.	,, महेशचन्द्र छेपनदास	15	5-1-78
12.	,, नाथूलाल	16	8-12-77
13.	,, प्यारेलाल	18	5-1-78
14.	,, रामसहाय हरसहाय	19	20-12-77
15.	,, गोरधन प्रसाद	20	2-1-78
16.	,, सिविल डिफेन्स व होम गार्ड को० सोसा.	22	2-1-78
17.	श्रीमती सकी बाई	23	2-1-78
18.	श्री श्याम सुन्दर	24	2-1-78
19.	,, ताराचन्द	25	31-1-78
20.	,, हरनारायण	26	2-1-78
21.	,, लक्ष्मणदास	27	2-1-78

1	2	3	4
22.	श्री चन्दनमल	28	6-12-77
23.	,, ताराचन्द परताबराम	29	2-1-78
24.	,, शंकर लाल	30	12-5-80
25.	,, हुन्द राज	31	3-1-78
26.	,, बाबूलाल पाण्डल	36	3-1-78
27.	,, तुलसीदास	38	3-1-78
28	,, इन्दर चन्द	40	3-1-78
29.	,, चूहड़मल	42	6-1-78
30.	,, माधवदास	43	3-1-78
31.	,, शिवराज	44	21-1-78
32.	,, शंकर दास	45	2-1-78
33.	,, महेन्द्र सिंह	47	25-1-78
34.	,, जतन लाल	48	9-12-77
35.	अजमेर सहकारी उपभोक्ता भण्डार	50	2-1-78
36.	श्री रामदास गुप्ता	52	2-1-78
37.	,, प्रेम राज	53	3-1-78
38.	,, सुन्दर दास	55	[illegible]-1-78
39.	श्रीमती नरवदा देवी	57	3-5-78
40.	श्री पुष्कर नारायण	56	23-10-77
41.	,, लक्ष्मण दास	60	3-1-78
42.	डाक तार विभाग सहकारी उपभोक्ता	61	4-1-78
43.	श्री हजारी लाल	62	3-1-78
44.	अजमेर सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड नं. 16, 35, 65 व 88		3-1-78
45.	श्री कन्हैया लाल	64	4-1-78
46.	सहकारी उपभोक्ता भण्डार वार्ड नं० 2	66	2-1-78
47.	,, जेठानन्द हीरानन्द	67	2-1-78
48.	,, परस राम	69	3-1-78

1	2	4	5
49.	श्री चौथमल घीया	73	27-12-77
50.	,, कृष्ण माहेश्वरी	74	4-1-78
51.	,, सूरजमल जैन	75	5-1-78
52.	,, मेघराज मल बरीन्दमल	77	2-1-78
53.	,, रामजी लाल राधेश्याम	78	2-1-78
54.	,, घीसालाल अशोक कुमार	79	2-1-78
55.	,, हजारी लाल	80	2-1-78
56.	,, भगवान दास	81	3-1-78
57.	,, भोपाल सिंह वर्मा	84	4-1-78
58.	,, नौरत मल जैन	85	2-1-78
59.	,, तीरथ दास	86	3-1-78
60.	,, किशन लाल	87	3-1-78
61.	,, रतन लाल	89	3-1-78
62.	,, रमेश कुमार	90	3-1-78
63.	,, भगवान बल्लभ दास	95	31-1-78
64.	,, रणजीत सिंह	94	31-1-78
65.	,, मिता राम विजय	95	2-1-78
66.	,, नारायण चेलाराम	96	4-4-78
67.	,, रामप्रसाद धीरज	97	24-1-78
68.	वैस्टर्न रेलवे कन्जु. को. सो. लि.	98	12-1-77
69.	एम.टी.सी. एम्पलाइस कन्जु. जो. स्टोर	96 आर	27-12-77
70.	महिला गृह उद्योग	33 व 100	3-1-78
71.	श्री मिता राम बालु	101	4-1-78
72.	,, दिलीप सिंह	1 ए	2-1-78
73.	,, उधव दास	4 ए	2-1-78
74.	,, नत्थी लाल महावर	5 ए	2-1-78
75.	,, दामोदर प्रसाद	6 ए	3-1-78

1	2	3	4
76.	श्री मोहन लाल	8 ए	31-1-78
77.	,, कल्याणी पुरा ग्राम सेवा सह. समिति लि.	9 ए	7-1-78
78.	,, नत्थी लाल	10 ए	3-1-78
79.	,, राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	15 ए	8-2-78
80.	,, सुआ लाल	16 ए	2-1-78
81.	,, मोहन लाल मांगी लाल	17 ए	28-12-77
82.	,, रामेश्वर लाल	21 ए	3-1-78
83.	,, प्यारेलाल प्रेमचन्द	22 ए	3-1-78
84.	श्रीमती शारदा भार्गव	23 ए	4-1-78
85.	श्री कारोमल	110	2-1-78
86.	,, जय नारायण	25 ए	31-1-78
87.	,, चेतन राम चौथू राम	26 ए	3-1-78
88.	,, केशर सिंह रघुवीर सिंह	74 ए	2-1-78
89.	तबीजी ग्राम सेवा सह० स० तबीजी	तबीजी	16-12-77
90.	श्री लाल सिंह	घुघरा	8-12-77
91.	,, मांगी लाल	हूटूण्डी	12-12-77
92.	,, धर्मा रावत	हाथीखेड़ा	15-12-77
93.	मारेली ग्राम सेवा सहकारी समिति		14-12-77
94.	श्री मूलचन्द	कवरेकड़ी	30-1-78
95.	परबतपुरा ग्राम सेवा सह० समिति	परबतपुरा	8-1-78
96.	श्री लाल सिंह	खानपुरा	9-12-77
97.	,, श्रवण लाल	18 ए	9-6-78
98.	,, वल्लभ दास	99	16-6-78
99.	,, हर नारायण	14 ए	13-7-78
100.	,; रूपचन्द शर्मा	सोमलपुर	1-3-78
101.	श्री कृष्ण	32	20-7-78
102.	,, पूरण लाल	माकड़वाली	8-2-78

1	2	3	4
103.	श्रीमती सावित्री पारवती	बोरपियावास	4-9-78
104.	अजय हाउंसिग सोसाइटी	46	6-9-80
105.	आदेय नगर ग्राम निर्माण सह० समिति	—	11-9-80
106.	श्री अनिल कुमार बंसल	92	6-10-80
107.	,, किशन गोयल	20	6-10-80
108.	,, महावीर प्रसाद जैन	70	6-10-80
109.	,, मूलचन्द पुत्र श्री सुन्दर लाल	15 ए	6-10-80
110.	हीरानन्द घनश्याम दास	50	6-10-80
111.	,, अजीत सिंह	8	7-10-80
112.	,, विनोद गुप्ता	34	6-10-80
113.	,, सज्जन सिंह	5	13-10-80
114.	,, करतार सिंह	71 ए	6-10-80
115.	,, ब्रह्म देव	51	6-10-80
116.	,, भंवर सिंह	68	3-10-80
117.	,, हेमराज	24 ए	16-7-81
118.	,, रवी प्रकाश	106	27-8-81
119.	,, अर्जुन सिंह	105	27-8-81
120.	,, धर्म दास	109	27-8-81
121.	,, बाबू लाल	102	1-9-81
122.	,, लाल चन्द	108	1-9-81
123.	,, वासुदेव	103	1-9-81
124.	,, दिनेश चन्द्र	17	1-9-81
125.	,, सुरेश चन्द्र सेठी	104	5-9-81
126.	,, किशन लाल	107	16-9-81
127.	,, आफताब सिद्दीकी	20	16-9-81
128.	श्री मोहन लाल सगन लाल	136	16-9-81
129.	,, राकेश गुप्ता	59	26-9-81

384

1	2	3	4
130.	श्री विशन दास	58	3-10-81
131.	,, राम देव	92	3-10-81
132.	,, ताराचन्द उत्तमचन्द	114	3-10-81
133.	,, पारसचन्द जैन	14	12-10-81
134.	,, वासुदेव	1	14-10-81
135.	,, रमेश कुमार	112	13-10-81
136.	,, त्रिलोक चन्द	54	26-2-82

दिनांक 1-4-81 से 15-2-82 तक उचित मूल्य के दुकानदारों को प्रदत्त उपभोक्ता सामग्री की माहवार की इकजाई सूची

क्र. सं. माह	उचित मूल्य के दूकानों को प्रदत्त उपभोक्ता सामग्री की मात्रा					
	केरोसिन (मात्रा ली. में)	गेहूं (मात्रा क्विन्टल में)	चीनी (मात्रा क्विन्टल में)	आटा (मात्रा किलो में)	मैदा (मात्रा किलो में)	पाम आइल (मात्रा टनि में)
1. अप्रेल, 1981	580185	—	2337	—	—	2830
2. मई, 1981	487075	—	1819	9630	13867	5445
3. जून, 1981	493601	1210	193	—	—	3253
4. जुलाई, 1981	641807	915	1381	—	—	—
5. अगस्त, 1981	19662	2025	1539	—	—	—
6. सितम्बर, 1981	590604	—	—	—	—	643
7. अक्टूबर, 1981	556266	905	3627·86	—	—	2460
8. नवम्बर, 1981	599918	2460	1701·64	—	—	2460
9. दिसम्बर, 1981	616228	3450	—	—	—	635
10. जनवरी, 1982	711385	1795	—	—	—	—
11. फरवरी, 1982	529259	2825	1375	—	—	1105

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 446 की सूची

दी सेन्ट्रल को—ओपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा

वर्ष 1980–81 एवं 1981–82 में (9-3-1982 तक)

समाचार पत्रों को दिये गये विज्ञापन का विवरण

वर्ष 1980-81

क्रमांक	दिनांक	नाम समाचार पत्र	राशि
1	2	3	4
1.	22-8-80	प्रागवाट हिन्दी	50.00
2.	,,	लोक जीवन साप्ताहिक	50.00
3.	,,	लोक जीवन दैनिक	50.00
4.	,,	भीलवाड़ा संदेश	50.00
5.	,,	ग्राम समाज साप्ताहिक	50.00
6.	,,	नवजीवन	50.00
7.	,,	प्रातः काल, उदयपुर	50.00
8.	23-8-80	साप्ताहिक झाझावत	50.00
9.	,,	दैनिक तरूण देश	50.00
10.	25-8-80	प्रवाहित हिन्दी	50.00
11.	25-9-80	मैनाल साप्ताहिक	50.00
12.	4-10-82	दैनिक अणिमा जयपुर	50.00
13.	6-10-80	दैनिक अधिकार उदयपुर	50.00
14.	,,	भीलवाड़ा संदेश	468.00
15.	12-11-85	लोक जीवन	468.80
16.	7-1-81	दैनिक अणिमा	250.00
17.	29-1-81	प्रातः काल	50.00
18.	,,	नवजीवन	50.00
19.	,,	झाझावत	50.00
20.	3-2-81	तरूण देश	50.00
21.	6-2-81	प्रागवाट हिन्दी	50.00

1	2	3	4
22.	9-2-81	चम्बल सेतु	50.00
23.	,,	हमारा हिन्दुस्तान	50.00
24.	10-2-82	प्रभावित सप्ताहिक	50.00
25.	11-2-81	ग्राम समाज	50.00
26.	16-2-81	लोक जीवन साप्ताहिक	50.00
27.	,,	दैनिक लोक जीवन	50.00
28.	,,	राजस्थान लीडर	50.00
29.	16-2-81	दैनिक अणिमा	50.00
30.	17-3-81	हमारी मातृभूमि	50.00
31.	19-3-81	अरावली साप्ताहिक	50.00
32.	6-4-81	मैनाल साप्ताहिक	50.00
33.	5-5-81	लोक जीवन	53.25
34.	14-5-81	प्रागवाट पाक्षिक	100.00

———

वर्ष 1981–82 (9–3–1982)

1.	11-8-81	दैनिक नवज्योति	500.00
2.	,,	न्याय दैनिक	500.00
3.	,,	प्रागवाट हिन्दी साप्ताहिक	150.00
4.	,,	तरूण देश	250.00
5.	,,	भीलवाड़ा संदेश	249.60
6.	,,	प्रभावित साप्ताहिक	423.30
7.	,,	साप्ताहिक झांझावत	250.00
8.	,,	दैनिक प्रभावित	312.00
9.	1-10-81	दैनिक लोकजीवन	468.60
10.	22-10-81	लोक जीवन साप्ताहिक	539.50
11.	2-11-81	प्रागवाट	50.00
12.	,,	प्रातः काल	250.00
13.	9-11-81	ग्राम समाज साप्ताहिक	50.00

1	2	3	4
14.	9-11-81	दैनिक प्रभावित	200.00
15.	23-11-81	भीलवाड़ा संदेश	250.00
16.	11-1-82	दैनिक लोक जीवन	448.20
17.	,,	कर बॉम्बे	1250.00
18.	2-2-82	साप्ताहिक झाझावत	50 00
19.	,,	भीलवाड़ा सम्राट	50.00
20.	,,	दैनिक प्रभावित	50.00
21.	3-2-82	तरूण राजस्थान	50.00
22.	,,	जलते दीप	50.00
23.	3-2-82	दैनिक भीलवाड़ा संदेश	31.20
24.	,,	दैनिक लोक जीवन	50.00
25.	,,	साप्ताहिक लोक जीवन	50.00
26.	5-1-82	राजस्थान पत्रिका	884.00
27.	5-2-82	ग्राम समाज	50.00
28.	12-2-82	दैनिक नव ज्योति	1920.00
29	9-3-82	दैनिक लोक जीवन	136.00
30.	,,	साप्ताहिक लोक जीवन	273.90

भीलवाड़ा सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि०

भीलवाड़ा दिनांक 1-7-80 से 28-2-80 तक विज्ञापन की सूचना

क्र. सं.	नाम दिनांक	नाम अखबार	राशि
1	2	3	4
1.	5-8-80	लोक जीवन भीलवाड़ा	92.30
2.	2-8-80	तरूण देश	28.08
3.	4-8-80	भीलवाड़ा संदेश	24.96
4.	15-8-80	भीलवाड़ा संदेश	107.64
5.	15-8-80	प्रागवाट	50.00
6.	15-8-80	झांझावत	50.00
7.	15-8-80	भीलवाड़ा सम्राट	50.00
8.	15-8-80	ग्राम समाज	93.60
9.	15-8-80	लोक जीवन	67.45
10.	6-8-80	दैनिक नवज्योति	112.00
11.	15-8-80	तरूण संदेश	88.92
12.	15-8-80	प्रभावित दैनिक	150.00
13.	16-9-80	लोक जीवन	191.70
14.	17-9-80	राज. राज्य सहकारी संघ	202.00
15.	15-8-80	दैनिक अणिमा	50.00
16.	1-10-80	भीलवाड़ा संदेश	234.00
17.	14-10-80	बैंक स्मारिका	250.00
18.	20-10-40	भीलवाड़ा संदेश	150.00
19.	—	वियपठ विज्ञापन	490.00
20.	7-9-80	लोक जीवन	247.80
21.	28-11-80	एन.सी.सी.एफ. दिल्ली	500.00
22.	15-11-80	प्रागवाट साप्ताहिक	50.00
22.	15-8-80	साप्ताहिक मैनाल	102.96
23.	8-1-81	सहकार दर्शक	84.50
24.	14-12-80	तरूण संदेश	31.20
25.	16-12-80	लोक जीवन	85.20
26.	26-1-81	दैनिक नवजीवन	50.00
27.	22-4-81	तरूण देश	51.48
28.	22-4-81	भीलवाड़ा संदेश	50.00
29.	22-4-81	लोक जीवन	50.00

1	2	3	4
30.	22-3-81	प्रभावित दैनिक	90.00
31.	21-2-82	दैनिक नवज्योति	76.00
32.	12-5-81	भीलवाड़ा संदेश	40.56
33.	12-5-81	तरूण संदेश	31.20
34.	12-5-81	लोक जीवन साप्ताहिक	50.00
35.	12-5-81	लोक जीवन	40.00
36.	14-5-81	लोक जीवन	40.00
37.	14-5-81	लोक जीवन	50.00
38.	15-5-81	चम्बल सेतु	50.00
39.	28-6-81	लोक जीवन साप्ताहिक	40.00
40.	22-6-81	लोक जीवन साप्ताहिक	40.00
41.	15-5-81	दैनिक नवज्योति	61.20
42.	15-8-81	ग्राम समाज	50.00
43	24-10-81	दैनिक लोक जीवन	100.00
44.	3-7-81	दैनिक लोक जीवन	142.00
45.	27-10-81	ग्राम समाज साप्ताहिक	100.00
46.	3-7-81	प्रागवॉट	101.00
47.	24-10-81	प्रभावित दैनिक	100.00
48.	24-10-81	भीलवाड़ा संदेश	150.00
49.	1-9-81	प्रागवाट पाक्षिक	51.00
50.	30-1-82	भीलवाड़ा संदेश	300.00
51.	30-1-82	लोक जीवन	573.00
52.	30-1-82	लोक जीवन साप्ताहिक	150.00
53.	1-9-82	लोक जीवन	100.00
54.	30-1-82	स्मारिका देववाला संस्थान	151.00
55.	30-1-82	तरूण देश	187.00
56.	30-1-82	दैनिक प्रभावित	599.25

सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, भीलवाड़ा

विज्ञापन भुगतान विवरण वर्ष 80-81 व 81-82

वर्ष 1980-81

क्र.सं.	नाम अखबार/स्मारिका	राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	प्रभावित साप्ताहिक, भीलवाड़ा	397.55	विज्ञापन 2 बार 200/- 26-8-80 197/-55, 7-3-81
2.	दैनिक लोक जीवन ,,	260.05	विज्ञापन 2 बार 150.00, 28-8-80 110.05, 14-4-81
3.	साप्ताहिक लोक जीवन ,,	100.00	28-8-80
4.	दैनिक तरूण देश, ,,	75.00	,,
5.	रास मंडल समिति, स्मारिका	250.00	17-9-80
6.	प्रागवाट साप्ताहिक, भीलवाड़ा	150.00	विज्ञापन 2 बार 75.00, 14-10-80 75.00, 24-3-81
7.	साप्ताहिक ग्राम समाज ,,	100.00	14-10-80
8.	दैनिक अणिमा, जयपुर	150.00	,,
9.	राज. स्टेट. अधिकारी, एसोसियेशन स्मारिका जयपुर	300.00	5-11-80
10.	जिला सहकारी संघ, अजमेर	200.00	17-2-81
11.	दैनिक नव जीवन, उदयपुर	50.00	,,
12.	आजाद साप्ताहिक, अजमेर	100.00	14-4-81
13.	भीलवाड़ा संदेश, भीलवाड़ा	533.52	65.53 + 468.00 14 10-80 17-10-81

392

1	2	3	4
14.	भीलवाड़ा स्पिनिंग एसोसियेशन शाहपुरा, स्मारिका	300.00	5-12-80
		2966.12	

वर्ष 1981–82

1	2	3	4
1.	प्रभावित दैनिक, भीलवाड़ा	749.41	विज्ञापन 2 बार 437.41, 11-8-81 312.00, 5-11-81
			1999.41

बिजौलिया क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. मांडलगढ़ द्वारा वर्ष 80-81 में अखबारों में विज्ञापन दिया जिसकी सूची

क्र. सं.	दिनांक	अखबार का नाम	राशि
1.	10-6-80	लोक जीवन	100.00
2.	30-10-80	लोक जीवन	106.50
3.	26-1-81	प्रागवाट भीलवाड़ा	51.00
4.	30-4-81	लोक जीवन	120.70
5.	7-5-81	लोक जीवन	106.00
6.	31-5-81	लोक जीवन	149.10

बिजौलिया क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. मांण्डलगढ़ द्वारा वर्ष 81-82 में दिये गये विज्ञापन की सूची

1.	31-8-81	लोक जीवन भीलवाड़ा	12,000
2.	18-7-81	लोक जीवन भीलवाड़ा	130.00
3.	31-8-81	प्रभावित	100.00

गंगापुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. गंगापुर जिला भीलवाड़ा द्वारा दिये गये विज्ञापन की सूची

1.	4-12-80	लोक जीवन भीलवाड़ा	60.00
2.	3-3-81	—	151.00
3.	20-10-81	लोक जीवन भीलवाड़ा	200.00
4.	23-11-81	—	151.00
5.	20-2-82	—	751.00

————

माण्डलगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., माण्डलगढ़ द्वारा वर्ष 80-81, 81-82 में अखबार में विज्ञापन स्वरूप दी गई राशि

क्र.सं.	दिनांक	अखबार का नाम	राशि	
1.	25-6-81	लोक जीवन, भीलवाड़ा	85.40	वर्ष 80-81
2.	10-1-82	,, ,,	122.50	81-82
3.	6-2-82	,, ,,	72.25	
4.	10-1-82	दैनिक प्रभावित, भीलवाड़ा	27.50	
5.	6-2-82	,, ,,	127.50	
6.	21-8-80	प्रभावित साप्ताहिक, भीलवाड़ा	150.00	
7.	23-8-80	तरूण दैनिक	50.00	
8.	27-8-80	लोक जीवन दैनिक	200.00	
9.	2-9-80	प्रागवाट पाक्षिक	51.00	
10.	14-10-80	अणिमा दैनिक	50.00	
11.	21-11-80	लोक जीवन दैनिक	150.00	
12.	21-11-80	प्रागवाट पाक्षिक	100.00	
13.	24-8-80	ग्राम समाज साप्ताहिक	60.00	
14.	3-9-81	लोक जीवन दैनिक	60.00	

गुलाबपुरा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., द्वारा वर्ष 80-81 व 81-82 में विज्ञापन स्वरूप दी गई राशि का विवरण

1.	7-11-80	लोक जीवन भीलवाड़ा	150.00
2.	15-11-80	प्रागवाट हिन्दी पाक्षिक	50.00
3.	3-7-81	,, ,,	50.00

आसीन्द क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., द्वारा वर्ष 80-81 व 81-82 में विज्ञापन स्वरूप दी गई राशि का विवरण

1.	15-8-80	लोक जीवन भीलवाड़ा	51.00

———

भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., भीलवाड़ा द्वारा वर्ष 80-81 व 81-82 में विज्ञापन स्वरूप दी गई राशि का विवरण

क्र. सं	दिनांक	अखबार का नाम	राशि
1	2	3	4
1.	28-7-80	दैनिक लोक जीवन	149.10
2.	30-10-80	,,	243.60
3.	3-1-81	,,	177.50
4.	28-1-81	,,	170.40
5	28-1-81	,,	170.40
6.	-3-81	,,	386.95
7.	18-4-81	,,	106 50
8.	18-4-81	,,	106.50
9.	10-11-80	लोक जीवन साप्ताहिक	80.00
10.	1-11-80	वंशीलाल ब्रेकरी	250.00
11.	18-11-80	साप्ताहिक मैनाल	50.00
12.	10-11-81	साप्ताहिक प्रभावित	80.00
13.	15-1-81	,,	250.00
14.	16-11-80	प्रागवाट पाक्षिक	50.00
15.	29-1-81	दैनिक नवजीवन	50.00
16.	8-11-80	साप्ताहिक झांझावत	50.00
17.	28-10-80	दैनिक तरूण देश	109.28
18.	7-1-81	,,	74.88
19.	12-4-81	,,	84.24
20.	13-3-81	,,	24.96
21.	28-10-80	दैनिक नवज्योति	328.68
22.	7-1-81	,,	448.20
23.	9-1-81	,,	478.08
24.	15-4-81	,,	58.96
25.	14-12-80	दैनिक अणिमा	764.40
26.	16-1-81	राजस्थान पत्रिका	330.00
27.	8-1-82	,,	528.00

1	2	3	4
28.	अप्रेल,81	रेडियोलोजिकल कान्फ्रेन्स जयपुर	700.00
29.	,,	राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद	500.00
30.	3-7-81	दैनिक नव ज्योति	300.00
31.	3-7-81	दैनिक न्याय	250.00
32.	6-7-81	साप्ताहिक झांझावात	150.00
33.	4-7-81	दैनिक लोक जीवन	300.00
34.	अगस्त,सित. 81	,,	1157.30
35.	7-11-81	,,	177.50
36.	4-7-81	दैनिक प्रभावित	150.00
37.	20-8-81	,,	93.00
38.	24-9-81	,,	213.00
39.	25-11-81	,,	426.00
40.	4-7-81	साप्ताहिक प्रभावित	200.00
41.	3-7-81	दैनिक तरुण देश	200.00
42.	अगस्त, 81	,,	140.40
43.	22-9-81	,,	93.60
44.	6-7-81	प्रागवाट पाक्षिक	100.00
45.	16-1-82	सैनेट्री यंग स्पोर्ट क्लब	300.00
46.	31-10-81	करंग साप्ताहिक	625.00
47.	20-2-82	यूथ होस्टल एसोसियेशन	300.00
48.	28-8-82	नेहरू गोल्ड कप बास्केटबाल	1000.00

गंगापुर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल लि., गंगापुरा द्वारा वर्ष 80-81 व 81-82 में विज्ञापन स्वरूप दी गई राशि का विवरण

1.	16-11-81	लोक जीवन दैनिक	100.00

397

राजस्थान कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि., गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा
वर्ष 80–81 के अन्तर्गत दिए गए विज्ञापनों को सूची

क्र.सं.	आदेश दिनांक	विज्ञापन हेतु पत्रिका/पत्र	राशि
1	2	3	4
1.	13-3-80	श्री प्राज्ञ महाविद्यालय, विजयनगर स्मारिका	151-00
2.	18-8-80	प्रागवाट-हिन्दी पाक्षिक, भीलवाड़ा शाखा गुलाबपुरा	150.00
3.	16-10-80	दैनिक भीलवाड़ा संदेह	468.00
	17-10-80	दैनिक भीलवाड़ा संदेश, भीलवाड़ा	234.00
	17-10-80	,, ,,	234.00
4.	7-7-80	दी भारती वर्कर, नई दिल्ली	350.00
5.	4-11-80	दैनिक भीलवाड़ा संदेश, भीलवाड़ा	100.00
	4-11-80	दैनिक लोकजीवन, भीलवाड़ा	100-00
6.	11-11-80	आल इंडिया सिंगल क्रिकेट टूर्नामेन्ट स्मारिका	1000.00
7.	1-11-80	प्रागवाट-हिन्दी पाक्षिक, भीलवाड़ा	26.52
	1-11-80	प्रभावित-हिन्दी साप्ताहिक, भीलवाड़ा	211.50
8.	3-11-80	दैनिक लोक जीवन, भीलवाड़ा	965.00
9.	12-11-80	दैनिक लोक जीवन, उदयपुर	418.60
		साप्ताहिक नवजीवन, उदयपुर	479.74
10.		भीलवाड़ा सन्देश, भीलवाड़ा	274.40
11.	9-12-80	दैनिक नवजीवन, उदयपुर	658.47
	9-12-80	डेली अणीमा (जयपुर) भीलवाड़ा	1375.92
	24-1-81	दैनिक लोक जीवन, भीलवाड़ा	597.00
		प्रातःकाल, उदयपुर	510.00
12.	पिछला	प्रागवाट, हिन्दी पाक्षिक, भीलवाड़ा	73.48
13.		प्रभावित हिन्दी साप्ताहिक, भीलवाड़ा	423.30
14.	22-2-81	एन. टी. सी. (दिल्ली पंजाब राजस्थान) सूरज टैक्सटाइल मिल्स लि. मलोट	500.00
15.	31-5-81	दैनिक नवजीवन उदयपुर,	239.87
		साप्ताहिक नवजीवन, उदयपुर	479.74
		दैनिक नवजीवन, उदयपुर	499.20

1	2	3	4
16.	19-5-81	जन मगल (साप्ताहिक), उदयपुर	332.80
	31-3-81	नमामि साप्ताहिक, जयपुर	250.00
	16-4-81	भारती वर्कर, दिल्ली	400.00
	17-12-80	राजस्थान स्टेट भारत स्काउट गाइड्स	200.00
	24-3-81	राजस्थान रेडियोलोजिकल कांग्रेस	1000.00
17.	21-5-81	लोक जीवन, भीलवाड़ा	511.20
18.	19-5-81	राजस्थान प्रशासनिक संघ, जयपुर	500.00
19.	29-12-81	भारतीय वर्कर, नई दिल्ली	450.00
20.	27-3-81	उदयपुर एक्सप्रेस, उदयपुर	735.00

राजस्थान कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि., गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
वर्ष 81-82 के अन्तर्गत दिये गये विज्ञापनों की सूची

क.सं.	आदेश दिनांक	विज्ञापन हेतु पत्रिका-पत्र	राशि
1.	2-7-81	प्रभावित हिन्दी, साप्ताहिक, भीलवाड़ा	451.52
2.	2-5-81	30वीं नेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप	200.00
3.		विश्व हिंदू परिषद शाखा, भीलवाड़ा	600.00
4.	31-8-81	राजस्थान राज्य सिचाई विभाग कर्मचारी फैटरेशन	700 00
		दैनिक प्रभावित भीलवाड़ा	296.00
5.		नवजीवन, उदयपुर	497.74
6.	14-8-81	दैनिक नवजीवन, उदयपुर	656.88
7.	14-8-81	नवजीवन, उदयपुर	479.74
8.	30-9-81	दैनिक न्याय	970.00
9.	15-10-81	आदर्श बाल विद्या निकेतन, भीलवाड़ा	500.00
10.	13-10-81	प्रभावित हिन्दी साप्ताहिक, भीलवाड़ा	498.40
		दैनिक प्रभावित, भीलवाड़ा	710.00
11.	23-10-81	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	491.40
		दैनिक नवज्योति, अजमेर	500.00
12.	23-10-81	दैनिक प्रभावित, भीलवाड़ा	710.00
13.	23-10-81	लोक जीवन, भीलवाड़ा	710.00
14.	23-10-81	दैनिक भीलवाड़ा संदेश, भीलवाड़ा	312.00
15.		प्रागवाट हिन्दी पाक्षिक, भीलवाड़ा	93.60
16.	23-10-81	साप्ताहिक झंझावत, भीलवाड़ा	93.60
17.		दैनिक तरूण देश	312.00
18.		दैनिक न्याय, अजमेर	500 00
19.	12-6-81	दी पाली सेन्ट्रल को-आप. बैंक लि., पाली	300.00
20.	8-10-81	करन्ट बम्बई	2500.00
21.	21-12-81	निराला राजस्थान (साप्ताहिक) जयपुर	399.50

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 447 की सूची

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर

सूची कर्मचारी जिन पर माल की कमी, गबन आदि के मामले बने हैं

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पाई गई कमी की राशि	आधार	अवधि जिससे मामला संबंधित है	मामले में की गई/की जाने वाली कार्यवाही का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
(1) उपहार						
1.	कु. शोभा सक्सेना, विक्रेता	93.52	भौतिक सत्यापन	77-78	पूर्ण वसूली की जा चुकी है।	
2.	श्री शौकत अहमद, विक्रेता	772.39	,,	,,	,,	
3.	श्री चन्द्रभानसिंह, विक्रेता	58.12	,,	,,	,,	
4.	श्री उत्तमचन्द जैन गोदाम कीपर	1204.23	,,	,,	कर्मचारी निलम्बित है। वसूली की जानी है।	

1	2	3	4	5	6	7
5.	श्री जयराज पारीक, विक्रेता	7564.01	अंकेक्षण आपत्ति	77-78	राशि की वसूली हेतु राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम के अन्तर्गत, धारा 74 की कार्यवाही जारी है।	
6.	श्री वीरेन्द्रकुमार शर्मा, विक्रेता	9816.40	भौतिक सत्यापन	78-79	जमानतदारों को वसूली हेतु नोटिस दिये गये हैं वर्ष 78-79 की आडिट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। धारा 74 की कार्यवाही की जानी है।	
7.	श्रीमती ईश्वरी सुमनानी, विक्रेता	4831.00	अंकेक्षण आपत्ति	79-80	राशि वसूल की जा चुकी है। एफ. आई. आर. दर्ज करवादी है।	
8.	कुमारी अंजली शर्मा, विक्रेता	100.00	चार्ज हस्तान्तरण	78-79	पूर्ण राशि वसूल की जा चुकी है।	
9.	श्री पवन कुमार सैनी	34.65	,,	78-79	,,	
10.	श्री शौकत ग्रहमद विक्रेता	176.30	भौतिक सत्यापन	79-80	दायित्व का मिलान किया जा रहा है। प्रोत्साहन भत्ता रुका हुआ है।	

1	2	3	4	5	6	7
11.	श्री श्यामलाल शर्मा, विक्रेता	86.24	भौतिक सत्यापन	79-80	दायित्व का मिलान किया जा रहा है। प्रोत्साहन भत्ता रुका हुआ है।	
12.	श्री हर्षनन्द जैन, विक्रेता	72.42	,,	,,	,,	,,
13.	कु. शोभा सक्सेना	72.42	,,	,,	,,	,,
14.	श्री अमरसिंह विक्रेता	7.90	,,	,,	दायित्व का मिलान किया जा रहा है। बोनस की राशि रोकी गई है।	
15.	श्री देवीसिंह, विक्रेता	503.99	,,	,,	,,	,,
16.	श्री कालूराम, विक्रेता	326.81	,,	,,	,,	,,
17.	श्री हरीराम, विक्रेता	166.46	,,	,,	,,	,,
18.	श्री दिनेश कुमार, विक्रेता	198.33	चार्ज हस्तान्तरण	,,	,,	,,
19.	श्री राधेश्याम गुप्ता, विक्रेता	171.00	भौतिक सत्यापन	,,	,,	,,
20.	श्री दामोदर प्रसाद गुप्ता, विक्रेता	1122.65	,,	,,	गत 3 वर्षों का प्रोत्साहन भत्ता रोका हुआ है दायित्व का मिलान किया हुआ है।	
21.	श्रीमती मनोरमा सक्सेन,ा विक्रेता	122.98	,,	,,	,,	,,
22.	श्री दौलतराम, विक्रेता	156.94	,,	,,	,,	,,
23.	श्री हंसराज गुप्ता, विक्रेता	65.94	,,	,,	,,	,,
24.	कुमारी सन्तोष भार्गव, विक्रेता	212.42	,,	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
25.	श्री मनोहरलाल जैन, विक्रेता	33195.48	आडिट रिपोर्ट	80-81	मामले में धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी है एवं आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामला पुलिस में दिया जावेगा ।	
26.	श्री परमेश्वर तनवानी, विक्रेता	1576.62	आन्तरिक आडिट	74-75	दायित्व का मिलान करना है वैसे पूर्ण राशि अग्रिम के रूप में जमा करवाली है ।	
27.	श्री उमा शंकर शर्मा, विक्रेता	26733.05	आडिट रिपोर्ट	75-76	10196.94 रु० वसूल किये जा चुके हैं शेष के लिए धारा 74 के अन्तर्गत मामला चल रहा है ।	
28.	श्री शंकरलाल गुप्ता, विक्रेता	25610.26	,,	,,	13750/- रु० वसूल किये जा चुके हैं शेष के लिए धारा 74 के अन्तर्गत मामला विचाराधीन है ।	
29.	कु० वृन्दा श्रीवास्तव, विक्रेता	5721.39	आन्तरिक जांच	80-81	कर्मचारी के जामिन को नोटिस दिया जा चुका है आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।	
(2)	चीनी शाखा					
30.	श्री महेश कुमार बन्सल विक्रेता	11343.00	आडिट रिपोर्ट	,,	विभागीय कार्यवाही हेतु जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है तथा निलम्बित किया जा चुका है धारा 74 में वसूली हेतु कार्यवाही की जानी है ।	

1	2	3	4	5	6	7
31.	श्री उत्तमचन्द जैन, विक्रेता	1713.80 6880.52	गबन एवं बिक्री की राशि देरी से जमा कराने के कारण ब्याज की हानि	80-81	विभागीय कार्यवाही हेतु जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है तथा निलम्बित किया जा चुका है। धारा 74 में वसूली हेतु कार्यवाही की जानी है।	
32.	श्री कैलाशचन्द्र शर्मा, लिपिक	2829.00	आडिट रिपोर्ट	,,	आरोप पत्र दिया जाकर उत्तर प्राप्त हो गया है। वसूली की कार्यवाही की जा रही है।	
33.	श्री राकेश भटनागर, विक्रेता	117517.00	,,	,,	कर्मचारी को निलम्बित किया जाकर आरोप पत्र दिया जा चुका है। जांच अधिकारी की नियुक्ति विभागीय कार्यवाही हेतु की जा रही है एवं हिसाब का मिलान बैंक स्लिप के आधार पर किया जा रहा है।	
34.	श्री बी. के. शर्मा, लिपिक कम स्टोर कीपर	1398.09	भौतिक सत्यापन (कमी)	30-6-80	कमी का समायोजन किया जा चुका है।	

1	2	3	4	5	6	7
प्रधान कार्यालय						
35.	श्री लक्ष्मीलाल लसोड़	25392.23	भौतिक सत्यापन	70-71, 71-72 76-77 व 77-78	कर्मचारी को निलम्बित किया जा चुका है । 15053.65 रु० की वसूली हो चुकी है विभागीय जांच जारी है ।	
36.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	4228.50	,,	69-70 से 74-75 तक	वसूली की जा चुकी है ।	
37.	श्री अनिल कुमार मल्होत्रा	8787.92	,,	73-74 व 74-75	धारा 74 के अन्तर्गत मामला विचाराधीन है ।	
38.	श्री रमेशचन्द भम्भानी	39515.80	आडिट रिपोर्ट भौतिक सत्यापन व गबन	74-75, 75-76 व 76-77	फौजदारी मामला न्यायालय में विचाराधीन है । 737.18 रु० की वसूली की जा चुकी है । नौकरी से हटा दिया गया है ।	
39.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	6629.06	भौतिक सत्यापन	75-76 व 76-77	मामला न्यायालय में विचाराधीन है । 4183.81 रु. की वसूली की जा चुकी है । शेष की वसूली प्रति माह की जा रही है ।	

1	2	3	4	5	6	7
40.	श्री वेद प्रकाश	6092.68	भौतिक सत्यापन	1976-77	3881.42 रु. वसूल हो चुके हैं व जामिनों को नोटिस दिया जा रहा है। मामला धारा 74 के अन्तर्गत चल रहा है। नौकरी से हटा दिया गया है।	
41.	श्री ललित मोहन गुप्ता	759.47	,,	74-75 व 75-76	वसूली हो चुकी है।	
42.	श्री परमेश्वर तनवानी	2718.19	,,	73-74, 74-75 76-77 व 77-78	,,	
43.	श्री महेन्द्रपालसिंह	6469.00	,,	75-76, 76-77 77-78	2937.18 रु. वसूल किये जा चुके हैं शेष का समायोजन हो चुका है। नौकरी से हटा दिया गया है।	
44.	श्री बाबूलाल शर्मा	6.50	,,	76-77	वसूली हो चुकी है।	
45.	श्री दयानन्द अग्रवाल	58.96	,,	78-79	,,	
46.	श्री अमरसिंह	130.75	,,	,,	130.75 की वसूली की जानी है।	

1	2	3	4	5	6	7
47	श्री महेश कुमार बन्सल	3875.03	भौतिक सत्यापन	77-78	हिसाब का मिलान किया जा रहा है। तथा 2277.98 की वसूली की जा चुकी है।	
48.	श्री राजेश नारायण	344.83	,,	78-79	वसूली हो चुकी है।	
49.	श्री भास्कर जैन	132.67	,,	80-81	,,	
50.	श्री हरी राम	329.62	,,	78-79 79-80	,,	
51.	श्री सुरेशचन्द्र शर्मा	371.08	,,	78-79	,,	
52.	श्री गोपाललाल	87.38	,,	,,	,,	
53.	श्री सुन्दर नारायण माथुर	1760.42 2875.24	,,	79-80, 80-81	कर्मचारी को निलम्बित किया जा चुका है। हिसाब का मिलान किया जा रहा है।	
54.	श्री त्रिभुवन प्रकाश पाण्डे	1142.23	,,	77-78, 78-79 80-81	903.19 की वसूली हो चुकी है। शेष के लिए हिसाब का मिलान किया जा रहा है।	

407

1	2	3	4	5	6	7
55.	श्री जुगल किशोर पोद्दार	4483.26	चार्ज हस्तान्तरण	80-81	राशि की वसूली की जानी है।	
56.	श्री देवी नारायण	65.56	,,	78-79	वसूली हो चुकी है।	
57.	श्री कालूराम	107.83	,,	,,	,,	
58.	श्री नन्द किशोर सैनी	9.65	,,	,,	,,	
59.	श्री सत्य नारायण शर्मा	121.67	,,	,,	,,	
60.	श्री त्रिपुरेश कुमार	203.50	,,	79-80	,,	
सीमेन्ट शाखा						
61.	श्री छीतरमल	—	आडिट एव सामान्य निरीक्षण	80-81	सीमेन्ट बिक्री में अनियमितता करने पर मामला पुलिस में दर्ज करवा दिया गया है कर्मचारी निलम्बित है।	
62.	,, महेश कुमार बन्सल	—	,,	,,	,,	

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि० मेडिकल ब्रांच, जयपुर ।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पाई गई कमी की राशि	आधार आडिट रिपोर्ट	अवधि जिससे मामला संब० है	कार्यवाही जो की गई	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री हरक चन्द जैन	5,034.40	भौ. सत्यापन	1975–76	पूर्ण राशि वसूल की गई	
2.	श्री विजय कुमार शर्मा	2,878.17	,,	,,	,,	
3.	श्री विष्णु दत्त शर्मा	2,623.42	,,	,,	,,	
4.	श्री वीरेन्द्र पापडीवाल	765.23	,,	,,	,,	
5.	श्री ब्रज मोहन ताम्बी	448.02	,,	,,	,,	
6.	श्री राम गोपाल खण्डेलवाल	344.82	,,	,,	,,	
7.	श्री सत्यनारायण चौधरी	179.60	,,	,,	,,	
8.	श्री प्रकाश चन्द भाटिया	48.95	,,	,,	,,	
9.	श्री प्रेम नारायण शर्मा	5.07	,,	,,	,,	

1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री गणपत लाल शर्मा	1,272.80	1976–77 भौ. सत्यापन	1976–77	कुल रु. 1195.50 वसूल कर लिये गये।	शेष कमी रु. 77.30 के लिये नौकरी छोड़ देने के कारण जमानतदार से वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।
2.	श्री माधोबिहारी गुप्ता	601.74	,,	,,	पूर्ण राशि वसूल की गई	
3.	श्री जगदीश साबू	626.17	,,	,,	,,	
4.	श्री प्रताप नारायण भट्ट	1,005.34	,,	,,	,,	
5.	श्री विजय कुमार शर्मा	792.66	,,	,,	,,	
6.	श्री मोहन लाल वर्मा	584.76	,,	,,	,,	
7.	श्री नरेश कुमार जैन	69.37	,,	,,	,,	
8.	श्री डूंगर सिंह	257.57	,,	,,	,,	
9.	श्री प्रकाश चन्द भाटिया	511.79	,,	,,	,,	
10.	श्री प्रेम नारायण शर्मा	1,818.82	,,	,,	,,	
11.	श्री खुशी चन्द गुप्ता	1,178.95	,,	,,	,,	
12.	श्री राम कृष्ण शर्मा	279.41	,,	,,	,,	
13.	श्री भंवर सिंह	77.48	,,	,,	,,	
14.	श्री श्री चन्द नाहर	2,317.63	,,	,,	,,	
15.	श्री प्रीति कुमार	1,009.75	,,	,,	,,	

1	2	3	4	5	6	7
16.	श्री ओम प्रकाश वर्मा	10.15	भौ. सत्यापन	1976-77	पूर्ण राशि वसूल की गई	
17.	श्री हरक चन्द जैन	5,419.73	,,	,,	,,	
18.	श्री श्याम सुन्दर झालाणी	536.07	,,	,,	,,	
19.	श्री सुरेश चन्द बसल	58.83	,,	,,	,,	
20.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	138.52	,,	,,	,,	
21.	श्री कृष्ण कुमार वर्मा	66.98	,,	,,	,,	
22.	श्री कुन्जु कोकुरा	81.25	,,	,,	,,	
23.	श्री भोपाल सिंह नरूका	452.77	,,	,,	,,	
24.	श्री सुरेश चन्द	14.97	,,	,,	,,	
25.	श्री घनश्याल महेश्वरी	184.43	,,	,,	,,	
			1977-78			
1.	श्री राज कुमार वर्मा	3,132.52	भौ. सत्यापन	1977-78	पूर्ण राशि वसूल की गई	
2.	श्री ओम प्रकाश वर्मा	7.00	,,	,,	,,	
3.	श्री ओम प्रकाश मिश्रा	5.00	,,	,,	,,	
4.	श्री सुरेश चन्द ओझा	6.16	,,	,,	,,	
5.	श्री जगदीश प्रसाद गोयल	21.02	,,	,,	,,	
6.	श्री नरेश कुमार जैन	312.15	,,	,,	,,	

1	2	3	4	5	6	7
7.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	623.74	भौ. सत्यापन	1977–78	पूर्ण राशि वसूल की गई	
8.	श्री प्रमोद कुमार	270.87	,,	,,	,,	
9.	श्री गोविन्द लाल	21.22	,,	,,	,,	
10.	श्री एम. एन. छाबड़ा	161.91	,,	,,	,,	
11.	कुमारी अमिता जौहरी	225.17	,,	,,	,,	
12.	श्री पी. के. कश्यप	425.86	,,	,,	,,	
13.	श्री तजम्मुल खां	152.95	,,	,,	,,	
14.	श्री प्रेम प्रकाश सैनी	835.17	,,	,,	,,	
15.	श्री मोहन गोपाल अम्बीकर	252.89	,,	,,	,,	
16.	श्री जगदीश सिंह खींची	28.94	,,	,,	,,	
17.	श्री रमेश चन्द सैनी	2.20	,,	,,	,,	
18.	श्री सीता राम शर्मा	185.52	,,	,,	,,	
19.	श्री राधेश्याम मिश्रा	1,515.18	,,	,,	1123 रु० वसूली की जा चुकी है।	शेष 391.93 रु० कर्म. द्वारा नौकरी छोड़ने के कारण जमानती से वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
20.	श्री डूंगर सिंह	28.88	,,	,,	पूर्ण वसूल की गई राशि	
21.	श्री राम कृष्ण शर्मा	1,109.02	,,	,,	,,	
22.	श्री सुरेश चन्द	360.47	,,	,,	,,	

1	2	3	4	5	6	7
23.	श्री हरक चन्द	2,534.16	भौ. सत्यापन	1977–78	पूर्ण राशि वसूल की गई	
24.	श्री पी. एन. भट्ट	2,021.99	,,	,,	,,	
25.	श्री सुशील गुप्ता	17.88	,,	,,	,,	
26.	श्री चन्द नाहर	383.34	,,	,,	,,	
27.	श्री एन. के. व्यास	8,616.88	,,	,,	,,	
28.	श्री श्याम लाल गुप्ता	1,479.75	,,	,,	,,	
29.	श्री घनश्याम महेश्वरी	678.06	,,	,,	,,	
			1978–79			
1.	श्री प्रेम प्रकाश सैनी	582.52	भौ. सत्यापन	1978–79	पूर्ण राशि वसूल कर ली गई	
2.	श्री नवल किशोर व्यास	45,802.79	एवं आडिट रिपोर्ट	,,	12,312.98 रु० वसूल कर लिये गये।	शेष रु० 33,569.81 चालानों व खाते में गलत प्रविष्टियों के कारण पाई है, इन गलतियों की जांच अब सप्लाई सुपरवाइजर के द्वारा की जा रही है, जांच होने के

1	2	3	4	5	6	7
						पश्चात् सही प्रविष्टियों की जांच इस कमी का समायोजन किया जावेगा।
3.	श्री सुभाष चौधरी	517.31	भौ. सत्यापन	1988-79	पूर्ण राशि वसूल की गई	
4.	श्री सुरेश चन्द	632.47	,,	,,	,,	
5.	श्री सुरेश पारिक	478.15	,,	,,	,,	
6.	श्री तजम्मुल खां	636.43	,,	,,	,,	
7.	श्री ओम प्रकाश वर्मा	88.88	,,	,,	,,	
8.	श्री मोहन गोपाल अम्बीकर	11.777.68	,,	,,	1000/-"रु०" वसूल किया गया।	शेष कमी 10,777.68 रु० की वसूली हेतु पुलिस अनुसंधान शाखा एवं सहकारिता एक्ट की धारा 74 के अन्तर्गत विचाराधीन है।
9.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	55.12	भौ. सत्यापन	1978-79	पूर्ण वसूली की गई	
10.	श्री भाग चन्द शाह	777.94	,,	,,	,,	
11.	श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग	1,764.87	,,	,,	1302.47 रु० वसूल किये गये हैं।	शेष कमी वेतन के एक तिहाई भाग से वसूल की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
12.	श्री सीता राम शर्मा	1,135.23	भौ. सत्यापन	1978-79	पूर्ण राशि वसूल की गई	
13.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	531.55	,,	,,	,,	
14.	श्री सुरेश ओझा	3,094·65	,,	,,	2815.95 रु० वसूल कर लिये गये हैं।	शेष राशि 278.70 रु० वेतन के एक तिहाई भाग से वसूल की जा रही है।
15.	श्री राम कृष्ण शर्मा	3,831.13	,,	,,	पूर्ण राशि वसूल की गई	
16.	श्री सुरेश बंसल	628.60	,,	,,	,,	
17.	श्री हरिनारायण अग्रवाल	2,077.61	,,	,,	,,	धारा 74 में केस विचाराधीन है।
18.	श्री नत्थी लाल शर्मा	330.40	,,	,,	पूर्ण राशि वसूल की गई	
19,	श्री रजनीकान्त सक्सेना	159.03	,,	,,	,,	
			1979-80			
1.	श्री मदन लाल वर्मा	9,699.58	भौ. सत्यापन एवं आडिट रिपोर्ट	1979-80	पूर्ण राशि वसूल की गई	सह० अधिनियम की धारा 74 के अधीन विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6	7
2.	श्री चन्द्र कान्त शर्मा	6,554.61	भौ. सत्यापन एवं आडिट रिपोर्ट	1979–80	पूर्ण राशि वसूल की गई	
3.	श्री रामगोपाल खण्डेलवाल	8,549.36		,,	,,	इनका केस पुलिस अनुसंधान शाखा एवं सहकारिता ,, अधिनियम धारा 74 के अन्तर्गत विचाराधीन है।
4.	श्री सुरेश चन्द ओझा	2,514.30	,,	,,	550/–रु० वसूल किये जा चुके हैं।	शेष राशि 1964.30 रु० वेतन के एक तिहाई भाग से वसूल की जा रही।
5.	श्री सुरेन्द्र कुमार राघव	3,492.57	,,	,,	पूर्ण राशि वसूल की गई	
6.	श्री रजनी कान्त सक्सेना	3,003.14	,,	,,	,,	स्वयं तथा जमानत दार से वसूली हेतु कार्यवाही जारी है।
7.	श्री सीताराम शर्मा	2,673.17	,,	,,	,,	
8.	श्री हरिनारायण अग्रवाल	1,345.25	,,	,,	,,	सह० अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6	7
9.	श्री प्रकाश चन्द भाटिया	3,189.13	भौ. सत्यापन	1979–80	1080 रु० वसूल किये जा चुके हैं।	शेष राशि 2109.13 रु० की वेतन के एक तिहाई भाग से वसूल जा रही है।
10.	श्री ललित मोहन तिवाड़ी	1,374.14	,,	,,	—	नौकरी छोड़ जाने के कारण जमानत दार से वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
11.	श्री सुरेश पारीक	1,913.12	,,	,,	750 रु० वसूल किये जा चुके हैं।	शेष राश 1163.12 रु० ..वेतन के एक तिहाई भाग से वसूल की जा रही हैं।
12.	श्री बाबू लाल सोनी	1,220.60	,,	,,	पूर्ण राशि वसूल की गई	
13.	श्री भाग चन्द शाह	786.77	,,	,,	,,	
14.	श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग	3,455.44	,,	,,	1020 रु० वसूल किये जा चुके हैं।	शेष राशि 2435.44 रु० वेतन के एक तिहाई भाग से वसूल की जा रही हैं।
15.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	533.18	,,	,,	पूर्ण राशि वसूल की गई	

417

1	2	3	4	5	6	7
16.	श्री सुरेश गुप्ता	289.84	भौ. सत्यापन	1979-80	—	कर्मचारी द्वारा नौकरी छोड़ने के कारण जमानत दार से वसूली को कार्य. की जा रही है।
17.	श्री तजम्मुल खां	32.29	,,	,,	पूर्ण वसूल की गई	

प्रभारी अधिकारी,
मेडिकल ब्रांच, जयपुर।

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 453 की सूची

क्र. सं.	माह	पैट्रोल पर व्यय	जीप मरम्मत पर व्यय	टेलीफोन पर व्यय	यात्रा भत्ता पर व्यय	चिकित्सा पुनर्भंरण पर व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	जनवरी 81	713.95	33.00	110.00	174.30	—
2.	फरवरी 81	228.80	—	51.00	400.00	—
3.	मार्च 81	368.94	—	29.00	266.00	8.16
4.	अप्रैल 81	440.80	—	—	—	—
5.	मई 81	562.21	40.00	59.50	520.10	—
6.	जून 81	828.94	—	—	345.75	—
7.	जुलाई 81	68.94	—	772.00	413.70	—
8.	अगस्त 81	751.57	—	57.00	391.40	—
9.	सितम्बर 81	419.31	—	58.00	—	—

1	2	3	4	5	6	7
10.	अक्टूबर	81 210.00	61.15	31.00	—	—
11.	नवम्बर	81 1058.39	—	82.00	—	—
12.	दिसम्बर	81 893.64	51.00	80.00	—	—
		+ 18.00		0.20		
		6563.49	185.15	1280.50	2511.25	8.16

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 472 का विवरण

ग्राम पंचायत स्वरूपगंज द्वारा मण्डपिया स्टेशन के पास दी गई भूमि का विवरण

क्र.सं.	आवंटित व्यक्ति का नाम	राशि	रकम जमा होने का दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री प्रीतम कुमार चौधरी, भीलवाड़ा	226/- रु.	3-7-69
2.	,, घनश्याम लाल भदादा, ,,	,,	,,
3.	,, सोहन लाल कावरा ,,	,,	,,
4.	,, भंवर लाल हाड़ा ,,	,,	21-8-69
5.	,, ओम प्रकाश शर्मा ,,	,,	2-7-69
6.	,, मूलचन्द अग्रवाल सहायक अभियन्ता	,,	3-7-69
7.	,, स्वाले मोहम्मद खां अकाउन्टेन्ट	,,	5-7-69
8.	,, रामकल्याण पुत्र रामरतन ,, कावरा	,,	7-7-69
9.	,, मोतीसिंह सुरखा ,,	,,	4-7-69
10.	,, अब्दुल रहमान ,,	,,	,,
11.	,, तेजमल पोखरना ,,	,,	,,
12.	,, शान्तिलाल पोखरना ,,	,,	3-7-69
13.	,, गणपतलाल बोहरा ,,	,,	4-7-69
14.	,, राजेन्द्र कुमार चौधरी	,,	3-7-69
15.	,, मुरलीधर चेनाणी भीलवाड़ा	,,	4-7-69
16.	,, राजकुमार वकील ,,	,,	14-8-69
17.	श्री रामस्वरूप भण्डारी भीलवाड़ा	226 रु.	2-8-69
18.	,, जिनेन्द्र कुमार जैन ,,	,,	3-7-69

1	2		3	4
19.	श्री फतहलाल मंडावरा	हमीरगढ़	226 रु.	4-7-69
20.	,, जगदीश चन्द्र सोनी	,,	,,	,,
21.	,, एस. बी. चौरासिया सहायक अभियन्ता	भीलवाड़ा	,,	3-7-69
22.	,, रतनलाल बायती	,,	,,	5-7-69
23.	,, मोहन लाल चितौड़ा	,,	,,	31-7-69
24.	,, भंवर लाल वर्मा	,,	,,	5-7-69
25.	,, बंशीलाल दरड़ा	,,	,,	,,
26.	,, चांदमल चेचसी	,,	,,	,,
27.	,, अवलेश चन्द्र ओजा	,,	,,	8-8-69
28.	,, रामपाल सोनी	,,	,,	5-7-69
29.	,, नरेन्द्रसिंह छाजेड़	,,	,,	14-7-69
30.	,, जयसिंह छाजेड़	,,	,,	8-7-69
31.	,, सुरेन्द्र सिंह मेना	,,	,,	,,
32.	,, कैलाश चन्द जैन	,,	,,	14-7-69
33.	,, सुन्दरलाल काबरा	,,	,,	5-8-69
34.	,, हरिओम चौपड़ा	,,	,,	21-7-69
35.	,, कंवरलाल सोडानी	,,	,,	31-7-69
36.	,, सुरेन्द्र सिंह सहानी		,,	3-7-69
37.	,, मोहम्मद बक्ष	भीलवाड़ा	,,	15-7-69
38.	,, मोहन लाल	,,	,,	18-8-69
39.	,, सोमचन्द्र राजवंशी	,,	,,	5-7-69
40.	,, बंशीलाल सोड़ानी	,,	,,	14-7-69
41.	,, प्रेमसिंह तवेसरा	,,	,,	3-7-69
42.	,, भंवर लाल मून्दड़ा	,,	,,	,,
43.	,, बाबूलाल ओझा	,,	,,	14-7-69
44	,, किशनलाल गंगवाल	,,	,,	29-8-69

1	2		3	4
45.	श्री प्रमोद कुमार सोमानी	भीलवाड़ा	226 रु.	18-9-69
46.	,, सोहन लाल सांभर			3-7-69
47.	,, श्रीनिवास भंडारी	भीलवाड़ा		29-9-69
48.	,, सुरेन्द्र सिंह वैद्य	,,	,,	,,
49.	,, ऋखवराज कोटेचा	,,	,,	,,
50.	,, सुवालाल शर्मा	,,	,,	,,
51.	,, राजेन्द्र कुमार जैन	,,	,,	,,
52.	,, दौलतचन्द	,,	,,	,,
53.	,, श्याम सुन्दर बठा	,,	,,	21-7-69
54.	,, जयवर्द्धन व्यास	,,	,,	,,
55.	प्रतिमा कुमारी व्यास	,,	,,	,,
56.	श्रीमती विनय जोशी	,,	225 रु.	31-7-69
57.	श्री जगदीश चन्द्र काबरा	,,	226 रु.	20-9-69
58.	,, घनश्याम पारासर		,,	31-7-69
59.	,, महावीर प्रसाद चित्तौड़ा		,,	,,
60.	,, पदमचन्द जैन	भीलवाड़ा	,,	,,
61.	,, सज्जनसिंह चौहान	,,	450 रु.	19-7-77
62.	,, मानधितासिंह	,,	900 रु.	30-8-76
63.	,, भगवतसिंह	,,	450 रु.	11-12-76
64.	,, मानसिंह चौहान	,,	450 रु.	30-4-77
65.	,, गंगादेवी व्यास	,,	226 रु.	31-7-69
66.	,, पुखराज जागेरिया	,,	450 रु.	11-12-76
67.	,, करनीसिंह राजपूत		,,	,,
68.	श्रीमती भगवती देवी दशोरा	भीलवाड़ा	,,	,,
69.	श्री नारायणदास श्यामसुन्दर	,,	900 रु.	30-8-76
70.	,, सुमतराम	,,	350 रु.	3-8-77
71.	,, कुमन्दवाला दशोरा	,,	450 रु.	11-12-76
72.	,, सुरेन्द्र कुमार रारा	,,	350 रु.	3-8-77
73.	,, समस्त जैन समाज	स्वरूपगंज	11 रु.	26-7-77
74.	,, हरिशंकर चौबे	,,	450 रु.	9-12-76

1	2		3	4
75.	श्री जालमसिंह	भीलवाड़ा	225 रु.	19-5-77
76.	,, रामजस कोठारी	,,	450 रु.	11-12-76
77.	,, हेमराज सोनी	,,	,,	2-9-77
78.	,, रतनसिंह गुजारड़ी		500 रु.	15-7-76
79.	श्रीमती विमला देवी जैन		450 रु.	30-10-77
80.	श्री नवरतनमल आचार्य		,,	3-8-74
81.	,, कन्हैयालाल मून्दड़ा		,,	3-8-77
82.	,, रतनलाल ताम्बी		,,	
83.	,, ओमप्रकाश	भीलवाड़ा	,,	11-8-75
84.	,, रामबक्ष		,,	27-12-77
85.	,, शंकर लाल आगमा		,,	,,
86.	,, लछमण मोची		,,	21-7-75
87.	,, मदन लाल जोनगर	भीलवाड़ा	400 रु.	,,
88.	,, गिरधारी तेली	,,	450 रु.	5-8-77
89.	,, शंभूसिंह चौवन्डा	,,	,,	11-12-76
90.	,, मोतीलाल विश्नोई		,,	,,
91.	,, चन्द्र प्रकाश जैन	भीलवाड़ा	,,	28-3-77
92.	,, मदनलाल नाई	मांगरोल	,,	21-7-75
93.	,, अम्बरीक सिंह	भीलवाड़ा	,,	12-12-76
94.	,, हमीरसिंह छावड़ा	,,	,,	12-12-75
95.	,, पन्नालाल कांकरिया	,,	300 रु.	2-9-77
96.	,, दौलतसिंह	उदयपुर	450 रु.	27-12-77
97.	श्रीमती महाजीवन	भीलवाड़ा	350 रु.	3-8-77
98.	श्री मनोहरलाल शर्मा		300 रु.	27-12-77
99.	,, शिवशंकर पुरोहित		225 रु.	26-12-77
100.	,, ईश्वर लाल हरिजन	भीलवाड़ा	151 रु.	3-8-77
101.	,, छोटूलाल हरिजन	,,	,,	
102.	,, रामचन्द्र हरिजन		,,	3-8-77
103.	,, कैलाशचन्द हरिजन	भीलवाड़ा	51 रु.	,,
104.	,, सोहनलाल हरिजन	,,	151 रु.	,,
105.	,, रामपाल हरिजन		,,	,,
106.	,, रामप्रसाद हरिजन	भीलवाड़ा	51 रु.	,,

1	2	3	4
107.	श्री राधेश्याम छाबड़ा	450 रु.	2-9-77
108.	श्रीमती विमलेश कोगरे	,,	26-12-77
109.	श्री बसन्त कुमार	300 रु.	3-8-77
110.	,, कोमलसिंह चौधरी	,,	11-11-78
111.	,, रामेश्वर लाल छापरवाल	350 रु.	27-12-77
112.	,, आदीत्य नारायण ओझा	,,	,,
113.	,, वंशीलाल जोशी	,,	,,
114.	,, भंवरलाल पावर	,,	,,
115.	,, प्रतापसिंह लोढ़ा	450 रु.	1-10-80
116.	,, शिवनारायण भीलवाड़ा	,,	,,
117.	,, सत्यनारायण व्यास	350 रु.	16-6-77
118.	,, भैरू लाल	300 रु.	3-8-77
119.	,, खेमसिंह राजपूत	225 रु.	,,
120.	श्रीमती गीता देवी चौवे	300 रु.	,,
121.	श्री भोलाराम कुम्हार भीलवाड़ा	350 रु.	10-11-78
122.	श्रीमती सुशीला देवी	450 रु.	11-12-75
123.	श्री ओमसिंह राजपूत	,,	11-12-76
124.	,, मगना हरिजन भीलवाड़ा	225 रु.	30-4-77
125.	श्रीमती सोहन देवी ,,	450 रु.	11-12-75

———

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 273 की सूची

क्र सं	नाम पंचायत समिति	पुराने कुओं को गहरा करवाया	नए कुओं को खुदवाया गया
1.	आसोन्द	81	4
2.	कोटड़ी	47	9
3.	शाहपुरा	39	15
4.	रायपुर	59	23
5.	जहाजपुर	134	48
6.	हुरड़ा	60	4
7.	माण्डल	165	37
8.	बनेड़ा	76	—
9.	माण्डलगढ़	20	16
10.	सहाड़ा	63	27
11.	सुवाणा	120	20
	योग :	864	203

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 452 की सूची

दिनांक 1-1-80 से 1-2-82 तक जिला भीलवाड़ा में पंचायत समिति वाइज निलम्बित सरपंचों की सूची :—

क्र.सं.	नाम सरपंच	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	निलम्बित किये जाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	बहाल किये जाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	आरोपों का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री देवकरण सोमानी	कालियास	आसन्दि	1974/23-4-81		अनाज का गबन करने के गम्भीर आरोप पाये गये ।
2.	,, उगम लाल	बराना	,,	5420/3-9-81	5990/1-10-81	फर्जी हाजिरी भर कर अनाज का घोटाला
3.	,, सोहन दास	गांगलास	,,	5395/10-9-81	5996/1-10-81	फर्जी हाजिरी भरना एवं भूखण्डों के पेटे विक्रय राशि प्राप्त कर पंचायत कोष में जमा न करना, पद का दुरुपयोग करने संबंधी आरोप पाये गये ।

1	2	3	4	5	6	7
4.	श्री मोहन सिंह	पांसल	सुवाना	5414/10-4-81		मजदूरों की फर्जी हाजिरियां भर कर गेहूं का घोटाला करने के आरोप पाये गये ।
5.	,, नाथू सिंह	कोदूकोटा	,,	5386/10-9-81		गेहूं का गबन करने एवं पद का दुरुपयोग करने के आरोप ।
6.	,, गणेश लाल	दान्थल	,,	6688/18-9-80		निर्माण कार्यों में राशि का गबन ।
7.	,, राजमल	बड़ा महुआ	,,	5368/9-9-81		पंचायत के निर्माण कार्यों में घोटाला एवं अनियमितता करने के आरोप पाये गये ।
8.	,, लालूराम	बागोलिया	रायपुर	5429/3-9-81	5864/26-9-81	फर्जी हाजरी भरना व चंदे की राशि अपहरण करना पाया गया ।
9.	,, भोज्याराम	दहीमथा	माण्डल	3731/4-7-81	4462/3-8-81	5/- रु० बतौर रिश्वत श्रमिकों से प्राप्त किये जाने के गम्भीर आरोप पाये गये ।
10.	,, हरकचंद कावरा	बासेड़ा	शाहपुरा	3071/3-6-81		निर्माण कार्यों में अनियमितता एवं फर्जी हाजरी भरना पाया गया ।

1	2	3	4	5	6	7
11.	श्री रघुवीर सिंह	तसवारियावासा	शाहपुरा	5405/10-9-81		गेहूं का गबन करने, राज्य राशि का दुरुपयोग करने संबंधी आरोप पाये गये।
12.	श्रीमती प्रेम कंवर	रोवा	जहाजपुर	2627/25-5-81	3443/22-6-81	गम्भीर अनियमिततायें करने के आरोप पाये गये।
13.	श्री कल्याण मल	ईटून्दा	,,	5266/27-8-81	6430/23-10-81	पंचायत कोष की राशि का गबन करने एवं पद का दुरुपयोग करने के आरोप पाये गये।
14.	,, शिव नारायण	आकोला	कोटड़ी	3081/30-6-81		अनाज व मजदूरी बांटने में घोटाला एवं फर्जी हाजिरी भरना पाया गया।
15.	,, औंकार लाल	सरदारनगर	बनेड़ा	447/21-2-81		निर्माण कार्यों में राशि का दुरुपयोग एवं मस्टररोल में फर्जी हाजिरी भरना पाया गया।
16.	,, राम प्रसाद	गुलाबपुरा	हुरड़ा	3736/27-10-80		पंचायत कोष की राशि का दुरुपयोग करने के आरोप पाये गये।

1	2	3	4	5	6	7
17.	श्री राधा किशन	खेजड़ी	हुरड़ा	3273/25-4-80	5124/5-7-80	पंचायत की राशि का गबन करने एवं पद का दुरुपयोग ।
18.	,, गोकल चन्द	गागेड़ा	,,	5227/8-7-80	7292/23-10-80	निर्माण कार्यों में राशि का गबन ।
19.	,, राम निवास	भोज्यरास	,,	244–48/21-1-80	4222/21-5-80	पंचायत की राशि का गबन करने एवं रिकार्ड में काट छांट करने ।

दिनांक 1-1-1980 से 1-2-1982 तक निलम्बित सरपंचों के विरुद्ध जिला भीलवाड़ा में पंचायत समिति वाइज विचाराधीन मामलों की सूची

क. सं.	नाम सरपंच	नाम ग्राम पंचायत	नाम पंचायत समिति	विभागीय जांच किस स्तर पर विचाराधीन है	जांच अधिकारी की नियुक्ति का क्रमांक एवं दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री देवकरण	कालियास	आसीन्द	जिला स्तर पर	5646/26-7-80	
2.	,, उगमलाल	वराणा	,,	,,	6070–72/12-10-81	
3.	,, सोहन दास	गांगलास	,,	,,	6073–75/ ,,	
4.	,, मोहन सिंह	पांसल	सुवाणा	,,	7809–11/ ,,	
5.	,, राजमल	वड़ा महुवा	,,	,,	5654–56/18-9-81	
6.	,, लालूराम	वागोलिया	रायपुर	,,	7080–82/18-11-81	
7.	,, हरकचन्द कावरा	वासेड़ा	शाहपुरा	,,	4619–21/10-8-81	
8.	,, रघुवीर सिंह	तसवारिया वांसा	,,	,,	6467–69/24-10-81	

1	2	3	4	5	6	7
9.	श्रीमती प्रेम कुंवर	रोपा	जहाजपुर	जिला स्तर पर	3642–44/1-7-81	
10.	श्री कल्याण मल	इटून्दा	,,	,,	6470 /24-10-81	
11.	,, शिवनारायण तिवाड़ी	आकोला	कोटड़ी	,,	5551–53/14-9-81	
12.	,, राधाकिशन	खेजड़ी	हुरड़ा	,,	3830–32/12-5-80	
13.	,, गोकलचन्द शर्मा	गोमेड़ा	,,	,,	7384–86/25-10-80	
14.	,, रामनिवास	भोजराज	गुलाबपुरा	,,	2513–15/22-3-80	